



स्वाधीनता ।

लेखक-

पै० महावीरप्रसाद द्विवेदी.



बांग सेवा मन्दिर
दिल्ली



क्रम संख्या

काल नं ३८२१७ अक्टूबर

संग्रह

स्वाधीनता ।



श्रीपरमात्मने नमः

स्वाधीनता ।

प्रसिद्धं तत्त्ववेत्ता जान स्फुर्ति मिलके
अंगरेजी ग्रन्थका अनुवाद ।

अनुवादक—

सरस्वती-सम्पादक पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी

प्रकाशक—

हिन्दीग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई

मुद्रक—

बम्बई वैभव प्रेस, बम्बई ।

इस्ती सन् १९१२.

मूल्य, दो रुपया ।

प्रकाशकका निवेदन ।

लगभग पांच वर्ष पहले नागपुरकी हिन्दीग्रन्थप्रसारक मण्डलीने इस ग्रन्थको छपाकर प्रकाशित किया था । मण्डलीका प्रकाशित संस्करण बहुत ही थोड़े समयमें हाथों हाथ बिक गया । इससे जान पड़ता है कि हिन्दीमें इस ग्रन्थकी ज़रूरत है और ऐसे तात्त्विक ग्रन्थोंके पढ़नेवाले भी हिन्दीभाषाभाषियोंमें हो गये हैं । इसमें सन्देह नहीं कि उक्त मण्डलीके द्वारा अब तक इस ग्रन्थके एक दो संस्करण और भी प्रकाशित हो गये होते । परन्तु हिन्दीके दुर्भाग्यसे वह शीघ्र ही टूट गई और आवश्यकता होनेपर भी इस ग्रन्थका दूसरा संस्करण न प्रकाशित हो सका ।

‘स्वाधीनता’ के सदृश ग्रन्थरत्न एक बार प्रकाशित होकर भी ज्ञानलिप्सुओंके लिए दुर्लभ हो गया यह बात मुझे बहुत खटकी और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक हिन्दी हितैषीको खटकी होगी । मेरे मनमें इस तरहके विचार उत्पन्न होनेके कुछ ही दिन बाद अर्थात् अगस्त १९१० की सरस्वतीमें श्रीयुक्त पं० व्यंकटेश नारायण त्रिपाठी एम. ए. का लिखा हुआ ‘स्वाधीनताकी समालोचना’ शीर्षक लेख निकला । उसमें स्वाधीनताका महत्त्व बतलाकर इस बातपर ज़ोर दिया गया कि इस ग्रन्थरत्नकी द्वितीयावृत्ति शीघ्र ही प्रकाशित होनी चाहिए । मुझे दृढ़ आशा थी कि उक्त लेखपर हिन्दीके ग्रन्थप्रकाशकोंका ध्यान अवश्य ही जायगा और किसी न किसी प्रकाशकके द्वारा स्वाधीनताकी द्वितीयावृत्तिके शीघ्र ही दर्शन होंगे । परन्तु जब लगभग दो वर्ष तक कहींसे भी कुछ प्रथल्न न हुआ तब मुझसे न रहा गया । अत एव मैंने स्वयं ही इसे प्रकाशित करनेका भार अपने ऊपर लिया ।

इस संस्करणमें एक विशेषता है। वह यह कि इसमें मिल साहचर्यका ल्याभग ६० पृष्ठ—व्यापी जीवनचरित भी दिया गया है। इसके लिखनेके लिए मैंने द्विवेदीजीसे प्रार्थना की थी। यदि उनके द्वारा यह लिखा जाता तो सोनेमें सुगन्धि हो जाती। परन्तु अस्वस्थताके कारण वे मेरी इच्छाको पूर्ण न कर सके। अत एव मुझे ही यह चरित लिखना पड़ा। मिलके आत्मचरितका अनुवाद मराठीमें निकल नुका है। उसीके आधारपर मैंने यह चरित लिखा है। मैं हिन्दीका अस्पष्ट सेवक हूँ। इस कारण संभव नहीं कि यह चरित अच्छा लिखा गया हो। तो भी, आशा है, पाठक इसे हिन्दीमें एक नई चीज़ समझकर इसका स्वीकार करेंगे।

जब मैंने इस ग्रन्थके प्रकाशित करनेका भार अपने ऊपर लिया तब मेरे कुछ मित्रोंने हिन्दी साहित्यको उच्च श्रेणीके और भी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंसे भूषित करनेका उत्साह दिलाया। हिन्दीमें कितने ही नामी नामी लेखक हैं। वे अच्छे अच्छे उपयोगी ग्रन्थ लिख सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश मेरा उनसे परिचय नहीं। तो भी समयकी अनुकूलता देखकर—यह जानकर कि हिन्दीमें अब अच्छे अच्छे ग्रन्थोंकी क़दर होने लगी है—मैंने अपने श्रीजैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालयकी एक शाखा हिन्दी—ग्रन्थरत्नाकर नामकी खोल दी है। मुझे विश्वास है कि हिन्दीहितैषियोंकी सहानुभूति और कृपासे मैं इस शाखा—कार्यालयद्वारा हिन्दीकी थोड़ी बहुत सेवा कर सकूंगा। तीन चार ग्रन्थ तयार हो रहे हैं। वे शीघ्र ही छपकर प्रकाशित हो जायेंगे। क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि हिन्दी-हितैषी उनको स्वीकार करके मेरे उत्साहको बढ़ावेंगे ?

बम्बई,

२४-९-१२ } {

निवेदक—
नाथूराम शेंमी।



पण्डित महावीरप्रसाद छिवेदी।

भूमिका ।

इंग्लैण्ड में जान स्टुअर्ट मिल नामका एक तत्त्ववेत्ता होगया है । उसे मेरे अभी सिर्फ ३१ वर्ष हुए । उसने कई अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं । उनमें से एक का नाम ‘लिबर्टी’ (Liberty) है । यह पुस्तक उसी ‘लिबर्टी’ का अनुवाद है ।

मिलने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । छोटी छोटी पुस्तकें उसने कई लिखी हैं । पर उसके विशेष महत्वपूर्ण ग्रन्थ ये हैं:—

- (१) अर्थशास्त्र के अनिश्चित प्रश्नों पर निबन्ध (Essays on unsettled questions in Political Economy)
 - (२) तर्कशास्त्र-पद्धति (System of Logic)
 - (३) अर्थशास्त्र (Political Economy)
 - (४) स्वाधीनता (Liberty)
 - (५) पारलियामेंट के सुधार-सम्बन्धी विचार (Thoughts on Parliamentary Reform)
 - (६) प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्यव्यवस्था (Representative Government)
 - (७) लिंगों की पराधीनता (Subjection of Women)
 - (८) हैमिल्टन के तत्त्वशास्त्र की परीक्षा (Examination of Hamilton's Philosophy)
 - (९) उपयोगितात्त्व (Utilitarianism)
- ‘प्रकृति’, ‘Nature’ और ‘धर्म की उपयोगिता’, (Utility of Religion) इन दो विषयों पर भी मिलने निबन्ध लिखे, पर

वे उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। मिल के पिता ने मिल को किसी विशेष प्रकार की धर्म-शिक्षा न दी थी; क्योंकि उसका विश्वास किसी धर्म पर न था। पर उसने सब धर्मों और धार्मिक सम्प्रदायों के तत्त्व मिल को अच्छी तरह समझा दिये थे। लड़कपन में इस तरह का संस्कार होने के कारण मिल के धार्मिक विचार अनोखे हो गये थे। उनको उसने 'धर्म की उपयोगिता' में बड़ी ही योग्यता से प्रकट किया है। उसकी खींचित विद्युषी थी। वह भी तत्त्व-विद्या में खूब प्रवीण थी। पुस्तक-रचना में भी उसे अच्छा अभ्यास था। 'स्वाधीनता' और 'खियों की पराधीनता' को मिल ने उसीकी सहायता से लिखा है। और भी कई पुस्तकों के लिखने में उसने मिल की सहायता की थी। अपने आत्मचरितमें मिल ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। 'स्वाधीनता' को उसने अपनी खींची ही को समर्पित किया है। उसका समर्पण विलक्षण है। उसमें उसने अपनी खींची की प्रशंसा की पराकाष्ठा कर दी है। मिल बड़ा उदार पुरुष था। सत्य के खोजने में वह सदैव तत्पर रहता था। जिस बात से अधिक आदमियों का हित हो उसीको वह सबसे अधिक सुखदायक समझता था। इस सिद्धान्त को उसने अपने 'उपयोगितातत्त्व' में बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित किया है। नई और पुरानी चाल की ज़रा भी परवा न करके जिसे वह अधिक युक्तिपूर्ण समझता था उसीको मानता था। वह सुधारक था; परन्तु उच्छृंखल और अविवेकी न था। जो लोग बिना समझ-बूझे पुरानी बातों के वेदवाक्य मानते थे उनके अनुचित विश्वासों को उसने विचालित कर दिया; उसकी सदसद्विचार-शक्ति को उसने

जागृत कर दिया; उनकी विवेचनारूपी तलवार पर जो मोरचा लग गया था उसने जड़ से उड़ा दिया ।

मिल के ग्रन्थों में स्वाधीनता, उपयोगितातत्त्व, तर्कशास्त्रपद्धति और ख्यियों की पराधीनता—इन चार ग्रन्थों का बड़ा मान है । इन पुस्तकों में मिल ने जिन विचारों से—जिन दलीलों से—काम लिया है वे बहुत प्रबल और अखण्डनीय हैं । ये ग्रन्थ सब कहीं प्रीतिपूर्वक पढ़े जाते हैं । स्वाधीनता में मिल ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है वे बहुत ही छढ़ प्रमाणों के आधार पर स्थित हैं । यह बात इस पुस्तक के पढ़ने से अच्छी तरह मालूम हो जायगी ।

इस पुस्तक में पांच अध्याय हैं । उनकी विषय-योजना इस प्रकार है:—

पहला अध्याय प्रस्तावना ।

दूसरा अध्याय विचार और विवेचना की स्वाधीनता ।

तीसरा अध्याय व्यक्ति-विशेषता भी सुख का एक साधन है ।

चौथा अध्याय व्यक्ति पर समाज के अधिकार की सीमा ।

पांचवां अध्याय प्रयोग ।

मिल साहब का मत है कि व्यक्ति के बिना समाज या गवर्नमेंट का काम नहीं चल सकता और समाज या गवर्नमेंट के बिना व्यक्ति का काम नहीं चल सकता । अतएव दोनों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा है । पर एक को दूसरे के काम में अनुचित हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं । जिस काम से किसी दूसरे का सम्बन्ध नहीं उसे करने के लिए हर आदमी स्वाधीन है । न उसमें समाज ही कोई दस्तनदाजी करना चाहिए और न गवर्नमेंट ही

को । पर, हां, उस काम से किसी और आदमी का अहित न होना चाहिए । ग्रन्थकार ने स्वाधीनता के सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी ही योग्यता से किया है । उसकी विवेचना-शक्ति की जितनी प्रशंसा की जाय कम है । उसने प्रतिपक्षियों के आक्षेपों का बहुत ही मजबूत दलीलों से खण्डन किया है । उसकी तर्कनाप्रणाली खूब सबल और प्रमाणपूर्ण है ।

स्वाधीनता का दूसरा अध्याय सब अध्यायों से अधिक महत्त्व का है । इसीसे वह औरों से बड़ा भी है । इस अध्याय में जो बातें हैं उनके जानने की आजकल बड़ी ही ज़रूरत है । आदमी का सुख विशेष करके उसकी मानसिक स्थिति पर अवलम्बित रहता है । मानसिक स्थिति अच्छी न होने से सुख की आशा करना दुराशा मात्र है । विचार और विवेचना करना मन का धर्म है । अतएव उनके द्वारा मन को उन्नत करना चाहिए । मनुष्य के लिए सब से अधिक अनर्थकारक बात विचार और विवेचना का प्रतिबन्ध है । जिसे जैसे विचार सूझ पड़े उसे उन्हें साफ़ साफ़ कहने देना चाहिए । परन्तु वे विचार राज्य—क्रान्ति उत्पन्न करनेवाले न हों । इसीसे, जितने सभ्य देश हैं, उनकी गर्वनमेंटों ने सब लोगों को यथेच्छ विचार, विवेचना और आलोचना करने की अनुमति दे रखी है । इसीमें मनुष्यका कल्याण है । कर्पना कीजिए कि किसी विषय में कोई आदमी अपनी राय देना चाहता है और उसकी राय ठीक है । अब यदि उसे बोलने की अनुमति न दी जायगी तो सब लोग उस अच्छी बात के जानने से बच्चित रहेंगे । यदि वह बात या राय सर्वथा सच नहीं है, केवल उसका कुछ ही अंश सच है, तो भी

यदि वह प्रकट न की जायगी तो उस सत्यांश से भी लोग लाभ न उठा सकेंगे । अच्छा अब मान लीजिए कि कोई पुराना ही मत ठीक है, नया मत ठीक नहीं । इस हालत में भी यदि नया मत प्रकट न किया जायगा तो पुराने की खूबियां लोगों की समझ में अच्छी तरह न आवेगी । दोनों के गुण-दोषों पर जब अच्छी तरह विचार होगा तभी यह बात ध्यान में आवेगी; अन्यथा नहीं । एक बात और भी है । वह यह कि प्रचलित, रुढ़ या परम्परा से प्राप्त हुई बातों या रस्मों के विषय में प्रतिपक्षियों के साथ वाद-विवाद न करने से उनकी सजीवता जाती रहती है । उनका प्रभाव धीरे धीरे मन्द हो जाता है । इसका फल यह होता है कि कुछ दिनों में लोग उनके मतलब को बिलकुल ही भूल जाते हैं और सिर्फ़ पुरानी लकीर को पीटा करते हैं ।

मिल की मूल पुस्तक की भाषा बहुत क्लिष्ट है । कोई कोई वाक्य प्रायः एक एक पृष्ठ में समाप्त हुए हैं । विषय भी पुस्तक का क्लिष्ट है । इससे इस अनुवाद में हमें कठिनता का सामना करना पड़ा है । हमको डर है कि हमसे अनुवाद-सम्बन्धी अनेक भूलें हुई होंगी । अतएव हमको उचित था कि हम ऐसे कठिन काम में हाथ न डालते । पर जिन बातों का विचार इस पुस्तक में है उनके जानने की बड़ी आवश्यकता है । अतएव मिल साहब के विचारों का बोधक जब तक कोई सर्वथा निर्दोष अनुवाद न प्रकाशित हो तब तक इसका जितना भाग निर्दोष या पढ़ने के लायक हो उत्तेही से पढ़नेवाले स्वाधीनता के सिद्धान्तों और लाभों से जानकारी प्राप्त करें ।

यदि कोई यह कहे कि हिन्दी के साहित्य का मैदान बिलकुल ही सूना पड़ा है तो उसके कहने को अत्युक्ति न समझना चाहिए। दस पाँच किस्में, कहानियां, उपन्यास या काव्य आदि पढ़ने लायक पुस्तकों का होना साहित्य नहीं कहलाता और न कूड़े कचरे से भरी हुई पुस्तकों का ही नाम साहित्य है। इस अभाव का कारण हिन्दी ने लिखने में लोगों की असुन्नि है। हमने देखा है कि जो लोग अच्छी अंगरेजी जानते हैं, अच्छी तनख़ाह पाते हैं, और अच्छी जगहों पर काम करते हैं वे हिन्दी के मुख्य मुख्य ग्रन्थों और अवधारों का नाम तक नहीं जानते। आश्वर्य यह है कि अपनी इस अनभिज्ञता पर वे लजिज्जत भी नहीं होते। यदि ऐसे आदमियों में से दस पाँच भी अपने देश के साहित्य की तरफ़ ध्यान दें और उपयोगी विषयों पर पुस्तकें लिखें तो बहुत जल्द देशोन्नति का द्वारा खुल जाय। क्योंकि शिक्षा के प्रचार के बिना उन्नति नहीं हो सकती। और देश में फी सदी दस पाँच आदमियों का शिक्षित होना न होने के बराबर है। शिक्षा से यथेष्ट लाभ तभी होता है जब हर गाँव में उसका प्रचार हो। और, यह बात तभी सम्भव है जब अच्छे अच्छे विषयों की पुस्तकें देश—भाषाओं प्रकाशित होकर सस्ते दामों पर बिकें। जापान की तरफ़ देखिए। उसने जो इतना जल्द इतनी आश्वर्यजनक उन्नति की है उसका कारण विशेष करके शिक्षा का प्रचार ही है। हमने एक जगह पढ़ा है कि जिस जापानी ने मिल साफ़री की स्वाधीनता (Liberty) का अपनी भाषा में अनुवाद किया, वह सिर्फ़ इसी एक पुस्तक को लिखकर अमीर होगया। थोड़े ही दिनों में उसकी लाखों कपियां बिक

गई। जापान के राजेश्वर सुद मिकाडो ने उसकी कई हजार कापियां अपनी तरफ से मोल लेकर अपनी प्रजा को मुफ्त में बांट दी। परन्तु इस देश की दशा बिलकुल ही उल्टी है। यहां मोल लेने का तो नाम ही न लीजिए, यदि इस तरह की पुस्तकें यहां के राजा, महाराजा और अमीर आदमियों के पास कोई यों ही भेज दे तो भी शायद वे उन्हें पढ़ने का श्रम न उठावें।

इस दशा में हमारी राय यह है कि इस समय हिन्दी में जितनी पुस्तकें लिखी जायें खूब सरल भाषा में लिखी जायें। यथासम्भव उनमें संस्कृत के कठिन शब्द न आने पावें। क्योंकि जब लोग सीधी सादी भाषा की पुस्तकों ही को नहीं पढ़ते तब वे क्लिष्ट भाषा की पुस्तकों को क्यों छूने लगे। अतएव जो शब्द बोल—चाल में आते हैं—फिर चाहे वे फारसी के हों चाहे अरबी के हों, चाहे अंगरेजी के हों—उनका प्रयोग बुरा नहीं कहा जा सकता। पुस्तक लिखने का मतलब सिर्फ यह है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है उसे लोग समझ सकें। यदि वह समझ में न आया, अथवा क्लिष्टता के कारण उसे किसीने न पढ़ा, तो लेखक की मेहनत ही बरबाद जाती है। पहले लोगों में साहित्यप्रेम पैदा करना चाहिये। भाषा—पद्धति पीछे से ठीक होती रहेगी।

इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर हमने इस पुस्तक में हिन्दी, उर्दू, फारसी और संस्कृत इत्यादि के शब्द—जहां पर हमें जैसी ज़रूरत जान पड़ी है—प्रयोग किये हैं। मतलब को ठीक ठीक समझाने के लिए कहीं कहीं पर हम ने एक ही बात को दो दो तीन तीन तरह से लिखा है। कहीं कहीं पर एक ही अर्थ के बोधक अनेक शब्द हमने रखे

हैं । कहीं भूल के भाव को हमने बढ़ा दिया है और कहीं पर कम कर दिया है । इस पुस्तक का विषय ऐसा कठिन है कि कहीं कहीं पर, इच्छा न रहते भी, विवश होकर, हमें संस्कृत के क्लिष्ट शब्द लिखने पड़े हैं । क्योंकि उनसे सरल शब्द और हमें मिले ही नहीं ।

जून १९०४ में जब हम ज्ञांसी से कानपुर आये तब हमने, कुछ उपयोगी पुस्तकें लिखने का विचार किया । हमारा इरादा पहले और ही एक पुस्तक लिखने का था । परन्तु बीच में एक ऐसी घटना होगई जिससे हमें उस इरादे को रहित करके इस पुस्तक को लिखना पड़ा । ७ जनवरी को आरम्भ करके १३ जून को हमने इसे समाप्त किया । बीच में, कई बार, अनिवार्य कारणों से अनुवाद का काम हमें बन्द भी रखना पड़ा । किसी सार्वजनिक समाज की सार्वजनिक चारों की यदि समालोचना होती है तो वह समालोचना उसे अकर्त्ता अच्छी नहीं लगती । इससे उसे रोकने की वह नेप्टा करता है । जब उसे यह बात बतलाई जाती है कि सार्वजनिक कामों की आलोचना का प्रतिबन्ध करने से लाभ के बदले हानि ही अधिक होती है तब वह अकसर यह कह बैठता है कि हम आलोचना को नहीं रोकते, किन्तु “व्यर्थ निन्दा” को रोकना चाहते हैं । अत एव ऐसे व्यर्थ-निन्दा-प्रतिबन्धक लोगों के लाभ के लिए हमने पहले इसी पुस्तक को लिखना मुनासिब समझा । क्योंकि प्रतिबन्धहीन विचार और विवेचना की जितनी महिमा इस पुस्तक में गाई गई है उतनी शायद ही और कहीं हो ।

जिस आदमी को सर्वज्ञ होने का दावा नहीं है उसे अपने काम-काज की विवेचना या समालोचना को रोकने की भूल से भी चौमना

करना चाहिए। इस तरह की चेष्टा करना सार्वजनिक समाज के लिए तो और भी अधिक हानिकारक है। भूलना मनुष्य की प्रकृति है। बड़े बड़े महात्माओं और विद्वानों से भूलें होती हैं। इससे यदि समालोचना बन्द कर दी जायगी—यदि विचार और विवेचना की स्वाधीनता छीन ली जायगी—तो सत्य का पता लगाना असम्भव हो जायगा। तो लोगों की भूलें उनके ध्यान में आवेगी किस तरह ? हाँ, यदि वे सर्वज्ञ हों तो बात दूसरी है।

व्यर्थ-निन्दा कहते किसे हैं ? व्यर्थ-निन्दा से मतलब शायद झूठी निन्दा से है। जिसमें जो दोष नहीं है उसमें उस दोष के आरोपण का नाम व्यर्थ-निन्दा हो सकता है। परन्तु इसका जज कौन है कि निन्दा व्यर्थ है या अव्यर्थ ? जिसकी निन्दा की जाय वह ? यदि यही न्याय है तो जितने मुलजिम हैं उन सब की ज़बानहीं को सेशन कोर्ट समझना चाहिए। इतना ही क्यों, इस दशा में यह भी मान लेना चाहिए कि हाई कोर्ट और प्रिवी कौसिल के जर्जों का काम भी मुलजिमों की ज़बान ही के सिर्पुर्द है। कौन ऐसा मुलजिम होगा जो अपने ही मुंह से अपने को दोषी क़बूल करेगा ? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी निन्दा को सुनकर खुशी से इस बात को मान लेगा कि मेरी उचित निन्दा हुई है ? जो इतने साधु, इतने सत्यशील, इतने सच्चारित्र हैं कि अपनी यथार्थ-निन्दा को निन्दा और दोष को दोष, क़बूल करते नहीं हिचकते उनकी कभी निन्दा ही नहीं होती—उनपर कभी किसी तरह

का इलज़ाम ही नहीं ल्याया जाता । अत एव जो यह कहते हैं कि हम अपनी व्यर्थ-निन्दा मात्र रोकना चाहते हैं वे मानों इस बात की धोषणा देते हैं कि हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं; हम व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं; हम अपनी अज्ञानता को सब के सामने रख रहे हैं । जो समझदार हैं वे अपनी निन्दा को प्रकाशित होने देते हैं । और, जब निन्दा प्रकाशित हो जाती है तब, उपेक्ष्य होने पर, या तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, या वे इस बात को सप्रमाण सिद्ध करते हैं कि उनकी जो निन्दा हुई है वह व्यर्थ है । अपने पक्ष का जब वे समर्थन कर चुकते हैं तब सर्व-साधारण जन का काम करते हैं । दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर वे इस बात का फैसला करते हैं कि निन्दा व्यर्थ हुई है या अव्यर्थ ।

हम कहते हैं कि जब तक कोई बात प्रकाशित न होगी तब तक उसकी व्यर्थता या अव्यर्थता साबित किस तरह होगी । क्या निय व्यक्ति को उसकी निन्दा सुना देने ही से काम निकल सकता है ? हरागिज नहीं । क्योंकि सम्भव है वह निन्दा को अपनी स्तुति समझे । और यदि निन्दा को वह निन्दा मान भी लेतो उसे दण्ड कौन देगा ? जिन लोगों के कामकाज का सर्वसाधारण से सम्बन्ध है उनकी निन्दा सुनकर सब लोग जब तक उनका विकार नहीं करते तब तक उन्को विकाररूप उचित दण्ड नहीं मिलता । जो लोग इन दलीलों को नहीं मानते वे शायद अखबारवालों से किसी दिन यह कहने लों कि तुम्हें जिसकी निन्दा करना हो, या

जिसपर दोष लगाना हो, उसे अव्वबार में न प्रकाशित करक चुपचाप उसे लिख भेजो ! परन्तु जिनकी बुद्धि ठिकाने है—जो पागल नहीं हैं—वे कभी ऐसा न कहेंगे ।

कल्पना कीजिए कि किसीकी राय या समालोचना को बहुत आदमियों ने मिलकर झूट ठहराया । उन्होंने निश्चय किया कि अमुक आदमी ने अमुक सभा, समाज, संस्था या व्यक्ति की व्यर्थनिन्दा की । तो क्या इतने से भी उनका निश्चय निर्वान्त सिद्ध होगया ? साक्रेटिसपर व्यर्थनिन्दा करने का दोष लगाया गया । इसलिए उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा । परन्तु इस समय सारी दुनिया इस अविचार के लिए अफसोस कर रही है और साक्रेटिस के सिद्धान्त की शतमुख से प्रशंसा हो रही है । क्राइस्ट के उपदेशों को निन्दा समझकर यहूदियों ने उसे सूली पर चढ़ा दिया । फिर क्यों आधी दुनिया इस निन्दक के चलाये हुए धर्म को मानती है ? बौद्धों ने शङ्कराचार्य को क्या अपने मत का व्यर्थनिन्दक नहीं समझा था ? फिर बतलाइए यह सारा हिन्दुस्तान क्यों उनको शङ्कर का, अवतार मानता है ? जब सैकड़ों वर्ष बाद-विवाद होने पर भी निन्दा की यथार्थता नहीं साबित की जासकती तब किसी बात को पहले ही से कह देना कि यह हमारी व्यर्थनिन्दा है, अतएव इसे मत प्रकाशित करो कितनी बड़ी धृष्टता का काम है ? निन्दाप्रतिबन्धक मत के अनुयायी ही इस धृष्टताका— इस अविचार का—परिमाण निश्चित करने की कृपा करें ।

जिन लोगों का यह ख्याल है कि “व्यर्थनिन्दा” के प्रचार को रोकना अनुचित नहीं है वे सद्य-हृदय होकर यदि मिल साहब की दलीलों को सुनेंगे, और अपनी सर्वज्ञता को ज़रा देर के लिये अलग

रख देंगे, तो उनको यह बात अच्छी तरह मालूम होजायगी कि वे कितनी समझ रखते हैं। निन्दाप्रतिबन्धक मत के जो पक्षपाती मिल साहब की मूल पुस्तक को अँगरेजी में पढ़ने के बाद “व्यर्थ-निन्दा” के रोकने की चेष्टा करते हैं उनके अज्ञान, हठ और दुराग्रह की सीमा और भी अधिक है। परन्तु यदि उन्होंने मूल पुस्तक को नहीं पढ़ा तो अब वे कृपापूर्वक इस अनुवाद को पढ़ें। इससे उनकी समझ में यह बात आजायगी कि अपनी निन्दाके प्रकाशन को— चाहे वह निन्दा व्यर्थ हो चाहे अव्यर्थ—रोकने की चेष्टा करना मानो इस बात का सबूत देना है कि वह निन्दा झूठ नहीं, चिलकुल सच है। व्यर्थ निन्दा के असर को दूर करने का एक मात्र उपाय यह है कि जब निन्दा प्रकाशित हो ले तब उसका सप्रमाण खण्डन किया जाय, और दोनों पक्षों के वक्तव्य का फैसला सर्वसाधारण की राय पर छोड़ दिया जाय। ऐसे विषयों में जन-समुदाय ही जनका काम कर सकता है। उसीकी राय मान्य हो सकती है। जो इस उपाय का अवलम्बन नहीं करते, जो ऐसी बातों को जन-समूह की राय पर नहीं छोड़ देते, जो अपने मुकद्दमे के आप ही जन बना चाहते हैं उनके तुच्छ, हेय और उपेक्ष्य प्रलापों पर समझदार आदमी कभी ध्यान नहीं देते। ऐसे आदमी तब होशमें आते हैं जब अपने अहंमानी स्वभाव के कारण अपना सर्वनाश कर लेते हैं। ईंधर इस तरह के आदमियोंसे समाज की रक्षा करे!

जुही, कानपुर,
१७ जून १९०९ } }

महावीरप्रसाद द्विवेदी ।



नन्दयेता जोन स्ट्राउट मिल्स.

तत्त्ववेत्ता जॉन स्टुअर्ट मिलका

जीवनचरित ।



संस्कृति तत्त्ववेत्ताका जन्म २० मई सन् १८०६ को लन्डन नगरमें हुआ । इसका पिता जेम्स मिल भी अपने समयका प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता था । उसका जीवनचरित भी बहुत शिक्षाप्रद है । जेम्स मिलका पिता एक बहुत ही साधारण स्थितिका दूकानदार था । उसकी शक्ति नहीं थी कि, अपने लड़केको उच्चशिक्षा दिलानेका प्रबन्ध कर सके । परन्तु एक छाने सहायता देकर उसके लड़के-को एडिबरा विश्वविद्यालयमें भर्ती करा दिया । यह छी उदार और धर्मात्मा थी । उसकी इच्छा थी कि, जेम्स मिल विद्या-सम्पादन करके धर्मोपदेशकका कार्य करे । तदनुसार जेम्स मिलने सफलताके साथ विद्या प्राप्त कर ली और धर्म-संस्थामें प्रवेश करनेकी आज्ञा भी ले ली । परन्तु इतना पढ़नेपर भी उसे ईसाई धर्मकी किसी भी शास्त्रापर विश्वास न हुआ, इस लिये उसने धर्मोपदेशकका कार्य करना उचित न समझा । अपने विश्वासके विस्तर किसीसे कुछ कहना अथवा उपदेशादि देना उसे पसन्द न था । पहले कुछ समय तक तो वह अध्यापकका कार्य करता रहा, पीछे लन्डनमें आकर कुछ दिनों उसने ग्रन्थरचना करके अपना निर्वाह किया । इसके बाद सन् १८१९ में वह ईस्ट-इंडिया कम्पनीके आफिसमें नौकर हो गया ।

यूरोपमें, विशेष करके इंग्लैण्ड आदि उन्नतदेशोंमें, जब तक पुरुष स्वर्य अपनी उदरपोषणा नहीं करने लगता है तबतक विवाह नहीं कर सकता है । यदि कोई इस प्रकार समर्थ होनेके पहले विवाह कर लेता है तो समाजमें उसकी बहुत निन्दा होती है । परन्तु जेम्स मिलने नौकरी लानेके पहले ही अपना विवाह कर लिया था और तबतक उसके कई बाल बचे भी हो चुके थे । उसने अपने ग्रन्थों-में जिस मतका प्रतिपादन किया है उससे उसका यह बर्तीव बिल्कुल ही उलटा था, इसमें सन्देह नहीं है । परन्तु वह इतना उद्योगी और मितव्ययी था कि उसे

अपने कुटुम्बके निवारहके लिये कभी किसीसे ऋण नहीं लेना पढ़ा । उसने लगभग दश वर्षमें भारतवर्षका एक विशाल इतिहास लिखा है । इसे वह उस समयमें लिखता था, जो उसे अपनी नौकरी और कुटुम्बके प्रपञ्चको चलानेके बाद आरामके लिये मिलता था । इससे पाठक समझ सकते हैं कि, वह कितना उद्योगी और कार्यतत्पर था । उसके धार्मिक, नैतिक और राजनैतिक विचार उस समयके लोगोंके सर्वथा विरुद्ध थे । इस कारण लोग उसे नास्तिक और पाखंडी कहते थे । परन्तु वह इस निन्दाकी जग भी परवा न करता था और अपने ग्रन्थों तथा लेखोंमें अपने विचारोंको खब स्पष्टताके साथ प्रगट करता था । इस स्पष्टवादिताके कारण उसे कभी किसी बड़े आदमीसे सहायता नहीं मिली तो भी वह विचलित नहीं हुआ और अपना कुटुम्बपोषण, शिशुशिक्षा और ग्रन्थकर्तृत्व ये तीनों ही कार्य बराबर करता रहा । इससे वह कितना ठढ़निश्चयी था, इस बातका पता लगता है ।

मिलकी गृहशिक्षाका प्रारंभ ।

जोन स्टूअर्ट मिलको उसके पिता जेम्स मिलने किसी स्कूल या कालेजमें पढ़नेके लिये नहीं भेजा । उसने उसे खुद ही पढ़ाना शुरू किया । तीन वर्षकी अवस्थामें ही पिता अपने होनहार पुत्रको ओक भाषा सिखाने लगा । अग्र पांच वर्षमें उसने उसे उक्त भाषाके बहुतसे गद्यग्रन्थ पढ़ा दिये । पढ़ता जाता था और जहां पुत्रकी समझमें नहीं आता था वहा अच्छी तरहसे समझा देता था । आठवें वर्ष मिलने लैटिन भाषाका पढ़ना प्रारंभ कर दिया और इसी समय आप उसे अंकगणित भी सिखाने लगा । यद्यपि मिलका जी अंकगणितमें बिलकुल न लगता था, तो भी पिताके कठोर शासनके कारण उसे वह चुपचाप सीखना पड़ता था ।

टहलना और शिक्षा ।

जबतक चलने किरनेमें खब व्यायाम न हो जाता था, तबतक जेम्स मिलको अब नहीं पचता था । इस कारण वह हर रोज सबरे शाम टहलने जाया करता था और साथमें अपने पुत्रको भी ले जाता था । इस समय मार्गमें वह उन विषयोंपर व्याख्यान देता जाता था जिनके समझनेकी पुत्रमें योग्यता हो गई थी । मौके मौकेपर वह ऐसे विषय भी छेड़ देता था जो कठिन होते थे और उनसे इस बातकी जांच करता था कि लड़का कोशिश करके कितना समझ सकता है । इसके

सिवा वह प्रायः प्रतिदिन उन विषयोंका सारांश भी सुनता था जिन्हे उसे पहले दिन पढ़ा चुकता था । मिलको अंग्रेजीकी ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़नेका भी ज्ञौक हो गया था । उन्हें वह खब जी लगाकर पढ़ता था और याद रखता था । टहलनेके समय जेम्स मिल जिन विषयोंपर व्याख्यान देता था वे प्रायः तात्त्विक और गहन होते थे, जैसे—; सुधार किसे कहते हैं, गवर्नर्मेंटका क्या अर्थ है, नीतिके वात्तविक नियम कौन कौन से हैं, अमुक मनुष्यका मन संस्कृत हो गया, इसका क्या अभिप्राय है, इत्यादि ।

शिक्षामें सावधानी ।

लड़केको कौन कौन पुस्तकें पढ़नेके लिये देना चाहिये, इसका चुनाव जेम्स स्वर्यं करता था । मिलके पढ़नेके लिये वह बहुधा ऐसी चरितात्मक पुस्तकें प्रसन्न करता था जिनसे उसके चित्तपर संकटके समय विचलित न होनेका और साहस-पूर्वक काम करनेका ढढ़ संस्कार हो जाय । जिन्होंने पहले पहल अमेरिकामें जाकर अपना अड्डा जमाया था, जलपर्यटन किया था और पृथ्वीकी प्रदक्षिणा की थी, उनके चरित मिलको खास तौरसे पढ़नेके लिये दिये जाते थे । मनोरंजन करनेवाली पुस्तकें भी उसे कभी कभी दी जाती थी, परंतु वे भी जेम्सकी प्रसन्न की दुई होती थीं । पुत्रका कोई विचार वा विश्वास अमपूर्ण न हो जाय, जेम्स इसकी बहुत खबरदारी रखता था । इसका एक उदाहरण सुनिये:—

अंग्रेज सरकार और अमेरिकाके बीच एक बातपर झगड़ा हो गया और उसने इतना उग्रलूप धारण किया कि आखिर लड़ भिड़कर अमेरिका-के उपनिवेश स्वतंत्र हो गये और वे यूनैटेडस्टेट्सकी प्रजासत्तात्मक गवर्नर्मेंट-के रूपमें परिणत हो गये । यह बात इतिहासप्रसिद्ध है । जब मिलको यह समाचार मालूम हुआ तब उसने अपने देशके अभिमानके कारण सहज ही यह विश्वास कर लिया कि अंग्रेज सरकारने जो अमेरिकापर कर लगाने का प्रयत्न किया था वह बहुत ही उचित था । एक दिन उसने अपना यह विचार पिताके सामने भी प्रकट कर दिया । परन्तु उसे यह पक्षपातपूर्ण विचार कैसे प्रसन्न आ सकता था ? पक्षपातकी गन्ध भी वह सहन नहीं कर सकता था । उसने मिलको अच्छी तरह समझा दिया कि उम ग़लतीपर हो और इसका कारण यह है कि तुम्हारा हृदय दुर्बल है । उन्हें देशजाति आदिके झड़े अभिमान दद्या लेते हैं, संसारमें ऐसे पिता बहुत ही कम मिलेंगे जो अपने लड़कोंकी ग़लती मालूम

होनेपर सचेत कर देवें और उन्हें इस प्रकारसे समझा कर सत्यपथपर ले आवें ।

अध्यापनका अनुभव ।

जिस समय मिलने लैटिन पढ़ना शुरू किया उस समय उसके छोटे भाई भी पढ़ने योग्य हो गये थे । इस लिये पिताने उनके पढ़ानेका कार्य उसीको सौंपा । यद्यपि यह कार्य उसने अपनी इच्छासे नहीं किया, तो भी इससे उसे लाभ बहुत हुआ । क्योंकि दूसरोंको पढ़ानेसे मनुष्यका ज्ञान अधिक हड़ और निश्चित हो जाता है । इसके सिवा उसे इस बातका भी अनुभव हो जाता है कि बालकों-को किन किन बातोंके समझनेमें कठिनाइयाँ आती हैं और उन्हें किस प्रकारसे समझाना चाहिये, जिससे उनके हृदयमें वे बातें अच्छी तरहसे जम जावें । आगे ग्रन्थरचनाके कार्यमें मिलने इस अनुभवसे बहुत लाभ उठाया ।

विविध ग्रन्थोंका अध्ययन ।

लैटिनकी शिक्षा शुरू होनेपर भूमिति और किर कुछ दिनोंके बाद बीजगणितकी शिक्षा मिलको दी जाने लगी । बारह वर्षकी उम्रमें उसे ग्रीक और लैटिनका अच्छा ज्ञान हो गया । इन भाषाओंके उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ पढ़ डाले । अरिस्टाटलके (अरस्टूके) अलंकारशास्त्रका तो उसने बहुत ही विचारपूर्वक अध्ययन किया । जेस्स अपने इस तीव्रबुद्धि बालकसे उक्त ग्रन्थोंका सार प्रायः प्रतिदिन सुना करता था और देखता था कि इसकी पदार्थ-प्रहणशक्ति कितनी हुई है । ऐतिहासिक ग्रन्थोंका पढ़ना भी इस समय मिलने नहीं छोड़ा था । वह उन्हें पढ़ता था और उनके सारांशके अधारपर मनोविज्ञोदके लिये एक छोटेसे इतिहासी रचना भी करता था । जब उसने पोपके इलियड काव्यका अनुवाद पढ़ा, तब एक छोटासा काव्य बनानेकी उसकी भी इच्छा हुई । पिताने उसकी इस इच्छाका अनुमोदन किया और वह उत्साहित होकर धोड़ी बहुत कविता करने लगा । यद्यपि इस कार्यमें मिलको बहुत सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो भी इतना लाभ उसे अवश्य हुआ कि हृदयके भावोंको प्रकट करनेवाले समुचित शब्दोंको योग्य स्थानमें बिठानेकी शैली उसे आगई और आगे इससे उसे बहुत लाभ हुआ । इसके बाद उसने शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेन्सर, गोडस्मिथ, ड्रायडन, स्कॉट अदि अंग्रेजी कवियोंके बहुतसे काव्य पढ़ डाले । इनमेंसे स्कॉट कविके काव्य उसे बहुत ही अच्छे लगते थे । इतना सब

पढ़ते रहनेपर, भी मिलको सन्तोष नहीं था । दिल बहलानेके लिये उक्त प्रन्थोंके सिवाय पदार्थविज्ञान—सम्बन्धी प्रन्थोंको भी वह अकसर पढ़ा करता था । विद्याव्यासांग इसीका नाम है ।

खेलना कूदना ।

मिलको अपनी हमजौलीके लड़कोंके साथ खेलना कूदना कभी न सीध नहीं हुआ । उसने अपने 'आत्मचरित', में एक जगह स्वयं लिखा है कि मैंने एक दिन भी क्रिकेट नहीं खेला । लड़कपनमें यद्यपि वह बहुत मोटा ताजा और सशक्त नहीं था तथापि इतना दुर्बल और अशक्त भी नहीं था कि उसके लिखने पढ़नेमें बाधा आती ।

गहन विषयोंकी शिक्षा ।

जब मिल तेरह वर्षका हुआ तब उसके पिताने उसे गहन विषयोंकी शिक्षा देना आरंभ किया । सबसे पहले तर्कशास्त्र शुरू किया गया । जब जेम्स टहलनेको जाता था तब वह यह जाननेके लिये कि लड़केने पहले दिनके पढ़े हुए पाठका कितना अभिग्राह समझा है, लौट फेरकर प्रश्न किया करता था । इसके सिवा वह लड़केके जीमें प्रत्येक पठित विषयका उपयोग भी अच्छी तरहसे धंसा देता था । उसका यह भत था कि जिस चीज़का उपयोग मालूम नहीं उसका पढ़ना ही निरर्थक है । यद्यपि यह बात नहीं थी कि जिन गहन विषयोंको वह समझाता था वे सबके सब लड़केकी समझमें आ जाते थे, तो भी उससे लाभ बहुत होता था । क्योंकि उस समय मिलने तर्कशास्त्रके कई ग्रन्थ पढ़ डाले थे और इससे वह इतना योग्य हो गया था कि चाहे जैसी प्रमाणार्थखला हो उसके दोषोंको विना भूले हूँड़ निकालता था । तर्कशास्त्रका महत्त्व मिलके जीमें इतना गहरा पैठ गया कि वह उसे बालकोंकी बुद्धिको संस्कृत करनेके लिये गणितसे भी आधिक मूल्यवान् समझने लगा । वह कहा करता था कि, बहुतसे तत्त्ववेत्ताओंमें यह बड़ी कमी होती है कि वे दूसरोंकी कोटिके दोष नहीं निकाल सकते हैं । इससे वे कैवल अपने पक्षकी ही रक्षा कर सकते हैं । परन्तु यह ठीक नहीं है । पहले अपने प्रतिपक्षीकी इमारतको ढाना चाहिये और फिर उसपर अपनी नई इमारत खड़ी करना चाहिये । साकेंटीस इसी शैलीपर चलता था । यह शैली तब आ सकती है जब तर्कशास्त्रका अभ्यास और उसका उपयोग लड़कपनसे ही करा दिया जाय ।

तर्कशास्त्रसम्बन्धी प्रन्थोंके अध्ययन और मननसे मिलको जो समय मिलता था उसमें वह लाइन और प्रीक विद्वानोंके प्रन्थोंको पढ़ा करता था । इनमेंसे उसने ऐटोके प्रन्थ अपने पिताकी सिफारिशसे बहुत ही विचारपूर्वक पढ़े । क्योंकि जेम्सका विश्वास था कि मनको अच्छी तरहसे संस्कृत करनेके लिये ऐटोके समान उत्तम प्रन्थ दूसरे नहीं हैं । इसी समय, सन् १८९८ में, जेम्सने अपने भारतवर्षके विशाल इतिहासको छपाकर प्रकाशित किया । मिलने उसे भी मन लगाकर पढ़ डाला ।

इसके दूसरे वर्ष जेम्सने ईस्ट इंडिया कम्पनीके आफिसमें नौकरी कर ली । परन्तु शिक्षा उसकी बगावर जारी रही । मिलको उसी वर्ष उसने अर्थशास्त्रका पारायण करा दिया । इसके बाद उसने रिकार्डोंके अर्थशास्त्रको पढ़ाया । रिकार्डों अर्थशास्त्रका प्रसिद्ध विद्वान् था । जेम्सकी उससे गाढ़ी मित्रता थी । उसका यह प्रन्थ तत्काल ही प्रकाशित हुआ था । परन्तु जेम्सको उससे सन्तोष नहीं हुआ । वह कोई दूसरा प्रन्थ पढ़ाता, परन्तु तबतक कोई दूसरा बालोपयोगी अर्थशास्त्र बना ही नहीं था । लाचार उसने टहलनेके समय अर्थशास्त्रके एक एक विषयको स्वयं अच्छी तरहसे समझाना शुरू किया और फिर उसी पद्धतिपर उसने 'अर्थशास्त्रके भूलतत्त्व' नामकी पुस्तक रच डाली । इसके पछे उसने मि० एडम स्मिथकी बनाई हुई 'राष्ट्रोंकी सम्पत्ति' नामकी पुस्तक मिलको पढ़ाई और उसमें जो जो भूलें थीं वे भी अच्छी तरहसे समझा दी ।

इस समय जेम्सकी शिक्षापद्धति बड़ी ही विलक्षण थी । वह ऐसा कभी नहीं करता था कि लड़केको किसी बातके समझनेमें कठिनाई पड़ी कि तत्काल ही उसे समझाकर उस कठिनाईको हल कर दिया । नहीं, उससे जहांतक चनता था, प्रत्येक कठिनाईको हल करनेके लिये लड़के-की विचारशक्तिपर ही भार डालना था और उसके मुँहमें उसका विवरण तथा समाधान युननेकी चेष्टा करता था । यदि इतनेपर भी बालक अपनी शंकाका समाधान न सोच सकता था तो फिर कुछ अप्रसन्न होकर समझा देता था । इस उक्त शिक्षापद्धतिका ऐसा अच्छा परिणाम हुआ—मिलकी विचारशक्ति इतनी बढ़ गई कि वह अपने पिताके विचारों तकमें कभी कभी भूलें बतलाने लगा । पर इससे उस निरभिमानी और सत्यपथग्रदर्शक पिताको कुछ भी खेद नहीं होता था—उलटा हर्ष होता था और वह विना संकोचके अपनी भूलोंको स्वीकार कर लेता था ।

गृहशिक्षाकी समाप्ति और पर्यटन ।

इस तरह लगभग १४ वर्षकी उम्रमें मिलकी गृहशिक्षाकी समाप्ति हुई । इसके बाद वह इन्लैंड छोड़कर देशपर्यटनके लिये निकला और एक वर्ष तक सारे यूरोपमें घूमा । इस यात्रामें उसके अनुभव-ज्ञानकी बहुत बढ़ि हुई । पुत्रके यात्रासे लौटनेपर मिल उसके विद्याव्ययनपर केवल देखरेख रखने लगा । अर्थात् अब उसकी यथानियम शिक्षा समाप्त हो गई और वह स्वतंत्रतापूर्वक इच्छित विषयोंका अध्ययन करने लगा ।

मिलका ज्ञान और उसकी शिक्षापद्धति ।

जितनी थोड़ी उम्रमें मिलने तर्क और अर्थशास्त्र आदि कठिन विषयोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया उतनी थोड़ी उम्रमें और लोगोंके लिये इस बातका होना प्रायः असंभव मालूम होता है । परन्तु पाठकोंको यह बात ज्ञानमें रखना चाहिये कि, मिलका ज्ञान वैसा नहीं था जैसा कि हमरे यहांकी शिक्षापद्धतिके अनुसार पढ़नेवालोंका होता है । उसने जो कुछ पढ़ा था उसका उसकी बुद्धिसे तादात्म्य हो गया था । उसका बोझा उसके दिमागपर बिलकुल नहीं पढ़ा था । तोतेके सदृश रटना और रातदिन पुस्तकें थोख थोखकर दिमाग खाली करना, उसे कभी स्वर्णमें भी नहीं बतलाया गया था । वह प्रत्येक विषयको समझता था, उसका मनन करता था और तर्क वितरक करके निर्णय करता था । पर कभी रटता नहीं था । इसीसे वह थोड़ी उम्रमें बहुत पढ़ गया और आगे इतना बड़ा तत्त्ववेत्ता और ग्रन्थकर्ता हुआ । यदि उसका पिता उसकी शिक्षापर इतना ध्यान न देता तो कभी संभव न था कि मिल ऐसा नामी विद्वान् हो जाता । उसकी बुद्धि और स्मरणशक्ति कुछ ऐसी विलक्षण न थी कि वह विद्वान् होता ही । वास्तवमें उसे उसके पिताने ही विद्वान् बनाया ।

जेम्सकी सावधानता ।

मेरे पुत्रके कोई विचार अभ्यासक न हो जावें, वह अभिमानी न हो जाय’ इत्यादि बातोंकी ओर जेम्सका बहुत लक्ष्य रहता था । एकदिन मिल किसी विषयका प्रतिपादन कर रहा था । उसमें उसने एक जगह कहा कि, “यद्यपि अमुक सिद्धान्त तत्त्वतः ठीक है— परन्तु व्यवहारमें लाते समय उसमें थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य करना चाहिये ।” यह सुनकर जेम्स बहुत ही अप्रसन्न हुआ । वह इस बातका कायल नहीं था कि किसी वास्तविक विचारका

व्यवहारमें कुछ परिवर्तन कर डालना चाहिये । उसने उक्त 'तत्त्वतः' शब्दको लेकर एक लम्बा चौड़ा व्याख्यान दे डाला और मिलको समझा दिया कि तुम्हारा यह ख़्याल बिलकुल ग़लत और कमज़ोर है । आगे तुम्हें ऐसी अझानताकी बात न कहनी चाहिये । मुझे इससे बहुत दुःख हुआ है ।

यदि कोई लड़का छोटी उम्रमें विद्वान् हो जाता है तो उसे सहज ही कुछ अहंकार आ जाता है । इससे उसकी विद्यावृद्धिपर पानी फिर जाता है । अपनी विद्वत्ताके घमंडमें आकर वह और उभति नहीं कर सकता है । मिलका पिता इस विषयमें बड़ी ही ख़बरदारी रखता था । उसने जब तक मिलको पढ़ाया तब तक कभी उसकी भूलकर भी प्रशंसा नहीं की । मिलको कभी इस बातका ख़्याल ही नहीं हो पाया कि मैं अपनी उम्रके दूसरे लड़कोंसे कुछ ज़ियादा पढ़ा हूँ । वह जिस समय यूरोपकी यात्राको निकला उस समय जेम्सने उससे कहा—“बेटा, तू अपने प्रवासमें देखेगा कि तुझे जिन जिन विषयोंका ज्ञान है, तेरी उम्रके दूसरे लड़कोंमें उनकी गन्ध भी नहीं है—वे उनसे सर्वथा अनभिज्ञ हैं । परन्तु ख़बरदार, तू इसका कभी गर्व न करना । तुझे जो इतना ज्ञान हो गया है, इसका कारण तेरी विलक्षण बुद्धि नहीं किन्तु मेरी सुशिक्षा है ।

मिलके पिताके धार्मिक विचार ।

मिलके जीवनकी एक बहुत ही विचारणीय बात यह है कि उसको किसी भी धर्मकी शिक्षा नहीं दी गई । दूसरे लोगोंकी जीवनीमें अकसर यह बात देखी जाती है कि बालपनमें उनका किसी न किसी धर्मपर विश्वास रहा है अथवा विश्वास कराया गया है और आगे जब उनकी बुद्धिका विकाश हुआ है तब वह विश्वास या तो उड़ गया है—या पोला पड़ गया है । परन्तु मिलकी दशा इससे बिलकुल उलटी हुई । उसके पिताका जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसाई धर्मके किसी भी पन्थपर विश्वास न था । इसलिये उसने उसे धार्मिक शिक्षा बिलकुल ही नहीं दी । वह अकसर कहा करता था कि—यह बात समझमें नहीं आती है और न किसी युक्तिसे सिद्ध हो सकती है कि जिस सृष्टिमें अपार दुःख देखे जाते हैं उसे किसी सर्वशक्तिमान और दयालु व्यक्तिने बनाई होगी । भला, यह कैसे मान लिया जाय कि नरकलोकका बनानेवाला दयालु है । इतनेपर भी लोग एक ईश्वरकी कल्पना करके उसकी पूजा करते हैं । परन्तु इस-

का कारण यह नहीं है कि उन्होंने ऐसे व्यक्तिका होना सिद्ध कर लिया है । नहीं, वे इसका कभी विचार ही नहीं करते हैं । केवल परम्पराके अनुसार चलने-की उनकी आदत पड़ गई है—और कुछ नहीं । जेम्सका विश्वास था कि जो धर्म केवल काल्पनिक रचना है—वास्तविक नहीं है—यदि मैं उसकी शिक्षा अपने लड़कोंद्वारा देंगा तो अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाऊंगा । इसलिये वह अपने लड़कोंको समझाता था कि यह सृष्टि कब, किस तरह और किसके द्वारा बनाई गई, इस विषयमें सर्वत्र अज्ञान फैला हुआ है । “हमको किसने बनाया ?” इस प्रश्नका यथार्थ और युक्तिसिद्ध उत्तर नहीं दिया जा सकता है । यदि कहा जाय कि “ईश्वरने” तो तत्काल ही दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि, “उस ईश्वरको किसने बनाया होगा ?” इसके सिवा वह यह भी बतला देता था कि आजतक लोग इन प्रश्नोंका क्या उत्तर देते आये हैं । अर्थात्, जुदा जुदा धर्मोंमें इस विषयमें क्या क्या विचार किये गये हैं । इससे उन्हें जुदा जुदा धर्मोंका साधारण स्वरूप भी मालूम हो जाता था ।

इग्लैडके उस युगमें और वर्तमान युगमें जमीन आसमानका फ़र्क है । इस समय यदि वहांपर कोई ऐसी धार्मिक अध्रद्धाकी बात कहता है तो वह बिल-कुल मासूली समझी जाती है । क्योंकि अब वहां विचार-स्वातंत्र्य पराकाष्ठापर पहुंच गया है । बल्कि अब तो वहां हृदयके इस प्रकारके विचारोंको छुपाना बहुत ही बुरा समझा जाता है । वहांके निवासी समझते हैं कि यदि हम अपने विचारको समाजके भयसे प्रगट नहीं करेंगे तो अपने कर्तव्यसे च्युत हो जावेंगे । यही कारण है कि अब वहां बीसों संस्थाएँ ऐसी हैं जो ईसाई धर्मके विशद्व विचारोंका प्रचार करती हैं । परन्तु वह युग ऐसा नहीं था । उस समय वहां कहर ईसाइयोंका खूब ही जोरोंशेर था । धार्मिक बातोंमें यद्यपि वहांके शिक्षित सम्प्रदायके विचार शिथिल हो चले थे तो भी ऐसे बहुत कम विद्वान् थे जो अपनी शिथिलताको खुल्मखुल्ला प्रकाशित कर दें । परन्तु जेम्स उस समय भी बेधड़क होकर कहता था कि मेरा किसी भी धर्मपर विश्वास नहीं है । बल्कि इस बातको वह छोटेछोटे लड़कोंके सामने कहनेमें भी नहीं हिचकता था । इससे पाठक समझ सकते हैं कि वह कितना साहसी और सत्यशील था ।

नैतिक शिक्षा ।

इस प्रकार यद्यपि मिलको धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई थी और उसे किसी धर्मका अनुयायी बनानेका प्रयत्न नहीं किया गया था, तो भी उसके पिताने उसे

नैतिक शिक्षा देनेमें कोई कसर नहीं रखती थी । न्यायपूर्वक चलना, परिभ्रमित खाना पीना, सत्य बोलना, निकपट व्यवहार रखना, नप्र होकर रहना, अपने विचारोंमें ढढ रहना, उद्योग करनेमें कसर नहीं रखना, आपातियोंको शान्ततासे सहन करना, सार्वजनिक हितके कार्योंमें जी लगाना, एक वस्तुको और मनुष्यको उसके उपयोग और गुणोंके अनुसार महत्व देना, और जीवनका कल शैक या आराम करना नहीं किन्तु निरन्तर उद्योग करते रहना है—इत्यादि गुणोंसे जेम्सको बहुत ग्रीति थी और इसलिये उसने अपने लड़केके जीमें इन सब गुणोंको अच्छी तरहसे धैंसा दिया था । प्लेटो, ड्जिनोफन, साकेतिस, आदि ग्रीक तत्त्वज्ञाताओंके अन्योंने मिलके चित्तपर इन गुणोंका और भी महरा प्रभाव लाला । इसके सिवा स्वयं जेम्सका भी चरित्र बहुत अच्छा था । उसमें क्षम्पर कहे हुए प्रायः सभी गुण मौजूद थे और यह सभी जानते हैं कि कोरे उपदेशोंकी अपेक्षा उदाहरणका अच्छा असर पड़ता है । इन सब कारणोंसे मिलका नैतिक आचरण बहुत ही अच्छा हो गया । अकसर लोगोंका यह ख्याल है कि धार्मिक शिक्षा न मिलने या किसी धर्मपर विश्वास न रहनेसे मनुष्यका चरित्र बिगड़ जाता है । परन्तु जेम्सने इस ख्यालको बिलकुल गलत साबित कर दिया । इस समय भी इलेंड आदि देशोंमें जो नास्तिक और धार्मिक अद्वासे रहित हैं उनमेंसे बहुतोंके नैतिक आचरण कदरसे कदर ईसाइयों तथा दूसरे धर्मवालोंसे अच्छे देखे जाते हैं ।

जेम्सकी शिक्षापद्धतिका एक दोष ।

जेम्सकी शिक्षापद्धतिमें एक बड़ा भारी दोष था । वह यह कि उसने अपने लड़केपर कभी ममता या ग्रीति प्रगट नहीं की । उसका ऐसा कोमल या स्नेहयुक्त बत्तीव न था कि लड़का उसे अपना सखा या प्यार करनेवाला समझकर अपने मनकी बातें कह दिया करता और कुछ भय या संकोच न करता । परन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उसमें यह गुण था ही नहीं । नहीं, इसका एक कारण था । लड़केकी शिक्षाका सारा भार केवल उसीके सिरपर था, इसलिये उसे जान बूझकर अपनी वृत्ति कुछ कठोर बनानी पड़ी थी । यदि वह ऐसा न करता तो उसकी शिक्षामें विश्व आनेकी संभावना थी । यह ठीक है कि लड़कोंको थोड़ा बहुत भय होना चाहिये, परन्तु अधिक भय दिखलानेसे हानि होती है । लड़कोंके जीमें जो नानाप्रकारके तर्क वितर्क उठते हैं उन्हें वे भयके

कारण अपने शिक्षकोंके सामने प्रकट नहीं करते हैं इससे उनके ज्ञानमें कभी रह जाती है। मिल भी इस द्वानिसे नहीं बचा।

ज्ञानवृद्धिके दूसरे द्वार ।

अर्थशास्त्र, रिकार्डों, तत्त्वशास्त्रज्ञ द्यूम और धर्मशास्त्रज्ञ बेन्थाम आदि कई नामी नामी विद्वानोंसे जेम्सकी मित्रता थी। इनके साथ उसकी अकसर शास्त्रीय चर्चा हुआ करती थी। मिलकी योग्यता इतनी हो चुकी थी कि वह उक्त चर्चाको समझ सके। इसालिये वह भी इस ज्ञानगोष्ठीमें शामिल होता था और अपने ज्ञानकी शृङ्खिला करता था। उसके चरित्रपर भी इस चर्चाका अच्छा प्रभाव पड़ता था।

बेन्थाम मिलको बहुत चाहता था। उसका एक भाई फ्रान्सके फौजी महकमेमें नौकर था। जब वह अपने भाईसे मिलनेके लिये फ्रान्स गया तब मिलको भी अपने साथ ले गया। मिलको इससे बहुत लाभ हुआ। कई महीने एक विद्वान्के साथ रहकर उसने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया। जुलाई सन् १८२१ में वह बहांसे लौट आया।

फ्रान्ससे वापिस आनेपर जेम्सने उसे अपने बनाये हुए 'अर्थशास्त्रके मूलतत्त्व' नामक प्रन्थकी कापी दी और कहा कि तुम इसके 'साइड नोट्स' लिख दो। एक पैरा (Para) में जो कुछ लिखा रहता है उसका सारांश बहुत ही थोड़े शब्दोंमें समझनेके लिये 'साइड नोट्स' लिखे जाते हैं। इस प्रकारके नोट्स लिखनेमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है—बुद्धिको बहुत ही जोर लगाना पड़ता है और इससे नोट्स लिखनेवालेकी बुद्धिप्रबोध बहुत ही अच्छा संस्कार होता है। इन नोटोंके लिखनामें जेम्सका यही उद्देश था।

इसके बाद मिलने फ्रान्सकी महान् राज्यकान्तिका इतिहास पढ़ा तबसे उसके हृदयपर प्रजासत्तक राज्यपद्धतिका चिरस्थायी महत्व अंकित हो गया।

कानून और बेन्थामके अन्योंका अध्ययन ।

जेम्स चाहता था कि भेरा पुत्र बैरिस्टर हो इसलिये पुत्रने सन् १८२२ में कानून पढ़नेका प्रारंभ किया। इसी समय वह बेन्थामके अन्योंको भी जी लगाकर पढ़ने लगा। इससे उसके मनमें बेन्थामका स्थापित किया हुआ उपयोगितातत्त्व खूब ही जम गया। उसका विश्वास हो गया कि, इस तत्त्वका जितना

१ उपयोगितातत्त्वका स्थापक भी यही बेन्थाम था।

(१२०)

अधिक प्रसार किया जायगा और इसके आधारसे नियमों और व्यवहारोंमें जितना सुधार किया जायगा, मानव जातिका उतना ही अधिक कल्याण होगा और उसके सुखोंकी उतनी ही अधिक बुद्धि होगी । उस समय मिलने यहां तक निश्चय कर लिया कि मैं अपनी सारी उम्र इसी तत्वके प्रचारमें व्यतीत करूँगा ।

मानसशास्त्रका अध्ययन, लेखनकला और शास्त्रचर्चा ।

इसके पश्चात् मिल लॉक, हर्टले, बर्कले, ट्यूम और रीड आदि चिद्रानोंके मनोविज्ञानसम्बन्धी ग्रन्थोंका अध्ययन करने लगा और इसी समयसे उसने लेख लिखनेका भी प्रारंभ किया । अब वह पढ़नेकी अपेक्षा लिखनेकी ओर अधिक ध्यान देने लगा और साथ ही जुदा जुदा विषयोंपर बादबिवाद या संभाषण करनेकी ओर भी उसने ध्यान दिया । इन दोनों साधनोंसे उसकी बुद्धि और ज्ञान दोनों परिपक्व तथा यथार्थ होने लगे । सन् १८२३ में उसने अपने कुछ मित्रोंकी सहायतासे एक सभा स्थापित की और उसका नाम 'उपयुक्तातत्त्वविवेचक सभा' रखवा । इसकी महीनेमें दो बैठकें होती थीं और उसमें उपयुक्तातत्त्वके आधारसे निबन्धवाचन तथा मौखिक चर्चा होती थी । इस सभाके दशसे अधिक मेम्बर कभी नहीं हुए । क्योंकि उस समय इस विषयकी ओर लोगोंकी सचिन न थी । सन् १८२६ में यह सभा बन्द हो गई ।

नौकरी ।

सन् १८२३ में मिलने ईस्ट इंडिया आफिसमें प्रवेश किया । इस समय उसकी उम्र १७ वर्षकी थी । वहा उसकी क्रम क्रमसे उच्चति होती गई और अन्तमें वह एग्जामिनरके दफ्तरका सबसे बड़ा अधिकारी हो गया । पर सन् १८५८ में, जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ढूटी, तब यह दफ्तर भी उड़गया और मिलको नौकरीसे अलग होना पड़ा । सब मिलाकर उसने ३५ वर्ष नौकरी की ।

जीविका और ग्रन्थादि लेखन सम्बन्धी अनुभव ।

इस नौकरीके अनुभवसे मिलने यह मत स्थिर किया था कि जिनकी यह इच्छा हो कि हम दिन रातके २४ घंटोंमें कुछ समय ग्रन्थादि लिखनेमें व्यग्र किया करें उन्हें चाहिये कि जीविकाके लिये कोई ऐसी ही निराकृताकी नौकरी तलाश कर लें । समाचारपत्रोंमें लेखादि लिखकर उससे उदरनिर्वाह कर-

ना उसे बिलकुल पसन्द न था । क्योंकि ऐसे लेख एक तो जल्दी जल्दी ज्यों त्यों पूरे किये जाते हैं दूसरे लेखकको वही लिखना पड़ता है जो उस स-माचारपत्रके पक्षके अनुकूल होता है । और, ऐसी दशामें अकसर ऐसे मौके आते हैं जब लेखकको अपनी सदसांघिक बुद्धिको एक ओर ताकमें रख देना पड़ता है । इससे यदि कोई चाहे कि मैं नामी लेखक हो जाऊंगा—मेरी उत्तमोत्तम प्रन्थ लिखनेकी शक्ति हो जायगी—तो यह उसका भ्रम है । शक्ति-की दृष्टि करना तो दूर रहा, वह अपनी गाठकी पूँजी भी खो बैठेगा । यही दशा प्रन्थलेखनकी भी है । अच्छे प्रन्थोंकी कदर होनेके लिये समय चाहिये । प्रकाशित होते ही किसी प्रन्थकी कदर नहीं होती है । परन्तु जो उदरनिर्वाहके लिए प्रन्थ लिखता है उसे इतना सब्र नहीं । इसलिये वह लोगोंकी रुचिका विचार करके यह कार्य करता है । उसका लक्ष्य इसी ओर अधिक रहता है कि मेरा प्रन्थ लोगोंको पसन्द आवे और उसकी विचारी अधिक हो । इसलिये ऐसे प्रन्थोंका मूल्य उतना ही होता है जितना कि उसे पढ़नेवालोंसे तत्काल ही प्राप्त हो जाता-है । इससे, और ऐसे ही कई कारणोंसे, मिलका यह सिद्धान्त हो गया था कि प्रन्थलेखनका कार्य उदरनिर्वाहके लिये न करना चाहिये । जो इस कार्यसे स्थायी कीर्ति उपार्जन करना चाहते हैं और यह इच्छा रखते हैं कि हमारे प्रन्थ अच्छे बनें उन्हें उदरनिर्वाहके लिये कोई दूसरा उद्योग करके उससे जो समय बचे उसमें प्रन्थलेखन या निवधेलेखनका कार्य करना चाहिये । इस-से दो लाभ होते हैं । एक तो यह कि जो प्रन्थ लिखे जावेंगे वे लोगोंकी रुचि, भीति, लिहाज या दबावकी परवा न करके स्वस्थता और स्वतन्त्रतासे लिखे जावेंगे । जो बात लेखकको युक्तिसंगत और सत्य जँचेगी उसीको वह निर्भयतासे लिखेगा । और दूसरा यह कि उदरनिर्वाहका स्वतंत्र उद्योग प्रन्थरचनाके परिश्रमसे थके हुए मस्तकको एक प्रकारकी विश्वान्तिका कारण होता है । इनके सिवाय एक लाभ यह भी होता है कि लेखकको दूसरा उद्योग करनेसे व्यावहारिक बातोंका परिचय हो जाता है और इससे उसके विचारोंके काल्पनिक स्वरूपको व्यावहारिक-रिकृत्य प्राप्त हो जाता है । उसके प्रतिपादन किये हुए विचार ऐसे होते हैं जो व्यवहारमें आसकते हैं—केवल प्रन्थमें लिखे रहने योग्य नहीं होते । क्योंकि व्यवहारका प्रत्यक्षज्ञान या अनुभव होनेसे वह यह समझने लगता है कि असुक सिद्धान्तका प्रचार व्यवहारमें हो सकता है या नहीं और उसके प्रचारमें

कौन कौन कठिनाइयां आ सकती हैं । जिन लेखकों वा तत्त्ववेत्ताओंको व्यवहारका प्रत्यक्ष परिचय नहीं होता वे अपने कल्पनासाम्राज्यमें ही मस्त रहते हैं और ख़्याली पुलाव पकाया करते हैं । अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करते समय उन्हें व्यावहारिक बुभीतों और कठिनाइयोंका ख़्याल ही नहीं आता इससे उनके सिद्धान्तोंका केवल यही उपयोग होता है कि लोग उन्हें पढ़ लें । दूसरे उद्योग करनेवाले विद्वानोंके ग्रन्थों या लेखोंमें यह दोष नहीं रहने पाता । कल्पना और व्यवहारका विरोध उनके लेखोंमें धीरे धीरे कम हो जाता है ।

लेख लिखनेका प्रारंभ और एक नवीन मासिकपत्र ।

मिलने जब अपना चित्त अध्ययनकी ओरसे हटाकर लेखनकी ओर लगाया तब पहले तो उसने अपने लेख कल्पित नाम दे देकर समाचारपत्रोंमें प्रकाशित कराये । इसके बाद जब उसे बोध हो गया कि मैं कुछ लिख सकता हूँ तब उसने और उसकी मित्रमंडलीने एक नवीन मासिक पत्र निकाला । उसका नाम रक्खा गया 'वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू' । कुछ दिनों तक उसे बेन्यामने अपने निजेके ख़र्चसे चलाया । उसका सम्पादन करनेके लिये बेन्यामने मिलके पितासे बहुत आग्रह किया, परन्तु वह इस कार्यके लिये तयार न हुआ । तो भी उसमें वह अपने लेख देता था और उसकी लेखनांसे ही उक्त पत्रकी बहुत स्थानित हुई । आस्टन, प्रोट अदि विद्वान् भी उसमें लिखते थे, परन्तु मिलके बराबर कोई न लिखता था । वह उसमें सबसे अधिक लेख लिखता था । यद्यपि 'वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू' की आर्थिक अवस्था कभी अच्छी नहीं हुई, तो भी बेन्यामके उपयुक्तातत्त्व सम्बन्धी मतोंको फैलानेमें और पुराने मासिक, त्रैमासिक पत्रोंकी भूले दिखलानेमें उसने ख़बर सफलता प्राप्त की ।

उस समय मात्यस नामके एक प्रसिद्ध ग्रन्थकारने प्रजावृद्धिके विषयमें एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रकाशित किया था । उसका प्रतिपादन भी कुछ दिनों पीछे वेस्ट मिनिस्टर रिव्यूमें होने लगा और हर्टले नामक प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ताके आत्म-शास्त्रसम्बन्धी विचार भी उसमें प्रकाशित होने लगे । यद्यपि उसे बेन्यामने आरी किया था और उसके बहुतसे लेखक भी उसके शिष्य या अनुयायी थे, तथापि उसके द्वारा केवल उसीके मतका प्रचार न होता था । उसके मतके सिवा निम्नलिखित विषयोंका भी उसमें जोरों शोरसे प्रतिपादन होता था:—

१ राजकीय—प्रतिनिधिसत्ताक-राज्यव्यवस्था और पूर्ण विचार-स्वातन्त्र्य प्राप्त करनेमें ही मनुष्य जातिका कल्याण है ।

२ सामाजिक—विवाह-सम्बन्धसे छोजाति पुरुषोंको गुलाम हो गई है । इस स्थितिको सुधारना चाहिये ।

३ धार्मिक—सरकारकी ओरसे जो पादरियोंका जुदा महकमा कायम है वह सत्य धर्मसे धृणा उत्पन्न करनेवाला और उसे अष्ट करनेवाला है । इसलिये उसे तोड़ देना चाहिये ।

४ आत्मज्ञान—मनुष्योंका स्वभाव उनकी चारों ओरकी स्थितिके अनुसार बनता है । इसलिये यदि मनुष्योंकी परिस्थितिका सुधार किया जायगा तो उनकी नैतिक और बौद्धिक स्थिति भी सुधरती जायगी ।

इन विषयोंमें सब से अधिक प्रधानता राजकीय विषयोंकी रहती थी ।

वेस्ट मिनिस्टर रिव्यूके लेख और लोकमत ।

वेस्ट मिनिस्टर रिव्यूके लेख उस समयकी साधारण प्रजाओं और दोनों राजकीय पक्ष (टोरी और लिबरल) वालोंको बिलकुल पसन्द न आते थे । बेन्थामके उपयोगिता-तत्वके विषयमें कहा जाता था कि केवल उपयुक्ततात्त्वकी ओर लक्ष्य रखकर किसी बातको अच्छा या बुरा ठहराना मुर्खता है । उसमें उच्च प्रकारके मनोभावोंके लिये बिलकुल अवकाश नहीं है । अर्थशाल्कके नियमोंको लोग 'निर्देश' कहते थे और मात्यसका जो प्रजाकी बृद्धिके विस्तृद मत था उसे धृणित बतलाते थे । इसके विरुद्ध बेन्थामके विषय तथा उसके मतके अनुयायी उन्हें यह उत्तर देते थे कि तुम केवल मनोभावोंके गुलाम हो । तुम्हारा कथन केवल आलंकारिक है । तुम्हारी इस फिजूलकी बकबकमें कुछ सार नहीं है ।

बेन्थामके भतका बुरा असर ।

बेन्थामके सिद्धान्तका एक असर अच्छा नहीं हुआ । उसके अनुयायियोंने मनुष्यस्वभावके एक महत्वपूर्ण अंगको अर्थात् मनोभावको एक प्रकारसे कुछ चीज़ ही न समझा । उसको संस्कृत और परिष्कृत करनेकी ओर उन्होंने कुछ भी ध्यान न दिया । उसकी एक प्रकारसे अवहेलना ही की । इससे उनकी दृष्टिसे काव्यका महत्व उत्तर गया । इतना ही नहीं, किन्तु वे यह भी भूल गये कि काव्यकी बीजभूत जो कल्पनाशक्ति है उसको उन्नत और परिष्कृत-करना मनुष्यके सुधारके लिये एक आवश्यक कार्य है । बेन्थाम स्वयं ही

कहता था कि इधर उधरकी बातें मिलाकर सचेको झुठा और झूठेको सचा बतलाना ही काव्य है !

शास्त्रीयचर्चा और अध्ययन ।

इस तरह इधर तो मिलका निबन्ध-लेखन चल रहा था उधर उसने थोड़े ही दिन पीछे जर्मन भाषाके सीखनेका प्रारंभ कर दिया और साथ ही साथ शास्त्रीय विषयोंका अध्ययन करनेके लिये उसने और उसके दश बारह मित्रोंने एक नया ही हैंग निकाला । अर्थात् ऐतिहासिक पण्डित प्रोटकी कृपासे उन्हें एक स्वतंत्र कोठरी मिल गई । उसमें वे सब सबेरे ८॥ से १० बजे तक बैठने लगे । वहाँ वे एक एक शास्त्रीय ग्रन्थको लेकर पढ़ते थे और परस्पर वादविवाद तथा चर्चा करते थे । इस रीतिसे मिलने अपने पिताका बनाया हुआ अर्थशास्त्र, रिकार्डोंका बनाया हुआ इसी विषयका दूसरा ग्रन्थ और बेले साहबका मूल्य विषयक ग्रन्थ-ये तीन अर्थशास्त्रके ग्रन्थ पढ़ डाले और उन्हें अच्छी तरहसे समझलिये । इसके पश्चात् इस मंडलीने बेटले और हॉविसके तर्के ग्रन्थोंका और फिर हॉर्टलेके आत्मशास्त्रका पारायण किया । इसके बाद यह सभा बन्द हो गई । परन्तु इतनेहमें मिलके पिताने 'मनका पृथक्करण' नामक ग्रन्थ छपाकर प्रकाशित किया । इसलिये उसके पढ़नेके लिये थे लोग कुछ दिनोंतक और भी एकदे हुए और उसे समाप्त करके फिर उन्होंने इस सभाका विसर्जन कर दिया ।

इस तरह एकत्र होकर गहन विषयोंके स्वाधीनतापूर्वक अध्ययन और विवेचन करनेमें मिलको बड़ा लाभ हुआ । उसके हृदयमें जो प्रत्येक विषयको स्वतंत्र-रीतिसे विचार करनेकी शक्तिका अंकुर था वह बहुत बढ़ गया और दृढ़ हो गया । इसके बाद उसका यह स्वभाव हो गया कि यदि कहीं कोई बात अटक जाय, तो उसे आधी धोधी समझकर न ढोड़ देना चाहिये । जबतक विवरण और विवेचनके द्वारा उसका पूरा पूरा समाधान न हो जाता था तबतक वह आगे नहीं चलता था । और जबतक कोई विषय सब ओरसे समझमें न आ जाता था तबतक वह यह नहीं कहता था कि मैने उसे समझ लिया ।

व्यास्त्यान शक्तिके बढ़ानेका प्रयत्न ।

इसी समय उसने जनसमूहमें बोलनेका भी अभ्यास बढ़ाया । यदि कभी दश आदमियोंमें बोलनेका मौका आ जाता था तो वह उसे कभी व्यर्थ न

जाने देता था । यद्यपि वकील बैरिस्टर बनकर रुपया कमानेकी उसकी इच्छा नहीं थी तथापि वह यह अवश्य चाहता था कि मैं कभी पारालियामेंटका भेम्बर बनूँ और उसके द्वारा समाज—सुधारके कार्यमें यथाशक्ति सहायता पहुचाऊँ । इसी उत्कृष्ट इच्छासे उसने व्याख्यानशक्तिके बढ़ानेका उद्योग किया और इसके लिए उसने, अपने कुछ मित्रोंकी सहायतासे, एक 'विवेचक सभा' स्थापित की । इस सभाकी बैठक हर पन्द्रहवें दिन होती थी । इसके सभासदोंमें टोरी और लिबरल दोनों ही पक्षके लोग भरती किये जाते थे । यह इस लिए कि सभामें परस्पर खंडन—मंडन करनेका मौका आता रहे । परन्तु इसमें टोरी दलके लोग बहुत कम शामिल होते थे । हाँ, लिबरल दलकी अवश्य ही खासी भीड़ हो जाती थी ।

वेस्ट मिनिस्टरसे सम्बन्ध—त्याग ।

मिल इस तरह जुदा जुदा मार्गोंसे अपनी बुद्धिको बढ़ानेमें लगा रहता था और साथ ही नौकरीका काम भी जी लगाकर करता था । परन्तु अब व्याख्यानादिकी तप्यारियोंमें लगे रहनेसे उसे अवकाश कम मिलने लगा इसलिए उसने सन् १८२८ में वेस्ट मिनिस्टर रिव्यूसे अपना सम्बन्ध तोड़ दिया । इस सम्बन्धके तोड़नेके दो कारण और भी थे । एक तो यह कि अब उक्त पत्रकी कीर्ति पहले जैसी नहीं रही थी और दूसरे उसके संचालकने जिस पुरुषको अधिकार दे रखा था उससे मिलकी बनती न थी । मिलके पिताने भी उससे बहुत कुछ सम्बन्ध तोड़ दिया था ।

वेस्ट मिनिस्टरमें मिलका सबसे अनितम लेख फ्रान्सकी राज्यकान्तिका मंडन था और वह सर वाल्टर स्कॉटका विस्तृ पक्ष लेकर लिखा गया था । इस निष्पन्धके तैयार करनेमें मिलने निस्सीम परिश्रम किया । इसके लिए उसने सैकड़ों प्रन्थ पढ़े और उनके खरीदनेमें हजारों रुपये खर्च किये । मिलकी इच्छा थी कि मैं फ्रान्सकी राज्यकान्तिका एक उत्तम इतिहास लिखूँ इसीलिए उसने इतना परिश्रम और अर्थ—व्यय किया था । परन्तु उसके हाथसे यह कार्य न हो पाया । हाँ, कारलाइल ने जब इस विषयका इतिहास लिखा, तब उसे उसकी संग्रह की हुई सामग्रीसे बहुत सहायता मिली ।

विश्वाम ।

वेस्ट मिनिस्टरसे सम्बन्ध छोड़नेपर मिलने कुछ वर्षों तक लेख लिखनेका काम बन्द ही सा कर दिया । इस कामसे उसे अशांतिसी हो गई । यह

उसके लिए अच्छा ही हुआ । क्योंकि अबतक उसने जितना ज्ञान प्राप्त किया था उसे परिषक्क करके उससे तादात्म्य करनेके लिए उसे इस विश्रान्तिस्के समयमें खब मौका मिला । इसका फल यह हुआ कि उसके स्वभावमें तथा उसके विचारोंमें एक प्रकारका महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया । यदि उसकी लिखनेकी मशीन बराबर चलती रहती तो शायद ही यह परिवर्तन होता ।

उत्साह-शून्यता ।

पाठकोंको स्मरण होगा कि सन् १८२१ में जब मिलने बेन्थामके प्रन्थोंका पहले पहल अध्ययन किया था तभी उसने निश्चय कर लिया था कि ऐसे जीवनका व्रत संसारका सुधार करना होगा । इसीमें मैं अपनी उम्र व्यतीत करूँगा । इस कर्तव्य-निधयसे उसे एक प्रकारके सुखका अनुभव होता था और उसी सुखके सहारे वह अपने जीवन-शकटको अभी तक आनन्दसे चला रहा था । परन्तु सन् १८२६ वीं वर्षी ऋतुमें एक दिन उसकी एकाएक कुछ विलक्षण स्थिति हो गई । स्वप्नसे एकाएक जागत होनेपर जैसी मनुष्यकी हालत होती है, उस दिन उसकी बैसी ही हालत हो गई । उसके वितका उत्साह बिलकुल जाता रहा । उस समय उसने अपने मनसे आप ही आप प्रश्न किया कि “हे मन, संसारके जिस सुधारके कार्यमें तू लग रहा है और जिसमें तुझे इतना सुख मालूम होता है, कल्पना कर, कि यदि वह पूर्णताको प्राप्त हो गई तो क्या उस पूर्णतासे तू अति सुखी हो जायगा ? ” मनने किसी प्रकारकी आनाकानी और संकोच किये बिना स्पष्ट उत्तर दिया कि—“ नहीं ” इस उत्तरसे मिलके हाथ पैर ठंडे हो गये, काम करनेका उत्साह जाता रहा और जिस कर्तव्यनिश्चयके बलपर इतने दिन जोरोशोरसे काम चल रहा था उसका तिरोभाव हो गया । उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि यदि ऐसा है, तो किर जीते रहेमें ही क्या मजा है ? उसे आशा थी कि यदि उसका रातको अच्छी नींद आ जायगी तो यह निरुत्साह निकल जायगा । परन्तु उसकी यह आशा सफल न हुई । सोते-जागते बैठते-उठते हर समय उसके वितकमें यही विचार रहने लगा । कभी कभी उसकी यह इच्छा होती थी कि अपने इस दुःखको किसीसे कहकर मैं कुछ हल्का हो जाऊँ । परन्तु दूसरोंसे कहनेमें उसे मह संकोच होता था कि वे मेरी हँसी उड़ावेंगे । रहा पिता, सो उससे कहनेका उसे सहस न होता था । क्योंकि एक तो उसकी समझमें यह बात

आती ही कठिनाइसे और यदि आ भी जाती तो उसे उलटा इस बातका दुःख होता कि मैंने लड़केको पढ़ानेमें जो अपरिमित परिश्रम किया उसका परिणाम आस्त्रिर यह निकला । इस कारण उसने अपना दुःख अपने हृदयमें ही रखा; किसीसे कुछ भी नहीं कहा । अपने चित्तकी इस शोचनीय अवस्थामें यद्यपि उसने अपने नित्यके व्यवसाय छोड़ नहीं दिये तथापि जिस तरह यंत्रोंसे काम होता है उसी प्रकार वे उसके द्वारा होते थे । अर्थात् जो कुछ वह करता था पूर्वके अन्यासबश करता था—विचार या प्रयत्नपूर्वक नहीं । कोई छः महीने तक उसकी यही हालत रही ।

उत्साहका पुनः सञ्चार ।

एक दिन उसने एक विद्वान्के बनाये हुए 'स्वकुटुम्बचरित्र' नामक ग्रन्थमें एक जगह पढ़ा कि—“मैं जब छोटा था तब मेरा पिता मर गया और मेरे कुटुम्बपर एकाएक आपत्तिका पहाड़ ढूट पड़ा । उस समय मैंने अपने कुटुम्बियोंको धीरज बैधाया कि तुम दुखी मत होओ—पिताका मैं तुम्हें कभी स्मरण न होने दूंगा ।” इन वाक्योंके पढ़ते ही उक्त कुटुम्बका सारा दृश्य मिलकी आँखोंके सामने आ गया और तत्काल ही उसकी आँखोंसे दो चार आँसू टपक पड़े । बस, उस दिनसे उसको अपना दुःख कुछ हल्का मालूम होने लगा । अभी तक उसका विश्वास था कि मैं केवल एक प्रकारका यंत्र हूं, जो बोलता चालता लिखता पढ़ता और विचार करता है । मुझमें मनोभावों या मनोविकारोंका लेश भी नहीं है । परन्तु अपनी आँखोंसे अचानक आँसू पड़ते देख अब उसे अनुभव होने लगा कि मैं पत्थर अथवा मिट्टीका ढेला नहीं; किन्तु मनोविकासम्पन्न मनुष्य हूं । इस प्रकारका विश्वास होनेसे अब उसे प्रतिदिनके कामोंमें थोड़ा बहुत सुख बोध होने लगा ।

इस स्थितिके दो परिणाम ।

इस स्थितिके, मिलके वित्तपर, दो परिणाम हुए । अभीतक उसका यह ख़्याल था कि कौन आचरण अच्छा है और कौन बुरा है, इसका निर्णय सुखकी ओर लक्ष्य रखके करना चाहिए । अर्थात् जो आचरण विरस्थायी सुख उत्पन्न करनेवाला हो वह अच्छा और जो न हो वह बुरा । इस प्रकारके अच्छे आचरणोंसे सुखकी प्राप्ति करने में जन्मकी सार्थकता है । उसका दूसरा ख़्याल

यह था कि सुखके लिए सुखके पीछे लगना चाहिए इसी तरह वह मास होता है। यह दूसरा ख़्याल अब बदल गया। उसे अब यह अनुभव होने लगा कि जो अप्रत्यक्ष सुख दूसरोंका उपकार करनेसे, मनुष्य जातिका सुधार करनेसे, और किसी विद्या या कलाके सीखनेमें मन लगानेसे मिलता है वह केवल सुखके पीछे लगनेसे नहीं मिलता। इस लिए मुझे किसी दूसरे ही अभिप्रायसे कोई काम करना चाहिए। ऐसा करनेसे सुख आप ही आप प्राप्त हो जाता है। यह एक परिणाम हुआ। उसके वित्तपर दूसरा परिणाम यह हुआ कि मनुष्यका जो अन्तरात्मा है उसको शिक्षा देना भी सुखका आवश्यक साधन है। अब तक उसकी यह समझ थी कि मनुष्यको गदि इस योग्य वाह्य-शिक्षा मिल गई कि उससे उसके विचार और आचार अच्छे हो जावें तो काफी है। उसके अन्तःकरणको परिष्कृत करनेकी अथवा विकसित करनेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु स्वानुभवसे अब उसकी यह समझ बदल गई। इससे पाठकोंको यह न समझना चाहिए कि बौद्धिक शिक्षाके मूल्यको वह कुछ कम समझने लगा। नहीं, उसका यह विश्वास हो गया कि मानवर्य—मुखर्यकी प्राप्तिके लिए बौद्धिक शिक्षाके समान ही नैतिक शिक्षाकी भी मनोभावोंको विकसित करनेके लिए आवश्यकता है। सार यह कि मनुष्यकी जो अनेक प्रकारकी मानसिक शक्तियाँ हैं वे सब ओरसे बराबर शिक्षित और विकसित होनी चाहिए।

ललितकला और काव्यकी रामबाण ओपराधि।

अब उमेरे यह भी मालम होने लगा कि मनुष्यकी शिक्षाके लिए काव्य और ललितकलाओंकी कितनी आवश्यकता है। कुछ दिनोंमें उसे इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होने लगा। लड़कपनसे मानसिक कला-ओंमें उसे गाने बजानेकी कला ही अच्छी लगती थी। इस बातका उसे पहलेहीसे अनुभव था कि मुन्दर गायन और बादनसे मनको एक प्रकारकी तन्द्रा आ जाती है, उत्साह और आनन्द की वृद्धि होती है और धीरे धीरे उसके सुरों तथा आलापोंसे तादात्य हो जाता है। परन्तु बीचमें जब उसे निरुत्साह-रूपी रोगने धेरा था तब उसके वित्तपर इस कलाका परिणाम होना बन्द हो गया था। किन्तु जब ऊपर वर्णन की हुई घटनासे उसकी दशा बदली तब निरुत्साहका शमन करनेके लिए यह ओपराधि बहुत गुण करने लगी।

सन् १८२८ की वर्षांकुमे वह एक दिन वर्डस्वर्थ कविके काव्य-ग्रन्थ सहज ही पढ़ने लगा । उस समय उसने स्वप्रमें भी यह न सोचा था कि इससे मेरी मानसिक व्याधि सर्वथा दूर हो जायगी । क्योंकि, इसके पहले उसने वायरन कविकी काव्य-ओषधि सेवन करके देखी थी, पर उससे उसे ज़रा भी शान्ति नहीं मिली थी । वर्डस्वर्थकी छोटी छोटी कविताओंका परिणाम उसके चित्पर कुछ विलक्षण ही हुआ । इस कविने जंगल, बन, नदी, पर्वत, सरोवर, पक्षी, आदि स्वाभाविक वस्तुओंको लक्ष्य करके चित्पर कुछ उत्फुल्ल और तन्मय करनेवाली रचना की है । यदि उसने उक्त वस्तुओंका केवल स्वभाव-वर्णन ही किया होता तो उगसे मिलको उतना लाभ न होता । उसकी कविताओंमें एक विशेषता है । वह यह कि पदार्थ-सौन्दर्यका शारीरिक और मानसिक दृष्टिसे निरीक्षण करनेसे मानसिक वृत्तिमें जो उमरों और विकारमिश्रित विचारोंकी तरंगें उठती हैं उनका वास्तविक चित्र भी उनमें खींचा गया है । यह चित्र मिलकी मानसिक व्याधिके लिये रामबाण ओषधि हो गया और इससे उसे धीरे धीरे आन्तरिक सुख, मानसिक आलाद आदि सुखके साधनोंका स्वाद आने लगा । उसके ध्यानमें यह बात भी आ गई कि यदि यह कल्पना करली जाय कि संसारका सुधार एक दिन पूर्णताको प्राप्त हो जायगा, तो भी मेरे सुखके दूसरे साधन बने रहेंगे । और, इस तरह, जिन प्रलोक्तरोंसे उसके हाथ पैर ठंडे हो गये थे—उत्साह नष्ट हो गया था, उनका गोरखधंधा सुलझ गया ।

विचार-परिवर्तन ।

जिस घटनाका ऊपर वर्णन किया गया है, उससे मिलके विचारोंमें बहुत कुछ परिवर्तन होने लगा । उसके बहुतसे निश्चय शिथिल होने लगे और उनके स्थानमें नये नये विचार जमने लगे । इसी समय मिलके हाथ सेट सायमनके कई ग्रन्थ आगये । सेट सायमन प्रान्तका प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता था । सोशियालिस्ट पंथकी जड़ इसीने जमाई थी । इन प्रन्थोंमें उसने बहुत विलक्षणता देखी और उसके प्रधान शिष्य आगरेटे कास्टीका एक ग्रन्थ पढ़कर तो वह निस्पत हो गया । इन ग्रन्थोंमें कुदुम्बकी स्थितिके सुधारनेका जो सिद्धान्त था वह उसे बहुत ही पसन्द आया । कुदुम्बमें पुरुषों और लिंगोंका अधिकार बराबर होना चाहिए । वर्तमान समयमें जो पुरुष-लिंगोंका सेव्य-सेवक सम्बन्ध है वह हानिकारक है । उसे तोड़कर समानाधिकारयुक्त नवीन सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए । इस विचारकी उसने शतमुखसे

प्रशंसा की । समाजके जुदा जुदा पेशा करने वाले लोगोंको अपनी पूँजी एकत्र करके संयुक्त श्रम करना चाहिए और उससे जो मुनाफा हो उसे बांट लेना चाहिए । सोशियालिस्टोंकी समाज-स्थिति सुधारनेकी यह कल्पना यद्यपि उसे पसन्द आई, परन्तु इसका व्यवहारमें परिणत होना उसे असंभव मालूम हुआ । भूमि आदि सम्पत्तिके भोगनेका अधिकार वंशपरम्परासे एक ही कुटुम्बको प्राप्त होना समाजके लिए बहुत ही हानिकारी है—इत्यादि विचारोंको भी उसने मन लगाकर पढ़ा, परन्तु वे सर्वोंशमें उसे अच्छे न मालूम हुए ।

अब तक उसका यह मत था कि मनुष्य केवल परिस्थितिका दास है । अर्थात् मनुष्यके आसपास रीति रवाज आदिकी जैसी स्थिति होती है उसीके अनुसार उसका स्वभाव बनता है । परिस्थिति शब्दका यदि इतना संकुचित अर्थ किया जाय तो सचमुच ही यह मत चित्तको उद्धिष्ठ करने वाला है । क्योंकि इस दशामें इस मतमें और भाग्यवादियोंके मतमें कुछ अधिक अन्तर नहीं रह जाता । परन्तु अब उसके हृदयमें एक नवीन ही प्रकाश झलक गया इस लिए वह परिस्थितिका व्यापक अर्थ करने लगा । अब उसके ध्यानमें आगया कि मनुष्यका स्वभाव जैसी परिस्थिति होती है उसीके अनुसार बनता है । यह बात यद्यपि ठीक है, तथापि, यदि मनुष्य चाहे, तो वह अपनी परिस्थितिको बदल भी सकता है । इस प्रकार विचारकान्ति होनेसे उसे यह अच्छी तरह मालूम होने लगा कि परिस्थिति—मत और दैवमतमें कितना अन्तर है और उसके सिरपरसे उद्दिग्नताका बोझा बहुत कुछ उत्तर गया ।

राजनैतिक विषयोंमें अबतक उसका यह मत था कि प्रतिनिधिसत्ताक राज्यपद्धति सब प्रकारकी परिस्थितियोंमें उपयोगी और हितकारिणी है । अर्थात् चाहे जो काल हो, चाहे जो देश हो, चाहे जो समाज हो, उसकी उपयोगिता और हितकारिता कम नहीं होती । परन्तु अब उसका यह विचार बदल गया । वह समझने लगा कि राज्य—शासनके लिए जुदा जुदा तरहकी राज्यपद्धतियां केवल साधन हैं और एक ही प्रकारका साधन सब जगह उपयोगी नहीं हो सकता है । इस लिए यदि किसी देशमें कोई राज्यपद्धति शुरू करनी हो, तो पहले निष्पक्षबुद्धिसे इस बातका पता लगाना चाहिए कि वहांके लोगोंकी शक्ति, बुद्धि, समाज-व्यवस्था आदि कैसी है और फिर जो उचित समझी जाय वही राज्यपद्धति शुरू करनी चाहिए । परन्तु इंग्लै-

डेके विषयमें उसका जो मत था उसमें अन्तर नहीं पड़ा । वह इसी मतपर कायम रहा कि इंग्लेंडकी योग्यता और परिस्थिति प्रतिनिधिसत्तामक पद्धतिके ही योग्य है । धनिकों ज़मीदारों और पदवीधारी मुख्योंकी प्रबलतासे इंग्लेंडकी सामाजिक नीति और सामाजिक सुखका धात हो रहा है । इसलिए वह चाहता था कि वहां जितनी है, उससे अधिक प्रजासत्ताक 'राज्यपद्धति होनी चाहिए साधारण प्रजाके आधिकार बढ़ना चाहिए और बड़े आदमियोंके अन्यायोंको दमन करनेके लिये सेशियालिस्टोंके सम्पत्तिसम्बन्धी मतका प्रसार होना चाहिए ।

फ्रान्सकी राज्यकान्ति और मिलके लेख ।

सन् १८२९ के जुलाई महीनेमें फ्रान्सकी इतिहासप्रसिद्ध राजकान्ति हुई । उसका समाचार पाते ही मिलका उत्साह एकाएक जागृत हो उठा । वह उसी समय फ्रान्स गया और वहांकी प्रजाके प्रधान नेता लाफायटीसे मिलकर तथा राज्यकान्ति-सम्बन्धी वास्तविक तथ्य संग्रह करके लौट आया । इंग्लेंडमें आते ही उसने इस विषयका समाचारपत्रों और भासिकपत्रोंमें जोरेशोरसे आन्दोलन करना शुरू किया । इंतेहीमें लॉर्ड प्रेसेंटेंटेंडेंसीके प्रधान मंत्री हुए और पारलियामेंट-के संस्कार तथा सुधारका चिल पेश किया गया । अब तो मिलकी लेखनी ग़ज़बके लेख लिखने लगी । उन्हें पढ़कर लोग दातों तले अंगुली दबाने लगे । सन् १८३१ के प्रारंभमें उसने 'वर्तमान कालकी महिमा' नामक लेखमाला शुरू की और उसमें वह अपने नवीन विचारोंको ग्रथित करने लगा । उसे पढ़कर प्रसिद्ध तत्त्वज्ञान कार्लाइल चकित हो गया और वह स्वयं उससे आकर मिला । मिलका और कार्लाइलका सबसे पहला परिचय इसी समय हुआ और वह आगे बराबर बढ़ता गया ।

चिता और पुत्रका महामेद ।

अब मिलको यह सन्देह हुआ कि मेरे और पिताके विचारोंमें बहुत बड़ा अन्तर हो गया है । यदि वह शान्तिसे विचार करता तो यह अन्तर इतना बड़ा प्रतीत न होता । परन्तु उसे यह सहस नहीं होता था कि अपने पितासे शान्तिके साथ विचार करके यह निश्चय कर लूं कि मेरे और आपके तात्त्विक विचारोंमें क्या अन्तर है । क्योंकि उसे इस बातका भय था कि ऐसा कहनेए पिताको यह विश्वास हो जायगा कि मेरा बेटा मेरा मत छोड़कर प्रतिपक्षियोंमें जा मिला है । इसे सौभाग्य ही समझना चाहिये, जो राजनैतिक विषयोंमें

अब तक बाप बेटाका एक ही भत था । इससे उन दोनोंका राजनैतिक संभाषण अच्छी तरह पार पड़ जाता था । जिन विषयोंमें वह समझता था कि पितासे मेरा भतभेद होगा, उनके सम्बन्धकी वह कभी चर्चा ही न करता था । क्योंकि वह सोचता था कि यदि पिता भेरे भतके कुछ विशद कहेंगे तो मुझसे ऊप भी न रहा जायगा और कुछ कहा भी न जायगा । यदि ऊप रहूंगा तो यह बात मेरा चित्त स्वीकार न करेगा और यदि कुछ कहूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा और मुझे भी खेद होगा ।

इस समयकी निबन्ध-रचना ।

इस बीचमें मिलने, जिनका यथास्थान उल्लेख हो चुका है, उनके सिवा और क्या क्या रचना की, यह बतलाकर अब हम मिल-चरितके इस भागको समाप्त करेंगे—

सन् १८३० और ३१ में उसने 'अर्थशास्त्रके अनिश्चित प्रश्नोंपर विचार, नामक पांच निबन्धोंकी रचना की और सन् १८३२ में 'टेल्स मेगज़ीन' नामक मासिक पत्रमें कई अच्छे अच्छे निबन्ध लिखे ।

मिसेस टेलरका परिचय ।

सन् १८३० में मिलके जीवनका एक नवीन अध्याय शुरू हुआ । इस साल उससे और टेलर नामके एक आदमीकी छँसिए पहले पहल परिचय हुआ । इस समय मिल साहबकी उम्र २५ वर्षकी और उसकी २३ वर्षकी थी । टेलरके कुदुम्बियोंकी और मिलके बड़े बूढ़ोंकी पुरानी जान पहिचान थी । इस समय उस जान पहिचानका इन दोनोंके द्वारा केवल पुनरुज्जीवन हुआ । पहली जान पहिचान होनेके बाद यद्यपि इन दोनोंके गाड़लेहोनेमें कई वर्ष लगे, तो भी मिलने यह बात बहुत जल्द समझ ली कि यह कोई सामान्य छी नहीं हैं । दूसरी छियोंसे इसमें कुछ विशेषता और विलक्षणता है । इसका यह मतलब नहीं कि उसके जो विलक्षण बुद्धि, परिपक्व विचार और प्रगाढ़ ज्ञान आदि गुण पीछे प्रगट हुए, वे सबके सब उस समय भी मौजूद थे । उस समय उनका केवल अंकुर दिखलाई देता था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और उस विशाल विटपके रूपमें परिणत हुआ जिसकी छायामें रहकर मिल जैसे तत्त्ववेत्ताने भी अपने ज्ञानको संस्कृत और परिष्कृत किया ।

टेलर यथापि ईमानदार, सन्ध्या और धैर्यवान् पुरुष था, तो भी उसमें अपनी छीं जैसी विलक्षण बुद्धि और अभिशब्दि न थी। इतनेपर भी दोनोंमें प्रीतिकी कमी न थी। मिसेस टेलर अपने पतिको हृदयसे चाहती थी और उसका पूरा पूरा सन्मान करती थी। उसका यह प्रेम जब तक पति जीता रहा बराबर स्थिर रहा और जब उसका देहान्त होगया तब उसने बहुत शोक किया।

मिसेस टेलर इस विषयमें बहुत विचार किया करती थी कि राजनौतिक और सामाजिक बातोंमें छियोंको पुरुषोंके समान अधिकार नहीं हैं, इसलिये वे अपने ऊँचेसे ऊँचे गुणोंको कार्यमें परिणत नहीं कर सकती हैं। उनको इस बातका मौक़ा ही नहीं दिया जाता कि वे कुछ करके दिखला सकें और यह सिद्ध कर सकें कि हम पुरुषोंसे किसी बातमें कम नहीं हैं। इन बातोंकी चर्चा वह अपनी मित्रमंडलीमें भी किया करती थी। उसकी मित्रमंडलीमें जो थोड़ेसे पुरुष थे, दैवयोगसे उनमें मिलका भी प्रवेश हो गया। सुतरां वह मिलसे भी इस विषयपर तथा दूसरे विषयोंपर भी चर्चा करने लगी।

मिसेस टेलरमें देवमूढ़ता न था अर्थात् उसे यह विश्वास न था कि कोई काम किसी देवताकी कृपासे अथवा ईश्वरकी इच्छासे होता है। अकसर लोगोंका यह ख़्याल रहता है कि सृष्टिकी रचना सर्वाशपूर्ण है—उसमें किसी बातकी कमी नहीं है। परन्तु वह इस बातको न मानती थी। उसका ख़्याल इससे विस्तृद था। वह समझती थी कि वर्तमानकालिक सृष्टिमें और समाजरचनामें बहुत ही कमी है। इससे पहले इससे भी अधिक कमी थी, जो धैरे धैरे पूर्ण हुई है। ज्यों ज्यों मनुष्यका ज्ञान बढ़ता जायगा, वह वर्तमान कमीको पूरी करता जायगा। उसकी बुद्धिकी प्रत्येक विषयमें अबाध गति थी। वह प्रत्येक विषयके सार या सत्त्वपर पहुंचती थी—चाहे वह विषय गंभीर तात्त्विक हो चाहे मामूली कामकाज सम्बन्धी हो। यदि वह किसी कलाके सीखनेमें जी लगाती तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह निपुणताकी हृदपर पहुंच जाए। उसकी नैतिक और बौद्धिक दोनों शक्तियां बहुत ही तीव्र हैं लेकिन वाई कैशनाशर्कि भी उसकी बहुत विलक्षण थी। यदि वह कलाकृति—कलाकी ओर व्यायान देती तो एक बड़ी भारी व्याघ्यानदात्री हुए विलिन रहती। क्योंकि वह सहदय और तेजस्विनी थी और उसके बोलनेकी शैली बहुत ही कमज़ोरी थी। इसी

प्रकार यदि उसके भाग्यमें कहींकी रानी होना लिखा होता तो वह इस उच्चपदको अपने गुणोंसे और भी पूज्य बनाती । क्योंकि उसे मानवी-यस्वभावका बहुत अच्छा ज्ञान था । वह मनुष्यके स्वभावको तत्काल ही परख लेती थी और व्यावहारिक बातोंमें भी वह बहुत चतुर थी । उसका नैतिक आचरण बहुत ही अच्छा और तुला हुआ था । फोपकार-बुद्धि तो उसकी खब ही संस्कृत थी । समाजने गतानुगतिकातसे जिन कामोंको परोपकार ठहरा दिया है, अथवा जिन्हें लोग परोपकार समझते हैं, उनका अनुसरण करके वह परोपकार नहीं करती थी । किन्तु उसका अन्तःकरण ही इतना कोमल था कि वह दूसरोंकी बुराई भलाईको अपनी ही बुराई भलाई समझती थी-अपनेमें और दूसरोंमें वह भेद ही न समझती थी । वह यह भी जानती थी कि सुखदुःखसम्बन्धी मनोविकार जिस प्रकार भेरे प्रबल हैं, उसी प्रकार दूसरोंके भी हैं । अर्थात् सुख दुःखका अनुभव जैसा मुझे होता है वैसा ही दूसरोंको भी होता होगा । इससे उसके अन्तःकरणमें परोपकारकी अगणित हिलोरे उठा करती थीं । उसकी उदारता अमर्यादित थी । जो उसके प्रेमको थोड़ा भी पहिचानता था, उसपर वह उसकी वर्षा करनेके लिए निरन्तर उत्सुक रहती थी । उसका हृदय वास्तविक विनयका और अतिशय ऊंचे अभिमानका सन्धि-स्थल था । जिसके साथ अन्तःकरणपूर्वक और सादेपनसे बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ वह वैसा ही बर्ताव रखती थी । क्षुद्र और डरपोकपनकी बातेसे उसे घृणा थी चाहे कोई हो, यदि उसके आचरणमें उसे थोड़ेसे भी पाशविक अत्याचारका, अप्रामाणिकताका अथवा असम्यताका अंश मालूम होता तो उसका क्रोध भड़क उठता था । इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि जो बातें वास्तवमें बुरी होती थीं, उन्हींके विषयमें उसके ऐसे मनोभाव होते थे । जिन्हें केवल लोगोंने बुरी मान रखती हैं उनके विषयमें नहीं ।

परिचयसे पारस्परिक लाभ ।

ऐसी गुणवती छाँके साथ परिचय बढ़नेसे और तार्किक चर्चाका व्यासंग होनेसे मिलको आशातीत लाभ हुआ । उसकी मानसिक उश्त्रतिपर उसका बहुत ही अच्छा परिणाम हुआ । पर यह परिणाम मन्दगतिसे हुआ । और, इस तरह, दोनोंकी मानसिक उश्त्रतिकी एकता होकर उसके प्रवाहके वह निकलनेमें

बहुत वर्ष बीत गये । इस परिचयसे यथापि यह स्पष्ट है कि मिसेस टेलरकी अधेक्षा मिलको ही अधिक लाभ हुआ; तथापि हमें यह भी कहना चाहिये कि उसे भी कुछ कम नहीं हुआ । क्योंकि उसके जो विचार या सिद्धान्त थे वे केवल उसकी प्रतिभा और मनोभावोंसे बने थे और इसके मतोंकी रचना अभ्यास और विचारोंसे हुई थी । तब यह स्पष्ट है कि उसके विचार और सिद्धान्त इसके परिचयसे बहुत कुछ ढढ हुए होंगे । तथापि यदि विचार करके देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि मिल ही उसके ऋणसे अधिक दबा था, अर्थात् मिलको ही इस परिचयसे अधिक लाभ हुआ था ।

जिन्हें मनुष्यजातिकी वर्तमान दशा शोचनीय मालूम पड़ती है—और इस लिए जो चाहते हैं कि इसका मूलसे सुधार होना चाहिए उनके विचार बहुत करके दो प्रकारके होते हैं । एक प्रकारके विचारोंका लक्ष्य आन्यनितिक उत्तम स्थितिकी ओर रहता है और दूसरे प्रकारके विचारोंका लक्ष्य उपयोगी और तत्काल साध्य सुधारोंकी ओर रहता है । मिलके इन दोनों विचारोंको मिसेस टेलरकी शिक्षासे जो गम्भीर और विस्तार प्राप्त हुआ वह बहुत ही बड़ा था । सारे शिक्षकों और ग्रन्थोंसे भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती थी । अर्थशास्त्र, आत्मशास्त्र, तर्कशास्त्र और इतिहासशास्त्र आदि शास्त्रोंके विषयमें मिलने अपनी विचारशक्तिसे जो सिद्धान्त स्थिर किये थे उन्हे व्यवहारिकताका रूप इसीकी शिक्षाके प्रसादसे मिला था । मेरे सिद्धान्तोंमें अत्यन्त विश्वस्त कौन है और संशययुक्त कौन है, इसका निर्णय उसने इसीके संयोगसे किया था । नहीं तो आधर्य नहीं कि उसे यह विश्वास हो जाता कि मेरे सिद्धान्त सर्वथा सच्चे हैं, सब समयोंके लिये हैं, सब स्थानोंके लिये हैं और सबपर प्रयुक्त हो सकते हैं । मिलके जिन जिन ग्रन्थोंमें व्यावहारिक विचारोंकी अधिकता है, समझ ले कि वे एक मस्तकसे नहीं, उक्त दोनों मस्तकोंके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं ।

राजनैतिक विचारोंमें परिवर्तन ।

इस बीचमें मिलको 'टैकेवेली' नामक प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वानका 'अमेरिकाका प्रजासत्ताक राज्य' नामका ग्रन्थ मिला । इस उत्कृष्ट ग्रन्थका उपने बहुत ही बारीकीसे अध्ययन किया । इससे उसने प्रजासत्ताक राज्यसे क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियां होती हैं, यह अच्छी तरहसे समझ लिया । फल इसका यह हुआ कि अब वह प्रजासत्ताकसे प्रतिनिधिसत्ताक राज्यपद्धतिको अच्छी

समझने लगा । प्रजासत्ताक राज्यपद्धतिमें जो अन्याय और अत्याचार होते हैं उन्हें उसने प्रतिनिधिसत्ताक राज्यपद्धतिसे कम समझे । इसका निष्पत्ति उसने अपने ' प्रतिनिधिसत्ताक राज्यव्यवस्था ' नामक ग्रन्थमें स्वयं किया है । ऊपर लिखे हुए ग्रन्थसे उसका एकमत और भी अच्छा बन गया । वह यह कि सामाजिक कामोंके करनेका अधिकार जितने अधिक लोगोंमें फैलाया जा सके उतनेमें फैलाना चाहिए और सरकारको ऐसे कामोंसे जुदा रखना चाहिए । इससे लोगोंको राजनैतिक शिक्षा तो मिलती ही है; सथ ही प्रजासत्ताक व्यवस्थासे जो अनिष्ट हुआ करते हैं उनकी भी रुकावट होती है । क्योंकि इससे सरकारी महकमे कम हो जाते हैं और देशके बहुतसे सुयोग और सुशिक्षित पुरुष सरकारी गुलाम होनेसे बच जाते हैं । सरकारी महकमे अधिक होनेसे सरे शिक्षित पुरुष उनमें भरती होनेका प्रयत्न करते हैं और वे अपने ऊपरके अधिकारियोंके गुलाम हो जाते हैं । इससे अन्यायोंका प्रतिबन्ध नहीं हो सकता । इस विषयका निष्पत्ति मिलने अपने इसी (स्वाधीनता) ग्रन्थके अन्तमें किया है ।

लेख, पत्रसम्पादन और पिताकी मृत्यु ।

सन् १८३३ और ३४ में मिलने कुछ लेख मासिक पत्रोंमें लिखे । ये लेख तात्कालिक विषयोंपर लिखे गये थे और उन्हें पीछेसे संप्रह करके उसने पृथक् पुस्तकाकार भी छापा लिये थे । सन् १८३४ में उसने और उसके पिताके कुछ मित्रोंने मिलकर ' लन्दनरिव्यू ' नामका मासिक पत्र निकाला । इसके निकालनेका मुख्य उद्देश ' रॉडिकल ' पक्षके विचारोंका समर्थन और प्रसारण करना था । तबसे सन् १८४० तक उसने उसमें बहुतसे लेख लिखे । उसका पिता भी जब तक बीमार नहीं पड़ा तबतक उसमें बराबर लेख लिखता रहा । मिल इस पत्रका एक प्रकारसे सम्पादक ही था । पर उसके विचारोंमें पिताके विचारोंसे अन्तर पड़ गया था; इसलिए वह अपने लेखोंके नीचे अपने नामका पहला अक्षर और पिताके लेखोंके नीचे उसके नामका पहला अक्षर प्रकाशित कर देता था, जिससे पाठक यह समझ लेंगे कि अमुक लेखमें जिस मतका प्रतिपादन हुआ है वह सम्पादकका नहीं, किन्तु किसी व्यक्तिका है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तवमें बाप बेटेके मतोंमें जितना अन्तर दिखता था, उतना नहीं था और आर्थर्य नहीं कि यह बात दोनोंके ध्यानमें आ जाती और आगे दोनोंकी लेखरचना या ग्रन्थरचना एकमतसे होने लगती । परन्तु

सन् १८३५ से पिताका स्वास्थ्य दिनपर दिन बिगड़ने लगा । तदन्तर कफक्षय-के स्पष्ट चिन्ह दिखने लगे और आखिर २३ जून सन् १८३६ में उसका देहावसान हो गया । पृथ्वीसे एक वास्तविक पिता और स्वाधीनचेता विद्वान् उठ गया ।

जेम्स मिलका जोश और उसकी बुद्धिका वैभव मरते मरते तक कम नहीं हुआ । उस समय तक जिन जिन बातोंमें उसने अपना चित्त लगाया था उन सबके विषयमें कंठगत प्राण होने तक उसकी आस्था बनी रही । धर्मके विषयमें उसके जो विचार थे उनमें भी कालके विलकुल समीप आ पहुँचने तक रक्ती भर भी अन्तर नहीं पड़ा । जिस समय उसे विश्वास हो गया कि अब मैं जल्दी मर जाऊंगा उस समय उसको यह सोचकर बहुत सन्तोष हुआ कि जब मैंने जन्म लिया था तबसे अब संसारकी दशा कुछ अच्छी है—और उसे अच्छी करनेके लिए मैंने भी कुछ किया है । पर साथ ही यह विचार कर उसे कुछ खेद भी हुआ कि अब मेरे जीवनकी समाप्ति है, इस लिए मुझे और लोक-सेवा करनेका अवकाश नहीं मिल सकता ।

इस विषयमें किसीको कुछ सन्देह नहीं है कि जेम्स मिलने संसारकी और अपने देशकी विपुल सेवा की । तो भी यह बात विचारणीय है कि उसके बाद उसका जितना नाम रहना चाहिए था, उतना नहीं रहा । इसका एक कारण यह मालूम होता है कि उसके समयमें बैन्थामकी जो दिग्न्त-व्यापिनी-यशोदुन्दुरी बज रही थी उसमें उसकी कीर्ति लुप हो गई । दूसरा कारण यह जान पड़ता है कि यद्यपि उस समयके बहुतसे लोगोंने उसके अनेक मत स्वीकार कर लिये थे, तो भी जिस समय उसकी मृत्यु हुई वह समय उसके मर्तोंके लिए बहुधा अनुकूल न था ।

पुराने और नये मित्र ।

पिताकी मृत्युके अनन्तर मिल 'लन्दन रिव्यू' में अपनी अभिराचिके ही लेखोंको स्थान देने लगा । इससे उसके कुछ पुराने मित्र अप्रसन्न हो गये; परन्तु साथ ही कई नवीन मित्र उसे और मिल गये । इन नये मित्रोंमें कार्लाइल सबसे मुख्य था । अब इसके लेखोंकी लन्दन रिव्यूमें धूम मच गई । दूसरे विद्वानोंके भी अच्छे अच्छे लेख उसमें प्रकाशित होने लगे ।

तर्कशास्त्रका पुनः प्रारम्भ और लन्दन रिव्यूसे छुट्टी ।

सन् १८३७ में मिलने अपने तर्कशास्त्र नामक ग्रन्थको फिर लिखना आरम्भ किया । यह ग्रन्थ उसने लगभग पांच वर्ष पहले लिखना शुरू किया था, परन्तु कई कारणोंसे वह उसे पूर्ण न कर सका था । इसके कुछ दिन पीछे 'वेवेल' नामक प्रसिद्ध नैयायिकका 'न्यायशास्त्रका इतिहास' नामका ग्रन्थ प्रकाशित हुआ । मिलने उसे तथा वैसे ही और कई ग्रन्थोंका फिर अध्ययन तथा मनन किया और अब इतने समयके पीछे उसने अपने ग्रन्थका काम फिर चलाया । इन दिनों मासिक पत्रके सम्पादनका कार्य जोरोशोरसे चलता था तो भी अवकाश निकालकर वह इस ग्रन्थको लिखता था । इस तरह उसने लगभग दो तृतीयांश ग्रन्थका मसविदा तयार कर लिया ।

इसी समय, सन् १८४० में, मासिक पत्रका भार किसी दूसरेपर डालकर उसने इस बखेड़ेसे छुट्टी पा ली । इसके बाद यदि उसे अवकाश मिलता था और कुछ आवश्यकता होती थी तो वह कभी कभी लेख लिखता था और उन्हें 'एडिनबरारिव्यू' में प्रकाशित कराता था । इस पत्रके ग्राहक बहुत थे इस कारण अपने विचारोंका अधिक प्रसार करनेके लिए उसने इसीको पसन्द किया था ।

तर्कशास्त्रकी समाप्ति और उसका प्रकाशन ।

लन्दनरिव्यूसे छुट्टी पानेपर मिलने सबसे पहले अपने तर्कशास्त्रको समाप्त किया । इसके बाद उसने लगभग एक वर्ष तक बैठकर इस ग्रन्थकी फिरसे नकल की और इस समय खूब सोच विचारकर उसमें बहुतसा संशोधन तथा परिवर्तन किया । मिलके जितने ग्रन्थ हैं वे सब इसी पद्धतिसे तैयार किये गये हैं । उसका एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो कमसे कम दो बार न लिखा गया हो । यह पद्धति बहुत ही अच्छी है । इससे ग्रन्थ सुगम, सुन्दर और निर्दोष बन जाता है । क्योंकि जो ग्रन्थ एक बार समाप्त हो जाता है, यदि उसका दूसरी बार स्वस्थतासे अवलोकन किया जाय, तो उसमें बहुतसी बातें सुधारने और सौट करने योग्य मिलती हैं ।

तर्कशास्त्र तैयार होनेपर, सन् १८४१में, 'मेरे' नामक पुस्तक प्रकाशकके पास भजा गया । परन्तु वह भलामानस उसे कई महीने अपनी टेबिलपर ही रखके रहा

और अन्तमें वापिस कर गया । इसके बाद मिलने उसे 'पार्कर' नामक प्रकाशकके पास भेजा । उसने १८४३ की वसन्तऋतुमें छपाकर प्रकाशित किया । ऐसे गहन विषयोंके ग्रन्थोंकी विक्री एक तो यों ही बहुत कम होती है, किर यह ग्रन्थ एक बिलकुल ही नई पद्धतिपर बनाया गया था—न्यायशास्त्रकी वह पद्धति उस समय रुढ़ नहीं थी, तो भी छः सालके भीतर उसके तीन संस्कारण प्रकाशित हो गये । इससे समझना चाहिए कि मिलके इस उत्तम ग्रन्थकी अच्छी कृदर हुई और उस समय पाश्चात्य देशोंमें ऐसे ग्रन्थोंके पढ़नका—कमसे कम ख़रीदनेका—शौक बढ़ चला था ।

मिलना जुलना कम कर दिया ।

इस समय मिल मासिक पत्रसे सम्बन्ध छोड़ चुका था । तात्कालिक राजनैतिक प्रश्नोंसे उसने अपना चित्त हटा लिया था और उसकी उम्र भी कुछ अधिक हो गई थी । इस लिए अब वह बहुत ही थोड़े लोगोंसे मिलने जुलने लगा । इंग्लॅण्डमें मिलने जुलने या मेल मुलाकात बढ़ानेकी रीति बहुत ही बेढ़ंगी है । उसमें बहुधा ऐसी ही चाते होती हैं जो केवल इस लिए की जाती हैं कि वे परम्परासे चली आ रही हैं—पर उनसे प्रसन्नता रत्ती भर भी नहीं होती है । वहां दस आदमियोंकी बैठकमें किसी वादप्रस्त महत्वके विषयकी चर्चा छेड़ना तो एक प्रकारकी असभ्यताका काम समझा जाता है । फ्रेंचलोगोंके समान छोटी छोटी बातोंपर हँसी खुशीक साथ विचार करनेकी वहां पद्धति नहीं है । तब वहांका मिलना जुलना केवल लोकस्थ़दिका सत्कार करना है । उससे सिवाय इसके कि कुछ वड़े आदमियोंसे जान पहिचान हो जाती है और कुछ लाभ नहीं । मिल जैसे तत्त्वज्ञानीको ऐसा मिलना जुलना कब पसन्द आ सकता था ? उसको इससे अहंच होनी ही चाहिए थी । इस प्रकारके मेल जोलसे मेलजोल रखनेवालेकी बुद्धि कितनी ही उन्नत क्यों न हो, अबनत होने लगती है और उसके विचार कितने ही उत्कृष्ट क्यों न हों निकृष्ट होने लगते हैं । इसका कारण यह है कि उसे इस मेल जोलके मंडलमें अपने विलक्षण विचारोंके प्रकट करनेसे संकोच करना पड़ता है—वह देखता है कि, यहां अपने विचारोंका प्रकट करना ठीक न होगा और ऐसा करते करते एक दिन उसे स्वयं ही ऐसा मालूम होने लगता है कि यथापि भेरे विचार उच्चतम हैं तथापि अव्यवहारिक हैं—वे व्यवहारमें नहीं लाये जा सकते ।

इस तरह वह अधिक नहीं तो इतनी अधोदशाको अवश्य प्राप्त हो जाता है कि जिस मतसे लोग प्रसन्न हों, धीरे धीरे, उसे ही प्रतिपादन करने लगता है। इसलिये जिनकी बुद्धि विलक्षण है—जो अपने ज्ञानको विकसित करना चाहते हैं—उन्हें जहाँ तक बने ऐसे लोगोंसे मेल जोल कम बढ़ाना चाहिए। जिसे अपना सुधार करना हो, उसे चाहिए कि ऐसे धनी, मानी ठाठपसन्द लोगोंमें न घुसकर ऐसे लोगोंसे परिचय बढ़ावे जिनके विचार और जिनकी प्रतिभा अपनेसे उन्नत हो। इस कारणसे, और ऐसे ही और कई कारणोंसे, मिलकी मित्रमंडली इनी गिनी रह गई।

मिसेस टेलरका पवित्र सम्बन्ध ।

मिलकी रही हुई मित्रमंडलीमें मिसेस टेलर मुख्य थी। इस समय उसके एक लड़की थी। उसे लेकर वह प्रायः एक गावमें रहा करती थी। लन्दनमें अपने पांतके पास बहुत कम रहती थी। मिल उससे मिलनेके लिए गांवमें और लन्दनमें दोनों ही जगह जाया करता था। उसके पतिकी अनुषस्थितिमें—पतिके दूर रहनेपर भी वह उससे बारंबार मिलता था और कभी कभी उसके साथ अकेला सफर भी करता था। यदि कोई साधारण छी होती तो उसके जीमें यह शङ्का आये बिना नहीं रहती कि, इससे मुझे लोग नाम रखवेंगे। परन्तु वह बड़ी ही ढृप्रतिज्ञ और उन्नतहृदय छी थी। इसलिए उसने ऐसे कमज़ोर ख़्यालोंको कभी अपने पास भी नहीं फटकने दिया। इस समय इन दोनोंका जो सम्बन्ध था वह अतिशय घनिष्ठ होनेपर भी सर्वथा पवित्र था। उसमें अपवित्रताके लिए बिलकुल अवकाश नहीं था। इतनेपर भी कोई झूठा आक्षेप न कर बैठे, इस ख़्यालसे वे अपने बाह्य आचरणमें बहुत सावधानी रखते थे।

विचार-परिवर्तन ।

इस मेल जोलसे मिलके विचारोंमें और भी रहोबदल हुआ। अभी तक उसका ख़्याल था कि वर्तमानकालकी सामाजिक स्थितिका यथापि यह बड़ा भारी दोष है कि कुछ थोड़ेसे लोग जन्मसे ही श्रीमान् होते हैं और आकी जन्मसे ही दरिद्र होते हैं; तथापि यदि कोई कहे कि यह स्थिति बिलकुल बदल सकती है तो उसका अम है। ऐसा नहीं हो सकता। यह ठीक है कि दायभागके कुछ अन्यायपूर्ण नियमोंके रद हो जानेसे जैसे कि बड़ा लड़का सारी स्थावर सम्पत्तिका हक़दार है आदि, यह दुःस्थिति कुछ कम दुःखकारक हो सकती है, परन्तु

यह तो कभी नहीं हो सकता कि सोशियालिस्टोंके कथनानुसार सब प्रकारसे 'रामराज्य' हो जाय । मिसेस टेलरकी सत्संगतिसे उसका यह विचार बहुत कुछ बदल गया और उसकी सोशियालिस्ट—सम्प्रदायकी ओर उचि अधिकाधिक होने लगी । अब उसका यह मिद्दान्त होगया कि यह स्थिति, जिसमें कुछ लोग तो मरते दम तक किसीतरह मर मिटकर भर पेट अब सानेको पाते हैं और कुछ आलसी बनकर बढ़ै बढ़ै ही भौज किया करते हैं, धीरे धीरे बदल सकती है । समाजसुधार होते होते एक दिन ऐसा था सकता है जब इस अन्यायका देशनिकाला हो जायगा । अभी प्रत्येक मनुष्य यही समझता है कि मैंने जिस बस्तुको परिश्रम करके पाया है वह केवल मेरी ही मिलकियत है । परन्तु आगे यह समझ बदलेगी और लोग मानने लगेंगे कि प्रत्येक मनुष्यकी सम्पत्तिपर समाजका भी कुछ अधिकार है । इस समय मनुष्यस्वभावपर जो केवल स्वार्थपरताका साम्राज्य हो रहा है, इसका कारण मनुष्यकी परिस्थिति है । अर्थात् उसके आसपासके रीति-रवाज, विचार और अन्य विश्वास आदि ऐसे हैं कि उनके कारण वह स्वार्थपर बन जाता है । यह नहीं कि मनुष्य—स्वभावका बीज ही ऐसा है । बीजमें कोई दोष नहीं है । कारण अच्छे मिलते रहें तो सम्भव है कि वर्तमान मनुष्यस्वभाव बदल जाय ।

जब मिलकी मानसिक उत्तमति हो रही थी तब एक बार ऐसा भौका आया था कि वह सामाजिक और राजकीय विषयोंमें प्रतिबन्ध या बन्धन होनेका पक्ष-पाती हो जाता और एक बार इससे विश्व, बन्धनका सर्वथा विरोधी बन जाता । इन दोनों भौकोंपर मिसेस टेलरने उसे बहुत संभाला और उसका जो श्रम था, उसे निकाल दिया । एक तो मिल प्रत्येक मनुष्यसे नई बात सीखनेके लिये सदा उथत और उत्सुक रहा करता था और दूसरे उसकी यह भी आदत थी कि वह जिस नई बातको—जिस नये मतको सीखता था उसे पुरानेसे मिला देता था । उसमें ये दो बातें ऐसी थीं कि यदि मिसेस टेलर उसकी लगाम नहीं पकड़ती तो उसके लड़कपनके विचारोंमें आश्वर्य नहीं कि व्यर्थ परिवर्तन हो जाता । यह उसे समझा देती थी कि जुदा जुदा भतोंका जुदा जुदा विष्टिसे क्या महस्त्व है । इससे नये खिले था सुने हुए मतोंको वह निरर्थक महत्त्व देनेकी ओर प्रकृत नहीं होने पाया और धैर्यके साथ प्रत्येक मतका महस्त्व जुदा जुदा विष्टिसे समझने सोचने लगा ।

अर्थशास्त्रकी रचना और उसका प्रचार ।

मिलने सन् १८४५ में 'अर्थशास्त्र' नामक प्रन्थका लिखना प्रारम्भ करके उसे सन् १८४७ में समाप्त कर दिया । इस प्रन्थकी विकी अच्छी हुई । इससे मालूम होता है कि उस समय लोगोंमें इस प्रकारके प्रन्थकी चाह थी । पहली बार इसकी एक हजार प्रतिया छपी और वे एक ही वर्षके भीतर बिक गई । सन् १८४९ में उसकी इतनी ही प्रतियाँ और छपाई गई और उनके भी बिक जाने पर, सन् १८५२ में, १२५० प्रतियोंका तीसरा संस्करण प्रकाशित किया गया । इस प्रन्थकी इतनी विकी होनेका एक कारण यह भी था कि इसमें केवल अर्थशास्त्रके तत्त्वोंका ही विचार नहीं किया गया है; किन्तु यह भी बतलाया गया है कि वे तत्त्व व्यवहारमें किस तरह आ सकते हैं । यह विषय इंग्लैण्ड, स्काटलैण्ड आदि जुदे जुदे देशोंके तात्कालिक इतिहासके प्रत्यक्ष उदाहरण देकर इसमें अच्छी तरह समझाया गया है । इसके सिवा इसमें अर्थशास्त्रका बहुत ही व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिसे विवेचन किया गया है और यह सिद्ध कर दिया गया है कि अर्थशास्त्र सामाजिक शास्त्रकी ही एक आवश्यक शाखा है । इससे लोगोंका यह भ्रम दूर हो गया कि अर्थशास्त्र केवल स्वाधीयों, बनियों और निर्देय लोगोंका शास्त्र है । अतएव वे उसे महत्वकी दृष्टिसे देखने लगे ।

फुटकर लेख, शङ्का-समाधानादि ।

इसके बाद कुछ दिनोंतक मिलने कोई महत्वका प्रन्थ नहीं लिखा । समाचारपत्रों तथा मासिक पत्रोंके लिए कभी कभी लेख लिखना और कोई किसी विषयमें शङ्कायें लिखकर भेजे तो उनका समाधान लिख भेजना-बस, इन दिनों वह इतना ही लेखनकार्य करता था ।

अथवनेके विषयमें पूछिये तो इस समय वह इस ओर विशेष दृष्टि रखता था कि संसारमें क्या हो रहा है । सन् १८५१ में, जब लुई नेपोलियनकी चालाकी चल गई और फ्रान्समें फिरसे बादशाही तुरु हो गई, उसने एक प्रकारसे यह निश्चयसा कर लिया कि इस समय यूरोपमें स्वाधीनता और सुधारका पैर आगे नहीं बढ़नेका ।

मिसेस टेलरसे विवाह-सम्बन्ध ।

सन् १८५१ में मिलके जीवनक्रममें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । जिस अनुपम गुणवती कीके परिचयसे उसने अपनी आक्षातीत उभति की थी उसीके साथ उसका विवाह हो गया । अभीतक मिल कुँवारा था और इन्हें वर्ष तक

मिसेस टेलरके साथ उसका केवल मित्रताका नाता था । परन्तु अब वह नाता पहलेकी अपेक्षा और भी धनिष्ठ होगया । इसके पहले उन दोनोंने कभी स्वप्नमें भी न सोचा था कि हमारा परस्परका सम्बन्ध इतना प्रगाढ़ हो जायगा । यद्यपि मिलके लिए इस प्रकारका संयोग बहुत ही लाभकारी हुआ और यह उसे अभीष्ट भी था, परन्तु जिस काकतालीय न्यायसे यह अनिन्तनीय योग आया वह यदि न आता तो उसे प्रसन्नता होती । इसके न आनेसे उसकी चाहे जितनी हानि होती वह उसे आनन्दसे स्वीकार करनेके लिए तैयार था, क्योंकि वह मिस्टर टेलरको अन्तःकरण पूर्वक चाहता था—उसपर उसका अतिशय लेह था और उसीकी आकस्मिक तथा आकालिक मृत्युसे यह योग आया था । मिसेस टेलरके विषयमें तो कहना ही क्या है ? उसकी तो अपने पतिके विषयमें यथेष्ट आस्था और प्रीति थी ही । अस्तु । मिस्टर टेलरकी मृत्यु जुलाई, सन् १९४९ में, हुई और उसके लगभग दो वर्ष पछे, सन् १९५१ में, यह विवाहसम्बन्ध हो गया । इस अभिनव सम्बन्धसे मिलको जो लाभ हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता ।

पत्नी-वियोग ।

मिलके भाग्यमें यह सुख केवल साढ़े सात ही वर्षके लिए लिखा था, अधिक नहीं । सन् १९५१ में उसका यह अमूल्य रत्न खो गया । इससे उसे जो हानि हुई वह असह्य थी । पर क्या करे, विवश होकर उसे सहना ही पड़ा । छीका वियोग होनेपर मिलका विचार हुआ कि मैं सर्वसङ्गका परित्याग कर दुनियाके सब क्षणोंसे जुदा हो जाऊँ; परन्तु फिर उसने यह सौचकर अपना विचार बदल दिया कि उसकी पत्नी जिस सार्वजनिक सुधारसे प्रेम रखती थी मुझे उसीके विषयमें अपने एक पहियेवाले रथसे ही, जितना बन सके उतना, प्रयत्न करते रहना चाहिए । और यदि वह जीती होती तो मेरे इसी कार्यको प्रसन्न करती । इस तरह निश्चय करके वह सार्वजनिक सुधारके काममें मन लगाने लगा ।

संयुक्त ग्रन्थरचना ।

जब दो मनुष्योंके विचार और कल्पनाओंकी तरङ्गें मिलकर एक हो जाती हैं, जब वे प्रतिदिन प्रत्येक विषयका खबर लहापोह करके अनुसन्धान किया करते हैं और जब वे एक ही महत्त्वके आधारसे एक ही प्रकारका सिद्धान्त निर्धारित करते हैं, तब इस बातका निश्चय नहीं हो सकता कि अमुक विषयकी

कल्पना सबसे पहले किसको सूझी । जिसने उसे अपनी लेखनीसे लिखा हो-
यदि वह उसीकी कल्पना समझ ली जाय तो भी ठीक नहीं । क्योंकि अक्सर
ऐसा होता है और यह ठीक भी मालूम होता है कि उन कल्पनाओंको लेखन-
रूपी शृंखलासे बाँधनेके कार्यमें उन दोनोंमेंसे जिसका प्रयत्न बहुत ही कम
होता है उसीका प्रयत्न कल्पनाओंको जन्म देनेके कार्यमें अधिक होता
है । ऐसी अवस्थामें किसी संयुक्तरचनामें निश्चयपूर्वक ऐसा विभाग
नहीं किया जा सकता कि अमुक भाग एकका और अमुक
दूसरेका है । अतएव मिलके उन ग्रन्थोंके विषयमें जो कि मिसेस
टेलरसे मित्रताका और विवाहका सम्बन्ध होनेपर रचे गये हैं यही कहा
जा सकता है कि वे दोनोंहीके बनाये हुए हैं-अर्थात् उनमें जो कुछ लिखा
गया है वह दोनोंके मस्तकोंकी लगभग बराबर बराबर कृति है । इससे अधिक
निश्चित और स्पष्ट विभाग उनका नहीं किया जा सकता । हाँ, कई बातें
ऐसी भी हैं जिनके विषयमें इससे कुछ और भी अधिक स्पष्ट कहा जा सकता
है । इन दोनोंकी संयुक्त रचनामें जो जो कल्पनायें या जो जो अंश अतिशय
महत्वके हैं, जिनका परिणाम अतिशय फलप्रद हुआ है, और
जिनके योगसे उस रचनाकी प्रसिद्ध अधिक हुई है, वे सब कल्पनायें या अंश
मिसेस टेलरके मस्तकसे उत्पन्न हुए हैं । अब यदि यह पृछा जाय कि उन
कल्पनाओं और अंशोंमें मिलकी कृति कितनी थी? तो उसका उत्तर यह है कि
उसने जिस प्रकार अपने पूर्वक ग्रन्थकारोंके विचार पढ़कर और मननकर उनका
अपनी प्रचारपरम्परासे तादात्म्य कर लिया था, उसी प्रकार उन
कल्पनाओं या अंशोंका भी कर डाला था । अर्थात् मिसेस टेलरकी कल्पनाओं
या विचारोंको अच्छी तरह समझकर उन्हें सुगम रीतिसे लेखबद्ध करनेका
कार्य उसने किया था और इस विषयमें उसकी यही कृति थी । बालपनसे ही
उसको इस बातका अनुभव था कि मैं अपने मस्तकसे नवीन विचार
उत्पन्न करनेकी अपेक्षा दूसरोंके विचारोंको सर्वसाधारणके समझने योग्य सुगम
कर देनेका कार्य बहुत सफलताके साथ कर सकता हूँ । उसे खुद ही इस बातका
विज्ञास न था कि मेरा मस्तक न्यायशाला, आत्मग्राव और अर्थशाला आदि
तात्त्विक ग्रन्थोंको छोड़कर दूसरे विषयके ग्रन्थोंमें कुछ अधिक काम कर सकता
है । परन्तु इस बातको वह ज़ोरके साथ कहता था कि दूसरोंसे किसी विषयके
सौखनेकी शक्ति और उत्साह औरोंकी अपेक्षा मुझमें अधिक है । इसी

कारण वह समझता था कि कॉलरिज, कारलाईल आदिके गहन भाषामें श्रृंगे हुए बहुमूल्य विचारोंको बालक भी समझ सकें, ऐसी सरलतेसे सरल और सुगम-से सुगम रीतिखेप प्रकाशित करना मेरा कर्तव्य है । हां, उनमें जितना अंश अमर्पूर्ण या ग़्रलत हो, उतना निकाल डालना चाहिए । उसे इस प्रकारकी शिक्षा बालपनसे ही मिली थी । इसलिए उक्त विलक्षण-बुद्धि-शालिनी छाँखे जब इसका विचारसमागम बहुत ही धनिष्ठ हुआ तब उसने अपने लिए केवल यही कार्य शेष छोड़ा कि उसके विशाल मस्तकसे निकले हुए तत्त्वोंको समझकर उन्हें अपनी विचार-परम्परासे मिला देना और अपने तथा उसके विचारोंमें जो अन्तर हो उसको पूरा कर देना ।

‘न्यायशास्त्रपद्धति’, नामका ग्रन्थ मिलकी स्वतन्त्र रचना है । उसके रचनेमें उसे मिसेस टेलरसे कुछ भी सहायता नहीं मिली । परन्तु ‘अर्थशास्त्रके मूलतत्त्व’ नामक ग्रन्थकी रचनामें मिसेस टेलरने बहुत सहायता की थी । उसके जिस भागका सर्वसाधारणपर बहुत प्रभाव पड़ा उसे मिलने उसीके सुझानेपर लिखा था । इस भागमें मज़दूरोंकी भावी स्थितिका विचार किया गया है । अर्थशास्त्रका जो पहला मसविदा तयार किया गया था उसमें यह विषय न लिखा गया था । उसके कहनेसे ही मिलके व्यानमें यह बात आई थी कि इस विषयके बिना अर्थशास्त्र अधूरा रह जायगा और, प्रायः उसीके मुंहसे निकले हुए शब्दोंमें उसने इस भागको लिखा था । इसके सिवा मिलको इस विषयको अच्छी तरहसे समझनेकी सूखिं भी उसीके सुझानेदेखे हुई थी कि यद्यपि अर्थोत्पादनके नियम सृष्टिके नियमोंपर अवलम्बित हैं, तथापि अर्थविभागके नियम ऐसे हैं कि वे मनुष्योंकी इच्छापर अवलम्बित रहते हैं । इन दो प्रकारके नियमोंमें जो महत्वका भेद है उसे पहलेके अर्थशास्त्र-प्रणेताओंने जितना स्पष्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया था । हो सकता है कि उनकी समझमें ही यह अच्छी तरह न आया हो । क्योंकि उन्होंने इन दोनों नियमोंको एक दूसरेसे मिला कर गड़बड़ मचा दी है और ‘अर्थशास्त्रविषयक नियम’, नामक सामान्य नाम देकर छुट्टी पा ली है । इन सब बातोंका सारांश यह है कि उक्त ग्रन्थका जितना तात्त्विक भाग है वह तो मिलका है और उन तत्त्वोंकी जो व्यावहारिक योजना दिखलाई गई है वह मिसेस टेलरके मस्तकका प्रसाद है ।

‘स्वाधीनता’ मिलकी और उसकी छीकी संयुक्त सन्तान है । वह दोनोंही-

की संयुक्त कृति है । उसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसे दोनोंने एकत्र बैठकर कई बार सावधानीसे न पढ़ा हो, अनेक प्रकारसे जिसका विचार न किया हो और जिसके शब्दों तथा भावोंके बारीकसे भी बारीक दोष न निकाल डाले हों । इसीसे यद्यपि इस प्रन्थका अनित्त संशोधन नहीं हो पाया है, जैसा कि आगे कहा जायगा, तो भी रचना और भावोंकी दृष्टिसे वह उसके सारे प्रन्थोंका शिरोमणि समझा जाता है ।

स्वाधीनताकी रचनाके विषयमें इतना कहा जा सकता है कि उसमें जो विचारपरम्परा शब्दोंके द्वारा प्रथित हुई है वह सारीकी सारी मिलकी छीकी है । परन्तु ऐसा नहीं है कि उस विचारपरम्परासे मिलका कोई सम्बन्ध ही न हो । नहीं, उसी विचारपरम्पराका स्रोत मिलके हृदयमें भी बहता था । इसलिए अकसर दोनोंको एक ही साथ एकहीसे विचार सूझते थे । परन्तु हमें इस विषयका विचार करते समय यह न भूल जाना चाहिए कि मिलके हृदयमें जो स्रोत बहता था उसका भी कारण एक प्रकारसे उसकी छी ही थी । अभिप्राय यह है कि स्वाधीनतामें जो जो कल्पनायें और जो जो विचार हैं, उनमें मिलका अंश होनेपर भी वे उसकी गुणवत्ती छीके ही समझने चाहिए ।

विवाहित जीवनके कार्य ।

मिलके विवाहित जीवनकी, अर्थात् लगभग ७॥ वर्षकी, जो उल्लेखयोग्य बातें हैं उनका सार यह है:—

विवाह होनेपर मिलने अपने स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए इटली, सिसली और प्रीसमें लगभग छः महीने प्रवास किया । सन् १८५६में, ईस्ट इंडिया कम्पनीके आफिसमें, उसकी तरक्की हुई और जब सन् १८५८में कम्पनी टूट गई तब वह नौकरीसे जुदा होगया । सन् १८५६ से १८५८ तक ये दोनों छी-पुरुष ‘स्वाधीनता’ की रचनामें लगे रहे । मिलने इस प्रन्थको पहले सन् १८५४ में एक छोटेसे नियन्त्रके रूपमें लिखकर रख छोड़ा था; परन्तु जब वह सन् १८५५ की जनवरीमें रेमका प्रवास कर रहा था तब उसका एकाएक यह विचार होगया कि उसे बढ़ाकर प्रन्थका स्वरूप देना चाहिए । उसने इस प्रन्थकी रचना और संशोधनमें निःसीम परिश्रम किया । इतना परिश्रम उसने किसी और प्रन्थमें नहीं किया । जैसा कि उसका नियम था उसने इस प्रन्थको दोबार लिखकर रख छोड़ा; और, फिर, समय समयपर, निकालकर प्रत्येक वाक्य पढ़कर, अच्छी तरह विचार करके और परस्पर ऊहापोह करके उसका

संशोधन किया । इसके बाद उसने निर्णय किया कि सन् १८५८-५९ की हेमन्त ऋतुमें, जब दक्षिण यूरोपका प्रवास करूँगा, उसे एक बार फिर अच्छी तरह देख जाऊँगा । परन्तु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । फाल्स्टमें प्रवास करते समय मार्गमें ही उसकी प्यारी लीका कफ़ रोगसे देहान्त हो गया । स्वाधीनताका और संशोधन किरन हो सका ।

विद्योगी जीवन ।

अपनी अर्द्धाङ्गनीके मरनेपर वह अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करने लगा जिससे यह अनुभव होता रहे कि वह भेरे पास ही है—उसका विद्योग अधिक कष्टप्रद न हो । जहाँ लीकी समाधि थी उसके पास उसने एक झोपड़ी खड़ीद ली और प्रायः उसीमें वह अपनी समदुःखिनी लड़की (टेल रकी लड़की) के साथ रहने लगा । यह लड़की ही इस समय उसके सन्तोषका कारण थी । लड़की बड़ी गुणवत्ती और विनयवत्ती थी । मिलको वह किसी प्रकारका कष्ट न होने देती थी । गृह—सम्बन्धिनी सारी व्यवस्था वही करती थी । मिलकी स्वर्गीया पत्नीको जो जो बातें पसन्द थीं, निःसीम भक्तिमान् पुरुषके समान, वह उन्हींके अनुकूल आचरण करता था । इस विषयमें उसकी अवस्था वैसी ही हो गई थी जैसी कि धर्मपर विश्वास करनेवालोंकी होती है ।

स्वाधीनताका प्रकाशन ।

लीके मरनेपर मिलने अपने सबसे अधिक प्यारे और सबसे अधिक परिश्रमसे बनाये हुए स्वाधीनता नामक ग्रन्थको छपाकर प्रकाशित किया । परन्तु वह जैसा रखवा था वैसेका वैसा प्रकाशित किया । उसमें एक अक्षरका भी परिवर्तन करना उसने उचित न समझा । यथपि उसका अन्तिम संशोधन होना बाक़ी था, और यह बात कभी कभी मिलको खटकती भी थी; परन्तु ली-विद्योगकी उदासीनताके कारण उसका यह सिद्धान्त हो गया था कि मैं यदि अब यत्न करूँगा तो भी इस कभीको पूर्ण न कर सकूँगा । स्वाधीनताका समर्पण उसने अपनी लीको ही किया है । यह समर्पण बहुत विलक्षण है । मिलने उसमें अपनी लीकी पशंसुकी हृद कर दी है ।

स्वाधीनताकी उत्तमता और उपयोगिता ।

मिलके सब ग्रन्थोंमें, तर्कशास्त्रको छोड़कर, स्वाधीनता ही सबसे अधिक चिरस्थायीनी रचना है । क्योंकि इसमें उसके और उसकी लीके मानसिक विचारोंका

बंधोग दुखा है और एक महासिद्धान्तपर मानो यह एक सटीक गूँण-प्रन्थ बन गया है । वह महासिद्धान्त यह है,—“ अनेक स्वभावोंके मनुष्य उत्पन्न होने देना और उनके स्वभावोंको अनेक तथा परस्पर-विरुद्ध दिशाओंकी ओर बढ़ने देना व्यक्ति और समाज दोनोंके लिए हितकारी है । ” समाजमें इस समय जो बनाव-बिगाड़ हो रहे हैं—जो कानित हो रही है—उसकी ओर देखनेसे इस सिद्धान्तको और भी आविष्क दृढ़ता प्राप्त हो जाती है । जिस समय यह प्रन्थ प्रकाशित हुआ उस समय वे लोग जिन्हें अनुर्दिष्टि न थी—जो केवल उपर ही उपर देखते थे—कहने लगे कि वर्तमानसमयमें ऐसे प्रन्थकी आवश्यकता न थी । परन्तु वास्तवमें इस सिद्धान्तके प्रतिपादनका लोगोंके चित्तपर बड़ा प्रभाव पड़ा । और, पड़ना ही चाहिए । क्योंकि इस सिद्धान्तकी नीव बहुत गहरी है ।

जैसे जैसे सुधार होता जाता है तैसे तैसे सामाजिक समता और लोक-मतकी प्रबलता बढ़ती जाती है और इससे आचार-विचारकी समताका अत्याचारी जश्न मानव-जातिके कथेपर रखें जानेका भय रहता है । अर्थात् यह ढर हो जाता है कि कहीं सब लोगोंके आचार-विचार एकसे न हो जायें । क्योंकि एकसे आचार-विचारोंका होना मानवजातिकी उत्तरतिको रोकनेवाला है । जो केवल वर्तमान स्थितिका अवलोकन करनेवाले हैं—भविष्यकी बुराई भलाईको नहीं सोच सकते हैं—उन्हें इस प्रकारके भयकी कल्पना होना आश्वर्य-जनक माल्यम होगा । अर्थात् वे यह न समझ सकेंगे कि आचार-विचारकी समता भयप्रद क्यों है ? इससे मनुष्यजातिका क्या अकल्याण होता है ? उन्हें इस विषयमें आश्वर्य होना ही चाहिए । इस समय समाज और संस्थाओंमें बड़ी भारी कानित हो रही है । इससे यह काल नये नये विचारोंकी उत्पत्तिके लिये अनुकूल है और इस समय लोग नवीन विचारोंके सुननेमें भी पहलेके समान हठ नहीं करते हैं—उन्हें शौकसे सुनते हैं । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जब पुराने विचार और विश्वास डगमगाने लगते हैं और नवीन विचार आस्थिर रहते हैं, उस समय ऐसा होता ही है । इस कानितकालमें जिन लोगोंके मस्तकोंमें थोड़ी बहुत तेज़ी रहती है वे अधिकादा प्राचीन विचारोंको तो छोड़ देते हैं और जो शेष विचार रह जाते हैं उनके विषयमें उन्हें यह शङ्का रहती है कि न जानें ये स्थिर रहेंगे या नहीं । इसलिए उन्हें नवीन मर्तोंके सुननेकी बड़ी उत्कष्टा रहती है । ऐसी दशामें तो सचमुच ही एकसे आचार-विचारोंके होनेकी भीति नहीं रहती है । परन्तु

ऐसी स्थिति चिरकाल तक नहीं रहती । जब तक क्रान्ति-काल रहता है तभी तक रहती है । आगे क्या होता है कि धीरे धीरे किसी एक विचार-समुदायको लोग मानने लगते हैं—उसपर दड़ विश्वास करने लगते हैं—और किर उस विचार-समुदायके अनुकूल समाजिक संस्थायें बनने लगती हैं, तथा क्रम क्रमसे उसीका मण्डन करनेवाली शिक्षा पाठशालाओंमें भी दी जाने लगती है । परिणाम इसका यह होता है कि जिन प्रमाणोंसे पहले यह निश्चय किया गया था कि उक्त विचार-समूह पुराने विचारोंकी अपेक्षा अच्छा है उन प्रमाणोंको ही लोग एक प्रकारसे भूल जाते हैं । क्योंकि मनुष्य जिन विचारोंको निश्चित और निर्व्विनाशक समझने लगता है उनके प्रमाणोंकी ओर उसकी सहज ही उपेक्षा होने लगती है । और, ऐसा होते ही पुराने विचारों या मतोंके समान ये नवीन मत भी वेद-वाक्य बन जाते हैं और उन्हींकी सत्ता प्रबल होकर मनुष्यके विचारोंको सङ्कुचित करने लगती है—उनकी बाढ़ों रोक देती है । आचार-विचारोंकी समतासे इसी बातका बड़ा भारी भय रहता है ।

अब यह बात विचारणीय है कि इन नवीन विचारोंका भी ऐसा ही अनर्थकर परिणाम होगा या नहीं—अर्थात् ये वेद-वाक्य बन जावेंगे या नहीं? हमारी समझमें इसके होने न होनेका सारा दारोमदार मनुष्य-जातिकी बुद्धिपर है । यदि इस बातका ख़्याल रखता जायगा कि चाहे कोई नवीन मत हो, चाहे प्राचीन हो, उसपर विना पुष्ट प्रमाण मिले श्रद्धा न करनी चाहिए, तो उक्त अनर्थकारक परिणाम न होगा । और, यदि न रखता जायगा—जहाँ तक हम सौच सकते हैं, न रखते जानेकी ही सम्भावना अधिक है—तो उस समय स्वाधीनतामें प्रतिपादन किये हुए सिद्धान्तका अस्तित्व उपयोग होगा ।

स्वाधीनतामें नूतनत्व ।

यदि पूछा जाय कि इस ग्रन्थमें नयापन क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि जो सिद्धान्त सर्वज्ञत है— जिन्हें सब जानते हैं— उन्हींका इसमें विचार और विवेचनापूर्वक प्रतिपादन किया गया है । बस यही नयापन है । इसमें जिस मुख्य सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है, मनुष्य समाजमें वह बराबर स्थिर रहा है । ऐसा कभी नहीं हुआ कि मनुष्यजाति उसे सर्वथा भूल गई हो । इतना अवश्य है कि पहलेके अधिकांश समयोंमें थोड़ेसे विचार-शील लोगोंके चित्तोंमें ही उसका अस्तित्व रहा है । ‘पेस्टालोजी’ नामक प्रखिद्ध प्रन्थकर्त्ताकी विलक्षण बुद्धि और प्रयत्नसे जो शिक्षा और संस्कार-सम्बन्धी

विचार जागृत हुए हैं उनमें इस सिद्धान्तके स्पष्ट विन्द दीख पड़ते हैं। हम्बोल्ट साहबने तो इस सिद्धान्तके प्रचारका बीड़ा ही उठाया था। जर्मनीमें भी इस सिद्धान्तके माननेवालोंकी कमी नहीं रही है। उनमेंसे बहुतोंने तो व्यक्तिस्वातन्त्र्यकी और इस मतकी कि—“अपने नैतिक स्वभावको चाहे जिस ओर छुकानेका प्रत्येक मनुष्यको नैसर्गिक अधिकार है” एक प्रकारसे अतिशयोक्ति ही कर ढाली थी। इंग्लैण्डमें यदि देखा जाय तो स्वाधीनताके प्रकाशित होनेके पहले विलियम मेकालेने ‘व्यक्तिमाहात्म्य’ पर कई निबन्ध लिखे थे। और, अमेरिकामें तो वॉरन नामके एक पुरुषने ‘व्यक्तिसाम्राज्य’, की नीवपर एक नया पन्थ ही स्थापित किया था। उसने बहुतसे अनुयायी भी बना लिये थे। वह अपने अनुयायियोंका एक जुदा गांव ही बसाना चाहता था; परन्तु मालूम नहीं हुआ कि यह पन्थ रहा या नष्ट हो गया। मतलब यह कि मिलका वह सिद्धान्त, जिसका कि उसने स्वाधीनतामें प्रतिपादन किया है, विलकुल नया नहीं है। उसके पहलेके विदान् उसके विषयमें विचार करते आये हैं। परन्तु मिलकी विवेचन-पद्धति ऐसी उत्तम है—उसने इस सिद्धान्तको ऐसी उत्तमतासे समझाया है—कि उसकी शतमुखसे प्रशंसा करनी पड़ती है।

कुछ निबन्ध और दो ग्रन्थ ।

थोड़े दिन बाद मिलने ‘पारलियामेंटके सुधारसम्बंधी विचार’ नामक निबन्ध लिखकर प्रकाशित किया। इसमें उसने इस बातपर विचार किया है कि गुप्त रीतिसे मत (वोट) देनेकी चाल अच्छी नहीं है और जिन्हें थोड़े वोट मिलें ऐसे भी कुछ प्रतिनिधि पारलियामेंटमें रहना चाहिए। इसके पीछे उसने मासिक पत्रोंमें कुछ निबन्ध लिखे और अपने पहलेके लिखे हुए कुछ निबन्धोंको पुस्तकाकार प्रकाशित कराया। फिर, सन् १८६० और १८६१ में उसने दो ग्रन्थ और तैयार किये। पहला ‘प्रतिनिधिसत्ताक-राज्यव्यवस्था’ और दूसरा ‘विद्योंकी परतन्त्रता’। पहला ग्रन्थ तत्काल ही छपकर प्रकाशित हो गया। उसमें इस नवीन मतका प्रतिपादन किया गया है कि प्रतिनिधियोंकी विराट् सभामें कानून बनानेकी योग्यता बिल-कुल नहीं होती है। इस लिए इस कामके लिए उने हुए राजकार्य-चतुर विद्यानोंका एक ‘कमीशन’ रहना चाहिए और उनके निर्माण किये हुए कानूनोंको पास करने न करनेका काम प्रतिनिधि सभाको देना चाहिए। दूसरा ग्रन्थ तत्काल ही प्रकाशित न होकर सन् १८६९ में प्रकाशित हुआ। क्योंकि पहले

उसकी इच्छा थी कि उसमें समय समयपर संशोधन करके और उसे विशेष उप-योगी बनाकर प्रसिद्ध करेंगा । परन्तु पांछे वह बैसा न कर सका । इस प्रन्थमें खीजातिकी परतन्त्रताका बड़ा ही हृदयद्रवक चित्र खीचा गया है और यह बतलाया गया है कि खीजाति पुरुष-जातिसे शारीरिक, मानसिक आदि किसी भी शक्तिमें न्यून नहीं है । उसमें हर तरहके श्रेष्ठसे श्रेष्ठ कार्य करनेकी योग्यता है । परन्तु पुरुषोंने अपनी चिरकालीन स्वार्थपरताके कारण उसे केवल अपनी सुखसामग्री बना रखवा है । पुरुषोंको अब सदयहृदय होकर इस स्वार्थपरताको और इस अविचारितरम्य समझको छोड़कर कि खीजातिको दासी बनाये रखनेमें ही संसारका कल्पाण है, खियोंको स्वाधीनताकी स्वर्गायि सुधाका दान करना चाहिए । इस प्रन्थमें भी जो गम्भीरता और मर्मभेदकता है वह सब मिलकी गुणवत्ती खीका प्रसाद है ।

उपयोगिता-तत्त्व ।

इसके बाद मिलने 'उपयोगिता तत्त्व', नामक प्रन्थको छपवाकर प्रकाशित किया । उसने अपनी खीकी जीवितावस्थामें इस विषयके जो लेख लिखकर रख छोड़े थे उन्हींको एकत्र करके और उन्हींमें कुछ संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करके इस प्रन्थको तैयार किया था ।

अमेरिकाका युद्ध ।

उपयोगितातत्त्वके छपनेके पहले ही अमेरिकाका पारस्परिक युद्ध शुरू हो गया था । वहाके दक्षिण और उत्तरके राज्योंमें गुलामोंके सम्बन्धमें बहुत दिनोंसे कलह हो रहा था । यह बात मिलको अच्छी तरह मालूम थी । इस लिए उसने तत्काल ही ताड़ लिया कि यह युद्ध राज्योंके बीचमें नहीं, किन्तु स्वाधीनता और गुलामोंके बीचमें थाना है । परन्तु इंग्लैंडके ऊपरी ऊपरी हृषिवाले राजनीतिज्ञोंके ख्यालमें यह बात नहीं आई । उन्होंने यह समझ लिया कि गुलामोंका व्यापार करनेवाले दक्षिणी राज्य इस विषयमें निरपराधी हैं; और इसीलिए वे उत्तरीय राज्योंके विरुद्ध लेख लिखने तथा व्याख्यानादि भी देने लगे । उस समय इस बेसमझीको दूर करनेके लिए मिलने बहुत प्रयत्न किया और उसमें उसे थोड़ी बहुत सफलता भी प्राप्त हुई ।

हेमिल्टनके तत्त्वशास्त्रकी परीक्षा ।

इसके कुछ समय पीछे मिलने 'हेमिल्टनके तत्त्वशास्त्रकी परीक्षा' नामक

ग्रन्थकी रचना की उनमें समय सर तुहलियम हेमिल्टन एक प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ समाजों जाता है जिसके प्रबन्धी और १८६१ में उसके तत्त्वशास्त्र-विषयक व्याख्यान छपाकरों का शोध दुहरा हुए। इन्हीं व्याख्यानोंकी समालोचना करनेके लिए यह अच्छा मत है, गया। इस समय तत्त्वज्ञोंके दो दल हो रहे थे—एक उपजतुद्धि-विद्युत भौतिकी, दूसरा अनुभववादी। इनमेंसे हेमिल्टन पहले दलका और मिल के मन्त्री दूसरा अनुभववादी था। इन दोनों मतोंमें जो भेद है वह केवल काल्पनिक नहीं है। क्योंकि पहला मत सुधार और मानवीय उत्तरिके प्रतिकूल है और दूसरा अनुकूल है। जो बातें लड़ हो जाती हैं उनके विषयमें मनुष्योंका विश्वास बहुत ही दड़ हो जाता है। उन बातोंका उन्हें यहां तक अभियान हो जाता है कि वे उनके विरुद्ध किसी कार्यके करनेको मनुष्य-स्वभावके विरुद्ध शैतानोंका काम कहते हैं। इस प्रकारके विचारोंपर अनुभववादियोंका शब्द खूब चलता है। इनका सिद्धान्त है कि ज्ञान, विश्वास, मनोभाव आदि सबकी रचना अनुभव या अभ्याससे होती है। अभिप्राय यह है कि जिन जिन बातोंको हम लड़कपसरे अथवा बहुत समयसे अच्छी या बुरी समझने और मानने लगते हैं, अभ्यासके कारण हर्षे वही अच्छी या बुरी मालूम होने लगती हैं। इसलिए अनुभववादी कहते हैं कि इस प्रकारके मनोभाव अभ्याससे बदले जा सकते हैं और फिर इच्छित सुधार किया जा सकता है। उपजतुद्धिवादी इस बातको विलकुल नहीं मानते। उनका मत है कि मनोभाव आप ही आप उत्पन्न होते हैं। उनके होनेमें अनुभव या अभ्यासको अपेक्षा नहीं है। इसलिए वे किसी प्रकार बदले नहीं जा सकते हैं। इससे उपजतुद्धिया स्वाभाविक बुद्धिके विरुद्ध सुधार नहीं किया जा सकता है। उसके करनेका यत्न करना शैतानोंका काम है। इससे पाठक समझ सकते हैं कि मिलकी हेमिल्टनके विरुद्ध क्यों लेखनी उठनी पड़ी। हेमिल्टनके तत्त्वशास्त्रका पर्यावासन दैववादपर ही होता है—अन्तमें वह दैववादपर ही ठहरता है और वह मनुष्य-समाजको आलटी बनानेवाला है। पहले इस निष्पयोगी तत्त्वके विरुद्ध दो अन्य प्रकाशित हो चुके थे। एक तो मिलके पिता जेम्स मिलका “मनका पृथक्करण” और दूसरा बेन साहबका ‘मन’। अब मिलके इस तीसरे ग्रन्थके प्रकाशित होनेसे अनुभववादियोंका बल बहुत बढ़ गया। हेमिल्टनके दैववादको मिलकी निष्पक्ष किन्तु तेजस्विनी लेखनीने ढीला कर दिया। इस विषयमें उसे खासी सफलता हुई।

आगस्ट कास्टीके मतकी समालोचना ।

फ्रान्समें 'आगस्ट कास्टी' नामका एक तत्वबेत्ता हो गया है। इंग्लॅडकी प्रजा पहले इसके प्रन्थों या सिद्धान्तोंसे बिलकुल अनभिज्ञ थी। परन्तु इसके बहुतसे सिद्धान्त अच्छे और उपयोगी थे। इस लिए मिलने अपने लेखोंमें विशेष करके 'तर्कशास्त्र' नामक ग्रन्थमें उनकी खब ही प्रशंसा की थी। इस तरह मिलके ही द्वारा इंग्लॅडमें उसकी प्रासिद्धि हुई थी। यह प्रासिद्धि यहाँ-तक हुई कि लोग उसे उस युगका प्रथ्यात तत्वबेत्ता समझने लगे और इस श्रद्धाके वशवर्ती होकर बहुतसे लोग ^{३७८} इस सिद्धान्तोंके साथ साथ अमर्पूर्ण और अग्राह्य सिद्धान्तोंको भी मानन लगे। मिलने उस समय, जब कि कास्टी इंग्लॅडमें अपरचित था, उसके ^{३९१} प्रकाशित करना और दोषोंके विषयमें मौन रहना अच्छा समझा था। परन्तु अब, जब उसके अग्राह्य मतोंका भी प्रहण होने लगा, उससे चुप नहीं रहा गया और जिस तरह एक दिन कास्टी-की स्तुति करनेका भार उसने लिया था, उसी तरह अब उसकी योग्य समालोचना करनेका भार भी उसीको उठाना पड़ा। 'वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू' में उसने इस विषयमें दो निबन्ध लिखे और उनमें कास्टीके सिद्धान्तोंकी बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण समालोचना की। इसमें उसने कास्टीके सिद्धान्तोंका इतिहास, उनका महत्व उनकी उत्तमता-अनुत्तमता आदि बातोंका पक्षपातरहित होकर प्रतिपादन किया। कुछ समय पीछे ये निबन्ध पुस्तकाकार भी प्रकाशित किये गये।

तीन ग्रन्थोंके सस्ते संस्करण ।

इंग्लॅडके मज़दूरोंने मिलके कई ग्रन्थोंपर मुग्ध होकर उससे प्रार्थना की कि आप अपने अमुक अमुक ग्रन्थोंको जितने सस्ते हो सकें उतने सस्ते करनेकी कृपा कीजिए। तदनुसार उसने सम् १८६५ में अपने 'अर्थशास्त्र', 'प्रतिनिधि-सत्ताक राज्यपद्धति' और 'स्वाधीनता' इन तीन ग्रन्थोंके सस्ते संस्करण छपाकर प्रकाशित किये। ये तीनों ही ग्रन्थ मज़दूरोंकी समझमें आने योग्य सुगम और उपयोग थे। इन आवृत्तियोंके मूल्यमें मिलने बिलकुल मुनाफ़ा नहीं रखता। सब ग्रन्थ लागतके दामोंपर बेचे गये। यद्यपि इस कार्यमें आर्थिक दृष्टिसे मिलको बहुतसी हानि उठानी पड़ी; परन्तु इन सस्ते संस्करणोंके प्रकाशित होनेसे उक्त ग्रन्थोंकी इतनी प्रासिद्धि हुई कि आगे उक्त ग्रन्थोंके प्रकाशक उसे अपने मुनाफेका कुछ हिस्सा खुशीसे देने लगे।

पारलियामेंटकी भेष्टरी ।

वेस्ट मिनिस्टरके लोगोंने, सन् १८६५ में, मिलसे प्रार्थना की कि आप हमारो औरसे पारलियामेंटकी भेष्टरीकी उम्मेदवारी कीजिए ।

इसके दशवर्ष पहले आयोलेडकी औरसे भी इसी प्रकारका आमंत्रण आया था । क्योंकि उस समय वहांकी भूमिके सम्बन्धमें एक उलझनका प्रश्न खड़ा हुआ था । उसके विषयमें मिलका मत उनके बिलकुल अनुकूल था और वहके अगुआ उसे पसन्द भी करते थे । परन्तु उस समय मिल इस आमंत्रणको स्वीकार न कर सका था । क्योंकि उस समय वह ईस्टइण्डिया कम्पनीकी नौकरी करता था । उसके पास इस कार्यके लिए समय न था ।

जब सन् १८५८ में मिल नौकरीसे अलग होगया तब उसके मित्रोंकी प्रबल इच्छा हुई कि वह पारलियामेंटमें प्रवेश करे । परन्तु उसका पारलियामेंटका सभासद होना एक प्रकारसे असम्भव ही था । क्योंकि एक तो उसके विचार और विश्वास लोगोंको बिलकुल पसन्द न थे और दूसरे वह किसी पक्षका आङ्गाकारा न होना चाहता था । अब रहा बहुतसा धन खर्च करके इस कार्यको सिद्ध करना, सो इसे वह अन्याय समझता था—इससे उसे बहुत ही पृष्ठा थी । उसका यह मत था कि चुनावके कार्यमें जो कुछ उचित खर्च हो उसे या तो सरकारको करना चाहिए या स्थानीय स्थूनीसिपालिटियोंको । उम्मेदवारोंके जो पृष्ठपोषक या सहायक हों उन्हें चाहिए कि वे विना कुछ लिये दिये उनके गुणोंको चुननेवालोंके सामने प्रगट करें अथवा ज़रूरत हो तो इसके लिए वे अपनी खुशीसे कुछ चन्दा एकड़ा कर लें । परन्तु यह हरगिज़ न होना चाहिए कि सार्वजनिक कार्योंका भार लेनेके लिये किसीको अपनी गांठके फैसे खर्च करना पड़े । ऐसा करना एक प्रकारसे सभासदीकी खरीद करना है । जो मनुष्य ऐसी खरीद करता है वह मानो यह प्रगट करता है कि मैं सार्वजनिक बुद्धिसे नहीं, अपने किसी स्वार्थों सभासद होता हूँ । इस खरीदीकी पद्धतिसे सबसे अधिक हानि यह होती है कि धनवान् किन्तु शुग्हीन उम्मेदवार तो विजयी हो जाते हैं, पर शुग्हवान् किन्तु धनहीन अबवा धन खर्च न करनेवाले पीछे रह जाते हैं । और इससे क़ानून बनाने वाली सभा जितनी ज़ोरदार होनी चाहिए उतनी नहीं होने पाती । वह अक्सर कहा करता था कि धन खर्च करके एम॰ पी॰ बननेकी अपेक्षा तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मन्य लिखकर लोगोंका उपकार करता हूँ ।

मिलके इस प्रकारके विचारोंसे उसके मित्रोंकी इच्छा बहुत दिनों तक पूरी न हुई ।

परन्तु अबकी दफे (सन् १९६५ में) वेस्ट मिनिस्टरले उसके पीछे पढ़ गये । वे उसपर मुग्ध होकर यहां तक कहने लगे कि आपका नाम बैगरह सब हर्षी सूचित करेंगे आपको इसके लिए कोई प्रयत्न न करना पड़ेगा । तब मिलने इस ख्यालसे कि पीछे के लिए कोई शंक्षण न रह जाय अपने जो जो विचार और सिद्धान्त थे, उन्हें साफ साफ शब्दोंमें लिखकर दे दिये और यह भी लिख दिया कि मैं न तो बोट एकदे करने और खर्च करनेके प्रवृत्तमें पड़ूँगा और न इस बातका ही वचन दे सकता हूँ कि सभासद होनेवर मैं स्थानीय बातोंके विषयमें कुछ प्रयत्न करूँगा । उन लोगोंके कई प्रश्नोंके उत्तर देते हुए उसने एक जगह अपना यह मत भी प्रगट कर दिया कि पुरुषोंके समान स्त्रियोंको भी बोट देनेका और सभासद होनेका अधिकार होना चाहिए ।

चुनाव करने वालोंके सामने इस तरह स्पष्टतासे अपने मत प्रगट करना मिल-का ही काम था । इसके पछले किसी भी उम्मेदवारने ऐसी निस्युहता प्रदर्शित न की थी । इतनेपर भी वह वेस्ट मिनिस्टरकी ओरसे पारलियामेंटका मेम्बर हो गया । उस समय किसीको स्वप्रमें भी यह ख्याल नहीं था कि ऐसा स्वष्टवक्ता राष्ट्रीय-सभाका सभासद हो जायगा । इस विषयमें एक प्रसिद्ध प्रस्थ-कर्ताने तो यहां तक कह डाला कि इतना स्पष्टवादी और निस्युह बनकर यदि सर्वशक्तिमान ईश्वर भी चाहता तो इंग्लॅंडकी पारलियामेंटका मेम्बर न बन सकता ।

इस चुनावके समय मत देनेवालोंकी ओरसे जो जो प्रस्तुत होते थे, उनके वह निर्भय होकर खूब साफ साफ उत्तर देता था । यद्यपि इसके उत्तर लोगोंको सूचिकर नहीं हुए, तो भी उसकी स्पष्टवादिताका उनपर आशातीत प्रभाव पड़ा और इससे उसे बहुत लाभ हुआ । इसका उदाहरण सुनिये—

उसने अपने किसी एक निबन्धमें पहले कभी लिखा था कि “ यद्यपि शूठ बोलनेमें इंग्लॅंडके मजदूरोंको औरोंकी अपेक्षा कुछ अधिक लज्जा मालूम होती है, तथापि वे बहुधा शूठ बोलनेवाले ही होते हैं । ” जब वह मजदूरोंकी एक सभामें व्याख्यान दे रहा था, तब किसीने उसके निबन्धका उक्त अंश छपाकर सारे मजदूरोंमें बांट दिया । उसे पढ़कर किसी मजदूरने पूछा कि क्या आपने अपने किसी निबन्धमें ऐसा लिखा था ? मिलने किसी प्रकारकी टालदूल

किये विना तत्काल ही उत्तर दिया—हाँ मेरा ऐसा ही विचास है और उसीको मैंने अपने निबन्धमें लिखा है। यह सुनते ही श्रोताओंने एक साथ अगणित तालियोंका शब्द किया। उस समय उम्मेदवार अकसर यह चाल चला करते थे, कि जो आत मत देनेवालोंके अनुकूल न होती थी—उन्हें अप्रसन्न करनेवाली होती थी—उसके विषयमें ने लुड़कता हुआ या दुटप्पा उत्तर देते थे। जब मज़दूरोंने देखा कि मिल उस चालका आदमी नहीं है—वह साफ़ साफ़ कहनेवाला है तब वे चिन्होंके बदले उच्छ्वास करते हो गये। व्याख्यान समाप्त होनेपर उनमें से एकने कहा—“हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे दोष न प्रगट करे। हम यथार्थवक्ता भित्र चाहते हैं, खुशामदख्ले और चापलखी करनेवाले नहीं। हम आपके कुत्तज्ज हैं जो आपने हमारे विषयमें अपने विचार साफ़ साफ़ प्रगटकर दिये”। यह सुनकर लोगोंने फिर तालियां बजाकर प्रसन्नता प्रगट की।

इस प्रकार विजयी होकर मिल पारलियामेंटका भेष्टर होगया और लगातार तीन वर्षतक इस पदपर बना रहा। इन तीन वर्षोंमें जो पारलियामेंटके सुधारका शिल पेश हुआ उसका खूब आन्दोलन हुआ और बहुत वादविवादके पश्चात् अन्तमें वह पास हो गया। इस अरसेमें पारलियामेंटमें इसके बहुतसे व्याख्यान हुए। यद्यपि इसकी चक्रत्व-शक्ति बहुत अच्छी न थी तो भी वह जो कुछ कहता था, सप्रभाण कहता था। उसकी दलीलें बहुत मज़बूत होती थीं। ग्लैडस्टन साहबने उसकी दलीलोंकी बहुत प्रशंसा की है। सुधारके कानूनका जो मसविदा उक्त ग्लैडस्टन साहबने पेश किया था उसपर उसके बड़े मार्मिक व्याख्यान हुए थे और उनका असर भी अच्छा पड़ा था। फैसीकी सजा बिलकुल उठा देना ठीक नहीं है। दूसरोंके जहाजोंपर भी बरामद हुआ शत्रुका माल ज़म करना चाहिए। व्यक्तिके गुणोंको देखकर मत देनेका आधि कार देना चाहिए—धन वैभव देखकर नहीं। इत्यादि विषयोंपर जो उसके कई व्याख्यान हुए वे उस समयके सुधारकोंको भी पसन्द न आये। जिस सुधारके विषयमें बहुत कम लोग कुछ कहनेके लिये तैयार होते थे, अर्थात् जो पक्ष अच्छा होकर भी बलहीन होता था, मिलका कुछ ऐसा स्वभाव ही था कि वह उसी पक्षको लेता था और उसीका खूब साफ़ साफ़ शब्दोंमें प्रतिपादन करता था। जिस समय आयर्लैंडके एक सभासदने आयर्लैंडके अनुकूल एक बिल पेश किया, उस समय उसका अनुमोदन सबसे पहले मिलहीन किया। यह बिल-

इंगलैंड और स्काटलैंडके लोगोंको इतना नापसंद था कि उनमेंसे केवल 'चार ही सभासदोंने उसके अनुकूल मत दिया था । मिलका पांचवाँ मत था ।

मिलने अपने 'प्रतिनिधिसत्ताक-राज्यपद्धति' नामक ग्रन्थमें एक जगह लिखा था कि "टोरीपक्षको हमेशासे ऐसे ही (मूर्ख) लोग मिलते रहे हैं और आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे । अर्थात् यह हमेशा महामूर्खोंका ही पक्ष रहेगा ।" एक बार टोरीपक्षके एक मुखियाने मिले उक्त वाक्योंका उल्लंघन करनेका प्रयत्न किया । परन्तु जनावरको लेनेके देने पड़ गये । मिलका निहतर होना तो दूर रहा उस दिन टोरीपक्षकी ऐसी मिट्ठी पर्लांद की गई कि उस दिनसे उसका नाम ही 'मूढपक्ष' पड़ गया और वह बहुत वर्षोंतक प्रचलित रहा ।

जिस समय ग्लैडस्टन साहबका सुधारसम्बन्धी विल पेश हुआ उस समय मिलने 'मज़दूरोंको मत देनेका अधिकार मिलना चाहिए' इस विषयमें एक बड़ा ही जोशीला व्याख्यान दिया ।

इसके कुछ दिन पैठे मज़दूरोंने निश्चय किया कि इस विषयमें लंदनके 'हाइडपार्क', नामक विशाल चौकमें एक विराट सभा करनी चाहिए । उस समय टोरी-प्रधानमंडल अधिकारारूढ़ था । उसने पुलिसके द्वारा इस बातका प्रबन्ध किया कि यह सभा न होने पावे । इससे मज़दूर लोग चिढ़ गये और पुलिससे उलझ पड़े । मारपीट शुरू हो गई । बहुतेसे निरपराधियोंको मार खानी पड़ी । उस समय तो सभा न होने पाई, परन्तु मज़दूरोंने कुपित होकर यह निश्चय किया कि अख-शब्दसे सुसज्जित होकर किर सभा करनी चाहिए । उधर प्रधानमंडलने फौजी अफसरोंको आज्ञा दी कि यह सभा हरणिज़ न होने पावे । लोगोंको भय हो गया कि अब शान्ति रहना कठिन है । कोई न कोई भयङ्कर अनर्थ हुए विना न रहेगा । मिल पारिलियोमेंटमें मज़दूर पक्षकी ओरसे बोला करते थे । इसलिये उनसे प्रार्थना की गई कि आप मध्यस्थ बनकर इस उपद्रवको शान्त करा देवें—मज़दूरोंको समझा देवें—कि वे अपनी सभा हाइडपार्कमें नहीं, कहीं अन्यत्र करनेका प्रयत्न करें । उसके साथ साथ 'राडिकल', पक्षके और भी कई सभासदोंसे इस झगड़ेमें मध्यस्थ बननेके लिए कहा गया । यद्यपि मज़दूरोंके जो अगुवे थे वे समझदार थे, इसलिये आज्ञाके विरुद्ध चलना उन्हें पसन्द न था; परन्तु सामान्य मज़दूर इसने चिढ़ गये थे कि उन्हें इस विषयमें किसीकी बात सुनना भी पसन्द न था । ऐसे

^१ इससमय इस 'कन्मरविटिपक्ष' कहते हैं ।

कठिन समयमें मिलने उनसे जाकर कहा—“ भाइयो, सरकारी फौजके साथ युद्ध करना दो अवस्थाओंमें ठीक हो सकता है—एक तो बलवा करने योग्य राज्यकी अव्यवस्था हो और दूसरे अपने पास कमसे कम इतनी तैयारी हो कि बलवा किया और उसमें विजय प्राप्त हो । यदि तुम समझो कि राज्यकी व्यवस्था ठीक नहीं है और हमारी तैयारी भी पूरी पूरी है तो बेशक बलवा कर डालो; मैं नहीं रोकता । ” यह मार्मिक वचन सुनकर मज़दूरोंकी बुद्धि ठिकाने आर्गई । उन्होंने कानूनके विरुद्ध चलनेका विचार छोड़ दिया । उस समय मिलको छोड़कर मज़दूरोंपर जेनका कुछ वज़न पड़ा था ऐसे केवल दो ही मनुष्य थे—एक ग्लैडस्टन और दूसरा ब्राइट । परन्तु ग्लैडस्टन लिवरल पक्षका अमुआ था, और लिवरल पक्ष उस समय आधिकारच्युत था । इसलिए वह तो कुछ कह नहीं सकता था, रहा ब्राइट, सो वह उस समय लन्दनमें न था ।

जब आयर्लैंडका भूमिसम्बन्धीय चिल पारलियामेंटमें दो तीन बार पेश-होनेपर भी पास नहीं हुआ, तब आयर्लैंडमें बड़ी गड़बड़ मच गई । आयरिश लोग कहने लगे कि हम इंग्लैंडसे विलकुल जुदा होंगे । ऐसे लक्षण देख पड़ने लगे कि, यदि जमीदारों और किसानोंके सम्बन्धमें सुधार न किए जायेंगे तो वह देश किसीकी कुछ सुनेगा ही नहीं । यह प्रसंग देखकर मिलने, सन् १८६८ में, ‘इंग्लैंड और आयर्लैंड’, नामका एक निबन्ध लिखकर प्रकाशित किया । यह निबन्ध बहुत ही स्पष्टता और निर्भकितासे लिखा गया । उसमें मुख्यतासे यह प्रतिपादन किया कि—“ यह कोई नहीं चाहता कि इन दोनों देशोंका सम्बन्ध दूर हो जाय । इस समय जो किसान हैं उनसे ज़मीनका महसूल क्या लिया जायगा, यह सदाके लिये ठहरा देना चाहिए और उन्हें स्थायी किसान बना देना चाहिए । इस तरह ज़मीदारों और किसानोंका कङड़ा मिटा देना चाहिए ” यह निबन्ध आयर्लैंडके लोगोंको छोड़कर और किसीको पसन्द न आया । उस समय उसका कुछ भी फल न हुआ । मिलने भी उसे तात्कालिक फलके लिए न लिखा था । उसने उसे भविष्यकी आशा रखकर इस कहावतके अनुसार लिखा था कि “यदि हक्से बहुत मांगा जाय तो थोड़ा तो मिलता ही है ।” हुआ भी यही । सन् १८७० में जो ग्लैडस्टनसाहबका इसी विषय—सम्बन्धीय चिल पास हुआ उसका कारण कुछ अंशोंमें यही निवन्ध था । अंग्रेजलोगोंका प्रायः यह स्वभावसा पड़ गया है कि वे मायमप्रेरणाके नियमको ही जल्दी मंजूर करते

। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह नियम मध्यम श्रेणीका है । जब-तक उनके सामने कोई बहुत उच्च श्रेणीकी बात नहीं लाई जाती तब तक उस विषयकी चाहे जितनी सामान्य बात क्यों न हो उन्हें बड़ी दिखती है । इसलिए आदि किसी विषयमें उनकी अनुकूलताकी ज़रूरत हो, तो उनके सामने पहले उसकी अपेक्षा अधिक बड़े विषयका हौआ खड़ा करना चाहिए । ऐसा करनेसे और अपनी स्वाभाविक चिंड़कों तो उस बड़े हौआपर निकाल लेंगे और सामान्य विषयको ऊपरको स्वीकार कर लेंगे । आयलेडके भूमि-सम्बन्धी प्रश्नके विषयमें भी यही बात हुई । मिलने अपने निबन्धमें जो बात लिखी थी, वह तो अंग्रेजोंको बहुत बड़ी मालूम हुई, परन्तु उसकी अपेक्षा किंचित् ही छोटी ग्लैडस्टन-के विलकी बात उन्हें सामान्य मालूम पड़ी । इसलिए उन्होंने उसे सन् १८७० में स्वीकार कर ली ।

इसी अरसेमें मिलने एक और भी सार्वजनिक कार्य किया और इससे उसकी बहुत कीर्ति हुई । जमैका नामका एक टापू अंग्रेजोंके अधिकारमें है । वहाके निवासी हवशी कहलाते हैं । उन्होंने सरकारी जुलमसे तंग आकर बलवा कर दिया और उसकी सज़ा उन्हें यह दी गई कि वहांके गवर्नरसाहबने उनमेंसे सैकड़ों निरपराधी मनुष्योंको अपनी सेनाके द्वारा तमाम करवा दिया ! इतनेहीसे इस अन्यायकी समाप्ति न हुई । बलवा शान्त हो जानेपर पुरुष ही नहीं, अबला ज़ियातक चाबुकोंपे पिटवाई गई और जिन ईंगलेडनिवासियोंने पहले गुलामी उठा देनेका पक्ष लिया था उन्होंने गवर्नरसाहबके इस पाशाविक अत्याचारका अनुमोदन किया ।

इसके कुछ दिन पीछे जब कुछ लोगोंको इस नृशंस कृत्यसे दुःख हुआ तब उन्होंने 'जमैका कमेटी', नामकी एक सभा स्थापित की । इसमें हर्बर्ट स्पेन्सर, ब्राईट आदि बहुतसे दयालु पुरुष शामिल हुए । मिलने भी इस संस्थामें योग देना उचित समझा । इस प्रयत्नका उद्देश केवल यही न था कि ग्रीव प्रजाको न्याय मिले, किन्तु उसके साथ एक महत्वका काम यह भी था कि जो उपनिवेश ब्रिटिश सरकारके अधिकारमें है उनपर न्यायपूर्वक राज्य किया जाय, या वहांके गवर्नरोंकी इच्छानुसार नादिरशाही ही चलने दी जाय । पहले इस कमेटीका सभापति एक दूसरा पुरुष था; परन्तु उसे कमेटीका यह विचार पसन्द न आया कि जमैकाके गवर्नरपर सुकदमा दायर किया जाय इसलिये वह जुदा हो गया और मिलको एकाएक कमेटीका सभापति बनना पड़ा । वस्तु फिर

क्या था, पारलियमेंटमें जो गवर्नरके पक्षके सभासद थे वे उसको लक्ष्य करके ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे वह चिढ़े। परन्तु वह इसकी कुछ भी परवा न करता था और शान्तिसे उनका जैसा चाहिए वैसा उत्तर देता था। 'जमैका कमेटी'ने जुदा जुदा कवचित्योंमें बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु अनित्तम न्याय ज्यूरियोंके कैमलेपर अवलम्बित था और ज्यूरी मध्यम श्रेणीके लोगोंमें से चुने गये थे-वे निष्पक्ष न थे। इसलिए उसे जैसी चाहिए वैसी सफलता न हुई। लोगोंकी साधारण समझ यही थी कि चेचारी हवर्डा प्रजापर अपने यहांके गोरे गवर्नरने यदि जुन्म भी किया हो, तो भी उसपर कौजदारी मुकदमा चलाना ठीक नहीं है। परन्तु मिलने अपने प्रयत्नसे यह सिद्ध करके दिखला दिया कि इंग्लैंडमें ऐसे लोगोंकी भी कमी नहीं है जो दुर्वल और अनाथ प्रजापर भी किये हुए अन्यायको नहीं सह सकते हैं और इस तरह उसने अपने देशकी बहुत कुछ लाज रख ली। इस मामलेमें यद्यपि ज्यूरियोंने गवर्नर और उसके आज्ञाकारी साथियोंको अपराधी नहीं ठहराया; परन्तु चार्फाकस्टिस (न्यायाधीश) ने जब ज्यूरियोंके सामने सारे मुद्रतोंका सार पेश किया, तब साफ़ साफ़ कह दिया कि वास्तवमें कानून वैसा ही है जैसा जमैकाकमेटी (वादी) कहती है। यद्यपि गवर्नर साहबको कोई प्रत्यक्ष दंड नहीं मिला—इलजामसे वह बरी हो गया, तो भी इस बातका अनुभव उसे अच्छी तरहसे होगया कि इस मामलेमें जो तकलीफ़ और खँच मुझे उठाना पड़ा है, वह किसी सजासे कम नहीं है।

जिस समय यह मुकदमा चल रहा था, उस समय मिलके नामसे बहुतसे गुमनाम पत्र आया करते थे। किसीमें गालिया लिखी रहती थीं, किसीमें अश्वील चित्र बने रहते थे, किसीमें असन्य उपहासकी बातें लिखी रहती थीं और किसी किसीमें यहांतक धमकी लिखी रहती थी कि तुम्हे जानसे मार डालेंगे। ये पत्र इस बातके निर्दर्शक थे कि, इंग्लैंडमें जो बहुतसे नरपश्च रहते हैं। उन्हें जमैकाके जुन्मका कितना पक्ष है। इसलिए मिलने अपने संग्रह-में उनमेंसे बहुतसे पत्र रख छोड़े।

पारलियामेंटमें जब डिखायली साहबका सुधारका चिल पेश हुआ, तब मिलने उसपर एक लम्बा चाँड़ा और ज़ोरदार व्याख्यान दिया। साथ ही प्रतिनिधि-राज्यव्यवस्थामें जो अतिशय महत्वके सुधार होने चाहिये, उनके विषयमें दो मूँचनाये उपस्थित कीं। एक तो यह कि बोट देनेवालोंको उनकी संस्थाके अनुसार प्रतिनिधि चुननेका अधिकार देना चाहिए और दूसरी यह कि बियोको

भी बोट देनेका अधिकार मिलना चाहिए । इनमें यथापि पहली सूचनाहोके विषयमें थोड़ी बहुत सफलता हुई दूसरीके विषयमें बिलकुल नहीं हुई, तो भी यह जानकर न केवल उसके प्रतिपाद्धियोंको ही, किन्तु उसे भी, बड़ा भारी आश्र्य हुआ कि उसका (ख्रियोंको बोट देनेके अधिकार सम्बन्धी) दूसरी सूचनाके सफल होनेकी बहुत कुछ आशा हो गई और जब उसके व्याख्यानके प्रभावसे इस विषयके विरोधी 'ब्राइट' साहब भी उसके अनुकूल हो गये तब तो वह आशा बहुत ही ढढ हो गई ।

मेम्बरीके समयके दूसरे कार्य ।

इस समय मिलकी दूर दूर तक व्याप्ति हो गई थी । वह एक प्रसिद्ध तत्व वेत्ता और अर्थशास्त्रका पण्डित गिना जोन लगा था । इस लिए अकसर उसके पास दूर दूरसे पत्र आया करते थे । उन पत्रोंमें अनेक प्रकारके प्रश्न और सूचनायें रहती थीं । बहुतसे पत्र ऐसे भी आते थे जिनमें सिक्केमें कुछ सुधार करके सारे संसारको सुखी और सम्पत्तिमान करनेकी उथली शुक्लिया लिखी रहती थीं । इनमेंसे उन पत्रोंका वह सविस्तर उत्तर देता था जिनसे जिज्ञासुओंकी शङ्कुओंका समाधान हो जाय और उन्हें कुछ लाभ हो । परन्तु पीछे पीछे यह क्षगड़ा बहुत बढ़ने लगा । तब उसे बहुत ही परिभित उत्तर देनेके लिये लाचार होना पड़ा । इतनेपर भी उसके पास बहुतसे महत्वपूर्ण पत्र आते रहे और वह उनका यथोचित उत्तर भी देता रहा । बहुतसे पत्र ऐसे भी आते थे जिनमें उसके ग्रन्थोंकी दृष्टिदोष आदिसे रही हुई अशुद्धियोंकी सूचनायें रहती थीं । इसके सिवा उन दिनों वह पारलियामेंटका सभासद था, इसलिए जिसके जीमें आता वही पत्रके द्वारा अपना रोना इसके आगे रोया करता था । परन्तु यह बात बहुत ही उल्लेख योग्य है कि वेस्ट मिनिस्टर वालोंने अपने बचनकी पूरी पूरी पालना की । उन्होंने उससे कभी किसी विषयमें आग्रह नहीं किया कि आप अमुक विषयकी चर्चा पारलियामेंटमें करें ही । वहांवालोंने इस प्रकारके पत्रादि लिखकर भी कभी उसको तड़प नहीं किया । यदि किसीने कभी कुछ लिखा भी, तो यही कि "मेरी सिफारिश करके नौकरी लगवा दीजिए" और इसका उसे उत्तर दिया गया कि मैं यह संकल्प करके सभासद हुआ हूं कि प्रधानमंडलसे कभी किसीकी सिफारिश नहीं करूँगा ।

जबतक मिल पारछियामेंटका भेज्वर रहा तबतक उसे केवल छुट्टीके समय लेखादि लिखनेका अवकाश मिलता था । इस अवकाशमें उसने केवल दो निबन्ध लिखे:—एकतो—‘इंग्लेड और आयलैंड’ नामका, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है और दूसरा ‘ठेटो’के सिद्धान्तपर । इसके सिवा जब उसे स्कॉटलैंडके सेट एण्ड्रयूज नामके विष्वविद्यालयने अपना रेक्टर चुना तब उसने एक समयोचित और सारगमित व्याख्यानकी भी रचना की । उच्चशिक्षा किस प्रकारसे देनी चाहिए, उसमें कौन कौनसे विषय आने चाहिए, किस निक्षिक्षापद्धति उपयोगी है, इत्यादि बातोंपर आजतक उसने जो कुछ सिद्धान्त निश्चित कर रखकर थे, इस व्याख्यानमें उनका पूरा पूरा विवेचन किया । शास्त्रीय विषय और प्राचीन भाषायें सुशिक्षा और सुसंस्कारके लिए कितनी आवश्यक हैं, यह भी उसने अच्छी तरहसे समझा दिया ।

नये चुनावमें असफलता ।

जिस पारलियामेंटने सुधारका कानून पास किया था—वह सन् १८६८ की वर्षाङ्कतुमें हट गई और फिरसे नया चुनाव किया गया । इस चुनावके समय मिलको वेस्ट मिनिस्टरमें सफलता प्राप्त न हुई । उसे वेस्टमिनिस्टरवालोंने नहीं चुना । परन्तु इससे मिलको कुछ आश्वर्य न हुआ । क्योंकि उसके जैसे स्वर्तंष्र विचारोंका मनुष्य पहले एक बार चुन लिया गया था, यही बड़े आश्वर्यकी बात थी ।

अबकी दफ़े मिलके प्रतिपक्षियोंने बड़ा जोर बांधा । पहली दफ़े जो कन्सर-वेटिव इसके अनुकूल अथवा मध्यस्थ थे, वे भी इस दफ़े उसके विरुद्ध हो गये । मिलने अपने एक प्रन्थमें प्रजासत्ताक राज्यपद्धतिके कुछ दोष दिखलाये थे, इसलिए पहली दफ़े उन्हें विश्वास हो गया था कि यह सभासद होनेपर प्रजापक्षके विरुद्ध अवश्य बोलेगा और इससे हमारे पक्षकी पुष्टि होगी । परन्तु पीछे उन्हें इस विषयमें धोर निराशा हुई इससे उन्होंने इससे बिलकुल सम्बन्ध छोड़ दिया ।

अब रहा लिबरलदल । अबके इस दलकी ओरसे उसे बोट मिलना चाहिए थे; परन्तु उन्होंने भी इसे पसन्द न किया । क्योंकि वह देख चुका था कि जिन सुधारोंका पोषक कोई भी नहीं होता है—अर्थात् जिन्हें सुधार-प्रिय लिबरलदल भी गलेसे नीचे नहीं उतार सकता है, उन्हींका पक्ष लेकर यह

लड़ता है । बहुतसे लिंबरलोंको इसका जमैकाके गवर्नरके विरुद्ध लड़ना भी बुरा लगा था । इसके सिवा उसने सबसे बड़ा अपराध यह किया था कि भारत-हिंतेशी ब्राडला साहबके चुनावमें आर्थिक सहायता दी थी । ऐसे घोर नास्ति-कको सहायता ! ऐसी बात कैसे बरदास्त हो सकती थी ? गरज़ यह कि लिंब-रल भी उससे उदासीन हो गये ।

मिं ब्राडला मज़दूर-दलकी ओरसे उम्मेदवार हुए थे । मिलने एक तो प्रायः सभी मज़दूर-दलके उम्मेदवारोंको सहायता दी थीं; दूसरे ब्राडलाका व्याख्यान सुनकर उसे विश्वास हो गया था कि वे दुःखिमान हैं, निष्पक्ष हैं, लोगोंकी प्रस-नता अप्रसन्नताकी ओरसे लापरवा हैं, मात्यसके प्रजाशृद्धिविरुद्ध-सिद्धान्तको वे पसन्द करते हैं और लोकमतके विरुद्ध कहनेका उनमें सहास है । इस कारण उसने उनकी सहायता करना अपना कर्तव्य समझा । इसी सहायतासे मिल सबकी आंखोंका शूल हो गया । टोरीपक्षालोने तो मिलका चुनाव न होने पावे, इसके लिए अपना बहुतसा रुपया खर्च करनेमें भी संक्षेप न किया । इस तरह मिलको इस दूसरे चुनावमें पराजित होना पड़ा ।

शेष जीवन ।

वेस्ट मिनिस्टरमें मिलकी हार हुई । यह सुनकर उसके पास तीन चार स्थानोंस और भी आमंत्रण आये कि तुम हमारे यहांकी उम्मेदवारी करो । परन्तु उसने सोचा कि इस झंझटसे छुट्ठी पानेका यह बहुमूल्य अवसर आ मिला है—इसे अब व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए अतएव आमंत्रणका धन्यवादपूर्वक इनकार कर दिया ।

इसके बाद वह अपने पहले उद्योगमें लग गया और बहुधा दक्षिण यूरोपमें ही रहने लगा । वर्षमें कभी एक दो बार लन्दन आता था, नहीं तो वहीं आविगनान नामक आममें बना रहता था । मासिक पत्रोंमें लेख लिखनेकी उसने फिर धूम मचा दी । अब उसके लेख बहुधा ‘फार्टनाईटली रिव्यू’ नामक पत्रमें प्रकाशित होते थे । इसी समय उसने ‘लियोकी परवशता’ को छपाकर प्रकाशित किया ।

मिलके जीवनका यह अन्तिम भाग बहुत ही शान्ति और सुखसे व्यतीत हुआ । उसके घरकी सारी व्यवस्था और देखरेख मिस टेलर रखती थी । इसने उसे कभी चिन्तित और असुखी नहीं होने दिया । इस अन्तिम समयमें वह कोई बड़ा ग्रन्थ नहीं लिख सका । विविध विषयोंपर कुछ

निवन्ध ही लिखकर उसने संसारयात्रा पूरी कर दी । सन् १८७३ में इस महापुरुषका देहान्त हुआ । उस समय उसको उम्र लगभग ६७ वर्षकी थी ।

मृत्युके अनन्तर उसके धर्मविषयक तीन निबन्ध और भी शकाचित हुए, जिनसे इस बातका पूरा पूरा पता लगता है कि उसके धर्मविषयक ख़्यालात किस ढंगके थे ।

मिल उन महापुरुषोंमेंसे था, जिन्होंने सारी पृथिवीको अपना कुटुम्ब समझा है, जिनके हृदय बहुत विस्तीर्ण रहे हैं और जिन्होंने दूसरोंके उपकारके लिए अपना तन, मन और धन आदि सब कुछ खर्च कर डाला है । आजतक जिनने सत्यशोधक हुए हैं उनमें यदि आप खोज करेंगे तो मिलसे अधिक उदार और कार्यतात्पर पुरुष शायद ही मिलेगा । उसके विचार ठीक हीं या न हों, यह दृसरी बात है । परन्तु इसमें सदेह नहीं कि उसने उन लोगोंको खूब ही सचेत किया जो 'बाबावाक्यं प्रमाणं' कहकर प्राचीन विद्वान्तोपर ही सारा दारोमदार रखते थे और इस कारण जिनकी विचारशक्तिको जंग खा गई थी । स्वाधीन विचारोंकी महिमाको बढ़ाने और गतानुगतिकताको नष्ट करनेके लिए मिलने जो उद्योग और परिश्रम किया वह असाधारण था । उसकी लेखनीमें इस विषयमें बड़ा काम किया । यद्यपि वह पक्का सुधारक और स्वाधीनचेता था; परन्तु उन सुधारकोंके जैसा उच्छ्वासल और अविचारी न था जो कि पुरानी इमारतको जड़से उखाड़कर उसके स्थानमें बिलकुल नई इमारत खड़ी करना चाहते हैं, अथवा एक ही नियमको सब जगह एक ही रूपमें चरितार्थ करना चाहते हैं । उन्नतिके पथपर अप्रसर होनेवाले प्रत्येक देशमें मिल जैसे महापुरुषोंकी आवश्यकता होती है । विना ऐसे पुरुषोंका अवतार हुए कोई भी देश सुख और स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकता । इस समय जहां स्वाधीन विचार करना महापाप समझा जाता है—और जहां स्वाधीनचेताओंकी मिट्टी पलीद होती है, उस भारतवर्षके लिए एक नहीं सैकड़ों मिलोंकी ज़रूरत है ।

लेखक—


नाथूराम बेमी ।



स्वाधीनता।

॥ पहला अध्याय ॥

प्रस्तावना।



स पुस्तक का विषय इच्छा की स्वाधीनता से सम्बन्ध नहीं रखता। इसमें इच्छा की स्वाधीनता का वर्णन नहीं रहेगा। इसमें उस स्वाधीनता अर्थात् आजादी, का वर्णन रहेगा जिसका सम्बन्ध समाज से है। बहुत से आदमियों के जमाव को जन-समूह, लोक-समुदाय या समाज कहते हैं; और एक आदमी को व्यक्ति या व्यक्ति-विशेष। आदमियों का जमाव, समुदाय या समाज एक दूसरे के फ़ायदे के लिये इकट्ठा रहता है। जन-समूह बहुत से ऐसे नियम और बन्धन बनाता है जिन्हें हर आदमी को

मानना पड़ता है। इससे, मैं, इस लेख में, इस बात का विचार करना चाहता हूँ, कि व्यक्ति—विशेष, अर्थात् अलग अलग हर आदमी के लिए समाज के द्वारा कब, कहाँ तक और किस प्रकार का बन्धन बनाया जाना उचित होगा। किस दशा में—किस हालत में—समाज के बनाये हुए नियम, अर्थात् कायदे, हर आदमी को मानना मुनासिब समझा जायगा। इस बात का दूर तक विचार या विवेचन, आज तक, उचित रीति पर बहुत कम किया गया है। और, इस समय, आदमियों के व्यवहार, अर्थात् काम—काज, से सम्बन्ध रखनेवाली बातों की जो चर्चा हो रही है उससे इस विषय का बहुत ही घना सम्बन्ध है। मेरा अनुमान तो यह है कि कुछ दिनों में यही, अर्थात् सामाजिक स्वाधीनता का, विषय सब से बढ़कर समझा जायगा। इसीसे, खूब सोच समझ कर, इस पर कुछ लिखने की बड़ी ज़रूरत है।

यह कोई नया विषय नहीं है—यह कोई नई बात नहीं है। सच तो यह है कि बहुत पुराने ज़माने से, इस विषय में लोगों का मतभेद चला आता है। एक दूसरे की राय आपस में नहीं मिलती आई है। परन्तु, संसार में, इस समय, जो लोग सब से अधिक सम्भव समझे जाते हैं; अर्थात् जिनमें शिक्षा, शिष्टता, सुधार या शाइस्तगी बहुत ऊँचे दरजे तक पहुँच गई है; उनमें इस विषय ने एक नया ही रूप धारण किया है—एक नया ही रंग पकड़ा है। इसी से इस विषय को एक नये ढँग से व्याप्त करने की ज़रूरत है। इसी लिए इसकी गर्भीर गवेषणा, अर्थात् गहरी ज़ौच, की आवश्यकता है।

जहाँ तक हम लोग जानते हैं, संसार के सब से पुराने इतिहास में, इस विषय को लेकर, खूब झगड़े हुए हैं। अधिकार, अर्थात्

समाज की सत्ता, और स्वाधीनता में सूब खैंचातान हुई है । ग्रीस, रोम और इंग्लैंड के इतिहास में, यह बात, बहुत अच्छी तरह से देख पड़ती है । राजा और प्रजा में बेल नहीं रहा । राजा ने प्रजा की स्पर्धी की है और प्रजा ने राजा की । उस समय लोग स्वाधीनता का अर्थ बहुत व्यापक नहीं समझते थे । राजा के अन्याय से बचने ही को वे स्वाधीनता कहते थे । ग्रीस में, उस समय, कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें प्रजा की ही प्रभुता थी । अर्थात् वे प्रजा—सत्तात्मक थे—प्रजा के ही प्रतिनिधि राज्य का सारा काम करते थे । ऐसे राज्यों को छोड़ कर और राज्यों के राजों को लोग प्रजा के पूरे विरोधी समझते थे । उस समय राज—सत्ता एक आदमी, एक जाति, या एक समुदाय के हाथ में थी । यह राज—सत्ता कभी किसी देश को जीतने पर मिलती थी और कभी वंश—परम्परा से प्राप्त होती थी । कुछ भी हो, यह बात ज़रूर थी कि देशवालों की इच्छा, या खुशी से यह सत्ता राजों को नहीं मिलती थी । पर, इस सत्ता या अधिकार को न मानने, या उसे छीन लेने, का साहस लोगों में न था । यह भी कह सकते हैं कि ऐसा करने के लिए उनमें शायद इच्छा ही न उत्पन्न होती थी । तथापि, इस बात का प्रयत्न वे अवश्य करते थे कि राजसत्ता से उनको, जहाँ तक हो सके, कम तकलीफ मिले । राजसत्ता का होना यद्यपि वे ज़रूरी समझते थे; तथापि वे यह भी समझते थे कि वह सत्ता अनर्थी कर सकती है । उनको यह डर रहता था कि राजा अपनी राज—सत्ता को जिस प्रकार बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध काम में लाता है, उसी प्रकार, वह अपनी प्रजा के भी विरुद्ध काम में ला सकता है ।

सत्ताधारी बड़े बड़े बलवान् शिकारी पक्षियों के आघात से समाज के कमजोर आदमियों को, बचाने और उनके बल को न बढ़ने देने के लिए, उन लोगों को, उन पक्षियों से भी अधिक बलवान् एक जीव की ज़रूरत पड़ती थी। पर, उन शिकारी पक्षियों का नायक पक्षिराज, जिस तरह, इक्के दुक्के कमजोर शिकार पर टूट पड़ने के लिए तैयार रहता था, उसी तरह, मौका मिलने पर, सारे समुदाय पर भी झटक मारने के लिये वह कभी न करता था। इसी लिए उसके नुकाले नाखून और तेज़ चौंच से अपना बचाव करने के लिए प्रजा हमेशा सचेत रहती थी। और, जो लोग प्रजा के हितचिंतक थे—जो स्वदेशाभिमानी थे—वे इस राजसत्ता को एक उचित सीमा के आगे न बढ़ने देने का हमेशा यत्न किया करते थे। उनको इसका हमेशा ध्यान रहता था कि राजा अपनी सत्ता को प्रजा पर अनुचित रीति पर काम में न लावे। उन्होंने इस सत्ता की सीमा को नियत करने ही का नाम स्वाधीनता रखा था।

इस सीमा को उन्होंने दो प्रकार से नियत किया था। अर्थात् उन्होंने राज-सत्ता के अनुचित बढ़ाव को दो तरह से रोका था। उनमें से पहली तरकीब यह थी कि उन्होंने राजा से कुछ ऐसे राजकीय हक् प्राप्त कर लिये थे कि यदि राजा ने उनके अनुसार काम न किया; अर्थात् प्रजा को दिये गये वचन को उसने भंग कर दिया; या उसने उसके कुछ खिलाफ़ काररवाई की; तो प्रजा यह समझती थी कि राजा ने अपना फ़र्ज़ नहीं अदा किया—उसने अपना धर्म नहीं पालन किया। इसलिए वह बिगड़ उठती थी और बलपूर्वक अपना हक् रखने की कोशिश करती थी। इस तरह बिगड़ सड़ा होना और बल को काम में लाना मुनासिब समझा जाता था। दूसरी तरकीब यह थी कि

कानून के द्वारा प्रजा ने राजा की सत्ता के अनुचित प्रयोग को रोक दिया था । उसने कुछ ऐसे नियम, अर्थात् कायदे, बना दिये थे कि प्रजा, या प्रजाके अगुवा, या प्रजा की नियत की हुई किसी प्रतिनिधि सभा, की अनुमति के बिना कोई भी महत्वका काम राजा न कर सकता था । यह पिछली तरकीब, कई देशों में, पीछे से प्रचार में आई । योरप के राजों को, इन दो बातों में से पहली बात, लाचार हो कर, थोड़ी बहुत माननी पड़ी । परन्तु दूसरी बात को उन्होंने नहीं माना । इसलिए राजों की शक्ति या सत्ता की अनुचित वृद्धि को रोकने के इरादे से बनाये गये दूसरी तरह के कायदों को प्रचलित कराने, या, यदि वे कुछ ही कुछ प्रचलित हुए हों तो उनका पूरा पूरा प्रचार कराने के लिए कोशिश करना, सब कहीं, स्वाधीनताप्रिय और स्वदेशाभिमानी लोगों का सब से बढ़कर काम हो गया । एक शत्रु को दूसरे से लड़ा देने, और राजा के अन्याय से बचने की तरकीब निकाल कर उसके अधीन रहने ही में जब तक मनुष्य-जाति सनुष्ट थी तब तक, उसके हृदय में इससे अधिक स्वाधीनता पाने की महत्वाकांक्षा नहीं उत्पन्न हुई ।

परन्तु, दुनिया के कामों में, आदमियों की तरकी होते होते एक ऐसा समय आया कि उनके वे पहले विचार बिलकुल ही बदल गये । अब तक उनकी जो यह समझ थी कि, प्रजा के कायदे की परवा न करनेवाली स्वतंत्र राज-सत्ता का होना किसी तरह नहीं रोका जा सकता, उसे उन्होंने दूर कर दिया । अब उनको यह बात अधिक अच्छी और अधिक लाभदायक जान पड़ने लगी कि देश में जितने सत्ताधीश और अधिकारी हों उनको प्रजा ही नियत करे; और उन्हें जब वह चाहे अ-

लग कर दे। उनकी यह पक्की समझ हो गई कि राज-सत्ता के बुरी तरह से काम में लाये जाने से उनको जो तकलीफ़े झेलनी पड़ती हैं उनसे पूरे तौर पर बचने के लिए यही एक उपाय है। जब प्रजा के मन में इस तरह का विश्वास ढूँढ़ हो गया तब प्रजा के जितने हितचिन्तक थे, और स्वदेशाभिमानियों के जितने समाज थे, सब यही कहने लगे कि सारे सत्ताधिकारी प्रजा के ही द्वारा नियत किये जाय। इस बात को उन्होंने अपना सब से बड़ा कर्तव्य समझा। इस कारण, राज-सत्ता की अनुचित बाढ़ को रोकने के लिए लोगों की जो कोशिशें पहले से जारी थीं वे ढीली पड़ गईं। जैसे जैसे लोगों का यह स्थाल ज़ोर पकड़ता गया कि, समय समय पर, प्रजा ही के द्वारा अधिकारियों के नियत किये जाने में फ़ायदा है, तैसे तैसे किसी किसी की समझ में यह भी आने लगा कि राजा के अधिकार की हट्ट को अधिक न बढ़ने देने के लिए आज तक जो विशेष ध्यान दिया गया वह भूल थी। हां, जो राजा लोग प्रजा के फ़ायदे की बिलकुल ही परवा न करते थे और प्रजा के प्रतिकूल काम करना जिनका स्वभाव ही सा पड़ गया था उनकी सत्ता को रोकना शायद उन लोगों ने बुरा न समझा हो। उन्होंने अब यह चाहा कि अधिकारियों को प्रजा ही नियत किया करे; और, वे अधिकारी, प्रजा की ही इच्छा और प्रजा के ही हानिलाभ का स्थाल करके, सब काम करें। अधिकारियों की इच्छा और उनका लाभ प्रजा की ही इच्छा और प्रजा का ही लाभ हो। ऐसा होने से राजसत्ता को रोकने की कोई ज़रूरत न होगी। क्योंकि, प्रजा को, तब, अपने ही ऊपर आप जुल्म करने का डर न

रहेगा । जितने अधिकारी हों वे अपने देश, अर्थात् प्रजा, के सामने अपने को उत्तरदाता समझें; प्रजा के द्वारा, जब वह चाहे तब, वे निकाल दिये जा सकें; और प्रजा उनको इतना अधिकार दे सके जितने के दिये जाने की वह ज़रूरत समझे । अपनी रक्षा के लिए प्रजा ने इतना ही काफ़ी समझा । अधिकारियों की सत्ता और शक्ति को लोगों ने प्रजा की ही सत्ता और शक्ति समझी । हाँ, सुभीते के लिये, कुछ आदमियों को सारी प्रजा की सत्ता देकर, उन्होंने ऐसे नियम बनाने चाहे जिसमें उस सत्ता से उनका काम अच्छी तरह निकल सके । ऐसे विचार, अथवा भाव, योरप में, गत पाँड़ी में, सभी के थे; और इंग्लैंड के स्वाधीन-चित्तवालों को छोड़ कर औरों में अब भी यह बात अकसर पाई जाती है । पर राजकीय बातों में स्वार्थ लेनेवाले जो लोग योरप में यह समझते हैं कि राजसत्ता की हव छोनी चाहिए, वे बहुत थोड़े हैं । उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी किसी विशेष प्रकार की राज्य-पद्धति का होना बिलकुल ही पसन्द नहीं करते । पर, ये दोनों तरह के आदमी बहुत ही कम हैं । इस तरह की विचारपरम्परा यदि न बदलती, तो इंग्लैंडवालों के भी विचार, शायद, इस समय तक, वैसे ही हो जाते ।

परन्तु जो बात आदमियों के लिए कही जा सकती है वही राज्य-शासन और दर्शन-शास्त्र के लिए भी कही जा सकती है । अर्थात् नाकामयाबी होने पर जो दोष कभी कभी नहीं दिखाई देते वे कामयाबी होने पर दिखाई देने लगते हैं । जब प्रजासत्तात्मक राज्य की कल्पना लोगों के मन में पहले पहल पैदा हुई; अथवा, जब लोगों ने किताबों में यह पढ़ा कि पहले, किसी समय, किसी

किसी देश में प्रजासत्तात्मक राज्य था, तब, उनको यह बात स्वयं-सिद्ध सिद्धान्त के समान मालूम हुई, कि प्रजासत्तात्मक राज्य में अपनी ही सत्ता या शक्ति को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, फ्रांस में, जिस समय राजा और प्रजा में विद्रोह पैदा हुआ, उस समय, इस सिद्धान्त को कुछ धक्का ज़रूर पहुंचा। परन्तु उस समय राज्यसत्ता प्रजा के हाथ में आने पर भी, केवल प्रजा के फ़ायदे के लिए, वह काम में नहीं लाई गई। उस समय जो बहुत से अनर्थ हुए, उनका कारण वही दो चार आदमी थे जिन्होंने राज्य-सत्ता को राजा से छीन लिया था। फ्रांस का विद्रोह राजा के, और कुछ बड़े बड़े आदमियों के भी, अन्याय का फल था। इस लिए यह समझना भूल है कि प्रजासत्तात्मक राज्य के होने से ऐसे अनर्थ हुआ ही करते हैं। कुछ दिनों में, दुनिया के एक बहुत बड़े भाग, अमेरिका, में प्रजासत्तात्मक राज्य की स्थापना हुई। यह राज्य, थोड़े ही दिनों में, दुनिया के और और बलवान् राज्यों की तरह, बली भी हो गया। अतएव, कोई बहुत बड़ी घटना होने से जिस तरह लोग उसके विषय में बात-चीत करने लगते हैं-उसकी आलोचना आरम्भ करते हैं-उसी तरह प्रजासत्तात्मक राज्य के विषय में भी लोगों ने बात-चीत आरम्भ कर दी। यह अब उनके ध्यान में आया कि-“अपना राज्य,” “अपना शासन” “और अपने ही ऊपर अपनी सत्ता” इत्यादि महाविरे उन बातों को ठीक ठीक नहीं ज़ाहिर करते जिनके ज़ाहिर करने के लिए वे काम में लोये जाते हैं। यह भी उनके ध्यान में आया कि जो लोग सत्ता, अर्थात् हुक्मत, चलाते हैं वे, और जिन पर उनकी सत्ता चलती है वे, दोनों, एक ही नहीं होते।

अर्थात् “प्रजा” शब्द से उन दोनों का बोध नहीं होता । और, यह भी उनके ध्यान में आया कि “आत्म-शासन”, अर्थात् “अपने ऊपर अपनी सत्ता” अपने ही ऊपर शासन करने या सत्ता चलाने का नाम नहीं है; किन्तु वह औरों के द्वारा अपने ऊपर शासन किये जाने, या सत्ता चलाने, का नाम है । वे यह भी समझ गये कि व्यवहार में, “प्रजा की इच्छा” का मतलब या तो बहुत आदमियों की इच्छा से है; या उन लोगों की इच्छा से है जो काम करने में अगुवा हैं, या जिनकी संस्त्या बहुत है, या जिन्होंने और लोगों से अपनी संस्त्या का बहुत होना कुबल करवा लिया है । इस दशा में, यह सम्भव है, कि प्रजा कहलाने वाले लोग अपने ही में से कुछ आदमियों पर जुल्म करने लगें, अन्याय करने लगें, सत्त्वी करने लगें । अतएव, जैसे और किसी अनुचित सत्ता या शक्ति को रोकने की ज़रूरत है वैसे ही प्रजा की भी अनुचित सत्ता को रोकने की ज़रूरत है । सत्ताधारी लोग, अर्थात् हाकिम, प्रजा के उस पक्ष के सामने यथा-नियम उत्तरदाता होते हैं जो सब से अधिक बलवान् होता है । इस लिए, इतने ही से, सत्ताधारियों की शक्ति को एक उचित हद के भीतर रखने का माहात्म्य कम नहीं हो जाता । वह वैसा ही बना रहता है; उसकी ज़रूरत नहीं जाती रहती । यह बात समझदार आदमियों की समझ में आ गई; यह भत उनको पसन्द आ गया । यही नहीं; किन्तु, बड़े बड़े लोगोंने, जो प्रजा की सत्ता को अपने सचे या काल्पनिक हित के प्रतिकूल समझते थे, इस भत को, योरेप में, स्थापित भी कर दिया । इस समय तो राज्यशासन-सम्बन्धी शास्त्र के पण्डितों का सिद्धान्त ही

यह हो गया कि अधिक मनुष्योंके समूह के अन्याय से बचने के लिए लोगों को उसी तरह सावधान रहना चाहिए जिस तरह और आपदाओं से बचने के लिए उनको रहना पड़ता है।

दूसरे जुल्मों की तरह, अधिक मनुष्योंके समूह के जुल्म से पहले सभी लोग डरते थे। वे समझते थे कि यह जुल्म, बहुत करके, सत्ताधारी अधिकारियों के द्वारा होता था। इस समय तक भी साधारण आदमियों की समझ ऐसी ही है। परन्तु समझदार आदमियों के ध्यान में यह बात आ गई कि जब जन-समुदाय खुद ही जुल्म करता है—अर्थात् बहुत से आदमियों का समूह, जिन आदमियों से वह बना है उन्हींमें से किसी किसी पर जुल्म करता है—तब जुल्म करने के साधन या सामान सिर्फ उसके सत्ताधारी अधिकारियों के ही हाथ में नहीं रहते; किन्तु, स्वयं उस समूह के भी हाथ में रहते हैं। जन-समूह हुक्म दे सकता है, अर्थात् कायदे कानून बना सकता है, और उनके अनुसार वह काररवाई भी कर सकता है। अतएव यदि अच्छे की जगह वह बुरे कायदे कानून बनाने लगा; या ऐसी बातों के सम्बन्ध में उसने कानून बनाना आरम्भ किया जिनमें उसे दखल न देना चाहिए, तो उससे समाज पर जो जुल्म होता है वह सत्ताधारी हाकिमों के द्वारा किये गये कितने ही जुल्मों से अधिक भयंकर होता है। यह सच है कि प्रबल जनसमूह अर्थात् समाज, जो सजा देता है वह सजा इतनी कड़ी नहीं होती जितनी कि सरकारी हाकिमों की दी हुई सजा होती है; परन्तु समाज की दी हुई सजा, अर्थात् जुल्म, का प्रभाव दूर तक पहुँचता है; जिन्दगी की छोटी छोटी बातों तक में उसका

प्रवेश होता है; और उस से छुटकारा पाने का मौका बहुत कम मिलता है। सरकारी जुल्म से सिर्फ़ शरीर ही को तकलीफ़ पहुंचती है; पर सामाजिक जुल्म से मन तक—आत्मा तक—गुलाम हो जाता है; उसे कैद हो जाना पड़ता है; वह अपने वश में नहीं रहने पाता। इस लिए, सिर्फ़ मैनिस्ट्रेटों के, अधिकारियों के, या सत्ताधारी हाकिमों के जुल्म से बचने का प्रबन्ध करने ही से काम नहीं चल सकता। समाज के मन और प्रबल मनोविकारों को जुल्म से बचाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात्, सत्ताधारी समाज के खयाल और चाल ढाल के अनुसार जो लोग, बर्ताव नहीं करते उनसे, दीवानी या फौजदारी कानून के ही बल से नहीं, किन्तु, और उपायों से भी अपनी समझ और अपनी रीति-रवाज के अनुसार, बलपूर्वक, बर्ताव कराने की इच्छा से भी बचाव करना चाहिए। और, समाज के रीति-रवाज अर्थात् रुद्धि के अनुसार जो लोग नहीं चलते उनकी बढ़ती को रोकने, या यथा—सम्भव उनके उठान ही को बन्द करने, और अपना सा बर्ताव करने के लिए औरों को मजबूर करने की सामाजिक प्रवृत्ति के प्रयोग से बचने का भी यज्ञ करना चाहिए। इसकी भी हृद है कि समाज को आदमी की—व्यक्तिविशेष की—स्वाधीनता में कहाँ तक हस्त-क्षेप करना चाहिए—कहाँ तक दस्तन्दाज़ी करना चाहिये। और, मनुष्य-मात्र को अच्छी तरह रहने के लिए, अधिकारियों के जुल्म से बचाव करने की जितनी ज़रूरत है उतनी ही, उस हृद को ढूँढ निकालने और समाज को उसके आगे बढ़ने से रोकने के लिए उपाय करने की भी ज़रूरत है।

यह एक ऐसा सिद्धान्त है—यह एक ऐसी बात है—कि मामूली

तौर पर शायद इसे सभी पसन्द करेंगे। परन्तु सारा दार मदार इस बात पर ठहरा हुआ है कि उस हद को नियत कहां पर करना चाहिए? मनुष्यों की स्वाधीनता और समाज के बन्धन की हृदयन्धी किस तरह करना चाहिए? दूसरों की कार्रवाइयों को एक मुनासिब हद के भीतर रखेम, अर्थात् उचित रीति पर उनका प्रतिबन्ध करने, पर ही हर आदमी का संसार सुख अवलम्बित है। अतएव, आदमियों के चाल-चलन सम्बन्धी कुछ कायदों का, कानून के द्वारा, बनाया जाना उचित है। पर बहुतसी बातें ऐसी हैं जिनके लिए सरकारी कानून का बन्धन मुनासिब नहीं है। इससे, उनके विषय में, लोगों की सम्मति के अनुसार, नियम बनाये जाने चाहिए। आदमियों के काम-काज से सम्बन्ध रखनेवाला मुख्य प्रश्न अब यह है कि ये नियम कौन और कैसे होने चाहिए। परन्तु दो चार बहुत ही मोटे नियमों को छोड़ कर और नियमों को बनाने के काम में हम लोग बहुत पीछे हैं। एक पीढ़ी ने जो नियम बनाये हैं वे दूसरी पीढ़ी के बनाये हुए नियमों से नहीं मिलते। और एक देश के बनाये हुए नियम दूसरे देश के नियमों से भी शायद ही कभी मिलते हैं। एक पीढ़ी या एक देश का किया हुआ कैसला दूसरी पीढ़ी या दूसरे देश को अनोखा मालूम होता है—वह उसे हास्यास्पद जान पड़ता है। तिसपर भी एक युग या एक देश के आदमियों को इसमें कोई गूढ़ बात या कठिनाई नहीं मालूम देती, जैसे, इस विषय में, पुराने जमाने से लेकर आज तक, मनुष्य-मात्र का एक ही मत रहा हो। जो नियम, जो कायदे, जिस देश में जारी होते हैं वे उस देश में रहनेवालों को स्वयंसिद्ध और निर्भान्त जान पड़ते

हैं । सब कहीं फैला हुआ यह जो सर्वव्यापी भ्रम है वह लोगों के रीति-रवाज, अर्थात् रुद्धि, के अङ्गुत प्रभाव का एक अच्छा नमूना है । एक कहावत है कि रीति-रस्म, आदत का दूसरा नाम है । पर इस नियम के सम्बन्ध में लोगों को हमेशा यह भ्रम होता है कि रीति-रस्म ही का नाम आदत है । व्यवहारसम्बन्धी कायदे बनाकर मनुष्य उन्हें जो एक दूसरे के ऊपर लाद देते हैं, ऐसे कायदोंके विषय में रीति-रवाज अर्थात् रुद्धि जरा भी सन्देह नहीं पैदा करने देती । इस लिए रुद्धि को और भी अधिक प्रबलता प्राप्त होती है । क्योंकि लोग बहुत करके इसकी ज़रूरत ही नहीं समझते कि एक आदमी दूसरों को, या हर आदमी खुद अपने ही को, प्रचलित रीति-रस्मों का कारण बतलावे । अर्थात् अमुक काम करने, या अमुक रुद्धि को जारी रखने, का कारण बतलाने की ज़रूरत नहीं समझी जाती । आदमियों को इस बात पर विश्वास करने की आदत पड़ जाती है । कुछ लोगों ने, जो अपने को तत्त्वजेता समझने तक का हौसला दिखलाते हैं, आदमियों के इस विश्वास को यहां तक उत्तेजित कर दिया है कि वे अपने मनोविकारों को तर्कशास्त्र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान् और विश्वसनीय मानते हैं । इस लिए अपने विश्वास के समर्थन में प्रमाण ढूँढ़ना और कारण बतलाना वे व्यर्थ समझते हैं । हर आदमी यही चाहता है कि जो बातें उसको या उसके पक्षवालों को अच्छी लगती हैं उन्हींके अनुसार समाज के सब लोक बर्ताव करें । इसी विकार के बश होकर, हर आदमी, समाजकी व्यवस्था करने और उसके लिए बन्धन बनाने के विषय में अपनी अपनी

राय देता है—अपना अपना मत स्थिर करता है। यह ज़्यस्त सच है कि कोई आदमी इस बात को नहीं कुबूल करता कि न्याय तौलने का उसका तराजू उसीकी रुचि है। अर्थात् वह यह नहीं कहता कि अपनी रुचि को ही नमूना मानकर वह न्याय करता है। पर किसी के चाल-चलन, व्यवहार या बर्ताव के विषय में कायम की गई राय, यदि वह तर्कशास्त्र के आधार पर नहीं है तो, राय देनेवाले ही की रुचि या पसन्द की कही जा सकती है। यदि कोई यह कहे कि निस बात को मैं पसन्द करता हूँ उसको और भी बहुत आदमी पसन्द करते हैं, तो उसका भी यही उत्तर है कि जैसे एक आदमी की रुचि न्याय तौलने के लिये अच्छे तराजू का काम नहीं दे सकती वैसे ही बहुत आदमियों की रुचि भी वह काम नहीं दे सकती। तिसपर भी, इस तरह की, बहुत आदमियों की रुचि, एक साधारण आदमी को पूरे तौर पर सप्रभाण और साधार मालूम होती है। यही नहीं, किन्तु नीति का, रीति का और उचित अथवा अनुचित बातों के विषय में जो विचार आदमियों के दिल में पैदा होते हैं उनका, आधार सिर्फ़ बहुत आदमियों की रुचि या पसन्द ही मानी जाती है। हाँ, जिन बातों का बयान अपने अपने धर्म या पन्थ की पुस्तकों में होता है उनके लिए बहुत आदमियों की रुचि का आधार नहीं रहता। उनको छोड़कर और सब बातों में इसी नियम के अनुसार काम होता है। यहाँ तक कि धर्म-पुस्तकों में कहीं गई बातों का अर्थ भी, इसी नियम को आधार मानकर, लगाया जाता है। इस तरह, बुरी या खली बातों के विषय में आदमियों की जो राय होती है वह, दूसरों के बर्ताव और चाल-

चलन से सम्बन्ध रखनेवाली अपनी रुचि और उस रुचि के कारणों-के आधार पर हमेशा कायम रहती है । दूसरी बातों के विषय में आदमियों की इच्छा को पैदा करनेवाले जैसे अनेक कारण होते हैं वैसे ही उनकी इस—पसन्द करने या न करने की—इच्छा के भी होते हैं । इन कारणों में से कभी खेल-बुरे का विचार; कभी पूर्व-प्रवृत्ति (वे समझे बूझे किसी तरफ झुकाव) और मिथ्या धर्म; कभी समाज के अनुकूल काम करने की आदत; कभी मत्सर, झूठा घमण्ड और दूसरों के विषय में तिरस्कार बुद्धि—इत्यादि मुख्य समझने चाहिए । परन्तु, बहुत करके, सबसे प्रबल कारण स्वार्थ होता है । अर्थात् सिर्फ़ अपना मतलब साधने के लिए ही वैसी इच्छा पैदा होती है; चाहे वह भली हो, चाहे बुरी । जहां के निवासियों में वर्ण-भेद होता है अर्थात् जिस देश में एक आध वर्ण औरों से श्रेष्ठ माना जाता है वहां की नीति, अर्थात् लोगोंके व्यवहार-के नियमों का सबसे बड़ा हिस्सा, उसी वर्ण के स्वार्थ और श्रेष्ठता-सम्बन्धी समझ के आधार पर बना हुआ होता है । ग्रीस देश के स्पार्टा-निवासियों और उनके गुलामों में, अमेरिका के अंगरेज-किसान और हजारियों में, सरदार और किराये के सिपाहियों में, पुराने राजा और प्रजा में, खियों और पुरुषों में जिस नीति या जिन नियमों का बताव किया गया है वह नीति या वे नियम, बहुत करके, श्रेष्ठ पक्ष-वालों के स्वार्थ और समझ के आधार पर ही बने हैं । पर, इस तरह के स्वार्थ और इस तरह की समझ का असर, श्रेष्ठ वर्णवालों में आपस में व्यवहार करने के जो नियम होते हैं उन पर भी होता है । अर्थात् जिस देश में पहले श्रेष्ठ माना गया वर्ण, पीछे से औरों की नज़र में

गिर जाता है या उसकी श्रेष्ठता बिलकुल ही जाती रहती है उस देशका समाज उसका तिरस्कार करने लगता है। इस लिए समाज की नीति के नियमों में भी उस वर्णके विषयमें निरादर के चिन्ह देख पड़ने लगते हैं।

पहले नियम का बयान ऊपर हो चुका। एक और भी नियम है। वह बहुत बड़ा है। वह राजों और देवताओं के विषय में मनुष्य-मात्र के अच्छे या बुरे विचारों से सम्बन्ध रखता है। इस तरह के कल्पित विचार, चाहे किसी कानून के जारी किये जाने से पैदा हुए हों, चाहे लोगों की राय ही वैसी हो गई हो, परन्तु उनके वश होकर उन्हींके अनुसार आदमी व्यवहार ज़रूर करने लगते हैं। अर्थात् जो राजा या देवता उनकी बुद्धि में बुरा या भला ज़ँच जाता है उसको वे वैसा ही समझने लगते हैं। उनकी बुद्धि ऐसे विचारों में लीन सी हो जाती है। यह उनकी परवशता स्वार्थ से ज़रूर पैदा होती है, पर, दम्भ से नहीं होती। अर्थात् इस तरह की बुद्धि में दम्भ या पाखण्ड नहीं रहता। क्योंकि यह राजा या यह देवता बुरा है या भला—इस तरह की कल्पित समझ, उसके व्यवहार को देखकर सचमुच ही मनुष्य के मन में पैदा हो जाती है। इसीसे, ऐसी कल्पित बुद्धि में लीन होकर, आदमी औरों का तिरस्कार करने लगते हैं। वह यही कल्पित तिरस्कार-बुद्धि थी जिसके वश होकर आदमियों ने अनेक जादूगर और नास्तिकों को जीता जला दिया था। इस तरह के नीच और निय कारण समाज के व्यवहार और चाल-चलन सम्बन्धी नियम बनाने के आधार ज़रूर माने गये हैं। परन्तु, तिस पर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के नियम बनाने में

समाज के फ़ायदे का ख़्याल नहीं किया गया । अर्थात् कोई यह नहीं कह सकता कि ऐसे नियम बनानेवालों पर, समाज को फ़ायदा पहुँचाने की प्रेरणा ने, कुछ असर नहीं पैदा किया । असर ज़रूर पैदा किया और बहुत किया । पर वह प्रेरणा सीधे मार्ग से खुलासा नहीं पैदा हुई; किन्तु एक टेढ़े मार्ग से हुई । अर्थात् यह समझ कर वह नहीं पैदा हुई कि समाज के फ़ायदे का ख़्याल करना हमको उचित है अथवा उसकी तरफ़ नज़र रखना हमारा काम है । परन्तु समाज को फ़ायदा पहुँचाने की बुद्धि से जो रुचि या अरुचि पैदा हुई वह प्रेरणा उसका परिणाम थी । इसका फल यह हुआ कि जिस हमदर्दी या नफ़रत, अर्थात् सहानुभूति या धृणा, से समाज का बहुत ही थोड़ा या बिलकुल ही सम्बन्ध न था, वह भी सामाजिक नियमों के बनाने में काम में आ गई ।

क़ानून से या बहुत आदमियों की राय से, दंड-कैद, जुरमाना, समाज की दृष्टि में तुच्छ समझा जाना इत्यादि—नियत हुए । उन दंडों के डर से चाल-चलन और व्यवहार सम्बन्धी नियम अर्थात् क़ायदे, बनाये गये । पर उन नियमों के काम में लाये जाने का मुख्य कारण पूरे समाज, या उसके प्रबल भाग, की रुचि या अरुचि ही समझना चाहिए । और, आम तौर पर, विचार और विकार में जो लोग समाज के अगुआ रहे हैं उन्होंने छोटी छोटी बातों पर चाहे जितना वाद—विवाद किया हो, पर, मुख्य मुख्य बातों के आदि हेतु, प्रयोजन, जड़ यामा बुनियाद पर कभी विचार नहीं किया । अर्थात् उन्होंने इस तरह के आक्षेप कभी किये ही नहीं कि अमुक नियमों का बनाना योग्य है—या अयोग्य । उन्होंने अपना मन सिर्फ़ इसके जानने में लगाया कि

कौनसी बात समाज को प्रसन्न करना चाहिए और कौनसी करना चाहिए। बस, वे इसी विचार में लगे रहे। इस बात की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया कि समाज की रुचि या अरुचि के अनुसार हर आदमी को बर्ताव करने के लिए लाचार करना उचित है या नहीं। जिनकी यह राय थी कि समाज की रुचि या अरुचि के ही ख़्याल से व्यवहार-सम्बन्धी नियम न बनाये जाने चाहिए उनको लोगोंने पाखण्डी समझा। उनकी जमात में मिलकर, स्वाधीनता की रक्षा के लिए उन्हींका ऐसा प्रयत्न करने की अपेक्षा, लोगों ने समाज के सिर्फ़ उन्हीं मनोविकारों को बदलना अच्छा ख़्याल किया जिन विकारों के कारण उनके और समाज के मत में फ़रक था।

हाँ, एक ही बात ऐसी है जिसके आधार, या जिसकी बुनियाद, पर बहुत लोगों ने समाज के जुल्म के विरुद्ध इस लिए सतत प्रयत्न किया कि समाज की रुचि या अरुचि को आदमियों की स्वाधीनता में हस्तक्षेप, अर्थात् दस्तन्दाज़ी, न करना चाहिए। वह बात धर्म-निष्ठा या धार्मिक विश्वास है। यह उदाहरण कई कारणों से ध्यान में रखने लायक है। इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। उनमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान में आती है वह यह है, कि जिन नैतिक विचारों, अर्थात् भेले बुरे आचरण-सम्बन्धी ख़्यालों, को लोगों ने तर्कशास्त्र के प्रमाणों की तरह सही माना है वे कहां तक भूलें से भेरे हुए हैं। अर्थात् यह मालूम हो जाता है कि वे विचार सही नहीं हैं; भ्रम से पूर्ण हैं। यह बात अब बहुत आदमी मानने लगे हैं कि धर्म-सम्बन्धी उदारता अच्छी चीज़ है। परन्तु जो आदमी

धर्मान्व हो रहा है वह दूसरे धर्मवालों को जी से घृणा करता है। वह उनसे ज़रूर नक़रत करता है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। ईसाइयों के सर्व-साधारण धर्म से पहले पहल अलग होकर जिन लोगों ने एक पन्थ अलग स्थापित किया, क्या वे दूसरे पन्थवालों से कम घृणा करते थे? नहीं। पर जब वाद-विवाद, शास्त्रार्थ या झगड़े की गरमी जाती रही और किसी पन्थ की जीत न हुई, अर्थात् सब पन्थ जहां के तहां ही रह गये, तब सब पन्थवालों को इस बात की कोशिश करने की ज़रूरत पड़ी कि जहां तक उनके पन्थ का प्रचार हुआ है वहां तक तो बना रहे। तब जिस पन्थवालों की संख्या कम थी उसने अधिक संख्या के पन्थवालों से यह कहना शुरू किया कि—“हमारे धार्मिक विचारों में बाधा न डालो; धर्म की बातों में उदारता दिखाओ; हम जो कुछ करें करने दो”। निर्बल पक्षवालों ने जब यह समझ लिया कि प्रबल पक्षवालों को अब हम अपने पन्थ में नहीं ला सकते तब धर्मादार्थ दिखलाने के लिए प्रबल पक्षवालों के सामने उन्हें चिल्हाने की ज़रूरत पड़ी। इससे यह अर्थ निकला कि धर्म के कामों में प्रबल पक्षवालों को निर्बल पक्षवालों पर जुल्म न करना चाहिए। धर्म ही का विषय एक ऐसा है जिसके सम्बन्ध में लोगों ने मेरे कहे हुए सर्वव्यापी सिद्धान्त को कुबूल किया है। अर्थात् यही बात एक ऐसी है जिसके आधार पर लोगों ने यह राय कायम की है कि हर आदमी समाज के स्थिलाफ़ भी अपना अपना हक़ पाने का दावा कर सकता है। समाज का जो यह सिद्धान्त था कि उससे विरोध करनेवालों पर, अर्थात् जिनकी राय समाज की राय से नहीं मिलती

उन पर, सत्ता चलाने का उसे अधिकार है, उसका खण्डन सिर्फ़ इसी धर्म—सम्बन्धी विषय में किया गया है। जिन ग्रन्थकारों की बदौलत दुनिया को थोड़ी बहुत धर्म—सम्बन्धी स्वाधीनता मिली है उन्होंने इस बात पर बहुधा ज़ोर दिया है कि धर्म के मामलों में ही आदमी को अपनी अपनी रुचि या समझ के अनुसार बर्ताव करने का पूरा हक् है। इस बात को उन्होंने बिलकुल ही कुबूल नहीं किया कि धार्मिक विषयों में कोई आदमी दूसरों के सामने जवाबदार है। अर्थात् धर्म की बातों में जिसका जी जैसा चाहे वह वैसा ही आचरण कर सकता है। तथापि जिन बातों की आदमी अधिक परवा करते हैं, अर्थात् जिनसे उनके हिताहित का अधिक सम्बन्ध रहता है, उनके विषय में उदारता न दिखलाना मनुष्य—मात्र का यहां तक स्वभाव हो गया है, कि कुछ देशों को छोड़कर, और कहीं भी धर्म की उदारता का पूरा पूरा व्यवहार नहीं हुआ। धर्म के झगड़ों में पड़कर जहां के आदमी अपनी शान्ति को भेंग नहीं करना चाहते, अर्थात् धर्मशून्य या धर्म की तरफ से बे परवाह लेगों का पक्ष जहां प्रबल है, वही धर्म—सम्बन्धी उदारता, पूरे तौरपर, व्यवहार में लाई गई। ‘कुछ देशों’ से मेरा मतलब ऐसे ही देशों से है।

जिन देशों में धर्म की उदारता काम में लाई जाती है वहां के भी प्रायः सभी धार्मिक यह समझते हैं कि इस उदारता की हृदयस्तुति होनी चाहिए। दूसरों को अपने धार्मिक व्यवहारों से जुदा अथवा विरुद्ध व्यवहार करते देख उनको न रोकने का नाम धर्मादार्य, अर्थात् धर्म की उदारता, है। उसे एक तरह की क्षमा, सहन-शीलता, तहम्मुल या बदाश्चत कहना चाहिए। कोई कोई आदमी

ऐसे हैं जो धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली संस्था, समा या समाज के कामकाज विषयक मतभेद को बर्दास्त कर सकते हैं; परन्तु स्वर्य धर्म-सम्बन्धी नियम, व्यवस्था या कायदे के मतभेद को नहीं बर्दास्त कर सकते । कोई कोई, एकेश्वरबादी या योपके अनुयायियों ही को नहीं देख सकते; पर, और सब प्रकार के मतभेद रखनेवालों को वे कुछ नहीं कहते । कुछ ऐसे हैं जो ईश्वरके उपदिष्ट सभी धर्मों को मानते हैं अर्थात् और लोग चाहे जिस धर्म के हों, पर वे यदि उस धर्म को ईश्वरप्रणीत मानते हैं, तो ये तीसरी तरह के आदमी उनसे उदारता का वर्ताव करते हैं । कुछ लोग इससे भी अधिक उदारता दिखाते हैं । वे ईश्वर और परलोक पर भी विश्वास कर लेते हैं, पर उसके आगे नहीं जाते । अर्थात् जो लोग ईश्वर और परलोक को मानते हैं उनसे ये भेदभाव नहीं रखते; पर जो यहां तक बढ़े चढ़े हैं कि इनको भी नहीं मानते उनसे इनकी नहीं बनती । यह हालत उन देशों की है जिनमें धर्महीन लोगों का ज़ोर अधिक है । पर, जिन देशों में धर्मनिष्ठा अभी तक शुद्ध और सबल है वहां वालों के इस ख्याल को ज़रा भी धक्का नहीं पहुंचा कि जन-समुदाय, अर्थात् समाज, की राय हर आदमी को मानना ही चाहिए ।

इंग्लैण्ड का राजकीय इतिहास दूसरी तरह का है । वह और देशों के इतिहास से मेल नहीं खाता । इससे यद्यपि समाज, अर्थात् सर्व साधारण, की रायका वज़न कुछ अधिक है तथापि सरकारी कानून का बोझ अधिक नहीं है; वह कम है । यह बात और देशों में नहीं पाई जाती । यहां निज के अर्थात् स्थानगी काम-काजों में कानून बनानेवालों

और सत्ताधारियों की खुल्लम खुल्ला दस्तन्दाज़ी को लोग बहुत बुरा समझते हैं। इसका पहला कारण यह है कि हर आदमी को मुनासिथ स्वाधीनता दी जाने की तरफ़ लोगों का बहुत ध्यान है। दूसरा कारण यह है कि लोग अब तक यह समझ रहे हैं कि गवर्नरमेण्ट के सभी ख़्यालात समाज के हित के अनुकूल नहीं हैं। इनमें से पहले कारण की अपेक्षा दूसरा कारण अधिक सबल है। समाज के अधिक आदमियों को अभी तक यह नहीं मालूम कि गवर्नरमेण्ट की हुकूमत अपनी ही हुकूमत है और गवर्नरमेण्ट की राय अपनी ही राय है। जिस समय लोगों को यह बात मालूम होने लगेगी उस समय हर आदमी की स्वाधीनता में गवर्नरमेण्ट शायद उतनी ही दस्तन्दाज़ी करने लगेगी जितनी दस्तन्दाज़ी समाज, आज कल, उसमें कर रहा है। परन्तु, अभी तक, बहुत लोगों के विचार ऐसे हैं कि यदि गवर्नरमेण्ट, कानून के द्वारा, प्रत्येक आदमी की उन बातों का प्रतिबन्ध करना चाहे जिन बातों के प्रतिबन्ध को बरदाश्त करने की उन्हें आदत नहीं है तो उन विचारों की धारा ऐसे प्रतिबन्ध के प्रतिकूल ज़ोर से बहने लगे। उस समय लोग इस बात का बिल-कुल विचार न करेंगे कि जिस बात की वे प्रतिकूलता करते हैं वह कानून से नियंत्रित या प्रतिबद्ध किये जाने के लायक है या नहीं। यह स्थिति यदि अच्छी समझी जाय, और यह मान लिया जाय, कि उससे लोगों का मतलब ज़खर ही निकल जाता है तो उसका यह उत्तर है कि इस तरह के विचार अथवा मनोविकार जैसे उचित जगह में प्रयोग किये जाते हैं वैसे ही अनुचित जगह में भी प्रयोग किये जा सकते हैं। सच तो यह है कि ऐसा कोई भी सर्व-सम्मत

तरीका नहीं निकाला गया है जिससे गवर्नमेण्ट की दस्तन्दाज़ी की योग्यता अथवा अयोग्यता की ठीक ठीक जांच की जा सके । अर्थात् हमको एक ऐसा नियम या तरीका, स्कोर्ज निकालना चाहिए जिसकी सहायता से हम तत्काल यह निश्चित कर सकें कि किस बात में दस्तन्दाज़ी करना गवर्नमेण्ट को उचित है और किसमें नहीं । पर, इस समय लोग करते क्या हैं कि वे अपनी रुचि या अहंकार के अनुसार सब बातों की योग्यता अथवा अयोग्यता का निश्चय करते हैं । ऐसा न होना चाहिए । जब कोई फ़ायदे का काम कराने या किसी नुकसान अथवा आपदा से बचाने की ज़रूरत होती है तब आदमी उसके लिए गवर्नमेण्ट को खुशी से उत्तेजित करते हैं । पर कुछ आदमी ऐसे भी हैं कि वे चाहे जितने सामाजिक दुःख, अनर्थ या आपदायें सहन करें, तथापि लोगों के फ़ायदे की एक भी नई बात में गवर्नमेण्ट को दस्तन्दाज़ी नहीं करने देते । मतलब यह कि काम पड़ने पर आदमी अपनी अपनी रुचि के अनुसार, कुछ इधर और कुछ उधर, मुक पड़ते हैं । या जब कोई काम गवर्नमेण्ट से आदमी कराना चाहते हैं तब उसमें अपने हानि-लाभ की मात्रा का विचार करके उस तरफ़ झुकते हैं जिस तरफ़ झुकने से उनको अधिक लाभ जान पड़ता है । या ऐसे मौकेपर वे इस बात का विचार करते हैं कि जिस काम को लोग गवर्नमेण्ट से कराना चाहते हैं उसे वह उनकी रुचि के अनुसार करेगी या नहीं । और उस विषय में जैसा विद्यास, अनुकूल या प्रतिकूल, उनको हो जाता है उसके अनुसार वे अपना मत देते हैं । अर्थात् अनुकूल विद्यास होने से अनुकूल और प्रतिकूल होने से वे प्रतिकूल पक्षबालों में मिल

जाते हैं। परन्तु इस बात का सिद्धान्त निश्चित करके कि अमुक काम करना गवर्नमेण्ट को उचित है और अमुक करना उचित नहीं, शायद ही कभी कोई अनुकूल या प्रतिकूल पक्ष में शामिल हुआ हो। इस तरह के नियम या सिद्धान्त के अभाव में, मैं समझता हूँ, इस समय, एक पक्षवाले जैसे भूल करते हैं वैसे ही दूसरे पक्षवाले भी करते हैं। अर्थात् जो लोग, किसी विशेष कारण से, गवर्नमेण्ट की दस्तान्दाज़ी को पसन्द करते हैं वे जैसे भूलते हैं वैसे ही, जो उसकी दस्तान्दाज़ी में दोष निकालते हैं या उसे बुरा समझते हैं वे भी भूलते हैं।

इस पुस्तक में मैं एसे सीधे सादे, पर व्यापक, सिद्धान्त का विवेचन करना चाहता हूँ जिससे यह मालूम हो जाय कि, जुदा जुदा, हर आदमी के साथ समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अर्थात् व्यक्ति-विशेष से किस तरह का व्यवहार करना समाज को उचित है और किस तरह का उचित नहीं। अथवा व्यक्ति-विशेष को समाज कहाँ तक अपने ताबे में रख सकता है और कौन कौन सी बातें वह बल्पूर्वक उससे करा सकता है। यह सिद्धान्त अथवा यह महातत्त्व ऐसा होना चाहिए जिससे यह बात समझ में आ जाय कि कब, किस हालत में, कानून के द्वारा शारीरिक दण्ड दिये जाने का नियम होना चाहिए, और कब, किस हालत में, न होना चाहिए। और इससे इस बात का भी निश्चय हो जाय कि समाज की राय का कब, किस हालत में, और कहाँ तक प्रतिबन्ध किया जाय। वह सिद्धान्त यह है—समाज के किसी आदमी के काम-कर्ज की

स्वाधीनता में, एक अथवा बहुत आदमियों के रूप में, मनुष्यमात्र की दस्तन्दाजी का सिर्फ एक ही उद्देश, आशय या मतलब होता है । वह उद्देश, आशय या मतलब, आत्मरक्षा—अपनी हिफाजत—है । जितने सम्य, अर्थात् सुधरे हुए, समाज हैं उनमें से किसी आदमी के ऊपर, उसकी इच्छा के विरुद्ध, सिर्फ इस मतलब से सत्ता या शक्ति मुनासिब तौर पर काम में लाई जा सकती है कि उस आदमी से दूसरों को नुक़सान या तकलीफ़ न पहुंचे । स्वयं उस आदमी के शरीर या मन की रक्षा का उद्देश कोई चीज़ नहीं । सत्ता को काम में लाने में उस उद्देश का ख़्याल नहीं किया जाता । किसी आदमी से कोई काम सिर्फ इस मतलब से कराना, या कोई काम करने से उसे सिर्फ इस मतलब से रोकना, कि ऐसा करने से उसे फ़ायदा होगा; या ऐसा करने से उसे अधिक सुख मिलेगा; या ऐसा करना, औरों की राय में योग्य अथवा बुद्धिमानी का काम होगा; मुनासिब नहीं । उसे मना करने, उसे समझाने, उसके साथ वादविवाद या उससे प्रार्थना करने में इन बातों का उपयोग हो सकता है; परंतु बल्पूर्वक उससे कोई काम कराने, अथवा, प्रतिकूल व्यवहार करने पर, उसे दण्ड देने में इन बातों से काम नहीं चल सकता । ऐसे मामलों में इस तरह की बातें युक्ति-सङ्केत नहीं मानी जा सकती । जिस काम से उसे रोकना है उस काम से यदि किसी दूसरे को कष्ट पहुंचने की सम्भावना है, तभी उस पर बल-प्रयोग करना, अथवा उसे दण्ड देना, मुनासिब होगा । उसके व्यवहार या चालचलन के जिस हिस्से से दूसरों का सम्बन्ध है सिर्फ उसीका वह ज़िम्मेदार है; सिर्फ उसीके लिए वह उत्तरदाता है । जिस हिस्से से

सिर्फ उसीका सम्बन्ध है उसमें उसकी स्वाधीनता अखण्डनीय है; वह नहीं छीनी जा सकती। अपना, अपने शरीर का, अपने मन का हर आदमी मालिक है, हर आदमी बादशाह है।

यह कहने की ज़रूरत नहीं कि यह सिद्धान्त सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम में लाया जाना चाहिए जिनकी बुद्धि, जिनकी समझ, परिपक्व दशा को पहुंच गई है; अर्थात् जो बालिग हैं। मेरा मतलब बच्चों से नहीं, और न उन खी-पुरुषों से है जो कानून के अनुसार वयस्क अर्थात् बालिग नहीं हुए। जो लोग अभी तक ऐसी अज्ञान-दशा में हैं कि दूसरों की देखभाल में रहना उनके लिए ज़रूरी बात है उनकी रक्षा बाहरी उपद्रवों से भी की जानी चाहिए और खुद उनके अनुचित कामों से भी। इसी नियम के अनुसार उस समाज उस जन-समुदाय के लिए भी यह सिद्धान्त नहीं है जिसके सभी आदमी अज्ञान, अतएव निकृष्ट अवस्था में हैं। जिस समाज के आदमी अज्ञान हैं, जंगली हैं, समझदार नहीं हैं, उसमें, बिना किसी की सहायता या दस्तन्दाजी के, आप ही आप सज्जानता, सुधार या सम्यता के पैदा होने में इतने अटकाव और इतने विघ्न आते हैं कि उनको दूर करने के लिए उचित उपायों को ज़रूर काम में लाना पड़ता है। जिस देश का समाज ऐसा है उस का राजा, सच्चे उत्साह से प्रेरित होकर, समाज के हित करने की इच्छा से, यदि कोई भी उपाय, या साधन, काम में लावे तो वे उपाय और वे साधन अच्छे ही समझे जाने जाहिए। क्योंकि यदि वे उपाय न किये जायं तो जिन बुराइयों को दूर करने के लिए उनकी योजना हुई है वे शायद और तरह से दूर ही न हों।

जो लोग असम्य हैं, जंगली हैं, उन पर सत्ता चलाने—हुकूमत करने—में अनिर्बन्ध शासन, अर्थात् बिना बन्धन का ही राज्य, अच्छा होता है । पर शर्त यह है कि उन लोगों को सम्य और शिक्षित बनाने के ही इरादे से इस तरह का राज्य हो; और वे सचमुच सम्य और शिक्षित बना दिये जायं । स्वाधीनता का यह सिद्धान्त तब तक काम में लाये जाने के लिए नहीं है, जब तक मनुष्य जाति, अपने को एक दूसरे की बराबरी का समझकर, बिना रोकटोक के, किसी भी विषय पर विचार करके, अपनी तरक्की करने के लायक न हो जाय । तब तक उसके लिए सिर्फ एक ही काम है । वह यह कि पूरे तौर पर वह किसी अकबर, या शाल्मेन,* के आधीन रहे—यदि सौभाग्य से वह उसे मिल जाय । अपने आप या दूसरों के द्वारा उत्साहित की जाने पर जब मनुष्य-जाति अपनी तरक्की का रास्ता आप ही हूँढ़ निकालने के लायक हो जाती है (जिन देशों के विषय में मैं यहां पर लिख रहा हूँ उनको इस लायक हो चुके बहुत बरसै हो गई) तब प्रत्यक्ष रीति से या दी हुई आज्ञा का पालन न करने के कारण दण्ड आदि देकर अप्रत्यक्ष रीति से उसके हित के लिए, उस पर बल-प्रयोग करना, अर्थात् ज़बरदस्ती कोई काम कराना, गैरमुनासिब है । इस तरह की ज़बरदस्ती तभी मुनासिब समझी जा सकती है जब वह दूसरों की रक्षा

* शाल्मेन पहले कांक्ष लोगों का राजा था; पर, पीछे से वह सम्प्रपश्चिमी योरप का हो गया । ८०० ईस्वी में उसे बादशाह की पदवी मिली । वह बड़ा उदार, गुणवान्, विद्वान्, न्यायी और सदाचारणक्षील था । योरप का वह अकबर था ।

के लिए की जाय। अर्थात् जब किसी के अनुचित व्यवहार के कारण औरों को तकलीफ पहुंचने का डर हो तभी उस अनुचित व्यवहार करनेवाले को बलपूर्वक राह पर आना मुनासिब है।

जिस सिद्धान्त का वर्णन मैंने ऊपर किया वह केवल उपयोगिता के ही आधार पर किया। इस लिए, यहां पर यह कह देना उचित होगा कि यदि और किसी बात के आधार पर इस सिद्धान्त से कुछ फ़ायदा होता हो तो मैं उसे नहीं मानता। नीतिशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं उनकी जांच करते समय मैं उनकी उपयोगिता को ही सब से प्रधान समझता हूँ। पर, इस उपयोगिता का अर्थ बड़े विस्तार का है अर्थात् वह बहुत व्यापक है। आदमी को उन्नातिशील प्राणी समझकर उसके चिरस्थायी हितों की प्राप्ति को ही मैं सच्ची उपयोगिता समझता हूँ। मेरा मत-लब यह है कि इस तरह के चिरस्थायी हितों की प्राप्ति के लिए आदमी के जिन कामों से दूसरों का सम्पर्क है सिर्फ उन्हींसे सम्बन्ध रखनेवाली व्यक्ति-विशेष की स्वाधीनता में दस्तन्दाज़ी करना मुनासिब है। यदि कोई आदमी ऐसा काम करता है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है तो उसे, कानून के द्वारा, या, यदि, कानून से काम लेने में सुभीता नहीं है तो बुरा भला कहके सजा देना, देखने के साथ ही, उचित मालूम होता है। ऐसी भी बहुत सी जंची हुई बातें हैं जिनसे समाज के हित होने की विशेष सम्भावना रहती है। वे भी हर आदमी से बलपूर्वक, अर्थात् जबरदस्ती, कराई जा सकती हैं। एक उदाहरण लीनिएः—कचहरी में जज के सामने गवाही देने के लिए हर आदमी मजबूर किया जा सकता है; क्योंकि

जिस समाज में वह आराम से रहता है उसके फ़ायदे या उसकी रक्षा के लिए उसका धर्म है कि वह भी सहायता करे । उसे समझना चाहिए कि वह भी समाज का एक अंश है और समाज की ही भलाई के लिए कानून के अनुसार बर्ताव किया जाता है । इसी तरह हर आदमी, विशेष विशेष बातों में, उदाहरण के काम के लिए भी विवश किया जा सकता है । उदाहरण के लिए किसी की जान बचाने, या असहायों पर जुल्म होते देख उनकी रक्षा करने, के लिए आदमी पर बल-प्रयोग करना मुनासिब है । मतलब यह कि जिस समय जो काम करना आदमी का धर्म, फ़र्ज़ या कर्तव्य है, और जिसे न करने से समाज की हानि, थोड़ी या बहुत हो सकती है उसके लिए वह हमेशा ज़िम्मेदार है । जो लोग यह समझते हैं कि आदमी कुछ न कुछ काम करके ही दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, चुपचाप अर्थात् तटस्थ रहकर नहीं पहुंचा सकता, वे भूलते हैं । दोनों तरह से औरों की हानि हो सकती है—औरों को तकलीफ़ पहुंच सकती है । जो आदमी दूसरे को लाठी से मारकर उसे चोट पहुंचाता है वह भी सज़ा पाने का काम करता है, और जो दूसरे को डूबता देख उसे बचाने की कोशिश न करके चुपचाप तमाशा देखता रहता है वह भी सज़ा पाने का काम करता है । इस लिए, दोनों हालतों में, समाज को हानि पहुंचाने का वह अपराधी है । हाँ, यह सच है कि पहले प्रकार से, अर्थात् कार्यद्वारा, किसी का अहित करने के कारण जो सज़ा दी जा सकेगी उसकी अपेक्षा चुपचाप बैठे रहने, अर्थात् कोई काम न करने, के कारण जिस सज़ा की ज़रूरत समझी जायगी उसे काम

में लाने में अधिक स्वरदारी दरकार होगी। अपने किसी अनुचित काम से दूसरों का अहित करने के कारण हर आदमी को जिम्मेदार समझना एक साधारण नियम है। पर दूसरे का अहित होता देख चुपचाप बैठे रहने-उसे टालने की कोशिश न करने—के कारण उसे जिम्मेदार समझना साधारण नियम नहीं; किन्तु निपातन, अपवाद या मुस्तसना बात है। परन्तु कभी कभी इस तरह के बहुत बड़े मौके आजाते हैं जिनके कारण इस अपवाद को काम में लाना, अर्थात् चुपचाप बैठने के लिए सजा देना, मुनासिब समझा जा सकता है। आदमीके बाहरी व्यवहारों से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं उनके लिए हर आदमी उन लोगों के सामने हमेशा ही उत्तरदाता रहता है जिनसे कि उन बातों का सम्बन्ध है। यहां तक कि कभी कभी समाज के सामने भी वह उत्तरदाता समझा जाता है; क्योंकि समाज सब की रखवाली करता है। परन्तु, बहुधा, ऐसे मामलों में व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी लादना विशेष कारणों से उचित नहीं होता। तथापि, इस विषय में कोई व्यापक नियम नहीं बनाये जा सकते ऐसी जिम्मेदारी कब उचित और कब अनुचित होगी, इस बात का निश्चय अपने अपने समय, स्थान और प्रसंग के अनुसार करना होगा। कोई कोई बातें ऐसी हैं कि यदि समाज, उन्हें अपनी अपनी समझ के अनुसार हर आदमी को, करने दे तो लोग उन्हें अधिक अच्छी तरह से कर सकें। पर, यदि, उन बातों के सम्बन्ध में समाज, अपनी शक्ति के अनुसार, किसी तरह का प्रतिबन्ध कर दे तो लोग उनको उतना अच्छा न कर सकें। कभी कभी जिन तकलीफों को दूर करने या जिन अनर्थों से बचाने

के लिए समाज अपनी सत्ता को काम में लाने, या किसी तरह वी प्रतिबंधकता करने, का इरादा रखता है उनकी अपेक्षा, सत्ता को काम में लाने या प्रतिबंधकता करने से अधिक सख्त तकलीफ़ और अधिक भयंकर अर्थ पैदा होने की सम्भावना होती है। ऐसे प्रसंग आने पर समाज की प्रतिबंधकता उचित नहीं मानी जा सकती। ऐसी बातों की जिम्मेदारी आदमी की समझ और उसके भले बुरे के ज्ञान पर ही छोड़ देना चाहिए। उसीसे दूसरों की रक्षा, जहां तक हो सके, होने देनी चाहिए। पर हाँ, ऐसे मौकों पर आदमी को इस बात का स्थाल रखना मुनाफ़िब है कि मुझसे दूसरों को तकलीफ़ पहुंचने या उनका अहित होने, की जो सम्भावना है उससे बचाने का प्रबन्ध समाज नहीं करता। इसलिए मुझे स्वार्थ पर अनुचित दृष्टि न रखकर निष्पक्षपात होकर व्यवहार करना चाहिए। ऐसे समय में आदमी को अपना न्याय आप ही करना चाहिए; और इतना कड़ा करना चाहिए जितना कि एक जज भी यदि वह उसके सामने जाता, तो न करता।

जिन बातों का सम्बन्ध, प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से, सिर्फ़ दूसरों से ही है उन्हींका यहां तक विचार हुआ। अब कुछ ऐसी बातों का भी विचार किया जाना उचित है जो दूसरों से बिलकुल ही सम्बन्ध नहीं रखतीं; अर्थात् उनसे समाज का न तो कोई कायदा ही है और न कोई नुकसान ही। और यदि कुछ है भी तो बहुत ही अप्रत्यक्ष रीति से है। ऐसी बातें वे हैं जिनका सम्बन्ध सिर्फ उन्हीं लोगों से है जिनकी वे हैं; या, यदि, किसी दूसरे से भी है तो वह सम्बन्ध बल्पूर्वक अर्थात् जबरदस्ती नहीं हुआ है; किन्तु

सुशी से अनुमति-पूर्वक हुआ है। मतलब यह है कि जो सम्बन्ध हो वह प्रत्यक्ष रीति पर हो और देखने के साथ ही दूसरों को उसका ज्ञान हो जाय। जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ न कुछ असर उसके द्वारा समाज पर ज़्यसर ही पड़ता है। परन्तु इस आशेष के उत्तर में यहां पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसका विचार मैं आगे चलकर यथास्थान करूँगा। तो, मान लीजिए कि ऐसी बातों के लिए हर आदमी को स्वाधीनता देना मुनासिब है। अब यह देखना है कि इस प्रकार की स्वाधीनता में कौन कौनसी बातें शामिल होनी चाहिए। पहले तो इसमें सब प्रकार का अन्तर्ज्ञान अर्थात् अन्तर्बोध, सम्बोधन या सत् और असत् के पहचानने की बुद्धि, शामिल होनी चाहिए। बहुत व्यापक अर्थ की बोधक सदसद्विवेक-बुद्धि की स्वाधीनता; विचार और मनो-विकारों की स्वाधीनता; धर्म, नीति और विज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाले, व्यवहारिक अथवा सात्त्विक, मर्तों की स्वाधीनता; ये सब इसी प्रकार की स्वाधीनता के भीतर समझी जानी चाहिए। किसी भी विषय में जिसकी जो राय है, उसको अपने मन में ही रखने और सर्व-साधारण में प्रकाशित करने में बड़ा अन्तर है। कोई विकार या विचार जबतक मन में रहता है तबतक उसका सम्बन्ध किसी और से नहीं होता; परन्तु प्रकाशित होते ही उसका सम्बन्ध दूसरों से भी हो जाता है। इसका विचार मैं आगे करूँगा कि हर आदमी को अपनी राय जाहिर करने के लिए कहां तक स्वाधीनता दी जा सकती है। यहां पर मैं इतना ही कहना बस समझता हूँ कि हर आदमीको अपनी

राय जाहिर करनेके लिए स्वाधीनता देना उतने ही महत्वकी बात है जितने महत्वकी बात उसे उस राय को मनमें कायम करने के लिए स्वाधीनता देना है । इसीसे ये दोनों बातें व्यवहारमें बिलकुल एक दूसरे से मिली हुई मालूम होती हैं । जिस प्रकार की स्वाधीनता के विषय में मैं लिख रहा हूँ उसमें रुचि की स्वाधीनता और जो जैसा उद्योग करना चाहे उसे करने की भी स्वाधीनता शामिल है । अर्थात् अपने स्वभाव, अवस्था, स्थिति और रुचि के अनुसार जो जिस तरह का रोज़गार करना चाहे उसे उस तरह का रोज़गार करने देने की स्वाधीनता उसे होनी चाहिए । किये का फल भोगने के लिए तैयार रहने पर हर आदमी को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वाधीनता भी मिलनी चाहिए; फिर, चाहे वह काम दूसरों की दृष्टि में मूर्खता, विरोध और भूलों से भरा हुआ ही क्यों न हो; परन्तु, हाँ, उससे दूसरों को हानि न पहुँचनी चाहिए । यदि इस प्रकार की स्वाधीनता हर आदमी को दी जा सकती है, तो वह एक से अधिक आदमियों को भी दी जा सकती है । क्योंकि जिन कारणों से, अल्पा अल्पा, हर आदमी को वह मिल सकती है उन्हीं कारणों से वह जन-समुदाय को भी मिल सकती है । परन्तु शर्त यह है कि जन-समुदाय के सब आदमी वयस्क अर्थात् वालिंग हों और किसीने उन को ज़बरदस्ती या धोखा देकर उस समुदाय में न शामिल किया हो । इस हालत में जिन कारणों से दूसरों को हानि न पहुँचती हो उन्हें, मिलकर करने के लिए, जन-समुदाय को भी स्वाधीनता दी जा सकती है ।

जिस समाज में—जिस लोक—समुदाय में—इस तरह की स्वाधी-

नता का आदर नहीं है वह समाज स्वाधीन नहीं कहा जा सकता; किर, वहां की राज्यव्यवस्था चाहे जैसी हो। कोई देश, कोई समाज, या कोई जन—समुदाय, जिस में इस तरह की स्वाधीनता पूरे तौर पर और बिना किसी प्रतिबन्ध या रोकटोक के नहीं दी जाती वह सब प्रकारसे स्वाधीन नहीं माना जा सकता। पर स्वाधीनता कहते किसे हैं? उसकी स्थूल परिभाषा क्या है? दूसरों को किसी तरह की हानि न पहुँचाकर, और अपने हित के लिए किये गये दूसरों के यत्न में बाधा न डालकर, जिस तरह से हो उस तरह अपने स्वार्थ—साधन की आजादी का नाम स्वाधीनता है। उस को ही स्वाधीनता कहना शोभा देता है। अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्माका ही आदमी मालिक है। उन्हें अच्छी हालत में रखने के लिए सब को बराबर अधिकार है। उस अधिकार में कोई दस्तन्दाजी नहीं कर सकता। इस विषय में दूसरों की इच्छा के अनुसार हर आदमी को बर्ताव करने के लिए लाचार करने की अपेक्षा उसे जैसा अच्छा लोगों वैसा करने देने में मनुष्यजाति का अधिक फ़ायदा है।

यह कोई नया सिद्धान्त नहीं है; यह कोई नई बात नहीं है। बहुतों को तो यह स्वयंसिद्ध सा जान पड़ेगा। अर्थात् उनकी दृष्टि में इसकी उपयोगिता या योग्यता साबित करने की कोई ज़रूरत ही न मालूम होगी। परन्तु विचार करने से यह बात ध्यान में आ जायगी कि इस समय समाज में जिस तरह का व्यवहार जारी है और लोगों की राय जिस तरह की हो रही है, उसके सच्चे प्रवाह के यह सिद्धान्त कितना प्रतिकूल है। अपनी निज की

रुचि के अनुसार लोग समझते हैं कि अमुक बात का होना समाज के लिए अच्छा है और अमुकका व्यक्तिविशेष के लिए । इतना ही नहीं, किन्तु, उस अच्छी बात या अच्छी स्थिति को पाने की इच्छा से तदनुकूल कोशिश करने के लिए समाज और व्यक्ति दोनों-को लोग, अपनी ही अपनी रुचि के अनुसार विवरा करते हैं—लाचार करते हैं । पुराने ज़माने में लोकसत्तात्मक राज्यों के आदमियों की यह समझ थी कि हर आदमी के शरीर और मन, दोनों के व्यवहारों का प्रतिबन्ध करने से देश का बहुत फ़ायदा होता है । इसीसे आदमी के छोटे छोटे ख़ानगी मामलों तक में वे अधिकारियों के द्वारा की गई दस्तन्दाज़ी को मुनासिब समझते थे । इस तरह की समझ को उस समय के दर्शनिक, तत्त्वज्ञानी और और बड़े बड़े पण्डित भी ठीक बतलाते थे । अर्थात् इस तरह के ख़्यालात का वे अनुमोदन करते थे । उस समय की स्थिति, उस समय की अवस्था, और तरह की थी । प्रजासत्तात्मक जितने राज्य थे बहुत छोटे छोटे थे । वे सब बहुधा बलवान् शत्रुओं से सब तरफ़ घिरे रहते थे । उनको हमेशा इस बातका डर रहता था कि ऐसा न हो कि बाहरी शत्रुओं की चढ़ाइयों या अपने ही देश के आन्तरिक विद्रोहों के कारण उनके राज्य का उलटपलट हो जाय । अपने बल, अपनी सत्ता, या अपनी शक्ति में ज़रासी भी शिथिलता आने देना वे अपनी स्वाधीनता के नष्ट हो जाने का कारण समझते थे । इसीसे शायद उनके ख़्यालात ऐसे हो गये हों । इसीसे वे हर आदमी की ख़ानगी बातों में भी दस्तन्दाज़ी करने लगे हों ।

इससे वे स्वाधीनता के चिरस्थायी नियमों का प्रचार करके उनसे फायदा उठाने के लिए न ठहरे हों। परंतु, इस समय राजकीय समाज बहुत बड़े बड़े हो गये हैं; अर्थात् देशों का विस्तार बढ़ गया है। धर्माधिकारी और राजा लोगों के अल्पा अल्पा हो जाने से छोटी छोटी खानगी बातों में पहले की तरह अब कानून को दस्तन्दाज़ी करने का बहुत काम मौका मिलता है। धार्मिक और राजकीय बातों से सम्बन्ध रखनेवाली सत्ता पहले एक ही व्यक्ति के हाथ में थी। अब वह बात नहीं है। अब ऐहिक और पारलैकिक बातों की सत्ता जुदा जुदा आदमियों के हाथ में है; इससे लोगों की मनोदेवता को उचित सांचे में ढालने का काम, राजकीय आधिकारियों के नहीं, किन्तु औरों के सिपुर्द है। परन्तु सामाजिक और व्यक्ति-विषयक व्यवहारों के सम्बन्ध में जो मत रुद्ध हो गये हैं, अर्थात् आदमियों के चित्त में जो भिद्द से गये हैं, उनके विरुद्ध कोई आदमी किसी तरह की काररवाई न करे, इसलिए नैतिक नियन्त्रण का अब भी उपयोग किया जाता है। अर्थात् नीति का आश्रय लेकर उसकी रोकटोक अबतक की जाती है। उपदेश, धिक्कार और धमकी आदि से किसी बात को रोकने का नाम नैतिक नियन्त्रण है। इस प्रकार के नैतिक नियन्त्रण से, इस समय, सामाजिक व्यवहारों में नितना काम लिया जाता है उसकी अपेक्षा व्यक्ति-विषयक व्यवहारों में बहुत अधिक लिया जाता है। मतलब यह है कि नीति से सम्बन्ध रखने वाली नितनी बातें हैं उनमें धर्म की झोंक या धर्म की मात्रा अधिक रहती है। और धर्म

की सत्ता आजतक प्युरिटन*पन्थवालों के ही हाथ में रही है। इससे व्यक्तिविषयक व्यवहार की सभी बातों के सम्बन्ध में कायदे बनाकर उनका निग्रह करने की इन लोगों को बड़ी ही महत्वाकांक्षा थी। अकेले प्युरिटन-पन्थवालों के विषय में ही यह बात नहीं कही जा सकती। इस समय के समाज-संशोधकों ने भी इस विषय में बहुत कुछ चलविचल की है। इन लोगों में से यद्यपि बहुतों ने पुराने धार्मिक विचारों का विरोध बड़े जोरोशोर के साथ किया है, तथापि व्यक्तिविशेष के व्यवहारों का प्रतिबन्ध करने के लिए कायदे बनाने में उन्होंने उतनी ही खटपट की है जितनी कि प्युरिटन-पन्थवालों के समान धर्माधिकारियों ने की है। ऐसे समाजसंशोधकों में फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक काम्पटी का पहला नम्बर है। उसने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम “राजकीयसत्ता-प्रणाली” है। उसमें जो अध्याय सामाजिक व्यवस्था पर है उसमें नैतिक निग्रह पर बहुत ज़ोर दिया गया है। उसने वहां लिखा है कि समाज को चाहिए कि वह नैतिक निग्रह के द्वारा हर आदमी के कामकाज का खूब प्रतिबन्ध करे। इस सिद्धांत की उपयोगिता को साबित करने के लिए उसने इतनी खटपट की है जितनी कि पुराने दार्शनिकों में से निःसीम निग्रहवादियों की भी पुस्तकों में नहीं पाई जाती।

आज कल दुनिया में व्यक्तिविशेष के ऊपर समाज की सत्ता

* प्युरिटन-पंथ प्रोटेस्टेण्ट-सम्बद्धाय की एक शाखा है। इसके अनुयायी बड़े निग्रहशाल होते हैं। उनका आचरण मुनियोंका ऐसा होता है। उनको खेलत-माशे पसन्द नहीं; ऐसो आराम पसन्द नहीं; अच्छा खाना पीना पसन्द नहीं। इंग्लैण्ड में क्रामवेल के समय में इन लोगों का बड़ा माहात्म्य था।

को बढ़ाने के लिए कुछ विचारशील पुरुषों को छोड़कर और लोगों की बेतरह कोशिशें हो रही हैं। इस सत्ता को वे लोग लोकमत और कभी कभी कानून के भी ज़ोरपर, स्थीचखांचकर, अनुचित रीति से बढ़ाना चाहते हैं। यह बहुत बुरी बात है; यह एक प्रकार का अनिष्ट है। क्योंकि इस समय संसार में जितने परिवर्तन हो रहे हैं उन सब की ज्ञांक समाज की शक्ति को बढ़ाने और व्यक्ति-मात्र की शक्ति को घटाने की तरफ है। इस कारण आदमी की स्वाधीनता के ऊपर लोगों की यह आक्रमण-प्रीति यह दस्तन्दाज़ी, यह बेजा मदाखिलत ऐसी नहीं है जो आप ही आप किसी समय दूर होजाय, अर्थात् आप ही आप जाती रहे; किन्तु दिनोंदिन उसके अधिक भयंकर होने का डर है। चाहे राजा हो चाहे मामूली आदमी—सबकी यही इच्छा रहती है, प्रत्येक पुरुष यही चाहता है, कि और लोग उसीकी समझ या प्रवृत्ति के मुताबिक् उसके मत के अनुसार बर्ताव करें। इस तरह की समझ, प्रवृत्ति या झुकाव को मनुष्यमात्र के कुछ बहुत ही उत्तम और कुछ बहुत ही अधम स्वाभाविक मनोविकार यहां तक मज़बूत बना देते हैं कि बलाभाव—शक्तिहीनता—को छोड़कर और किसी बात से बहुधा उनका प्रतिबन्ध नहीं होता। अर्थात् जब तक शक्ति रहती है तब-तक अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार लोग ज़रूर ही काम करते हैं। शक्ति छिन जाने पर ही उनकी यह अनुचित प्रवृत्ति आगे बढ़ने से रुकती है। यह शक्ति घटती नहीं है; किन्तु दिनबदिन बढ़ रही है। इससे इस अनिष्ट को, हम लोग, यदि मानसिक धैर्य और दृढ़ निश्चय की मज़बूत दीवार उठाकर रोक न देंगे तो वह बराबर बढ़ता ही जायगा। संसार की वर्तमान अवस्था को देखकर हमें ऐसा ही डर है।

स्वाधीनता से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातों का एक ही साथ विचार आरंभ करने की अपेक्षा पहले उसकी एक ही शाखा का निरूपण करने में अधिक सुभीता होगा । क्योंकि ऊपर वर्णन किया गया सिद्धान्त, उस शाखा के सम्बन्ध में, लोगों को बिलकुल तो नहीं, परन्तु, हाँ, बहुत कुछ मान्य है । इस शाखा का नाम विचार-सम्बन्धिनी—स्वाधीनता है । लिखने और बोलने की स्वाधीनता उसीके अन्तर्गत है । इनमें परम्पर सजातीय भाव है । अर्थात् ये एक दूसरी से जुदा नहीं हैं । जो देश इस बात को प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि उनकी राज्यप्रणाली स्वाधीनता से भरी हुई है और धार्मिक उदारता दिखालाने में वे ज़रा भी कसर नहीं करते उनकी राजनीति—प्रणाली को लिखने, बोलने और विचार करने की स्वाधीनतायें बहुत कुछ मान्य ज़रूर हैं; परन्तु जिन शाखायी और जिन व्यावहारिक बातों पर उनकी नीव पड़ी है उनसे सर्वसाधारण अच्छी तरह परिचित नहीं है; यहां तक कि समाज के अगुवाओं में से भी बहुत आदमी उनको पूरे तौर पर नहीं समझते । वे बातें यदि अच्छी तरह समझ में आजायंगी तो उनकी योजना, इस विषय की एक ही शाखा के निरूपण में नहीं, किन्तु और और शाखाओं के निरूपण में भी की जा सकेगी । इससे इस शाखा का पूरा पूरा विवेचन दूसरी शाखाओं के लिए एक अच्छी प्रस्तावना का काम देगा । गत तीन सौ वर्षों में, इस विषय का, बहुत कुछ विवेचन हो चुका है । तिस पर भी मैं इस विषय में एक दफ़े और भी कुछ कहने का साहस करता हूँ । इस लिए जिन लोगों को मेरे लेख में कोई भी नई बात न देख पड़े, वे इस साहस के लिए मुझे कृपापूर्वक क्षमा करें । आशा है, वे मेरी इस क्षमाप्रार्थना को ज़रूर मंजूर करेंगे ।



दूसरा अध्याय.

विचार और विवेचना की स्वाधीनता ।



इस बात को सिद्ध करने के लिए कोशिश करना बेफ़ायदा है कि गवर्नमेण्ट के अत्याचार और अनुचित या भ्रष्ट काररबाइयों से बचने के लिए अखबारों को स्वाधीनता का दिया जाना बहुत ज़रूरी है । अब वह समय ही नहीं है कि इसके लिए प्रमाण ढूँढ़ा या ज़रूरत जाहिर करना पड़े । इस बात का अब कोई प्रमाण ही न मांगोगा । आशा तो मुझे ऐसी ही है । जिस देश में प्रजाके हित और सत्ताधारी पुरुषों, अर्थात् हाकिमों, के हित में एकता नहीं है उसमें इसके विरुद्ध प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि हाकिम ही बतलावें कि प्रजा के मत कैसे होने चाहिए । और न इसके ही विरुद्ध प्रमाण देने की ज़रूरत है कि प्रजा के किन मतों, या उन मतों को पुष्ट करनेके लिए दिये गये किन प्रमाणों, का योग्य विचार वे सत्ताधारी हाकिम करें और किनका

न करें । अर्थात् इस बात के अनौचित्य को सप्रमाण सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं कि गवर्नरेण्ट के मतों के अनुसार ही प्रजा अपने मत कायम करे, या गवर्नरेण्ट ही इस बात का नियम करे कि प्रजा के किन किन मतों, और उनको दृढ़ करने के लिए दी गई किन किन दलीलों, का वह विचार करे और किन किनका न करे । कहने का मतलब यह कि प्रजा को जो मत उचित जान पड़े उसे वह ज़ाहिर करे । कोई भी राय कायम करके उसे ज़ाहिर करने के विषय में गवर्नरेण्ट किसी तरह का दबाव प्रजा पर न डाले—किसी तरह का प्रतिबन्ध न करे । आज तक जितने ग्रन्थकार हुए हैं उन्होंने स्वार्थीनता—सम्बन्धिनी इस शाखा का इतनी दफ़े और इतनी उत्तमता से विचार किया है कि यहा पर, इस विषय में; कोई विशेष बात कहने की ज़रूरत नहीं है । इंग्लैण्ड में टंचूडर घराने ने १८८९ से १९०३ ईसवी तक राज्य किया । समाचार-पत्र-सम्बन्धी कानून (इंग्लैण्ड में) उस समय जितना कड़ा था उतना ही यद्यपि अब भी कड़ा है तथापि इस बात का अब बहुत कम ढर है कि राजनैतिक विषयों की चर्चा बन्द करने के लिए वह कानून धड़ाधड़ कम में लाया जायगा । और यदि कानून के मुताबिक् जाबते की काररवाई की भी जायगी तो शायद ऐसे समय में की जायगी जब न्यायाधीश या राजमन्त्री, इस ढर से कि कहीं विद्रोह न उठ खड़ा हो, कुछ काल के लिए अपनी सत्ता की मामूली मर्यादा, अर्थात् अधिकार की साधारण सीमा, का उल्लंघन कर जाते हैं । जिस देश की राज्य-व्यवस्था यथानियम चल रही है उसमें मामूली तौर पर इस बात की शंका करना ही ठीक नहीं

कि राय जाहिर करने अर्थात् सम्मति देने, का प्रतिबन्ध करने की गवर्नमेण्ट बार बार कोशिश करेगी फिर चाहे गवर्नमेण्ट प्रजा के सामने पूरे तौर पर उत्तरदाता हो, चाहे न हो । हाँ, यदि खुद प्रजा ही किसी कारण से किसी सम्मति को न पसन्द करे—किसी बात को अच्छा न समझे—अतएव गवर्नमेण्ट उसका प्रतिबन्ध करे, तो बात ही दूसरी है ।

मान लीजिए कि गवर्नमेण्ट का और प्रजा का मत एक है; उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं; और प्रजा की इच्छा या प्रजा की राय के विरुद्ध कोई काम करने का गवर्नमेण्ट का ज़रा भी इरादा नहीं । पर, इस दशा में भी, मेरा यह मत है कि समाज को खुद, या गवर्नमेन्ट के द्वारा, किसीको दबाने या तंग करने का अधिकार ही नहीं है—हक़ ही नहीं है । मेरी समझ में तो किसीका दमन करने या उसे सताने की शक्ति या सत्ता का अस्तित्व ही अनुचित है । गवर्नमेण्ट को इस तरह की शक्ति या सत्ता को काम में लाने का हक़ ही नहीं; फिर चाहे वह गवर्नमेण्ट बहुत ही अच्छी हो, चाहे बहुत ही बुरी । प्रजा की राय के स्थिलाफ़ इस तरह की शक्ति काम में लाना जितना मुनिर है उतना ही, नहीं, उससे भी अधिक मुनिर प्रजा की तरफ़ से, अर्थात् प्रजा की राय के मुताबिक़, उसे काम में लाना भी है । कल्पना कीजिए कि एक को छोड़कर दुनिया भर के आदमियों की राय एक तरह की है और अकेले एक आदमी की राय दूसरी तरह की । यह भी कल्पना कर लीजिए कि उस अकेले आदमी का सामर्थ्य बहुत बढ़ा चढ़ा है । तो भी दुनिया भर के आदमियों का मुँह बन्द कर देना उसके लिए जैसे न्याय—सं-

गत न होगा वैसे ही उस अकेले आदमी का मुँह बन्द कर देना दुनिया भर के आदमियों के लिए भी न्याय-संगत न होगा । राय किसी एक आदमी की निज की चीज़ नहीं । वह कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिससे सिर्फ मालिक ही का फ़ायदा हो; जो सिर्फ मालिक ही के काम की हो; जिसकी कीमत दूसरों की दृष्टि में कुछ भी न हो । राय ऐसी चीज़ नहीं कि आदमी को उसके अनुसार बर्ताव न करने देने से सिर्फ उसीका अहित हो—सिर्फ उसीको नुकसान पहुंचे । नहीं, राय एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है, राय एक ऐसी कीमती चीज़ है, कि उसका प्रतिबन्ध करना, अर्थात् सर्व-साधारण पर उसके विदित होने के मार्ग को बन्द करना, मानों मनुष्य-जाति के सर्वस्व को लूट लेना है । किसीको अपनी राय न जाहिर करने देने से जो हानि होने की संभावना रहती है वह बड़ी ही विलक्षण है । इस प्रकार के प्रतिबन्ध से सिर्फ वर्तमान समय के ही आदमियों को हानि नहीं पहुंच सकती; किन्तु होनेवाली संतति को भी हानि पहुंचने का डर रहता है । फिर यह भी नहीं कि जो लोग एक राय के हैं उन्हीं-को हानि पहुंच सकती हो; नहीं, जिन लोगों की राय भिन्न है उन्हींकी सबसे अधिक हानि होती है । क्योंकि, यदि राय सही है, यदि मत सच्चा है, तो झूठे को छोड़कर सच्चे मत को स्वीकार करने का मौक़ा जाता रहता है । और यदि मत झूठा है, यदि राय ग़लत है, तो वादविवाद में झूठे और सच्चे का मुठभेड़ होकर, सच्चे की जीत होने से, उसके विषय में चित्त पर जो पहले से अधिक असर होता है, और उसकी पहचान जो पहले से अधिक स्पष्ट हो जाती है, उस लाभ से हाथ धोना पड़ता है । इस लाभ को कम

न समझना चाहिए। कोई सम्मति—कोई राय—यदि प्रकट की जाने से रोक दी जाय तो उसके प्रतिकूल पक्षवालों की भी हानि होती है; अनुकूल पक्षवालों की तो होती ही है।

यहां पर इन दोनों पक्षों के विषय में जुदा जुदा विचार करने की ज़रूरत है; क्योंकि हर एक लिए जिन दलीलों से काम लेना है वे भी जुदा जुदा हैं। इस बात को हम कभी विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि जिस राय—जिस सम्मति—के प्रकाशन को रोकने की हम चेष्टा कर रहे हैं वह झूठी है। और यदि हमको इसका विश्वास भी हो जाय कि वह झूठी है तो भी उसे रोकने से हानि ज़रूर होती है। यह ऊपर कहा ही जा चुका है।

अच्छा, पहले, मैं पहली बात का विचार करता हूं। सम्भव है कि जिस राय को अधिकार के बल पर—हुक्मत के ज़ोर पर—अर्थात् बलात्कार से दबाने की चेष्टा की जा रही है वह सत्य हो। उसे दबाने या रोकने की इच्छा रखने वाले उसकी सत्यतां को ज़रूर ही अस्वीकार करेंगे; उसे वे ज़रूर ही झूठ ठहरावेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं; और यह कोई नई बात भी नहीं। पर वे इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वे अन्तर्राष्ट्रीय हैं; अर्थात् वे कभी ग़लती नहीं करते; उनसे कभी भूल नहीं होती। उनको इसका अधिकार नहीं है, उनको इसका मजाज़ नहीं है, कि जिस बात का सम्बन्ध सारी दुनिया से है उसका फैसला वही कर दें; अर्थात् दुनिया भर की तरफ से वही न्यायाधीश का काम करें; और बाकी सबको उसके हनिलाभ का विचार करने से रोक दें। यदि कोई यह कहे कि जिस बातकी

विवेचना का लोप करने या उसे दबाने की कोशिश की जा रही है उसका लोप करने या उसे दबाने की इच्छा रखनेवाले उसे झूठ जानते हैं; इसी लिए वे उसकी विवेचना की ज़रूरत नहीं समझते; तो मानो वे इस बात को कुबूल करते हैं कि उनका साधारण निश्चय और सन्देहहीन निश्चय एक ही चीज़ है। अर्थात् यकीन और यकीन कामिल में कोई भेद ही नहीं है—जिस निश्चय में सन्देह का अत्यन्ताभाव रहता है उसमें और मामूली निश्चय में कोई अन्तर ही नहीं है। अथवा यह कि जिस बात को वे सन्देहहीन समझते हैं उसे सारी दुनिया भी वास्तव में सन्देहहीन समझती है। विचार, विवेचना, आलोचना, तक्रीर या बहस को बिलकुल ही बन्द कर देना मानो प्रमादहीन, निप्रान्त, अस्वलितबुद्धि या अचूक होने का दावा करना है। अतएव इस बात का खण्डन करने के लिए, कि किसीकी कुछ न सुनकर किसी बात की विवेचना को बन्द करना बड़ी भारी भूल है, यही दलील काफ़ी है। जो प्रमाण यहांपर दिया गया है वही बस है। यह प्रमाण यद्यपि एक साधारण प्रमाण है— यह दलील यद्यपि एक मामूली दलील है— तथापि इसके साधारण या मामूली होने से इसकी क्रीमत कम नहीं हो सकती।

जब लोग किसी बात का विचार तात्त्विक या शास्त्रीय दृष्टि से करते हैं तब वे अपनेको जितना भ्रान्तिशील, स्वलितबुद्धि या सचूक समझते हैं उतना व्यावहारिक दृष्टि से उसका विचार करते समय वे नहीं समझते। यह अफ़सोस की बात है। हर आदमी यह जानता है कि मैं भ्रान्तिशील हूँ; मैं ग़लती कर सकता हूँ; मैं भूल सकता हूँ; तथापि बहुत कम आदमी उस भ्रान्तिशीलता से

बचने के लिए कोई पेशबन्दी, पूर्वचिन्ता या प्रबन्ध करने की ज़रूरत समझते हैं। बहुत कम आदमियों के मन में यह बात आती है एक जिस विषय में उनको कोई सन्देह नहीं है, अर्थात् जिसे वे निश्चित जानते हैं, वह, सम्भव है, उनकी भ्रान्तिशीलता का ही उदाहरण हो। जो राजे स्वेच्छाचारी हैं अर्थात् जिनको किसी तरह का प्रतिबन्ध नहीं है; या जो लोग खुशामद करनेवालों से घिरे रहते हैं; या जिनकी आदत बेहद आट्ट होने की पड़ जाती है उनको, बहुधा सब विषयों में, यह निश्चय रहता है कि जो कुछ वे कहते हैं वह सर्वथा सच है। यह उनका दुर्भाग्य है। पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे अधिक भाग्यशाली हैं; जिनकी स्थिति कुछ अच्छी है। ऐसे आदमियों को कभी कभी अपनी राय के स्थिलाफ़ विवेचना या बहस सुननेका मौक़ा मिलता है। यदि उनकी राय-उनकी सम्मति-ग़लत होती है तो उसके विषय में दूसरोंकी की हुई समालोचना सुनकर उसे दुर्लत कर लेने की उन्हें आदत रहती है। यह नहीं कि इस तरह की समालोचना सुनने की उन्हें बिल-कुल ही आदत न हो। ऐसे आदमी अपनी सिर्फ उन्हीं बातों को निर्विवाद, निश्चित और सच्ची समझते हैं जो बातें उन लोगों की बातों से मेल खाती हैं जिनका आदर करने की उन्हें आदत पड़ रही है या जो उन्हें हमेशा धेरे रहते हैं। क्योंकि केवल अपनी बुद्धि, या अपने ज्ञान, या अपनी विचारणा पर आदमी का विश्वास नितना कम होता है उतना ही संसार की प्रमादहीनता या निर्भ्रमता पर उसका विश्वास अधिक होता है। यह एक साधारण नियम है। और हर आदमीका संसार

उतना ही समझना चाहिए जितने से उसे काम पड़ता है । संसारके जिस हिस्से से उसका सम्बन्ध है वही उसका संसार है । अर्थात् उसका दल, उसका धर्म, उसका पन्थ, उसकी जाति—यही उसका संसार है । जो आदमी जिस युग या जिस देश में रहता है वह यदि उसे ही दुनिया मानता है, अर्थात् “दुनिया” या “संसार” शब्द का वह उतना ही व्यापक अर्थ समझता है, तो वह उसी परिमाण में उदारचरित या विश्वालंचेता कहा जा सकता है । दूसरे युग, दूसरे देश, दूसरे पन्थ, दूसरे धर्म, दूसरे पक्ष और दूसरी जाति के आदमियों की राय मेरी राय से बिलकुल उल्टी थी, या अब भी उल्टी है, यह मालूम हो जाने पर भी, अपनी राय के विषय में आदमी का विश्वास ज़रा भी कम नहीं होता । वह समझता है कि जिस बात को सब लोग निर्भान्त कहते हैं; जिसे सब लोग ठीक बतलाते हैं; वह अवश्य ही निर्भान्त होगी; वह अवश्य ही अनूक होगी । जिन लोगों की राय वैसी नहीं है उनकी दुनिया की वह कुछ परवा नहीं करता । अर्थात् अपनी राय को सही और उनकी राय को ग़लत साबित करने की वह ज़रूरत ही नहीं समझता । जिसको वह अपनी दुनिया समझता है सिर्फ उसी की राय का वह ख़्याल रखता है । उसके मन में यह बात कभी नहीं आती कि किसी एक संसार—किसी एक दुनियाके मत-पर विश्वास करना सिर्फ़ इतिहास की बात है, सिर्फ़ एक आकस्मिक घटना है । अर्थात् दैवयोग से उस संसार में पैदा होने या रहने ही के कारण वह उसकी सम्मति पर विश्वास करता है । यहाँ पर संसार से मतलब सिर्फ़ उस देश या समाज से है जहाँ

आदमी पैदा होता या रहता है। क्योंकि वह अपने ही देश या समाज की राय को जगत् की राय समझता है। इस तरह जगत् को बहुत ही परिमित अर्थ में व्यवहार करने से दुनिया में सैकड़ों जगत् हो सकते हैं। उन्हींसे यहां अभिप्राय है। आदमी इस बात का विचार नहीं करता कि जिन कारणोंसे लृद्दन में वह किञ्चियन हुवा उन्हीं कारणोंसे पेकिन में वह बुध या कन्फूशियन धर्म का अनुयायी होता। वह कभी इस तरह की शङ्का ही नहीं करता। तथापि व्यक्ति—विशेष जैसे भूल कर सकता है—एक आदमी से जैसे ग़लती हो सकती है—वैसे ही एक युग, एक पुश्त, या एक पीढ़ीसे भी भूल हो सकती है। यह बात स्वयंसिद्ध है; और, आवश्यकता होने पर, जितनी दलीलों से चाहिए उतनी से साक्षित भी की जा सकती है। हर युग या पुश्त के बहुत से मत ऐसे थे जो अगली पुश्त के लोगों को भ्रांतिमूलक या झूठे ही नहीं किन्तु असज्जत, बुद्धिविरुद्ध और अनर्थक मालूम हुए हैं। इस बात का गवाह इतिहास है। और यह भी निर्भीत है—इसमें भी सन्देह नहीं है—कि पहले ज़माने की बहुतसी बाँतें जैसे इस समय कोई नहीं मानता वैसे ही बहुतसी बाँतें, जो इस समय सबको मान्य हो रही हैं, आगे न मानी जायेंगी।

सम्भव है कि जो दलीलें यहां पर पेश की गईं—जिस तरह के विचार यहां पर प्रकट किये गये—उनके विरुद्ध लोग कुछ कहें। विरोधियों की दलीलें शायद इस तरह की होंगी। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने मनोदेवता पर विश्वास करके, अपनी ही निम्नेदारी पर जिस तरह अधिकारी पुरुष और बाँतें को करते हैं उसी तरह किसी

आपक मत या किसी ग़लत राय का प्रतिबन्ध भी यदि वे करें तो उन पर अधिक अप्रमादशीलत्व दिखलाने का दौष नहीं आ सकता । अर्थात् और बातों को करते देख जब लोग अधिकारियों को अप्रान्तिशील नहीं कहते, तब किसी अनुचित मत के प्रचार को रोकने के सम्बन्ध में भी वे वैसा नहीं कह सकते । दोनों प्रकार के कामों में अन्तिशीलत्व, अर्थात् ग़लती करने का स्वभाव, एकसा है । फिर शिकायत क्यों ? किसी बात के सम्बन्ध में हाकिम लोग जो निश्चय करते हैं वह वे इस लिए करते हैं कि आदमी उसका सदृप्योग करके उससे फ़ायदा उठावें । सम्भव है कि उसका उपयोग करने में—उसे काम में लाने में—लोग भूल करें । तो क्या इस भूल के डर से लोगों से यह कह देना चाहिए कि वे उसका बिल्कुल ही उपयोग न करें ? जो बात मुजिर, हानिकर या बातक मालूम होती है उसे रोकने की कोशिश करना अप्रमादशील होने का चिह्न नहीं है । किसी तुरी बात को रोकने से यह नहीं ज़ाहिर होता कि रोकनेवाला यह दावा करता है कि उससे कभी ग़लती नहीं होती । किन्तु उससे इतना ही अर्थ निकलता है कि यद्यपि वह प्रमादशील है, यद्यपि उससे भूल होती है, तथापि अपनी समझ के अनुसार जो निश्चय लाभकारक जान पड़ता है उसके अनुसार व्यवहार करना उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, उसका फ़र्ज है । इस डर से कि उसके निश्चय, उसके मत, उसकी राय में भूल होना सम्भव है, यदि वह उसके अनुसार कभी कोई काम ही न करे, तो क्या वह अपने हित की बातों, की तरफ़ बिल्कुल ही ध्यान न दे और अपने कर्तव्यों को बेकिये हुए पड़े रहने दे ? भूल करने

के डर का अत्यन्ताभाव कभी होने का नहीं। तो क्या आदमी चु-
पचाप बैठा रहे ? प्रमादशीलता का यह आक्षेप—ग़लती करने का
यह उज्ज—सब बातों के विषय में किया जा सकता है। इसलिए
जब इस आक्षेप की व्यासि सभी बातों में ढूँढ़ निकाली जा सकती
है तब किसी विशेष बात में इसकी व्यासि न्यायसङ्गत, सप्रमाण,
यी अखण्डनीय नहीं मानी जा सकती। अर्थात् ऐसी सर्वव्यापक
आपत्ति किसी भी काम में उचित नहीं समझी जा सकती। गर्वन-
मेण्ट का, और हर आदमी का भी, धर्म है कि वह यथासम्भव
सच्चा निश्चय करे, पर करे बहुत समझ बूझकर। और जब तक उ-
सके सच्चे होने का पूरा विश्वास न हो जाय तब तक उसे लोगों पर
न लादे—अर्थात् उसके अनुसार काम करने के लिए लोगों को ला-
चार न करे। परन्तु जब उसे इस बात का ढृ विश्वास हो जाय
कि कोई निश्चय या कोई मत सच्चा है तब यदि वह उसके अनु-
सार बर्ताव न करे तो वह निरी कापुरुषता है—कोरी नामर्दी है।
जिस बात के करने को आत्मा गवाही नहीं देती, जी नहीं चाहता,
उसे करना डरपोकपन या कायरता के सिवा और क्या कहा जा
सकता है ? ऐसा काम हरगिज़ मनोनुकूल नहीं; हरगिज़ आत्मानु-
रूप नहीं। पहले लोग कम ज्ञानसम्पन्न और कम समझदार थे।
इसलिए उन्होंने बहुत सी बातों को, जिन्हें हम अब अच्छा समझते
हैं, नहीं प्रचलित होने दिया; उनके प्रचार में उन्होंने विन ढाला।
इस बुनियाद पर, इस समय, जिन बातों का प्रचार इस लोक और
परलोक में भी आदमियों के लिए लोग विश्वासपूर्वक सचमुच ही अ-
निष्टकारक या तुरा समझते हैं उनको न रोकना नामर्दी का

काम नहीं तो क्या है ? यदि यह कहा जाय कि जो भूलें पुराने जमाने में लोगों ने की हैं वे हम न करें, इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए तो ऐसी और भी तो बहुतसी बातें हैं जिनके विषय में यही दलील पेश की जा सकती है । पुरानी गर्वन्मेष्टों ने कितने ही विषयों में भूलें की हैं; पर वे विषय इस समय त्याज्य नहीं समझे जाते । उदाहरण के लिए उन्होंने बहुतसे ऐसे कर लगाये जो अनुचित थे और बहुतसी ऐसी लड़ाइयां लड़ीं जो बेफ़ायदा थीं—अन्यायपूर्ण थीं । तो क्या कर लगाना अब हम बिलकुल ही बन्द कर दें; और, चाहे कोई जितनी छेड़ छाड़ करे, उससे क्या अब हम लड़ाई करें ही नहीं ? आदमियों की, और गर्वन्मेष्ट की, जितनी शक्ति हो उसका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए । पूरा निश्चय, सर्वथा निःसन्देह निश्चय, या यकीन-कामिल कोई चीज़ नहीं । पर आदमी के सांसारिक काम चला लेने भर के लिए जितनी निश्चयात्मकता, जितनी असन्दिग्धता, या जितनी अप्रमादशीलता दरकार है उतनी संसार में अवश्य काफ़ी है । मतलब भर के लिए वह ज़रूर विद्यमान है । अपने निर्वाह के लिए—अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए—अपने मत या अपने निश्चयों को सच मानने में कोई हानि नहीं । अथवा यों कहना चाहिए कि उन्हें सच माने बिना काम ही नहीं चल सकता; उन्हें सच मानना ही पड़ता है । अतएव जो बातें हमको झूठ और हानिकारक जान पड़ती हैं उनके प्रचार द्वारा बुरे आदमी यदि भमाज को बिगाड़ना चाहें और हम उनको रोकें, तो यह हरणिजन समझना चाहिए कि हम अत्रान्तिशील होने का दावा करते हैं ।

हम सिर्फ़ इतना ही करते हैं जितना करना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं; और ऐसा करने में, जो कुछ हम ऊपर कह आये हैं, उससे हम ज़रा भी आगे नहीं जाते।

इसका जबाब यह है कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध करना, अर्थात् इस तरह के निश्चय पर विश्वास करके कोई काम करना औचित्य की सीमा के बाहर जाना है—मुनासिब हद के आगे बढ़ना है। जो बात खण्डन के लिए बहुत मौके देने पर भी स्पष्टित न होने से सच मान ली जाती है वह, और खण्डन के लिए मौका ही न देने पर जो सच मान ली जाती है वह, इन दोनों में बड़ा अन्तर है। उचित यह है कि हम अपनी सम्मति का खण्डन करके उसे झूठी ठहराने के लिए लोगों को पूरी स्वाधीनता दें। ऐसा करने पर यदि वह प्रमाणपूर्वक स्पष्टित होने से बच जाय तो हम उसे सच और युक्तिसंगत मानें और तभी हम उसका उपयोग करें। जब तक इस शर्त के मुताबिक़ काम नहीं किया जायगा; जब तक इस नियम के अनुसार काररवाई नहीं होगी; तब तक झूठ और सच का निर्णय भी न होगा। लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि अमुक बात सच, अतएव न्याय है, यह शर्त सचसे प्रधान है। सारा दारोमदार इसी पर है। यदि हम अपनी राय, अपनी सम्मति या अपने निश्चय का खण्डनमण्डन करके, उसे झूठ या सच सावित करनेके लिए, किसीको मौका न दें तो जिसे ईश्वर ने बुद्धि दी है उसे और किसी तरह इस बात का पूरे तौर पर विश्वास कभी न होगा कि जो कुछ हम कहते हैं वह सही है।

जब हम आदमियों की सम्मतियों के इतिहास का विचार करते

हैं, अर्थात् इस बात को सोचते हैं कि, समय समय पर, आदमियों के स्वयालात किस तरह बदलते गये; अथवा, जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आदमियों के बर्ताव में कैसे कैसे परिवर्तन होते गये, तब हमारे मन में यह बात आती है कि क्या कारण है जो लोगों के स्वयालात और आचरण जैसे हैं उससे अधिक स्वरात्र नहीं हो गये? आदमियों ने जो इन बातों को बिगड़ने से नहीं बचाया उसका कारण आदमियों की समझ या बुद्धि हरगिज़ नहीं। क्योंकि जो बात स्वयंसिद्ध नहीं है, अर्थात् बहुत ही स्पष्ट होने के कारण जिसके सूक्ष्म विचार की ज़रूरत नहीं है, उसे छोड़कर और सब बातों को समझने और उनके सम्बन्ध में योग्यायोग्य विचार करने वाला यदि कहीं सौ में एक है तो निजानवे ऐसे हैं जो उन बातों को बिलकुल ही नहीं समझते और उनके विषय में विचार करने की योग्यता बिलकुल ही नहीं रखते हैं। अच्छा, सौ में उस एक की योग्यता भी बहुत बढ़ी चढ़ी नहीं; वह भी अन्यसापेक्ष्य है; वह भी दूसरे का सहायता का मुहताज़ है। पुराने ज़माने में हर पीढ़ी के कितने ही नामी आदमियों के कितने ही निश्चय, इस समय, भ्रान्तिमूलक सिद्ध हुए हैं—भूलों से भरे हुए प्रमाणित हुए हैं। उन्होंने खुद बहुतसे काम ऐसे किये या दूसरों के द्वारा किये गये बहुतसे ऐसे काम मंजूर कर लिए, जिनको इस समय, कोई भी न्यायसंगत नहीं कहता; कोई भी उचित नहीं बतलाता। फिर क्या कारण है जो, इस समय, सब कहीं युक्तिपूर्ण मतों और युक्तिपूर्ण व्यवहारों की इतनी अधिकता है? अर्थात्, क्यों लोग उन्हीं बातोंको अधिक पसन्द करते हैं—क्यों उन्हीं व्यवहारों को

अच्छा समझते हैं—जो युक्तिपूर्ण न्यायसङ्गत या उचित जान पड़ते हैं? इस तरह के विचारों की अधिकता का कारण, मेरी समझ में, मनुष्यके मन का एक धर्म विशेष है। अर्थात् मनुष्य के मनका स्वभाव या झुकाव ही ऐसा है कि उसे युक्तिसङ्गत बातें अधिक अच्छी लगती हैं। बुद्धिमत्ता और न्यायशीलता के सम्बन्ध में जितनी बातें आदमी में अच्छी देख पड़ती हैं उन सबका भी कारण मनुष्यका धर्म—विशेष या स्वभाव—विशेष है। यदि आदमियों की दशा बिलकुल ही नहीं बिगड़ गई; यदि उनका आचरण बिलकुल ही भ्रष्ट नहीं हो गया; तो इस तरह के धर्म की अधिकता का होना स्वाभाविक बात है। इस धर्म या इस स्वभाव का नाम मिश्यात्वसंशोधन है। अपनी भूलों को दुरुस्त करनेकी तरफ मनुष्य की प्रवृत्ति आप ही आप होती है। मतलब यह कि विचार, विवेचना और तजरुबा के द्वारा भ्रममूलक बातोंका संशोधन करने की योग्यता मनुष्य में स्वभावसिद्ध है। भ्रान्तिमूलक बातों का संशोधन या निराकरण सिर्फ तजरुबे ही से नहीं हो सकता। उसके लिए विवेचना और विचार की भी ज़रूरत रहती है। विना विचार किये—विना विवेचना किये—यह नहीं जाना जा सकता कि तजरुबा किस तरह काम में लाया जाय। अर्थात् यदि खूब विवेचना न हो तो यह बात अच्छी तरह ध्यान में न आवे कि जो तजरुबा हुआ है उससे किस तरह फ़ायदा उठाया जाय और उसकी किस तरह योजना की जाय। भ्रान्तिमूलक बातें और न्यायव्हारिक रीतियां तजरुबा और विवेचना के ज़ोर से धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। परन्तु मन पर थोड़ा भी प्रभाव अर्थात् असर पैदा करने के लिए तजरुबे

से सम्बन्ध रखनेवाली दलीलों को मन के सामने ज़रूर लाना चाहिए । ऐसी बातें बहुत ही थोड़ी हैं जिनका मतलब विना विवेचना, टीका या स्पष्टीकरण के समझ में आ सकता है । इससे आदमी के मनोनिश्चय या भलेबुरे के समझने की शक्ति में भूल होने पर उसके जिस धर्म के द्वारा उसका सुधार, निरसन या निराकरण किया जा सकता है सारा दारोमदार उसी पर है । उस मनोनिश्चय का सब बल और सब महत्त्व उसी स्वभावसिद्ध मनुष्य-धर्म पर अवलम्बित है । अतएव उस मनोनिश्चय को भ्रम में पड़ने से बचाने के लिए अनुभव और विवेचनारूपी साधन आदमीको हमेशा अपने पास तैयार रखने चाहिए । तभी उस निश्चय पर विश्वास किया जा सकेगा; अन्यथा नहीं । किसी आदमीका निश्चय, निर्णय या मत यदि विश्वसनीय है तो क्यों? क्योंकि अपने निर्णय और अपने आचरण की समालोचना सुनने को वह हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जो कोई उसके स्थिताफ़ कुछ कहता है उसे वह बुरा नहीं समझता । क्योंकि अपने चालचलन और स्थितालात की आलोचना या टीका में जो कुछ ग्राह्य, न्याय्य या उचित जान पड़ता है उससे वह लाभ उठाता है; और जो आन्तिमूलक या ग़लत जान पड़ता है उस पर वह विचार करता है और मौक़ा आने पर अपनी भूलें वह औरों को स्पष्ट करके बतलाता भी है । क्योंकि वह यह समझता है कि दुनिया में किसी चीज़ का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करने का सिर्फ़ एक यही मार्ग है कि जितने आदमी अपने मत के विरुद्ध हों उनके कथन को, उनकी दलीलों को, मनुष्य ध्यानपूर्वक सुने और उन सबका अच्छी तरह विचार करे । आजतक जितने ज्ञानवान् हुए हैं उन्होंने इस तरीके के सिवा किसी

और तरफ़ से ज्ञान नहीं सम्पादन किया; उनको जो कुछ अकल मिली है इसी तरह मिली है। सच तो यह है कि किसी दूसरे मर्ग से, किसी दूसरी तरकीब से, किसी और तरीके से, सज्ञान, बुद्धि-मान या अकलमन्द होना आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं। अपनी राय का औरौं की रायसे मिलान करके उसका शोधन करने और उसे पूर्णवस्था या कमाल दरजे को पहुंचाने की धीरे धीरे आदत डालने से ही अपनी राय के अनुसार काम करने में आदमी को किसी तरह का संशय या सङ्कोच नहीं होता। यही नहीं, किन्तु अपनी राय के सच्ची होने के सप्रमाण विश्वास का वही दृढ़ आधार होता है। अर्थात् अपने मत का दूसरों के मत से मुकाबला करके उसका संशोधन कर लेना मानों अपने मत के सच्चे होने की नीव को खूब मज़बूत कर लेना है। क्योंकि अपने मत, निश्चय या निर्णय के विरुद्ध जितने आक्षेप स्पष्ट रूप से हो सकते हैं वे सब मालूम हो जाते हैं; आक्षेपों और प्रतिबन्धों को रोकने की कोशिश न करके उनके रास्ते को खुला रखने और उनके अनुसार अपने मत का संशोधन करने से विरोधियों को कुछ कहने के लिए जगह नहीं रह जाती है; और जहां कहीं जिस किसीकी उक्ति में जो कुछ जानने लायक होता है वह जानकर उससे फ़ायदा उठा लिया जाता है। अतएव, जिस आदमी या जिस जनसमुदाय ने अपने मत या अपने निश्चय को इस तरह की कसौटी पर नहीं कसा उसके किये हुए निर्णय की अपेक्षा अपने निर्णय या अपनी सारासार बुद्धि को अधिक विश्वसनीय और अधिक प्रामाणिक मान लेने का हक् या अधिकार आदमी को प्राप्त हो जाता है।

दुनिया में जो सबसे अधिक बुद्धिमान् हैं और जिनको अपने मत, निश्चय या निर्णय को सबसे अधिक विश्वसनीय मान लेने का अधिकार है वे भी जब अपनी राय को ऊपर बतलाई गई छसौटी पर कहने की ज़रूरत समझते हैं, तब, यदि, हम, थोड़े बुद्धिमान् और बहुत मूर्खों के सम्प्रदाय से बने हुए समाज की राय को वैसी ही कसौटी में कहने की ज़रूरत समझते हैं तो क्या बुरा करते हैं? क्रिश्चियन धर्म में रोमन-कैथलिक-सम्प्रदाय सब सम्प्रदायों से अधिक अनुदार है—अर्थात् मतभेद को वह बहुत ही कम बरदास्त करता है। इस सम्प्रदाय में जब कोई साधु मरजाता है तब एक जलसा होता है। उसमें यह विचार किया जाता है कि उस मरे हुए साधु को महात्मा की पदवी देना चाहिए या नहीं। उस समय जो आदमी इस तरह की पदवी देने के खिलाफ़ कुछ कहता है उसे इस सम्प्रदाय के अगुवा “शैतान का वकील” कहते हैं। पर वे लोग इस मौके पर, “शैतान के वकील” की भी बातों को चुपचाप सुन लेते हैं। इससे यह सूचित होता है कि आदमी चाहे जितना पुण्यात्मा या पवित्र हो, जब तक उसके कृत्यों पर उसके पाप-पुण्य पर विचार नहीं होता, और उसके विरोधी जो कुछ उसके खिलाफ़ कहते हैं उसे सुनकर उसका निर्णय नहीं कर लिया जाता, तब तक उस पुण्यशील पुरुष की गिनती भी महात्माओं में नहीं होती। दोसिए, न्यूटन कितना बड़ा दर्शनिक और ज्ञानी था। पर उसके वैज्ञानिक और शारीरिक सिद्धान्तों पर लोग यदि आक्षेप न करते और उनकी खूब समालोचना न होती तो वे, इस समय, जितने अखण्डनीय और जितने सच्चे मालूम होते हैं उतने

हरगिज़ न मालूम होते; और आदमी उन पर उतना विश्वास हर-गिज़ न करते जितना वे इस समय करते हैं। जिन बातों को हम अत्यन्त विश्वसनीय और सच्ची समझते हैं उनको मनुष्यमात्र के सामने रखकर हमें यह कहना चाहिए कि यदि किसीमें शक्ति हो तो वह उनको झूठ साबित करे। हमको चाहिए कि हम लोगों को आङ्खान करें, हम उनको चुनौती दें, कि यदि हमारी सम्मति सदोष हो तो वे उसका खण्डन करें। यदि किसीने हमारी ललकार को, हमारे प्रचारण को न मंजूर किया अर्थात् हमारी बात, को ग़लत साबित करने की न कोशिश की; या कोशिश करने पर यदि उसे कामयाबी न हुई, तो भी हमको यह न समझना चाहिए कि हमारी बात सच है; हमारा किया हुआ निश्चय विश्वसनीय है। हरगिज़ नहीं। उससे सिर्फ़ इतना ही सिद्ध होता है कि आदमी की जितनी शक्ति है उतना करने में हमने कसर नहीं की; जो कुछ सम्भव था वह हमने किया। अर्थात् सत्य के जानने के जितने मार्ग थे उनमें से एक की भी हमने उपेक्षा नहीं की; सत्य को अपने पास तक पहुँचने के जितने रास्ते थे एक को भी रोक देने का हमने यत्न नहीं किया। सत्य की प्राप्ति के सब दरवाज़ों को खुले रखने से हम इस बात की आशा कर सकते हैं कि यदि हमारे मत से भी अधिक सच्चा मत संसार में है तो जिस समय मनुष्य का मन उसे पाने का पात्र होगा—मनुष्य की बुद्धि उसे ग्रहण करने के योग्य होगी—उस समय वह आप ही आप मालूम हो जायगा। तब तक हमको इसीसे सन्तोष करना चाहिए कि अपने समय में जहां तक सत्यता की प्राप्ति संभव थी तहां तक हमने पा ली। मनुष्य प्रमादशील है; उससे

भूल होती ही है । उसे सत्यता का इतना ही ज्ञान हो सकता है और उस ज्ञान की प्राप्ति का सिर्फ यही एक द्वार है ।

आदमी इस बात को तो मानते हैं कि साधारण रीति पर अप्रतिबद्ध विवेचना, अर्थात् बेरोक विचार करने की स्वाधीनता, का होना अच्छा है । इसके समर्थन में प्रमाण देने और दलीलों को पेश करने की भी वे आवश्यकता समझते हैं । परन्तु आश्वर्य यह है कि सभी बातों के विषय में विचार करने की अप्रतिबन्धकता को वे अच्छा नहीं समझते । वे यह नहीं सोचते कि जो नियम व्यापक नहीं, जो नियम सब कहीं बराबर काम नहीं दे सकते, वे कहीं भी काम नहीं दे सकते । जो लोग यह कहते हैं कि जिन विषयों में कुछ भी सन्देह है उन पर विचार करने के लिए किसी तरह की प्रतिबन्धकता न होना चाहिए । वही यह भी कहते हैं कि किसी किसी विशेष बात, राय, निश्चय या सिद्धान्त के विषय में किसीको कुछ भी कहने का अधिकार नहीं । यदि उनसे कोई इसका कारण पूछता है तो वे कहते हैं कि अमुक बात के सच होने में हमें ज़रा भी सन्देह नहीं है । इसलिए उसपर विचार या वाद-विवाद करने की हम कोई ज़रूरत नहीं समझते । यह और भी अधिक आश्वर्य की बात है । ऐसे आदमियों के ध्यान में यह बात नहीं आती कि इस तरह वाद-विवाद अर्थात् विवेचना को रोकने की चेष्टा करने में अब्रान्तिशीलता का दावा होता है । अर्थात् किसी विशेष बात को सच मान लेना और उसके विषय में किसीको कुछ भी न कहने देना मात्रों यह सूचित करना है कि हम अब्रान्तिशील हैं; हमको कभी भ्रम नहीं होता; हम कभी

ग़लती नहीं करते। वे समझते हैं कि उनको कोई सन्देह नहीं; इसलिए किसीको सन्देह न होगा। वे उस बात या राय को इसलिए निश्चित जानते हैं, क्योंकि वे उसे वैसा समझते हैं। किसी बात के खण्डन करने की इच्छा रखनेवाले एक भी आदमी के होते उसे खण्डन करने का मौक़ा न देकर अपनी बात को सच मान लेना मानों यह ज़ाहिर करना है कि, हमको, और जिन लोगों की राय हमारी राय से मिलती है उनको, ईश्वर ने झूठ-सच का निर्णय करने की सनद् दे रखवी है। अतएव अपने प्रतिपक्षियों के, अपने विरोधियों के प्रमाण सुनने की हमें बिलकुल ज़रूरत नहीं। अर्थात् सिर्फ हम और हमारे साथियों ही वो इस बात के विचार करने का मजाज़ है; हम और हमारे साथियों ही के इनलास में इस बात का फैमला हो सकता है। हम जज और हमारे साथी जज। दूसरा कोई नहीं।

आज कल वह समय लगा है कि लोगों को विश्वास तो किसी बात पर नहीं; पर अविश्वास ज़ाहिर करने में उनको डर बेतरह लगता है। इस समय कोई भी विश्वासपूर्वक यह नहीं कहता कि हमारा मत बिलकुल सच्चा है—जो राय हमारी है उसमें शंका करने को ज़रा भी जगह नहीं है—परन्तु लोग यह समझते हैं कि यदि हमारे मत निश्चित न होंगे, यदि हम विशेष विशेष बातों पर ढड़न रहेंगे, तो हमारा काम ही न चलेगा; तो संसार में रहना हमारे लिए मुश्किल हो जायगा। आदमी यह नहीं कहते कि अमुक बात, अमुक राय या अमुक सम्मति निर्दोष है। इसलिए उस पर आक्षेप करने, उसका विचार करने, 'उसके दोष दिखलाने, की ज़रूरत

नहीं । वे कहते क्या हैं कि अमुक राय, अमुक बात, या अमुक निश्चय से समाज का फ़ायदा है; इसलिए उसके विषय में खण्डन-मण्डन करते बैठना व्यर्थ है । अर्थात् आदमी फायदे का तो ख़्याल करते हैं; पर झूठ-सच का नहीं । कोई कोई यह भी कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हितकर हैं—यहां तक हितकर कि उनके बिना काम ही नहीं चल सकता—कि उनकी रक्षा करना, अर्थात् उनका खण्डन न होने देना, गवर्नर्मेण्ट का उतना ही फ़र्ज़ है जितना कि समाज के फायदे की ओर और बातों का लोप न होने देना है । बहुत आदमियों की यह राय है कि ऐसी बातें जो निहायत ज़रूरी हैं, और कर्तव्य के कामों से जिनका बहुत धना मम्बन्ध है, उनके सच होने के विषय में यदि पूरा पूरा निश्चय न भी हो, तो भी, बहुमत के आधार पर उनको जारी रखना और उनके अनुसार काम करना गवर्नर्मेण्ट का फ़र्ज़ है । गवर्नर्मेण्ट को उनके मुताबिक़ कार्रवाई करना ही चाहिए । ऐसे मौके पर भ्रान्तिशीलता का ख़्याल करना मुनासिब नहीं । कभी कभी इस बात के सप्रमाण सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि जो लोग यह ख़्याल करते हैं कि गवर्नर्मेण्ट को इस तरह के हितकारक नियमों को काम में न लाना चाहिए वे भले आदमी नहीं । वे बहुधा इस बात को साफ़ साफ़ कह भी डालते हैं कि यदि तुम भले आदमी होते तो कभी ऐसा न करते । वे यह भी समझते हैं कि ऐसे आदमियों को बुराई करने से रोकना, और जो कुछ वे करना चाहें उसे न करने देना, अन्यथा नहीं । औरें के साथ ऐसा व्यवहार करना वे शायद अनुचित भी समझें; पर ऐसों के साथ नहीं ।

जो लोग ऐसा खयाल करते हैं उनकी दलीलों से यह मतलब निकलता है कि किसी विषय के बाद-विवाद को रोक देना उसके सच होने पर अवलम्बित नहीं रहता; किन्तु उसकी उपयोगिता पर अवलम्बित रहता है। अर्थात् इस बात का विचार नहीं किया जाता कि वह विषय झूठ है या सच। विचार इस बात का किया जाता है कि वह उपयोगी है या नहीं; उससे कुछ काम निकल सकता है या नहीं। और यदि कुछ काम निकलने की सम्भावना है तो उसके विषय में विवेचना द्वारा झूठसच के मालूम करने की अर्थात् किसीको उसके विरुद्ध बोलने देने की, ज़रूरत नहीं समझी जाती। इस तरह की कार्रवाई करनेवाले—इस तरह अपने मन में सोचनेवाले—यह घमण्ड करते हैं कि इस तरकीब से वे अ-आन्तशीलता के आरोप से बच जाते हैं। परन्तु, यह उनकी आत्म-स्थापा—यह उनकी अपने मुँह अपनी बढ़ाई—व्यर्थ है। इन महात्माओं के ध्यान में यह बात नहीं आती कि ऐसी दलीलों से उनकी अ-आन्तशीलता एक इच्छ भर भी कम नहीं होती। हाँ, होता क्या है कि उनकी अ-आन्तशीलता अब तक जो एक बात के विषय में भी वह दूसरी बात के विषय में हो जाती है। क्योंकि किसी विषय को उपयोगी समझना भी सिफ़्र राय की बात है। जिसे एक आदमी उपयोगी समझता है उसे सम्भव है और लोग उपयोगी न समझें। अतएव किसी विषय के उपयोगीपन को साबित करने के लिए भी विवेचना की ज़रूरत है। जिस तरह इसके साबित करने की ज़रूरत है कि कोई बात झूठ है या सच, उसी तरह इसके साबित करने की ज़रूरत है कि वह उपयोगी है या नहीं। यह निर्णय विन-

विवेचना के नहीं हो सकता । जिस बात को तुम उपयोगी समझते हो उस बात के विरोधियों को यदि तुम बोलने का मौक़ा न देंगे और उनकी दलीलों को विना सुने ही उसे उपयोगी मान लेंगे तो अध्रान्तिशीलता का आरोप तुम्हारे ऊपर से हरगिज़ नहीं हट सकता । शायद तुम कहेंगे कि तुमने अपने विरोधियों को अपनी बात के झूठ या सच होने के विषय में बोलने की अनुमति नहीं दी; पर उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता के विषय में बोलने की अनुमति तो दी है । परन्तु इस बहाने से काम न चलेगा । तुम्हारी यह दलील कोई दलील नहीं । किसी बात, राय या सम्भाति की उपयोगिता उसके सचेपन का—उसकी सत्यता का—ही एक अंश है । अर्थात् जो बात सच नहीं है वह कभी उपयोगी नहीं हो सकती । जब मन में यह विचार आता है कि कोई बात विश्वास करने के लायक है या नहीं तब क्या यह सम्भव है कि उसके झूठ या सच होने का विचार मन में न पैदा हो ? जो मत, या विश्वास सच नहीं है उससे कभी फ़ायदा न होगा; वह कभी उपयोगी न होगा । जिनको तुम बुरा कहते हो, यह मत, उन्हींका नहीं है; जो निहायत भले हैं, जो सज्जनों के शिरोमणि हैं, उनका भी है । जिस बात को तुम उपयोगी और अच्छा कहते हो वह यदि इन सज्जन-शिरो-मणियों को झूठ मालूम हुई तो वे उसे हरगिज़ क़बूल न करेंगे । इस हालत में यदि तुम उन पर अपनी बात को क़बूल न करने का इलजाम ल्यावेंगे तो वे फ़ौरन यह कह देंगे कि तुम्हारी बात झूठ है—तुम्हारी राय ठीक नहीं है—इसीसे वे उसे मंजूर नहीं करते । क्या तुम उनके ऐसा उज्ज़ पेश करने से रोक सकोगे ?

क्या तुम उनका प्रतिबन्ध कर सकोगे ? हरगिज नहीं । जो रुढ़ि के दास हैं, जो शिरवाज के अभिमानी हैं, वे अपनी राय के अनुकूल प्रमाण देते समय इस आक्षेप से यथासम्भव ज़रूर कायदा उठाते हैं । जिस समय वे अपने मत के अनुकूल दलीलें पेश करते हैं उस समय वे उपयोगिता को सत्यता से कभी अलग नहीं करते । अर्थात् उपयोगिता को सत्यता का अंश समझकर जो कुछ उन्हें कहना होता है वे कहते हैं । उपयोगिता और सत्यता को वे कभी भिन्न भिन्न नहीं समझते । उल्टा वे यह कहते हैं कि हमारा मत सच है । इसीलिए उसको जानने और उस पर विश्वास करने की हम इतनी ज़रूरत समझते हैं । इस तरह के प्रमाण देने में रुढ़ि-मतवालों का प्रतिबन्ध न करना और उनके विरोधियों को वैसे प्रमाण देने से रोकना अन्यथा है । ऐसी कार्रवाई से उपयोगिता की दलील का उचित विवेचन—उसका न्याय-सङ्गत फैसला—कभी नहीं हो सकता । जब कानून या जन-समुदाय का आग्रह किसी बात के सम्बन्ध में उसकी सत्यता या असत्यता को नहीं सावित करने देता तब यदि उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता के सम्बन्ध में कोई शङ्का-समाधान करने लगा, तो लोग उसे बिलकुल नहीं बरदाश्त कर सकते । किसी बात की सत्यता पर जब उनको कुछ भी कहने का मौक़ा नहीं दिया जाता तब उसकी उपयोगिता पर वे क्यों कुछ सुनने लगे ? बहुत हुआ तो वे इस बात को मंजूर कर लेते हैं कि किसी मत-विशेष—किसी खास राय—की अत्यावश्यकता को मान लेने या उसका खिलार करने से होनेवाले अपराध की मात्रा, हम जितनी समझते थे, उससे कम है ।

जो बात उनको पसन्द नहीं है उसकी विवेचना करने और उसके विषय में साधकवाधक प्रमाण देने की इच्छा रखनेवालों को रोकने से बहुत नुकसान होता है । उनकी राय को—उनकी दलीलों को—न सुनने से बहुत अनिष्ट होने की सम्भावना रहती है । इस बात के अच्छी तरह ध्यान में आने के लिए उदाहरणों की ज़रूरत है । उदाहरण देकर विवेचना करने से यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जायगी और खूब अच्छी तरह ध्यान में आजायगी । मैं, इस विषय में, ऐसे उदाहरण देना चाहता हूँ जो मेरे बहुत ही कम अनुकूल हैं; अर्थात् जो मेरे बहुत ही कम फ़ायदे के हैं । मैं जानबूझकर ऐसे उदाहरण चुनचुनकर देना चाहता हूँ जिनकी उपयोगिता और सत्यता, दोनों ही का विरोध करनेवालों के स्विदाफ़ बहुत ही मज़बूत दलीलें लोग अपने पास तैयार समझते हैं । वे उदाहरण, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, परलोकके आस्तित्व में विश्वास और सदाचरणसम्बन्धी सर्वसम्मत बातोंपर विश्वास, ये तीन हैं । इन विषयों पर वादविवाद करनेवाले अप्रामाणिक विरोधी को बहुत फ़ायदा रहता है । क्योंकि इन बातों पर निनको पूरा पूरा विश्वास है ऐसे अप्रामाणिक विरोधी फौरन ही यह सवाल कर बैठते हैं (और जो लोग प्रामाणिकता की परवाह करते हैं वे अपने मन में कहते हैं) कि “क्या वे बातें यही हैं जो तुम्हारी राय में इतनी निश्चित नहीं कि उनके विरुद्ध वाद-विवाद का प्रतिबन्ध कानून के द्वारा किया जाना मुनासिब हो ? ईश्वर के अस्तित्व को मान लेना क्या उन्हीं बातों में से एक बात है जिनकी अप्रामाणिकता अर्थात् यथार्थता या सत्यता कमूल कर देता

अभ्रान्तिशील होने का दावा करना है ? ” ऐसे सवाल करनेवालों की आङ्गा से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कब मैंने कहा कि किसी नियम राय या सम्मति को निश्चित मान लेना ही (फिर चाहे इसका जो अर्थ हो) अभ्रान्तिशीलता का दावा करना है ? मैंने यह कभी नहीं कहा । मैं यह कहता हूँ कि किसी राय या नियम के विरुद्ध जिनको जो कुछ कहना है उनके कहने को न सुनकर उस राय या नियम को सबके लिए निश्चित मान लेने का जो लोग घमण्ड करते हैं वे मानों अभ्रान्तिशील होने का दावा करते हैं । याद रखिए, जो बातें खुद मुझे अत्यन्त निश्चित और अत्यन्त सच जान पड़ती हैं यदि उनके विषय में भी कोई वैसा व्यवहार करे, अर्थात् उनके विरुद्ध किसीको कुछ कहने का मोका न दे, तो मैं उसे भी उतना ही दोषी समझूँगा, कम नहीं । किसी सम्मति या निश्चय की केवल असत्यता ही के विषय में नहीं, किन्तु उसके बुरे परिणाम के विषय में भी—और केवल बुरे परिणाम ही के विषय में नहीं, किन्तु उसकी अधारिकता और अष्टता के विषय में भी—किसीका चाहे जितना दृढ़ विश्वास हो और उस विश्वास को देश के जनसमुदाय और सहयोगियों का चाहे जितना आधार हो, तो भी जिनकी राय वैसी है उनको उसे सप्रमाण सत्य सिद्ध करने का जो लोग मौका न देंगे वे अभ्रान्तिशीलता ग्रहण करने के दोष से हरगिज़ नहीं बच सकेंगे । उस सम्मति को नीति-विरुद्ध, अधारिक या अष्ट कहदेने ही से अभ्रान्तिशीलता ग्रहण करने का आरोप कम नहीं हो सकता; और न वह कम सदृष्ट या कम हानिकारक ही माना जा सकता । इस प्रकार अभ्रान्तिशीलता ग्रहण करना उल्य और भी आधिक अनिष्टकारक होता है । यही वे प्रसङ्ग हैं जिनमें एक पुक्त के

आदमी ऐसी ऐसी भयक्कर ग़लतियां करते हैं जिनका स्थायल करते ही अगली पुश्तवालों को आश्र्य होता है और उनके रोंगटे सड़े हो जाया करते हैं । यही वे प्रसङ्ग हैं जिनके कारण इतिहास में बहुत बड़े बड़े मारके की बातें हो जाया करती हैं । यही वे प्रसङ्ग हैं जिनकी प्रेरणा से क़ानून की बलवान् भुजा बड़े बड़े महात्मों और बड़े बड़े उदार मर्तों को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है । इस बात को याद करके अपार दुःख होता है कि ऐसे ही प्रसङ्गों में पड़कर बड़े बड़े सत्पुरुषों का—बड़े बड़े महात्मों का—समूल ही निर्मूलन होगया ! पर, हाँ, यह जानकर कुछ सन्तोष होता है कि उनके मर्तोंका कुछ अंश अब तक बाकी है । जो लोग ऐसे मर्तों का प्रतिबाद करते हैं, जो लोग ऐसे मर्तों की प्रतिबन्धकता करते हैं, मानो उनकी दिलगी करने ही के लिए वे अब तक विद्यमान हैं; मानो अपने पश्चालोंकी युक्तियोंको सत्य सावित करने ही के लिए वे अबतक नने हुए हैं ।

इस बातकी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि साकेटिस कौन था ? उसे कौन नहीं जानता ? उसका यश संसार में कहाँ नहीं फैला हुआ है ? तथापि उस समय के समाज का जो मत था साकेटिस का मत उससे जुदा था । इसलिए दोनों में विरोध उत्पन्न हुआ । उस समय के क़ानून की भी राय वैसी ही थी जैसी कि समाज की थी । अर्थात् समाज और क़ानून दोनोंका मत एक था । परं साकेटिस का मत उससे जुदा था । यह बात इतने महत्त्व की है कि इसका बार बार जिक्र करना भी अप्रासंगिक न होगा । जिस देश और जिस समय में साकेटिस का जन्म हुआ उस देश और उस समय में

जिसने ही बड़े बड़े आदमी होगये हैं। जो लाग साक्रेटिस से, और जिस समय वह हुआ उस समय से, अच्छी तरह परिचित थे उन्होंने जिस रक्षा है कि साक्रेटिस सबसे अधिक नीतिभाव और शुद्धात्मा था। यह उन लोगों की राय हुई। मेरी राय तो यह है कि साक्रेटिस के बाद जितने सहुणी, नीतिशील और धार्मिक पुरुष हुए उन सबमें वह श्रेष्ठ था। यही नहीं, किन्तु अपने अनन्तर होनेवाले सभी सात्त्विक पुरुषों के लिए वह आदर्शरूप था। प्रसिद्ध तत्त्वज्ञता घेटो के मन में दर्शनशास्त्र-सञ्चानियनी जो उदार प्रेरणा हुई—जो उदार परिस्फूर्ति हुई—उसका कारण साक्रेटिस ही था। यहां तक कि उपयोगिता-तत्त्व के आधार पर जगन्मान्य तत्त्वज्ञानी अस्ट्रियटल ने जो सिद्धान्त स्थिर किये उनका भी प्रेरक साक्रेटिस ही था। नीतिशास्त्र के, तथा और जितने दर्शनशास्त्र हैं उनके भी, उत्पादक या आचार्य घेटो और अस्ट्रियटल ही हैं। परन्तु साक्रेटिस को उनके गुरुस्थान में समझना चाहिए। दो हज़ार वर्ष बीत जाने पर भी जिसकी विमल कीर्ति अब तक बराबर बढ़ती ही जाती है; उसे छोड़कर बाकी के और जिन सब विद्वानों के कारण उसकी जन्मभूमि एथन्स का इतना नाम हुआ उन सबके कीर्ति-समूह से भी जिसकी कीर्ति अधिक उज्ज्वल हुआ चाहती है; उसके बाद होनेवाले सभी प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानियों का जो गुरु माना जाता है उसी साक्रेटिस पर, उसी विश्वविद्य साधुपर, उसी पवित्रान्तःकरण पुरुष पर, उसीके देश-भाइयों ने दुर्नीति और अधार्मिकता का इलाज लगाया; और उसे कच्छहरी में घसीटकर न्यायाधीश के दुर्लभ से उसे ग्राण्ड दण्ड दिलाकर उन्होंने कल की! साक्रेटिस

की अधार्मिकता यह थी कि देवा भर जिन देवताओं को पूज्य समझता था उन पर उसका विश्वास न था । उस वर जिस आदर्शी ने मुक़द्दमा चलाया था उसका कहना तो यह था साक्रेटिस कि श्वास किसी देवता पर नहीं है । यही साक्रेटिस की अधार्मिकता हुई । उसकी दुर्नीति यह थी कि, लोगों की राय में, उसने अपने स्थिरान्त और उपदेशोंसे लड़कों के स्वयालात को बिगाढ़ दिया था । साक्रेटिस पर कच्छहरी में मुक़द्दमा दायर होने पर जब उसका विचार हुआ तब न्यायाधीश ने उस पर लगाये गये इलंजामों के लिए उसे सचमुच ही दोषी पाया—लोगों का विश्वास ऐसा ही है । अतएव, उस समय तक के प्रायः सभी मनुष्यों में मनुष्यजाति की कृतज्ञता का जो सबसे अधिक पात्र था—अर्थात् सारी मनुष्य-जाति जिसकी सबसे जियादह अहसानमन्द थी—उसी महापुरुष, उसी महात्मा, उसी सानुशिरोमाणि को एक साधारण अपराधी की तरह—एक मामूली मुलजिम की तरह—मारडाले जाने का न्यायाधीश ने हुक्म दिया ।

न्यायालय में आज तक जितने विचार हुए हैं उनमें से साक्रेटिस को अपराधी ठहराने के विषय में जितना अन्याय हुआ है उतना और किसीके विषय में नहीं हुआ । और अन्यायों के उदाहरण इसके सामने कोई चीज़ नहीं । हाँ, एक उदाहरण और है जो कुछ कुछ इसकी बराबरी कर सकता है । उसे हुए अठारह सौ वर्ष से भी अधिक समय हुआ । यह उदाहरण काल्वरी * नामक पहाड़ी वर हुआ था । जिस पुरुष (अर्थात् क्राइस्ट) से मेरा अभिप्राय है कह-

* जेरूशालम के पास, बोटी दूर पर, काल्वरी नाम की एक पहाड़ी है, वही पर ईसा मसीह को सूनी ही मई थी ।

ऐसा विलक्षण महात्मा था कि जिन्होंने उसके आचरण को देखा और जिन्होंने उसकी बातचीत सुनी उनके हृदय पर उसकी तेजस्वी नीतिमत्ता का ऐसा उत्तम नक़शा उठ आया—ऐसा अच्छा चिन्ह हो गया—कि आज लगभग दो हजार वर्ष से लोग उसे देवता मान रहे हैं, उसे सर्वशक्तिमान् समझ रहे हैं। पर ऐसे महापुरुष का बड़ी ही बुरी तरह से, बड़ी ही बेइज्जंती से, वध किया गया। जानते हो क्यों उसका वध हुआ? उसे लोगों ने धर्मनिन्दक समझा! वह महात्मा आदमियों का बहुत बड़ा हितचिन्तक था। पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यही नहीं, किन्तु वह जैसा था उसका बिलकुल ही उल्टा वह लोगों को मालूम हुआ। उन्होंने उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जिस तरह का बर्ताव एक महा अधार्मिक आदमी के साथ किया जाता है। वे उसके साथ इस बुरी तरह से पेश आये कि वे, इस समय, खुद ही अधार्मिक माने जाते हैं। इन महाशोचनीय घटनाओं के कारण, विशेषकरके पिछली घटना के कारण, आदमियों का दिल कभी कभी ऐसा क्षुब्ध हो उठता है, कभी कभी उनको यहां तक सन्ताप होता है, कि जिन अभागी लोगों के हाथ से ये दुष्कर्म हुए उनका विचार करते समय—उनको अपराधी ठहराते समय—वे न्याय-अन्याय को बिलकुल ही भूल जाते हैं। अर्थात् वे यहांतक कुपित हो उठते हैं कि अन्याय करने लगते हैं। जिन लोगों ने ऐसे ऐसे दुष्कर्म किये वे दुराचारी या दुर्जन न थे। मामूली तौर के जैसे आदमी होते हैं वैसे ही वे भी थे; उनसे बुरे न थे। बुरे तो क्या, किन्तु यह कहना चाहिए कि मामूली आदमियों से किसी क़दर वे अच्छे थे।

उस समय लोगों के मन में धर्म, नीति और स्वदेशाभिमान की जितनी मात्रा जागरूक थी उतनी, किन्तु हुना उससे भी कुछ अधिक, इन हतभागियों के मन में भी थी । इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि अधार्मिक, दुराचारी या अनीतिमान होने के कारण यह इन्होंने ऐसे ऐसे जघन्य काम किये । नहीं, वे उस तरह के आदमी थे जिस तरह के चाहे आजकल उत्पन्न हों चाहे और कभी अपना जीवन निर्दोषरीति पर, इज़्ज़त के साथ, व्यतीत करते हैं । अपने देशवासियों की समझ के अनुसार जिन शब्दों के उच्चारण करने की गिनती उस समय बार पाप में थी, क्राइस्ट के मुँह से उनके निकलते ही थे, भय और क्रोध से पागल होकर जिस पुरोहित ने अपने बदन के कपड़ों को, पापनिवारण करने के लिए, फाड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले उसने वह काम उतना ही अन्तःकरणपूर्वक, विना किसी बनावट के, किया जितना कि, आज कल के अकसर सब धर्मनिष्ठ और इज़्ज़तदार आदमी धर्म और नीति सम्बन्धी बातों को सच समझकर अन्तःकरणपूर्वक करते हैं । उस पुरोहित के इस कर्म का स्वयाल करके, इस समय, जिन लोगों को कँपकँपी छूटती है, जिनका बदन नफरत से थरथराने लगता है, वे यदि उस समय यहूदी होते तो वे भी ठीक वही करते जो उस पुरोहित ने किया । जो धर्माभिमानी क्रिश्चियन यह समझते हों कि अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हुए लोगों को जिन्होंने पत्थरों से मार डाला वे उनसे बुरे थे—वे उनकी अपेक्षा बहुत अधिक दुराचारी थे—उनको याद रखना चाहिए कि जिस सेष्ट पौल (अर्थात् पौल नाम के साथ)

को वे इतना पूज्य मानते हैं वह पत्थरों से उन मारनेकर्त्तों ही में से था।

यदि किसीका यह मत हो कि जो आदमी भूल करता है उसकी भूल का प्रभाव या असर उसकी बुद्धि और उसके सद्गुणों के अनुसार होता है, अर्थात् जो जिनका अधिक बुद्धिमान और जिन्होंना अधिक सद्गुणी है उसकी भूल की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है—तो मैं एक और उदाहण देना चाहता हूँ, और ऐसा उदाहरण देना चाहता हूँ, जो बहुत ही ध्यान में रखने लायक है। अपने समकालीन लोगों में अपनेको सबसे अधिक सम्म्य और सबसे अधिक सच्चित्रित समझने का पात्र, यदि आज तकके सत्ताधारी और शक्तिमान पुरुषों—में से कोई हुआ है तो, रोम का शाहंशाह मार्केस * आरेलियस हुआ है। जितने देश सम्यता को उस समय पहुँचे थे उन सबका वह एकछत्र राजा होकर भी आमरण उसने अत्यन्त शुद्ध और निर्देष न्याय किया। यही नहीं, किन्तु स्टोर्डेक † सम्प्रदाय का होने पर भी उसका हृदय बहुत ही कोमल था। यह बात बड़े आश्वर्यकी है। इस बादशाह में कुछ दोष भी थे। पर वे दोष ऐसे थे जिनसे प्रजा के कल्याण से सम्बन्ध था। अर्थात् प्रजा को वह

* मार्केस आरेलियस बड़ा न्यायी, प्रजापालक और संघर्षी बादशाह था। पस्तु किंवितन धर्म का वह विरोधी था। किंवितनों को उसने बेहद सताया।

† स्टोर्डेक सम्प्रदायवालों का सिद्धान्त यह है कि विषय-सुस्तों का त्याग करके मनुष्य को बहुत संयमपूर्वक रहना चाहिए। इस सम्प्रदाय का चलनेवाला बीजो नामक एक ग्रीक विद्वान् ही गया है।

बहुत प्यार करता था । उसके ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें नीतिमत्ता और सदाचारणशीलता पर बहुत ही अधिक ज़ोर दिया गया है । इस विषय में, पुराने ग्रन्थों में, उसके ग्रन्थों का नम्बर सबसे ऊंचा है । क्राइस्ट ने जो उपदेश दिये हैं उनमें और मार्कस आरेलियस के ग्रन्थों में बिलकुल ही भेद नहीं है; और यदि है भी तो इतना कम है कि वह ध्यान में नहीं आता । आज तक जितने क्रिश्चियन बादशाह हुए हैं उन सबकी अपेक्षा यह बादशाह क्रिश्चियन कहलाने के अधिक योग्य था । हाँ, सिफे नाम के लिए यह क्रिश्चियन न था । पर इस ऐसे महाधार्मिक बादशाह ने क्रिश्चियनों से द्वोह किया; उनको बेहद सताया; उनको बेहद तंग किया । उस समय तक मनुष्य-जाति ने जितना ज्ञानसम्पादन किया था उस ज्ञान के सबसे ऊंचे शिखर पर यद्यपि वह पहुंच गया था; यद्यपि उसकी बुद्धि अतिशय उदार और अतिशय अनियंत्रित थी; यद्यपि उसे किसी तरह का प्रतिबन्ध न था; यद्यपि वह इतना सदाचारी था कि अपने नीति-ग्रन्थों में उसने क्राइस्ट की नीति का सर्वथा अनुकरण किया था—उसे उसने आदर्श माना था; तथापि उसके ध्यान में यह बात नहीं आई कि जिन सांसारिक विषयों का उसे इतना गहरा ज्ञान था उनको क्रिश्चियन धर्म से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं । उसको यह मालूम था कि समाज की वर्तमान दशा बहुत ही बुरी है—बहुत ही शोचनीय है । तिस पर भी उसने देखा, अथवा देखने का उसे आमास हुआ, कि समाज के कामकाज और नुकसान-बद्ध चले जा रहे हैं और समाज की हालत पहले से जो बुरी नहीं हो गई, उसका एक मात्र कारण पूज्य माने गये देव-

ताओं पर मनुष्यों की श्रद्धा और भक्ति है। अर्थात् यदि आदमी देवताओं पर भक्ति और श्रद्धा न रखते तो समाज, प्रजा या सब साधारण आदमियों की हालत स्वराव हो जाती और उनके काम-काज में विघ्न आ जाता। उसने समझा कि मैं मनुष्य-जाति का हूँ। इस लिए मेरा यह धर्म है कि मैं मनुष्य-समुदाय में मेल बना रखूँ; सबको एक शृङ्खला में बांधे रहूँ; अलग अलग टुकड़े टुकड़े न होने दूँ। उसकी समझ में यह बात न आई कि यदि समाज के पुराने बन्धन तोड़ दिये जायेंगे तो सारे समाज को संयुक्त, अर्थात् शृङ्खला-बद्ध, करने के लिए नये बन्धन फिर किस तरह तैयार होंगे। क्रिश्चियन धर्म का उद्देश पुराने बन्धनों को तोड़ देने का था; यह बात साफ़ ज़ाहिर थी; छिपी हुई न थी। इससे मार्क्स आरेलियस ने यह समझा कि इस नये धर्म को स्वीकार तो कर सकते नहीं; अतएव उसका उच्छेद करना ही उचित है। क्रिश्चियन धर्म उसे सच्चा और ईश्वर-निर्मित नहीं मालूम हुआ। जो देवता, अर्थात् जो क्राइस्ट, शूली पर चढ़ाकर मार डाला गया उसके आश्र्यकारक चरित पर उसे विश्वास नहीं आया। उसके ध्यान में यह बात भी नहीं आई कि जिस क्रिश्चियन धर्म की दीवार एक बहुत ही अच्छे आधार पर खड़ी की गई है, जिस पर उसे ज़रा भी विश्वास नहीं है, और जिसने अनेक विज्ञों का उल्लंघन करके भी अपने उद्देश को पूरा किया है, वह संसार का पुनरुज्जीवन करने में समर्थ या साधनीभूत होगा। इसीसे उस अत्यन्त कोमल स्वभाव और अत्यंत उदार तत्त्वज्ञानी राजा ने, अपना अरम कर्तव्य समझकर, क्रिश्चियन धर्म के उच्छेद किये जाने का

हुम दिया । मैं समझता हूँ कि संसार भर के इतिहास में यह घटना सब से अधिक हृदयद्रावक है । इस बात को याद करके सख्त रंज होता है कि जो क्रिश्चियन धर्म कान्स्टॅटाइन बादशाह के समय में जारी हुआ वह यदि मार्क्स आरेलियस के उदार राज्यशासन में जारी हो जाता तो उसकी वर्तमान अवस्था और ही तरह की हो गई होती—उसमें आकाश-पाताल का अन्तर हो गया होता । परन्तु, जितने प्रमाण इस बात के दिये जा सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म के विरुद्ध उपदेश देनेवालों को सजा देना इस समय उचित है, उतने ही प्रमाण मार्क्स आरेलियस के समय में, रोम के प्रचलित धर्म के निन्दक क्रिश्चियन धर्म के प्रचारकों को सजा देने के अनुकूल भी दिये जा सकते थे । इस बात को कबूल न करना झूठ बोलना है; और, साथ ही उसके, मार्क्स आरेलियस पर अन्याय भी करना है । ऐसा एक भी क्रिश्चियन नहीं है जिसे यह विश्वास न हो कि नास्तिक धर्म झूठा धर्म है और वह समाज को वियुक्त कर देता है—उससे समाज को हानि पहुँचती है । जैसे, इस समय, क्रिश्चियनों का यह विश्वास नास्तिक धर्म के विषय में है, वैसे ही, उस समय, मार्क्स आरेलियस का विश्वास क्रिश्चियन धर्म के विषय में था । उसके दिल में यह बात जम गई थी कि क्रिश्चियन धर्म झूठा है । इसलिए समाज को उससे ज़रूर हानि पहुँचेगी । इसमें कोई सन्देह नहीं । तिसपर भी, उस समय क्रिश्चियन धर्म की योग्यता के समझनेवालों में अगर कोई सबसे अधिक लायक और समझदार था तो वह मार्क्स आरेलियस ही था । परन्तु क्रिश्चियन-धर्म-सम्बन्धी बातों का

श्रतिक्षण करके उसने भी ग़लती की । इससे जो आदमी यह समझता हो—जिसे इस बात का घमण्ड हो—कि मैं मार्क्स आरेलियस से भी अधिक बुद्धिमान और अधिक समझदार हूं; मैं अपने समय के ज्ञानवान् और चतुर आदमियों में, उस समय के ख़्याल से, मार्क्स आरेलियस से भी अधिक प्रबीण और अधिक योग्य हूं; मैं सच बात को ढूँढ़ निकालने में उससे भी अधिक उत्सुक और उत्साहशील हूं; और सत्य के मिल जाने पर मैं मार्क्स आरेलियस से भी अधिक निष्ठा से उसका आदर करूँगा—तो, वह, विचार या विवेचना करना, मत देना या किसी भाग्यले में राय ज़ाहिर करना बन्द कर देने के इरादे से लोगों को खुशी से सज़ा दे । परन्तु जिसे इस तरह का अभियान न हो, अर्थात् जो अपने को सब बातों में मार्क्स आरेलियस से भी अधिक न समझता हो उसे चाहिए कि वह इस ख़्याल से कि मैं और मेरा समाज, दोनों मिलकर, अन्नान्तिशील हूं, मार्क्स आरेलियस की तरह कभी ग़लती न करे ।

धर्मसम्बन्धी बातों की स्वाधीनता देना जो लोग बुरा समझते हैं, अर्थात् जो लोग इस बात के खिलाफ़ हैं कि जो जिस धर्म को चाहे स्वीकार कर ले, या किसी धर्म के विषय में जिसकी जो राय हो उसे वह ज़ाहिर करे, उनसे यह पूछा जा सकता है कि धार्मिक मतों के प्रचार को रोकने के इरादे से सज़ा देना तुम जिन दलीलों से मुनासिब समझते हो क्या वही दलीले मार्क्स आरेलियस की तरफ़ से नहीं पेश की जा सकती? ख़्याल करने की बात है कि क्रिश्चियन धर्म के प्रचार को रोकने के लिए मार्क्स आरेलियस को तो ये लोग दोषी ठहराते हैं; पर जिन धर्मों का मेल क्रिश्चियन धर्म से

नहीं मिलता उनके प्रचार को रोकना निर्दोष समझते हैं ! इस तरह जब कोई इन लोगों की ग़लती इनके गले उतार देता है और खूब ही इनके पीछे पड़ता है तब ये लोग, अपने ऊपर आये हुए दोष से बचने के लिए, इस बात को निःसाय होकर क़बूल कर लेते हैं कि मार्क्स आरेलियस ने जो कुछ किया ठीक किया । परन्तु साथ ही उसके, डाक्टर जानसन के अनुयायी बनकर, वे यह भी कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ़ जो कुछ किया गया उससे उसका फ़ायदा ही हुआ नुकसान नहीं । क्योंकि सत्य जब तक द्वोहरूपी छलनी में नहीं छाना जाता तब तक उसका प्रकाश पूरे तौर पर नहीं पड़ता । सोने का खरापन आग में तपाने ही से मालूम होता है । परीक्षा से ही सत्य की सत्यता सिद्ध होती है । परीक्षा चाहे जितनी कड़ी हो सत्य ज़रूर ही उसमें कामयाब होता है । कानून के द्वारा हानिकारक भूलों का प्रतिबन्ध किया जा सकता है— अर्थात् सज़ा देकर या सज़ा का डर दिखाकर और और बातें कभी कभी रोकी जा सकती हैं—परन्तु इस तरह के बन्धन का ज़ोर सत्य पर नहीं चलता; कानून के द्वारा सत्य का प्रचार नहीं स्क सकता । यह दलील और दलीलों की अपेक्षा अधिक मज़बूत और अधिक ध्यान देने लायक है । इसलिए इसकी विवेचना की मैं ज़रूरत समझता हूं; इसका मैं विचार करना चाहता हूं ।

जो लोग यह कहते हैं कि द्वोह या विरोध करने से सत्य का लोप नहीं होता; उसे हानि नहीं पहुंचती; इसलिए सत्य का द्वोह करना चुरा नहीं—उन पर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि वे ज्ञान बूझ कर नहीं नहीं, पर सच्ची, बातों के विरोधी हैं । अर्थात् उन-

पर यह इलज़ाम लगाना अनुचित है कि जिस बात की सत्यता पर उन्हें विश्वास है उसके सिवा और बातों की सत्यता को वे नहीं कबूल करना चाहते। परन्तु नई नई, पर सच्ची, बातों का पता लगाने के कारण मनुष्य-मात्र को जिनका कृतज्ञ होना चाहिए उन्हींसे द्वेष करना और उन्हींको तकलीफ पहुंचाना बहुत बड़ी अनुदारता का काम है। इसमें कोई सन्देह नहीं। मनुष्यमात्र के फ़ायदे की किसी ऐसी बात को, जो उस समय तक किसीको मालूम नहीं, दूढ़ निकालना और मनुष्य-मात्र के ऐहेक अथवा पारलौकिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली भूलों को दिखला देना बहुत बड़े उपकार का काम है। दुनिया में उससे बढ़कर और कोई उपकार नहीं। जो लोग डाक्टर जानसन की दलील के कायल हैं वे भी यह कबूल करते हैं कि जिन्होंने पहले पहल क्रियियन धर्म स्वीकार किया और पहले पहल समाज की संशोधना की उन्होंने मनुष्यमात्र पर बहुत बड़ा उपकार किया। जिन लोगों ने सारे जगत् को इस तरह कृतज्ञता के पाश में बांधा, जिन लोगों ने दुनिया भर को इस तरह उपकार के बोझ से ढंगा दिया, उन्हींको आदमियों ने, मानों अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर करने ही के लिए, जान से मार डाला; और उनके साथ वे इस बुरी तरह पेश आये जिस तरह कि लोग अत्यन्त अधम अपराधियों के साथ पेश आते हैं। उनके उपकारों का आदमियों ने मानो यही इनाम देना मुनासिब समझा। इस शोचनीय भूल और इस घोर पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए, मनुष्य-मात्र को चाहिए था कि वे अपने सारे बदन में राख और कमर में बङ्गल ल्पेटकर अफसोस करते। परन्तु, नहीं, जिन लोगों की

समझ डाक्टर जानसन की ऐसी है वे इसकी कोई ज़खरत नहीं समझते । उनके मत में ये जितनी शोचनीय घटनायें हुईं सब ठीक हुईं; सब नियमानुसार हुईं; सब न्यायानुकूल हुईं । अह, कैसे आश्चर्य की बात है ! जिस नियम के वे लोग कायदे हैं उसके अनुसार नये सिद्धान्तों का पता लगानेवालों की वही दशा होनी चाहिए जो दशा लोकियन लोगों के जमाने में नये सत्यशोधकों की होती थी । ग्रीस देश में एक सूबा था । वहांवाले लोकियन कहलाते थे । उन लोगों में यह चाल थी कि जब कोई आदमी कोई नई बात कहना चाहता था, या किसी नये कानून के बनाये जाने की सूचना देता था, तब उसे, सब लोगों के सामने, अपने गले में एक रस्सी लटकाकर खड़ा होना पड़ता था । फिर वह अपनी सूचना की आवश्यकता और सत्यता को सप्रमाण सिद्ध करने की कोशिश करता था; उसके पुष्टीकरण में जो कुछ उसे कहना होता था उसे वह कहता था । उसके प्रमाणों—उसकी दर्ताओं—को सुनकर सब लोग, उसी जगह, उसी क्षण, यदि उसकी सूचना नामंजूर कर लेते थे तो उसकी गरदन से लटकती हुई वह रस्सी खींचकर फैरन ही कड़ी कर दी जाती थी । उसे तत्काल ही फांसी की सजा मिल जाती थी । जिन लोगों की यह राय है कि मानव-जाति पर उपकार करनेवालों के साथ—उसका हित-चिन्तन करनेवालोंके साथ—इसी तरह पेश आना चाहिए, वे, मेरी समझ में, उस उपकार की—उस हितचिन्तन की—बहुत ही कम कीमत समझते हैं । मुझे विश्वास है, इस तरह के आदमी बहुधा यह सुन्धाल करते हैं कि नये नये सिद्धान्तों का पता लगाना पहले जमाने में कायदे की बात थी—उसे

समय उनका मालूम होना सबको इष्ट था—पर अब वह बात नहीं
तभी। अब नये सिद्धांतों की ज़खरत नहीं। जितने सिद्धांत इस
समय प्रचलित हैं उतने ही काफी हैं। अब और अधिक न चाहिए।

कुछ बातें ऐसी हैं जो वास्तव में हैं झूठ पर देखने में सच मा-
लूम होती हैं। उनको एक ने सच कहा, दूसरे ने सच कहा, तीस-
रे ने सच कहा—इस तरह, धीरे धीरे, बहुत आदमी उन्हें सच
मानने लगते हैं। यहां तक कि कुछ दिनों में वे सर्व-सम्मत हो
जाती हैं। परन्तु तजरुबे से उनकी सचाई नहीं सिद्ध होती। यह
सिद्धांत कि सत्य का प्रचार करनेवालों को सताने से सत्य का लोप
नहीं होता, इसी तरह का है। अर्थात् लोगों ने उसे सच मान
लिया है; दरअसल है वह झूठ। द्रेष, द्रोह और विरोध के कारण
सत्य का उच्छेद हो जाने के अनेक उदाहरण इतिहास में भरे
फड़े हैं। इन उदाहरणों से बात निर्विवाद सिद्ध है कि सत्य का
प्रचार करनेवालों को सताने से यदि सत्य का समूल नाश न भी
हुआ तो भी वह सैकड़ों वर्ष पीछे पड़ जाता है। अर्थात् वह सत्य इतना
दूर जाता है कि सौ सौ दो दो सौ वर्ष तक फिर वह सिर नहीं उठा
सकता। यहांपर मैं सिर्फ धर्मसम्बन्धी दो चार उदाहरण देना
चाहता हूं।

जरमनी में मार्टिन लूथर नाम का एक धार्मिक विद्वान् हो गया
है। उसकी गिनती बहुत बड़े सुधारकों में है। रोमन कैथोलिक
सम्ब्रदाय के धर्मचार्य पोप और उसके अनुयायी धर्मोपाचार्यों
पर उसकी अश्रद्धा हो गई। उसने बाइबल का अनुवाद पहले
पहले जर्मन भाषा में किया और वह सिद्धांत निकाल कि जिस

बात को अकल कृचूल करे उसीको सच मानना चाहिए । इस सिद्धान्त के प्रचार में उसे कामयाबी भी हुई; परन्तु लूथर के पहले इस सुधार के बीज का अंकुर कम से कम बीस दफे तो उगा होगा; पर, बीसों दफे, राग-द्वेष के कारण इन अंकुरों का उच्छेद ही होता गया* । लूथर के बाद भी जहाँ जहाँ द्रोह और द्वेष से काम लिया गया और नये सिद्धान्तों के प्रचारकों का ज़ोरोशोर से विरोध किया गया वहाँ वहाँ सत्य की हार ही हुई; जीत नहीं हुई । स्पेन, इटली और आस्ट्रिया आदि देशों से प्राटेस्टेण्ट मत समूल ही नाश कर दिया गया; उसकी जड़ें तक खोद कर फेंक दी गईं । यदि इंग्लैण्ड की रानी मेरी कुछ दिन और जिन्दा रहती, या उसके बाद गदी पर बैठनेवाली रानी एलिज़्बेथ ज़ल्द मर जाती, तो इंग्लैण्ड में भी वही दशा होती—अर्थात् प्राटेस्टेण्ट मत की जड़ें वहाँसे भी खोद कर फेंक दी जातीं । पाखण्डी, नास्तिक या विष्ठगामी माने गये प्राटेस्टेण्ट मत के अनुयायियों के बहुत ही प्रबल होने के कारण जहाँ जहाँ उनके विरोधियों का ज़ोर नहीं चला, वहाँ वहाँ छोड़कर, और सब कहीं झूठ की ही जीत हुई—सतानेवालों का ही विजय रहा । रोम की बादशाहत के समय में क्रिश्चियन धर्म के जड़ से उखड़ जाने की नौबत आ गई थी । मुझे विश्वास है, इस विषय में किसीको सन्देह न होगा ।

* यहाँ पर मिल साहब ने सात आठ नाम समाज और धर्म-संशोधकों के दिये हैं । उनको हमने छोड़ दिया है; क्योंकि यहाँ बहुत कम आदमी उन्हें जानते हैं । लोगों ने उनको यहाँ तक सताया कि उनके सिद्धान्तों का प्रचार न हुआ ।

परन्तु उसके समूल नाश न हो जाने का यह कारण हुआ कि उस समय जो विरोध होता था वह कभी कभी, प्रसङ्ग आने पर, होता था; हमेशा नहीं। फिर, वह विरोध थोड़े ही दिनों तक रहता था। बीच बीच में, बहुत दिनों तक, प्राइटेटेण्ट धर्म के प्रतिकूल कोई कुछ न कहता था। इसीसे यह धर्म, आखिरकार, रोम में फैल गया; और, धीरे धीरे, प्रबल भी हो गया। यह एक प्रकार की भारी भूल है, यह एक तरह की झूठी कल्पना है, कि, सच होने ही के कारण, सच में कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है कि सच बोलनेवालों को या सचे सिद्धांतों का प्रचार करनेवालों को काल्कोठरी में बन्द करने अथवा सूली पर चढ़ाने से भी सच की ज़रूर ही जीत होती है। आदमी झूठ के अकसर जितने अनुरागी या अभिमानी होते हैं उससे अधिक सच के वे नहीं होते; और कानून ही को नहीं, किन्तु सामाजिक प्रतिबंध या दण्ड को भी काफ़ी तौर पर काम में लाने से, झूठ और सच, दोनों, का प्रचार, बहुत करके, रोक दिया जा सकता है। सच में एक यह विशेषता है, एक यह प्रधानता है, कि कोई एक बार, दो बार, तीन बार या चाहे जितने बार उसका लोप करे तोभी समय समय पर उसका पुनरुज्जीवन करनेवाले, उसका फिर से पता लगानेवाले, बहुत करके पैदा हुआ ही करते हैं। ऐसे पुनरुज्जीवन के समय, समाज और देश की दशा को कुछ अधिक अनुकूल पाकर, सच बात, या सच सम्मति, निर्मल होने से बच जाती है। इस तरह कुछ दिनों में वह इतनी प्रबल हो उठती है कि उसके विरोधी उसका लोप करने के लिए चाहे जितना सिर उठावें तथापि वे उसका कुछ भी नहीं कर सकते। उसका प्रचार हो ही जाता है।

कोई शायद यह कहेगा, कि नई नई बातों को जारी करने, या नये नये मत चलाने, की कोशिश करनेवालों को हम लोग, अब, पहले की तरह जान से नहीं मार डाढ़ते । हमारे पूर्वज समाजशोधकों और धर्मचार्यों को वेहद सताते थे; उनको जीता नहीं छोड़ते थे । पर हम उनकी तरह नहीं हैं । हम वे जघन्य काम नहीं करते । हम तो ऐसों का आदर करते हैं; उनकी समाधियां तक बनाते हैं । इसका जबाब सुनिए । यह सच है कि अब हम लोग नास्तिक और पाखण्डी आदमियों का सिर नहीं काटते; उनकी गरदन नहीं मारते । और यह भी सच है कि जिन बातों से हमको सख्त नफरत है उनको जारी करने की इच्छा रखनेवालों को कानून के रूप से बहुत कड़ी सज़ा देना लोगों को अच्छा नहीं लगता; और ऐसी सज़ा से उन बातों के प्रचार में रुकावट भी नहीं हो सकती । तथापि यह अभिमान करना व्यर्थ है कि ऐसे आदमियों के लिए कानून में कोई सज़ा ही नहीं । कोई राय कायम करने—कोई सम्पति स्थिर करने—के लिए यदि, आज कल, कानून में कोई सज़ा नहीं है, तो, कम से कम, उसे ज़ाहिर करने—उसे सब लोगों में फैलाने—के लिए ज़रूर है । यही नहीं । किन्तु, आज कल, इस कानून के अनुसार काररवाई की जानेके भी उदाहरण, कहीं कहीं, देखे जाते हैं । इससे यह बात ख़्याल में नहीं आती—इसपर विश्वास नहीं होता—कि आगे कोई समय ऐसा भी आवेगा जब कोई काररवाई इस कानून के अनुसार न होगी—अर्थात् जब वह रद समझा जायगा । सभी सांसारिक बातों में अत्यंत निर्दोष व्यवहार करनेवाले एक बहुत ही अच्छे चालचलन के आदमी को, १८९७ ईसवी में, कार्नवाल सूबे के सेशन-

परन्तु उसके समूल नाश न हो जाने का यह कारण हुआ कि उस समय जो विरोध होता था वह कभी कभी, प्रसङ्ग आने पर, होता था; हमेशा नहीं। फिर, वह विरोध थोड़े ही दिनों तक रहता था। बीच बीच में, बहुत दिनों तक, प्रोटेस्टेण्ट धर्म के प्रतिकूल कोई कुछ न कहता था। इसीसे यह धर्म, आखिरकार, रोम में फैल गया; और, धीरे धीरे, प्रबल भी हो गया। यह एक प्रकार की भारी भूल है, यह एक तरह की झूठी कल्पना है, कि, सच होने ही के कारण, सच में कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है कि सच बोलनेवालों को या सचे सिद्धांतों का प्रचार करनेवालों को काल-कोठरी में बन्द करने अथवा सूली पर चढ़ाने से भी सच की ज़रूर ही जीत होती है। आदमी झूठ के अक्सर जितने अनुरागी या अभिमानी होते हैं उससे अधिक सच के वे नहीं होते; और कानून ही को नहीं, किन्तु सामाजिक प्रतिबंध या दण्ड को भी काफ़ी तौर पर काम में लाने से, झूठ और सच, दोनों, का प्रचार, बहुत करके, रोक दिया जा सकता है। सच में एक यह विशेषता है, एक यह प्रधानता है, कि कोई एक बार, दो बार, तीन बार या चाहे जितने बार उसका लोप करे तोभी समय समय पर उसका पुनरुज्जीवन करनेवाले, उसका फिर से पता लगानेवाले, बहुत करके पैदा हुआ ही करते हैं। ऐसे पुनरुज्जीवन के समय, समाज और देश की दशा को कुछ अधिक अनुकूल पाकर, सच बात, या सच सम्मति, निर्मूल होने से बच जाती है। इस तरह कुछ दिनों में वह इतनी प्रबल हो उठती है कि उसके विरोधी उसका लोप करने के लिए चाहे जितना सिर उठावें तथापि वे उसका कुछ भी नहीं कर सकते। उसका प्रचार हो ही जाता है।

कोई शायद यह कहेगा, कि नई नई बातों को जारी करने, या नये नये मत चलाने, की कोशिश करनेवालों को हम लोग, अब, पहले की तरह जान से नहीं मार डालते । हमारे पूर्वज समाजशोधकों और धर्माचार्यों को बेहद सताते थे; उनको जीता नहीं छोड़ते थे । पर हम उनकी तरह नहीं हैं । हम वे जघन्य काम नहीं करते । हम तो ऐसों का आदर करते हैं; उनकी समाधियां तक बनाते हैं । इसका जबाब सुनिए । यह सच है कि अब हम लोग नास्तिक और पाखण्डी आदमियों का सिर नहीं काटते; उनकी गरदन नहीं मारते । और यह भी सच है कि जिन बातों से हमको सख्त नफ़रत है उनको जारी करने की इच्छा रखनेवालों को कानून के रूप से बहुत कड़ी सज़ा देना लोगों को अच्छा नहीं लगता; और ऐसी सज़ा से उन बातों के प्रचार में रुकावट भी नहीं हो सकती । तथापि यह अभिमान करना व्यर्थ है कि ऐसे आदमियों के लिए कानून में कोई सज़ा ही नहीं । कोई राय कायम करने—कोई सम्मति स्थिर करने—के लिए यदि, आज कल, कानून में कोई सज़ा नहीं है, तो, कम से कम, उसे ज़ाहिर करने—उसे सब लोगों में फैलाने—के लिए ज़रूर है । यही नहीं । किन्तु, आज कल, इस कानून के अनुसार काररवाई की जानेके भी उदाहरण, कहीं कहीं, देखे जाते हैं । इससे यह बात खुयाल में नहीं आती—इसपर विश्वास नहीं होता—कि आगे कोई समय ऐसा भी आवेगा जब कोई काररवाई इस कानून के अनुसार न होगी—अर्थात् जब वह रद समझा जायगा । सभी सांसारिक बातों में अलंत निर्देष व्यवहार करनेवाले एक बहुत ही अच्छे चालचलन के आदमी को, १८६७ ईसवी में, कार्नवाल सूबे के सेशन-

कोर्ट से इक्कीस महीने की सजा हो गई। इस अभागी का कुसूर यह था कि इसने कुछ ऐसी बातें कहीं और एक फाटक पर लिखी थीं जो क्रिश्चियन धर्म के अनुयायियों को नागवार थीं। इस घटना के एक ही महीने के भीतर, ओल्ड बेली नाम की कचहरी में, वहाँके जज ने दो आदमियों को पञ्च (जूरीम्यन) बनाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, किंतु जज और एक वकील ने मिलकर उनमें से एक आदमी का बहुत बुरी तरह से अपमान तक किया। इन बेचारों का अपराध यह था कि इन्होंने सच सच यह बात कह दी थी कि किसी धर्म पर उनका विश्वास नहीं। इसी दृलील के बल पर एक जज ने एक और आदमी की अर्जी ही नहीं ली। यह आदमी विदेशी था और एक चोर के स्त्रिलाफ़ मुक़द्दमा चलाना चाहता था। इस आदमी की चोरी की शिकायत इस बुनियाद पर नहीं सुनी गई कि जिसका विश्वास परलोक या किसी देवता पर नहीं है (फिर चाहे वह देवता कोई क्यों न हो, या कैसा ही क्यों न हो) वह कायदे के मुताबिक़ कचहरी में जज के सामने गवाही नहीं दे सकता। ऐसा करनेके लिए उसे कानून की रोक है। इस तरह के कानून बनाना, या ऐसी कारखाई करना, मानो इस बातको पुकारकर कहना है कि ऐसे आदमियोंपर आईन का ज़ोर नहीं चल सकता और न्यायालय ऐसों की रक्षा भी नहीं कर सकता। यदि उनको कोई लूट ले, या चोट पहुंचावे, और उस समय दूसरे आदमी हाजिर न हों या हाजिर आदमियों में से सब उन्हींके मत के हों, तो उनकी फ़रियाद न सुनी जायगी; उनका न्याय न होगा; और अपराधियों को दण्ड भी न दिया जायगा। इससे यह भी

ज़ाहिर होता है कि यदि धार्मिक आदमियों को कोई लूट ले, या मार पीट करे, और उस समय गवाही देने के लिए देवताओंपर विश्वास न करनेवाले नास्तिकों के सिवा और कोई हाजिर न हो तो ये धर्मशील आदमी भी न्याय से बच्चित रहेंगे । यह सब इस लिए कि जो आदमी परलोक पर विश्वास नहीं करते उनकी शपथ—उनकी हल्फ—व्यर्थ है । उसकी कुछ भी कीमत नहीं । जो लोग ऐसा समझते हैं वे इतिहास से बहुत ही कम परिचित हैं । मैं समझता हूं कि इतिहास का उन्हें बिलकुल ही ज्ञान नहीं । क्योंकि इतिहाससे यह बात साफ़ ज़ाहिर है कि हर ज़माने में जितने नास्तिक हुए हैं—परलोक और देवताओं पर न विश्वास करनेवाले जितने पाखण्डवादी हुए हैं—उनमें से अनेक अत्यन्त प्रामाणिक और इज्जतदार थे । और इस समय भी, सदाचार और सद्गुणों के कारण जो लोग संसार में सबसे अधिक नामवर हैं उनमेंसे बहुतों को न परलोक ही की परवा है और न देवताओं ही की । यह बात यदि सबको नहीं मालूम तो इन लोगों के भित्रों को तो ज़रूर ही मालूम है । जिनको ज़रा भी समझ है वे कदमपि इस बातको न मानेंगे कि नास्तिकों की शपथ व्यर्थ है; नास्तिकोंकी गवाही एत-बार के काबिल नहीं; नास्तिक प्रामाणिक नहीं । नास्तिकों के विषय में ऐसा नियम बनाना स्वतोविरोधी है; वह खुद ही अपना खण्डन करता है; वह अपनी जड़ अपने ही हाथ से काटता है । क्यों? सुनिए । इस ख़्याल से नास्तिकों की गवाही नहीं ली जाती कि वे झूठ बोलते हैं । परन्तु नास्तिक न होकर भी जो शपथ खाते हैं और झूठ बोलते हैं उनकी गवाही सुशीली से ली जाती है ।

ज़रा इस विलक्षणता को तो देखिए ! ऐसे अनेक आदमी हैं जो दिल से न ईश्वर को कुछ समझते हैं और न परलोकको कुछ समझते हैं; परन्तु समाज की नज़र में गिरजाने के डर से मुंह से वे वैसा नहीं कहते । जो लोग इस तरह के हैं उनकी हल्फ़ कानून के खिलाफ़ नहीं । खिलाफ़ किनकी है ? जो लोकापवाद की ज़रा भी परवा न करके झूठ बोलने की अपेक्षा साफ़ साफ़ यह कह देना अधिक पसंद करते हैं कि हम नास्तिक हैं । यह बड़े आश्वर्य की बात है ! इस नियम के बेढ़ेगेपन को तो देखिए । यहां पर बेहूदापन की हद हो गई । जिस मतलब से यह नियम बनाया गया है वह मतलब इससे हरणिज़ नहीं निकलता । हाँ, इससे एक बात सांचित होती है, और उसीके लिए यदि यह रक्खा जाय, तो रक्खा जा सकता है । वह यह कि, यह नियम कोई नियम नहीं । नास्तिकों के तिरस्कार की सूचक यह एक चपरास है; अथवा पुराने ज़माने के प्रजापीड़न का यह एक पुछला है ! और पीड़न भी किनका ? जो सच बोलकर इस बात को सांचित कर देते हैं कि हम इस पड़िन के पात्र नहीं (क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते) उनका ! इस नियम और इस कल्पना से धर्मिक समझे जानेवालों की भी मानहानि है; केवल नास्तिकों ही की नहीं । अर्थात् ये बातें दोनों के लिए अपमानजनक हैं । क्योंकि यदि यह मान लिया जाय कि परलोक पर जिनका विश्वास नहीं है वे ज़रूर ही झूठ बोलते हैं तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि परलोक पर जिनका विश्वास है, अर्थात् जो धर्मवादी हैं, वे जब गवाही देते हैं तब नरक में जाने के डर से ही सच बोलते हैं । क्या ही अच्छा सिद्धान्त है ! क्या ही अच्छी धर्मशीलता

है ! परन्तु जिन लोगों ने इस नियम को बनाया है और जो लोग इसके पृष्ठ-पोषक हैं उन पर यह आरोप रखकर मैं उन्हें खेद नहीं पहुँचाना चाहता कि इस धर्म-तत्व को उन्होंने अपने ही अतःकरण से—अपमे ही मन से-निकाला है ।

सच बात यह है कि ये नियम पुराने प्रजा-पीड़न के पुछले हैं । इससे यह न समझना चाहिए कि जिन्होंने ऐसे नियम बनाये उनकी इच्छा जानबूझकर किसीको तंग करने, सताने या पीड़ा पहुँचाने की थी । नहीं । अंगरेजों के स्वभाव में एक यहः विलक्षणता है कि यद्यपि वे किसी बुरे खयाल से किसी अनुचित सिद्धान्त को व्यवहार में नहीं लाना चाहते, तथापि उसका प्रतिपादन करने में—उसकी विवेचना करने में, उसकी ज़रूरत बतलाने में, उनको उल्टा मज़ा मिलता है । जिस बात का जिक्र यहां पर हो रहा है वह इसी विलक्षणता का एक उदाहरण है । विचार और विवेचना की स्वाधीनता को कानून के द्वारा बन्द करने के बहुत ही निच्य उदाहरण यद्यपि बहुत दिनों से देखने में नहीं आये, तथापि, समाज के खयालातमें स्थिरता न होने के कारण हम यह नहीं कह सकते कि वैसे उदाहरण अब कभी न होंगे—वे हमेशा के लिए बन्द हो गये । यह बड़े अफ़सोस की बात है । आज कल के समाज की विलक्षण अवस्था है; उसकी अजीब हालत है । किसी नई हितकर बात को जारी करने की कोशिश से व्यवस्थित रीति पर चलनेवाले व्यवहाररूपी रथ में जैसे गड़बड़ पैदा हो जाती है, वैसे ही किसी पुरानी अहितकर बात में केरफ़ार करने की कोशिश से भी गड़बड़ पैदा हो जाती है । बहुत आदमी इस बात का व्यमण्ड करते हैं कि इस समय धर्म का पुनरुज्ज्विन हो गया है—धार्मिक विषयों में विशेष उच्चाति हो गई है ।

यह किसी कदर सच है; परन्तु उसके साथ ही एक बात यह भी हुई है कि अशिक्षित और अनुदार लोगों के हृदय में हठधर्मी भी पैदा हो गई है—अर्थात् बिना समझे बूझे अपने धर्म का आग्रह भी उनमें बेतरह बढ़ गया है। फिर, एक बात यह भी है कि इस देश की मध्यम स्थिति के आदमियों के खयालात में, उनकी मनोवृत्ति में, असहनशीलता या क्षमाभाव का अंकुर भी बड़ी तेजी से उग आया है। वह अब तक ज़रा भी मैलिन नहीं हुआ। उसकी प्रेरणा से नास्तिक अथवा पाखण्डवादी आदमियों को सताना इस स्थितिवालों को अब तक उचित जान पड़ता है। अतएव बहुत ही थोड़ी उत्तेजना मिलने पर ये लोग नास्तिक और धर्महीन माने गये आदमियों को खुल्लमखुल्ला तंग करने से बाज़ नहीं आते। मध्यम स्थिति के लोगों को जो धार्मिक बातें अच्छी लगती हैं, जो भत उनको पसन्द हैं, जिन चीजों को वे बहुत ज़रूरी जानते हैं उनकी प्रतिकूलता करनेवालों को तंग करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी सबव से, इस देश में, मानसिक स्वाधीनता का वास नहीं है। कानून के द्वारा बहुत दिनों से जो दण्ड निश्चित किये गये हैं उनमें सब से अधिक हानिकर और बुरी बात यह है कि वे सामाजिक कलङ्क को और भी अधिक मज़बूत करते हैं। यह सामाजिक कलङ्क, यह सामाजिक लांछन, दरअसल बहुत विकट है। क्योंकि, और देशों में जो बातें कानून के अनुसार दण्डनीय हैं उनको भी लोक बहुधा साफ़ साफ़ क़बूल कर लेते हैं। परन्तु इस देश में जिन बातों के लिए कानून का बिलकुल डर नहीं, डर सिर्फ़ सामाजिक कलङ्क का है, उनको क़बूल करने में भी लोग अगाधीछा

करते हैं । जो लोग खुशहाल हैं, जो अपने घर के अच्छे हैं, जिनके निर्वाह का साधन समाज की राय पर अवलम्बित नहीं है—अर्थात् जिनको समाज की परवा नहीं है—उनको छोड़कर और लोग कानून से जितना डरते हैं उतना ही वे लोक-लज्जा से डरते हैं । आदमियों के रोटीकपड़े का मार्ग बन्द कर देना उनको जेल में भेज देने के बराबर है । इस लिए आदमी दोनों से बराबर डरते हैं । अपने निर्वाह के लिए जिन लोगों ने काफ़ी सम्पत्ति इकट्ठा करली है—काफ़ी रूपया पैदा कर लिया है—अतएव जिनको सरकारी अफ़सरों की, समाजों की और सर्व—साधारण की कृपा या मदद की परवा नहीं है वे अपने विचार सब के सामने ज़ाहिर करते नहीं डरते । उनकी जो राय, भली या बुरी, होती है उसे वे निडर होकर साफ़ साफ़ कह डालते हैं । यदि उन्हें कुछ डर लगता है तो इतना ही कि लोग हमारी निन्दा करेंगे और दो चार भली—बुरी सुनावेंगे । इससे अधिक नहीं । इन बातों को वे सह लेते हैं । और इनके सहन करने के लिए बड़ी वीरता या बड़े साहस की ज़रूरत भी नहीं है । इससे ऐसे आदमियों के लिए कोई चिन्ता की बात नहीं । परन्तु जिनके ख़्यालात हमारे ख़्यालात से नहीं मिलते—जिनकी राय हमारी राय के खिलाफ़ है अर्थात् जो विरुद्धमतवादी हैं—उनको यद्यपि, इस समय, हम लोग पहले की तरह तंग नहीं करते, तथापि उनके साथ हम जैसा बर्ताव करते हैं उससे हमारी हानि होने की सम्भावना ज़रूर है । इसमें कोई सन्देह नहीं । साकेटिस ज़रूर मार डाला गया; परन्तु उसके तत्त्वशास्त्र का प्रचार इस तरह बढ़ता गया जिस तरह कि सूर्य का बिम्ब क्रम से आक्र-

श में आगे को बढ़ता जाता है। यही नहीं, किन्तु धीरे धीरे उस तत्त्वविद्या का प्रकाश सारे ज्ञानाकाश में व्याप्त हो गया। क्रिश्चियन धर्म के अभिमानी स्लूख्वार शेरोंका शिकार बना दिये गये। परंतु क्रिश्चियन-धर्मरूपी वक्ष दिनबदिन विशाल और ऊँचा होता गया; और धीरे धीरे अन्य-धर्मरूपी छोटे छोटे पेड़ों को उसने अपनी छाया के नीचे कर लिया; अतएव उनकी बाढ़ बंद हो गई। जो बातें हमको पसन्द नहीं उनको हम नहीं सहन करते; अतएव उनके प्रचारके रोकने की हम कोशिश करते हैं। यह हमारी असहनशीलता सामाजिक है; अर्थात् वह सिर्फ समाज की बातों से सम्बन्ध रखती है। इससे उसके द्वारा किसीकी जान नहीं जाती; किसीकी राय या सम्भालिका समूल ही नाश नहीं हो जाता। पर होता क्या है कि भिन्न मतवाले उन बातों को छिपाने की कोशिश करते हैं। और यदि वे यह नहीं भी करते हैं तो उन बातों के प्रचार के लिए मन लगाकर प्रयत्न करने से दूर ज़्रुर रहते हैं। इस ज़माने में नास्तिक माने गये आदमियों के मत न तो सर्व-साधारण के हृदय में मज़बूती के साथ स्थान ही पाते हैं और न उनका बहांसे पूरे तौर पर लोप ही हो जाता है। उनका प्रकाश नहीं पड़ता। जिन दो चार विचारशील और विद्याव्यसनी आदमियों के मन में वे पैदा होते हैं उनके मन ही में वे सुलगते रहते हैं; वहीं वे लीन हो जाते हैं। उनका भला या बुरा प्रभाव साधारण आदमियों के कामकाज पर नहीं पड़ता—उनका झूठा या सच्चा उजेला मनुष्य-जाति की दैनिक चर्च्या पर एक बार भी नहीं पड़ता। यह स्थिति—यह हालत-किसी किसीको बहुत ही पसंद है। क्योंकि, एक आध नास्तिक या पाखण्ड-भत-वादी पर बिना जुरमाना ठोंके, या उसे बिना कैद किये ही, प्रचलित मत-

प्रचलित रीति-रिवाज का प्रचार पूर्ववत् बना रहता है । इससे एक बात यह भी होती है कि जिन नास्तिकों को विचार और विवेचना रूपी रोग लग जाता है उनकी विचार-परम्परा का भी प्रतिबंध नहीं होता । जुरमाना और जेल का डर न रहने से वे लोग विचार और विवेचना बंद नहीं करते । विचाररूपी संसार में—मनोरूपी दुनिया में—शान्ति रखने और सब चीजों को पूर्ववत् अपनी अपनी जगह पर बनी रखने के लिए यह बहुत अच्छी, बहुत सीधी और बहुत सुविधा-जनक युक्ति ज़रूर है । इसमें सन्देह नहीं । परन्तु इस मानसिक शान्ति, इस विचार-स्पैरिंग इस मौन-धारणा की प्राप्ति की बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है । उसके लिए आदमी के मन की सारी नैतिक शक्ति और सारे विचार-धैर्य की आहुति हो जाती है । उसका समूल नाश हो जाता है । यह कीमत बहुत ज़ियाद है । इस प्रकार विचार और विवेचना की शक्ति का हास हो जाने से सबसे अधिक विचारशील, समझदार, शोधक और विवेकवान् आदमी भी यह समझने लगते हैं कि अपने सिद्धान्तों और उनके प्रमाणों को अपने भन ही में रखने रहना अच्छा है । सर्व साधारण पर उनके ज़ाहिर करने से कोई लाभ नहीं । यदि सबके सामने कुछ कहने का मौका आता भी है तो, जिन बातों को वे दिल से नहीं चाहते उनसे अपने नये विचारों का मेल मिलाने की वे कोशिश करते हैं । ऐसी हालत में स्पष्टवादी, निःर, समदर्शी कुशाग्र-बुद्धि और सच्चे तार्किकों की उत्पत्ति ही बन्द हो जाती है । इस तरह के सत्पुरुष पहले जिस मानसिक सृष्टि के भूषण थे वह सृष्टि बिना इनके थीरे थीरे निस्तेज और शोभाहीन हो जाती है । यदि दो चार विचारशील पुरुष पैदा होते भी हैं तो ऐसे होते हैं कि

वे सिर्फ रुढ़ि या रीति-रवाज के दास होते हैं; उसकी सीमा के बाहर जाने का उन्हें साहस नहीं होता। अथवा जैसा समय आता है वैसा ही उनका बर्ताव भी होता है—अर्थात् समय की तरफ़ नज़र रखकर यदि हो सकता है तो वे सत्यानुकूल जन-साधारण का फ़ायदा कर देते हैं; अन्यथा नहीं। ऐसे आदमी अपने पक्ष—अपने सिद्धान्त—की मज़बूती के ख़्याल से जो कुछ कहते हैं वह सिर्फ़ सुननेवालों को अपनी तरफ़ ख़ींच लेने ही के इरादे से कहते हैं। उनकी बातों में—उनके कथन में—उनका निज का विश्वास नहीं रहता। अर्थात् जो कुछ वे कहते हैं दिल से नहीं कहते। जिनको इस तरह का दम्भ पसन्द नहीं; जिनके मुंह में एक और पेट में एक नहीं है; वे बड़ी बड़ी बातों पर विचार ही नहीं करते। अपनी बुद्धि को आकुञ्जित करके उसे वे सिर्फ़ क्षुद्र बातों के विचार और उनकी विवेचना में लगाते हैं। जिन छोटी छोटी व्यावहारिक बातों पर कुछ कहने से सामाजिक सिद्धान्तों की सचाई की हानि नहीं होती उन्हीं-पर विचार करके वे चुप रह जाते हैं। पर, इस तरह की विवेचना से कुछ फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि वे बातें इतनी छोटी होती हैं—इतनी साधारण होती हैं—कि मनुष्य का मन सबल, प्रौढ़ और अधिक ग्राहक होने पर वे आप ही आप ध्यान में आ जाती हैं। परन्तु यदि मन का विकास न हुआ तो हज़ार विचार और विवेचना कस्ते पर भी मन में उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती—मन में वे बातें आती ही नहीं। इधर यह हानि हुई। उधर मनुष्य के मन को विकसित करनेवाली, उसमें प्रौढ़ता पैदा करनेवाली, विवेचना—शक्ति क्षीण हो जाती है। गम्भीर विषयों पर निर्भय और प्रतिबन्धहीन विवेचना क्षम्भ हो जाने से वह शक्ति रह कैसे सकती है?

किसी किसीका यह भी ख़्याल कि जो नास्तिक हैं, अधार्मिक हैं, पाखण्डवादी हैं उनके चुप रहने से, उनको विचार और विवेचना की स्वाधीनता न देने से, समाज का कुछ भी नुकसान नहीं होता । ऐसे आदमियों को सोचना चाहिए कि नास्तिकों के मत की पूरी पूरी और उचित विवेचना का कभी मौका न देने से उनके मत का प्रचार ज़रूर नहीं होने पाता; परन्तु, इसके साथ ही, उनके बुरे और झूठे ख़्यालात भी उनके दिल से दूर नहीं होते । यदि विवेचना का मौका दिया जाय तो बहुत सम्भव है कि नास्तिकों के बेसिरपैर के ख़्यालत दूर हो जायें । जिस विवेचना से रुद्धधर्म के अनुकूल-चिरकाल से पूज्य माने गये धर्म के अनुकूल-सिद्धान्त नहीं निकलते उसे रोक देने से नास्तिकों का मानसिक हास नहीं होता । उनकी विचार-बुद्धि को ज़रा भी धक्का नहीं पहुंचता । जो लोग ऐसा नहीं समझते वे ग़लती करते हैं । इस तरह की रोक से नास्तिकों को हानि नहीं पहुंचती, पर जो नास्तिक नहीं हैं, अर्थात् जो पुराने धर्मके अभिमानी हैं, उन्हींको हानि पहुंचती है; और बहुत अधिक पहुंचती है । क्योंकि पुराने धर्म के अभिमानी इस डर से विवेचना बन्द कर देते हैं कि कहीं पाखण्डी आदमियों के विचार हमारे मन में न घुस जायें; कहीं ऐसा न हो कि हम भी उन्हीं के मत में आ जायें । इसका फल यह होता है कि उनका मन बहुत ही संकुचित हो जाता है; उनकी विचारशक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाती है । यह बहुत बड़ी हानि है । ऐसे रुद्ध-धर्म-भिमानी निडर होकर, उत्साह और उत्तेजना-पूर्वक, स्वाधीनविचार-रूप सागर के भीतर पैर रखने की हिम्मत ही नहीं करते । उनको

हर घड़ी यह ढर ल्या रहता है कि स्वाधीनता पूर्वक विचार करने से, कायल होकर, कहीं हमको रुद्ध धर्म और रुद्ध नीति के खिलाफ़ कोई बात न स्वीकार करनी पड़े; अतएव हमें कहीं कोई यह न कहे कि ये बदचलन और बेधर्म्म हो गये। इस तरह के होनहार, परन्तु डरपोक स्वभाव के नौजवान आदमियों से जगत् का जो नुकसान होता है उसका अन्दाज़ कौन कर सकेगा? कभी कभी ऐसे होनहार पर भीरु लोगों में एक आध शुद्धान्तःकरण, सत्यानुयायी, मनोदेवता-भक्त, किसीसे न डरनेवाला भी देख पड़ता है। कुशाग्रबुद्धि, समझदार और सूक्ष्मदर्शी होने के कारण उससे चुप नहीं बैठा जाता। वह जन्म भर अपनी तीव्र बुद्धि को मिथ्या और दार्शिक बातों की विवेचना में खर्च करता है। रुद्ध-भतों को अपने अन्तःकरण और सच्ची विचार-परम्परा के अनुकूल साबित करने में वह अपने सारे बुद्धि-कौशल और अपनी सारी कल्पनाशक्ति को काम में ले आता है। परन्तु तिस पर भी उसे कामयाबी नहीं होती। क्योंकि जो बात सच नहीं है, जिसे अन्तःकरण नहीं कबूल करता, उसे सच साबित करने, उसे मनोऽनुकूल बताने, की कोशिश हमेशा व्यर्थ जाती है। विचार और विवेचना की कसौटी में कसने पर—बुद्धि और अन्तःकरणरूपी आग में तपाने पर—जो सिद्धान्त खरा निकले—चाहे वह जैसा हो—उसको ही कबूल करना सच्चे तत्त्वज्ञानी का सब से बड़ा कर्तव्य है। जो इस बात को नहीं जानता वह कभी महातत्त्ववेत्ता नहीं हो सकता, कभी भशहूर ज्ञानी नहीं हो सकता, कभी प्रसिद्ध दार्शनिक या नैद्यायिक नहीं हो सकता। जो आदमी खूब छान बीनकर, खूब समझ बू-

झकर सूब विचार और विवेचना करके किसी बात को स्वीकार करते हैं उनके उस स्वीकार में यदि भूल भी हो जाय, यदि वे किसी शूठ भत को भी सच मान लें, तो भी, वे, उन लोगों की, अपेक्षा सत्य के अधिक हितकर्ता समझे जाते हैं जो मन को मनन करने का श्रम न देकर, वे समझे बूझे, झुठ बातों को सच मान लेते हैं—अनुचित और अनुपयोगी सिद्धान्तों को उचित और उपयोगी समझ बैठते हैं। विचार और विवेचना की स्वाधीनता सिफ़ इस लिए द्रकार नहीं कि लोग बड़े बड़े तत्त्वदर्शी, दर्शनिक या विवेचक बनें। नहीं। मामूली आदमियों के मानसिक विचार, या उनकी मानसिक शक्ति, की जितनी उच्चति हो सकती है उतनी उच्चति करने के लिए भी विचार-स्वाधीनता की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि लोगों को महान् तत्त्वविवेचक बनाने की अपेक्षा मामूली आदमियों के मन की उच्चति करने के लिए विचारस्वाधीनता की अधिक ज़रूरत है। जहां विचार और विवेचना की स्वाधीनता नहीं है—जहां उनका प्रतिबन्ध है—वहां भी कभी कभी दो एक तत्त्वदर्शी पुरुष पैदा हो सकते हैं; हुए भी हैं; और उनके होने की सम्भावना भी है। परन्तु विचार—स्वाधीनता न होने से सब लोग, अर्थात् सर्व-साधारण, न कभी चपलबुद्धि हुए और न कभी उनके होने ही की सम्भावना है। जब बुद्धि की सञ्चालना ही न होगी; जब बुद्धि से काम ही न लिया जायगा; जब विचार और विवेचना की शान पर बुद्धि चिसी ही न जायगी, तब वह तेज़ होगी कैसे? जिस जाति या समुदाय ने, विचारस्वाधीनता के न होने पर, भी बुद्धि की प्रखरता

दिसलाई होगी उसमें, उस समय, विरोधियों के दल की प्रबलता का डर ज़खर कम हो गया होगा। ऐसी अवस्था में, बुद्धिमें तीव्रता आने का इसके सिवा और कोई कारण नहीं हो सकता। जहां लोगों का यह ख़्याल है कि बड़े बड़े सिद्धान्तों के खिलाफ़, जुबान हिलाना मना है; जहां लोग यह समझते हैं कि बड़ी बड़ी बातों पर जो कुछ विचार होने को था हो चुका, अब कुछ भी बाक़ी नहीं रहा, वहां मामूली आदमियों में बुद्धि की तीक्ष्णता और विचारों की उच्चता के होने की आशा रखना पागल्यन है। इतिहास देख लीजिए; उसमें आपको इस बात के पोषक बहुतसे दृष्टान्त मिलेंगे। जहा मनुष्यों के मन में उत्साह और उत्तेजना को उत्पन्न करनेवाले बड़े बड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर वाद-विवाद नहीं हुआ वहां सर्व-साधारण के मत की मलिनता कभी नहीं गई; उसमें कभी तेज़ी नहीं आई; उसके मनन करनेकी जड़ कभी मज़बूत नहीं हुई। पूर्वोक्त विषयों पर वाद-विवाद करने से साधारण बुद्धि के आदमी भी बड़े बड़े विचारशील और बुद्धिमान् लोगों की, कुछ कुछ, बराबरी करने लगते हैं। अतएव ऐसे विवाद का जहां कहीं अभाव हुआ वहां मामूली आदमी बड़े बड़े विचारवान् पुरुषों की ज़रा भी बराबरी नहीं कर सके। प्रोटेस्टेण्ट धर्म के जारी होने के बाद ही इसका एक उदाहरण योरप में हुआ। वह याद रखने लायक़ है। अठारहवें शतक के द्वितीयार्द्ध, अर्थात् १७९० ईसवी, के बाद जिस समय फ्रांस में ग़दर और अमेरिका में प्रजासत्तात्मक राज्य स्थापन हुआ उस समय भी यही दशा देखने में आई थी। भेद इतना ही था कि यद्यपि वह चलविचलता कई देशों में फैल गई थी तथापि

इंगलैंड में उसका प्रवेश नहीं हुआ था; और जो लोग अधिक सम्य और शिक्षित थे उन्हीं पर उसका असर हुआ था; सारे समाज पर नहीं । मामूली आदमी उस चल-विचल से बरी थे । तीसरी विचार-चलता जर्मनी में उस समय उत्पन्न हुई थी जिस समय फ़िस्ट और गेटी नाम के तत्त्वज्ञानियों ने अपने विचारों का प्रचार किया था । पर यह चल-विचलता बहुत दिनोंतक नहीं रही । कुछ ही काल में फिर स्थितिस्थापकता हो गई । जिन नई बातों का प्रचार इन तीनों समयों में हुआ वे एक ही तरह की न थीं—सब एक दूसरी से मिल थीं । परन्तु तीनों उदाहरणों में एक बात ऐसी भी थी जो सब में बराबर पाई जाती थी । वह यह कि पौराणिक सत्ता तोड़ दी गई थी, अर्थात् “बाबावाक्यं प्रमाणं” वाला सिद्धान्त लोगों ने त्याग दिया था । प्रत्येक उदाहरण में मानसिक विचारों की सख्ती को लोगों ने कम कर दिया था । मतलब यह कि सख्ती की परवा न करके सब लोग थोड़ी बहुत मनमानी विवेचना ज़रूर करने लगे थे । योरप की वर्तमान अवस्था में जो उच्चति देख पड़ती है वह इन्हीं तीन समयों में मिली हुई स्फूर्ति और उत्तेजना का फल है । मनोविचार में, खट्टि-परम्परा में, या सामाजिक स्थिति में, जितनी उच्चति पीछे से हुई, जितना सुधार बाद में हुआ, सबकी जड़ का पता इन्हींमें से एक न एक समय में मिलता है । इस बात के चिह्न बहुत दिनों से दिख-लाई दे रहे हैं कि पूर्वोक्त तीनों अवसरों में मिले हुए स्फुरण और उत्साह की शक्ति बिलकुल सर्वं हो गई है; इस समय कुछ भी बाकी नहीं रही । अतएव विचार और विवेचना की स्वाधीनता, अर्थात्

मानसिक स्वतंत्रता की आवश्यकता, को यदि हम फिर से न प्रतिपादन करेंगे—फिरसे न दिखलावेंगे—तो हम कभी आगे न बढ़ सकेंगे।

अब हम इस विवेचना के दूसरे हिस्से का विचार करते हैं और मान लेते हैं कि जितनी बातें या जितने मत, इस समय प्रचलित हैं उनमें से एक भी गलत नहीं; सब सही हैं। यहां पर यह देखना है कि यदि उन बातों की सचाई की खुले खजाने, साफ़ साफ़, और बेरोक विवेचना न होगी तो लोग उनको क्या समझेंगे; उनको कितनी योग्यता देंगे—अर्थात् उन बातों का कैसा और कितना असर लागें पर होगा? जो आदमी किसी विषय में अपना विचार ढूँढ़ कर लेता है; अपनी राय को मजबूती के साथ कायम कर लेता है; वह इस बात को खुशी से कभी नहीं कबूल करता कि उसकी राय के गलत होने की भी सम्भावना है। परन्तु उसको इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि किसकी राय चाहे जितनी सही हो, पर यदि उसके सही होने के प्रमाणों का निडर होकर बार बार और पूरे तौर पर विवेचन न होगा तो लोग उसे, एक पुरानी और निर्जीव खड़ि समझ कर, मान लेंगे; परन्तु सजीव और सच बात समझ कर उसका आदर न करेंगे।

कुछ आदमी ऐसे हैं कि जिस बात को वे सच समझते हैं उसे यदि किसी दूसरे ने भी निःशंक होकर सच कह दिया तो वे इतने ही अनुमोदन को बस समझ लेते हैं। फिर चाहे ऐसे अनुमोदनकर्ता को, उस बात के मूल-भूत प्रमाणों का कुछ भी ज्ञान न हो और उसके प्रतिकूल तुच्छ आलेखों का समाधान करने की भी उसमें शक्ति न हो। इस तरह के आदमी पहले बहुत थे; परन्तु, खुशी की बात है,

अब वे उतने नहीं हैं। ऐसे आदमियों की बात जहां एक बार मान ली गई, जहां उनके मत का प्रचार एक बार हो गया, तहां वे अपने मन में यह समझने लगते हैं कि उसके खिलाफ़ वाद-विवाद होने देने से समाज को कुछ भी लाभ न होगा, हानि चाहे कुछ हो जाय। जहां इस तरह के आदमियों की प्रबलता होती है, जहां इस तरह के आदमियों का प्रभाव बढ़ जाता है, वहां विचार, विवेचना और बुद्धि के बल से प्रचलित मतों का लोप कर देना बहुत मुश्किल होता है—मुश्किल क्या, प्रायः असम्भव हो जाता है। परन्तु अज्ञान और अविचार से उनका लोप—उनका उल्लंघन—हुआ करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं। विवेचना और वाद-विवाद को बिलकुल ही बन्द कर देना गैरमुमकिन बात है; ऐसा होना बहुत ही कम सम्भव है। अतएव जहां विवेचना को थोड़ी सी भी जगह मिली तहां बहुत कमज़ोर दलीलों के भी सामने इस तरह की बातों को हार मान कर भागना पड़ता है। क्योंकि उन बातों पर लोगों का दृढ़ विश्वास नहीं रहता। सत्यासत्य के विषय में दिल से विचार करने के पहले ही उनको मान लेने से उन पर दृढ़ विश्वास हो कैसे सकता है? अच्छा इस बात को जाने दीजिए। मान लीजिए कि सही राय या सच बात मन में हमेशा स्थिर होकर रहती है; अतएव विरुद्ध दलीलों से भी वह अपनी जगह से नहीं हिलती। अर्थात् आदमी ने अपने मन में जिस बात को सच और सही मान लिया है वह यद्यपि सिर्फ़ मिथ्या-विश्वास के कारण उसे वैसी मालूम होती है तथापि उस विश्वास के बहुत ही दृढ़ हो जाने के कारण उसके खिलाफ़ दी हुई दलीलों का उस पर

कुछ असर नहीं होता। इसमें उसका क्या अपराध है? इसका यह उत्तर है कि जिस मनुष्य में सच और झूठ के जानने की शक्ति विद्यमान है उसको चाहिए कि इस तरह वह अपने मत स्थिर करे। सच के जानने का यह तरीका नहीं है। इस रहत मत-स्थापना करना, इस तरह राय कायम करना, कदापि इष्ट नहीं। इस तरह का विश्वास सत्य ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह निरा मिथ्याविश्वास है। यह किसी बात को सिद्ध करने के लिए कहे गये शब्दों को आंख मूंदकर भान लेना है। और कुछ नहीं।

आदमी की बुद्धि और विवेक-शक्ति को सुधारने और उसकी उन्नति करने की बड़ी ज़रूरत है। इस बात को सभी क़बूल करते हैं। प्राइट्सेट सम्प्रदाय के अनुयायी भी इसे मानते हैं। अतएव जिन बातों से आदमी का इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है और जिनके विषय में अपनी तबीयत के अनुसार मत निश्चित करना आदमी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात है, उन धर्म-सम्बन्धी बातों के विचार में यदि आदमी अपनी बुद्धि और विवेक-शक्ति से काम न ले तो ले कहां? अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी विवेक-शक्ति को उन्नत और संस्कृत करने का सबसे अच्छा मार्ग आदमी के लिए यह है, कि वह अपने मन में दृढ़ हुई बातों के प्रमाणों का ज्ञान प्राप्त करे। उसे इसकी विवेचना करनी चाहिए कि जो मेरा मत है उसके सही होने का क्या प्रमाण है? जिन विश्वासों के सम्बन्ध में सच राय कायम करना आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है उनके प्रतिकूल किये गये छोटे छोटे आक्षणों का समाधान करने की तो शक्ति उसमें होनी चाहिए। यदि और अधिक न हो तो

इतना तो ज़रूर ही होना उचित है । जिस बात को जो सच समझ रहा है उसे झूठ साबित करनेवालों की मोटी मोटी दलीलों का तो खण्डन करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए । इस पर शायद कोई यह कहे कि—“अच्छा, यदि तुम ऐसा कहते हो तो आदमियों के जो मत हैं उनके प्रमाण उन्हें क्यों नहीं सिखलाते ? प्रतिकूल दलीलों के खण्डन करने के झगड़े में क्यों पड़ते हो ? उन्होंने अपने मतों का खण्डन नहीं सुना; इससे तुम यह नहीं कह सकते कि तोते की तरह उन्होंने अपने सिद्धान्तों को रट लिया है; उन पर विचार नहीं किया । जो लोग रेखागणित पढ़ते हैं वे सिर्फ उसके सिद्धान्त ही नहीं रट लेते ; उनके प्रमाण भी वे समझ लेते हैं । किसीको उनके विरुद्ध कुछ कहते, या किसीको उनको झूठ ठहराने की कोशिश करते, यदि उन्होंने नहीं देखा तो क्या तुम यह कह सकते हो कि उन्होंने सिर्फ तोते की तरह उन सिद्धान्तों को रट लिया है ?” बेशक तुम्हारा कहना बहुत ठीक है । गणित एक ऐसी विद्या है कि उसका इस तरह ज्ञान प्राप्त कर लेना काफ़ी होता है; क्योंकि उसके खिलाफ़ दलीलें पेश करने के लिए बिलकुल ही जगह नहीं रहती । गणितशास्त्र के सिद्धान्तों को सही साबित करने के लिए जो प्रमाण दिये जाते हैं वे हमेशा एक—तरफ़ा होते हैं; एक ही पक्ष से उनका सम्बन्ध रहता है । अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पक्षों से नहीं । यह उनमें विलक्षणता है । उन पर कोई आहेप ही नहीं हो सकते; उनके खिलाफ़ कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती । अतएव जब प्रतिकूल विवेचन ही नहीं होता, जब खिलाफ़ दलीलें ही नहीं पेश की जातीं, तब उनका जबाब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती । परन्तु

जिन बातों में मतभेद सम्भव है—जिन बातों में सबकी राय नहीं मिलती—उनकी सत्यता परस्पर-विरुद्ध प्रमाणों के मध्य में अवलम्बित रहती है। सृष्टिशास्त्र में भी एक ही कार्य का कोई दूसरा भी कारण दिखलाया जा सकता है। कोई कोई यह सिद्धान्त उपस्थित करते हैं कि इस विश्व के बीच में सूर्य नहीं है, पृथ्वी है। अथवा जीव-धारियों के सजीव रहने का कारण प्राणपद-वायु नहीं है; एक प्रकार की दहनशील, अर्थात् अग्निगर्भ, वायु है। ऐसी उलटी कल्पनाओं को शूठ साक्षित करने के लिए प्रमाण देने पड़ते हैं। और जब तक हम उन कल्पनाओं का सप्रमाण खण्डन नहीं करते तब तक हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम अपने सिद्धान्तों को अच्छी तरह समझते हैं। यह विद्याविषयक बात हुई। ऐसे विषयों से सम्बन्ध रखने-वाली शूठी कल्पनाओं का खण्डन करना कठिन नहीं होता। परन्तु जब हम साधारणनीति, राजनीति, धर्म, समाजसंस्कार और व्यवहार-शास्त्र आदि जटिल विषयों की तरफ निगाह करते हैं तब हमें यह साफ़ मालूम होता है कि जिन सच्चे सिद्धान्तों के सम्बन्ध में वादनविवाद होता है उनके विरुद्ध प्रमाणों का खण्डन करने ही में—उनको ग़लत साक्षित करने ही में—दर्लीलों का तीन चौथाई हिस्सा ख़र्च हो जाता है। पुराने ज़माने में दो बहुत बड़े वक्ता हो गये हैं—ग्रीस में डिमास्थनीज़ और रोम में सिसरो। सिसरो एक बहुत मशहूर वकील था। उसने लिख रखा है कि जब वह कोई मुक़दमा लेता था तब उस मुक़दमे का मनन करने और उसके काग़ज-पत्र देखने में वह जितनी मेहनत करता था उतनी ही—किम्बहुना उससे भी अधिक—वह अपने मुअक्किल के विरोधी की दर्लीलों का मनन करके उनके

खण्डन करने में करता था । किसी बात के सत्यांश को जानने के इरादे से जो उसकी विवेचना करना चाहते हों उनको उचित है कि वे सिसरो का अनुकरण करें । बिना ऐसा किये झूठ और सच का पता नहीं लग सकता । किसी विषय में जो सिर्फ़ अपनी ही तरफ़ देखता है, जिसे सिर्फ़ अपने ही पक्ष का ज्ञान रहता है, जो सिर्फ़ अपनी ही दलीलों पर विचार करता है उसे याद रखना चाहिए कि वह उस विषय का बहुत ही कम ज्ञान रखता है । उसके प्रमाण चाहे जितने सबल हों, उसकी दलीलें चाहे जितनी अच्छी हों, उसकी बातों का चाहे किसीने खण्डन न किया हो, तथापि वह उस विषय का पूरा ज्ञाता नहीं कहा जा सकता । जिसने अपने विरोधी के प्रमाणों का खण्डन नहीं किया, अधिक क्या कहा जाय उसकी दलीलों को उसने सुन तक नहीं लिया, उसे अपनी बात को सही मान लेने—अपने मत को ग्राह्य समझने—का कोई अधिकार नहीं; कोई आधार नहीं । ऐसे आदमी को चाहिए कि वह उस विषय में किसी तरह का निश्चय ही न करे । क्योंकि उसकी राय कोई राय नहीं; उसका निश्चय कोई निश्चय नहीं । यदि वह इस बात को न मान कर सिद्धान्त स्थिर करेगा तो मैं यह कहूँगा कि उसने बिना किसी आधार के बैसा किया; उसने “बाबावाक्यं प्रमाणं” सूत्र को स्वीकार किया; अथवा, अक़सर लोग जैसा करते हैं, जो मत सुन्द उसे सबसे अधिक पसन्द था उसे ही उसने निश्चित किया । उसके लिए यह काफ़ी नहीं कि उसीके गुरु, या उपदेशक, या सलाहकार उसके विरोधियों के आशेषों को उसके सामने पेश करें; वहीं वे उनका खण्डन करें; और वह उस खण्डन को चुपचाप बैठा हुआ सुनें । यह कोई न्याय की बात नहीं । इससे काम नहीं चल सकता ।

इस तरकीब से विरोधियों के आक्षेपों का न्याय—समझत स्पष्टन नहीं हो सकता। इस तरफ़िे से वे आक्षेप सुननेवाले की समझ में भी अच्छी तरह नहीं आ सकते—उसके दिल पर उनका असर ही नहीं हो सकता। जिन्होंने वे आक्षेप किये हैं उन्हींके मुंह से उन्हें सुनना चाहिए। जिनका उन पर विश्वास है वही उनको अच्छी तरह समझा सकते हैं। उनका मण्डन करने के लिए—उनको सही साबित करने के लिए—उन्हींको सच्चा उत्साह रहता है और वही उनकी सिद्धि के लिए जी जान लड़ाकर कोशिश भी करते हैं। जो लोग आक्षेप करते हैं वे प्रयत्नपूर्वक उनको ऐसा रूप देते हैं जिसमें वे अपने बाहरी रंग ढंग से भी लोगों को अपनी तरफ़ खींच लें और दिल में भी खूब असर पैदा कर सकें। इसीसे उनको उन्हीं लोगों से सुनना मुनासिब है। ऐसा न करने से यह बात अच्छी तरह कभी ध्यान में नहीं आ सकती कि जिस विषय पर वाद—विवाद हो रहा है उसकी सच्ची उपयोगिता—उसके सच्चे रूप—को पहचानने में कितनी कठिनाइयां आती हैं और किस तरह से वे दूर की जा सकती हैं। जिनको हम सुशिक्षित कहते हैं; जिनको हम पढ़े लिखे समझते हैं; उनमें से फ़ी सैकड़ा निनानबे की दशा ऐसी ही शोचनीय है। जो लोग अपनी राय को सही साबित करने के लिए बड़ी फुरती से दर्तीलें पेश कर सकते हैं उनकी भी यही दशा है। ऐसे आदमियों के सिद्धान्तोंके सही होने में उनको जितना विश्वास हो, तथापि यह असम्भव है कि उनसे कभी ग़लती ही न हो। ग़लती हो सकती है। जब तक ये लोग अपने विरोधियों के मन का हाल अच्छी तरह न समझ लें, और इसीं बात का विचार न

कर्ले कि वे क्या कहते हैं, तब तक यह बात नहीं मानी जा सकती कि जिस सिद्धान्त पर, जिस मत पर, या जिस राय पर, वे छट्ट हो रहे हैं उसके विषय में जो कुछ जानने योग्य है वह सब वे जानते हैं । चाहे जो मत हो, चाहे जो बात हो, उसके अक्सर दा टुकड़े होते हैं—एक प्रधान, दूसरा अप्रधान । प्रधान टुकड़े को जान लेने से, मुख्य बात को समझ लेने से, अप्रधान और अमुख्य का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलती है । परन्तु इन लोगों का परिचय प्रधान बात से बिल्कुल ही नहीं रहता । ये लोग यह नहीं जानते कि ऊपर से जिन दो चीजों में परस्पर भिन्नभाव मालूम होता है उनका मेल किस तरह करना चाहिए, अर्थात् उनकी अभिन्नता किस तरह सिद्ध करना चाहिए । और न ये यही जानते हैं कि यदि दो बातें बराबर सबल और बराबर सप्रमाण देख पड़ें तो उनमें से किसको मानना और किसको न मानना चाहिए । ये लोग उस आदमी की कदापि बराबरी नहीं कर सकते जिसने दोनों पक्षवालों की—दोनों दलवालों की—दलीलों को ध्यान से सुना है, और उनके तथ्यांश को जानकर बिना ज़रा भी पक्षपात के, अपनेको निर्भान्त निश्चय तक पहुंचने के योग्य बना लिया है । जो लोग पक्षपात छोड़कर दोनों पक्षवालों की बातें नहीं सुनते और दोनों पक्षवालों के प्रमाण-प्रमेयों को खूब नहीं समझ लेते वे कभी किसी विषय का न्यायसङ्गत फैसला नहीं कर सकते । जो इन बातों को सुनते और समझ लेते हैं वे विवाद-सम्बन्धी विषय के सत्यांश को नितना जान सकते हैं उतना दूसरे हरगिज़ नहीं जान सकते । विरोधी की विरोधगर्भित बातों को सुनने की, विपक्षी की दलीलों

का जबाब देने की, बहुत बड़ी ज़रूरत है। नीति और व्यवहार-शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो इस प्रकार की शिक्षा की यहां तक ज़रूरत है कि यदि बड़े बड़े सिद्धान्तों का विरोध करनेवाला कोई न हो तो उसकी कल्पना कर लेना चाहिए; अर्थात् विरोध करने के लिए किसी आदमी को ज़बरदस्ती खड़ा करना चाहिए; और प्रतिकूल पक्ष का अत्यन्त चतुर और चाणकास वकील जितनी मज़बूत दलीलें, या जितने प्रबल आक्षेप, कर सकता हो उन सबको उस कल्पित विरोधी के मुंह से सुनना चाहिए।

जिस सिद्धान्त का बयान ऊपर किया गया उसकी योग्यता को कम करने के इरादे से, जो लोग विचार और विवेचना की स्वाधीनता के शत्रु हैं वे शायद इस तरह के आक्षेप करेंगे:—वे कहेंगे कि बड़े बड़े धर्मशास्त्री मीमांसक समाजके मर्तों के अनुकूल या प्रतिकूल जितनी बातें कहेंगे उन सबको जान लेने की हर आदमी को बिलकुल ज़रूरत नहीं। चतुर और चालाक प्रतिपक्षी के मिथ्या और अविश्वसनीय आक्षेपों को काटने के लिए समाज के सभी साधारण आदमियों को तैयार रहने की क्या ज़रूरत? उसके आक्षेपों का उत्तर देनेके लिए समाज में से किसी योग्य आदमी का तैयार रहना बस है। यदि वह आदमी प्रतिपक्षी की उन सब बातों का खण्डन कर दे जिनके कारण साधारण अशिक्षित आदमियों को भ्रम में पड़ने का डर है तो समाज का काम निकल गया समझना चाहिए। जो मत, जो सिद्धान्त, तुम, शिक्षित अथवा अशिक्षित, सीधे सादे अथवा समझदार, सभी आदमियों को सिखलाना चाहते हो उनके खास खास

सबूत सब लोगों पर ज़ाहिर कर दो; बाकी की बातों के जानने की जिम्मेदारी उन लोगोंपर छोड़ दो जो अधिक समझदार हैं; जिनको साधारण आदमी अपना नेता समझते हैं; जिनको वे अपना मुख्या मानते हैं । साधारण आदमी इस बात को बखूबी जानते हैं कि यद्यपि उनमें इतना ज्ञान और इतनी बुद्धि नहीं है कि सभी आक्षणों का वे खण्डन कर सकें, सभी कठिनाइयों को वे दूर कर सकें, तथापि विरोधियों ने आज तक जितने आक्षेप किये हैं उन सब का उत्तर उनके बहुश्रुत और विशेष शक्तिशाली मुख्यियों ने दिया ही है । अतएव वे इस बात पर ज़्रुर विश्वास करेंगे कि जो जो आक्षेप आगे किये जायंगे उनका भी उत्तर वही लोग देंगे; उन्हें खुद इस बखेड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं ।

बहुत आदमी इस विषय को इसी दृष्टि से देखते हैं । उनका स्वयाल है कि किसी बात की सत्यता का इतना भी अंश यदि किसी की समझ में आजाय जितने से उसका विश्वास उस पर होनाय तो उसके लिए उस बात का उतना ही ज्ञान बस है । ऐसे लोगों की इस तरह की दलीलें को मान लेने पर भी विचार और विवेचना की स्वाधीनता की आवश्यकता जरा भी कम नहीं होती । क्योंकि जिन लोगों की ऐसी राय है—जो लोग इस तरह की दलीलें पेश करते हैं—वे भी इस बात को कबूल करते हैं कि सब को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि किसी भी मत या सिद्धान्त के प्रतिकूल जितने आक्षेप हो सकते हैं उन सब का ठीक ठीक खण्डन हो गया है । परन्तु जिन आक्षणों का खण्डन होता है उनका यदि उच्चारण ही न होगा, वे यदि ज़ाहिर ही न किये जायंगे, तो उनका खण्डन होगा

कैसे ? उनका उत्तर कोई देगा कैसे ? अथवा आक्षेप करनेवालों को यदि इस बात के साबित करने की स्वाधीनता न दी जायगी कि जो खण्डन किया गया है, या जो उत्तर दिया गया है, वह योग्य है या नहीं, तो उसकी योग्यता या अयोग्यता ठीक ठीक समझ में आवेगी कैसे ? विषयियों को चाहिए कि उनके मत पर जो आक्षेप हों उन्हें वे बेरोक टोक के सर्वसाधारण के सामने आने दें। स्वैर सब के सामने न सही तो जो धर्मशास्त्री और तत्त्ववेत्ता हैं उनके सामने तो वे उन्हें ज़ाहिर होने दें, और ऐसे रूप में ज़ाहिर होने दें जो बहुत ही अधिक व्याकुलता-जनक हो, जो बहुत ही ज़ियादह प्रेरणानी पैदा करनेवाला हो। अर्थात् जो कठिनाई हो—जो आक्षेप हो—उसका रूप जहां तक उत्तर और भयङ्कर हो सकता हो तहां तक किया जाय। मतलब यह कि प्रतिकूलता करनेवाले अपने आक्षेपों को यथासम्भव ख़ूब सबल करके दिखलावें जिसमें तत्त्व-ज्ञानियों और धर्मचार्यों तक से उनका उत्तर न बन पड़े। तत्त्वज्ञ और धर्मज्ञ लोग ही आक्षेपों का खण्डन करेंगे। अतएव आक्षेपों की गुरुता उनको तो अवश्य ही मालूम होनी चाहिए। अब कहिए यदि विषयियों के आक्षेप बिना किसी प्रतिबंध के प्रकाशित न किये जायंगे और उनके प्रकाशन के लिए सब तरह का सुभीता न होगा तो उनका खण्डन किया किस तरह जायगा ? आक्षेपों को सुनोगे, तब तो उत्तर दोगे ? रोमन कैथलिक सम्प्रदायवालों ने इस पेचीदा प्रश्न का उत्तर देने की जो युक्ति निकाली है वह विलक्षण है। उन्होंने आदमियों को दो भागों में बांट दिया है। एक के लिए उन्होंने यह नियम बनाया है कि जिन धार्मिक बातों पर उसे विश्वास हो उन्हें वह

खुशी से स्वीकार करले; उसके लिए किसी प्रकार की जांच परतालकी ज़्रुरत नहीं । पर दूसरे माग के लिए उनकी आज्ञा यह है कि यदि वह चाहे तो किसी मत को मानने के पहले वह सोच समझ ले और उसका ज्ञान प्राप्त करले । परंतु इन दो में से एक को भी विचार और विवेचना की आजादी नहीं है । आसेपों का उत्तर देने के लिए विशेष विश्वसनीय धर्मोपदेशक और धर्माचार्यों को इस बात की अनुमति है कि नास्तिक मत की किताबें वे पढ़े । इससे उनको पाप नहीं होता; उल्टा पुण्य होता है । क्योंकि नास्तिक मत के सिद्धान्त समझ कर उन्हें उनका खण्डन करना पड़ता है । यह खण्डन पुण्यकारी है । यही कारण है कि धर्मोपाध्यायों के लिए पाखण्डी पुस्तकें मुलभ कर दी गई हैं । परन्तु गृहस्थों के लिए यह बात नहीं है । बिना हुक्म के वे ऐसी किताबें नहीं पढ़ सकते । उनके लिए इनका पढ़ना मना है । जिनकी इच्छा इस तरहकी किताबें पढ़ने की होती है उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है । अनुमति मिल जाती है; परन्तु मुश्किल से; सो भी सब को नहीं । यह काररवाई, यह नीति, यह युक्ति इस बात को सावित करती है कि रोमन कैथलिक सम्प्रदाय के अनुयायी अपने विपक्षियों के आक्षेपों को समझ लेना धर्मशास्त्रियों के लिए ज़रूरी समझते हैं । परन्तु वे अपने मत के अनुसार इस बात का भी कारण—और सौन्दर्यिक कारण—बतला सकते हैं कि और लोगों को अपने प्रतिपक्षियों के आक्षेपों को सुनने की अनुमति क्यों न देनी चाहिए? अतएव इस सम्प्रदाय के श्रेष्ठवर्गवालों के मन को यद्यपि अधिक स्वाधीनता नहीं मिलती

तथापि साधारण आदमियों की अपेक्षा उनकी बुद्धि को अधिक संस्कार प्राप्त होता है; अर्थात् बुद्धि को बढ़ाने का उन्हें अधिक मौक़ा मिलता है। इस तरकीब से इस सम्प्रदाय का बहुत कुछ काम निकल जाता है। अपने मतलब भर के लिए उसे जितनी मानसिक श्रेष्ठता दरकार होती है उतनी उसे मिल जाती है; क्योंकि इस प्रकार के प्रतिबंधयुक्त संस्कार से मन यद्यपि ख़बूल उदार और ख़बूल विशाल नहीं हो जाता तथापि शास्त्रार्थ करने की शक्ति उसमें आ जाती है। अर्थात् किसी पक्ष के, किसी मत के या किसी राय के गुण-दोषों की विवेचना करने के योग्य वह ज़रूर हो जाता है। पर जहा प्रोटोट्रेण्ट धर्म की प्रबलता है वहाँ यह बात नहीं है। वहाँ यह विलक्षण तरकीब काम में नहीं लाई जाती। क्योंकि इस धर्म के अनुयायियों की समझ—समझ न सही तो कल्पना—ऐसी है कि धार्मिक सिद्धान्तों को स्वीकार या अस्वीकार करने की निम्नेदारी हर आदमी को अपने ही ऊपर लेना चाहिए; धर्माचार्यों और धर्मोपदेशकों पर उसे न छोड़ देना चाहिए। वे कहते हैं कि संसार की वर्तमान अवस्था में यह उचित नहीं कि जिन पुस्तकों को सुशिक्षित आदमी पढ़ें उनके पढ़ने से अशिक्षित आदमी रोक रखे जाय। यह बात, इस समय, प्रायः असम्भव है। जितनी बारें जानने के लायक हैं उनका जानना यदि सर्व-साधारण के उपदेशक धर्माचार्यों के लिए ज़रूरी है तो प्रत्येक बात का लिखा जाना, और विना प्रतिबन्ध के उसका प्रकाशित होना सब के लिए भी ज़रूरी है।

जो मत रूढ़ हो रहा है, अर्थात् जो बहुत दिनों से प्रचलित

है, वह यदि सही है तो उसकी प्रतिबन्ध-हीन विवेचना न होने देने से सिर्फ़ इतनी ही हानि होगी कि उसका मतलब, या उसका कारण मामूली आदमियों की समझ में न आवेगा । यदि यह बात सच है तो इससे विशेष हानि नहीं हो सकती; क्योंकि वाद-विवाद न करते रहने के कारण लोगों की बुद्धि में तेज़ी चाहे न रहे, पर उनका आचरण नहीं बिगड़ सकता । मतलब यह कि सच बात को बिना वाद-विवाद-बिना विवेचन-के मान लेने से आदमी नीति-भ्रष्ट नहीं हो सकते; मन्द बुद्धि चाहे हो जायँ । इस आक्षेप का यह उत्तर है कि किसी बात की विवेचना न होने से यही नहीं कि सिर्फ़ उसका मूल हेतु या मूल कारण ही भूल जाता हो; उसका ठीक मतलब, उसका यथार्थ अर्थ, भी बहुधा भूल जाता है । उस मतलब को ज़ाहिर करने के लिए जो शब्द काम में लाये जाते हैं उनसे वह मतलब ही नहीं निकलता । लोग उनका कुछ और ही अर्थ करने लगते हैं । अथवा जिस बात को बतलाने के लिए वे शुरू में कहे या लिखे गये थे उसका कुछ ही अंश उन शब्दों से ज़ाहिर होने लगता है, सब नहीं । मन उसको अच्छी तरह से नहीं ग्रहण करता; उस पर से अविचल विश्वास जाता रहता है । उसके कुछ ही वचन याद रहते हैं । उन्हींको लोग वे समझे बूझे रटा करते हैं । यदि उसका कुछ अंश रह भी जाता है तो, जैसे किसी फल का सत्त्व या रस सूख जाय और उसका छिल्का भर रह जाय, वही हालत उसकी होती है । मनुष्य जाति के इतिहास का बहुत बड़ा भाग इस बात के उदाहरणों से

भरा हुआ है। उसका चाहे जितना मनन किया जाय और चाहे जितना अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाय सब थोड़ा है।

जिस स्थिति का वर्णन—जिस हालत का बयान—ऊपर किया गया उसके उदाहरण किस धार्मिक सम्प्रदाय में नहीं हैं? उसकी मिसालें नीति से सम्बन्ध रखनेवाली किन शिक्षाओं में नहीं हैं—किन बातों में नहीं हैं? सब में हैं। जो लोग जिस मत को चलाते हैं, जो लोग जिस नीति का उपदेश देते हैं, उनको और उनके शिष्यों को उसका मतलब और भी खूब अच्छी तरह समझ पड़ता है और उसकी योग्यता का अन्दाज़ भी उन्हें खूब रहता है। दूसरे मत और दूसरी सम्प्रदायों पर प्रभुत्व जमाने के इरादे से जब तक किसी मत या सम्प्रदाय के अनुयायी वाद-विवाद किया करते हैं तब तक उसका मतलब उसके अभिमानी और अनुयायी आदमियों के ध्यान में खूब रहता है—वरन्ती यह कहना चाहिए कि उनके हृदय में उसका प्रकाश और भी अधिकता से पड़ता है। अन्त में या तो उसीकी जीत होती है, अर्थात् वही प्रचलित हो जाता है, या उसका प्रचार वही रुक जाता है; आगे नहीं बढ़ने पाता। मतलब यह कि वह जितना था उतना ही रह जाता है। जहां उसे इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति मिलती है तबहाँ उसके विषय की विवेचना कम हो जाती है। यहां तक कि धीरे धीरे वह बिलकुल ही बन्द हो जाती है। तब तक वह मत रुढ़ हो जाता है और यदि उसका सर्वव्यापी प्रचार न भी हुआ तो भी उसका एक जुदा पन्थ ज़रूर बन जाता है। कुछ काल के बाद वह पन्थ बहुत आदमियों का पैत्रिक

पन्थ हो जाता है और उसे छोड़कर दूसरे में जाना लोक कम पस-
न्द करते हैं । इससे क्या होता है कि उस पन्थके आचार्य या
मुखिया उस विषयका बहुत कम विचार करते हैं । औरों को
अपने पन्थ या मत में लाने के लिए अथवा अपने पन्थ या
मत को औरों के आक्षेपों से बचाने के लिए जितना वे पहले तैयार
रहते थे उतना पछे नहीं रहते । यदि उनके मत के विरुद्ध कोई
कुछ कहता है तो उस तरफ वे बहुत कम ध्यान देते हैं और अनु-
कूल प्रमाण देकर अपने सिद्धान्तों को पुष्ट करने के झगड़े में वे
नहीं पड़ते । तभी से उस मत की कला क्षीण होने लगती है ।
उसी दिन से उसकी चेतनता का हास शुरू हो जाता है । जितने
पन्थ हैं उनके मुखिया अक्सर यह शिकायत किया करते हैं कि
हमारे पन्थवाले सिर्फ नाम के लिए हमारे मत के अनुयायी हैं ।
उसके सिद्धान्तों की सच्ची और सर्वानुवादीता उनके मन में
जागृत नहीं है । इसीसे उनके आचरण और उनकी मनोवृत्ति पर
उन सिद्धान्तों का पूरा पूरा असर नहीं पड़ता । परन्तु जब तक
वह पन्थ अपनी रक्षा के लिए लड़ता रहता है, अर्थात् वाद-विवाद
में खूब उत्साह रखता है, तब तक ऐसी शिकायतें कभी नहीं सुन
पड़तीं । अपने पन्थ की रक्षा के लिए लड़नेवालों में कमज़ोर से भी
कमज़ोर लोगों को यह बात मालूम रहती है कि हम किस लिए
लड़ रहे हैं । वे इस बात को भी खूब समझते हैं कि उनके मत में
और मतों से कितना अन्तर है । इस अवस्था में—इस स्थिति में—हर
मत के अनुयायियों में ऐसे अनेक आदमी पाये जाते हैं जिनके मन
में अपने मत के मतलब से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें जागृत

रहती हैं और जिन्होंने उन सब बातों का खूब अच्छी तरह से विचार किया होता है। उन बातों पर पूरा विश्वास होने से जो नतीजा होना चाहिए वह उनके चालचलन और बर्ताव में बहुत अच्छी तरह से देख भी पड़ता है। अर्थात् जैसा वे कहते हैं वैसा करके भी वे दिखाते हैं। परन्तु जब कोई मत या पन्थ पुराना हो जाता है; जब वह परम्परासे प्राप्त होता है; जब वह जन्म ही से मिलता है; जब वह चुपचाप बिना उसके गुणदोष का विचार किये, स्वीकार कर लिया जाता है; तब उसकी सचेतनता बिलकुल ही जाती रहती है। अर्थात् पहले पहल उसपर विश्वास जमने के समय शंका—समाधान करने के लिए मन को जो शक्ति खर्च करनी पड़ती थी उसका खर्च जब बढ़ हो जाता है—अर्थात् जब प्रतिपक्षियों से बाद—विवाद करने की ज़रूरत नहीं रहती—तब उस पन्थ या मत के मूलमन्त्रों को छोड़ कर बाकी सब बातें लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं। उसकी सिर्फ खाम खास बातें याद रह जाती हैं; और कुछ नहीं। या यदि उस मत की सजीवता के चिन्ह हृदय पर रहते भी हैं—अर्थात् यदि उसके सम्बन्ध की कुछ बातें याद भी रहती हैं—तो भी निज के तजरुबे से उनकी जांच करने, या अंतःकरणपूर्वक उनपर विश्वास करने, की कोई ज़रूरत नहीं समझी जाती। दूसरों को उस मत को स्वीकार करते देख और लोग भी, बिना सोचे समझे, उसे स्वीकार कर लेते हैं। मतलब यह कि उस विषय में लोग बेहद बेपरवाही करते हैं। नतीजा इसका यह होता है कि अन्त में मनुष्य-जाति की आत्मा से—उसके भीतरी मनोदेवता से—उस मत या पन्थ का सारा सम्बन्ध छूट जाता है। जब यहां तक नौबत पहुँचती है

तब मनुष्योंकी धार्मिकता को वह अवस्था प्राप्त होती है जिसने आज कल दुनिया में सबसे अधिक ज़ोर पकड़ा है । इस अवस्था को, इस दशाको, पहुंचने पर किसी धर्म या मत—विशेष से सम्बन्ध रखनेवाली बातें गोया मत के बाहर ही रह जाती हैं; और वे एक तरह का ऐसा मज़बूत बेठन बन जाती हैं कि बेठन को तोड़कर अच्छे अच्छे ख़्यालत की पहुंच मन तक हो ही नहीं सकती । मन उस समय बन नहीं रहता । वह पत्थर सा हो जाता है । उस पर उत्तम और उदाहर विचारों का अमर ही नहीं होता । इस दशामें मनोमहाराज एक भी नये और लाभदायक विश्वास को अपने पास तक नहीं पहुंचने देते । उनको दूर फेंकने की कोशिश में ही वे अपनी सब शक्ति को ख़र्च करते हैं । और वह धार्मिक बेठन क्या काम करता है ? कुछ नहीं । न वह मन के ही काम आता है, न हृदय के ही । हा, एक काम वह ज़खर करता है । वह उनका संतरी होकर दरवाज़े पर बैठा रहता है और किसी को भीतर नहीं जाने देता ।

जो मत या सिद्धान्त मन पर सबसे अधिक असर पैदा करने-वाले हैं वे कहां तक निर्जीव विश्वास हो बैठते हैं, और विचार या बुद्धि से उनका कहां तक सम्बन्ध छूट जाता है—इसका उदाहरण क्रिश्वयन धर्म के अनुयायियों में खूब मिलता है । जो लोग इस धर्म के सिद्धान्तों को मानते हैं उनका अधिक हिस्सा ऐसा है जिसमें इस बात के उदाहरण पाये जाते हैं । क्रिश्वयन धर्म से मेरा मत लग उन उपदेशों और उन वाक्यों से है जो ईसाई धर्म-शास्त्र-की नई पुस्तक में हैं और जिनको सब सम्प्रदाय और सब पन्थ के

आदमी मानते हैं। इन वाक्यों और उपदेशों को सब लोग धर्मानुकूल समझते हैं। अतएव उनको वे पवित्र और मान्य जानते हैं। परन्तु हजार में एक भी ईसाई ऐसा नहीं देख पड़ता—एक भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं नज़र आता—जो उन नियमों या उपदेशों के अनुसार आचरण करता हो; अथवा इस बात को जांच लेता हो कि उसका बर्ताव उनके अनुकूल होता है या नहीं। यह न समझिए कि मैं इस बात को बढ़ाकर कह रहा हूँ। नहीं, इसमें ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं है। लोग करते क्या हैं कि वे अपने देश, अपनी जाति, या अपने पन्थ के रीति-खाज की तरफ देखते हैं। रुद्धि को ही वे धर्मशास्त्र समझते हैं। बात बड़ी ही विलक्षण है। एक तरफ तो लोग यह क्वूल करते हैं कि उनके धर्मशास्त्र, अर्थात् ब्राह्मण की नई पुस्तक में जो नियम और जो आदेश हैं वे ईश्वर-प्रणीत हैं—वे ऐसे पुरुष के बनाये हुए हैं जो सर्वज्ञ हैं; जो कभी भूल नहीं करता—अतएव उनको मानना और उनके अनुसार आचरण करना हमारा कर्तव्य है। दूसरी तरफ हर रोज काम में लाने के लिए उन्होंने और ही नियम बना रखते हैं। अर्थात् शास्त्र के नियमों से व्यवहार के नियम जुदा हैं। इसे मैं मानता हूँ कि शास्त्रोक्त नियम व्यावहारिक नियमों से सब कहीं भिन्न नहीं हैं। कहीं पर तो इन दोनों तरह के नियमों में बहुत मेल है; कहीं पर कम है और कहीं पर बिलकुल ही नहीं है—अर्थात् दोनों में परस्पर विरोध है। मतलब यह कि व्यवहारसम्बन्धी सब तरह के सुधीरे की ओर नज़र रखकर धार्मिक और व्यवहारिक नियमों का मेल जोल कर दिया गया है। धर्मशास्त्र को लोग मान्य ज़रूर समझते हैं;

परन्तु उनका प्रेम रूढ़ि पर ही अधिक देख पड़ता है। जितने क्रिश्चियन हैं सब का यह विश्वास है कि जो दीन, धनहीन और नम्र हैं और जिनसे सभी दुनिया बुरी तरह पेश आती है वही सबसे अधिक पुण्यात्मा हैं। सूई के छेद से ऊंट चाहे निकल भी जाय; परन्तु स्वर्ग के फाटक से निकलकर भीतर प्रवेश कर जाना अमीर आदमीके लिए बिलकुल ही असम्भव है। किसी की बुराई न करना चाहिए। क़सम न खाना चाहिए। अपने पड़ोसी के सुख दुःख को अपना ही सुख दुःख समझना चाहिए। यदि कोई कोट ले ले तो कमीज़ भी उसे उतार देना चाहिए। कल की कभी फ़िकर न करना चाहिए। यदि यह इच्छा हो कि हम पूर्णता को पहुंच जाय—हमारी स्थिति सर्वोत्तम हो जाय—तो जो कुछ पास हो वह दीन दुखिया आदमियोंको दे डालना चाहिए; अर्थात् सर्वस्व दान करदेना चाहिए। जब लोग इस तरह की बातें कहते हैं तब विश्वास—पूर्वक कहते हैं; यह नहीं कि ऊपरी मन से ही कहते हों; या दम्भ करते हों। यदि किसी बात की तारीफ़ ही तारीफ़ होती है; उसके गुण—दोषों पर विचार नहीं किया जाता—उनकी विवेचना नहीं होती—तो लोगोंका विश्वास उस पर जम जाता है। उस पर उनकी श्रद्धा हो जाती है। क्रिश्चियनोंकी भी ठीक यही दशा है। जिन बातोंकी वे तारीफ़ सुनते आये हैं उनपर उनका विश्वास हो गया है; उनको वे अच्छा समझते हैं। उनका जो विश्वास धर्मीपर है वह इसी तरह का है। उसके सब सिद्धान्तोंके साधक-बाधक प्रमाणोंका उन्होंने विचार नहीं किया; सिर्फ़ तारीफ़ सुनकर उन पर विश्वास कर लिया है। परन्तु प्रति दिनके आचरण और व्यवहारमें

देख पढ़नेवाले सभीव, सचेतन या जिन्दा विश्वास का यदि विचार किया जाय तो यह बात साफ़ साफ़ मालूम हो जाय कि वैसा विश्वास लोगोंमें सिर्फ़ उतना ही है जितना रुढ़ि अर्थात् रीति-रस्म के योग से हो सकता है। अर्थात् धार्मिक विश्वास के अनुसार आचरण रखने की परवा लोग नहीं करते। उसका जितना अंश रुढ़ि में मिलता है उतने ही का वे ख्याल रखते हैं और उतने ही के अनुसार वे व्यवहार भी करते हैं। पर जब कभी किसी प्रतिपक्षी को पत्थर मारने की ज़रूरत होती है तब लोक धार्मिक सिद्धान्तों के समुदाय में से एक को भी नहीं छोड़ते। उस समय वे उन सब को मान लेते हैं और प्रतिपक्षी पर उनका प्रयोग करते हैं। अर्थात् ये काग़ज-रूपी ईट-पत्थर वे उस पर फेंकते हैं। जिस बात को अच्छी समझकर लोग करते हैं उसको साधार और सप्रमाण साबित करने के लिए काग़ज के रूप में रहने-वाले इस धर्म-शास्त्र से जो कुछ अपने मतलब का मिलता है उसे वे लोग, मौका आने पर, जहां तक सम्भव होता है, सब को दिखलाते भी हैं। परन्तु इन लोगों को यदि कोई इस बात की याद दिलावे कि जो तुम धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहते हो तो ऐसी सैकड़ों बातें और भी हैं जिनको तुम्हें करना चाहिए; परन्तु जिनका ख्याल तुम्हें स्वप्न में भी नहीं होता; तो वे उसे बुरी नज़र से देखें और यह कहकर उसकी कुचेष्टा करें कि—“थे आये दुनिया भर से अधिक अकल्पन्द !” मामूली आदमियों पर धर्मशास्त्र की सत्ता नाहीं चलती; उनके मत पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। अर्थात् उनके आचारविचार धार्मिक

विश्वासों पर अवलम्बित नहीं रहते । शास्त्र की बातों को वे सुन भर लेते हैं । उसके सिद्धान्तों को सुनलेने भर की उन्हें आदत रहती है । पर सुनने के साथ ही धर्मशास्त्र के वाक्यों का अर्थ उनके मन में नहीं उत्तरता और उनके अनुसार आचरण करने के लिए उनमें उत्साह भी नहीं उत्पन्न होता । अर्थात् जो बात शास्त्र में लिखी है उसे वे सुन तो लेते हैं; पर उसके अनुसार व्यवहार नहीं करते । जब शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने की ज़रूरत पड़ती है तब वे इस बात को देखते हैं कि लल्लू क्या करता है, जगधर क्या करता है । इस तरह औरें के चालचलन और आचारविचार को देखकर वे इस बात का निश्चय करते हैं कि क्राइस्ट (ईसा मसीह) की आज्ञा को हमें कहां तक मानना चाहिए ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है—इस बात पर मेरा पूरा विश्वास है—कि पहले पहल जो लोग क्राइस्ट के अनुयायी हुए वे ऐसे न थे । उनकी स्थिति बिलकुल ही भिन्न थी । यदि ऐसा न होता तो तुच्छ यहूदियों के इस अप्रसिद्ध धर्म का इतना अधिक प्रचार कभी न होता और रोमके इतने बड़े राज्य में वह कभी प्रवेश न पाता । “देखिए, ये क्रिश्चियन एक दूसरे को कितना चाहते हैं” ! इस तरह क्रिश्चियन लोगों की तारीफ होनेकी अब बहुत कम सम्भावना है । परन्तु पुराने ज़माने में क्रिश्चियनों के शत्रु भी इस तरह उनकी तारीफ करते थे । क्राइस्ट के अनुयायी, जिस समय, इस तरह, अपने शत्रुओं से अपनी तारीफ सुनते थे उस समय उनके मन में अपने धर्म की जितनी स्फूर्ति और उस पर उनकी जितनी श्रद्धा होती थी उतनी, बाद में, कभी नहीं हुई । क्रिश्चियन-

धर्म के अधिक प्रचलित न होने का यही प्रधान कारण है। इसीसे उसका प्रचार बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अठारह सौवर्ष बीत मध्ये तथापि योरप के रहनेवालों और उनके वंशजों को छोड़कर और कहीं भी उसका प्रवेश नहीं हुआ। जो लोग सबसे अधिक धार्मिक हैं; जिनका विश्वास अपने धर्म पर बहुत ही अधिक है; जिनको अपने धर्म-सिद्धान्तों का बहुत अधिक स्वयाल है; और जो मामूली आदमियों की अपेक्षा उन सिद्धान्तों के अर्थ को अधिक मान्य समझते हैं—उनके भी मत में बहुधा कालविन और नाक्स आदि धर्मसंशोधकों के मतों की ही अधिक स्फूर्ति देख पड़ती है; क्योंकि उनके मत इन लोगों के मत से बहुत कुछ मिलते हैं। यह नहीं कि क्राइस्ट के वचनों को ये लोग बिलकुल ही भूल जाते हैं। वे उन्हें भूलते तो नहीं; परन्तु उनसे कोई काम नहीं लेते; वे निष्क्रिय रूप में उनके मन में पड़े रहते हैं। उनमें से जो वचन मृदु, मधुर और मनोहारी होते हैं उनको सुनकर हर आदमी के हृदय पर जो असर होता है वह उनके हृदय पर भी होता है। इसमें सन्देह नहीं। परन्तु इसके आगे और कुछ नहीं होता। इसके कई कारण हैं कि सब धर्मों की जितनी बातें एकसी होती हैं उनकी अपेक्षा प्रत्येक धर्म की विशेष बातों में क्यों अधिक सजीवता रहती है और उनके अर्थ का ध्यान अनुयायियों के मन में हमेशा बना रखने के लिए उस धर्म के अध्यक्ष या आचार्य क्यों इतना परिश्रम उठाते हैं? उनमें से एक कारण यह है, और उसके होने में कोई शंका भी नहीं है, कि सब धर्मों की विशेष बातों ही पर अधिक कटाक्ष होते

हैं; और उन बातों को झूठ बतलानेवालों के आक्षेपों का खण्डन भी अधिक करना पड़ता है । लड़ाई के मैदान में दुश्मन के न रहने से गुरु और चेला, दोनों अपनी अपनी जगह पर निःशंक सो जाते हैं ।

जो बातें पुश्ट दर पुश्ट होती आई हैं, जो मत वंश-परम्परा से प्राप्त हुए हैं, उनकी भी बहुत करके यही दशा है—फिर चाहे उनका सम्बन्ध नीति से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे संसारिक व्यवहार से हो । जितनी भाषायें हैं, और जितनी पुस्तकें हैं, सब में जगह जगह पर, यह लिखा है कि संसार क्या चीज़ है, उसमें कैसे रहना चाहिए, और आदमी को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए । इन बातों को सब जानते हैं, सब मानते हैं, सब मुंह से एक नहीं—अनेक बार—कहते हैं और स्वयंसिद्ध सिद्धान्तों के समान समझते हैं । परन्तु इनका ठीक ठीक अर्थ बहुत आदमियों की समझ में तब आता है जब उन पर कोई विपत्ति पड़ती है, अर्थात् इनमें से किसी बात का उल्लंघन करने से जब उन्हें ठोकर लगती है । उसके पहले इनका मतलब बहुत कम आदमियों के ध्यान में आता है । यह बात बहुधा देखने में आई है कि जब किसी आदमी पर कोई आपदा आती है या जब किसीको किसी विषय में सहसा निराश होना पड़ता है, तब उसे एक आध मसल, अर्थात् कहावत, याद आती है । वह मसल चाहे जन्म भर उसके मन्ज़ में चक्कर लगाती रही हो, पर उसका ठीक अर्थ उसे तभी समझ पड़ता है जब, उसके अनुसार बर्ताव न करने के कारण, उसे अफ़सोस होता है । यदि उसे उसका मतलब पहले ही समझ

गया होता तो वह उस विपत्ति में कदापि न फँसता—अतएव उस अफ़सोस भी न होता। इस तरह के अनर्थों का कारण विवेचना का अभाव ही नहीं है; विचार, विवेचना और बाद-प्रतिवाद का अम्यास न रहने ही से इस तरह की आपदाओं में लोग नहीं फँसते। इसके और भी कारण अवश्य हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुतसी बातें हैं जिनका अर्थ बिना प्रत्यक्ष अनुभव के नहीं समझ पड़ता; अर्थात् जब तक आदमी को तजरुबा नहीं होता तब तक उन बातों का मतलब उसके ध्यान में ठीक ठीक नहीं आता। परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि जिन आदमियों को ऐसी बातों का तजरुबा है उनके मुँह से उन बातों का सप्रमाण विवेचन सुनने से—उनके अनुकूल और प्रतिकूल जो कुछ कहा जा सकता है उसे जान लेने से—उनका अर्थ पहले से अधिक ध्यान में आजाता है और दिल पर उस अर्थ का असर भी पहले से अधिक होता है। जब किसी बात में कोई सन्देह नहीं रहजाता तब लोग उस पर विचार करना छोड़ देते हैं; तब उसके विवेचन की वे कोई ज़रूरत नहीं समझते। यह बहुत बुरी आदत है। यह ऐसा बुरा स्वभाव है कि जितनी गलतियां आदमी के हाथ से होती हैं उनमें से आधी इसी सर्वनाशी के स्वभाव के कारण होती हैं। इस समय के एक ग्रन्थकार ने इस अवस्था—इस स्थिति—का नाम रखा है “निश्चित मत की गाढ़ निद्रा”। उसकी यह उक्ति बहुत ही यथार्थ है। उसने यह बहुत ही ठीक कहा है।

यहां कोई यह आक्षेप कर सकता है कि यह तुम कह क्या रहे हो? किसी बात का सच्चा ज्ञान होने के लिए क्या मतैक्य

के अभाव की ज़रूरत है ? क्या जब तक उसके विषय में मत-भेद न हो तब तक उसके सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता ? समाज में कुछ आदमी जब तक हठपूर्वक विरोधी दल में न शामिल होंगे ; जब तक वे झूठे पदा का साथ न देंगे ; तब तक क्या सच बात समझ ही में न आवेगी ? यदि कोई सिद्धान्त या मत सब की राय से मान लिया गया तो क्या उसका सर्वसम्मत होना ही उसकी सत्यता और उपयोगिता के नाश का कारण हुआ ? किसी मत या सिद्धान्त के विषय में बिना किसी सन्देह के बाकी रहे क्या वह पूरे तौर पर समझ में नहीं आसकता ? ज्यों ही सब समाज या सब आदमी किसी सिद्धान्त को सच मानते हैं त्यों ही क्या उसकी सत्यता उनके मन में नष्ट होजाती है ? आज तक लोगों की समझ में बुद्धि की उन्नति का सब से प्रधान उद्देश यही रहा है कि जितनी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सिद्धान्त हैं उन सब के विषय में मनुष्य—मात्र को अधिकाधिक एकमत होना चाहिए । तो क्या उस उद्देश की सिद्धि होने ही तक—तो क्या उस मतलब के निकल जाने ही तक—लोगों की समझ वैसी रहती है ? फिर वह कहां चली जाती है ? जीत पूरी होने ही से क्या जीत के फलों का नाश होजाता है ?

मैं यह नहीं कहता । मेरा यह हरगिज़ मतलब नहीं । मनुष्य-जाति की जैसे जैसे उन्नति होती जाती है वैसे ही वैसे जिन बातों या सिद्धान्तों के विषय में कोई सन्देह अथवा तर्क बाकी नहीं रहता उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है । और, जिन सिद्धान्तों की सत्यता निर्विवाद सिद्ध होती जाती है उनकी संख्या और

योग्यता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही वैसे मनुष्य-जाति के सुख की भी वृद्धि होती जाती है। विशेष सन्देह-जनक और वादप्रस्त बातों पर धीरे धीरे विवाद बन्द होने ही से उनको मज़बूती आती है। तभी वे सर्व-सम्मत होकर दृढ़ होती हैं। झूठ या भ्रान्ति-मूलक मत के दृढ़ होजाने से अनर्थ होने की जितनी सम्भावना रहती है, सचे और भ्रान्तिरहित मत के दृढ़ होजाने से हित होने की भी उतनी ही सम्भावना रहती है। यद्यपि दोनों तरह के विरोधी मतोंकी हड़ का घट जाना बहुत ज़रूरी है—अर्थात् यद्यपि इस प्रकारके विरोध का क्रम क्रम से लोप होजाना ही अच्छा है—तथापि यह सप्रमाण नहीं कहा जासकता कि ऐसे विरोध के घट जाने या उसके बिलकुल ही न रहने का नतीजा सब विषयों में हमेशा हितकर ही होगा। विरोधियों को किसी सिद्धान्त की योग्यता को समझा देने या उनके आक्षेपों का खण्डन करने, से उस सिद्धान्त की सजीवता बनी रहती है; उसके तत्त्व लोगों के ध्यान में जागृत रहते हैं। ऐसा न करने से जो बुराइयां पैदा होती हैं, जो आपदायें आती हैं, वे उस सिद्धान्त के व्यापक और विस्तृत प्रचार से होनेवाले लाभों को कम कर देती हैं। जहां इस तरह लाभ उठाने का मार्ग न रहे—अर्थात् आक्षेपखण्डन और सिद्धान्त-विवेचन न हो सके—वहां, मेरी राय में, धर्मशिक्षकों को कोई और ही युक्ति निकालनी चाहिए। उनको कुछ ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए जिसमें किसी भी धर्म, धन्य या सिद्धान्त के अनुयायियों को यह मालूम हो कि मानो कोई विरोधी अपने मत को सही साबित करने के लिए उन्हें

विवाद कर रहा है । इससे उनके भत की कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ उनके ध्यान में आजायंगी ।

परन्तु, अफसोफ इस बात का है कि इस तरह की नई नई तरकीबें निकालना तो दूर रहा, लेग पुराने तरीकों को भी छोड़ते जाते हैं । साक्रेटिस अर्थात् सुकरात, के वाद-विवाद करने का-तरीका इसी तरह का था । उसका सर्वोच्चम नमूना खेटो की बात-चीत में देख पड़ता है । वह तरीका दर्शनशास्त्र-सम्बन्धी था । उसमें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और सृष्टि आदि बड़ी बड़ी बातों के विरुद्ध वार्तालाप होता था । अर्थात् नास्तिपक्ष (उल्लिपक्ष) लेकर थोड़ी देर के लिए आत्मा और परमात्मा आदि का होना न स्वीकार करके वादविवाद होता था । वह वाद विवाद इस कुशलता से, इस योग्यता से, होता था कि उन विषयों की सिर्फ मोटी मोटी बातों को रट लेनेवालों की भूलें उन्हें मालूम हो जाती थी । उनको इसका पूरा पूरा विश्वास होजाता था कि उन बातों को उन्होंने अच्छी तरह नहीं समझा; और जिन सिद्धान्तों को उन्होंने मान लिया है उनका ठीक ठीक भाव अब तक उनके ध्यान में नहीं आया । इस तरह अपनी अज्ञानता मालूम हो जाने से वे लेग अपने भतों और सिद्धान्तों का ठीक ठीक अभिप्राय जानने और उनके प्रमाण-प्रमेयों को समझने का रास्ता ढूँढ़ निकालते थे । कोशिश करके वे उन बातों को अच्छी तरह समझ लेते थे । मध्ययुग, अर्थात् बाहरवें से लेकर चौदहवें शतक के बीच में दर्शनशास्त्रियों का एक नया पन्थ निकला था । यह बात सभी को

मालूम है। उसका नाम था “ स्कूलमैन ”*। इस पन्थ के पण्डितों की पद्धति भी ऐसी ही थी। वे भी छेठो ही की तरह वादविवाद करते थे। उससे यह मालूम होजाता था कि उन तत्त्ववेत्ताओं के चेले अपने मत की सब बातों को अच्छी तरह समझ गये हैं या नहीं; प्रतिपक्षयों के आक्षेप भी उनके द्व्यान में आगये हैं या नहीं; और अपने मत का मण्डन और विरोधियोंके मत का खण्डन किस तरह करना चाहिए, यह भी वे सीख गये हैं या नहीं। इस पन्थ की तर्कनापद्धति में एक बहुत बड़ा दोष यह था कि इसके अनुयायी जिस विषय पर वादविवाद करते थे उस विषय का आधार वे धर्मशास्त्र को मानते थे, तर्कशास्त्र को नहीं। सब बातों के आदि कारण, अर्थात् मूल हेतु, को वे धर्मशास्त्र में घटाते थे; तर्कना द्वारा उस हेतु, की योग्यता या अयोग्यता को सिद्ध करने की चेष्टा न करते थे। वाद-विवाद करने की साक्रेटिस की जिस तरकीब ने उसके चेलों का मन इतना निग्रह-शील और उनकी बुद्धि इतनी विकसित कर दी उसके मुकाबले में मध्ययुग की वादविवाद करने की तरकीब बहुत तुच्छ थी। उसके सामने वह कुछ थी ही नहीं। परन्तु इन दोनों तरह के वाद-विवादों से आज कल के आदमियों को जितना फ़ायदा पहुंचा है उत्तेजको वे सुशीली से क़बूल नहीं करते। और आज कल जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है उसमें इन दोनों पुराने तरीकों में से एकका

* इस पन्थ के पण्डित, अरिस्टाटल (अरस्टू) नामक ग्रीस के तत्त्ववेत्ता के अनुयायी थे। उसीके तरीके को आदर्श मानकर वे तर्क करते थे और आत्मा, परमात्मा, मन, इन्द्रिय और पुनर्जन्म आदि विषयों पर बाल की खाल खीचा करते थे। परन्तु उनके इस वादप्रतिवाद से कोई विशेष लाभ नहीं दुआ।

भी कहीं पता नहीं आता । इस समय की शिक्षा-प्रणाली ऐसी है कि सारा ज्ञान शिक्षक और पुस्तकों ही के द्वारा प्राप्त होता है । इस दशा में लोग जो कुछ सीखते हैं उसे बहुत करके वे तोते की तरह रट कर सीखते हैं । सौभाग्यवश यदि कोई इस रटना-रहस्य की कसरत से बच भी गया तो भी उसे दोनों पक्षों की ढलीले सुनने को नहीं मिलती । इससे मामूली आदमियों की तो बात ही नहीं, तत्त्ववेत्ताओं तक को दोनों पक्षों का बहुधा ज्ञान नहीं होता । आज कल हर आदमी अपने मत को मजबूती पहुंचाने या प्रमाणपूर्वक सिद्ध करने के लिए अपने विरोधी को जो उत्तर देता है वह अत्यन्त कमज़ोर और अत्यन्त सारहीन होता है । नास्ति, अर्थात् उल्टा पक्ष लेनेवाले प्रचलित व्यवहार या शास्त्र की भूलें बतलाते हैं । साकेटिस को यह नास्तिपक्ष—तर्क करने की यह उल्टी पद्धति—बहुत पसन्द थी । परन्तु इस पद्धति की आज कल हँसी होती है । उसे कोई कुछ समझता ही नहीं । यदि इस रीति का प्रधान उद्देश सिर्फ औरों की भूलें दिखलाना ही होता तो इसकी कीमत अवश्य बहुत कम होती—तो यह अवश्य तुच्छ मानी जाती । पर यह बात नहीं है । यदि कोई महत्त्व की बात या कोई महत्त्व का सिद्धान्त इस तरह की तर्कना के द्वारा जानना हो, तो यह अमूल्य है । उस दशा में यह एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ है । और, जब तक इस तर्क-पद्धति की उचित शिक्षा लोगों को नियमानुसार न मिले लोगी तब तक शायद ही कोई प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता पैदा होंगे । और यदि होंगे भी तो गणितशास्त्र या सृष्टिशास्त्र ही में वे प्रसिद्ध पावेंगे । नास्ति-पद्धति के अनुसार विवेचना करना न सीखने से बुद्धि का

विशेष विकास कभी न होगा । वह कभी तीव्र न होगी । गणित-शास्त्र और सृष्टिशास्त्र में वाद-विवाद के द्वारा मन के भावों को विशेष उच्चत करने की ज़रूरत नहीं रहती । पर और शास्त्रों की बात जुदी है । यदि विपक्षी के साथ खूब वाद-विवाद करने से मन के भाव विशेष उच्चत और संस्कृत न हो जायं तो और शास्त्रों के सम्बन्ध में जानी गई बातें ज्ञान में नहीं दाखिल हो सकती । उनको ज्ञान-संज्ञा नहीं मिल सकती । हाँ, यदि ज्ञान में गिनी जानेवाली सभी बातों को कोई आदमी किसी के मग्ज में ज़बरदस्ती भर दे, या कोई वैसी ही मानसिक उच्चति करले जैसी कि प्रतिपक्षियों के साथ उत्साहपूर्वक सतत वाद-विवाद करने से होती है, तो बात ही दूसरी है । परन्तु यह प्रायः अमम्भव है । अतएव नास्ति-पक्ष को लेकर शास्त्रार्थ करने की रीति बहुत ही ज़रूरी है । जहाँ यह रीति नहीं होती वहाँ इसका प्रचार बड़ी मुश्किल से होता है । इसके प्रचार में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं । यदि यह पद्धति आप ही आप प्रचार में आने लगे और कोई इसे रोके—इसका प्रचार न होने दे—तो इससे बढ़कर बेवकूफ़ी का काम और क्या होगा? इससे जो लोग प्रचलित आचार, व्यवहार या रीति के विरुद्ध दृलीले पेश करते हैं, अथवा कानून या समाज का डर न होने से जो वैसा करते हैं, उनका हमें उल्टा अनुगृहीत होना चाहिए । हमको मुनासिब है कि जो कुछ वे कहें उसे हम सुनें; उसे सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें । यदि हमारी यह इच्छा है कि हमारा जो मत हो वह ठीक हो और वह जानदार बना रहे तो हमको चाहिए कि हम खुद किसी को प्रतिपक्षी बनावें

और परिश्रमपूर्वक उससे वाद-विवाद करें । इस दृश्य में यदि कोई आप ही आप बिना प्रार्थना के विषयी बन कर विवाद-द्वारा विवेचना करने के लिए कमर कसे तो हमें उल्टा सुशा होना चाहिए, नासुशा क्यों ?

एक राय न होनेसे बड़े फायदे हैं । मत की विभिन्नता से कभी हानि नहीं होती, लाभ ही होता है । परन्तु जिन प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती है उनमें से एक के विषयमें लिखना अभी बाकी है । बुद्धि की पूरी परिपक्ता होने—उसे परिपूर्णता को पहुंचाने में मनुष्यको अनन्त समय लगेगा । जब तक बुद्धि को पूरी परिपक्ता और परिपूर्णता न प्राप्त होजाय तब तक मतभिन्नता से लाभ होता ही रहेगा । भिन्न मत होने की उपयोगिता तब तक कदापि कम न होगी । अभी तक सिर्फ दो बातोंका विचार हुआ है । कोई भी रूढ़ मत या तो ग़लत होगा, अतएव उसकी जगह कोई और मत सही होगा; या, यदि वह सही होगा, तो उसके अच्छी तरह समझ में आने और उसकी सत्यताका दिल पर खूब गहरा असर पड़ने के लिए जो भ्रांतिमूलक मत उसके प्रतिकूल होगा, विवेचना के द्वारा, उसके स्पष्टन की जरूरत होगी । परन्तु, एक बात और भी है । वह इन दोनों बातों से अधिक सामान्य है । वह यह कि कभी कभी दो सिद्धान्तों का मेल नहीं मिलता, अर्थात् न तो दोनों बिलकुल ही भ्रान्तिपूर्ण होते हैं न बिलकुल ही ठीक—कुछ अंश एक का सही होता है, कुछ दूसरे का । इस हालत में रूढ़ मत में जितना अंश भ्रमपूर्ण होगा उतना अंश विरुद्ध मत से लाकर रूढ़, अर्थात् प्रचलित, मत को पूरा करना होगा । मतलब यह कि रूढ़ मत की सत्यता की पूर्ति

करनी होगी—जितनी बात उसमें झूठ होगी उतनी को निकाल डालना पड़ेगा। जो बातें इन्द्रियोंसे नहीं जानी जातीं, अर्थात् जो इन्द्रियातीत हैं, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले रुद्र मतोंमें सत्यता का अंश बहुधा कम ही रहता है। शायद ही कभी उसमें सब अंश सत्य होता हो। बहुधा तो यही देखा गया है कि सर्वांश-सत्यता उनमें कभी नहीं रहती; सत्यता का अंश मात्र रहता है। वह कभी थोड़ा होता है, कभी बहुत। पर वह खूब बढ़ाकर बतलाया जाता है अर्थात् अतिशयोक्ति से थोड़े सत्य को बहुत का रूप दिया जाता है। जिन दूसरे निर्वान्त सिद्धान्तों के साथ उसका योग होना चाहिए, अतएव उसके साथ ही जिन दूसरे सिद्धान्तों का भी स्वीकार होना चाहिए, उनसे वह अंश अलग रहता है। इसी अलग अवस्था में वह आदमियों के मन में स्थान पाता है। इस प्रकार जो सत्यांश भूल से नहीं स्वीकार किया जाता, या जिसका प्रतिबन्ध कर दिया जाता है, उसके आधार पर बने हुए सिद्धान्तों में से कुछ सिद्धान्त विरुद्ध-पक्षवाले स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा रुद्रि के बन्धनों को वे तोड़ डालते हैं। दूसरे पक्षवाले कभी कभी इन सिद्धान्तों की सत्यता से रुद्र मत की सत्यता का सावृश्य दिखलाने की कोशिश करते हैं—अर्थात् वे यह साक्षित करना चाहते हैं कि दोनों में किसी तरह का विरोध नहीं और कभी कभी वे अपने विरोधि से इस बुनियाद पर विवाद करने लगते हैं कि सत्य का सब अंश हमारे ही सिद्धान्त में है, तुम्हारे में नहीं। पिछले तरफ़ि के ने आदमियों के दिल में अधिक जगह पाई है, आदमियों ने उसे अधिक स्वीकार किया है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह बहुत करके किसी एक ही पक्ष को

स्वीकार करता है । एक से अधिक पक्षों को शायद ही कोई स्वीकार करता हो । अतएव जिस समय मतक्रान्ति होती है—जिस समय प्रचलित मतों में बहुत व्यापक फेरफार होते हैं—उस समय भी सत्य का एक अंश स्वीकार कर लिया जाता है और दूसरा छोड़ दिया जाता है । जो कुछ ज्ञात है उससे अधिक जानने, अर्थात् पहले प्राप्त हुए ज्ञान की वृद्धि करने, का नाम उच्चाति या सुधार है । पर उच्चाति में भी आदमी अक्सर सत्य के एक ही अंश को ले लेते हैं । दूसरे को वे छोड़ देते हैं । विशेषता इतनी ही होती है कि सत्य के जिस अंश का स्वीकार किया जाता है उसकी, छोड़े गये सत्यांश की अपेक्षा, अधिक ज़रूरत रहती है और वह समय के अधिकतर अनुकूल भी होता है । इससे इतना ही फ़ायदा होता है । यही उच्चाति है और यही सुधार । जितने रुढ़ मत हैं पूर्णता किसीमें नहीं । वे चाहे सत्य के ही आधार पर निश्चित हुए हों, पर सत्यता का अंशमात्र उनमें रहता है । अतएव उन रुढ़ मतों में सत्य के जिस अंश की कमी है वह अंश जिन विरोधी मतों में हो उन सब को कीमती समझना चाहिए—चाहे उनमें जितनी भूलें हों और चाहे उनमें जितनी गड़बड़ हो । जो लोग ऐसे तत्त्व या सिद्धान्त प्रकट करते हैं जिसको शायद हम अपने आप कभी न जान सकते, उनपर, इसलिए क्रौध करना कि उनको वे तत्त्व या सिद्धान्त नहीं मालूम जो हमको मालूम हैं, बड़ा अन्याय है । शान्तचित्त होकर जो आदमी सांसारिक व्यवहार की बातों पर विचार करेगा वह इसे कभी उचित न समझेगा । उसे उल्टा यह समझना चाहिए कि जब तक रुढ़ या प्रचलित बातों की एक-

पश्चीय विवेचना होती है—उन पर लोग एकतरफ़ी विचार करते हैं—तब तक विरोधी विचारकों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अर्थात् विश्वद्व-तत्त्वों का प्रतिपादन करनेवाले प्रतिपक्षी दल के न होने से काम नहीं चल सकता। क्योंकि रुद्र मतवालों के ध्यान को ऐसे ही प्रतिपक्षी अधिक उत्साह और अधिक परिश्रम से अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे ही प्रतिपक्षियों के द्वारा रुद्र मत के अनुयायी उस सत्यांश के जानने में समर्थ होते हैं जिसकी, उनके मत में, कमी होती है और जिसे उनके प्रतिपक्षी सत्य का सर्वीश समझते हैं।

अठारवें शतक में प्रायः सारे शिक्षित और उनको अगुवा माननेवाले सारे अशिक्षित आदमी, नई विस्मयजनक सम्यता और नये विस्मयजनक विज्ञान, साहित्य और तत्त्वशास्त्र को अचम्भे की दृष्टि से देखने में डूब से गये थे। वे लोग बढ़ बढ़कर बातें करते थे और कहते थे कि नये और पुराने ज़माने के आदमियों में बड़ा अन्तर है। सब विषयों में वे पुराने ज़माने के आदमियों की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ समझते थे। ऐसे समय में रुसो^{*} के असत्याभासरूपी (सच होकर बाहर से झूठ मालूम होनेवाले) बम के गोलों ने गिरकर एकतरफ़ी मर्तों के बने बनाये ढेर को अस्तव्यस्त कर दिया और उनके तत्त्वों के टुकड़ों को दूसरे तत्त्वों

* रुसो, स्विटजरलैण्डके जनीवा नगर में, १७१२ ई० में, पैदा हुआ। इसकी राय थी कि समाज की अनुसति से गवर्नमेंट की स्थापना होनी चाहिए। इससे कई देश इसके खिलाफ़ हो गये—विरोध करके फ्रांस। इसेन नीतिविषयक कहँ प्रत्य लिखे हैं। फ्रांस में जो धोर राजविल्च हुआ उसके कारणों में से इसके ग्रन्थों का प्रचार भी एक कारण था।

दूसरा अध्याय ।

१३३

के टुकड़ों के जोड़ से अपना आकार पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा बना लेने में सहायता पहुंचाई । कहिए, इससे कितना फ़ायदा हुआ ? जितने मत उस समय रुढ़ थे वे सब रुसो के मर्तों की अपेक्षा सत्य से अधिक दूर न थे । उल्टा वे उसके अधिक निकट थे । अर्थात् रुसो के मर्तों में सत्य का जितना अंश था प्रचलित मर्तोंमें उससे अधिक था । और रुसो के मर्तों में जितना भ्रम था प्रचलित मर्तों में उससे बहुत कम था । पर बात यह थी कि रुढ़ मर्तों में सत्य के जिस अंश की कमी थी वही अंश रुसो के मर्तों में खूब अधिक था और उसी अंश की ज़रूरत भी लोगों को खूब अधिक थी । इसीसे मतप्रवाह में पड़कर वह वह चला और धीरे धीरे सब लोगों तक पहुंच गया । जब रुसो के मतरूपी महानद की बाढ़ उत्तर गई तब सत्य का अंश नीचे रह गया । बाकी जो कुछ था वह सब वह गया । रुसो का मत था कि सीधा सादा, अर्थात् सरल, वर्ताव सबसे अच्छा होता है और समाज के बनावटी बन्धन और दार्मिक आचारविचारों से नीति नष्ट या क्षीण हो जाती है । इन बातों को उसने लोगों के मन में इतना ठांस ठांस कर भर दिया कि उनका प्रभाव आज तक सुशिखित आदमियों के हृदय में पहले ही की तरह जागृत है । तब से वह संस्कार पूर्ववत् वैसा ही बना हुआ है । उसका नाश नहीं हुआ । इन कल्पनाओं का नतीजा बहुत अच्छा होगा और किसी समय वह देख भी पड़ेगा । परन्तु अब वह समय नहीं है कि सिर्फ बातूनी जमाल्चर्च से क्रम निकल सके । इस समय इन कल्पनाओं का—इन बातों का—प्रतिपादन भी करना चाहिए और इनके अनुसार क्रम भी

करना चाहिए। अर्थात् सिर्फ मँह से कहना ही न चाहिए, करके दिखलाना भी चाहिए।

राजनैतिक विषयों में भी यह बात पाई जाती है। राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाले जो लोग हैं उन्होंने एक सामान्य सिद्धान्त यह निश्चय किया है कि राजसत्ता को अच्छी हालत में रखने के लिए दो पक्षों की ज़रूरत है—एक रक्षक या स्थिर पक्ष, दूसरा सुधारक या संशोधक पक्ष। अर्थात् एक ऐसा पक्ष होना चाहिए जिसकी राय यह हो कि जो कुछ है उसे ही बना रखना चाहिए; और दूसरा पक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी राय यह हो कि जो कुछ है उससे आगे बढ़ना चाहिए—उसकी उन्नति करना चाहिए। इन दोनों पक्षों की तब तक ज़रूरत रहती है जब तक इनमें से कोई एक पक्ष इतना प्रबल न हो जाय कि स्थिरता और सुधार, इन दोनों, के गुण उसमें आजाय। अर्थात् उसे यह मालूम होने लगे कि उस समय उसकी जो हालत है उसके स्वयाल से कौनसी बातें छोड़ देने और कौनसी वैसे ही बनी रखने के लायक हैं। इस हालत को पहुंचने तक दो पक्षों का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोनों में कोई न कोई दोष ज़रूर होते हैं। अतएव हरएक पक्ष अपने विपक्षी के दोषों को दिखाकर समाज को लाभ पहुंचा सकता है। विपक्षी की प्रतिकूलता ही हर पक्ष को औचित्य की सीमा के बाहर नहीं जाने देती—उसे अनुचित बातें करने से रोकती है। सर्वसाधारणजनसत्ता और प्रधानजनसत्ताके, सम्पदा और समताके, सहयोगिता और प्रतिस्पर्धाके, सामाजिकता और व्यक्तिकता, स्वाधीनता और शासन के या व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली और

भी ऐसी ही परस्पर विरुद्ध बातों के अनुकूल या प्रतिकूल मत प्रकट करने के लिए सब लोगों को पूरी पूरी स्वाधीनता देना चाहिए—सब को बिना किसी रोक टोक के आज़ादी मिलना चाहिए—और खूब उत्साह से समझाव रखकर इन विरोधी जोड़ों की विवेचना होनी चाहिए । उपर्योगिता और अनुपर्योगिता पर खूब विचार होना चाहिए । जब तक ऐसा न होगा तब तक दोनों पक्षों के गुण-दोष समझ में न आवेंगे और एक पक्ष का पल्ला ऊचा और दूसरेका ज़रूर नीचा बनी रहेगा । व्यवहारसम्बन्धी जितने बड़े बड़े काम हैं उनमें से सत्य को खोज निकालना विरोधी बातों का मेल मिलाने—उनकी एकवाक्यता करने—पर ही अधिक अवलम्बित रहता है । पर विरोधी बातों की, यथासंभव, ठीक ठीक एकवाक्यता करने के लिए बहुत कम आदिमियों का मन यथेच्छ न्यायी उदाहर और प्रशस्त होता है । अतएव बेजोड़ बातों का जोड़ मिलाने, अर्थात् बेमेल विषयों की एक-वाक्यता करने के लिए दो विरोधी झण्डे : खड़े करके खूब लड़ना झगड़ना पड़ता है—खूब वादाविवाद करना पड़ता है । जिन विरोधी मतों का उल्लेख ऊपर हुआ है उनमें से यदि किसीको मदद या उत्साह देना चाहिए तो जिस मत के अनुयायियों का ढल, उस समय निर्बल हो उसे ही देना चाहिए । क्योंकि, उस समय, आदिमियों के फ़ायदे की जिन बातों की लोग कम परवा करते हैं उन्हीं के लिए वह ढल कोशिश करता है । अतएव यदि वह पक्ष इस तरह की कोशिश न करे तो उन बातों पर यथोचित विचार न होने का डर रहता है । मैं जानता हूँ कि इस देशमें, इस समय, पूर्वोक्त बहुतसी बातों के विषय में अपने मत से भिन्न मत रखने-

बाल्ये की बातों और दलीलों को लोग सुनते हैं। उनके प्रकाशन में वे किसी तरह के अटकाव नहीं पैदा करते। भिन्न मर्तों की अस-हिण्णता उनमें नहीं है। अनेक सर्वमान्य दृष्टान्तों और उदाहरणों के द्वारा इस व्यापक सिद्धान्त की मज़बूती की जा सकती है कि, आदमियों की आज कल जिस तरह की बुद्धि और जिस तरह की विवेचनाशक्ति है उसके रहते, सत्यता के सब अंशों से जानकारी होने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। वह मार्ग मतभिन्नता है। किसी भी विषय में दुनिया भरकी प्रायः एक राय होने पर भी यदि उसके प्रतिकूल कोई कुछ कहना चाहे, फिर चाहे सारी दुनिया का पक्ष ठीक ही क्यों न हो, तो भी उसे बोलने देना चाहिए। क्योंकि यह बहुत मुमकिन है कि अपने पक्ष के समर्थन में वह कोई ऐसी बात कहे जिससे दूसरे पक्षवालों का फ़ायदा हो और जिसे न करने देने से सत्य का थोड़ा बहुत नुकसान होजाय।

इस पर कोई यह आक्षेप कर सकता है कि—“कुछ रुढ़, अर्थात् प्रचलित, बातें—विशेष करके बड़े बड़े और आवश्यक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली—ऐसी हैं जिनमें सत्यता पूरे तौरपर पाई जाती है। यह नहीं कि उनका कुछ अंश सच हो और कुछ सूठ। उदाहरण के लिए क्रिश्चियन—धर्म की नीति को देखिए; नीतिसम्बन्धिनी सत्यता की उसमें ज़रा भी कमी नहीं है। उस सत्यता का पूरा अंश उसमें विद्यमान है। यदि कोई आदमी उस नीति के विरुद्ध किसी तरह की नीति सिखलाने लगा, या उसके विरुद्ध किसी तरह का उपदेश देने लगा, तो वह बहुत बड़ी ग़लती करेगा। उसकी नीति बिलकुल ही भ्रामक होगी”।

यह एक ऐसी बात है जो प्रतिदिन के व्यवहार से बहुत ही अधिक सम्बन्ध रखती है । इस लिए यह दृष्टान्त सब से अधिक महत्वका है । जिस सिद्धान्त का वर्णन मैंने किया है उसकी कसौटी में करकर, योग्यता या अयोग्यता की जांच करने के लिए, इससे अधिक अच्छा दृष्टान्त और नहीं मिल सकता । इसलिए मैं इसे अपनी सिद्धान्त-रूपिणी कसौटी पर कसना चाहता हूँ । परन्तु, क्रिश्चियन-नीति की जांच करने के पहले, इस बात का फैसला बहुत ज़रूरी है कि क्रिश्चियन-नीति से मतलब क्या है—क्रिश्चियन नीति कहते किसे हैं ? क्रिश्चियन-नीति से यदि नई धर्मपुस्तक (New Test-ment) में कहींगई नीति से मतलब है तो जो आदमी उस पुस्तक को पढ़ कर उस नीति का ज्ञान प्राप्त करेगा उसे शायद ही इस बात की कल्पना होगी कि नीति से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें या जितने तत्त्व हैं वे सभी उस पुस्तक में हैं; अथवा यह कि नीतिविषयक सभ सिद्धान्तों को पूरे तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से सिखलाने के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई है । यदि कदाचित् उसकी कल्पना ऐसी हो जाय तो अचम्भे की बात होगी । इस नई पुस्तक में पुरानी नीति का जिक्र जगह जगह पर है । जहां कहीं उसमें नीति की बात है वहां उसका सम्बन्ध पुराने ज़माने से है । उसमें नीति-विषयक जो नियम हैं वे या तो पुराने नीतिशास्त्र की भूलें दिखलाने के लिए हैं या पुराने नियमों को अधिक व्यापक और अधिक ऊचे बनाने के लिए हैं । इसके सिवा और कोई अधिग्राय उनका नहीं है । फिर इस नई धर्म-पुस्तक में जो नीति—नियम हैं वे इतने साधारण हैं कि उनका ठीक ठीक शब्दार्थ समझना बहुधा असम्भव

है। काव्य की भाषा जैसी सरस, धारावाही और आलङ्कारिक होती है वैसी ही इसकी भी है। धर्मशास्त्र, अर्थात् कानून, की सी निश्चित और नियमित भाषा इसकी नहीं है। यह नहीं कि जिस शब्द या वाक्य का प्रयोग जिस अर्थ के लिए किया गया हो वही उससे निकले। यह इसमें बहुत बड़ा दोष है। बिना पुरानी धर्म-पुस्तक की मदद के नई पुस्तक से नीतिशास्त्रियों नियमों को अलग करने में आज तक किसी को कामयाबी नहीं हुई। पुरानी पुस्तक परिष्कृत अवश्य है—उसकी नियमावली विस्तृत अवश्य है—पर अनेक विषयोंमें उसके नियम सभ्यता की हड़ के बाहर चले गये हैं। सच तो यह है कि ये नियम सिर्फ असभ्य, अर्थात् अनार्थ जंगली, लोगों ही के लिए हैं। क्रिश्यन लोगों में सेट पाल एक महात्मा हो गया है। वह पुरानी धर्मपुस्तक की सहायता से क्राइस्ट के नीतिनियमों का कभी अर्थ न करता था—कभी उनका समर्थन न करता था। इस तरह के समर्थन—इस तरह की व्याख्या—का वह पूरा दुश्मन था। परन्तु वह अपने मालिक की उक्तियों की व्याख्या एक और ही तरकीब से करता था। वह क्राइस्ट, अर्थात् ईसा, की कही हुई नीति के पहले भी नीतिशास्त्र का होना क़बूल करता था। ग्रीक और रोमन लोगों के नीतिशास्त्र ईसा के बहुत पहले बन चुके थे। सेट पाल इन शास्त्रों को मानता था। उसने क्रिश्यनों को जो उपदेश दिया वह बहुत करके इन्हीं नीतिशास्त्रों के आधार पर दिया—यहां तक कि लोगों को गुलाम बनाना तक उसने सशास्त्र बतलाया। यह बात उसके उपदेशों से साफ़ मालूम होती है। जिसे लोग क्रिश्यन—नीति कहते हैं उसे यदि वे आध्यात्मिक

या पारमार्थिक नीति कहें तो उनका कहना अधिक स्थौर्चिक हो । क्योंकि उस नीति की रचना न तो क्राइस्ट ने की और न उसके प्रेरित दूर्तों या चेलों ही ने की । वह उनके बहुत दिन बाद तैयार हुई है । पहले पांच सौ वर्षों में कैथलिक सम्प्रदाय के अनुयायियों ने धीरे धीरे उसकी रचना की । आज कल के आदमियों और प्राटे-स्टेंट-सम्प्रदाय के अनुयायियों ने यद्यपि इस नीति को आंख बन्द करके नहीं स्वीकार करलिया, तथापि, उन्होंने आशानुरूप विशेष फेरफार भी उसमें नहीं किये । मध्ययुग में जितनी नई नई बातें इस नीति में शामिल हो गई थीं उन्हींको निकाल कर इन लोगों ने अपने अपने पन्थ या समुदाय के अनुकूल उनकी जगह और बातें रखदीं । बस इतने ही में उन्होंने सन्तोष किया । मैं इस बात को सुशील से मानता हूँ कि इस क्रिश्चियन—नीति और इसके उपदेशकों ने बहुत बड़े उपकार का काम किया है । इसके लिए सारी दुनिया उनकी क्रृपणी है । पर यह कहते मुझे संकोच नहीं कि बहुतसे महत्त्व के विषयों में यह नीति अपूर्ण और एकपक्षीय है । और यदि ऐसे बहुतसे विचार और व्यवहार, जिनकी मंजूरी इस नीति में नहीं है, योरपवालों के काम-काज, रिति-रस्म और चाल-चलन में स्थान न पाते तो उनकी कभी इतनी उच्चति न होती । उनकी इस समय जो हालत है उससे कहीं बदतर होती । क्रिश्चियन—नीति में विप्रतिकार ही की अधिकता है; उसके सब नियम बहुत करके निषेधरूपी ही हैं । जो कुछ उसमें है उसका अधिक अंश मूर्तिपूजा ही के विरुद्ध है । उसकी ज्ञोंक आज्ञा देने की अपेक्षा मना करने की तरफ अधिक है; काम करने की अपेक्षा

बेकार रहने की तरफ़ अधिक है; सज्जनता की अपेक्षा भोल्डेन की तरफ़ अधिक है। वह यह नहीं कहती कि खूब उत्साह के साथ सत्कार्य करो; वह कहती है कि पाणात्मा मत बनो—पाप से दूर रहो। उस नीति में इस तरह के वचन बहुत कम हैं कि—“तू यह काम कर।” पर इस तरह के वचन बहुत हैं कि—“तू यह काम मत कर।” लोगों में विषयासक्ति की अधिकता देख बेहद घबरा कर उसने वैराग्य की महिमा बहुत ही बढ़ा दी—यहां तक कि विरक्त होना धीरे धीरे न्यायसङ्गत और धर्मानुसार माना जाने लगा। वह कहती है कि सदाचरण का एक मात्र फल स्वर्ग की प्राप्ति और नरक से बचना है। इस विषय में यह नीति पुराने ज़माने के कुछ उत्तमोत्तम धार्मिकों की नीति की अपेक्षा बहुत ही कम योग्यता की है। क्योंकि इससे स्वार्थ-साधन की इच्छा विशेष बढ़गई है और लोगों के मन से यह बात उत्तरती चली जारही है कि परोपकार करना भी हुमारा परम धर्म है। परोपकारसम्बन्धी विचारों को इसने आदमियों के दिल से दूर कर दिया है। दूसरों के फ़ायदे का लोग वहीं तक ख़्याल करते हैं जहां तक उनके स्वार्थ क हानि नहीं होती। क्रिश्यन—नीति केवल आज्ञावाहक नीति है, और कुछ नहीं। अर्थात् उसका सिद्धान्त सिर्फ़ यह है कि आंख बन्द करके लोग उसके नियमों का उपचाप पालन करें। उसकी आज्ञा है कि जितने अधिकारी हैं, जितने सत्ताधारी हैं, उनका कहना, बिना ज़रा भी ज़बान हिलाये, सब को मानना चाहिए। हां, यदि वे धर्मविरुद्ध कोई दुराचार करना चाहें तो उनकी आज्ञा मानना मुनासिब नहीं; पर वे चाहे हम पर जितना जुल्म करें,

चाहे हमको जितनी तकलीफ़ पहुंचावें, हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम उनकी आज्ञा को भङ्ग करें । ऐसी हालत में उनके स्विलाफ़ विद्रोह खड़ा करने, अर्थात् बलवा करने का, तो ज़िक्र ही नहीं । वह तो बहुत दूर की बात है । उसका तो नाम ही न लेना चाहिए । अब यदि आप पुराने मूर्तिपूजक देशों की नीति पर ध्यान दीजिएगा तो आपको मालूम हो जायगा कि उसमें स्वदेशश्रीति की बहुत अधिक महिमा गई गई है—यहां तक कि व्यक्तिविशेष के स्वार्थ की अपेक्षा देश और समाज के स्वार्थ की तरफ अधिक ध्यान दिया गया है । अर्थात् पुराने मूर्तिपूजक देशों में जो देश अधिक समझदार थे उन्होंने स्वार्थ की अपेक्षा परर्थ को ही विशेष महत्व दिया है । पर क्रिश्चियनों की नीति में, मनुष्य के इस बहुत बड़े कर्तव्य का उपदेश तो दूर रहा, नाम तक नहीं है; उल्लेख तक नहीं है; ज़िक्र तक नहीं है । उदाहरण के लिए, यहां पर मैं एक विशेष महत्व का वचन उद्घृत करता हूँ । यह वचन क्रिश्चियन लोगों की नई धर्म-पुस्तक का नहीं है; मुसल्मानों के कुरान का है । वह वचन यह है:—“अपने राज्य में अधिक योग्य आदमी होने पर भी जो राजा कम योग्यता के आदमी को कोई अधिकार देता है वह केवल ईश्वर ही की दृष्टि में अपराधी नहीं होता, किन्तु देश की दृष्टि में भी अपराधी होता है—वह दोनों की दृष्टि में पाप करता है ।” स्वदेश-सेवा या स्वदेश-कर्तव्य के सम्बन्ध में जो थोड़ा बहुत महत्व आज कल की नीति में पाया जाता है वह क्रिश्चियन नीतिशास्त्र की बढ़ौलत नहीं है; उसके लिए हम ओंग ओंस और रोम के पुराने नीतिशास्त्र के ऋणी हैं । उसके प्रसाद

से इस तरह की कल्यना हम लोगों के मन में पैदा हुई है। भर-गृहस्थी के कामों, अर्थात् स्वानगी बातों, तक में जो थोड़ा बहुत मनोभव है, उदारभाव और आत्मगौरव देख पड़ता है वह धार्मिक शिक्षा से नहीं, किन्तु मानुषिक शिक्षा से हमें मिला है। वह भी ग्रीक और रोमन नीतिशास्त्र ने ही हमें उधार दिया है। जिस क्रिश्चियन-नीति में सिर्फ आज्ञापालन पर ही इतना ज़ोर दिया गया है उससे ये गुण हमको कढ़ापि मिल भी न सकते।

मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि जिन दोषों का मैंने ऊपर ज़िक्र किया—जिन अभावों का मैंने ऊपर उल्लेख किया—वे सब आदि से लेकर अन्त तक क्रिश्चियन नीतिशास्त्र में भरे हुए हैं। उनको मैं सब कहीं अन्तर्वर्ती नहीं मानता। उनको मैं सब कहीं स्वाभाविक नहीं कहता। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि चाहे जिस तरह से विचार किया जाय इन दोषों से इस नीति का पीछा नहीं छूट सकता। और न मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि नीतिस-म्बन्धी जो बातें इसमें नहीं हैं उनका मेल इसमें कहीं हुई बातों से नहीं हो सकता। खुद क्राइस्ट के सिद्धान्तों और उपदेशों पर तो मैं परोक्ष रीति से भी इस तरह का दोषारोप नहीं कर सकता—पर्याय से भी दोष दिखलाने की चेष्टा नहीं कर सकता। मेरी राय यह है कि जो कुछ जिस मतलब से क्राइस्ट ने कहा है वह बहुत ठीक कहा है; उसके सच होने में कोई सन्देह नहीं। नीतिशास्त्र में जितनी बातें अच्छी अच्छी होनी चाहिए वे सब, बिना खेचातानी के, क्राइस्ट के उपदेशों में पाई जाती हैं। उनमें कोई बात ऐसी नहीं जो नीति के नियमों के प्रतिकूल हो। यह नहीं कि उसके कोई वचन सार्वजनिक नीति के किसी अंश से मेल न खाते

हों । तथापि जो कुछ क्राइस्ट ने कहा है, जो उपदेश क्राइस्ट ने दिया है, उस सब में सत्य का अंश—मात्र है । अर्थात् सत्य उसमें सर्वतोभाव से नहीं है; सत्य का सर्वांश उसमें नहीं आगया । और, क्राइस्ट का उद्देश भी ऐसा ही था । क्रिश्चियन—धर्म की नीव डालनेवाले इस आचार्य के जो वचन, या जो उपदेश, लिख रखे गये हैं उनमें उत्तमोत्तम नीति के बहुतसे प्रधान प्रधान तत्त्व नहीं पाये जाते । क्राइस्ट का उद्देश भी उन तत्त्वों के बतलाने का न था । इसीसे क्राइस्ट की डाली हुई नीव पर क्रिश्चियन नीति की जो इमारत तैयार कीगई है उसमें उन तत्त्वों को जगह नहीं मिली । वे उसमें कहीं नहीं देख पढ़ते । इस दशा में संसार के सारे व्यवहारों से सम्बन्ध रखनेवाले नीतितत्त्वों को क्राइस्ट की नीतिमाला से ढूँढ़ निकालने का जो लोग हठ और दुराग्रह करते हैं वे भूलते हैं । जो लोग यह कहते हैं, कि यद्यपि क्राइस्ट ने नीति के सब नियमों की योजना अपने वचनों में नहीं की तथापि वे सब उस धर्मस्थापक को मंजूर ज़रूर थे, वे सरासर ग़लती करते हैं । मेरी यह भी राय है कि इस तरह की अनुदार बुद्धि—इस तरह की संकुचित कल्पना—धीरे धीरे अधिकाधिक हानिकारक होती जाती है और निस नीति को सिखलाने और उत्तेजित करने के लिए इस समय समाज के अनेक हितचिन्तक परिश्रमपूर्वक प्रयत्न कर रहे हैं उसकी कीमत को वह बेतरह घटा रही है । मुझे इस बात के ख़्याल से बहुत डर लगता है कि इस प्रकार की ख़ालिक धर्मशिक्षा के ज़ोर से लोगों के मन और आचार-विचार को परिमार्जित बनाने, और दूसरे प्रकार की नीति की कुछ भी परवा न

करने, से लोगों को स्वभाव नीच, कमीना और पराधीन होता जाता है। दूसरे प्रकार की नीति, अभी तक क्रिश्यन—नीति के साथ साथ सिखाई जाती रही है; उसने क्रिश्यन—नीति की उन्नति तक की है। अब तक क्रिश्यन—नीति की बदौलत अनेक अच्छे अच्छे तत्त्व दूसरे प्रकार की लौकिक नीतियों को मिले हैं और क्रिश्यन—नीति ने भी दूसरी नीतियों से बहुतसी अच्छी अच्छी बातें पाई हैं। पर अब यह बात बद्द होती जाती है। यह अच्छा नहीं। इससे बड़ी हानि है। क्योंकि आदमियों के मन में अब यह भावना ज़ोर पकड़ती जाती है कि ईश्वर की इच्छा अनिवार्य है; उसे कोई रोक नहीं सकता; वह जो कुछ चाहता है करता है। यह कल्पना लोगों के मन में अब बहुत कम पैदा होती है कि ईश्वर परम दयालु है; ईश्वर की नेकी में कोई सन्देह नहीं; खूबी में ईश्वर अपना सानी नहीं रखता। मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए—मनुष्य की मदाचारवृद्धि के लिए—क्रिश्यन नीति के साथ साथ और और नीतियों का होना भी बहुत ज़रूरी हैं। अर्थात् जो लोग क्रिश्यन धर्म के अनुयायी हैं उनको चाहिए कि वे सिर्फ अपनी ही धर्मनीति के भरोसे न बैठे रहें, औरें की नीति से भी मदद लें। जब तक मनुष्य के मानसिक विचार पूर्णता को नहीं पहुंचते—जब तक मनुष्य का मन खूब उन्नत नहीं हो-जाता—तब तक मतभिन्नता का होना बहुत ज़रूरी है। इस दशामें बिना मतवैचित्र्य के सत्य मत का—सत्य बात का—पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और और नीतिशास्त्रों के नियमों की पाबन्दी करने में क्रिश्यन नीतिशास्त्र के नियमों को भुला देने, या उनके अनुसार व्यवहार न करने की सलाहों

नहीं देता । मैं यह नहीं कहता कि जो तत्त्व क्रिश्चियन-नीति में नहीं हैं उन तत्त्वों को और लोगों की नीति से ले लेने में जो तत्त्व क्रिश्चियन-नीति में हैं उनको भूल जाय । ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं । ऐसा करना अच्छा भी नहीं । तथापि इस तरह की भूल होना सम्भव भी नहीं । मिथ्या विश्वास रखनेवाले पाखण्डी आदमियों से ऐसी भूल हो सकती है । दूसरे नीतिशास्त्र के तत्त्व वे भूल सकते हैं । ऐसी भूल का होना बुरा है, अनुचित है, अहितकर है । इसमें सन्देह नहीं । औरौं की नीति से अच्छी अच्छी बातें ले लेने में फ़ायदा है; और बहुत फ़ायदा है । इससे उस फ़ायदे के ख़्याल से इस तरह की भूलों की परवा न करना चाहिए । किसी नई चीज़ के पाने में कुछ मन्त्र भी करना पड़ता है । इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह की भूलों को, होनेवाले उस बहुत बड़े फ़ायदे की कीमत समझना चाहिए । हमारे नीतिशास्त्र में सत्य का सर्वांश नहीं है; सिर्फ़ उसका कुछ अंश भर है । अर्थात् उसमें थोड़ा ही सत्य है । ऐसा होने पर भी जो इस बात का दावा करते हैं कि थोड़ा नहीं, पूरा सत्य, उसमें विद्यमान है उनका यह बहुत बड़ा फ़र्ज़ है—बहुत बड़ा कर्तव्य है—कि उनके इस दावे के विरुद्ध जो आक्षेप हों उनको वे सुनें । यदि आक्षेप करनेवाले, अर्थात् विरोधी दल के लोग, भी यह कहने लगें कि हमारे हीमत में सत्य का सर्वांश है; उसमें सत्य की ज़रा भी कमी नहीं है; तो उनका भी यह दावा सर्वथा अनुचित है । वह कभी न्यायसङ्गत नहीं कहा जासकता । ऐसे दावे को सुन कर हम अफसोस कर सकते हैं; पर

उसे रोक देना हमें उचित नहीं । उचित हमें यह है कि हम इस तरह के दावे का युक्तिपूर्ण खण्डन करें और यथारीति उसे झूठ साबित कर दें । क्रिश्चियन लोग जिन पर-धर्मवालों को नास्तिक, धर्मनिन्दक या अविश्वासी कहते हैं उनको यदि वे यह सिखलाना चाहें कि वे क्रिश्चियन धर्म के विषय में पक्षपात छोड़कर जो कुछ कहना हो कहें, तो क्रिश्चियनों को चाहिए कि वे भी परधर्मवालों के धर्मसम्बन्ध में पक्षपात छोड़ दें । जिन लोगों का इनिहास से थोड़ा भी परिचय है वे भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नीति के जितने तत्त्व हैं बहुत ही उदार और बहुत ही अनमोल हैं उनका सब से अधिक भाग क्रिश्चियन धर्म के अनुयायियों की कृपा का फल नहीं है । वह सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रसाद् नहीं है जो क्रिश्चियन मत के सिद्धान्तों को नहीं जानते थे; किन्तु उनका भी है जो इस मत के सिद्धान्तों को अच्छी तरह जानकर भी उन्होंने उनको कूल नहीं किया । इस बात पर धूल ढालने की कोशिश करना गोया सत्य को छिपाना है । इस तरह की अनुचित काररवाई से सत्य की सेवा नहीं हो सकती—सत्य की उन्नति नहीं हो सकती—सत्य की प्रीति नहीं बढ़ सकती ।

मेरा यह मतलब नहीं है कि जितने मत हैं उन सब को प्रकट करने के लिये बेहद् व बेहिसाब स्वतन्त्रता देने से जितने धर्मिक सम्प्रदाय हैं और जितने तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी पन्थ हैं उनकी सारी बुराइयों का एकदम संहार हो जायगा । जो अस्पृश हैं वे जब अपने मत की योग्यता की विवेचना करेंगे; वे जब अपने सिद्धान्तों के विषय में उपदेश देंगे; वे जब अपनी समझ के अनुसार बर्ताव

करेंगे; तब उनको ज़रूर स्वयाल होगा कि उनके मत से अच्छा और कोई भी मत दुनिया में नहीं है; और यदि है भी तो उसमें कोई बात उनके स्वीकार करने लायक नहीं है । लोगों को वादविवाद और विवेचना की चाहे जितनी अधिक स्वतन्त्रता दीजाय, जुदा जुदा पन्थों का बनना बन्द न होगा । यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ । जो बात अपनी दृष्टि में नहीं आई उसे जब अपने विरोधी बतलावेंगे तब लोग और भी अधिक चिढ़ जायेंगे; और भी अधिक उससे द्वेष करने लगेंगे; और पहले से भी अधिक दृढ़ता से उसका त्याग करेंगे । यह सब सच है । परन्तु हठपूर्वक वादविवाद करने-वाले परस्पर विरोधी-दलों पर इस विवेचना का यद्यपि कुछ भी अच्छा असर न होगा, तथापि जो लोग तटस्थ रहकर शान्तिपूर्वक इस विवाद को सुनेंगे उनके चित्त पर इसका जो असर होगा वह बहुत ही हितकर होगा । सत्य के किसी अंश का बिलकुल ही लोप कर देने से जितना अहित होता है उतना अहित उसके कुछ अंशों में परस्पर विरोध पैदा होजाने से नहीं होता; फिर चाहे वह विरोध जितना प्रबल हो । जब लोगों के मन में यह बात जम जाती है कि दोनों पक्षवालों की दलीलें सुनना ही चाहिए तब भलाई की ज़रूर आशा होती है । पर जब आदमी हठधर्मी करके किसी एक पक्ष की तरफ झुक पड़ते हैं तब ज़रूर अधिक भूलें होती हैं; और तभी मिद्याविद्यास को अधिक मजबूती आती है । इस दशा में सच बात झूठ होजाती है । इससे उसका परिणाम भी बुरा होता है । जब किसी विषय में वाद-विवाद होता है तब दोनों पक्षों को अपना अपना वकील करने देना चाहिए । ऐसा होना बहुत ज़रूरी है ।

क्योंकि एक ही पक्ष के वकील की बहस सुनने से दोनों पक्षों का निष्पक्षपातपूर्वक विचार करने की सद्बुद्धि बिरले ही जज को होती है। इससे जज को उचित है कि वह दोनों पक्षों को अपने अपने वकील मुकर्रर करने दे; उनमें से हर एक को अपने अपने पक्ष को सच साक्षित करने के लिए यथासाध्य चेष्टा करने दे। यही नहीं, किन्तु जो कुछ वे कहें उसे वह ध्यान से सुने भी। जब तक यह बात न होगी—जब तक इस तरह की स्वतंत्रता न दी जायगी—तब तक सत्य की जीत न होगी। जितनी अधिक इस तरह की स्वतंत्रता लोगों को मिलेगी उतनी ही अधिक सत्य की जीत होगी; उतनी ही अधिक सत्य की वृद्धि होगी; उतनी ही अधिक सत्य की उचिति होगी।

संसार में जितने सुख हैं वे सब मनुष्य के मानसिक सुखों पर ही अवलम्बित हैं। वे उन्हीं पर मुनहसिर हैं। मनोविषयक सुखों की प्राप्तिसे ही सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इसीसे सब को अपनी अपनी राय कायम करने और उसे ज़ाहिर करने की आज़ादी का मिलना बहुत ज़रूरी बात है—अपना अपना मत स्थिर करने और उसे प्रकट करने की स्वतंत्रता का मिलना बहुत आवश्यक है। इस बात का विचार, इस बात का निखण, यहां तक चार प्रकार से किया गया। चार बातों, या चार तत्त्वों, को प्रधान मान कर इस स्वतंत्रता की—इस आज़ादी की—विवेचना हुई। उनको अब मैं संक्षेप से दोहराता हूँ।

पहला—यदि किसी मत का प्रकाशित किया जाना रोक दिया जाय तो बहुत हानि होने की सम्भावना है। क्योंकि यह कोई नहीं

कह सकता कि जिस मत का प्रकाशन रोका गया है वह सच नहीं है । सम्भव है वह सच हो । दृढ़ता के साथ यह कहना कि वह सच नहीं है मानो सर्वज्ञ होने का दावा करना है ।

दूसरा—जो बात ज़ाहिर की जाने से रोकी गई है वह यदि भ्रान्तिमूलक भी हो तो भी उसमें थोड़ी बहुत सत्यता का होना सम्भव है । बहुधा उसमें सत्यता का थोड़ा बहुत अंश होता भी है । जितनी प्रचलित बातें हैं, जितने प्रचलित मत हैं, जितने प्रचलित रीति-रवाज हैं, उनमें सत्य का सर्वोश्च बहुत कम रहता है । अर्थात् बहुत कम यह देखा जाता है कि वे सर्वतोभाव से सच हैं—पूरे तौर से सही हैं । अथवा यों कहिए कि सत्य का सर्वोश्च उनमें कभी रहता ही नहीं । इससे विरोधी मतों की परस्पर रोकझोक होने से ही सत्य के शेष अंश के मिलने की आशा रहती है ।

तीसरा—मान लीजिए कि रुद्र मत, अर्थात् प्रचलित राय या बात, ठीक है । यही नहीं, किन्तु यह भी मान लीजिए कि वह सब तरह से सच है; उसका सर्वोश्च सत्य है; उसका कोई अंश भ्रान्तिमूलक नहीं । तो भी यदि वह मत प्रकट न किया जायगा और उसके विपक्षी, दिल स्लोल कर, खूब उत्साह के साथ उसका विरोध न करेंगे तो वह मत एक दुराग्रह की तरह एक हठवाद की तरह—लोगों के मन में लीन रह जायगा । उसकी उपयोगिता, उसकी सयैकिकता, उसकी सत्यता का कभी अनुभव न होगा । वह बात कभी उनकी समझ में अच्छी तरह न आवेगी ।

चौथा—यही नहीं, किन्तु वाद-विवाद और विवेचना न होने से किसी भी मत, राय या बात के असली अर्थ के कमज़ोर होजाने या उसके

बिलकुल ही भूलजाने का डर रहता है; और आदमियों के आचार, विचार और व्यवहार पर उसका जो परिणाम होना चाहिए वह धीरे धीरे जाता रहता है। इस दशा में उस मत की जो मोटी मोटी बातें होती हैं—जो विशेष विशेष वचन होते हैं—सिर्फ़ वही याद रह जाते हैं। उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता; उनकी हित-कारिणी शक्ति जाती रहती है; परिणाम में अच्छा फल देने की उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। उस मत की नियमावली का—उसके वचनों का—मन के ऊपर सिर्फ़ बोझ मात्र लदा रह जाता है। और, तजरुबा और समझ के बल से सचे और मनोनीत विद्यास के जमने में बहुत अधिक बाधा आती है।

कुछ आदमियों की राय है कि जिसका जो मत हो उसे प्रकाशित करने के लिए उसको पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए; परन्तु उसके प्रकाशन का प्रकार—उसके ज़ाहिर करने का तरीका—परिमित होना चाहिए। उसमें तीव्रता का होना अच्छा नहीं। उसमें वाद-विवाद करने की सीमा का उल्लङ्घन होना अच्छा नहीं। अतएव विचार और विवेचना की स्वाधीनता का विषय समाप्त करने के पहले इन लोगों के मत की भी मैं समालोचना करना चाहता हूँ। अब यह देखना है कि विवाद की सीमा कहां पर और कैसे नियत करना चाहिए। किस जगह तक जाने से सीमा का उल्लङ्घन होगा और किस जगह तक न जाने से सीमा का उल्लङ्घन न होगा? पर इस तरह की सीमा नियत करना असम्भव है—नामुमकिन है। यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध की जा सकती है। क्योंकि जिसके मत के विरुद्ध विवेचना की जाती है—जिसकी बात का खंडन किया जाता है—उसको

कोष आना या बुरा मालूम होना ही यदि सीमोल्ड्ज्वन का प्रमाण या चिन्ह माना जाय तो तजरुबा इस बात की गवाही दे रहा है कि जब जब प्रतिकूल समालोचना, विरुद्ध वाद या दूसरे के मत का खंडन खूब प्रबल और खूब प्रभाव से भरा हुआ होगा तब तब निन्नलोगों के मत के प्रतिकूल विवेचना होगी उनको ज़रूर ही बुरा लगेगा । विरोधी पक्ष का जो जो आदमी उनकी दलीलोंको विरोध सबल प्रमाणों द्वारा काटेगा और खूब जी जान लड़ाकर उनको निरुत्तर कर देगा उस उस पर मर्यादा के बाहर जाने का ज़रूर ही इलज़ाम लगाया जायगा । इस दशा में विरोधियों को यह ज़रूर ही मालूम होगा कि उसने विवेचना की सीमा का उलझन किया । व्यवहार की दृष्टि से देखने में यह बात यद्यपि महत्त्व की मालूम होती है तथापि यह एक ऐसी प्रधान आपत्ति है—एक ऐसा खास उच्च है—कि उसके सामने यह बात कोई चीज़ ही नहीं । कोई मत सच होने पर भी यदि उसके विवेचन की रीति सदोष है तो उसके प्रतिकूल आपत्ति हो सकती है और वैसी विवेचना करनेवाले की निर्भर्त्सना भी की जा सकती है । ऐसी हालत में उसकी मलामत करना, उसकी निन्दा करना, उसे दोषी ठहराना बहुत उचित होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु इस तरह के मुख्य दोष ऐसे होते हैं कि दोषी आदमी, भूल से, या और किसी अचानक घटना के पेंच में पड़कर, यदि उनको खुद ही क़बूल न करले, तो उनके सदोष होने के विषय में उसे क़ायल करना—उसे अपना दोष मान लेने के लिये विवश करना—प्रायः असम्भव होता है । अनुचित या धोखेसे भरी हुई दलीलें पेश करना; प्रमाणों या

प्रत्यक्ष बातों को छिपाना; जिस विषय की विवेचना हो रही है उसके कुछ अंशों का अन्यथा वर्णन करना; और विरोधी पक्ष के मत को और का और ही रूप देना—इत्यादि इस विषय के बहुत बड़े बड़े दोष हैं। तथापि ये सब महा दोष आदमियों के हाथ से हमेशा ही हुआ करते हैं; और ऐसे वैसे आदमियों के हाथ से नहीं, किन्तु बड़े बड़े समझदार और विद्वान् आदमियों के हाथ से। फिर, ये लोग इन बातों को दोष ही नहीं समझते। इस प्रकार की नीति का अवलम्बन वे बुद्धिपुरःसर करते हैं। अतएव सप्तमाण और अन्तः-करणपूर्वक यह कहना बहुत कठिन जाता है कि वे लोग जान बूझ कर ऐसा अपराध करते हैं—जान बूझ कर वे किसी बात को अन्यथा सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। इस कारण वाद-विवाद और विवेचना से सम्बन्ध रखनेवाले इस बुरे व्यवहार का—इस बुरी काररवाई का—कानून के द्वारा प्रतिबन्ध करना कभी उचित, योग्य और न्यायसङ्गत नहीं हो सकता। जिस वाद-विवाद को लोग अपरिमित, संयमहीन या कोपगर्भित कहते हैं उसमें कुचेष्टा, उपहास, गाली, व्यङ्ग और व्यक्ति-विशेष सम्बन्धी नोक झोंक आदि-का अन्तर्भूत होता है। यदि कोई यह सलाह दे कि वाद-विवाद के इन तेज़ हथियारोंसे दोनों पक्षवालों में से कोई भी काम न ले तो उसका कहना अधिक युक्तिसंगत होगा। पर उसकी बात सुनेगा कौन? क्योंकि लोगों का स्वयाल यह हो रहा है कि सिर्फ रुढ़, अर्थात् प्रचलित, मत के विरुद्ध बोलनेवालों को इन शब्दों से काम लेने की भर्नाई होनी चाहिए। पर जो मत रुढ़ नहीं हैं—जो बातें प्रचलित नहीं हैं—उनके विरुद्ध यदि कोई इनसे काट करने

लो तो कोई उनको कुछ न कहे । यही नहीं, किन्तु, बहुत सम्भव है, लोग उसकी तारीफ़ भी करें और कहें कि इसे जो क्रोध आया वह बहुत ठीक आया और इसने आवेश में आकर जो कुछ कहा वह बहुत ठीक कहा । परन्तु, सच बात यह है कि इन शख्सों के उपयोग से सब से अधिक हानि हीन पक्षवालों ही की होती है । जो पक्ष निराश्रय है—जो पक्ष निर्बल है—उसीको अधिक क्षति पहुंचती है । और, यदि इन शख्सों का उपयोग बन्द कर दिया जाय, अर्थात् यदि इनके चलाने की मनाई हो जाय, तो जो मत रुद्ध, अतएव प्रबल, होगा उसीको विशेष लाभ होगा । इस प्रकार का सबसे बड़ा अपराध अपने विपक्षी को दुःशील, दुर्जन या दुराचारी कह कर उसे कलंगित करना है । जो लोग अप्रचलित मत का पक्ष लेते हैं, अर्थात् जो मत रुद्ध नहीं है उसे जो स्वीकार करते हैं, उन पर ऐसे कलंग अधिक लगाये जाते हैं । ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है । सब आदमी उनका दबाव नहीं मानते । इस बात की कोई परवा भी नहीं करता कि उनके साथ लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं या भला । यदि इस बात की परवा किसीको होती है तो सिर्फ उन्हींको होती है जिन पर ऐसे कलंग लगाये जाते हैं । पर जो किसी प्रचलित रीति या किसी प्रचलित मत पर आक्रमण करते हैं उनको लोग ये वचनशब्द नहीं उठाने देते । वे इन शख्सों को अच्छी तरह काम में ला भी नहीं सकते । और, यदि वे इनसे काम लें भी तो उलटी उन्हींकी हानि हो—अर्थात् दूसरों की व्यर्थ निन्दा करने से उनका निर्वाह न हो सके । इस-लिए, मामूली तौर पर जो मत प्रचलित मतों के विरुद्ध हैं उन्हींके

अनुयायियों को वाद-विवाद की सीमा के भीतर रहना चाहिए—उन्हींको नियमित और परिमित विवेचना का अभ्यास करना चाहिए। तभी लोग उनकी बातों को शान्तिपूर्वक सुनेंगे। तभी लोग उनकी दलीलों पर गौर करेंगे। उनको इस बात की हमेशा खबरदारी रखना चाहिए कि उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द या वाक्य न निकल जाय जो किसीको नागवार हो। इस विषय में ज़रा भी बेपरवाही उनसे हुई—ज़रा भी असावधानी उन्होंने की—कि उनकी हानि हुई। इस हालत में वे हानि से कभी नहीं बच सकते। इधर प्रचलित मत के अनुयायियों ने यदि बेहिसाब गाली गलौज से काम लिया तो लोग नया मत स्वीकार करने से डरते हैं और उस मत के पक्षपातियों की बातें और विवेचना सुनने का साहस भी नहीं करते। इससे यदि लोगोंकी यह इच्छा हो कि जो बात सत्य और न्याय है उसीकी जीत हो तो दुर्बल पक्ष का प्रतिबन्ध करने की अपेक्षा प्रबल पक्ष का प्रतिबन्ध करने की ही बहुत अधिक ज़रूरत है। दुर्बल दलवालों को गालियों और व्यर्थ कलङ्कों से बचाने के लिए प्रबल दलवालों ही को रोकना अधिक न्यायसङ्गत है। उदाहरण के लिए धार्मिकता की अपेक्षा अधार्मिकता पर ही होनेवाले व्यर्थ आ-क्रमणों का रोकना अधिक ज़रूरी है। पर, यह निर्विवाद है कि इस विषय में दोनों में से किसी पक्ष को भी अपने विरोधी पक्ष का अट-काव करने के लिए क़ानून या हुकूमत की शरण जाना अनुचित है। अर्थात् अधिकार और क़ानून के ज़ोर से किसी तरह का अट-काव या प्रतिबन्ध करना मुनासिब नहीं है। जो मामला जैसा हो—जो बात जैसी हो—उसकी सब हालतों का अच्छी तरह खयाल

करके समाज को उसका फैसला करना चाहिए । जिसकी विवेचना में—जिसके वादेविवाद में—फिर चाहे वह जिस पक्ष का हो, अप्रामाणिकता, द्वेष, दुराग्रह, हठ और दूसरे के मत के विषय में असह-नशीलता देख पड़े समाज को उसे ही दोषी ठहराना चाहिए । इस तरह किसीको अपराधी ठहराने के लिए समाज को इस बात पर ध्यान न देना चाहिए कि अपराध करनेवाला आदमी किस पक्ष का है । चाहे वह अनुकूल पक्ष का हो चाहे प्रतिकूल पक्ष का, उसके पक्ष या दल की तरफ नज़र न रखकर सिर्फ उसके काम की तरफ नज़र रखना चाहिए । जो मनुष्य अपने प्रतिपक्षियों को अच्छी तरह पहचानता है; जो उनकी बातों को शान्तिपूर्वक सुनता है; जो उनके कहने को सचाई के साथ बयान करता है; जो उनका अपमान करने के इरादे से किसी बात को बढ़ाकर नहीं कहता; और जो उनके अनुकूल, या अनुकूलसी मालूम होनेवाली, बातों को नहीं छिपाता, वह चाहे जिस पक्षका हो, उसका उचित आदर करना मनुष्य का कर्तव्य है । सार्वजनिक वाद—विवाद और विवेचना की यही सच्ची नीति है—यही सच्ची रीति है । यह सही है कि इस नीति का लोग बहुधा उछल्डन करते हैं । पर खुशीकी बात है, कि ऐसे भी बहुत आदमी हैं जो इसके अनुसार बर्ताव करते हैं; और ऐसे तो और भी अधिक हैं जो इसके अनुसार बर्ताव करने की अन्तःकरणपूर्वक चेष्टा करते हैं ।



तीसरा अध्याय.

व्यक्तिविशेषता भी सुख का एक साधन है।



पना अपना मत स्थिर करने के लिए—अपनी अपनी राय कायम करने के लिए—सब आदमियों को स्वतन्त्रता का मिलना बहुत ज़रूरी है। हर आदमीको इस बात की आजादी मिलना चाहिए कि जो राय उसे पसन्द हो—जो मत उसे अच्छा लगे—उसे ही वह कबूल करे। इतना ही नहीं, किन्तु उसे अपने मत को बिना किसी अटकाव के स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करने की भी आजादी मिलनी चाहिए। क्यों? इसके कारण दूसरे अध्याय में बयान किये जा चुके हैं। इस तरह की आजादी यदि नहीं मिलती; अथवा मना किये जाने पर भी, मनाई की परवा न करके, यदि लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मत प्रकट नहीं करते; तो नतीजा बहुत ही बुरा होता है। कहां तक बुरा? यह भी ऊपर बतलाया जा चुका है। इस विषय में लोगों की स्वतन्त्रता छिन जाने से उनकी बुद्धि और विचार—शक्ति ही नहीं कुण्ठित हो जाती है; इससे उनके सदाचरण को भी धक्का लगता है। अब मैं इस बातका विचार करना चाहता हूँ कि जिसका जो मत हो उसके अनुसार काम करने की भी उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए या नहीं। और जिन कारणों से उसे अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता का मिलना ज़रूरी है

वही कारण यहां भी काम दे सकते हैं या नहीं । हर आदमी को अपने मत के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता से मेरा मतलब यह है कि दूसरे लोग उसे किसी तरह का, शारीरिक या मानसिक, प्रतिबन्ध न पहुंचावें; और अपना मनमाना काम करने में यदि वह किसी विपदा में पड़जाय तो उससे उसीकी हानि हो औरों की नहीं । यह पिछली, अर्थात् विपदावाली, शर्त बहुत ज़खरी है । क्योंकि जिस तरह हर आदमी को अपना अपना मत प्रकाशित करने के लिए स्वतन्त्रता दी जा सकती है उसी तरह जिसका जो मत हो उसके अनुसार काम करने के लिए उसे स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती । यह मैं नहीं कहता कि जो जैसा करना चाहे उसे वैसा ही करने देना चाहिए । उल्टा मैं यह कहता हूँ कि जिस राय के ज़ाहिर करने से—जिस मत के प्रकाशित होने से—दूसरे आदमियों को कोई हानिकारक या बुरा काम करने के लिए उत्तेजन या प्रोत्साहन मिलता हो; अर्थात् जिसके कारण कोई नामुनासिव बात करने के लिए औरों के बहक जाने का डर हो; उसे ज़खर रोकना चाहिए; उसे हरणिज़ ज़ाहिर न होने देना चाहिए; उसका अवश्य प्रतिबन्ध करना चाहिए । यदि कोई अखबारों में यह छाप दे कि गले के व्यापारी ग़रीब आदमियों को भूखों मारे डालते हैं या अमीर आदमियों के पास जो धन-दौलत है वह लूट का माल है, तो कोई हर्ज की बात नहीं । इसलिए उसके प्रतिबन्ध की ज़खरत नहीं । परन्तु यदि किसी बनिये की दुकान के सामने इकट्ठे हुए और आवेदा में आये हुए ग़रीब आदमियों के जमाव में झुस-कर कोई वही बात कहने लगे, या उसे छपाकर कोई बाटने लगे,

तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए । इस हालत में उसे सज़ा देना बहुत मुनासिब होगा । यदि किसी काम के किये जाने से बिना किसी वजह के किसीको तकलीफ पहुंचे तो उसे बुरा कहना ही चाहिए; और यदि ज़रूरत समझी जाय तो उसे तुरन्त रोक भी देना चाहिए । हर आदमी की स्वाधीनता का इतना प्रतिबन्ध ज़रूर होना चाहिए । आदमी को इस बात का अधिकार नहीं कि अपने बर्ताव से वह दूसरों को तकलीफ पहुंचावे । पर यदि वह दूसरों को किसी तरह की तकलीफ या असुविधा न पहुंचाता हो, अर्थात् उनके कामकाज में वह किसी तरह की बाधा न डालता हो; और जिन बातों से सिर्फ उसीका सम्बन्ध है उन्हींको यदि वह अपनी समझ और इच्छा के अनुसार करता हो तो उसे वैसा करने देना चाहिए । इसके पहले अध्याय में जिन प्रमाणों से यह सिद्ध किया गया है कि हर आदमी को अपना मत प्रकाशित करने के लिए स्वतन्त्रता का दिया जाना बहुत ज़रूरी है उन्हीं प्रमाणों से उसे अपनी समझ या अपने मत, के अनुसार काम करने के लिए स्वतन्त्रता का दिया जाना भी सिद्ध है । पर अपने काम की जिम्मेदारी उसी पर रहेगी । अर्थात् अपने काम से यदि उसकी कुछ हानि होगी तो उसे ही सहन करनी पड़ेगी । आदमी सर्वज्ञ नहीं है । उससे ग़लती हो सकती है । वह जिस बात को जैसा समझता है उसमें सत्य का सर्वांश बहुधा नहीं रहता, अर्थात् उसमें सत्य का कुछ ही अंश रहता है । बिना पूरे तौर पर, और बिना किसी प्रतिबन्ध के, परस्पर विरोधी मतों की तुलना किये किसी बात में एकता का होना अच्छा नहीं । और जब तक आदमी सत्य को सब

तरह से जानने के—उसके सब अंशों को पहचानने के—योग्य, इस समय की अपेक्षा अधिक न हो जायँ, तब तक जुदा जुदा भर्तों का होना बुरा नहीं, अच्छा ही है। ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे प्रमाण हैं, ये ऐसे सिद्धान्त हैं कि इनके आधार पर जिस तरह मत प्रकट करना युक्तिसंगत सिद्ध हो चुका है उसी तरह अपने अपने मत के अनुरूप बर्ताव करना भी सिद्ध है। जब तक आदमी पूर्णता को नहीं पहुंचता—जब तक आदमी कमालियत को नहीं हासिल कर लेता— तब तक जैसे हर आदमी को अपना अपना मत जुदा जुदा प्रकाशित करने देने में लाभ है वैसे ही हर आदमी को अपनी अपनी समझ के अनुसार जुदा जुदा काम करने देने में भी लाभ है। हर आदमी को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि जो काम उसे पसन्द हो करे; दूसरों को तकलीफ न पहुंचाकर जिस तरह का आचरण वह करना चाहे करे; और जिस तरह के व्यवहार या बर्ताव में उसे अपना लाभ जान पड़े उसे करे। यदि किसीको इस बात की जांच करने की इच्छा हो कि जुदा जुदा तरीके से रहने में क्या हानि और क्या लाभ है तो वह खुशी से उन सब तरीकों की जांच करे और तजुरबे से उन बातों को जाने। भतलब यह कि जिन बातों से दूसरों का सम्बन्ध नहीं है उन्हें करने के लिए हर आदमी स्वतन्त्र है। जहां आदमी अपने इच्छानुसार बर्ताव नहीं कर सकता, किन्तु और लोगों की चालढाल और खूंडि के अनुसार उसे बर्ताव करना पड़ता है, वहां समझना चाहिए कि अनुभ्य के सुख की एक बहुत बड़ी चीज़ कम है। यह चीज़ समाज अर्थात् सब आदमी, और व्यक्ति अर्थात् जुदा जुदा हर

आदमी—दोनों के—सुख-साधन का प्रधान तत्त्व है। पर ऐसी जगह उसीकी कमी रहती है।

इस तत्त्व को संमालने में—इस बात का प्रतिपादन करने में—एक बहुत बड़ी कठिनाई आती है। वह यह कि लोग व्यक्ति-विशेष की योग्यता और उसके महत्त्व की बहुत ही कम परवा करते हैं। यदि वे परवा करें तो उस योग्यता या महत्त्व को पाने के उपाय भी सहज ही में हो सकें। उपाय ढूँढ़ निकालने में फिर बहुतसा मतभेद भी न हो। व्यक्ति-विशेष की उन्नति होना—हर आदमी की तरक्की होना सुख का मूल कारण है। जिसे हम सुधार, सम्भ्यता, शिक्षा, संस्कार और ज्ञानवृद्धि कहते हैं उस सब की बराबरी ही की वह उन्नति नहीं है; किन्तु उसका वह प्रधान अङ्ग और मूल हेतु भी है। यदि यह बात लोगों के ध्यान में आजाय तो वे उसकी तरफ़ कभी बेपरवाही न करें और उसके महत्त्व को वे कभी कम न समझें। हर आदमी की स्वतन्त्रता और समाज के बन्धन की हद बाधने में भी फिर कोई कठिनाई न आवे। परन्तु दुःख इस बात का है कि साधारण आदमियों के ध्यान में यह नहीं आता कि हर आदमी की स्वच्छन्दता या स्वेच्छा की भी कुछ कीमत है; या वह भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका आदर होना चाहिए। जो बातें या जो रीतियां आजकल प्रचलित हैं वे बहुत आदमियों की चलाई हुई हैं। बहुत आदमियों ने मिलकर उन्हें जारी किया है। इससे उन्हें वही पसन्द हैं; वही उन्हें हितकर जान पड़ती हैं। क्योंकि उनके जन्मदाता वही हैं। इस कारण यह बात उनकी समझ ही में नहीं आती कि वे रीति-रवाज हर आदमी के लिए क्यों हितकर नहीं? क्यों सब

लोग उनसे लाभ नहीं उठा सकते ? जो लोग नीति और समाज का सुधार करने का बीड़ा उठाते हैं उनमें भी अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की होती है जिनको व्यक्ति-स्थानंत्र्य, अर्थात् हर आदमी की स्वतन्त्रता, अच्छी नहीं लगती । वे समझते हैं कि यदि हर आदमी को मनमाना काम करने की स्वतन्त्रता दी जायगी तो सारे समाज के सुधार में विनाश पड़ेगा—अटकाव होगा—देर लगेगी । वे डरते हैं कि यदि हर आदमी को मनमानी स्वतन्त्रता मिल जायगी तो जिन बातों को वे अपनी बुद्धि के अनुसार मनुष्य मात्र के लिए सब से अच्छी समझते हैं उनके प्रचार में ज़रूर प्रतिबन्ध आ जायगा । जर्मनी में हम्बोल्ट नाम का एक बहुत बड़ा पंडित और बहुत बड़ा राजनीति-कुशल विद्वान् होगया है । उसने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं । उनमें से एक पुस्तक में, एक जगह, वह लिखता है:—“ अनिश्चित, अनित्य और नश्यमान वासनाओं की प्रेरणा की परवा न करके निश्चित, अविनाशी और पूरी विवेक-शक्ति की सहायतासे विचार करने पर जान पड़ता है कि संसार में मनुष्य का सब से बड़ा उद्देश यह है कि विना परस्पर विरोध के अपनी सब शक्तियों का पूरा पूरा विकास, अर्थात् विस्तार या फैलाव, हो । इसलिए हर आदमी को जिस बात की तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और विशेष करके समाज का सुधार करनेवालों को जिस बात को अधिक महत्त्व देना चाहिए, वह अपनी अपनी विवेक-शक्ति का बन्धनहीन विकास है । अर्थात् हर आदमी को यह देखते रहना चाहिए कि उसकी विचारशक्ति में किसी तरह की रुकावट या प्रतिबन्धकता तो नहीं आती । विवेक-शक्ति की बढ़ती के लिए दो बातें

दरकार हैं। एक स्वतन्त्रता, दूसरी कई तरह की अवस्थायें अर्थात् स्थिति-वैचित्र्य। इन्हीं दोनों के योग अर्थात् मेल से व्यक्ति-बल और स्थिति-वैचित्र्य पैदा होते हैं। अर्थात् इन्हें होने से हर आदमी में एक विशेष तरह की शक्ति उत्पन्न होती है और हर आदमी मन-माना काम करने में, मनमाना बर्ताव करने में, मनमानी चाल चलने में समर्थ होता है। इसीसे नवीनता आती है—इसीसे नयापन पैदा होता है”। हम्बोल्ट के अनुसार व्यवहार करना तो दूर की बात है उसके भत का भतलब, जर्मनी को छोड़कर, और देशवालों की समझ तक में नहीं आया।

हम्बोल्ट के इस सिद्धान्त को इस देश में, आज तक किसीने नहीं सुना था। इससे अब यह सुनकर कि हर आदमी की स्वतन्त्रता को वह इतना कीमती समझता है, लोगों को ज़रूर आश्र्य होगा। तथापि मुझे भरोसा है कि वे इस बात पर वाद-विवाद न करेंगे कि व्यक्ति-स्वतन्त्र्य होना चाहिए या नहीं—हर आदमी को आज़दी मिलनी चाहिए या नहीं। विवाद इस बात पर वे करेंगे कि स्वतन्त्रता कितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि लोगों का यह हरगिज खयाल नहीं कि दूसरों की नकल करना ही बर्ताव, व्यवहार या चालचलन का सब से अच्छा तरीका है। अर्थात् भले बुरे का विचार न करके दूसरों के बर्ताव को देखकर खुद भी वैसा ही करने लगना कभी लोग अच्छा नहीं समझेंगे। यह कोई न कहेगा कि आदमी को अपनी समझ या अपने स्वभाव के अनुसार बर्ताव न करना चाहिए; अथवा अपनी विवेक-शक्ति को काम में न लाना चाहिए; अथवा जिसे जो बात अपने फ़ायदे की जान पड़े उसे न करना

चाहिए । यह समझना बिलकुल ही असङ्गत होगा कि जिस समय हम पैदा हुए उस समय के पहले सब लोग निरे मूर्ख थे—उनको ज़रा भी ज्ञान न था—और इस बात का तजरुबा लोगों को बिलकुल न था कि किसी एक तरह के वर्ताव की अपेक्षा दूसरी तरह का वर्ताव अच्छा है । अतएव मुझे विश्वास है कि इस तरह की दलीलें पेश करके कोई किसीसे यह न कहेगा कि जैसा वर्ताव या जैसा व्यवहार और लोग कर रहे हैं वैसा ही तुम भी आंख मूँद कर करो । क्योंकि यदि कोई किसीको इस तरह का उपदेश देगा तो उस पर विचारशून्यता का आरोप ज़रूर आवेगा—उस पर यह इलज़ाम ज़रूर ल्याया जायगा कि वह कुछ नहीं समझता; उसे भले बुरे का बिलकुल ज्ञान नहीं है । ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो इस बात को न मानता हो कि लड़कपन में सब को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए—ऐसी विद्या सीखनी चाहिए—जिसकी सहायता से, आदमियों के आज तक के तजरुबे से निश्चित हुए सिद्धान्तों को, वे अच्छी तरह समझ सकें और उनके अनुसार वर्ताव करके अपना कल्याण भी कर सकें । जब आदमी की मानसिक शक्ति खूब परिपक्व होजाय—जब उसकी विवेक-बुद्धि कमाल दरजे को पहुंचजाय—तब उसे इस बात का पूरा अधिकार होना चाहिए कि उस तजरुबे का अर्थ, जैसा उसे समझ पड़े, करे और उसे निस तरह वह लाना चाहे, काम में लाने । इस तरह के अधिकार का वह पूरा हक़्क़दार है; इसे पाने का वह दावा कर सकता है । इस बात का फैसला वही कर सकता है—इसका निश्चय उसीके हाथ में है—कि इतिहास में जो तज-

रबे—जो अनुभव—लोगों ने लिख रखे हैं उनमें से कौन उसके स्वभाव और उसकी अवस्था के अनुकूल हैं और कौन नहीं हैं । दूसरे लोगों के रीति-रवाज, व्यवहार और आचरण उनके तजुरबे की थोड़ी बहुत गवाही ज़रूर देते हैं—वे उनके अनुभव-ज्ञान के, किसी अंश में, प्रमाण अवश्य हैं । इसलिए उनको ज़रूर महत्व देना चाहिए और उनका ज़रूर आदर करना चाहिए । पर इस बात को भी न भूलना चाहिए कि, सम्भव है, उन लोगों का तज-रुबा कम रहा हो; अथवा उस तजुरबे का ठीक मतलब ही उन्होंने न समझा हो । अथवा, मान लीजिए, कि उन लोगों ने अपने तजुरबे का मतलब बहुत ठीक समझा, पर वह हमारे सुभीते का नहीं । जितने रीति-रस्म हैं—जितने व्यवहार हैं—सब व्यावहारिक अवस्थाओं और व्यावहारिक स्वभाव के आदमियों के लिए बनाये जाते हैं । पर, सम्भव है, किसीकी अवस्था, दशा, हालत और स्वभाव व्यवहारविरुद्ध हो । तो वह क्यों उन रीति-रस्मों को माने ? क्यों वह वैसा व्यवहार करे ? अच्छा, थोड़ी देर के लिये कल्पना कर लीजिए कि कोई प्रचलित रीति या रुढ़ि अच्छी भी है और काम की भी है । पर रुढ़ि समझ कर ही, बिना विचार किये, उसके अनुसार काम करने से, ईश्वर ने मनुष्यता का चिन्ह जो बुद्धि या विवेक-शक्ति मनुष्य को दी है उसकी उच्चति न होगी और न उसको, इस तरह के व्यवहार से, कोई शिक्षा ही मिलेगी । भले-जुरे की जांच करने में जब तक कोई प्रवृत्त नहीं होता तब तक निश्चय, विवेक, तारतम्य ज्ञान, नैतिक विचार, बुद्धि की तीक्ष्णता और इन्द्रियों की ग्रहणशीलता आदि शक्तियों की कभी यथेष्ट उच्चति

नहीं हो सकती । जो लोग सिर्फ रुद्धि के दास बन बैठते हैं वे कभी भले-बुरे की जांच नहीं करते; वे हमेशा रुद्धि की पंछि पकड़ कर ही चलते हैं; और जहाँ वह लेजाती है वहाँ चुपचाप चले जाते हैं । न वे यही पहचान सकते हैं कि कौन रीति अच्छी है और न वे उसे प्राप्त करने की इच्छा ही करते हैं । बुद्धि से काम लेने का इन बेचारों को अस्यास ही नहीं रहता । जिस तरह काम लेने ही से हाथ, पैर आदि अंग सबल और मजबूत होते हैं उसी तरह उपयोग में लाने ही से मानसिक और नैतिक शक्तियों की भी उत्तित होती है । दूसरों को किसी बात पर विश्वास करते या किसीको मानते देख खुद भी उनकी नक़ल करने में जैसे मन को ज़रा भी मेहनत नहीं पड़ती बैसे ही दूसरों को किसी रुद्धि के अनुसार व्यवहार करते देख खुद भी उसीका अनुसरण करने में मन को मेहनत नहीं पड़ती । किसी मत के कारण यदि अपने मत को प्रामाणिक न मालूम हुए, अर्थात् यदि उनको सुन कर मन में यह बात दृढ़ न हुई कि वे सही हैं, तो उस मत को मान लेने से आदमी की मानसिक शक्ति बढ़ती तो नहीं, पर घट ज़खर जाती है । जिन कारणों से आदमी किसी काम में प्रवृत्त होता है वे कारण यदि उसके मन और स्वभावके अनुकूल नहीं हैं तो उस काम को आदमी कभी मन लगाकर उत्साहपूर्वक नहीं कर सकता । इस तरह बेमन काम करने से लाभ तो कुछ होता नहीं पर हानि यह होती है कि बुद्धि शिथिल मन्द और अकर्मण्य ज़खर होजाती है । हाँ, इस तरह का कोई काम, यदि प्रीति-परवश होकर किया जाय, अथवा यदि किसी और को उसे करने का अधिकार ही न हो, तो बात दूसरी है ।

हमें किस तरह रहना चाहिए? हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? इन बातोंका निश्चय करनेका काम जो आदमी दुनिया या समाज के ऊपर छोड़ देता है उसके लिये फिर रह क्या जाता है? उसके लिये फिर किसी शक्ति या कर्तव्य की क्या ज़रूरत? बन्दर की तरह औरें की चेष्टाओं की नकल करने भर की उसे ज़रूरत रहती है। और किसी चीज़ कि ज़रूरत नहीं। पर जो आदमी खुद इस बात का निश्चय करता है कि, उसका आचरण कैसा होना चाहिए उसे अपनी सभी मानसिक शक्तियों को काम में लाना पड़ता है। देखने के लिए उसे मनोयोग देना, अर्थात् मन लगाना, पड़ता है। आगे का स्वयाल रखकर उसे तर्क-शक्ति और विवेक-बुद्धि से काम लेना पड़ता है, अर्थात् होनहार बातों को ध्यान में रख कर बहुत सोच-विचार के साथ उसे काम करना पड़ता है। निर्णय के लिए जो सामग्री दरकार होती है उसे इकट्ठा करने के लिये उसे चालक बनना पड़ता है। निश्चय के लिये उसे न्याय-बुद्धि, विवेचना या भले-बुरे की तमीज दरकार होती है। और, अन्त में, निश्चय कर लेने पर उसके अनुसार काम करने के लिए उसे दृढ़ता और आत्मसंयम, अर्थात् अपने को काबू में रखने, की ज़रूरत पड़ती है। जिस काम को करने या न करने के विषय में आदमी अपनी समझ और अपने मनोविकारों का उपयोग करता है वह काम जितना ही अधिक महत्व का होता है उतना ही अधिक उसे इन शक्तियों की ज़रूरत होती है और उतना ही अधिक उसे इनसे काम भी लेना पड़ता है। स्वभाव ही से प्राप्त हुई इन शक्तियों से जो लोग काम नहीं लेते वे बहुत

कम सुमार्गगामी होते हैं और बहुत कम आपदाओं से बचते हैं । परन्तु यदि वे कुमार्गगामी न भी हुए और यदि वे आपदाओं में न भी फंसे तो भी ऐसे आदमियों की कीमत कितनी ? जो लोग अपनी मानसिक शक्तियों से काम लेते हैं उनमें और इनमें आकाश-पाताल का अन्तर समझना चाहिए । जिस तरह इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरह इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं—अर्थात् किस तरह के आदमी किस तरह के काम में लगे हैं । जिन बातों को संवारना और पूर्णता को पहुंचाना आदमी का काम है उन बातों में से खुद अपनी उच्चति करके अपनी ही आत्माको परिपूर्ण करना उसका सब से पहला काम है । थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आदमी के आकार के अनन्त यंत्र किसीने बना डाले । ये मानवी यंत्र आप ही आप वर बनाने लगे, अनाज पैदा करने लगे, लडाइयां लड़ने लगे, मुकद्दमों का फैसला सुनाने लगे—इतना ही नहीं किन्तु मन्दिर बनाकर उनमें प्रार्थना और पूजा-पाठ भी करने लगे । इस कारण यदि सम्य देशों के अर्द्ध-शिक्षित श्री-पुरुष कहीं चले जाय-उनका यकायक लोप होजाय—तो भी, मेरी समझ में, इन मानवी यंत्रों को पाने से संसार की बहुत बड़ी हानि होगी । मनुष्य यंत्र नहीं है । आदमी का स्वभाव कल नहीं है कि जिस नमूने का काम करने के लिए वह बनाया गया है उसे ही वह विना सोचे समझ, चुपचाप करता रहे । वह एक प्रकार का पेड़ है । अतएव उसका काम है कि जिन भीतरी शक्तियों ने उसे जानदार बनाया है उनकी प्रवृत्ति, उनकी प्रेरणा, उनके द्विकाव के अनुसार वह बढ़े और अपने सब अङ्गों की उच्चति करे ।

आदमी इस बात को बहुधा मानते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना अच्छा होता है। वे इस बात को भी मानते हैं कि किसी कल या यंत्र की तरह किसी बात को आंख बन्द करके करने की अपेक्षा समझ बूझ कर उसे करना और बुद्धिपुरःसर कभी कभी उसका अतिक्रमण तक कर जाना अच्छा होता है। वे इस बात को भी थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि अपनी बुद्धि पर अपना ही अधिकार होना चाहिए—अर्थात् जिसकी बुद्धि में जो बात अच्छी जँचे उसे वही करना चाहिए। परन्तु इस बात को मानने में वे उतनी सानुरागता या सुशी नहीं ज़ाहिर करते कि अपनी मनोवृत्तियों पर, अपने मन की अभिलाषाओं पर, अपने मन के शुकावों या वेगों पर भी अपना ही अधिकार होना चाहिए। उनकी यह समझ है कि मनोविकारों पर अधिकार होना विशेषकरके प्रबल मनोविकारों पर—धोखे का काम है; उनके वशीभूत होकर लोग अकसर आपदाओं में फंस जाते हैं। पर यह स्वयाल ग़लत है। जो लोग ऐसा समझते हैं वे भूलते हैं। पूर्णता, अर्थात् कमालियत, को पहुंचे हुए आदमी के लिए जैसे विश्वास और बन्धन की ज़रूरत है वैसे ही उसके लिए मनोविकार (कामना, अभिलाषा, इच्छा आदि) और प्रेरणा की भी ज़रूरत है। जो प्रेरणायें, जो कामनायें, जो स्वाहिशों बहुत प्रबल हैं वे यदि काबू के बाहर होजाय—अर्थात् यदि उनका प्रतिबन्ध न किया जाय यदि उनका नियमन न किया जाय, यदि उनकी बाढ़ न रोक दीजाय—तो आपदाओं में फंसने का डर ज़रूर रहता है। नहीं तो कोई डरने की बात नहीं। जब एक तरह की प्रेरणायें, वासनायें या स्वाहिशों प्रबल हो उठीं; और उनके साथ दूसरी तरह की जिन

प्रेरणाओं, वासनाओं, या खाहिशों को प्रबल होना चाहिए वे मन्द, ढीली या कमज़ोर पड़ गई, तभी हानि होती है । अन्यथा नहीं । कामनाओं के प्रबल होजाने से आदमी दुराचार नहीं करते, किन्तु अन्तःकरण के निर्बल होजाने से—मनोदेवता के कमज़ोर पड़ जाने से—वे वैसा करते हैं । प्रबल वासनाओं और निर्बल अन्तःकरण में कोई सम्बन्ध नहीं है । यह नहीं कि जिनकी वासनायें खूब प्रबल हों—जिसकी खाहिशें खूब जोरावर हों—उसकी विवेकबुद्धि, उसकी समझ, उसकी मनोदेवता भी निर्बल हो । यह कोई नियम नहीं है । नियम ठीक इसका उल्लङ्घा है । जब हम यह कहते हैं कि एक आदमी की वासनायें और उसके मनोविकार दूसरे आदमी की वासनाओं और उसके मनोविकारों से प्रबल हैं और अधिक भी हैं तब उसका सिर्फ़ इतना ही मतलब समझना चाहिए कि उसके पास मनुष्यता, आदमियत, या मानवी स्वभाव से सम्बन्ध रखनेवाली कच्ची सामग्री अधिक है । इस कारण यदि वह अधिक बुरे काम कर सकता है तो वह अधिक अच्छे भी काम कर सकता है । इसमें कोई सन्देह नहीं; प्रबल मनोविकार कहते किसे हैं? वह उत्साह का दूसरा नाम है । प्रबल मनोविकार सिर्फ़ बढ़ा हुआ उत्साह है । जिस आदमी में उत्साह की अधिकता है उसके हाथ से खराब काम हो सकते हैं; पर काम काज से डरनेवाले आलमी आदमी की अपेक्षा उस से अधिक अच्छे काम होने की भी हमेशा उम्मेद रहती है । जिनके मनोविकार स्वाभाविक हैं, अर्थात् जन्म से ही प्रबल हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिलने से वे विकार बहुत ही अधिक प्रबल हो जाते हैं । जिस ग्राहिकाशक्ति, जिस ज्ञान, जिस समझ के कारण आदमी

के मनोविकार खूब तेज़, खूब प्रबल, खूब सचेतन हो जाते हैं उससे सद्गुणों को प्राप्त करने की प्रबल प्रीति और अपने आपको क़ाबू में रखने—अर्थात् आत्म-संयम करने—की प्रबल इच्छा भी पैदा होती है। इन्हीं शक्तियों को उत्साह देने—इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने—से समाज अपना कर्तव्य कर सकता है और अपने हित, स्वार्थ या गौरव की रक्षा भी कर सकता है। सब तरह के प्रासिद्ध पुरुषों, महात्माओं या वीरशिरोमणियों की उत्पत्ति के लिए इन्हींकी ज़रूरत रहती है। इनके न होने या इनका उपयोग न करने से उत्साही पुरुषों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो आदमी अपने मनोवेगों और अपने विकारों का मालिक है—अर्थात् अपने ही शिक्षण या अभ्यास से जिसने उनको बढ़ाया या परिमार्जित किया है—उसीके स्वभाव की लोग प्रशंसा करते हैं। उसीके विषय में लोग कहते हैं कि इसका स्वभाव एक खास तरह का है; इसके आचरण का ढंग औरों से बिलकुल जुदा है। जो अपने मनोवेगों का मालिक नहीं है; जो अपने ईमित विकारों पर अधिकार नहीं रखता, उसके विषय में यह कहना कि उसके भी स्वभाव का कोई ढंग है, मानों यह कहना है कि भाफ के जोर से चलनेवाले याञ्जिन के स्वभाव का भी कोई ढंग है। अर्थात् जैसे किसी कल में स्वभाव की कोई विलक्षणता नहीं होती वैसे ही इस तरह के आदमी में भी कोई विलक्षणता या विशेषता नहीं होती। जिसके मनोवेग स्वाभाविक और प्रबल हैं और जो अपनी बलवती इच्छा के योग से उनको अपने क़ाबू में रखता है वही सच्चा उत्साही है; उसीको सच्चा तेजस्वी कहना चाहिए। जो लोग यह समझते हैं कि मनोवेग और वासनाओं को उत्तेजन देकर

उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक न बढ़ने देना चाहिए वे मानों यह कहते हैं कि समाज को प्रबल स्वभाव के, अर्थात् उत्साही, आदमियों की ज़रूरत ही नहीं है; स्वभाव की अधिकता रखनेवाले बहुत आदमियों से कुछ भी लाभ नहीं है; और मनोवृत्तियों का साधारण तौर पर उच्चत होना भी अच्छा नहीं है ।

जिस समय समाज की बाल्यावस्था थी, अर्थात् जिस समय समाज अज्ञान-दशा में था, उस समय ये शक्तिया इतनी प्रबल थीं कि इनको रास्ते पर लाना और इन्हें क़ाबू में रखना समाज को बहुत कठिन जाता था । एक समय ऐसा था जब स्वेच्छाचार और व्यक्ति-स्वातंत्र्य सूब बढ़े हुए थे । उनका प्रतिबन्ध करने के लिए—उनको वश में रखने के लिए—समाज का नाकों दम था । जिन लोगों की शक्ति सूब तेज थी या जिन लोगों के मनोविकार सूब प्रबल थे, उनका नियमन करने के लिए—उनको एक बतलाई हुई हृद के भीतर रखने के लिए—उस समय समाज को जो नियम बनाने पड़ते थे उन नियमों की पावन्दी उन लोगों से कराने में बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ता था । इस कठिनता को दूर करने के लिए क़ानून बनानेवालों, और लोगों के आचरण को एक उचित सीमा के भीतर रखने की कोशिश करनेवालों, ने एक युक्ति निकाली; जैसे रोम के सबसे बड़े धर्माचार्य, पोप, योरप के बादशाहों के सर्वस्व पर अपनी सत्ता चलाने की चेष्टा करते थे वैसे ही समाज के मुखिया भी यह कहने लगे कि लोगों के सर्वस्व पर—उनकी सब बातों पर—समाज की सत्ता है । कोई बात ऐसी नहीं जिस पर समाज की सत्ता न हो—जिसका नियमन समाज न कर सके ।

ऐसा कहने से आदमी का स्वभाव—आदमी का आचरण—भी उसमें आ गया। क्योंकि आदमी का स्वभाव उसके सर्वस्व के बाहर नहीं है। जिस बात को अपने वश में रखने के लिए, जिस बात का नियमन करने के लिए, जिस बात पर सत्ता चलाने के लिए, समाज को और कोई युक्ति नहीं सूझी उसे उसने सर्वस्व के अन्तर्गत करके अपने अधीन कर लिया। इसका फल यह हुआ कि व्यक्ति-विशेषता धीरे धीरे कोई चीज़ ही न रह गई; वह समाज के बनाये हुए कानून, अर्थात् नियमों, की गुलाम बन गई। अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए पहले हर आदमी स्वतन्त्र था। पर वह बात अब न रही। उसकी स्वाधीनता छिन गई। वह समाज की आज्ञा के अनुसार आचरण करने के लिए विवश किया गया। पहले हर आदमी के मनोवेग और इच्छा-स्वतन्त्र्य के बढ़ाने से हानि होने का डर था। पर अब उन्हींके बहुत कम होजाने से हानि होने के निशान देख पड़ने लगे। अर्थात् स्थिति अब बिलकुल ही उलटी हो गई; बात अब बिलकुल ही बदल गई। पहले जो लोग अपने अधिकार या स्वाभाविक गुणों के कारण बहुत प्रबल थे उन्हींके मनोविकार समाज के बनाये हुए नियमों और रीति-रवाजों का उल्टून करते थे। अतएव उनके पैच में आये हुए दुर्बल आदमियों को हानि से बचाने ही के लिए कठिन नियमों के द्वारा समाज को उनके मनोविकार नियंत्रित करने पड़ते थे; अर्थात् कानून बनाकर ऐसे अनुचित मनोविकारों की बाढ़ रोक दी जाने की ज़रूरत पड़ती थी। पर आज कल की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई है। अब तो समाज के ऊचे से ऊचे दरजे के आदमियों से लेकर नीचे से

नीचे दरजे के आदमियों तक, हर आदमी, जो कुछ करता है। इस तरह डंकर करता है मानो उसके आवरण की उलटी आलोचना करने और उसे सजा देने के लिए कोई तैयार ही बैठा हो । आज कल जिन बातों का दूसरों से सम्बन्ध है उन्हींके विषय में नहीं, किन्तु ऐसी बातों के भी विषय में जिनका सम्बन्ध सिर्फ अपने ही से है कोई आदमी या कोई कुटुम्ब अपने आपसे इस तरह के प्रश्न नहीं करता कि—मुझे पसन्द क्या है? या मेरे मत या स्वभाव के अनुकूल क्या है? या मुझमें जो चीज़ सबसे अधिक अच्छी या सबसे अधिक ऊँची है वह मुनासिब तौर पर काम में किस तरह लाई जा सकती है? उसकी उन्नति किस तरह हो सकती है? वह अच्छी दशा में किस तरह बनी रह सकती है? वह इस तरह के प्रश्न करता है कि—मेरी स्थिति के योग्य क्या है; मेरी पदवी को शोभा क्या देगा या जो लोग मेरी स्थिति के हैं और जिनके पास उतनी ही सम्पत्ति है जितनी मेरे पास है उनका वर्तीव कैसा है? या जिनकी स्थिति मेरी स्थिति से अच्छी है और जिनके पास सम्पत्ति भी मुझसे अधिक है वे क्या करते हैं? यह पिछला प्रश्न औरों की अपेक्षा और भी बुरा है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि अपनी पसन्द की बिलकुल ही परवान करके लोग रुढ़, अर्थात् प्रचलित, रीति-रवाज की नकल करते हैं। मेरा मतलब यह है कि रुढ़ बातों को छोड़ कर और बातों की तरफ उनका मन ही नहीं जाता। अर्थात् लोगोंका मन रुढ़िका दास हो गया है; रुढ़ि के जुये में मन को जोत देने की उन्हें आदत पड़ गई है। जो बातें लोग शौक से करते हैं उनमें भी वे अनुख्तपता,

साइश्य या मुआफिकत हूँढ़ते हैं। अर्थात् जो काम वे सुख—चैन के लिए करते हैं उसके विषय में भी वे पहले यह देख लेते हैं कि और लोग भी वैसा ही करते हैं या नहीं। जिसे बहुत आदमी पसन्द करेंगे उसे ही वे पसन्द करेंगे। साधारण रीति पर अपनी तरफ से यदि वे कुछ पसन्द करेंगे तो जो बातें और लोग करते हैं उन्हीं में से एक आध को वे पसन्द करेंगे। कभी किसी नई बात को ढूँढ़ कर वे उसे पसन्द न करेंगे। जिस तरह किसी महापातक या दुष्कर्म से लोग दूर भागते हैं उसी तरह वे रुचि—विशेष या आचरण विशेष से दूर भागते हैं। अर्थात् किसी विशेष प्रकार की रुचि या किसी विलक्षणता से भेरे हुए आचरण से वे दूर रहते हैं। नवीनता से वे डरते हैं; वे उसके पास तक खड़े नहीं होते। इस तरह अपनी तबीयत के मुताबिक काम न करने से—अपने स्वभाव का अनुसरण न करने से—आदमियों के स्वभाव ही का नाश हो जाता है। उनमें स्वभाव की विशेषता ही नहीं रह जाती। अतएव उनकी आदमियत—उनकी मानवी शक्ति—धीरे धीरे निर्जीव हो जाती है। उनकी पुष्टि के लिए जिन चीजों की ज़रूरत रहती है वे उसे मिलती ही नहीं; उनकी वह भूखी ही बनी रहती है। जिसे पेट भर साने को नहीं मिलता वह क्योंकर जिन्दा रह सकता है? इस दशा में, मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति इच्छानुकूल बर्ताव की अभिलाषा और वेगवती वासनाओं की प्रेरणा को उत्पन्न करने के योग्य ही नहीं रह जाती। जिनकी स्वाभाविक शक्ति का यह हाल है उनकी निज की कोई राय ही नहीं होती—उनके निज के कोई मनोविकार ही नहीं होते।

उनके मन में इनकी उत्पत्ति ही नहीं होती। अब बतलाइए, आदमी के स्वभाव की यह दशा, यह अवस्था, यह गति, इष्ट है या अनिष्ट?

कालविन^{*} की राय है कि मनुष्य के स्वभाव की ऐसी ही दशा इष्ट है। उसके स्वभाव का नाश होजाना ही—उसकी इच्छाशक्ति का दुर्बल होजाना ही—मनुष्य के लिए हितकर है। कालविन के मत में स्वेच्छा का होना ही, अर्थात् किसी बात की इच्छा रखना ही, आदमी का सब से बड़ा अपराध है। आदमी यदि अपना कुछ हित कर सकता है तो वह आज्ञा—पालन से ही कर सकता है। अर्थात् जिन आज्ञाओं को मानने के लिए धर्मशास्त्र में वचन हैं उनको मानने से ही उसका भला हो सकता है। आदमी को अपनी इच्छानुसार काम करने का अधिकार नहीं। जिस काम को जिस तरह करने की उसे आज्ञा है उसे उसी तरह करना चाहिए, दूसरी तरह नहीं। जिस काम को करने के लिए आदमी को आज्ञा नहीं, उसे करना ही पाप है। अर्थात् जितना बर्ताव धर्मशास्त्र की रूसे कर्तव्यरहित है उतना सब पापमूलक है। आदमी का स्वभाव शुरू से ही सदोष है; मूल से ही वह पापपूर्ण है। अतएव ऐसे स्वभाव का, भीतर ही भीतर जब तक समूल नाश न हो जायगा तब तक उद्धार की आशा

^{*} किञ्चित्यनों के धर्मशास्त्र में लिखा है कि आदमी की सुष्ठि एडम और ईव से हुई है। परन्तु ईश्वर की आज्ञा के बिना ज्ञानवृक्ष के फल खाने से एडम और ईव के शरीर का सूधिर दुष्प्रिय होगया—उसमें पापात्मक विकार आगया। अतएव उनकी संताति भी पापात्मा पैदा हुई। माता-पिता के विकार सन्तान में आ ही जाते हैं। ऐसी विकृत अर्थात् पापी सन्ताति के मन, बुद्धि और शरीर की शृद्धि करना मानो पाप को बढ़ाना है। उनका नाश होने ही में कुशलता है। कालविन साहब इसी मत के पृष्ठपोषक थे।

करना व्यर्थ है। जो लोग इस सिद्धान्त को पसन्द करते हैं—जो लोग इसके कायल हैं—उनके मत में मनुष्य की ग्रहण-शक्ति और परिज्ञान-शक्ति आदि मानसिक गुणों का नाश होजाने से कोई हानि नहीं; कोई अनर्थ नहीं; कोई बुराई नहीं। उनके अनुसार आदमी को चाहिए कि वह अपने को ईश्वर की मरजी पर छोड़ दे। उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसे और किसी तरह की योग्यता दरकार नहीं। उसके लिए और किसी इच्छा या वासना का होना इष्ट नहीं। जो बातें ईश्वर की कल्पित मानी गई हैं उनको पूरे तौर पर न करके, और कुछ करने में अपनी शक्तियों को उपयोग में लाने की अपेक्षा उन शक्तियों का नाश होजाना ही अच्छा है। यह कालविन का सिद्धान्त है। जो लोग कालविन के अनुयायी हैं वे तो इस सिद्धान्त को मानते ही हैं। जो लोग उसके अनुयायी नहीं हैं वे भी इसे मानते हैं; पर कुछ कम। वह कमी इस बात में है कि वे ईश्वर की मरजी—ईश्वर की इच्छा—का उतना कड़ा अर्थ नहीं करते। वे उसका यह अर्थ करते हैं कि आदमी को इस बात की आज्ञा है कि वह अपनी कुछ विशेष विशेष इच्छाओं को पूरा करे। अर्थात् उसके मन में जो वासनायें पैदा हों उनमें से यदि वह दो चार ख़ास ख़ास वासनाओं को तृप्त करने की चेष्टा करे तो उस पर यह इलज़ाम नहीं लगाया जायगा कि उसने ईश्वर की आज्ञा भंग की। पर इसके साथ ही वे यह भी समझते हैं कि इस तरह की तृप्ति आदमी अपने मन माने तरीके से नहीं कर सकता; आज्ञापालन के तौर पर ही वह उसे कर सकता है। अर्थात् धर्मशास्त्र में जो नियम हैं उन्हीं नियमों के

अनुसार आदमी को अपनी विशेष विशेष कामनाओं को तृप्त करना चाहिए और वे नियम सब के लिए बराबर होने चाहिए । मतलब यह कि जो नियम एक आदमी के लिए हैं वही सब के लिए होने चाहिए ।

आज कल लोग इस स्थाल की तरफ बेहद झुके हुए हैं कि आदमी के जीवन का क्रम संकुचित होना चाहिए; और जिस बड़े सिद्धान्त का वर्णन ऊपर हुआ उसी तरह के किसी सिद्धान्त के अनुसार आदमी को अपना स्वभाव सूच संकीर्ण और कसा हुआ बनाना चाहिए । अर्थात् उसे एक कल्पित मर्यादा या हद के भीतर रखना चाहिए । बहुत लोग तो सचमुच ही यह समझते हैं कि ईश्वर की इच्छा यही है—ईश्वरका सकेत यही है—कि बहुत ही क्षुद्र संकुचित और मर्यादाबद्ध, अर्थात् महदूद, हालत में रहे । यह स्थाल ऐसा ही है जैसा आज कल लोक पेड़ों को मनमाने तौर पर बढ़ने देने की अपेक्षा छांट कर उनको ढूंठ कर देना या काट कूट कर उनके जानवरों की शक्ल का बना देना ही अधिक शोभा और अधिक सुन्दरता का कारण समझते हैं । जिसने आदमी को बनाया है वह न्यायी है; उसके संकल्प—उसके स्थालात—अच्छे हैं; उसने अच्छे ही इरादे से आदमी की सृष्टि की है । यदि इस तरह की समझ भी धर्म का कोई अंश हो; यदि यह भी धर्मसे कोई सम्बन्ध रखती हो; यदि यह भी धर्म को मान्य हो; तो यह स्वीकार करना अधिक शोभा देगा कि स्वष्टि ने आदमी को जो मानसिक शक्तियाँ दी हैं वे इस लिए नहीं दी कि वे उत्खाड़ कर नष्ट कर दी

जांय; किन्तु इस लिए दी हैं कि वे बढ़ाई जांय—उनका खूब विकास और विस्तार किया जाय। इसी तरह इस बात पर विश्वास करना भी अधिक सयौक्तिक और अधिक शोभादायक होगा कि स्वष्टा की दी हुई इन शक्तियों की पूरी पूरी उन्नति करने के लिए जैसे जैसे आदमी अधिक कोशिश करेगा, और जैसे जैसे वह उन्हें उन्नति की हड़ के अधिक पास पहुंचावेगा—अर्थात् जैसे जैसे वह अपनी ग्रहण-शक्ति; क्रिया-शक्ति और उपयोग-शक्ति को बढ़ावेगा तैसे ही तैसे स्वष्टा को अधिक प्रसन्नता भी होगी। आदमी की उत्तमता का जो नमूना कालविन ने बतलाया है वह कोई नमूना नहीं। सच्ची उत्तमता का नमूना और ही तरह का है। वह यह है:—आदमी में जो आदमियत्, इनसानियत् या मनुष्यता है वह नाश की जाने के लिये नहीं है; उसके और ही उद्देश हैं; वह और ही मतलब से दी गई है। क्रिश्चियन लोग आत्मनिरोधःका उपदेश देते हैं और मूर्तिपूजक लोग आत्मस्थापना, या आत्मरक्षा, का उपदेश देते हैं। जिन बातों से आदमी की योग्यता का भहत्त्व है, अर्थात् जो बातें उसकी योग्यता को अच्छी तरह कायम रखने के लिये दरकार हैं, आत्मनिरोध और आत्मस्थापना उन्हींमें से हैं। ग्रीक लोगों का यह सिद्धान्त था कि हर आदमी को यथासम्भव आत्मोन्नति अर्थात् अपनी तरक्की करना चाहिए। इस सिद्धान्त से, ऐटो का और क्रिश्चियन-धर्मशास्त्र का आत्मशासन नामक सिद्धान्त मेल खाता है; अर्थात् उसके अन्तर्गत आ जाता है; पर उससे अधिक उत्तमता नहीं रखता। तथापि इन दोनों सिद्धान्तों में विरोध

नहीं है । आलसिवियाडिस* होने की अपेक्षा जॉन नॉक्स होना शायद अधिक अच्छा होगा; पर इन दोनों की अपेक्षा पेरिहिस † होना ज़्रुर अच्छा है । यदि इस समय पेरिहिस पैदा होता तो यह सम्भव न था कि उसमें जॉन नॉक्स के सब सदृष्टि न होते ।

आदमी में जो कुछ व्यक्ति-विषयक विषमत्व हो, अर्थात् उसमें जो बातें बेडौल और समानता-रहित हों, उन्हें रगड़ कर सरल, डौल-

* आलसिवियाडिस ग्रीस के एथन्स शहरमें ईसाके ४५० वर्ष पहले पैदा हुआ । वह बहुत रूपवान् और धनी था । वह बड़ा शौकीन भी था । सुक्रात का वह चेला हो गया था । सुक्रात ने उसके दुर्घटों को दूर करने की बहुत कोशिश की, पर विशेष लाभ नहीं हुआ । एक दफे एथन्स में देवताओं की कुछ मूर्तियाँ तोड़ डाली गईं । इससे लोगों ने आलसिवियाडिस पर मूर्ति तोड़ने का इलजाम लगाया । पर पांछे से उन्होंने उसका अपराध क्षमा कर दिया । जब स्पार्टावालों ने एथन्स पर चढ़ाई की तब आलसिवियाडिस ने एथन्सवालों का सेनापति होकर स्पार्टन लोगों को बहुत बड़ी हार दी । पर, उस पर फिर एक बार राजदेह का आरोप आया और ईसा के ४०४ वर्ष पहले वह मार डाला गया ।

† पेरिहिस का जन्म एथन्स में ईसा के पहले पाचवे शतक में हुआ । उसने राजकीय कामों में बड़ी प्रसिद्धि पाई । धीरे धीरे वह प्रजा-पक्ष का मुखिया हो गया । उसने एथन्स के किले को खब मज़बूत बनाया । बहुतसी अच्छी अच्छी इमारतें भी बनवाईं । एथन्स का यह वैभव स्पार्टावालों से न देखा गया । इस लिये उन्होंने उस पर चढ़ाई की । दो वर्ष तक लड़ाई जारी रही । पर एथन्सवाले नहीं हारे । इतने में अचानक ऐसी सख्त महामारी आई कि एथन्स के अनन्त आदमी मर गये । इस आपदा का मूल कारण लोगों ने पेरिहिस को ठहराया और उसे सज़ा दी । अन्त में, ईसा के ४२९ वर्ष पहले, ज्वर से उसका प्राणान्त हुआ ।

दार और बराबर बना देने से आदमी में देखने के लायक उदारता और सुन्दरता नहीं आती। दूसरों के हित और अधिकार रक्षित रखकर, अर्थात् उनका अतिक्रमण न करके, उस विषमत्व—उस बेडौलपन—को दुरुस्त करने और उसका विकास होने देने से वह बात आती है। जो लोग जिस काम को करते हैं उनके गुण उसे काम में ज़रूर आजाते हैं। अर्थात् जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया भी होती है। अतएव कर्तव्य कर्म में लगे रहने से मनुष्य मात्र का जीवन भी वैभवशाली, विविध प्रकार का, और उत्साही हो जाता है। ऐसा होनेसे आदमी के ख़्यालात् खूब ऊँचे हो जाते हैं और उसके मनोविकार भी खूब तरक्की पाते हैं। यही नहीं, किन्तु, हर आदमी जिस सूत्र द्वारा मनुष्यजाति से बँधा हुआ है वह सूत्र खूब मजबूत हो जाता है और मनुष्य-जाति की योग्यता की इतनी बढ़ती हो जाती है कि उस बढ़ती के साथ ही हर आदमी की भक्ति भी उसके विषय में बढ़ जाती है। जैसे जैसे हर आदमी की विशेषता, अर्थात् व्यक्तिविलक्षणता, बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे उसका मोल भी बढ़ता जाता है। उसे यह मालूम होने लगता है कि मेरी योग्यता बढ़ गई है; मैं अपने लिए अधिक मूल्यवान् हो गया हूँ; मैं अपने निज के काम काज पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकता हूँ। अतएव व्यक्ति-विशेषता के बढ़ जाने से—आदमी के अधिक मूल्यवान् हो जाने से—दूसरों के हित करने की योग्यता भी उसमें बढ़ जाती है। उसके आस्तित्व में, उसके व्यवहारों में, पहले से अधिक जान आ जाती है।

आदमियों ही के समूह का नाम समाज है । व्यक्तियों ही से समाज बना है । इससे यदि व्यक्ति में—यदि हर आदमी में—अधिक जान आजायगी तो समाज में भी अधिक जान आ जायगी । व्यक्तियों के अधिक जानदार और तेजस्वी होते ही समाज भी अधिक जानदार और तेजस्वी हो जायगा । जिनमें मानवी स्वभाव की बहुत अधिकता है, अर्थात् जिनकी तबीयत या प्रकृति में ज़ोर अधिक है—तेज़ी जियादह है—वे अपने से कमाज़ेर आदमियों के हक छीन लेने या उन्हें सताने की अकसर कोशिश करते हैं । इसलिए उनका शासन ज़रूर करना चाहिए; उन्हें एक बंधी हुई हड़ के बाहर न जाने देना चाहिए । मतलब यह कि जहां तक हो सके, प्रतिबन्ध द्वारा उनकी शक्ति का नियमन कर देना चाहिए । विना यह किये काम नहीं चल सकता । परन्तु इससे मनुष्य की उच्चति में कमी नहीं आ सकती । इस तरह के प्रतिबन्ध से आदमी के सुधार में बाधा नहीं उत्पन्न हो सकती । यदि एक आदमी की मानसिक उच्चति में कुछ कमी भी आ जायगी तो दुसरे की उच्चति में विशेषता होने से वह कमी पूरी हो जायगी । अर्थात् इस तरह के प्रतिबन्ध से समाज की कोई हानि न होगी । क्योंकि बलवान् आदमी अपनी वासनाओं की जो तृप्ति करता है वह निर्बल आदमियों की वासनाओं का नियंत्रण करके करता है । अर्थात् उसकी वासनायें जितनी अधिक तृप्ति होंगी औरों की वासनायें उतनी ही अधिक तृप्ति होने से रह जायगी । परन्तु सामाजिक प्रतिबन्ध या नियंत्रण से बलवान् का भी फ़ायदा ही होता है । क्योंकि उसकी स्वार्थपरायणता कम हो

जाती है और परार्थ-परायणता बढ़ती है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, व्यक्तियों ही के समूह से समाज बना है। अतएव हर आदमी के दो अंश होते हैं—एक व्यक्ति-अंश, दूसरा समाज-अंश। इससे जब किसी बलवान् आदमी की वासनाओं की बाढ़ रोकी जाती है तब उसके व्यक्ति-अंश की जितनी हानि होती है, उसके समाज-अंश का उतना ही लाभ होता है। दूसरों के हित के लिए—दूसरों को अन्याय से बचाने के लिए—बलवान् आदमी से कठोर नियमों का पालन कराने से, उसकी वे मनोवृत्तियां और वे शक्तियां बढ़ती हैं जिनसे पदार्थ की सिद्धि होती है—जिनसे पर-हित की वृद्धि होती है। यह उन कामों की बात हृदय जिनसे दूसरों का सम्बन्ध है। परन्तु जिन बातों से दूसरों का बिलकुल ही सम्बन्ध नहीं है उन्हें करने से किसी को सिर्फ़ इसलिए रोकना, कि वे दूसरों को पसन्द नहीं हैं, कदापि न्याय-सङ्करण नहीं। इस तरह की रोक से कुछ लाभ नहीं होता। यदि कुछ होता भी है तो यह होता है कि जिसकी वासना, या इच्छा, रोकी जाती है वह उस रुकावट का मुकाबला करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इससे उसके स्वभाव की प्रबलता यदि कुछ बढ़ जाय तो वह सकती है। और अधिक कुछ नहीं हो सकता। यदि उस रुकावट से वह रुक जायगा—यदि उस बलात्कार, अर्थात् जबरदस्ती को वह सहन कर लेगा—तो उसका सारा स्वभाव ही पलट जायगा। उसमें मन्दता आ जायगी; उसकी तेज़ी जाती रहेगी। हर आदमी की प्रकृति को यथेच्छ उन्नत होने के लिए, हर आदमी को अपनी तरक्की करने के लिए, इस बात की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जितने आदमी हैं सब अपनी अपनी इच्छा के अनु-

सार मनमाना व्यवहार करें । अतएव यथेच्छ व्यवहार करने के लिए सब को मुनासिब तौर पर मौका देना चाहिये । जिस युग, अर्थात् पीढ़ी में इस तरह का सुभीता जितना ही अधिक था, उतना ही अधिक परिमाण में वह युग लाभदायक हुआ है । इस समय उसने उतनी ही अधिक प्रसिद्धि भी पाई है । जहां अनिवन्ध राज्य है; जहां प्रजा का सर्वस्व राजा ही के हाथ में है; जहां प्रजा कुछ नहीं, राजा ही सब कुछ है; वहां पर ऐसे राज्य-शासन से भी तब तक बहुत बुरे अनर्थ नहीं होते जब तक व्यक्ति-विशेषत्व सजीव बना रहता है, अर्थात् जब तक हर आदमी के उचित मनोविकारों की वृद्धि नहीं रोकी जाती । जिस सत्ता से व्यक्ति-विशेषता पिस जाती है उसी का नाम अनिवन्ध राज्य है । ऐसी सत्ता को चाहे कोई जिस नाम से पुकारे; और चाहे उसका उद्देश ईश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों से बलपूर्वक काम कराना हो, चाहे उससे आदमी के हुक्मों की तामील करानी हो; उसकी अनिवन्धता कहीं जाने की नहीं । बाढ़, वृद्धि, या उन्नति ही का नाम व्यक्तिता या व्यक्ति-विशेषता है । दोनों एक ही चीज़ है । व्यक्ति-विशेषता की बढ़ती होने ही से आदमी की बढ़ती होती है और हो सकती है । अर्थात् उसकी उन्नति होने ही से आदमी सब तरह की उन्नतियां कर सकता है । इन बातों का मैंने यहां तक विचार किया । यहीं पर इस विवेचना को समाप्त कर देने से काम चल जाता । क्योंकि इसकी अपेक्षा और अधिक क्या प्रशंसा हो सकती है कि, अमुक तरह का वर्ताव करने से आदमी यथाशक्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है—यथासम्भव सर्वोत्तम स्थिति को पहुंच सकता है? अथवा इससे

अधिक और क्या निन्दा हो सकती है कि, अमुक तरह का बर्ताव करने से उस स्थिति—उस पूर्णता—तक पहुंचने में विघ्न आता है? तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि, इस विषय में, जिन लोगों को कायल करने की ज़रूरत है वे इतनी ही विवेचना से कायल न होंगे। इतनी ही से उन लोगों का विश्वास इस सिद्धान्त पर न जमेगा। इस सिद्धान्त को उनके मनोनीत करने के लिए—उनके गले उतार देने के लिए—उनको इस बात के भी बतलाने की ज़रूरत है कि इस तरह पूर्णता को पहुंचे हुए आदमी अपनी अपेक्षा अपूर्ण आदमियों के काम भी आवेंगे। उनको इस बात की याद दिलाने की भी ज़रूरत है कि यदि दूसरों को विना किसी प्रतिबन्ध के स्वाधीनता को काम में लाने की अनुमति दे दी जायगी तो, जो लोग स्वाधीनता की परवा नहीं करते और स्वाधीनता मिल जाने पर भी जो उससे लाभ नहीं उठाते, उनका भी हित ही होगा।

उनका पहला हित यह होगा कि उन अपूर्ण, अथवा अल्पज्ञ आदमियों से उन्हें कुछ शिक्षा मिलेगी—कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि आदमी के व्यवहार से सम्बन्ध रखनेवाली जितने बातें हैं उनका एक अङ्ग—और ऐसा वैसा नहीं, महत्व का अङ्ग कल्पना-शक्ति है। कल्पना, अर्थात् नई नई बातों के आविष्कार का बड़ा माहात्म्य है। नये नये सिद्धान्तों का पता लगानेवालों की, और जो सिद्धान्त पहले सच समझे गये थे उनको आमक सिद्ध करनेवालों की ही हमेशा ज़रूरत नहीं रहती। नये नये व्यवहारों अर्थात् रीति-रवाजों के शुरू करनेवालों की, और अधिक उच्चत

बर्ताव अधिक उच्चत बुद्धिमानी और अधिक उच्चत अभिनवि का नमूना सबके सामने रखनेवालों की भी बहुत बड़ी ज़रूरत रहती है । जो आदमी यह नहीं समझता, अर्थात् जिसको इस बात पर विश्वास नहीं है, कि संसार में जितने आचार, विचार और व्यवहार हैं सब सम्पूर्णता को पहुंच गये हैं वह मेरे इस कथन का स्पष्टन नहीं कर सकेगा । यह ज़रूर सच है कि इस तरह का फ़ायदा सब आदमियों के हाथ से बराबर होनेका नहीं । संसार में जितने आदमी हैं उन सबका द्विसाब लगाकर देखने से मालूम होगा कि ऐसे आदमी दो ही चार मिलेंगे जिनके तजरुबे की नकल करने से, अर्थात् जिनके अनुभवस्थापित बर्ताव के अनुसार चलने से, प्रचलित व्यवहार में कुछ सुधार होने की सम्भावना होगी । परन्तु इन दो चार आदमियों को कम महत्व न देना चाहिए । जिस तरह बिना नमक के भोजन फीका लगता है उसी तरह बिना इन अल्पसंख्यक आदमियों के सांसारिक समाज फीका रहता है । दुनियामें यही आदमी नमक का काम देते हैं । यदि ये न हों तो आदमी की ज़िन्दगी सब तरफ़ से बन्द कर दिये गये पानी के एक छोटे से गढ़ सी हो जाय । ये लोग नई और अच्छी अच्छी बातों का ही प्रचार नहीं करते; किन्तु जो बातें पहले ही से प्रचलित हैं उनको भी यही सजीव रखते हैं । इन्हींकी बदौलत उनमें जान बनी रहती है । यदि कोई नई बात करने को न हो तो क्या आदमी के लिए अपनी बुद्धि से काम लेने की ज़रूरत न रहे ? क्या इसको भी कोई अच्छा समझेगा कि जो लोग पुरानी प्रचलित बातों का अनुकरण करते हैं वे उस अनुकरण का कारण भी भूल जाय और आदमियों की तरह

नहीं, किन्तु हैवानों की तरह, आंख बन्द करके उसे करते रहें ? बिना विचार किये पुरानी लकीर के फ़कीर होना आदमी को शोभा नहीं देता । यह बात बहुधा देखी जाती है कि जो विश्वास और जो व्यवहार उत्तम से उत्तम हैं वे भी क्षीण होते होते निर्जीव यंत्रों की तरह हो जाते हैं । ऐसे विश्वासों और ऐसे व्यवहारों का मूल हेतु सजीव, बनाये रखने के लिये यदि प्रबल कल्पना-शक्ति के आदमी, एक के बाद एक, बराबर न पैदा होंगे तो वे ज़रूर निर्जीव हो जायंगे । परम्परा से चली आनेवाली इस तरह की निर्जीव रूद्धियाँ—इस तरह की मुर्दा बातें—किसी सजीव विश्वास का थोड़ा सा भी धक्का लगाने से चूर हो जायंगी । वे उसे कभी बरदाश्त न कर सकेंगी । मुझे कोई कारण नहीं देख पड़ता कि बायज़न्टाइन * की बादशाहत की तरह पुरानी शिक्षा और सम्यता क्यों न नष्ट हो जाय ? नई और ज़िन्दा बातों के धक्के को पुरानी मुर्दा बातें किस तरह बर्दाश्त कर सकती हैं ? तेज़ प्रतिभावाले—विलक्षण बुद्धिवाले—आदमी बहुत कम पैदा होते हैं और वे बहुत कम पैदा होवेंगे । यह बहुत सही है । परन्तु जिस खेत में वे पैदा होते हैं उसकी रखवाली सूब खबरदारी से करनी चाहिए, जिसमें इस तरह के जो थोड़े से आदमी उसमें पैदा होते हैं वे तो होते रहें । प्रतिभा, अर्थात् विलक्षण बुद्धि, को सिर्फ़ स्वाधीनताखंडी वायुमंडल में ही अच्छी तरह धारोच्छ्वास

* ईसा की तीसरी शताब्दी के लगभग रोम की बादशाहत के दो भाग होनये—एक पूर्वी, दूसरा पश्चिमी । इनमें से पूर्वी भाग का नाम बायज़न्टाइन था । १४५३ ईसवी में तुर्क लोगों ने उनका नाश करदिया ।

लेने का—आराम से दम मारने का—मौका मिलता है । प्रतिभा शब्द के अर्थ के अनुसार प्रतिभावान् आदमी, और आदमियों की अपेक्षा विलक्षण होते ही हैं । इसीसे ऐसे आदमी अपने बदन को सिकोड़ कर, बिना चोट लगे, उन छोटे छोटे बर्तावरूपी सांचों में से किसी एक सांचे के भीतर अपने को नहीं ढाल सकते, जिनको समाज इसलिये बनाता है कि हर आदमी को अपने अपने बर्ताव का सांचा बनाने की तकलीफ़ न उठानी पड़े । यदि डर, या और किसी कारण, से किसी सांचे में अपने स्वभाव को ढालने के लिए लाचार होकर वे राज़ी भी होते हैं, तो दबाव के कारण उनके जिस अङ्ग की पुष्टि औरों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए वह नहीं होती । अतएव उनकी प्रतिभा से—उनकी विलक्षण बुद्धि से—समाज का जो हित होना चाहिए वह नहीं होता । यदि ऐसे आदमी निर्भय और दृढ़ स्वभाव के हुए और समाज की डाली हुई बेड़ियों को उन्होंने तोड़ डाला तो उनकी विलक्षणता का नाश करने में कामयाब न होनेवाले लोग फौरन हीं उनकी तरफ उँगली उठाकर कहने लगते हैं कि—“ये अजब पागल आदमी हैं; ये कुछ बहक से गये हैं ।” उनका यह कहना गोया इस बात की शिकायत करना है कि बेतरह तेज़ी से बहनेवाली अमेरिका की नियागरा नदी, हालंड के नहरों की तरह अपने दोनों किनारों के भीतर ही भीतर क्यों नहीं धीरे धीरे बहती ?

मेरी समझ में प्रतिभा अर्थात् अचूत बुद्धि, बहुत बड़े महत्त्व की चीज़ है । इस बात को मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ—बलपूर्वक कहता हूँ । मैं इस बात पर भी ज़ोर देता हूँ कि विचार और व्यव-

हार, दोनों, में प्रतिभा को यथेच्छ अपना काम करने देने की बड़ी ज़रूरत है। उसका ज़रा भी प्रतिबन्ध करना अच्छा नहीं। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जिस सिद्धान्त या जिस नियम का वर्णन मैंने यहां पर किया है उसके प्रतिकूल कोई कुछ न कहेगा। उसे सभी मानेंगे। तिस पर भी मैं जो इस सिद्धान्त पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ और इसके समर्थन में लिखता ही चला जा रहा हूँ उसका कारण यह है कि व्यवहार में लोग इस सिद्धान्त से बहुत कम काम लेते हैं। जब इसके अनुसार काम करने का मौक़ा आता है तब वे इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अर्थात् इस सिद्धान्त की योग्यता और इसके अनुसार बर्ताव होने की आवश्यकता को तो वे मानते हैं; परन्तु मानते ही भर हैं; प्रत्यक्ष में उसके अनुसार वे बहुत कम काररवाई करते हैं। प्रतिभा के बल से यदि किसी ने कोई मनोहारिणी कविता लिखी या कोई अद्भुत तसबीर बनाई, तो लोग उसकी ज़रूर तारीफ़ करते हैं। परन्तु मन में प्रायः सभी यह समझते हैं कि उसके बिना भी उनका काम निकल सकता है। प्रतिभा के योग से विचार और व्यवहार में नयापन आजाता है। प्रतिभा के इस गुण को वे आश्चर्य की नज़र से देखते ज़रूर हैं; पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यदि प्रतिभा न हो तो भी उनका कोई काम रुका न रहेगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। लोगों को ऐसा मालूम होना ही चाहिए। प्रतिभा वह चीज़ है जिसे प्रतिभाहीन आदमी उपयोग में नहीं ला सकते। यह बात उनकी समझ ही में नहीं आ सकती कि उससे उनका लाभ क्या होगा? और यह उनकी समझ में आवे कैसे? यदि साधारण बुद्धि के आदमियों के उच्चारण में यह

बात आजाय कि प्रतिभा से उनका क्या लाभ होगा तो उसे प्रतिभा ही न कहना चाहिए । यदि कदाचित् ऐसा होजाय तो वह अद्भुत कल्पना-शक्ति ही नहीं । प्रतिभा का सब से पहला काम यह होगा कि वह मामूली आदमियों की आँखें खोल देगी । जब उनकी आँखें एक बार अच्छी तरह सुल जायेंगी तब कहीं उसे पाने की योग्यता उनमें आवेगी । उस समय वे सुद ही उसे पाने की चेष्टा करेंगे । तब तक उनको यह बात याद रखनी चाहिए कि जितनी बातें आज तक हुई हैं उनका प्रचार किसी न किसी आदमी ने पहले पहल ज़रूर किया है । यदि शुरू शुरू में कोई उनका प्रचार न करता तो वे कभी अस्तित्व में न आतीं । जितने सुख-साधन इस समय प्रचलित हैं, जितनी अच्छी अच्छी बातें इस समय देख पड़ती हैं, वे सब अद्भुत कल्पना-शक्ति का ही फल है । यदि प्रतिभा से काम न लिया जाता तो कदापि उनकी उत्पत्ति न होती । इससे सब लोगों को अहङ्कार छोड़ कर यह बात मान लेनी चाहिए कि अब भी प्रतिभा के लिए कुछ काम बाकी है, अर्थात् उसकी सहायता से अब भी बहुत सी नई नई बातें हो सकती हैं । उनको यह बात भी विश्वासपूर्वक याद रखनी चाहिए कि प्रतिभा, अर्थात् अद्भुत बुद्धि या अद्भुत कल्पना-शक्ति, की कमी का उनको जितना कम स्थिर है उतनी ही अधिक उनको उसकी आवश्यकता है ।

कल्पित या सच्ची मानसिक श्रेष्ठता को लोग चाहे जितना मान दें, अथवा उसे चाहे जितना आदरणीय समझें, सच बात तो यह है, कि दुनिया में आदमियों की प्रवृत्ति औसत दरजे की लियाकत रखनेवालों ही को प्रभुता देने की तरफ अधिक है । पुराने ज़माने में

जो बीच का समय था उसमें (और आज तक के बहुकाल-व्यापी परिवर्तन-शील समय में भी) हर आदमी में थोड़ी बहुत शक्ति अवश्य थी—अर्थात् व्यक्ति-विशेष की महिमा को लोग थोड़ा बहुत ज़रूर मानते थे । और जिस व्यक्ति में बुद्धि की विशेषता देख पड़ती थी, या समाज में जिसका स्थान अधिक ऊंचा होता था, उसे लोग और भी अधिक महत्त्व देते थे । परन्तु समाज से व्यक्ति विशेषता आज कल बिलकुल ही चली गई है । राजकीय कार्मों में नाम लेने लायक सत्ता इस समय यदि किसी की है तो जन-समुदाय की है । और जब तक जनसमुदाय की समझ, भावना और प्रवृत्ति के अनुसार सत्ताधारी राज्यशासक काम करते हैं तब तक उनकी भी है । यह दशा सिर्फ सार्वजनिक कार्मों ही की नहीं है; स्वानंगी बातों से सम्बंध रखनेवाले जितने नैतिक और सामाजिक व्यवहार हैं उनकी भी है । जिन लोगों की राय सार्वजनिक या जन-साधारण की राय कहलाती है वे लोग सब एक ही तरह के नहीं होते । अर्थात् जन-साधारण में भी भेद होता है । अमेरिका में जितने गेरे चमड़े के आदमी हैं उन सब की गिनती जन-साधारण में है । इंग्लैण्ड में विशेष करके मध्यमस्थिति के ही आदमी जन-साधारण में गिने जाते हैं । परन्तु वे लोग सब कहीं समुदाय, या जन समूह, के रूप में हैं । इस समुदाय से मेरा मतलब मध्यम-शक्ति के जनस-मूह से है । यह आश्वर्य की बात है । इससे भी अधिक आश्वर्य की बात यह है कि यह जन-समुदाय, पहले की तरह, अब धर्मा-विकारियों से, राज्याधिकारियों से, प्रजा के प्रासिद्ध प्रासिद्ध मुख्या लोगों से और अच्छी अच्छी पुस्तकों से अपने मत नहीं प्राप्त करता ।

यह समुदाय खुद विचार या विवेचना भी नहीं करता । उसके लिए विचार और विवेचना का काम और ही लोग करते हैं । पर वे भी बहुत करके उस समुदाय के आदमियों ही की तरह के आदमी होते हैं । उत्तेजना मिलने पर जब जब उनको अपने समुदाय की तरफ से बोलने या उससे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती है तब तब वे अवबारों की शरण लेते हैं । ये बारें मैं शिकायत के तौर पर नहीं कहता । मेरा यह मतलब नहीं कि इस तरह की कार्रवाई से अनिष्ट होने की सम्भावना है । और, न मैं यही कहता हूँ कि इस समय विचार और विवेचना का इसमें भी अच्छा और कोई तरीका है । आदमियों की मानसिकवृत्ति इस समय बहुत निकृष्ट अवस्था में है । अतएव, इस दशा में, साधारण रीति पर जो स्थिति इस समय है, उसकी अपेक्षा अधिक उत्तम स्थिति साध्य नहीं । परन्तु मध्यम-शक्ति की सत्ता मध्यम-शक्ति ही की सत्ता है । उसमें जो गुण-दोष हैं वे बने ही हुए हैं । आज तक जितनी राज-सत्तायें हुई हैं—चाहे उनका सूत्र जन-समूह के हाथ में रहा हो चाहे ऐसीकिं प्रधान प्रधान आदमियों के हाथ में रहा हो—उनमें से प्रायः एक भी राजसत्ता, राजकीय कामों या मर्तों में, सटुणों में और मानसिक स्थिति में भी मध्यमावस्था से अधिक ऊपर नहीं गई और यदि जाना चाहती तो जा भी न सकती । जहां कहीं एक आध जगह किसी विषय में मध्यमावस्था से अधिक उत्तम अवस्था देख पड़ती है वहां उसका यह कारण है कि उस विशेष उत्तमता-शाली विषय के सम्बन्ध में सत्ताधारी आदमियों ने अपने से अधिक बुद्धिवान्, तजरुबेकार और शिक्षित लोगों की सलाह या प्रेरणा से

काम किया है। जितनी बातें हितकर, उदार या बुद्धिमानी की हैं उन सब की उत्पत्ति व्यक्ति-विशेष से ही होती है; अर्थात् व्यक्ति-विशेष ही पहले पहल उन्हें शुरू करते हैं और उन्हींको शुरू करना भी चाहिए। ऐसी बातों की उत्पत्ति बहुत करके एक ही व्यक्ति—एक ही आदमी—से होती है। व्यक्ति-विशेष की चलाई हुई बातों के अनुसार वर्ताव करने की योग्यता रखना ही औसत दरजे के आदमियों का भूषण है। उसीमें उनकी कीर्ति और भलाई है। लाभदायक और बुद्धिमानी की बातों को कबूल कर लेना और अच्छी तरह समझ बूझकर उनके अनुसार वर्ताव करना ही मामूली बुद्धि के आदमियों को उनित है। दुनिया भर की सत्ता को ज़बरदस्ती छीन कर मनुष्य-मात्र को अपना आज्ञाकारी बनानेवाले प्रबल और अद्भुत प्रतिभाशाली आदमियों की लोग खूब तारीफ़ करते हैं; उनकी वे पूजा करने लगते हैं। पर यहां इस प्रकार की “वीर-पूजा” से मेरा मतलब नहीं है। मैं उसके विलाप़ हूँ। मेरा मतलब यह है कि विलक्षण प्रतिभावाले आदमी को सिर्फ़ रास्ता बतला देने की सत्ता चाहिए; वह सिर्फ़ इतनी ही सत्ता पाने का हक्कदार है; इससे अधिक स्वतन्त्रता पाने का वह दावा नहीं कर सकता। जो रास्ता वह बतलावे उस पर चलने के लिये लोगों को लाचार करने का उसे अधिकार न होना चाहिए; क्योंकि यदि उसे ऐसा अधिकार मिलेगा तो दूसरे आदमियों के स्वातन्त्र्य और सुधार में बाधा आवेगी। इतना ही नहीं, किन्तु खुद उस प्रतिभावाले पुरुष की भी हानि होगी। परन्तु एक बात यह ज़रूर है कि यदि औसत दरजे के आदमियों के समूह के मर-

खूब प्रबल हो जाय या होने लगें, अर्थात् यदि ऐसे लोगों की सत्ता बेतरह बढ़ जाय, तो उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए समझदार और विशेष बुद्धिमान् आदिमियों को अपने अपने मत पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और अधिक ढढतापूर्वक प्रकट करने चाहिए । इस दशा में, जो विलक्षण बुद्धिमान् आदमी अपने मतों को प्रकाशित करने की कोशिश करें उनका प्रतिबन्ध न करके उल्टा उन्हें वैसा करने के लिए उत्तेजन देना चाहिए; अर्थात् मामूली आदिमियों के बर्ताव से जुदा तरह का बर्ताव करने के लिये उन्हें उल्टा उक्साना चाहिए । और, किसी दशा में यदि ऐसे प्रतिभाशाली आदमी इस तरह का बर्ताव करेंगे तो उससे कोई लाभ न होगा । हां यदि वे किसी तरह की कोई भिन्न रीति निकालें और वह रीति प्रचलित रीति से अच्छी हो तो वात ही दूसरी है । इस समय तो किसी बात का विरोध करके लोगों को विरोध का एक उदाहरण दिखलाना या किसी रूढ़ि के सामने घुटना टेकने से, इनकार करना ही संसार की सेवा करना है । आज कल जन-समुदाय का मत इतना प्रबल हो उठा है और उसकी सख्ती इतनी बढ़ गई है कि हर तरह की विलक्षणता को लोग हँसने लगे हैं । अर्थात् लोगों की आंखों में नयापन नहीं खपता; उसे देखते ही वे कुचेष्टायें करने लगते हैं । अतएव इस सख्ती को दूर करने ही के लिए—इस जुल्म से बचने ही के लिए—विलक्षणता की ज़रूरत है । अर्थात् लोगों को चाहिए कि वे ज़रूर नई नई और विलक्षण बातें करें । जिस आदमी में स्वभाव की प्रखरता होती है उसमें बुद्धि की विलक्षणता भी ज़रूर होती है । समाज में भी यही बात पाई जाती

है। अर्थात् प्रतिभा, मानसिक शक्ति और नैतिक धीरता समाज में जितनी अधिक होती है उतनी ही अधिक विलक्षणता भी उसमें बहुत करके होती है। पर आज कल बहुत कम आदमी विलक्षणता दिखलाने का साहस करते हैं। यही बहुत बड़े खटके की बात है। इसमें खतरा है।

मैं यह कह चुका हूँ कि जो बारें प्रचलित अर्थात् रुढ़ नहीं हैं उनका, जहां तक मुमकिन हो, खूब निर्बन्ध रहित विवेचन होना चाहिए; अर्थात् उनको खूब उत्तेजित करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से यथासमय यह बात मालूम हो जायगी कि उनमें से कितनी बारें प्रचलित होने लायक हैं। परन्तु अच्छी अच्छी बातों को प्रचलित करने और उनके प्रचार के लिये अच्छे अच्छे तरीके निकालने ही के इरादे से मनमाना व्यवहार करनेवालों और रुढ़ि के बन्धन से न बँधनेवालों को उत्तेजन न देना चाहिए। और, न इस तरह मनमाना व्यवहार करने का स्वातंत्र्य सिर्फ विलक्षण बुद्धि के प्रतिभाशाली आदमियों ही को मिलना चाहिए। यह कोई नियम नहीं—इसके लिए कोई प्रमाण या आधार नहीं—कि दुनिया में जितने आदमी हैं सब के जीवन का क्रम एक ही नमूनेका हो; या यदि एक से अधिक नमूने का हो तो थोड़े ही का हो, बहुत का न हो। जिसमें मतलब भर के लिये बुद्धि, समझ या तजरुबा है उसे जैसा व्यवहार पसन्द हो वैसा ही करने देनेकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह इस लिए नहीं कि उसका पसन्द किया हुआ व्यवहार या जीवन-क्रम सब से अच्छा होगा; किन्तु इस लिए कि वह उसीका निश्चय किया हुआ है—उसीने उसे ढूँढ़ निकाला है। यह दूसरा कारण पहले से अधिक

सबल, सयैकिक और महत्त्व का है । आदमी भेड़ नहीं है; और सब भेड़ें भी एक ही तरह की नहीं होतीं; उनमें भी फ़रक् होता है । यदि किसी को कोट या बूट की ज़रूरत होती है, और उसके घर में इन चीज़ों की कोठी नहीं होती किं उसमें से वह अपनी पसन्द का कोट या बूट चुन ले, तो जब तक उसकी माप के मुताबिक ये चीज़ें नहीं बनाई जातीं तब तक बदन में ठीक होनेवाला कोट आँर पैर में ठीक आनेवाला बूट नहीं मिलता । तो क्या कोट की अपेक्षा अपनी पसन्द का जीवन-क्रम प्राप्त कर लेना अधिक सहज है? अथवा क्या दुनिया भर के आदमियों के शरीर और मन के स्वरूप उनके पैरों की शक्ति से भी अधिक समता रखते हैं? जब एक माप के बूट सब लोगों के पैर में नहीं आ सकते तब एक ही प्रकार के आचार, व्यवहार या जीवन-क्रम सब को किस तरह पसन्द आ सकते हैं? सब आदमियों की रुचि एक सी नहीं होती । रुचि की विचित्रता परम्परा से प्रसिद्ध है । यदि यह मान लिया जाय तो इतना ही कारण इस बात के सिद्ध करने को बस है कि सब आदमियों की रुचि एक सांचे में नहीं ढाली जा सकती । हर आदमी की रुचि जुदा जुदा होती है । इतना ही नहीं, किन्तु आत्मिक उन्नति के लिए हर आदमी को जुदा जुदा स्थिति भी दरकार होती है । जैसे जुदा जुदा तरह के पौधे एक ही प्रकार की ज़मीन और आबोहवा में नहीं हो सकते वैसे ही सब तरह के आदमियों की उन्नति भी एक ही प्रकार की नैतिक आबोहवा में नहीं हो सकती । उन्नति तो दूर रही उनकी आत्मिक अवस्था ही, इस दशा में, यथास्थित नहीं रह सकती । जो बातें एक आदमी के स्वभाव

को उन्नत बनाने में मदद देती हैं वही बातें दूसरे आदमी के स्वभाव को बिगड़ाती हैं। जीवन का जो क्रम एक आदमी के लिए अच्छे उत्साह का बढ़ानेवाला होता है, और जिन शक्तियों की प्रेरणा से वह आदमी काम भी करता है और उससे फ़ायदा भी उठाता है उन्हें जो क्रम खूब अच्छी हालत में रखता है, वही क्रम दूसरे को बोझ मालूम होता है और उसकी आन्तरिक शक्तियों को बेकाम कर देता है, या उन्हें बिलकुल ही पीस डालता है। इस तरह, दुनिया में आदमियों के सुख के साधन, दुर्खों के अनुभव करने की शक्तियां और प्राकृतिक और नैतिक नियमों के अनुसार उन पर होनेवाली घटनाओं का असर—ये सब बातें इतनी जुदा जुदा हैं कि यदि इनके अनुरूप आदमियों के जीवन-क्रम में विचित्रता या भिन्नता न आने दी जाय तो सांसारिक सुख का उचित अंश उन्हें न मिले और न उनकी मानसिक, नैतिक और आन्तरिक वृत्ति की उचित उन्नति ही हो। तो फिर क्यों लोग सिर्फ उन बातों को, सिर्फ उन रुचियों को, सिर्फ उन व्यवहारिक रीतियों को, चुपचाप सहन करते ह जिनका अनुकरण वे बहुत आदमियों को करते देखते हैं? अर्थात् अनुयायिचाहुस्य के बल पर जो बातें अधिक आदमियों को मान्य हो जाती हैं उन्हींके विषय में सार्वजनिक मत क्यों इतनी सहन-शीलता दिखलाता है? धार्मिक लोगों के कुछ मठों को छोड़ कर और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां लोग रुचि-विचित्रता को बिलकुल ही न मानते हों। जिसका जी चाहे वह तैरे, तम्बाकू पिये, गावे, कसरत करे, शतरंज खेले, ताश खेले और किताबें देखें; और जिसका जी न चाहे वह ये काम न करे। यह बात हर आदमी

की पसन्द पर थोड़ी गई है। इसके लिए वह दोषी नहीं ठहराया जाता। अर्थात् जो लोग इन बातों को करते हैं न उन्हींको कोई दोष देता है और जो लोग नहीं करते न उन्हीं को कोई कुछ कहता है। इसका कारण यह है कि इन बातों को पसन्द करने-वालों की भी संख्या बहुत अधिक है और न पसन्द करनेवालों की भी बहुत अधिक है—इतनी अधिक कि उन सबका प्रतिबन्ध ही नहीं हो सकता। परन्तु जिस बात को सब लोग करते हैं उसे न करने का, अथवा जिस बात को सब लोग नहीं करते उसे करने का, इलज़ाम यदि किसी पर लगता है और विशेष करके यदि ऐसा इलज़ाम किसी खी पर लगता है तो उसकी इतनी छी थूँ होती है गोया उसने कोई बहुत ही बड़ा नैतिक अपराध किया हो। कोई कोई आदमी किसी किसी विशेष प्रकार की पदवी, या उच्चपदसूचक चिन्ह, या प्रतिष्ठित आदमियों से प्रतिष्ठा की प्राप्ति सिर्फ इसलिए चाहते हैं जिसमें उनको मनमाना काम करने का थोड़ा बहुत आनंद भी मिले और उनकी मान-मर्यादा को भी हानि न पहुँचे। 'थोड़ा बहुत' मैं जान बूझकर कहता हूँ। इसी लिए मैं उसे दोहराता हूँ। क्योंकि जो लोग इस तरह के आनन्द में अधिक मग्न होते हैं उन्हें अपमानकारक बातें कहने की भी अपेक्षा अधिक विपदा के पात्र होना पड़ता है। उन्हें बहुत बड़े स्तरे में पड़ने का डर रहता है। कभी कभी ये से आदमियों पर पागल हो जाने का आरोप लगाया गया है और उनकी सम्पत्ति तक उनसे छीने कर उनके सम्बन्धियों को दे छाली गई है।

आज कल जन समुदाय के मत की जो धारा बह रही है उस में यह विलक्षणता है कि यदि कोई अपने स्वभाव की विचिन्ता कुछ अधिक साफ तौर पर दिखाने लगता है, अर्थात् यदि कोई अपनी व्यक्ति-विशेषता का वैलक्षण्य कुछ अधिक खुले तौर पर प्रकट करने लगता है, तो उसका यह काम लोगों को बिलकुल ही सहन नहीं होता। औसत दरजे के जितने आदमी हैं उनकी सिर्फ़ बुद्धि ही औसत दरजे की नहीं होती; उनकी वासनायें, उनकी इच्छायें उनकी ख्वाहिशें भी औसत दरजे की होती हैं। उनकी अभिलाषा और अभिरुचि इतनी प्रबल ही नहीं होती कि रुद्धि के प्रति-कूल कोई बात करने के लिए उनका मन चले। यही कारण है जो विलक्षण बातें करनेवालों का मर्म ही उनकी समझ में नहीं आता—अर्थात् जो लोग रुद्धि की परवा न करके मनमाने काम करते हैं उनकी बातें ही ऐसे आदमियों के ध्यान में नहीं आती; वे उनका मतलब ही नहीं समझ सकते। इसीसे वे ऐसे लोगों की गिनती जंगली और पागल आदमियों में करते हैं; और उनको बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। उनका स्वभाव ही इस तरह का हो गया है। एक बात और भी है। आज कल लोगों ने नैतिक उच्चाति करने के लिए कमर कसी है। इस विषय की आज कल खूब चर्चा हो रही है। इसका फल भी प्रत्यक्ष है। सब लोगों का व्यवहार और बर्तीव एकसा करने और सब तरह की नियादती को रोकने में कामयाबी भी बहुत कुछ हुई है। आज कल लोगों के मन में यह बात जम गई है कि सब आदमियों से ज्ञेह रखना चाहिए। जितने मनुष्य हैं उन सब की नीति और बुद्धि की उच्चाति के

काम को छोड़कर इस समय आदमियों के लिए और कोई काम ही नहीं रहगया । समय के इस झुकाव के अनुसार—काल की इस महिमा के अनुसार—सब के बर्ताव के लिए एकसे नियम बनाने की तरफ लोगों की प्रवृत्ति पहले की अपेक्षा अधिक हो चली है । और, ऐसे नियम—रुपी नमूने के अनुसार सब लोगों से बर्ताव कराने की कोशिश भी हो रही है । वह नमूना—चाहे वह साफ़ साफ़ हो, चाहे ध्वनि से सूचित होता हो—यह है कि किसी चीज़ के पाने के लिए प्रबल इच्छा न रखना चाहिए । उत्तम स्वभाव वह कहलाता है जिसकी उत्तमता का कोई चिन्ह ही न हो—जिस में कोई विशेषता ही न हो । स्वभाव के वे सब भाग जो अधिक बाहर निकले हुए, अर्थात् अधिक उन्नत, देख पड़ते हों, और जिनके कारण किसी का स्वभाव दूसरे आदमियों के स्वभाव से जुदा तरह का जान पड़ता हो, उन सबको, चीन की त्रियों के पैरों की तरह, खूब दबाकर कुरुप कर डालने ही को लोग, आज कल, स्वभाव की उत्तमता समझते हैं । उसी को वे नमूनेदार स्वभाव कहते हैं । उसीकी नक़ल करने के लिए वे सब लोगों को लाचार करना चाहते हैं ।

यह एक साधारण नियम है कि जिस नमूने की नक़ल उतारना है उसका आधा हिस्सा यदि छोड़ दिया जाय तो बाकी बचे हुए की भी नक़ल अच्छी तरह नहीं उतारी जा सकती । आज कल लोग जिस नीति का अवलम्बन कर रहे हैं उसका भी नमूना इसी तरह का है । खूब प्रबल विवेचना से प्रबल उत्साहों का नियमन होना चाहिये; और, अन्तःकरण को गवाह बनाने के बाद, उत्पन्न हुई इच्छा से प्रबल मनोविकारों को क़ाबू में रखना चाहिए । पर ऐसा

नहीं होता। इसका फल यह हुआ है कि दुर्बल मनोविकार और दुर्बल ही उत्साहवाले आदमी अब पैदा होते हैं। ऐसों की कमज़ोर मनोवृत्तियों को बाहर से प्रतिबन्ध में रखने अर्थात् बतलाये गये नमूने की उनसे नक़ल करने में न तो प्रबल इच्छा ही की बड़ी ज़रूरत रहती है और न प्रबल विचार-शक्ति ही की। अभी से प्रबलउत्साह के आदमी बहुत कम देखे जाते हैं। विशेष करके परम्परा से सुनी हुई बातों में ही प्रबल उत्साहवालों की अधिकता है। अर्थात् अधिक उत्साही स्वभाव के आदमी नामशेष होते जा रहे हैं। व्यापार की बातों को छोड़ कर और बातों में उत्साह-शक्ति को सुर्खंच करने के लिए, इस देश में, बहुत कम जगह रह गई है। और, जो कुछ रह गई है वह भी कम हो रही है। व्यापार में जो शक्ति सुर्खंच होती है वह अब तक अधिक परिमाण में सुर्खंच होती है। उसमें सुर्खंच होने से देश की जो थोड़ी सी शक्ति बच जाती है वह एक आध पागलपन के काम में सुर्खंच होती है। ऐसे पागलपन या सनक के काम कभी कभी उपयोगी भी होते हैं और कभी कभी लोगों के हित के लिए भी किये जाते हैं। पर ऐसे काम बहुत करके किसी एक ही बात से सम्बन्ध रखते हैं और वह बात भी ऐसी ही वैसी होती है; महत्त्व की नहीं होती। इंगलैण्ड का वर्तमान महत्त्व सञ्चित है, संगृहीत है, समुदित है। उसका ऐश्वर्य इकट्ठा किया हुआ है—बहुत आदमियों के योग से उसे वह मिला है। इंगलैण्ड के हर आदमी की शक्ति के हिसाब से यदि उसका ऐश्वर्य तौला जाय तो वह बहुत ही थोड़ा निकले। हम लोग जो एक आध महत्त्व के काम करने लायक देख पड़ते हैं उसका कारण मिलकर काम करने की हमारी आदत है।

अर्थात् सिर्फ एकता के बल से यदि हम लोग कोई बड़ा काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं । नीति और धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले जो लोग इस देश में लोक-वत्सल कहलाते हैं वे इसीसे सन्तुष्ट हैं । वे इतने ही को काफ़ी समझते हैं । परन्तु जिन्होंने इँग्लैण्ड को उसकी वर्तमान अवस्था को पहुंचाया—अर्थात् उसकी, आज तक, जिन्होंने इतनी उन्नति की—वे ऐसे आदमी न थे । इस तरह के आदमियों से उसकी उन्नति नहीं हुई । और उसके ह्रास को रोकने—उसे क्षीण होने से बचाने—के लिए भी और ही तरह के आदमियों की ज़रूरत होगी । वर्तमान रीति और नीति के आदमियों से यह बात होने की नहीं ।

जिस तरफ आप आंख उठाइयेगा उस तरफ आपको रुद्दि की प्रबलता—रीति भाँति की सख्ती—ही मनुष्यमात्र की उन्नति का बाधक देख पड़ेगी । जो बातें प्रचलित हैं—जो बातें रुद्दि हो गई हैं—उनकी अपेक्षा अधिक अच्छी बातें करने की इच्छा, और रुद्दि की प्रबलता में निरन्तर विरोध जारी है । रुद्दि बातों की अपेक्षा अधिक अच्छी बातें करने की वासना कभी तो सुधार, अर्थात् संशोधन, से और कभी स्वतंत्रता से सम्बन्ध रखती हैं । सुधार और स्वतंत्रता की वासनायें हमेशा एक नहीं होतीं; अर्थात् यह नहीं कि वे दोनों एक दूसरी से हमेशा अभिन्न रहती हों । क्योंकि समाज-संशोधक लोग चहुधा उन आदमियों से भी ज़बरदस्ती सुधार स्वीकार करने की कोशिश करते हैं जो दिल से सुधार नहीं चाहते । अतएव स्वतंत्रता की वासना रखनेवालों को इस प्रकार की कोशिशों को रोकने के लिए कुछ काल तक सुधार न चाहनेवालों से मेल कर लेना पड़ता

है। परन्तु सुधार और उन्नति का चिरस्थायी और कभी विफल न होनेवाला साधन सिर्फ़ स्वाधीनितों ही है। क्योंकि स्वाधीनता की सहायता लेने से—स्वाधीनता का आश्रय स्वीकार करने से—जितने आदमी उतने ही दरवाजे भी सुधार के खुल जाते हैं। अर्थात् हर आदमी बिना प्रतिबन्ध के, अपनी अपनी उन्नति—अपना अपना सुधार—कर सकता है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष-साधक सिद्धान्त चाहे जिस रूप में हो—अर्थात् चाहे वह स्वाधीनता-प्रेम के रूप में हो, चाहे उन्नति-प्रेम या संधोशन-प्रेम के रूप में हो—उससे और रूढ़ि से कभी मेल नहीं हो सकता। उत्कर्ष-साधक सिद्धान्त और रूढ़ि की सत्ता में परम्पर विरोध बना ही रहेगा; उनका वैर-भाव कभी जाने का नहीं। इस सिद्धान्त से यदि और कुछ न होगा तो इतना तो ज़रूर ही होगा कि रूढ़ि की सत्ता की वह कभी परवा न करेगा; उसके बन्धन से वह ज़रूर छूट जायगा। मनुष्य-जाति के इतिहास में उत्कर्ष-प्रेम और रूढ़ि-प्राबल्य का पारस्परिक विरोध ही सब से अधिक ध्यान में रखने लायक बात है। सच पूछिये तो दुनिया के आधे से अधिक हिस्से का कोई इतिहास ही नहीं है; क्योंकि वहाँ रूढ़ि के प्राबल्य—रूढ़ि के जुल्मका ही पूरे तौर पर राज्य है। दुनिया के पूर्वी हिस्से में यही दशा है। वहाँ हर बात में आदमियों को रूढ़ि ही की शरण जाना पड़ता है। रूढ़ि ही उनकी हार्डिकोर्ट है। इन्साफ़ और हक़ का अर्थ भी लोग वहाँ रूढ़ि ही को मानते हैं। बल और अधिकार से उन्मत्त हुए एक आध राजाको छोड़ कर और आदमी रूढ़ि की सत्ता को रोकने के लिए कुछ भी कहने का इरादा तक नहीं करते। इसका जो फल हुआ है वह

आंख के सामने है । इन देशों में किसी समय प्रतिभा का ज़रूर वास था । इनमें अपूर्वकल्पना-शक्ति ज़रूर ही रही होगी । क्योंकि बड़े बड़े शहरों में रहनेवाले और अनेक प्रकार की विद्याओं और कलाकुशलताओं में प्रवीणता प्राप्त करनेवाले इन देशों के निवासी पाताल से एक दम नहीं निकल आये । इन सब गुणों को उन्होंने खुद ही प्राप्त किया था । इससे पुराने जमाने में ये देश, सारी दुनिया में, अत्यन्त प्रबल और अत्यन्त उच्चत थे । परन्तु अब उनकी क्या हालत है ? जिस समय उनके पूर्वज बड़े बड़े महलों में रहते और विशाल से भी विशाल मन्दिरों की प्रतिष्ठा करते थे, उस समय जिनके पूर्वज जंगलों में मारे मारे फिरते थे, उन्हींकी वे अब तो दारी करते हैं; उन्हींका वे अब आसरा रखते हैं; उन्हींकी वे रिआया बने हैं । यह हुआ कैसे ? यह इस तरह हुआ कि जो लोग आज कल इतन प्रबल और इतने प्रभुताशाली ह उनके पूर्वज अकेली रुदिके ही दास न थे । सुधार और स्वाधीनता को भी वे कुछ समझते थे । कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध देश, कुछ काल तक, बराबर उच्चति करता जाता है और फिर वह एक दम जहां का तहां रह जाता है; अर्थात् उसकी उच्चति वही रुक जाती है । यह बात होती कब है ? यह तब होती है जब व्यक्ति-विशेषता नहीं रहती; अर्थात् जैसे ही व्यक्ति-वैल्सण्य को लोग भूलते हैं तैसे ही उनकी उच्चति रुक जाती है । यदि योरप के देशों को भी ऐसी ही दशा प्राप्त हो तो वह ठीक उसी तरह की न होगी जिस तरह की पूर्वी देशों को प्राप्त हुई है । उसमें कुछ भेद होगा; क्योंकि रुदि की सत्ता, जिससे योरप के

धीड़ित होने का डर है, निश्चल रूप में न होगी। रुद्धि की सत्ता जैसे पूर्वी देशों में निश्चल रूप से अकण्टक राज्य कर रही है वैसे ही वह योरपके देशों में न कर सकेगी। इसका कारण यह है कि रुद्धि की प्रबल सत्ता यद्यपि व्यक्ति-विशेषता के प्रतिकूल है तथापि वह अवस्थान्तर करने के प्रतिकूल नहीं। वह एक अवस्था से दूसरी को प्राप्त होनेमें रुकावट नहीं पैदा करती। पर एक बात यह है कि सब आदमियों को एक ही साथ अवस्थान्तर करना चाहिए। हम लोगों ने अपने पूर्वजों की पसन्द की हुई पोशाक पहनना छोड़ दिया; तथापि सब आदमियों को एक ही सी पोशाक पहनना पड़ता है। हाँ, यदि, साल में दो दफ़े पोशाक का फैशन—पोशाक का तर्ज—बदला जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं समझी जाती। बात यह है कि जब कभी हम कोई अवस्थान्तर करते हैं तब केवल अवस्थान्तर के ख़्याल से करते हैं; सुभीते या खूबसूरती के ख़्याल से कभी नहीं करते। क्योंकि एक ही तरह के सुभीते और एक ही तरह की खूबसूरती के ख़्याल का एक ही साथ दुनिया भर के मन में आना भी सम्भव नहीं और एक ही साथ उसका चला जाना भी सम्भव नहीं। परन्तु हम लोग अवस्थान्तरशील भी हैं और साथ ही उसके उचातिशील भी हैं। अर्थात् जैसे हम लोग फेर फार, परिवर्तन या अवस्थान्तर के लिए उन्मुख रहते हैं वैसे ही उचाति और सुधार के लिए भी रहते हैं। अनेक तरह की कलों के सम्बन्ध में हम लोग जैसे नई नई चाँतें, समय समय पर, निकाला करते हैं और जब तक उनसे भी अच्छी चाँतों का कोई पता नहीं लगता तब तक हम उनको नहीं छोड़ते, वैसे

ही राजनीति और शिक्षा में सुधार करने की इच्छा भी हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। साधारण नीति और व्यवहार की बातों में भी हम सुधार चाहते हैं; पर ऐद इस विषय में इतना ही है कि समझा बुझा कर, या ज़बरदस्ती करके दूसरों से हम अपनासा व्यवहार कराते हैं। व्यवहारनीति में सुधार की मुख्य कल्पना हम लोगों के दिल में ऐसी ही हो रही है। हम यह नहीं चाहते कि सुधार न हो, उन्नति न हो, तरक्की न हो। उल्टा हम इस बात की शोखी मारते हैं कि आज तक दुनिया में जितने समाज-संशोधक हो गये हैं उन सब में हमी सब से बढ़कर हैं। हमारा जितना टण्टा-बखेड़ा है सब व्यक्ति-विलक्षणता के प्रतिकूल है; जितना विरोध है सब व्यक्ति-विशेषता से है; और किसीसे नहीं। यदि सब आदमियों को हम एकसा कर दें; यदि सब को हम एक ही साचे में ढालसा दें; तो हमें ज़रूर यह ख़्याल हो कि हमने कोई अद्भुत काम कर डाला। पर इस बात को हम भूल गये हैं कि चाल-दाल और व्यरहार-चर्तीव में यदि एक आदमी दूसरे से भिन्न होगा तभी हम इस बात को जान सकेंगे कि हमारे व्यवहार में किस बात की कमी है, और दूसरे के व्यवहार में कौनसी बात सीखने लायक है; अथवा दोनों की अच्छी अच्छी बातें लेकर एक नये ही प्रकार के, उन दोनों से अच्छे बत्तीव का नमूना किस तरह बन सकेगा। बिना इसके इन बातों की तरफ आदमी का ध्यान ही न जायगा। इस विषय में भूल करने का जो परिणाम होता है उसे हम चीन में देख रहे हैं। उसका उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। चीन को विलक्षण

सौभाग्यवान् समझना चाहिए जो वहां पुराने जमाने में बहुत अच्छी अच्छी २ रितियां प्रचलित हो गईं। इसीसे उसमें अब तक बहुत कुछ बुद्धिमानी और शक्ति बनी हुई है। जिन लोगों ने ऐसे रिति-रवाज जारी किये वे कुछ को छोड़ कर और सब बातों में, साधु और तत्त्व-दर्शी कहलाए जाने के पात्र हैं। अत्यन्त शिक्षित और अत्यन्त सम्भय योरपवासी तक उनको इस पदवी के योग्य समझते हैं। उनमें सब से अधिक ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि जो कुछ वे जानते हैं—जितना ज्ञान उनमें है—उस सब को वे समाज के प्रत्येक आदमी को प्राप्त कराने के लिए यथा-सम्भव प्रयत्न करते हैं उनका यह प्रयत्न तारीफ के लायक है। जो लोग सब से अधिक विद्वान् होते हैं उन्हींको वे मान और अधिकार के काम देते हैं। जितने लोगों ने यह सब किया उनकी समझ में आदमियों की उन्नति का भेद—उसका मूलमन्त्र—अवश्य ही आजाना चाहिए था और दुनिया में सब तरह की उन्नतियों का उन्हें अगुवा होना चाहिए था। पर बात इसकी उलटी हुई। उलटी उन्नति सक गई; वह जहां थी वही रह गई और हजारों वर्ष से वही ठहरी हुई है। और यदि अब कभी उनकी उन्नति होगी तो दूसरे देशनालों के ही हाथ से होगी। जिस काम के लिए इंग्लैण्ड के लोकहितवादी इतना परिश्रम उठा रहे हैं उसमें चीनवालों ने उम्मेद से बहार कामयाबी हासिल कर ली है—आशातिरिक्त सफलता पाई है। उन्होंने सब आदमियों को एकसा कर दिया है; सब को एक ही सांचे में ढालसा दिया है। सब लोगों के विचार और व्यवहार एक ही प्रकार के नियमों और एक ही प्रकार की शास्त्रीय आज्ञाओं से उन्होंने

बांध डाले हैं। उनकी वर्तमान अवस्था इसी का फल है। चीन की शिक्षा और राजनीति ने जिस बात को सुव्यवस्थित रीति पर कर दिखाया है वही बात समाज की राय के ज़ोर पर, इस देश में, आज कल, अव्यवस्थित रीति पर हो रही है। यदि व्यक्ति-विशेष, अर्थात् अलग अलग हर आदमी, सामाजिक राय के इस बन्धन को तोड़ डालने में अच्छी तरह कामयाब न होगा, तो जिस योरप का पुराना इतिहास इतने महत्त्व का है, और जिसमें लोगों को क्रिश्यनधर्म-सम्बन्धी इतना घमण्ड है, वही योरप दूसरा नीच बनने की तैयारी करेगा।

किस बात ने योरप को इस दुर्दशा से बचाया? इसका कारण क्या है कि योरप अब तक चीन नहीं हो गया? क्या बात है जो योरप के देश उन्नति करते चले गये? उनकी उन्नति रुक क्यों न गई कुछ दूर जाकर वह बन्द क्यों न हो गई? योरपवालों में कोई सर्वोत्तम बात नहीं है। क्योंकि सर्वोत्तमता जहां कहीं होती है कार्य के रूप में होती है, कारण के रूप में नहीं। वह आप ही आप नहीं पैदा होती; प्रयत्न करने से मिलती है। अतएव उनके उन्नतिशील होने का कारण आप ही आप उत्पन्न हुई उत्तमता नहीं है। उसका कारण है उनके स्वभाव और उनकी शिक्षा की विलक्षणता। जितने आदमी हैं, जितने जन-समूह हैं, और जितने देश हैं सब एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न हैं। उन्होंने एक दूसरे से भिन्न सैकड़ों नये नये रास्ते निकाले हैं और उन सब से उन्होंने थोड़ा बहुत फायदा भी उठाया है। यद्यपि, हर समय में, अपने निकाले हुए रास्ते से जानेवाले लोग, दूसरों को बिलकुल नहीं देख सकते थे; और यद्यपि हर आदमी

यही समझता था कि जो और लोग भी उसके रास्ते से चल तो बहुत ही अच्छा हो; तो भी परस्पर एक दूसरे की उच्चति वें बाधा ढालने के इरादे से किये गये यत्नों में उन लोगों को चिरकाल तक रहनेवाली कामयाबी नहीं हुईः और एक दूसरे के निकाले हुए रास्ते पर चल कर परस्पर फायदा उठाने के लिए सब लोग कुछ समय तक जिन्दा रहे। मेरी राय में सब तरह की वर्द्धमान उच्चति के लिए योरप इसी मार्ग-बहुलता का क्रमणी है। अर्थात् नीति और व्यवहार आदि से सम्बन्ध रखनेवाले जुदा जुदा तरफे यदि लोग न निकालते तो उस की कदापि इतनी उच्चति न होती। पर अब ये बातें कम हो चली हैं। नये नये रास्तों का निकलना, नई नई रीतियों का प्रचलित होना, अब बन्द हो चला है। रुचिविचित्रता में तो वह अपना कदम पर्छे रख रहा है; पर चीनियों की तरह सब आदमियों को एक ही सांचे में ढालने की तरफ वह अपना कदम सूब आगे बढ़ा रहा है। फ्रांस में डी. टाकेबेली^{**} नाम का एक

* फ्रांस में डी. टाकेबेली का जन्म १८०५ में और मरण १८५९ ईसवी में हुआ। २० वर्ष की उम्र में वह बैरिस्टर हुआ और २१ में न्यायाधीश। एक दफे गवर्नमेण्ट के हुक्म से वह अमेरिका गया। वहाँ उसने अमेरिका के जेल खानों की व्यवस्था देखी और उस पर एक रिपोर्ट लिखकर गवर्नमेण्ट को दी। इसी लिए वह अमेरिका भेजा गया था। इसके बाद उसने अमेरिका की लोकसत्तात्मक राज्य-व्यवस्था पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी। १८३९ में वह फ्रांस की प्रतिनिधि-सभा का सभासद हुआ। जब लुई नेपोलियन ने फ्रांस की राज-सत्ता अपने हाथ में ली तब टाकेबेली जेल में था। कुछ दिनों बाद वह छूटा और अपनी बाकी उम्र उसने ग्रंथ लिखने में बिताई। “फ्रांस की पुरानी राज्य-पद्धति और नई राज्यकान्ति” नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ उसने लिखा है। यही उसकी पिछली पुस्तक है।

प्रसिद्ध ग्रन्थकार होगया है । वह अपनी सब से पिछली और सब से अधिक महत्त्व की पुस्तक में लिखता है कि फ्रांसवालों में परस्पर नितना साइद्धय गत पीढ़ी में था उसकी अपेक्षा वर्तमान पीढ़ी में बहुत बढ़ गया है । वही बात हम लोगों, अर्थात् इंग्लैण्डवालों, के विषय में भी कही जा सकती है और फ्रांस की अपेक्षा बहुत विशेषता के साथ कही जा सकती है । ऊपर एक जगह पर मैंने हम्बोल्ट की किताब से कुछ लिखा है । उसमें वह कहता है कि मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए सब लोगों को एक दूसरे से भिन्न, अर्थात् परस्पर असद्शा, होना चाहिये । इसके लिए स्वाधीनता और स्थिति या अवस्था की विचित्रता दरकार है । इनमें से दूसरी बात, स्थिति-विचित्रता, इस देश में दिनों दिन कम होती जाती है । भिन्न भिन्न आदमियों और भिन्न भिन्न समाजों से जो बातें सम्बन्ध रखती हैं, और जो उन सब के स्वभाव को एक खास तरह का कर देती हैं वे, दिनों दिन एक तरह की होती जाती हैं; अर्थात् उनकी भिन्नता—उनकी असद्शता—कम होती जाती है । पहले जुदे जुदे दरजे के आदमी, जुदे जुदे पड़ोस में रहनेवाले पड़ोसी, जुदे जुदे व्यापार करनेवाले व्यापारी मानों जुदी जुदी दुनिया में रहते थे । पर अब वह बात नहीं है । अब वे बहुत करके एक ही तरह की दुनिया में रहते से हैं । पहले और आज कल के ज़माने का मुक़ाबला करने पर यह कहना पड़ता है कि इस समय सब लोग एक ही तरह की किताबें पढ़ते हैं; एक ही तरह की बातें सुनते हैं; एक ही तरह की चीजें देखते हैं; एक ही जगह जाते हैं; एक ही वस्तु की तरफ अपनी उम्मेद और नाउम्मेदी को ले जाते हैं; एक ही प्रकार के हक् और

एक ही तरह की आजादी रखते हैं; और एक ही तरीके से उन्हें जाहिर भी करते हैं। जितनी भिन्नता अभी बाकी है उतनी यथापि थोड़ी नहीं है तथापि जितनी जाती रही है उसकी अपेक्षा वह बहुत कम है। अर्थात् जिन बातों में भिन्नता रह गई है वे बातें उनकी अपेक्षा कम हैं जिनमें वह नहीं रह गई। फिर यह स्थिति—यह दशा—यह हालत—यहां तक पहुँच कर नहीं रह गई। वह बराबर आगे बढ़ती ही जा रही है; अर्थात् भिन्नता दिनों दिन क्षीण होती जाती है और अनुरूपता दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। एक बात और है। वह यह है कि इस समय की राजनीति में जो फेरफार हो रहे हैं वे भी अनुरूपता के बढ़ानेवाले हैं। क्योंकि, आज कल की राजनीति का झुकाव ऊचे दरजे के आदमियों को नीचा और नीचे दरजे-वालों को ऊचा बनाकर परस्पर सदृशता करने ही की तरफ अधिक है। जैसे जैसे शिक्षा की वृद्धि होती जाती है तैसे तैसे आदमियों में सदृशता की भी वृद्धि होती जाती है। भिन्नता का नाश करने में शिक्षा भी खूब मद्दत दे रही है। क्योंकि शिक्षा का असर सब लोगों पर बराबर पड़ता है और उसके द्वारा सब तरह की बातें और सब तरह के विचारों का भाण्डार भी सब के लिए एकसा खुल जाता है। रेल और ध्रुवांकश आदि, आने जाने के साधनों, में उन्नति होने से भी सदृशता की उन्नति हो रही है। क्योंकि उनके द्वारा दूर दूर देशों के आदमी अधिक आते जाते हैं और आपस में एक दूसरे से अधिक मिलते रहते हैं; यहां तक कि एक देश को छोड़कर दूसरे देशको, वही रहने के इरादे से, वे बराबर जा रहे हैं। न्यापार और कल्पना-गरी से भी अनुरूपता की खूब उन्नति हो रही है। क्योंकि सुख-साक्ष,

अर्थात् आराम से रहने, का फ़ायदा सब को बराबर पहुँच रहा है और हर विषय में—चाहे वह जितना बड़ा हो—अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए चढ़ा उपरी करना सबको एकसा सुलभ हो रहा है । इससे क्या हुआ है कि अपनी उच्चति करने की इच्छा अब किसी एक ही वर्ग, सम्प्रदाय या जन-समूह का मनोधर्म नहीं है; किन्तु वह सबका एकसा मनोधर्म हो रहा है । जितने आदमी हैं सबको एकसा कर डालने; सबको एकसांचे में ढालने, सबकी मिलता का नाश करदेने, के ये जितने कारण हैं इन सबसे भी अधिक बलवान कारण, इसमें और दूसरे स्वाधीन देशों में भी, राजकीय बातों में सार्वजनिक मत की प्रबलता है । इस प्रबलता की नीव पर खूब ढट्ठा से स्थापित की हुई राजकीय पद्धति आदमियों के साइरश्य को सबसे अधिक बढ़ाती है । आज कल समाज के वे ऊंचे ऊंचे स्थान, जिनके ऊपर निर्भयता-पूर्वक खड़े होकर समाज के मर्तों की लोग अवहेलना कर सकते थे, गिर गिर कर चौरस होते जाते हैं । इस समय इस बात के अच्छी तरह मालूम हो जाने पर कि किसी विषय में समाज की क्या राय है, राजनैतिक पुरुषों के मन से उस राय के खिलाफ़ बर्ताव करने का ख्याल तक दूर होता जाता है । जैसे जैसे ये बातें होती जाती हैं वैसे ही वैसे समाज की राय के खिलाफ़ बर्ताव करनेवालों का सामाजिक आधार भी कम होता जाता है; अर्थात् जनसमूह को न बढ़ने देने की इच्छा रखनेवाला, और अपनी मति और प्रवृत्ति के प्रतिकूल बर्ताव करनेवालों को आश्रय देनेवाला, प्रभाव या बल, जो अब तक समाज में था, नाश हो रहा है ।

ये सब कारण मिलकर व्यक्ति-विशेषता का इतना अधिक विरोध करते हैं—उससे इतनी अधिक प्रतिकूलता करते हैं—कि यह बात समझ ही में नहीं आती कि किस तरह वह अपनी जगह पर कायम रह सकती है या किस तरह वह नष्ट होने से बच सकती है। समाज के समझदार आदमियों को व्यक्ति-विलक्षणता की कीमत जब तक अच्छी तरह न समझा दी जायगी, अर्थात् यदि उनके मन में यह बात न भर दी जायगी कि भिन्नता का होना बहुत अच्छा है—चाहे भिन्नता से कोई लाभ न हो; चाहे उससे उनकी समझ में हानि भी हो—तब तक बेचारी व्यक्ति-विशेषता नाश होने से न बचेगी; तब तक उसे अपनी जगह पर कायम रहने के लिए और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को, यदि किसी आदमी को, अपना हक् या स्वत्व स्थापित करना हो तो उसे अभी करना चाहिए। इस काम के लिए यही उचित समय है। क्योंकि सब लोगों को एक ही सांचे में ढालने का जो प्रयत्न इस समय समाज कर रहा है वह अभी पूरा नहीं हुआ—अभी उसमें दृढ़ता नहीं आई। व्यक्ति-विशेषता पर समाज की जो यह जबरदस्ती हो रही है उससे मल्लयुद्ध करने के लिए झुर्ल में ही तैयार होना चाहिए। तभी कामयाबी की जा सकती है। आदमियों की यह सख्ती कि जिस तरह का बर्ताव हम करते हैं उसी तरह का सब लोगों को करना चाहिए, जितनी अधिक सहन की जायगी उतनी ही अधिक वह बढ़ेगी। सब लोगों के आचार, विचार और व्यवहार जब प्रायः एक से हो जांयगे तब यदि उस अन्याय का विरोध किया जायगा तो लोगों को वह विरोध अधर्मिक, अनीति-सङ्करत, प्रकृति-विरुद्ध ही नहीं, पैशाचिक तक मालूम होने लगेगा।

तीसरा अध्याय ।

२१३

अर्थात् जब सब के आचार और व्यवहार के नमूने एक से हो जायगे तब जो लोग उन नमूनों से ज़रा भी इधर उधर हटेंगे वे धर्महीन, नीतिहीन और राक्षस माने जायगे । क्योंकि किसी रुढ़ि, किसी रीति, के हड़ हो जाने पर वह वेद-वाक्य समझी जाने लगती है । भिन्नता या व्यक्ति-गत-विलक्षणता को देखने की आदत कुछ समय तक छूट जाने से लोग उसकी कल्पना तक करना भूल जाते हैं; उसका विचार तक उनके मन में नहीं आता; उसकी भावना तक करने में बहुत जल्द असमर्थ हो जाते हैं ।





चौथा अध्याय.

व्यक्ति पर समाज के अधिकार की सीमा ।



च्छा, तो, अपने ऊपर हर आदमीकी—हर व्यक्तिकी—हुकूमत की उचित हद कौनसी है ? समाज की हुकूमत शुरू किस जगह होती है ? आदमी के जीवन का कितना हिस्सा समाज को देना चाहिए और कितना अलग अलग हर आदमी को ? इसका उत्तर यह है कि जिस हिस्से का समाज से अधिक सम्बन्ध है वह समाज को और जिसका व्यक्तिसे अधिक सम्बन्ध है वह व्यक्ति को यदि मिले तो बाट ठीक हो; तो जो जितने का हक़दार है उसे उतना मिल जाय । हर आदमी के क़ब्जे में जीवन का वह हिस्सा रहना चाहिए जिसके हानि-लाभ का वही बहुत करके ज़िम्मेदार है । और समाज के क़ब्जे में भी वही हिस्सा रहना चाहिए जो बहुत करके उसीके हित या अनहित से सम्बन्ध रखता है, अर्थात् जिसकी ज़िम्मेदारी समाज ही के ऊपर रहती है ।

समाज की स्थापना होने के पहले यद्यपि सब आदमियों ने कोई इकरारनामा नहीं लिखा; या सब आदमियों ने किसी दस्तावेज की

रजिस्टरी नहीं कराई; और यद्यपि समाजिक कर्तव्यों का निश्चय करने के इरादे से लिखे गये दस्तावेज़ से कोई लाभ होता भी नहीं है; तथापि हर आदमी का यह धर्म है कि वह समाज के साथ अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि समाज उसकी रक्षा करता है । इस रक्षा का बदला अच्छे बर्ताव के रूप में देना हर आदमी का फर्ज़ है, धर्म है, कर्तव्य कर्म है । समाज में रह कर व्यक्ति के लिए यह निहायत ज़रूरी बात है कि वह औरों के साथ उचित व्यवहार करे, अर्थात् व्यवहार की जो मर्यादा बाँध दी जाय उसके बाहर वह क़दम न रखे । इस तरह के व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली सब से पहली बात यह है कि आदमी परस्पर एक दूसरे को हानि न पहुँचावे । अथवा जो बातें क़ानून के रूप या सब लोगों की सम्मति से हर आदमी का हक़ या स्वत्त्व मान ली गई हैं उनमें वह किसी तरह का विप्र न डाले । व्यक्ति-विशेष के व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी मुख्य बात यह है कि समाज या समाज के मेम्बरों को हानि और उपद्रव से बचाने के लिए जो मेहनत और खर्च पड़े उसका उचित हिस्सा हर आदमी अपने ऊपर ले । अर्थात् इस काम के लिए सब लोगों का यह कर्तव्य है कि वे अपने हिस्से की मेहनत भी करें और अपने हिस्से का खर्च भी दें । पर हां इस बात का निश्चयः मुनासिब तौर पर और नियमानुसार किया जाय कि हर आदमी से कितनी मेहनत और कितना खर्ज लेना चाहिए । जो लोग इन शर्तों को पूरा न करेंगे, या जो इन शर्तों को पूरा करने से बचने की कोशिश करेंगे, उनसे उनको पूरा कराने का अधिकार समाज को होना बहुत मुनासिब है । आदमी की चाहे जितनी हानि

हो समाज को उसकी कुछ परवा न करके, हर आदमी से इन शर्तों के अनुसार वर्ताव कराना ही चाहिए। समाज को और भी अधिकार है। एक आव आदमी के हाथ से ऐसा काम होना भी सम्भव है जिससे दूसरों के उचित हक् तो न मारे जायेंगे, पर उनको या तो तकलीफ पहुँचेगी या उनके आराम की तरफ बेपरवाही होगी। इस हालत में, ऐसे आदमी को सज़ा देना यद्यपि क़ानून के अनुसार ठीक न होगा, तथापि सब आदमी अपनी राय ज़ाहिर करके उसी राय के रूप में यदि उसे सज़ा देंगे तो वह सज़ा बहुत मुनासिब होगी। अर्थात् ऐसी हालत में यदि क़ानून का बस न चले तो समाज को चाहिए कि वह लानत मलामत करके—भला बुरा कहके—दूसरों के आराम में बाधा ढालनेवाले को सज़ा दे। ज्यों ही किसीके वर्ताव, व्यवहार या काम से दूसरों की हानि होने लो त्योंही समाज अपने अधिकार को काम में लावे। इस तरह हानि शुरू होते ही वह समाज की सत्ता के भीतर आ जाती है। अर्थात् जिसकी हानि हो उस को उस हानि से बचाना समाज का कर्तव्य हो जाता है। इस कारण समाज को फ़ौरन ही उसकी रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। यहां पर यह बात पूँछी जा सकती है कि इस तरह का प्रबन्ध करने में, अर्थात् हानि करनेवाले को रोकने में, सारे समाज का कल्याण होगा या नहीं। परन्तु जहां किसी के वर्ताव से दूसरों के कल्याण की कोई हानि नहीं होती, अथवा यदि होती भी है तो उनकी सम्मति से होती है, वहां इस तरह का प्रश्न ही नहीं हो सकता। पर हां, जिन आदमियों का इस तरह के वर्ताव से सम्बन्ध हो, अर्थात् जो खुद सम्मति दें, या औरों से लें, उनका क्यस्क

और मामूली तौर पर सज्जान होना बहुत ज़रूरी बात है । समाज और कानून दोनों को चाहिए कि इस तरह का वर्ताव करने और उसका जो परिणाम हो उसे भोगने के लिए वे हर आदमी को पूरी आज़ादी दें ।

यदि कोई कहे कि यह सिद्धान्त स्वार्थ से भरा हुआ है; इसमें परोपकार की तरफ बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया गया; इससे यह भासित होता है कि आदमियों को एक दूसरे के वर्ताव से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; और यदि अपने हित की कोई बात न हो तो परस्पर एक दूसरे के हित और सदाचार की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है—तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है । दूसरों के हित—दूसरों के कल्याण—की वृद्धि करने के लिए निःस्वार्थ भाव से यज्ञ करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है । ऐसे यज्ञ—ऐसे श्रम—को कम करने की अपेक्षा बढ़ाना चाहिए और खूब बढ़ाना चाहिए । परन्तु सब लोगों के मन को अपने अपने हित की तरफ प्रवृत्त करने की इच्छा यदि किसी उदार और निष्काम बुद्धि के आदमी के हृदय में उत्पन्न हो तो उसे सच्चे अथवा लाक्षणिक चाबुक को छोड़कर और उपायों से काम लेना चाहिए । यह नहीं कि हाथ हिलाने ही से वह इस काम को कर सके । और भी ऐसे साधन हैं जिनसे यह काम अच्छी तरह हो सकेगा । आदमी में खुद अपने हित के लिए जो सद्गुण होने चाहिए उनकी कीमत मैं कम नहीं समझता । दूसरों के हित के लिए जो सद्गुण होने चाहिए उनसे मैं इन व्यक्तिनिषियक गुणों की कीमत थोड़ी ही कम समझता हूँ । मैं यह भी दृढ़ता से नहीं कह सकता कि इनकी कीमत थोड़ी भी कम है । मुमकिन है दोनों की कीमत

बराबर हो। शिक्षा का काम है कि वह इन दोनों प्रकार के गुणों की उच्चति करे। अर्थात् लोगों को ऐसा शिक्षण मिले कि उनमें स्वार्थ और परार्थ दोनों गुणों की वृद्धि हो। पर शिक्षा भी दो तरीके से दी जाती हैः—एक समझा बुझाकर और शिक्षा से जो लाभ होते हैं उन पर लोगों का विश्वास जमाकर; दूसरे जबरदस्ती से। शिक्षा प्राप्त करने की उम्र यदि निकल गई हो तो स्वार्थ और परार्थ से सम्बन्ध रखनेवाले गुणों का उपदेश देने में पहले ही तरीके को काम में लाना चाहिए। भले बुरे को पहचानने और बुरे को छोड़ कर भले का स्वीकार करने, के लिए आदमियों का यह कर्तव्य है कि वे परस्पर एक दूसरे की मदद करें। आदमियों का यह धर्म है कि, वे परस्पर एक दूसरे को यह उत्तेजना देते रहें कि अपने उच्च गुणों से अधिक काम लेना चाहिए, अपने विचारों और उद्देशों को बुरे और नीच विषयों की तरफ न जाने देना चाहिए, और अपने मन में किसी तरह की बुरी वासनाओं को न आने देना चाहिए। उनको चाहिए कि वे परस्पर यह उपदेश दें कि आदमी को अपने विचार और उद्देश हमेशा उदार और अच्छे कामों ही की तरफ लेजाना चाहिए; और जो वासनायें मन में पैदा हों उनको भी अच्छे और उदार कामों और विचारों की तरफ झुकाना चाहिए। परन्तु एक अथवा अनेक आदमियों को किसी दूसरे वयस्क आदमी से यह कहने का मजाज़ नहीं कि अपने लाभ के लिए अपने शरीर या जीवन का वह जैसा चाहे वैसा उपयोग न करने पावेगा। क्योंकि अपने हित—अपने लाभ—की सबसे अधिक परवा अपने ही को होती है। जहाँ अहुत ही अधिक प्रीति होती है वहाँ की बात छोड़ कर और सब

कहीं, अपने हित के लिए और लोग जितनी परवा करते हैं, वह अपनी निज की परवा की अपेक्षा बहुत ही कम होती है । दूसरों से सम्बन्ध रखनेवाले बर्ताव को छोड़ कर अलग अलग हर आदमी में समाज का जो अंश रहता है वह नाम मात्र ही के लिए रहता है और बिल्कुल ही अप्रत्यक्ष होता है—अर्थात् बाहर से देख ही नहीं पड़ता । परन्तु अपने मनोविकार और अपनी स्थिति को जानने के लिए एक बहुत ही मामूली समझ के पुरुष या स्त्री के पास जो साधन होते हैं वे, उनको जानने के लिए, दूसरे आदमियों के साधनों की अपेक्षा कहीं बढ़ कर होते हैं । अपने निज के काम काज के विषय में किसी की रायया इरादे में समाज यदि हाथ डालेगा तो सिर्फ़ अनुमान के आधार पर डालेगा—अर्थात् ऐसी दशा में जो कुछ समाज करेगा सिर्फ़ अटकल के बल पर करेगा । मुमकिन है इस तरह कि अटकल बिल्कुल ही ग़लत हो । और यदि वह सही भी हो तो मुमकिन है कि उसका नितना सदु-पर्योग किसीको हो उतना ही दुरुपर्योग भी हो । क्योंकि समाज का सुधार करनेवाले जो लोग इस तरह की अटकल का उपयोग करेंगे वे सिर्फ़ बाहर ही की बातों को जानकर करेंगे । वे उनको उतना ही जान सकेंगे जितना और लोग दूर से देखकर जान सकते हैं । इस लिये आदमी के व्यवहार सम्बन्धी इस महकमे में व्यक्ति-विशेष ही को हुकूमत करने देना चाहिए । अर्थात् उसे आज़ादी मिलनी चाहिए कि जो उसे अच्छा लगे सो वह करे । परन्तु हाँ, आदमी के जिन व्यवहारों से परस्पर एक दूसरे का सम्बन्ध है उनकी बात निराली है । उनके लिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए जो बहुत

करके सबके काम के हों और जिन्हें सब लोग बराबर मानें । ऐसा होने से हर आदमी को यह मालूम रहेगा कि औरों से वह किस तरह के बर्ताव की उम्मेद रख सकता है । परन्तु जहाँ सिफ़ एक ही आदमी का सम्बन्ध है वहाँ मुनासिब है कि उसे अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी आजादी मिले । निर्णय करने में उसकी मदद के लिए दूसरे आदमी अपने विचार ज़ाहिर कर सकते हैं; उसकी इच्छा को मज़बूत करने के लिए और लोग उसे उपदेश दे सकते हैं; यहाँ तक कि और आदमी उससे आग्रह भी कर सकते हैं; परन्तु वे उसे मज़बूर नहीं कर सकते—किसी बात को करने के लिए वे उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते । अपने निज के काम में हर आदमी अपना जज है; वह जैसा चाहे फैसला करे; उसमें दस्तन्दाज़ी करने का किसीको अवृत्तियार नहीं । दूसरों के उपदेश और चेतावनी को न मानने से मुमकिन है किसी से ग़लतियां हों और उसे नुक़सान उठाना पड़े । परन्तु दूसरे जिस काम को अच्छा समझते हैं उसे बल्पूर्वक उससे कराने से जो नुक़सान होगा वह इस नुक़सान की अपेक्षा बहुत अधिक होगा ।

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि किसी आदमी को और लोग जैसा समझते हों, अर्थात् उसके विषय में औरों का जो ख़याल हो, उसे प्रकाशित करते समय उसके निज के गुण अथवा दोष वे न प्रकाशित करें । मैं यह नहीं कहता कि उसके गुण—दोषों से उत्पन्न हुए परिणाम का ज़िक्र ही न किया जाय । यह हो भी नहीं सकता और यह मुनासिब भी नहीं । यदि किसी आदमी में कोई ऐसा सद्गुण हो जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि या वृद्धि

होती हो और जिसके कारण वह प्रसिद्ध हो रहा हो तो उसकी प्रशंसा करना—उसे आश्र्य की दृष्टि से देखना—बहुत उचित है । क्योंकि आदमी के स्वभाव की सबसे अधिक पूर्णता के वह उतना ही अधिक पास पहुँच गया है । स्वभाव की पूर्णता के लिए जो गुण दरकार होते हैं वे यदि उसमें बिलकुल ही नहीं हैं तो उसे देखकर देखनेवालों के मन में निन्दा करने की प्रवृत्ति का होना भी बहुत उचित है । सद्गुणों की प्रशंसा और दुर्गुणों की निन्दा अन्याय नहीं; वह सब तरह से न्यायसङ्गत है । किसी किसी आदमी के बर्ताव में एक तरह की मूर्खता पाई जाती है । कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी आदत ही बुरी पड़ जाती है । इन दुर्गुणों के कारण यद्यपि किसी को सजा देना उचित नहीं है; तथापि यह ज़रूर है कि उसे लोग पसन्द न करेंगे; कोई कोई तो उससे घृणा तक करने लगेंगे; अथवा उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे । यह स्वाभाविक बात है । यह होना ही चाहिए । ऐसे दुर्गुणों को देख कर यदि किसीके मन में अरुचि, घृणा और तिरस्कार न पैदा हो तो समझना चाहिए कि उसमें सुखचि, प्रीति और आदर नामक सद्गुणों की मात्रा कुछ कम है । अर्थात् जो आदमी किसी अरोचक, घृणित या तिरस्करणीय चीज़ को देखकर भी उसे वैसी नहीं समझता उसके विषय में यह कहना चाहिए कि उसे रोचकता, प्रीति और सम्मान का अच्छी तरह ज्ञान ही नहीं । क्योंकि यदि वह इन विरोधी गुणों को पूरे तौर पर जानता तो इन्हें वह काम में भी लाता । एक आच आदमी के कुरे बर्ताव से यद्यपि औरेंको विशेष हानि नहीं पहुँचती तथापि उससे यह

ज़रूर सूचित होता है कि वह आदमी या तो मूर्ख है या नीच । इस तरह के निश्चय का कारण उसका बर्ताव ही होता है । वह बर्ताव मजबूर करता है कि लोग इस तरह का निश्चय करें । परन्तु जिसके विषय में लोग ऐसा निश्चय करते हैं वह इस बात को पसन्द नहीं करता । वह नहीं चाहता कि लोग उसे मूर्ख या नीच कहें । पर वह चाहे या न चाहे इस विषय की सूचना उसे पहले ही से ज़रूर दे देनी चाहिए—उसे पहले ही से ज़रूर सावधान कर देना चाहिए । किसी ऐसे काम को, जिसका परिणाम बुरा हो, करते देख किसीको रोक देने से जैसे उसका हित होता है वैसे ही मूर्खता या नीचता के बोधक बर्ताव की सूचना दे देने से भी हित होता है । आज कल शिष्टता और सम्म्यता की हृदयहाँ तक बढ़ गई है कि इस तरह की सूचना के द्वारा लोगों का बहुत कम हित किया जाता है । क्योंकि इस तरह की सूचना देने में लोग सङ्कोच करते हैं । इसका कारण यह है कि ऐसा करने से लोग असम्म्य, अशिष्ट और घमण्डी समझते जाते हैं । ऐसा न हो तो अच्छा । शालीनता और शिष्टता की जैसी कल्पना इस समय प्रचलित है वह बदल जाय तो इस तरह की सूचना से लोगों का अधिक कर्याण हो । यदि एक आदमी के विषय में दूसरे आदमी की राय ख़राब हो तो उस दूसरे आदमी को अपनी राय के अनुसार, जिस तरह वह चाहे, बर्ताव करने का उसे अधिकार भी तो है । हर आदमी को—हर व्यक्ति को—अपने निज के करम काज से सम्बन्ध रखने-वाली बातों पर पूरा अधिकार है । इस अधिकार को भी उसीके भीतर समझना चाहिए । पर, हाँ, यह याद रहे कि उससे दूसरे

को किसी तरह की हानि न पहुँचे । उदाहरण के लिए कोई मजबूर नहीं किया जा सकता । उलटा उससे दूर रहने का सबको पूरा अधिकार है । पर उसके बुरेपन को—उससे दूर रहने के कारण को—सबके सामने जाहिर करने का किसी को अधिकार नहीं; क्योंकि इससे उसे दुःख होगा । सबको इस बात का हक् है—सबको इस बात का अधिकार है—कि जिनकी सङ्गति उन्हें सबसे अधिक पसन्द हो उन्हींके साथ वे बैठें उठें । यदि हमको यह मालूम हो जाय कि किसीके व्यवहार या भाषण का परिणाम, उसके साथ रहनेवालों पर, बुरा होता है तो हमको अधिकार है—अधिकार ही नहीं, किन्तु हमारा कर्तव्य भी है—कि हम उन लोगों को इस बात से सावधान कर दें । और लोगों के द्वारा किये गये किसीके हित के कामों के सिवा, बाकी जितने अच्छे अच्छे काम हैं उन सबमें, उसे छोड़कर, औरों का साथ देने के लिए हमको पूरा अधिकार है । अर्थात् हमारा कर्तव्य है कि ऐसी हालत में हम उस अकेले आदमी की परवान करके औरों के हित की वृद्धि करें । जिन दोषों से—जिन दुर्गुणों से—और किसीका सम्बन्ध नहीं है, अर्थात् जिनसे सिर्फ अपना ही सम्बन्ध है, उनके लिए भी उपर कहे गये अनेक प्रकार के दण्ड, अप्रत्यक्ष रीति से किसी किसी को सहन करने पड़ते हैं । परन्तु इस तरह के दण्ड योगनेवाले को यह न समझना चाहिए कि किसी ने उसे दण्ड देने ही के इरादे से ऐसा किया है । उसे यह समझना चाहिए कि उसमें जो दुर्गुण हैं उन्हें अप्प ही आप पैदा होनेवाले, ये दण्डरूपी परिणाम हैं । जो आदमी

सेव विचारकर काम नहीं करता, जो वृथाभिमानी और हठी है, जो अपने आचरण को परिमित नहीं रखता, जो हानिकारक विषयो-पभोग से अपने को नहीं बचाता और जो मानसिक और नैतिक सुखों की परवा न करके शारीरिक सुख को ही अपना सर्वस्व समझता है, उसे इस बात के सुनने को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि दूसरों की निगाह में मैं उतरा हुआ हूँ और दूसरे लोग मेरे विषय में जो राय रखते हैं वह मेरे बहुत कम अनुकूल है। इन बातों को बिना किसी शिकायत के उसे चुपचाप सुनना चाहिए। और शिकायत के लिए उसे जगह भी नहीं। हां यदि वह सामाजिक व्यवहार में किसी तरह की योग्यता दिखा कर, अर्थात् जिन बातों से दूसरों का सम्बन्ध है उनमें अपनी उत्तमता या योग्यता का परिचय देकर, दूसरों का कृपा का पात्र हो जाय तो बात दूसरी है। अन्यथा उसकी शिकायत नहीं चल सकती।

मेरा मत यह है—और इस मत को मैं आग्रह-पूर्वक प्रकट करता हूँ—कि आदमी के जिस बर्ताव या चालचलन से सिर्फ़ उसीका सम्बन्ध है, अर्थात् दूसरों के साथ होनेवाले उसके बर्ताव से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है, उस बर्ताव या चालचलन के लिए यदि उसे दण्ड देना है तो दुसरों के प्रतिकूल मत से उसका जो नुकसान होगा उसीको काफ़ी दण्ड समझना चाहिए। तकलीफ़, पीड़िया या असुविधा के रूप में जो यह दण्ड मिलेगा उसे दूसरों के मत का अंश समझना चाहिए। यह न समझना चाहिए कि वह उस मत से अलग है। यह उन बातों से दूसरों की व्यवस्था हुई जिनसे दूसरों को हानि नहीं पह-

अती । पर जिन बातों से दूसरों को हानि पहुँचती है उनकी व्यवस्था निलकुल ही जुदी हैं । उनके लिए और तरह के इण्ड हैं । दूसरों के हक् छीन लेने या उनमें बाधा डालने के लिए; जिस तरह के नुकसान पहुँचाने का हक् नहीं है उस तरह के नुकसान दूसरों को पहुँचाने के लिए; दूसरों के साथ झट या छल-कपट का व्यवहार करने के लिए; अधिकार या अधिक अच्छी स्थिति के बल पर दूसरों के साथ अन्याय-सङ्गत और अनुदार बर्ताव करने के लिए; और दूसरों को तक़लीफ पाते देख, स्वार्थ के वश होकर, उन्हें उससे न बचाने के लिए; नीति की दृष्टि से निर्भत्सना करना, और भयङ्कर प्रसङ्ग आने पर प्रायश्चित्त कराना या और कोई कड़ा दण्ड देना भी मुनासिब होगा । इतनी ही बातों को नीति-विरुद्ध न समझना चाहिए; यह नहीं कि इन्हीं के लिए किसी को सजा दी जा सकती हो । नहीं । जिस स्वभाव, जिस प्रवृत्ति, जिस आदत की प्रेरणा से आदमी इस तरह के अनुचित काम करता है उसे भी नीति-विरुद्ध समझना चाहिये । अतएव उसकी भी निन्दा करना चाहिए, और कोई विशेष गहरा प्रसङ्ग आने पर, धृणा या तिरस्कार भी प्रकट करना चाहिए । स्वाभाविक निर्दयता; ईर्ष्या और दुःखीलता; समाज को सबसे अधिक हानि पहुँचाने वाले बुरे मनोविकारों का राजा मत्सर; दम्भ और कपट; अकारण क्रोध; कारण थोड़ा क्रोध बहुत, दूसरों पर सत्ता चलाने या दूसरों को प्रभुता दिखाने की क्षमता; सांसारिक सुखों का जितना अंश न्याय से मिलना चाहिए उससे अधिक पाने की चेष्टा; दूसरों को नीच स्थिति में देखकर असत्र होने की प्रवृत्ति; निजको और निजसे सम्बन्ध रखने वाली

बातों को सब से अधिक महत्व देना; और सन्देह-पूर्ण प्रतिकूल बातों को अनुकूल बतलाने की स्वार्थ बुद्धि—ये सभी बातें नीति की दृष्टि से दुर्गुण हैं। आदमी की नीति को ये दुर्गुण अष्ट कर देते हैं। इनके कारण आदमी का स्वभाव बुरा और नियंत्रित हो जाता है। निजसे सम्बन्ध रखने वाले जिस तरह के दोषों या दुर्गुणों का बयान ऊपर किया गया है उस तरह के दोष ये नहीं हैं। ये उनसे बिलकुल जुदा हैं। क्योंकि उनकी गिनती अनीति—गर्भित दोषों में नहीं हो सकती। बढ़ते बढ़ते वे चाहे जिस नौवत को पहुँच जाय तथापि वे दुष्कर्म, दौरात्म्य, दुर्जनता या कूरता की परिभाषा के भीतर नहीं आसकते। पहले वर्णन किये गये दोष सिर्फ़ यह ज़ाहिर करते हैं कि जिसमें वे हैं वह या तो मूर्ख है, या उसमें आत्माभिमान नहीं है, या वह अपने अधिकार की गुरुत्वा को नहीं जानता। बस। पर जहां दूसरों के हित के लिए अपनी रक्षा करना आदमी के लिए ज़रूरी है, वहां यदि वह अपने परार्थ-विषयक कर्तव्य को पूरा नहीं करता तो नीति की दृष्टि से समाज उसकी निर्भर्त्सना कर सकता है। आदमी का जो आत्म-कर्तव्य है, अर्थात् सिर्फ़ अपने हित के लिए आदमी को जो बातें करनी चाहिए, उन पर अपनी सत्ता चलाना समाज का कर्तव्य नहीं। ऐसे कर्तव्यों पर, ऐसी बातों पर, समाज का कुछ भी ज़ोर नहीं। परन्तु यदि इन कर्तव्यों में, किसी कारण से, समाज के कर्तव्यों का भी कोई अन्तर्भाव हो जाय, अर्थात् एक ही साथ यदि उनका समाज से भी कोई सम्बन्ध सूचित हो, तो बात दूसरी है। इस दशा में समाज भी ऐसे कर्तव्यों का प्रतिबन्ध कर सकता है। आत्मकर्तव्य का मामूली

अर्थ विचारशीलता या बुद्धिमानी है। जहां उसमें इससे अधिक अर्थ होता है वहां आत्मगौरव और आत्मोन्नति का भी अर्थ उससे निकलता है। इनमें से एक के लिए भी कोई आदमी किसी दूसरे के सामने जबाबदार नहीं। क्योंकि इन तीनों बातों में से एक भी ऐसी नहीं जिसे न करने से व्यक्ति को छोड़ कर संसार में और किसीकी कुछ भी हानि हो सके।

आत्मगौरव या बुद्धिमानी के न होने से आदमी की जो मुनासिब मानहानि होती है उसमें, और दूसरों के हक् में बाधा डालने से उसकी जो छी थू होती है उसमें, थोड़ा फ़रक् नहीं है। यह न समझना चाहिए कि दोनों में नाम मात्र ही के लिये फ़रक् है। चाहे कोई आदमी हमको उन बातों के विषय में अप्रसन्न करे जिनमें दखल देना हम अपना हक् समझते हैं, और चाहे उन बातों के विषय में जिनमें दखल देना हम अपना हक् नहीं समझते, दोनों में फ़रक् नहूँ है और बहुत अधिक फ़रक् है। यह फ़रक् हमारे मनोविकारों में भी होता है और ऐसे आदमी की तरफ़ हमारा जो कर्तव्य है उसमें भी होता है। यदि किसी आदमी ने हमको किसी ऐसी बात से अप्रसन्न किया जिसका सम्बन्ध सिर्फ़ उसीसे है, तो हम अपनी अप्रसन्नता ज़ाहिर करेंगे और जैसे उस अप्रसन्नता-दायक बात से हम दूर रहेंगे वैसे ही उस आदमी से भी दूर रहेंगे। परन्तु इस बात के कारण हम उसे किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचाना मुनासिब न समझेंगे। हमको उस समय यह स्थायल होगा कि इसने जो भूल की है उसका पूरा फ़ल यह भोग ही रहा है, अथवा यदि नहीं भोग रहा तो कुछ दिन में ज़रूर

भोगेगा । यदि अव्यवस्था, अर्थात् बद्दलन्तजामी, के कारण वह अपनी जिन्दगी को खराब कर रहा होगा तो उसे देखकर हमारा जी कभी न चाहेगा कि हम उसे और भी अधिक हानि पहुंचावें और उसकी जिन्दगी को और भी अधिक खराब कर दें । उसे सज्जा देने की अपेक्षा यह जी चाहेगा कि जो सज्जा उसे मिल रही है उसे उल्टा हम कम करने की कोशिश करें और उसकी बुरी आदतों से जो आपदायें उस पर आई हैं उनसे बचने की तरकीब उसे बतावें । उस पर दया आवेगी; उससे धृणा होगी; उसके पास बैठने या उससे बात चीत करने को जी न चाहेगा; परन्तु उस पर क्रोध न आवेगा और न उससे द्रोह करने ही को दिल गवाही देगा । उसे हम समाज का शत्रु न समझेंगे । अर्थात् समाज के शत्रुओं के साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वैसा बर्ताव हम उसके साथ न करेंगे । और यदि उदार-भाव धारण करके हमने उसकी सहायता न की, या उसके हानि-लाभ का विचार न किया, तो भी जिस रास्ते वह जा रहा है उस रास्ते उसे चले जाने देंगे । हम सिर्फ़ तटस्थ रहेंगे । बस इतना ही करेंगे । इसके आगे हम और कुछ न करेंगे । हम उसके लिए यही सज्जा सब से कड़ी समझेंगे । परन्तु यदि उसी आदमी ने उन नियमों को भङ्ग किया—उन कायदों को तोड़ा—जो समाज की, या जिन आदमियों से समाज बना है उनमें से किसीकी, रक्षा के लिए बने हैं तो बात बिलकुल ही दूसरी तरह की हो जायगी; तो मामला बहुत सज्जीन हो जायगा । इस दशा में उसके दुराचार, उसके दुष्कृत्य, उसके बुरे बर्ताव का फल उंसको नहीं किन्तु औरें को भोग करना पड़ेगा । इससे जिन लोगों

के मेल से समाज बना है उन सबका रक्षक होने के कारण समाज को उससे बदला लेना पड़ेगा, और उस दण्ड को यथेष्ट कढ़ा करने के लिए होशियार भी होना पड़ेगा । इस दशा में उस आदमी को हमारे, अर्थात् समाज के, इजलास में अपराधी की तरह हाजिर होना पड़ेगा । उस समय हमारा सिफ़ इतना ही कर्तव्य न होगा कि हम उसके अपराध का विचार करके अपना फैसला सुना दें । नहीं, अपने फैसले के अनुसार, चाहे जिस तरह से हो, उसे दंड देना भी हमारा कर्तव्य होगा । परन्तु यदि उसके दुष्कृत्य या बुरे वर्ताव का सम्बन्ध सिफ़ उसीसे है तो उसे किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचाना—उसे किसी तरह का दंड देना—हमारा कर्तव्य नहीं । हां यदि हमने अपने निज के काम में किसी ऐसी स्वतंत्रता का उपयोग किया, जिसे उपयोग में लाने का उसे भी हमारा ही सा हक्क है, और यदि ऐसा करने से सहज ही उसकी कुछ हानि हो-गई तो उपाय नहीं । इसमें हमारा क्या दोष ?

आदमी के आत्म-सम्बन्धीय वर्ताव और सामाजिक वर्ताव में जो फरक़ मैंने यहां पर दिखलाया उसे बहुत लोग न मानेंगे । वे यह सवाल करेंगे कि जिन आदमियों से समाज बना है उसमें से एक आदमी के वर्ताव का कोई हिस्सा दूसरे आदमियों से सम्बन्ध-हीन हो कैसे सकता है ? अर्थात् यह सम्भव नहीं कि एक ही समाज के एक आदमी का वर्ताव उसी समाज के और आदमियों से कुछ भी सम्बन्ध न रखे । ऐसा एक भी आदमी नहीं जो दूसरों से बिलकुल ही अलग हो । यह कभी सम्भव नहीं कि कोई आदमी अपना बहुत सा नुकसान कर ले, या कोई ऐसा काम कर छाले

जिसके कारण उसका रोज़ नुकसान होता रहे, और उससे उसके बहुत निकट के सम्बन्धियों की, और कभी कभी सम्बन्धियों के सिवा और लोगों की भी, कोई हानि न हो। यदि वह अपनी सम्पत्ति को बरबाद कर देगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से जिन लोगों को उससे मदत मिलती रही होगी उनकी ज़रूर हानि होगी। इस तरह की हानि से समाज के निर्वाह के जो साधन हैं उनमें थोड़ी बहुत कभी ज़रूर आ जायगी। यदि वह अपनी शारीरिक अथवा मानसिक शक्तियों को बिगड़ा देगा तो सिर्फ़ उन्हीं लोगों की हानि न होगी जिनके सुख की थोड़ी भी सामग्री उसके ऊपर अवलंबित है, किन्तु अपने सजातियों के हित के लिए मामूली तौर पर उसके जो कर्तव्य हैं उनको करने के लिए भी वह अपने को नालायक बना लेगा। सम्भव है कि उसे अपने पालन पोषण का बोझ दूसरे लोगों की उदारता या स्लेहशीलता पर लादना पड़े—अर्थात् दूसरों का भिखारी बनना पड़े। यदि इस तरह की घटनायें बारबार होने लगेंगी तो जनसमुदाय के सुख-संचय की इतनी हानि होगी जितनी आज कल होने वाले और किसी बुरे बर्ताव या अपराध से नहीं होती। यदि कोई आदमी अपने दुराचरण या मूर्खता से दूसरों को, प्रत्यक्ष रीति पर हानि न भी पहुंचावे तो भी उसका उदाहरण ज़रूर अनिष्टकारक होगा। बहुत सम्भव है कि उसके बुरे बर्ताव को देखकर और लोग भी वैसा ही बर्ताव करने लगें। अतएव, उसके खराब चाल-चलन को देख कर या दूसरों से उसका बयान सुन कर, और लोगों को नीतिभ्रष्ट और कुमार्गामी होने से बचाने के लिए उसका ज़रूर

प्रतिबन्ध करना चाहिए । अर्थात् अपना चाल-चलन सुधारने के लिए उसे ज़खर मजबूर करना चाहिए ।

बहुत लोग यह भी कहेंगे कि यदि बुरे चाल-चलन का फल असिर्फ़ दुश्शील, दुरुचारी या विवेकहीन आदमी ही को भोगना पड़े तो क्या जो लोग अपना चाल-चलन खुद नहीं दुरस्त कर सकते उनको समाज वैसे ही पड़ा रहने दे ? क्या समाज ऐसे आदमियों की रक्षा न करे ? बच्चों और नाबालिग आदमियों की रक्षा करना—उन्हें बुरे कामों से बचाना—सब को कुबूल है । इसमें कोई विवाद नहीं । तो बालिग होकर भी जो लोग खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा करना—उन्हें सुमार्ग में लगाना—क्या समाज का काम नहीं ? जुवा खेलना, शराब पीना, व्यभिचार करना, निरुद्योगी बैठे रहना, शरीर और कपड़े-लत्ते मैले रखना इत्यादि दोष उन बहुत से दोषों ही की तरह सुख का नाश करने वाले और उन्नति में बाधा डालने वाले हैं जिनकी कानून में मनरई है । तो, फिर, कानून के द्वारा ऐसी बातों के रोकने का यह क्यों न किया जाय ? हाँ, इतना ज़खर देख लेना होगा कि कानून से काम लेने में समाज को किसी तरह का असुभीता तो न होगा और अपेक्षित बातों का प्रतिबन्ध करने में कोई कठिनता तो न आवेगी, अर्थात् सिर्फ़ काम की सुगमता और समाज के सुधीते का विचार करना पड़ेगा । कानून के द्वारा यदि ये बुरी बातें नहीं रोकी जा सकतीं तो क्या कानून की अनिवार्य कमी को पूरा करने के लिए समाज का यह काम नहीं कि वह लोकमत के बल पर उनको बन्द करने का कोई अच्छा

प्रबन्ध करे, और जो लोग इस तरह के दुराचार करें उनको कहीं सामाजिक सजा दे ? सांसारिक जीवनके सम्बन्ध में नये नये और अद्भुत अद्भुत तजरुबे करने के यन्ह में बाधा डालने, या व्यक्ति-विशेषता का नियमन करने, अर्थात् उसकी उचित स्वाधीतना को कम करने, की बात यहां नहीं चल सकती । क्योंकि जब से जगत् की उत्पत्ति हुई तब से आज तक जांच करने पर जो बातें बुरी सिद्ध हुई हैं सिर्फ़ उन्हींको रोकने से हमारा मतलब है । हम चाहते हैं कि सिर्फ़ उन्हीं बातों का प्रतिबन्ध किया जाय जो आज तक के तजरुबे से बुरी सिद्ध हो चुकी हैं और जो एक भी आदमी—एक भी व्यक्ति—के लिए उपयोगी या उचित नहीं हैं । समय और तजरुबे की कोई हद नियत करके उसके आगे किसी नीति या व्यवहार-ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवाली बात को सिद्ध समझ लेना मुनासिब है । अर्थात् किसी विषय में एक नियमित समय बीत जाने पर, और एक नियमित तरह का तजरुबा होजाने पर, वह विषय ठीक मान लिया जा सकता है । जो प्रतिबन्ध हम चाहते हैं उसका उद्देश सिर्फ़ इतना ही है कि जिस कगार के ऊपर से गिरकर हमारे पूर्वज चूर होगये उसी कगार से पुश्त दूर पुश्त लोगों को गिरने से हम बचावें ।

इस बात को मैं अच्छी तरह मानता हूं कि यदि कोई आदमी अपने बुरे बर्ताव से अपना नुकसान करलेगा तो उससे, हमदर्दी के कारण, उसके निकट सम्बन्धियों का भी नुकसान होगा और समाज का भी । पर सम्बन्धियों का नुकसान अधिक होगा और समाज का कम । उ-

नको ज़रूर बुरा लोगा और उनके हित की हानि भी थोड़ी बहुत ज़रूर होगी । दूसरे आदमियों से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन को करना हर आदमी का कर्तव्य है । वे सब के करने लायक होती हैं; ऐसी नहीं होतीं कि कोई उन्हें कर क सकता हो । और वे छिपी भी नहीं होतीं; सब लोग उन्हें जानते हैं । यदि ऐसी बातें में से कोई बात किसी आदमी ने न की तो उसका न करना निजसे सम्बन्ध रखनेवाले बर्ताव के भीतर नहीं आ सकता । ऐसी बात का अन्तर्भाव आत्मविषयक बर्ताव में नहीं हो सकता । वह उसके बाहर निकल जाता है । अतएव इस तरह का बर्ताव, नीति की नज़र से धृणा, निन्दा या तिरस्कार का जो अर्थ होता है उसका पात्र होजाता है । एक उदाहरण लीजिए—कल्पना कीजिए कि संयम से न रहने और फ़िजूलखर्ची करने के कारण कोई आदमी अपना कर्ज़ नहीं दे सका; या अपने कुटुम्ब के पालन-पोषण की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर भी, रुपया न रहने के कारण उसकी परवरिश अथवा उसकी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सका; तो उसकी निर्भर्त्सना या निन्दा करना और कभी कभी उसे दंड भी देना बहुत मुनासिब होगा । परन्तु यह याद रखना चाहिए कि ऐसी दशा में उसे जो दंड दिया जायगा वह संयम से न रहने और फ़िजूलखर्ची करने के लिए न दिया जायगा; किन्तु महाजनों का रुपया न देने और अपने कुटुम्ब की परवरिश न करने के लिए दिया जायगा । अर्थात् अपने महाजनों और कुटुम्ब के आदमियों के सम्बन्ध में उसका जो कर्तव्य था उसे पूरा न करने के लिए उसे सजा मिलेगी । जो रुपया उहों

अपने महाजनों को देना और अपने कुटुम्ब के काम में लगाना था उसे यदि वह किसी और काम में लगा देता और वह काम चाहे जितना अच्छा क्यों न होता, तो भी उसका अपराध ज़रा भी कम न होता। उस दशा में भी वह ज़ख्तर दंड का पात्र होता। जार्ज बार्नव्यल ने अपनी रड़ी को रूपये देने के लिए अपने चचा को मार डाला; परन्तु यदि उसने यह नियंत्रण काम कोई कारखाना खोलने या व्यापार करने के इरादे से किया होता, तो भी उसे कोंसी ही मिलती। अकसर यह देखा जाता है कि दुर्व्यसनों, अर्थात् बुरी आदतों, के कारण कोई कोई आदमी अपने कुटुम्बवालों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। अतएव उनकी इस निर्दृश्यता और कृतज्ञता के लिये उनकी निन्दा और निर्भत्सना करना ज़ख्तर ही मुनासिब है। परन्तु जिनके साथ ऐसे आदमी रहते हैं, या परस्पर सम्बन्ध के कारण जिनका सुख ऐसे आदमियों पर अवलम्बित रहता है, उनको यदि ऐसों कि कोई आदतें हानि पहुंचावें—फिर चाहे वे आदतें बुरी न भी हों—तो भी उन्हें वही दंड मिलना चाहिए। अर्थात् इस कारण भी उनकी निन्दा और निर्भत्सना होनी चाहिए। अपना काम करते समय जो आदमी दूसरों के हित और मनोविकारों की परवा नहीं करता उस की निन्दा समाज को करनी ही चाहिए। परन्तु यदि औरों के हित और मनोविकारों की अपेक्षा भी अधिक महत्व के किसी कर्तव्य का पालन उसे करना हो; अथवा, यदि औरों की अपेक्षा अपने हित और मनोविकारों की परवा करना उसको अधिक मुनासिब हो; तो बात ही दूसरी है। इस दशा में वह निन्दा का पात्र नहीं हो सकता। पहली दशा में, जिस कारण से उसने

दूसरों के हित कि तरफ़ ध्यान न दिया होगा उस कारण के लिए भी उसकी निन्दा करना मुनासिब न होगा । और, निजकी जिन बातों की प्रेरणा से उसने इस तरह की ग़लती की होगी उनके लिए भी उसे निन्दा के रूप में दंड देना उचित न होगा । इसी तरह यदि कोई आदमी अपने निजके बर्ताव से अपनेको किसी ऐसे सार्वजनिक काम करने के अयोग्य कर लेता है, जिसे करना उसका धर्म है, तो वह समाज की दृष्टि में अपराधी, अतएव दंड पाने का पात्र, हो जाता है । शराब पीकर मत्त होने के लिए किसीको सजा देना मुनासिब नहीं । पर यदि पुलिस या फौज का कोई जवान शराब पीकर, सरकारी काम करते समय, मतवाला होजाय तो उसे ज़खर सजा मिलनी चाहिए । सारांश यह कि जिस काम से किसी व्यक्ति या समाज की कोई निश्चित हानि होती है । या हानि होने का निश्चित डर रहता है, वह काम व्यक्ति-विषयक स्वाधीनता की हद के बाहर चला जाता है और क़ानून या नीति की हद के भी-तर आजाता है । अर्थात् ऐसे काम का प्रतिबन्ध क़ानून या नीति के द्वारा होना चाहिए और उसके करनेवाले को क़ानून या नीति के ही द्वारा सजा मिलनी चाहिए ।

परन्तु बहुत से काम ऐसे भी हैं जिनसे न तो कोई सार्वजनिक कर्तव्य बिगड़ता है और न, करनेवाले को छोड़कर, औरें की कोई प्रत्यक्ष हानि ही होती है । इस तरह के बर्ताव से—इस तरह के काम से—यदि भीतर ही भीतर समाज की कोई हानि, अप्रत्यक्ष रीति से, हो जाय तो समाज को चाहिए कि हर आदमी को दी गई स्वाधीनता से होने वाले अधिक हित के विचार से वह उत्तीर्ण

हानि या तकलीफ़ बरदाश्त करे। वयस्क, अर्थात् बालिग़, आदमियों को अपनी रक्षा न करने के लिए—अपने आत्म-सम्बन्धी कर्तव्यों की तरफ़ नज़र न रखने के लिए—यदि दण्ड देने की ज़रूरत ही आपड़े, तो, मेरी राय में, इस तरह का दण्ड उन्हींके फ़ायदे के लिए देना चाहिए। जिन बातों के करने का हक् समाज को नहीं है, अथवा जिन बातों के कराने के विषय में समाज ने अपना हक् नहीं ज़ाहिर किया है, उनको करने के लायक् अपनेको न रखने के बहाने ऐसे आदमियों को सज़ा देना मुनासिब नहीं। पर, सच पूछिए तो मुझे यह दलील ही कुबूल नहीं कि जो लोग भतलब भर के लिए ज्ञान नहीं रखते उनको उचित शिक्षा देकर व्यवहार-सम्बन्धी साधारण सज्जान दशा को पहुँचाने के लिए समाज के पास कोई साधन ही नहीं हैं। अतएव समाज को तब तक ठहरना चाहिए जब तक किसी आदमी से कोई ग़लती न हो। और जब ग़लती नज़र में आजाय तब ग़लती करनेवाले को नीति या कानून की दृष्टि से समाज सज़ा दे। यह भी कोई दलील है? स्वाधीनतापूर्वक व्यवहार करने के योग्य उम्र होने के पहले भी सब आदमियों पर समाज की पूरी सत्ता रहती है। लड़कपन का सारा समय, और लड़कपन और बालिग़ होने के बीच का भी सारा समय, समाज के हाथ में रहता है। फिर, समाज इस दरमियान में क्यों न यह देख ले कि सब लोग बड़े होने पर उचित बर्ताव करने भर के लिए समझदार होंगे या नहीं? वर्तमान समय के आदमी अगली पुश्तवालों की शिक्षा के भी मालिक होते हैं और उनकी सब स्थितियों, अर्थात् अवस्थाओं, के भी मालिक

होते हैं । सदाचरणशीलता और बुद्धिमानी आदि गुणों में आम कल के आदमी सुद ही बहुत पीछे हैं । तब वे किस तरह अगली पुस्तवालों को पूरे तौर पर सदाचारपरायण और बुद्धिमान बना सकेंगे ? फिर यह भी नहीं कि अगली पुस्त को सुशिक्षित करने के लिए वे लोग जो उत्तम से उत्तम प्रयत्न करते हैं हमेशा सफल ही होते हैं । कभी होते हैं, कभी नहीं होते । परन्तु एक बात निःसन्देह है । वह यह कि आज कल जो समाज अपनी सत्ता चला रहा है वह अगली पुस्त को अपने ही बराबर, अथवा अपने से कुछ अधिक, अच्छी करने की शक्ति ज़रूर रखता है । नादान बच्चे आगे की बातों का विचार करके युक्तिपूर्ण बताव करने की शक्ति नहीं रखते । यदि समाज, जिन आदमियों से वह बना है उन में से बहुतों को, अज्ञान बच्चों की तरह बढ़ने दे, अर्थात् शिक्षा के द्वारा उनके ज्ञान को बढ़ाने का यत्न न करे, तो इसमें अपराध किसका है ? सुद समाज ही का न ? अतएव इस दुर्व्यवस्था का फल भी उसी को भोग करना पड़ेगा । लोगों को शिक्षा देने के लिए जितने साधनों की ज़रूरत रहती है वे सब समाज के हाथ में हैं । इतना ही नहीं, किन्तु जो लोग अपने हिताहित का विचार सुद नहीं कर सकते उनके ऊपर हुक्मत करनेवाली रुद, अर्थात् प्रचलित, बातों की सत्ता की ढोरी भी समाज ही के हाथ में रहती है । फिर, जब कोई किसी तरह का दुराचार करता है तब उसकी जान-पहचान वाले उसे निम्दा, निर्भरत्सना, तिरस्कार या विकार के रूप में ज़रूर दण्ड देते हैं, इस स्वामानिक या अनिवार्य दण्ड से वह नहीं बच सकता । यह

दण्ड-दान भी, अपना काम अच्छी तरह करने में, समाज को मदद देता है। इतनी हुकूमत करने पर भी—इतनी सत्ता हाथमें रखने पर भी—यह कहना समाजको हरगिज़ शोभा नहीं देता कि हमें आदमियों की उन खानगी बातों पर हुकूमत करने और अपने हुक्मों की तामील कराने का भी अधिकार मिलना चाहिए। जिनके विषय में, न्याय और नीति के सब तत्त्वों की वृष्टि से, आखिरी निश्चय करना सिर्फ उन्हींके हाथ में होना मुनासिब है जिनको उन बातों का फल भोगना पड़ता है। आदमियों के आचरण को उन्नत करने के और अनेक अच्छे अच्छे साधनों के रहते भी जो लोग बुरे साधनों से काम लेना चाहते हैं वे अच्छे साधनों की उपयोगिता में भी सन्देह पैदा कर देते हैं। इससे बहुत हानि होती है और काम में बाधा आती है। जिन लोगों को समाज बलपूर्वक चतुर और संयमशील बनाने की कोशिश करेगा उनमें से यदि कोई स्वाधीन और उद्धत स्वभाव के होंगे तो वे समाज के इस अधिकार की धुरी को अपने कन्धे से दूर फेंक देने के इरादे से ज़रूर दंगा फ़साद करेंगे। वे लोग इस बात को तो कुबूल करेंगे कि यदि वे दूसरों के कामकाज में दस्तंदाजी करके उन्हें हानि पहुँचावें तो उनका प्रतिबन्ध होना मुनासिब हैं; पर इस बात को वे कभी न कुबूल करेंगे कि अपने निजके कामों में भी अपनेको हानि पहुँचाने का उन्हें अधिकार नहीं है। अतएव यदि उनके निजके काम-काज में कोई दस्तंदाजी करेगा तो वे उस पर हमला करेंगे और जो वह कुछ कराना चाहेगा उसका वे ठीक उल्लङ्घन करेंगे—सो भी बड़े आडम्बर के साथ, चुपचाप नहीं। इस तरह का व्यवहार करना वे लोग तेजस्विता और बहादुरी का लक्षण है।

महोगे । जिस समय इंग्लैण्ड की राजसत्ता ऑलिवर * क्रामवेल के हाथ में थी उस समय प्युरिटन सम्प्रदाय वालों ने धर्मान्व आदमियों की तरह नैतिक बातों में बहुत ही अधिक अनुदारता दिखाई । पर जब क्रामवेल के बाद दूसरा चार्ल्स इंग्लैण्ड का राजा हुआ तब लोगों ने बहुत ही बुरा, अर्थात् अशिष्टता का, बर्ताव करना शुरू किया । दुराचारी और विषयी आदमियों के उदाहरण से समाज की रक्षा करना बहुत जरूरी बात है । जो लोग यह कहते हैं वे बहुत सच कहते हैं । बुरे उदाहरण का फल हमेशा बुरा होता है, और दूसरोंको हानि पहुंचाने वालों को यदि सज़ा न मिले तो उनके उदाहरण का फल और भी बुरा होता है । पर, इस समय जिस तरह के बर्ताव की बात मैं कह रहा हूँ उसके विषय में यह कल्पना करली गई है कि उससे दूसरों की हानि न होकर खुद उस बर्ताव के करनेवाले ही की विशेष हानि होती है । अतएव इस तरह के उदाहरण से

* क्रामवेल इंग्लैण्ड में पारलियामेण्ट का एक सभासद था । वह प्युरिटन सम्प्रदाय का था । सादापन उसे बहुत पसन्द था । उस समय वहाँ का राजा पहला चार्ल्स था । उसका अन्याय लोगों को असत्य हो गया । इससे पारलियामेण्ट के सभासद बिंगड़ खड़े हुए । विंडोह में क्रामवेल ने बड़ी बहादुरी दिखाई । उसकी बहुत प्रसिद्धि हुई । कई लड़ाइयाँ हुईं । राजा हारा । १६४९ ई० में उसे फांसी हुई । तब इंग्लैण्ड में लोक-सत्ताक राज्य स्थापित हुआ और कुछ दिनों में क्रामवेल को रक्षक (Protector) की पदवी मिली । उसके समय में नाच, तमाशा और गाना-बजाना सब प्रायः बन्द था । पर उसके बाद जब दूसरा चार्ल्स गढ़ी पर बैठा तब सब बातें बदल गईं । जो बातें मना थीं वे होने लगीं और दुराचार की सीमा बेहद बढ़ गईं । १६५८ में क्रामवेल का अन्त खुला ।

दूसरों को हानि की अपेक्षा लाभ होने ही की अधिक सम्भावना रहती है। यह बात सहज ही ध्यान में आने लायक है। मैं नहीं आनंदा कि क्यों लोग इस बात को बिलकुल उलटा समझते हैं? क्योंकि जब किसी आदमी के बुरे बर्ताव का उदाहरण औरों को देखने को मिलता है तब उस बर्ताव के दुःखकारक और नीच परिणाम भी उन्हें देखने को मिलते हैं। और, इस तरह के बर्ताव की यदि समाज ने उचित निन्दा की तो इसके बुरे परिणाम ज़खर ही लेगों की नज़र में आते हैं। इसलिए, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जिन बर्तावों को लोग खुद बर्ताव करनेवाले के लिए हानिकर समझते हैं। उन्हें वे दूसरों के लिए किस तरह अपायकारक बतलाते हैं? यदि उन्हें बर्ताव करनेवाले की हानि पर विश्वास है तो उन्हें दूसरों की हानि की सम्भावना अपने दिल से दूर कर देनी चाहिए।

किसी के निजके काम में दस्तावज़ी करना समाज को उचित नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए सब से मज़बूत दलील यह है कि जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। यदि दूसरा आदमी उस में दखल देता है तो उसका दखल देना उच्चीस बिसवे बेजा होता है। सामाजिक नीति के विषय में, अर्थात् उन बातों के विषय में जो दूसरों से सम्बन्ध रखती हैं, वहमत से निश्चित की गई समाज की राय जो दो एक दफे ग़लत होती है तो दस पाच दफे सही भी होती है। क्योंकि ऐसी दशा में समाज को तस्फी अपने ही फ़ायदे का ख़याल रहता है।

अर्थात् उसके सिर्फ़ इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि यदि अमुक बर्ताव करने की स्वतंत्रता लोगों को मिल जायगी तो उससे समाज की हानि होगी या लाभ । परन्तु आत्म-विषयक बातों में, अर्थात् उन बातों के विषय में जिनका सम्बन्ध दूसरों से नहीं है, यदि समाज, बहुमत के बल पर, दस्तावेज़ी करेगा तो उससे भूल होने की उतनी ही सम्भावना है जितनी न होने की है । क्योंकि, इस दशा में, दूसरों के लिए कौन बात अच्छी है और कौन बुरी है, इस पर कुछ आदिमियों की जो राय होगी वही समाज की राय समझी जायगी । समाज की राय का अधिक से अधिक इतना ही अर्थ हो सकेगा । परन्तु बहुत दफ़े समाज की राय का इतना भी अर्थ नहीं होता । क्योंकि सब लोग जिसके बर्ताव की निन्दा करते हैं उसके सुख और सुभीते की वे बिलकुल ही परवा नहीं करते । परवा वे सिर्फ़ अपनी करते हैं । वे सिर्फ़ इस बात को देखते हैं कि अमुक तरह का बर्ताव हमको पसन्द है या नहीं; या उससे हमारा फ़ायदा है या नुकसान । बहुत से आदमी यह समझते हैं कि और लोगों के जो बर्ताव उनको पसन्द नहीं हैं उनसे उनकी ज़रूर हानि होगी । अतएव यदि कोई उस तरह का बर्ताव करता है तो वे, यह समझकर कि इसने हमारे मनोविकारों को चोट पहुँचाई, बेतरह बिगड़ खड़े होते हैं । एक धर्मान्ध आदमी से किसीने पूछा कि क्यों तूने दूसरों के धर्म-सम्बन्धी मनोविकारों की निन्दा करके उनके दिलको दुखाया ? इसे सुनकर उसने कहा कि इन लोगों ने अपने गर्हित धर्म और पूजन-पाठ से भेरे दिल को दुखाया— इसी लिए मैंने ऐसा किया । यही दशा उन लोगों की है जो भिज मनो-

विकार रखने वालों को नहीं देख सकते। पर इन लोगों के ध्यान में यह बात नहीं आती कि निजकी राय के विषय में किसीके जो मनोविकार होते हैं उनमें, और उस राय को बुरा सकारानेवालों के मनोविकारों में ज़रा भी समता नहीं है। दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर है। रूपये की थैली उड़ा लेजाने की इच्छा रखनेवाले चोर के, और उसे बड़ी होशियारी से सन्दूक के भीतर रख छोड़ने की इच्छा रखनेवाले उसके मालिक के, मनोविकारों में जितनी समता होती है उतनी ही समता इस तरह के मनोविकारों में भी होती है। जैसे लोग अपने रूपये पैसे की थैली, या अपनी राय, को कीमती समझते हैं वैसे ही वे अपनी रुचि को भी कीमती समझते हैं। जिस तरह उन्हें अपनी थैली, या राय की परवा रहती है उसी तरह उन्हें अपनी रुचि की भी परवा रहती है। यहां पर शायद कोई यह कहे कि निज से सम्बन्ध रखनेवाली जिनें बातों के अच्छे या बुरे होने का निश्चय नहीं हुआ है उन्हें करने के लिए समाज यदि हर आदमी को स्वतंत्रता देदे, और जो बर्ताव या जो आचरण सब लोगों के तजरुबे से बुरे साबित हैं उन्हें करने से यदि वह मना कर दे, तो हानि क्या है? पर इस, तरह के नमूनेदार उत्तम समाज की कल्पना करना जितना सहज है उतना उसे ढूँढ़ निकालना या बना लेना सहज नहीं है। आज तक क्या किसीने इस तरह का कोई समाज देखा है जिसने सामाजिक-नियम-सम्बन्धी अपने अधिकार का पूर्वोक्त रीति से प्रतिबन्ध किया हो? यह जाने दीजिए, सब लोगों के तजरुबे की परवा करनेवाले समाज का ही क्या कहीं पता है? समाज सब लोगों के तजरुबे की परवा करता क्या

है ? आदमियों के निज के सम्बन्ध-समाज में दस्तावेज़ी करते समय समाज को मालूम होता है कि उसके बिल्लद वर्ताव करना या जैसा आचरण उसे प्रसन्न नहीं है वैसा आचरण करना, मानो और पाप है । इसके सिवा और कोई विचार समाज के मन में नहीं आता । जितने तत्त्वज्ञानी और जितने नीति-शास्त्र के उपदेशक हैं उनमें से सैकड़ा नब्बे हेर-फेर कर यहीं बात कहते हैं । इस मत को उन्होंने ने तत्त्वविद्या और धर्मशास्त्र की आज्ञा के नाम से सब लोगों के सामने रखा है । उनके उपदेश देने की रीति विलक्षण है । यदि उनसे कोई पूछता है कि आपः अमुक बात को क्यों अच्छा समझते हैं, तो उसका जबाब वे यह देते हैं कि हम उसे इस लिए अच्छा समझते हैं क्योंकि वह अच्छी है, अथवा वह हमें अच्छी मालूम होती है । ऐसे लोग हमसे कहते हैं कि आचरण-प्रस्तुती नियमों को, जो तुम्हारे भी काम के हों और दूसरोंके भी, तुम अपने ही मन से ढूँढ़ निकालो; उनका पता तुम अपने ही अन्तःकरण के भीतर लगाओ । इस तरह के उपदेशों के अनुसार जो भली या बुरी बातें समाज को प्रसन्न आती हैं, उन्हींको वह, बहुमत के आधार पर, दुनिया भर के ऊपर लादता है । इसके सिवा वह बेचारा और कर ही क्या सकता है ?

इस अनिष्ट को कल्पना न समझिए । यह न समझिए कि यह हानिकारक रीति कहने ही भर को है । कोई शायद मुझ से यह उम्मेद करे कि मैं उदाहरणपूर्वक इस बात को सिद्ध करूँ कि आज कल भी इस देश में समाज ने अपनी ही प्रसन्न के अनुसार नैतिक नियम बनाये हैं । शायद लोग कहें कि पुराने जमाने में यह

बात होती रही होगी; पर अब नहीं होती। और यदि आप समझते हैं कि अब भी होती है तो उदाहरण दीजिए। इसका जबाब यह है कि इस समय नीति के जो नियम ज़ारी हैं उनके दोष दिखलाने के इरादे से मैं यह लेख नहीं लिख रहा हूँ। वह बहुत बड़ा विषय है। इस लेख के बाच, उदाहरण के रूप में, उसका विचार नहीं हो सकता। पर उदाहरणों की ज़रूरत है। इसमें कोई सन्देह नहीं। क्योंकि उदाहरण देने से लोगों को यह बात अच्छी तरह मालूम हो जायगी कि जिस नियम को सिद्ध करने के लिए मैं इतना बखेड़ा कर रहा हूँ वह बहुत बड़े व्यावहारिक महत्व का है। वह काल्पनिक नहीं है। यह नहीं कि लोगों को कल्पित बुराइयों से बचाने के बहाने मैं झूठ मूठ पाखंड रच रहा हूँ। जिन बातों में अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करने के लिए हर अदमी को बिना किसी विवाद के स्वाधीनता मिलनी चाहिए। उन बातों को भी नीतिरूपी शुल्षिकी की दह के भीतर कर देने की तरफ आज कल लोगों की ग्रवृत्ति बहुत ही अधिक बढ़ रही है। यह बात, एक नहीं, अनेक उदाहरण देकर साचित की जा सकती है।

अच्छा, पहला उदाहरण लीजिए। जिन लोगों के धार्मिक विचार दूसरी तरह के हैं, अर्थात् जो परधर्मी हैं, वे और लोगों से घृणा करते हैं। क्यों? इस लिए कि और लोग उनके ऐसे धार्मिक व्यवहार, विशेष करके उनके आहार-विहार से सम्बन्ध रखनेवाले नियमों का पालन, नहीं करते। बस, इसी कारण वे औरों से द्वेष करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। क्रिश्चियन लोग सुअर का मांस खाते हैं; पर मुसलमान सुअर का मांस खाना बहुत ही बुरा समझते हैं।

अतएव, इस कारण, मुसलमान लोग क्रिश्चियनों से जितना द्वेष करते हैं उतना उनके और किसी धार्मिक मत या आचार-विचार के कारण नहीं करते । सुअर खाकर भूख शान्त करने की रीति पह मुसलमानों को जितनी धृणा है उतनी धृणा क्रिश्चियन लोगों की और किसी बात पर नहीं है । सुअर खाना मुसलमानों के धर्म के विरुद्ध है । परन्तु यह बात साफ़ साफ़ समझ में नहीं आती कि सुअर खाना धर्म-विरुद्ध होने ही के कारण मुसलमानों को उससे इस तरह की और इतनी धृणा क्यों होनी चाहिए ? शाराब पीना भी मुल्लमानों के धर्म के विरुद्ध है । धर्म की दृष्टि से वह भी निषिद्ध है । शाराब पीना मुसलमान पाप ज़रूर समझते हैं, पर किसीको उसे पीते देख उन्हें धृणा नहीं होती । सुअर एक मैला जानवर है । उससे मुसलमानों को जो धृणा होती है वह एक विशेष प्रकार की है । वह स्वाभाविक सी हो गई है वह उसके मैलेपन के कारण आप ही आप पैदा हो गई है । जब किसी चीज़ के मैलेपन की बात मन में अच्छी तरह जम जाती है तब उससे उन लोगों को भी धृणा होती है जिनको और बातें में सफाई का बहुत कम ख़्याल रहता है । हिन्दुओं में छुवाछूत का जो इतना अधिक विचार है वह इस बात का याद रखने लायक उदाहरण है । अच्छा, अच, मान लीजिए कि किसी देश में मुसलमान अधिक हैं और उन्होंने बहुमत के ज़ोर पर यह नियम कर दिया कि कोई आदमी सुअर का मांस न खाय । मुसलमानी देशों के लिए यह कोई नहीं बात नहीं । तो समाज के मत की प्रबलता का ऐसा नैतिक उपयोग क्या उचित होगा ? और, यदि, न उचित होगा तो क्यों न होगा ? सुअर

साना सचमुच ही घृणित करत है। फिर, मुसल्मानों को इस बात पर विश्वास है कि ईश्वर की आज्ञा उसे न साने की है। उससे सुदूर ईश्वर को भी घृणा है। फिर, इस तरह के निषेध का यह भी अर्थ नहीं हो सकता कि लोगों के धर्म-विषयक विश्वासों पर आधात हुआ—उनमें दस्तांदाज़ी हुई—उनके लिए लोग सताये गये। अतएव इस तरह का निषेध करनेवालों को निंदा या निर्भर्त्सना के रूप में सजा भी नहीं दी जा सकती। जब पहले पहल इस निषेध का प्रारम्भ हुआ होगा तब शायद धर्म के ही कारण हुआ होगा। पर इस निषेध के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कारण लोगों के धर्म में व्यर्थ दस्तांदाज़ी हुई, या लोग व्यर्थ सताये गये; क्योंकि यह बात किसी के धर्म में नहीं लिखी कि सुअर का मास साना कोई धार्मिक काम है। अतएव इस प्रकार के निषेध की निंदा करने या उसकी आवश्यकता बतलाने का सब से प्रबल आधार सिफ़र यह है कि समाज को लोगों की निज की बातों और लंबि या अलंबि में हाथ डालने का बिलकुल अधिकार नहीं।

अच्छा, अब दूसरा उदाहरण लीजिए। यह इस देश के बहुत पास का है। स्पेन में अधिक हिस्सा ऐसे ही लोगों का है जो यह समझते हैं कि रोमन कैथलिक सम्प्रदाय में कहे गये तरीके को छोड़ कर और किसी तरीके से ईश्वर की पूजा करना घोर पाप है। यही नहीं, वे यह भी समझते हैं कि ईश्वर को कोध भी आता है और बहुत अधिक कोध आता है। इससे स्पेन की हद के भीतर किसी और तरह से ईश्वर की आराधना करना कानून के स्लिलाफ़ है।

योरप के दक्षिण में यदि कोई धर्मोपदेशक, अर्थात् पादरी, विवाह कर लेता है तो लोग उसे बेधर्म अथवा धर्मभ्रष्ट ही नहीं समझते; वे उसे कामुक, निर्लज्ज, बीमत्स और वृणित भी समझते हैं । सचे दिल से इस तरह के मनोविकारों को ज़ाहिर करने, और दूसरे सम्प्रदायवालों को भी अपना ही सा बनाने के लिए रोमन कैथलिक लोग जो इतनी स्थृतपट करते हैं उसे देख कर प्राटेस्टण्ट लोगों को क्या मालूम होता है । पर जिन बातों से दूसरों का बिलकुल ही सम्बन्ध नहीं है उनमें दस्तन्दाज़ी करके यदि लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेना या उसमें बाधा डालना, उचित समझेंगे तो जो उदाहरण मैंने यहां पर दिये उनको किस नियम या किस तत्त्व के आधार पर अनुचित, असंगत या युक्ति-हीन साबित करेंगे? अथवा जिस बात को लोग, ईश्वर और आदमी दोनों की दृष्टि में, कलङ्क समझते हैं उसे यदि वे रोकने की चेष्टा करें तो किस तरह वे दोषी ठहराये जा सकेंगे? ये बातें जिन लोगों को धर्म-विस्तृद्ध मालूम होती हैं उन लोगों के पक्ष में अपनी समझके अनुसार इनको रोकने के जितने सबल कारण हैं, उतने सबल कारण और किसी आत्म-सम्बन्धी दुराचार को रोकेने के पक्ष में नहीं दिये जा सकते । सामाजिक और धार्मिक बातों में जो लोग दूसरों को बिना कारण सताते हैं उनकी दलीलें सुनने लायक हैं । वे कहते हैं कि “हम जो कुछ कहते हैं वह सच है; इस लिए दूसरों को सताना हमें मुनासिब है । पर दूसरे जो कुछ कहते हैं वह झूठ है; इस लिए हम को सताना उन्हें मुनासिब नहीं” । वेक्षयदा उपद्रव करनेवालों की इन विलक्षण दलीलों को—उनके इस अद्भुत तर्कशास्त्र को—पस-

न्द करने में जो लोग सुशा न हों उनको चाहिए कि जिस नियम के प्रयोग को वे अपने लिए महा अन्यायकारक समझते हैं उसी नियम के प्रयोग को दूसरों के लिए उचित और न्यायसंगत कुबूल करने में वे ज़रा आगा पीछा सोच लें।

जो उदाहरण मैंने ऊपर दिये उनको लोग शायद मंजूर न करेंगे। वे शायद कहेंगे कि हम लोगों अर्थात् अंगरेज़ों के समाज की स्थिति ऐसी नहीं है कि इस तरह की बातें यहां हो सकें। यहां बहुपत के ज़ोर पर समाज मांस खाने या न खाने के विषय में बहुधा कोई प्रतिबंध न करेगा; चाहे जो जैसा भजन-पूजन करे उसमें समाज हाथ न डालेगा; और अपनी अपनी इच्छा या धर्मवृत्ति के अनुसार विवाह करने या न करने के विषय में समाज कोई नियम न बनावेगा। यह आक्षेप स्यौक्तिक नहीं है। इसे मैं नहीं मान सकता। पर मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। इस उदाहरण में आदमियों की स्वाधीनता में जिस तरह की दस्तावेज़ी की गई है उस तरह की दस्तावेज़ी होने का अब भी डर है। निश्चयपूर्वक कोई यह नहीं कह सकता कि वैसी दस्तावेज़ी अब कभी न होगी। क्रामवेल के समय में प्रजासत्तात्मक राज्य स्थापित होने पर प्युरिटन लोगों का जैसा दौरदौरा ब्रेटब्रिटन में था वैसा ही, इस समय, अमेरिका के न्यू इंग्लैण्ड नामक सूबे में है। जहां जहां इन लोगों की प्रभुता हुई है। वहां वहां इन्होंने सारे सामाजिक और बहुत करके खानगी दिलबहलाव के काम बन्द करने का यज्ञ किया है। इसमें इन्हें बहुत कुछ कामयाबी भी हुई। सेल, लमाशी, मेले, नाटक, गाना, और बजाना हस्त्यादि इन लोगों की हाणि में

बहुत निषिद्ध काम हैं । इस देश में इस समय भी बहुत से आदमी ऐसे हैं जो इन बातों को बिलकुल ही नहीं प्रसंद करते । भीति और धर्म के विचार से वे इन्हें बहुत बुरा समझते हैं । ऐसे आदमी विशेष करके मझले दरजे के आदमियों में से हैं । और, इसी दरजे के आदमी, इस समय, इस देश की सामाजिक और राजनैतिक बातों के सूत्र को अपने हाथ में लिये हैं । इस समय वहां इन्हींकी श्रब्लता है । अतएव यह बात असम्भव नहीं कि किसी दिन इसी तरह के आदमियों की संख्या पार्लिमेण्ट में बढ़ जाय । ऐसा होने-से बिकट धर्माभिमानी कालविनिस्ट * और मेथाडिस्ट + लोगों के धार्मिक और नैतिक मतों के अनुसार यदि ऐसे कानून बनाये जाय कि किस तरह के खेल, तमाशे और नाटक इत्यादि लोग करें और किस तरह के न करें तो और लोगों को यह बात कहां तक प्रसन्न होगी ? बिना अनुमति के दूसरों की खानगी बातों में दस्तंदाज़ी करनेवाले इन पवित्र पुरुषों से, इस दशा में, क्या लोग यह साफ़ साफ़ न कह देंगे कि आप अपना अपना काम देखिए, आपको हमारी निज की बातों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं ? जिस समाज या जिस गवर्नरेण्ट—अर्थात् राजसत्ता—का यह मत है

* कालविन का जिक्र एक जगह पहले आचुका है । जो लोग उसके पन्थ के अनुयायी हैं वे कालविनिस्ट कहलते हैं ।

+ मेथाडिस्ट भी एक पन्थ का नाम है । अठारहवें शतक के आरम्भ में इसकी स्थापना हुई । वेस्ले नाम के दो भाई थे । उन्होंने इस पन्थ को चलाया । उनका यह मत था कि आदमी को अपने आचरण का मेथड (तरीका) धर्मानुकूल रखना चाहिये । इसी मेथड (Method) शब्द के कारण इस पन्थ का नाम मेथाडिस्ट (Methodist) हुआ ।

कि जिस तरह के दिलबहलाव के काम उसको बुरे लोंगे उस तरह के कोई न करे, उसे ऐसा ही जबाब देना चाहिए। पर इस तरह के अनुचित और अन्याय-पूर्ण नियम यदि एक बार कुबूल कर लिये जायेंगे, तो किसी प्रबल पक्ष या किसी और ही सत्ताधारी की राय के अनुसार ऐसे नियमों का दुरुपयोग होने पर लोगों को उसके स्विल्फ कुछ कहने को बहुत कम जगह रहेगी। योग्य रीति से वे उसका प्रतिवाद न कर सकेंगे—वे उसके प्रतिकूल युक्ति पूर्ण आसेप न ला सकेंगे। किसी नियम को कुबूल करके उसके प्रयोग—उसकी योजना—के प्रतिकूल कोई कुछ नहीं कह सकता; और यदि कहे भी तो उसकी बात पर लोग ध्यान नहीं देते। ऐसे भी धर्म हैं जिनको हम लोगों ने क्षीण समझ लिया था—अर्थात् जिनके विषय में हमारा यह स्वयाल था कि थोड़े ही समय में वे बिलकुल नष्ट हो जायेंगे। पर ऐसे धर्मों में कई धर्म: नष्ट तो हुए नहीं, उल्टा ज़ोर पकड़ गये हैं। इस बात के उदाहरण मौजूद हैं। न्यू इंशैण्ड की तरफ़ देखिए। वहां जाकर पहले पहल जो लोग रहे उनके धार्मिक विचारों के अनुसार, अर्थात् उनका जो पन्थ है उसीका ऐसा, यदि कोई पन्थ हमारे देश में फिर उठ सड़ा हो तो किश्चियनों के प्रजासत्तात्मक राज्य के विषय में न्यू-इंशैण्ड वालों के जो विचार हैं उनको कुबूल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा।

उदाहरण के तौर पर एक और कल्पना कीजिए। यह कल्पना पहली कल्पना की अपेक्षा अधिक सम्भवनीय है। अर्थात् इस दूसरी कल्पना के सच होने की सम्भावना अधिक है। आज कल

लोगों का यह स्थाल दिनों दिन ज़ोर पकड़ता जाता है कि समाज की रचना या बनावट सब लोगों की सम्मति से होनी चाहिए । मतलब यह कि समाज लोकसम्मत हो; फिर चाहे उसके साथ राज्यव्यवस्था लोकसम्मत हो चाहे न हो । जहां पर यह बात पूरे तौर पर पाई जाती है ऐसा देश अमेरिका है । वहां राज्यव्यवस्था भी लोकसम्मत है और समाज भी लोकसम्मत है । लोग विश्वासपूर्वक कहते हैं कि यदि वहां कोई बहुत अधिक अमीरी ठाठ से रहता है—यहां तक अधिक कि कोई उसकी बराबरी न कर सके—तो लोगों को बहुत बुरा लगता है और वे उसे उस हालत में देखना बरदाश्त नहीं कर सकते । उन लोगों के इस तरह के मनोविकारों का असर वैसा ही होता है जैसा कि स्वर्च के विषय में बने हुए किसी कानून का असर होता हो । कहीं कहीं तो यहां तक नौबत पहुँची है कि जिन लोगों की आमद बहुत अधिक है, अर्थात् जो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, वे इस मुश्किल में पड़े हैं कि किस तरह वे अपने रूपये को स्वर्च करें जिसमें रूपया भी अच्छे काम में लगे और लोग नाशुशा भी न हों । इस वर्णन में—इस बात में—अतिशयोक्ति हो सकती है । इस में सन्देह नहीं कि लोगों ने बात को बहुत बढ़ा दिया है; परन्तु जहां सभी बातों को लोकसम्मत करने की तरफ लोगों की प्रवृत्ति बेतरह बढ़ रही है; जहां लोग यह चाहते हैं कि सब तरह के अधिकार लोकसम्मति पर ही अवलम्बित रहें; जहां यह कल्पना दिनोंदिन बढ़ती जाती है कि हर आदमी को; खुद उसकी भी आमदनी के स्वर्च करने का तरीका बतलाना समाज का काम है—वहां इस तरह की बातें का होना सम्भव और समझ में आने लायक ही नहीं; किन्तु बहुत

अच्छी तरह होने लायक है। योरप में कोई दो सौ वर्ष से एक नया पन्थ निकला है। इस पन्थ के अनुयायियों का नाम सोशियालिस्ट है। इनका सिद्धान्त यह है कि संसार में जो कुछ है उस पर सब का बराबर हक्क है। ये लोग अमीर, गृहीब और राजा, प्रजा सबको एक सा कर देना चाहते हैं। इन लोगों के पन्थ की दिनोंदिन बढ़ती हो रही है। यदि वह इसी तरह होती रही तो, कुछ दिन बाद, बहुत आदमियों की नज़र में, कुछ थोड़े से रुपये की अपेक्षा अधिक धनवान होना या हाथ से कमाकर प्राप्त की हुई सम्पत्ति के सिवा और किसी तरह की सम्पत्ति का उपभोग करना, बहुत बड़े कलंक या अपयश की बात होगी। हाथ से काम करनेवाले आदमियों में इस तरह के ख़्यालात अभी से खूब फैल रहे हैं; और जो लोग कारीगर हैं, अर्थात् जो इन्हीं का ऐसा व्यवसाय करते हैं, उन पर ऐसे ख़्यालात ने जुल्म भी करना शुरू कर दिया है। यह बात सब को मालूम है कि सब तरह के व्यवसायों में अधिक हिस्सा ऐसे ही कारीगरों, अर्थात् हाथ से काम करनेवालों, का है जो अच्छा काम करना नहीं जानते। पर इन लोगों का सचमुच ही यह ख़्याल है कि इन को भी उतनी ही मज़दूरी मिलनी चाहिए जितनी कि अच्छे कारीगरों को मिलती है। इन लोगों के ख़्याल ने यहां तक दौर मारी है कि अलग अलग छोटे छोटे काम करके, या और किसी तरह से; अधिक होशियारी या मेहनत के द्वारा यदि कोई कारी गर औरंगे से अधिक रुपया पैदा करने लगे तो उसे पैदा करने से रोकना चाहिए। बात यहीं तक नहीं रही; इससे भी आगे बढ़ी है। अधिक अच्छा काम करने के बदले में यदि कोई आदमी किसी

कारीगर को अधिक मज़दूरी देने लगा, या कोई अच्छा कारीगर उसे लेने लगा, तो ऐसा करने से रोकने के लिए, अपशब्दरूपी पुलिस से काम लिया जाता है । यदि इससे भी मतलब न निकलता तो कभी कभी मारपीट तक की नौबत आती है । यदि यह मान लिया जाय कि सब लोगों की ख़ानगी बातों में भी दस्तावेज़ी करने का अधिकार समाज को है तो, मैं नहीं जानता, ये गाली देनेवाले और मारपीट करनेवाले कारीगर किस तरह अपराधी ठहराये जा सकते हैं ? जो अधिकार सारा समाज सब लोगों पर, सामान्य रीति से, रख सकता है उसी अधिकार को कोई विशेष प्रकार का समाज यदि अपने वर्ग के किसी अंश पर रखने की कोशिश करे तो वह दोषी क्यों कर हो सकता है ?

पर इस तरह के काल्पित उदाहरण देने की ज़रूरत ही नहीं है, इस समय, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लोगों की ख़ानगी बातों से सम्बन्ध रखनेवाली स्वाधीनता कहाँ तक छीनी जा रही है । यही नहीं, किन्तु, धीरे धीरे, इससे भी अधिक जुल्म होने का डर है । आज कल इस तरह की राय कायम होने का ढंग देख पड़ रहा है कि आदमियों के बर्ताव में समाज को जो बातें बुरी मालूम हों उनको कानून के द्वारा बन्द कर देने ही भर का अख़तियार उसे न होना चाहिए, किन्तु उन बुरी बातों को ढूढ़ निकालने के लिए जिन बातों को समाज खुद भी निर्दोष समझता है, उनको भी बंद कर देने का अख़तियार उसे होना चाहिए । इस अख़तियार का कहीं ठिकाना है ? इस अधिकार की कहीं सीमा है ?

बहुत अधिक शराब पीने की आदत को रोकने के बहाने अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में रहनेवाली प्रायः आधी प्रजा और अंगरेजों की एक नई वस्ती में रहनेवाली सारी प्रजा को कानून के द्वारा मनाई कर दी गई कि जितनी उन्मादकारक, अर्थात् नशा लानेवाली, पीने की चीजें हैं उनका उपयोग, दवा के सिवा और किसी काम में, बिलकुल ही न करें। मनाई, शराब बेचने की की गई; पर बेचने की मनाई करना मानो पीने की मनाई करना है। इस कानून का मतलब ही यही है। यूनाइटेड स्टेट्स की जिन रियासतों में यह कानून जारी हुआ था उनमें से कई में यह रद् कर दिया गया है। यहां तक कि जिस रियासत के नाम से यह कानून बना था उसमें भी यह रद् हो गया है। यह इस लिए हुआ कि इस कानून के अनुसार काररवाई होने में बड़ी बड़ी कठिनाई आने लगी। पर इन बातों को जानकर भी इस देश, अर्थात् इंग्लैण्ड, में यह प्रयत्न हो रहा है कि इस तरह का कानून यहां भी जारी किया जाय। इस लिए बहुत से आदमी, जो अपनेको स्वदेश-वत्सल या देशहितैषी कहते हैं, बड़े उत्साह के साथ खटपट कर रहे हैं। इस काम के लिए इन लोगों ने एक समाज, सम्मेलन या मेला जारी किया है। इस मेले के मंत्री ने लार्ड स्टानले से, इस विषय में, जो पञ्चन्यवहार किया उसके प्रकाशित हो जाने से इस मेले की खूब प्रसिद्धि हो गई है। अंगरेजों के समाज में बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि राजनीति-विशारद आदमियों को चाहिए कि वे अपनी राय हमेशा नियमानुसार कायम करें। लार्ड स्टानले इसी तरह के नीतिनिष्ठुण आदमियों में से हैं। राजकीय काम

करनेवालों में जो गुण बहुत कम पाये जाते हैं वे लार्ड स्टानले में भी
हुत कुछ हैं । जो लोग इस बात को जानते हैं उनको, पूर्वोक्त पञ्च-
व्यवहार के सम्बन्ध में दिये गये लार्ड स्टानले के अभिप्राय के आ-
धार पर, यह आशा हेने लायी है कि इस मद्यपान-निवारक समाज-
की, किसी न किसी दिन, ज़रूर जीत होगी । इस समाज के मन्त्री
कहते हैं कि—“ समाज के मत ऐसे नहीं हैं जिनसे किसीको कुछ
भी तकलीफ़ पहुँचे या जिनके कारण समाज बिना समझे बूझे अपनी
बात का आग्रह करे । यदि कोई ऐसा समझे तो समाज को बहुत अ-
फ़सोस होगा” । आप कहते हैं कि इस तरह के प्रजापीड़क नियमों
और समाज के नियमों में बड़ा अन्तर है । दोनों के बीच में अन्तर-रू-
पिणी एक इतनी चौड़ी खाई है कि मद्यपान निवारक समाज उसका
उल्लंघन ही नहीं कर सकता है । आप और भी कुछ कहते हैं:—“ वि-
चार, राय और अन्तःकरण से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं
सब कानून की हद के बाहर की हैं । अर्थात् उनका नियमन
कानून के द्वारा न होना चाहिए । और सामाजिक बर्ताव,
सामाजिक स्वभाव या आदत, और सामाजिक नातेदारी से
सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें हैं वे कानून की हद के भीतर हैं ।
अतएव उनके विषय में कानून बनाना या न बनाना गवर्नमेण्ट की
मरज़ी पर मुनहसिर है । ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनको करने या न
करने का निश्चय हर आदमी की मरज़ी पर छोड़ दिया जाय ” । पर
मंत्री जी की इस उक्ति में व्यक्ति-विषयक बर्ताव और आदतों का
ज़िक्र नहीं है । आपने दो तरह की बातों पर तो अपनी राय ज़ाहिर
की, पर तीसरी तरह की बातों को आप बिल्कुल ही भूल गये ।

जीसरे प्रकार की बातें मंत्री जी की दोनों प्रकार की बातों से बिलकुल ही जुदा हैं। ये उनमें शामिल नहीं हो सकतीं। ये बातें सामाजिक नहीं, किन्तु व्यक्ति-विषयक हैं; क्योंकि व्यक्ति ही से उनका सम्बन्ध है। और, शराब पीने की आदत इसी तीसरे प्रकार की बातों के अन्तर्गत है। इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है। यह सच है कि शराब बेचने की गिनती व्यापार में है और व्यापार करना एक सामाजिक व्यवसाय है। पर जिस प्रतिबन्ध के प्रसंग में मैं लिख रहा हूँ वह प्रतिबन्ध बेचने के विषय का नहीं है पीने के विषय का है। बेचने की मनाई समाज कर सकता है; पर पीने की नहीं। समाज या गवर्नमेण्ट यदि चाहे तो शराब बेचने के विषय में बेचनेवाले की स्वाधीनता छीन ले सकती है। मैं उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कहता। पर शराब मोल लेने और उसे पीनेवाले की स्वाधीनता को समाज या गवर्नमेण्ट नहीं छीन ले सकता। और, यहां पर, शराब बेचना बन्द कर देना मानो उसका पीना बन्द कर देना है। इसलिए इस तरह का प्रतिबन्ध अनुचित है। यदि गवर्नमेण्ट इस मतलब से शराब की बिक्री बन्द कर दे कि उसे कोई न बेचे तो वह साफ़ साफ़ लोगों से यही क्यों न कह दे कि तुम लोग शराब मत पियो। क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। इस बात का उत्तर मंत्री जी इस तरह देते हैं—“मैं नागरिक हूँ—अर्थात् नगर (समाज) में रहनेवाले आदमियों में से मैं भी एक हूँ। इसलिए मैं भी सामाजिक हक़ रखता हूँ। यदि किसी आदमी के सामाजिक वर्ताव से मेरे सामाजिक हक़ मारे जायें, तो नागरिक होने के आधार पर, मैं उस वर्ताव के बन्द करने के लिए कानून बनाने का हक़ रखता हूँ”।

अब आपके “ सामाजिक हक् ” की परिभाषा सुनिए । “ यदि किसी बात से मेरे सामाजिक हक् में बाधा आती हो तो अत्यन्त नशीली शराब की विक्री से ज़रूर आती है । समाज में रहकर मेरा मुख्य हक् रक्षा अर्थात् हिफ़ाज़त है । मुझे इस बात का हक् है कि मैं समाज से अपनी हिफ़ाज़त कराऊं और समाज को मुनासिब है कि वह मेरी हिफ़ाज़त करे । पर शराब की विक्री से समाज में अक्सर अव्यवस्था पैदा होती है और उस अव्यवस्था को उत्तेजना मिलती है । इससे मेरी सुरक्षिता, मेरी हिफ़ाज़त, जाती रहती है । जितने सामाजिक हक् हैं, सब लोगों के लिए बराबर होने चाहिए । अर्थात् सब लोग सामाजिक बातों के बराबर हक्दार हैं—उनसे सबको बराबर फ़ायदा होना चाहिए । शराब का व्यापार मेरे इस बराबरी के हक् में भी बाधा डालता है, क्योंकि, समाज में दुर्गति पैदा करके वह उससे खुद तो फ़ायदा उठाता है; पर दुर्गति या दुर्दशा में पड़े हुए आदमियों की परवरिश के लिए मुझे अधिक कर देना पड़ता है । मुझे इस बात का भी हक् है कि मैं अपनी नैतिक और बुद्धिविषयक बातों में, जहां तक चाहूं, उच्चाति करूं । पर शराब का रोज़ग़ार मेरे इस हक् में भी बाधा डालता है । क्योंकि उससे समाज की नीति या सदाचरणशीलता कम हो जाती है अथवा बिल्कुल ही बिगड़ जाती है । इससे मैं स्व-तंत्रता-पूर्वक औरों की सङ्झति नहीं कर सकता और बिना सङ्झति के जो फ़ायदे मुझे उनके पास बैठने से होने चाहिए वे नहीं होते, यद्यपि उन फ़ायदों के उठाने का मुझे पूरा हक् है । शराब की विक्री के कारण मुझे इस बात का हमेशा डर लगा रहता है

कि जिनका सहवास में करता हूँ वे कहीं शराबी तो नहीं हैं; उन की संगति से कहीं मैं भी तो शराबी न हो जाऊंगा और कहीं मेरा भी आचरण तो न खुराब हो जायगा ”। खूब ? इस तरह के सामाजिक हक्कों की कल्पना, आज तक, शायद ही किसी ने ऐसे साफ़ शब्दों में ज़ाहिर की हो। इससे यही अर्थ निकलता है कि हर आदमी जिस बात को वह अपना कर्तव्य समझता है उसे, एक एक करके बाकी के सब आदमियों से, अपनी समझ के अनुसार, ठीक ठीक करा लेने का पूरा हक़दार है। अतएव वह कह सकता है कि जिस आदमी ने इस तरह के कर्तव्य-पालन में ज़रा भी ग़लती की उसने मेरे सामाजिक हक़ में बाधा डाली। इससे उसको दूर करने के लिए कानून बनवाने का मुझे पूरा अधिकार है। स्वाधीनता से सम्बन्ध रखनेवाली किसी एक आध बात में दस्तान्दाज़ी की अपेक्षा यह राससी सिद्धान्त—यह अनोखा नियम—बहुत ही अधिक भयङ्कर है। यह सिद्धान्त ऐसा है कि इसके आधार पर कोई स्वाधीनता का चाहे जितना, और चाहे जैसा उल्लंघन करे वह सभी न्यायसङ्गत माना जा सकेगा। इस सिद्धान्त के अनुयायियों को स्वाधीनता-सम्बन्धी एक भी हक़ कुबूल नहीं। हाँ, किसी राय को ज़ाहिर न करके उसे मन ही में रखने का हक़ शायद इनके इस अनूठे सिद्धान्त के पञ्जे से बचे तो बचे। क्योंकि ज्यों ही कोई राय किसी के मुँह से निकलेगी त्यों ही लोग, इस सिद्धान्त के आधार पर, फौरन ही कह उठेंगे कि हमारे सारे सामाजिक हक्कों पर हमला हुआ। इस महा विलक्षण सिद्धान्त से यह भी अर्थ निकलता है कि मनुष्य मात्र को हर आदमी की नैतिक, मानसिक और

शारीरिक उचित तक में दस्तंदाज़ी करने का अधिकार है; और हर आदमी को—हर हक़दार को—अपनी अपनी तबीयत के अनुसार अपने अपने अधिकार का लक्षण बतलाने का भी हक़ है ।

लोगों की उचित स्वतंत्रता में अनुचित रीति पर दस्तंदाज़ी करने का एक और उदाहरण सुनिए । यह उदाहरण ऐसा वैसा नहीं है—बड़े महत्व का है । यह रविवार-सम्बन्धी कानून है । इसके जारी करने का सिर्फ़ डर ही नहीं दिखाया गया; यह बहुत दिनों से जारी भी है; और इसके जारी होने में समाज अपनी बहुत बड़ी जीत भी समझता है । यदि सांसारिक जीवन-यात्रा में किसी तरह का विघ्न न आता हो तो सब काम छोड़ कर हफ्ते में एक दिन आ-राम करने की, यद्यपि यहूदियों के धर्म को छोड़ कर और किसी धर्म की आज्ञा नहीं—अर्थात् यद्यपि धर्मसम्बन्धी इस तरह का कोई स्मृतिवाक्य नहीं है—तथापि यह रीति बहुत लाभदायक है । इसमें कोई सन्देह नहीं । पर जितने श्रमजीवी हैं—जितने आदमी मेहनतमज़दूरी करके अपना पेट पालते हैं—वे जब तक इस कायदे की पाबन्दी न करेंगे तब तक यह अमल में नहीं आ सकता । अतएव इत्तराव के दिन, और लोग, अपना काम काज जारी रखकर मेहनत-मज़दूरी करनेवालों का नुक़सान न करें, और उनको भी इत्तराव की परवा न करके, अपना अपना व्यवसाय करते रहने को विवश न करें—इस इरादे से ऐसा कानून जारी करना उचित और न्यायसङ्गत हो सकता है । पर इसमें एक बात है । वह यह कि दूसरों के द्वारा इस रीति के अनुसार काम किये जाने में हर आदमी का प्रत्यक्ष फ़ायदा है; अतएव इस तरह का कानून बनाना यथार्थि

न्याय्य होगा; तथापि यदि किसी को कोई विशेष प्रकार का उद्योग प्रसन्न हो, और उसे वह इतवार के दिन करना चाहे, तो उसे वैसा करने से रोकना हरगिज न्याय्य न होगा। और, दिलबहलाव की बातों को कानून के द्वारा रोक देना तो बिलकुल ही न्याय्य न होगा। ऐसी बातों में थोड़ा भी प्रतिबन्ध करना अन्याय होगा। यह सच है कि कुछ आदमियों के दिलबहलाव के लिए औरों को, उस दिन, काम करना पड़ता है। पर यदि थोड़े से आदमियों ने खुशी से काम करना कुबूल किया; और उनको उनकी इच्छा के अनुसार काम छोड़ने की अनुमति हुई; तो बहुत आदमियों के आराम के लिए, इतवार के दिन, थोड़े आदमियों को काम करना मुनासिब है। यदि दिलबहलाव के काम उपयोगी हैं तो बहुत आदमियों के लाभ के लिए थोड़े आदमियों को काम करना और भी मुनासिब है। जो कामकाजी आदमी कहते हैं कि यदि इतवार के दिन सभी लोग काम करेंगे तो ६ दिन की मजदूरी में सात दिन सबको काम करना पड़ेगा, वे सच कहते हैं। परन्तु इतवार के दिन बड़े बड़े कारखानों और दूकानों इत्यादि में काम बन्द रहने से थोड़े से आदमी, जो औरों का दिल बहलाने के लिए काम करेंगे, अधिक तनस्वाह पावेंगे। इस तनस्वाह की अपेक्षा आराम से घर बैठे रहना जिन थोड़े से आदमियों को अधिक प्रसन्न हो वे मजे में घर बैठे रहें। उनको कोई रोकने का नहीं। इन थोड़े से आदमियों को सुस्ताने का मौक़ा देने के लिए एक और युक्ति हो सकती है। वह हफ्ते में और ही एक आध दिन छुट्टी देकर इन लोगों को आराम से घर बैठे रहने देना है। यदि सब आदमी मिलकर ऐसी रीति चलाना

जाहेंगे तो उसका चल जाना कुछ भी मुश्किल नहीं । इत्यार के दिन दिल्लीहल्लाव के लिए सेल्लतमादे करने की मनाई सिर्फ़ धर्म के आधार पर न्याय्य मानी जा सकती है । पर धर्म की दृष्टि से इस तरह के मनोरंजन निषिद्ध नहीं हैं । फिर, जिन कारणों से कानून बनाना पड़ता है उनमें से धर्म-सम्बन्धी कारणों को शामिल करने के खिलाफ़ जो कुछ कहा जाय थोड़ा है । दो बातों के सबूत अभी तक नहीं मिले । एक इस बात का कि किसी आदमी के किसी काम से और लोगों का नुकसान न होने पर भी वह आदमी सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी ठहरता है । दूसरे इस बात का कि ऐसा काम करने के कारण उस आदमी को दंड देने का अधिकार होकर भी परमेश्वरने समाज या समाज के अफसरों को दिया है । आज तक धार्मिक बातों के सम्बन्ध में जितना अन्याय हुआ है वह इस आधार पर हुआ है कि हर आदमी धर्मानुसार आचरण करता है या नहीं इस बात की जाँच करना दूसरों का काम है । यदि इस तरह का आधार—यदि इस तरह का कल्पना-कार्य—उचित, मुनासिब या न्याय्य मान लिया जाय तो जिन लोगों ने औरों को, आज तक, इसी कारण, सताया है वे किसी तरह अपराधी नहीं माने जा सकते । जो लोग इस बात की बार बार कोशिश करते हैं कि इत्यार के दिन रेल से सफर करने की मनाई होजाय, या अजायब घर न खोले जाय, या और भी इसी तरह के काम न किये जायें, उनके मनोविकार यद्यपि इतने कूर और निर्दयतापूर्ण नहीं हैं जितने कि धार्मिक बातों में दूसरों को पीड़ा पहुँचानेवाले पुराने धर्मान्ध आदमियों के थे, तथापि दोनों तरह के

मनोविकार एक ही दरजे के हैं। क्योंकि जो बात जिसके धर्मानुकूल है उसको उसे करते देख, उसके प्रतिबन्ध का इस लिए निश्चय करना कि वह हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, वैसे ही मनोविकारों का फल है। धर्मानुष्ठान आदिमियों के स्थायाल बहुत बढ़े चढ़े होते हैं। वे यह समझते हैं कि विश्वासहीन, अर्थात् पासंदी, आदिमियों के कृत्यों से ईश्वर घृणा ही नहीं करता, किन्तु यदि हमने उनको न सताया या उनको न सजा दी तो वह हमें भी अपराधी समझता है। अतएव पुराने और नये धर्मानुष्ठानों के मनोविकारों का बीज एक ही तरह का है।

मनुष्य-जाति की स्वतंत्रता को कुछ न समझने के ये जो उदाहरण मैंने दिये उन में एक उदाहरण मैं और बढ़ाना चाहता हूँ। बिना उसे बढ़ाये मुझ से नहीं रहा जाता। कुछ दिनों से एक नया पंथ निकला है। उसका नाम है मार्मन * पन्थ। जब कभी इस पन्थ के विषय में लिखने का कोई कारण उपस्थित होता है तब इस देश के अस्त्वार बेतरह बिगड़ खड़े होते हैं और अपशब्दों से भरी हुई अनाप

* इस पन्थ के अनुयायियों का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अनादि है। उसे ईश्वर ने नहीं पैदा किया। प्रयत्न करने से वह ईश्वर की पदवी पाने की योग्यता ग्रास कर सकता है। इसका स्थापक स्मिथ नाम का एक अमेरिकन था। उसने वह शठ खबर उठाई कि मुझे एक नया धर्मपन्थ मिला है। वह सोने के पत्रों पर लिखा हुआ है। पर वह एक उपन्यास था। इससे उस पर यह इलज़ाम क्षणात्ता गया कि उसने झटा धर्म चलाने की कोशिश की। अन्त में उसे कैद की सजा मिली। १८४४ई० में उसे कुछ आदिमियों ने खेल ही में मारडाला। स्मिथ के बाद उसके शिष्य अब्राहमने इस पन्थ का नामकरण लिया। उसने 'न्यूज़-रुशलम' नाम का एक नगर क्षणात्ता। वहीं वह अपने अनुयायियोंके साथ रहने लगा।

सत्ताप बातों की वर्षा से मार्मन लोगों पर हमला करते हैं । यह बात मूठ मूठ ज़ाहिर कर दी गई कि ईश्वर के मुँह से निकली हुई बातों से भरा हुआ एक ग्रन्थ मिला है । इस पर एक नया धर्म बन गया । यह भी नहीं, कि इस नये मत की स्थापना इसके स्थापक के किसी विलक्षण गुण के आधार पर हुई हो । तथापि इस रेल, तार और अख्तबारों के ज़माने में लाखों आंदमियों का विश्वास इस पर जम गया । यहां तक कि इस धर्म के अनुयायियों का एक जुदा समाज ही स्थापित होगया । इस आकस्मिक और ध्यान में रखने लायक अद्भुत बात पर जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा है । इस विषय में एक बात याद रखने लायक यह है कि इसकी अपेक्षा अधिक अच्छे धर्मों की तरह इस धर्म के लिए भी लोगों ने अपनी जान दे दी है । इस धर्म की स्थापना करनेवाले के उपदेशों से अप्रसन्न होकर लोगों ने उसे जान से मार डाला । उसके अनेक अनुयायियों पर भी अन्याय हुआ । उपद्रवी लोगों ने उनको भी उसी की तरह मार डाला । जिस देश में वे पैदा हुए और बहुत दिन तक रहे वहां से वे ज़बरदस्ती निकाल दिये गये । लोग यहां तक उनके पीछे पड़ गये कि उन्हें देश त्याग करके जंगल के बीच एक निर्जन जगह में जाकर रहना पड़ा । इतने ही से लोगों को सन्तोष नहीं हुआ । अब आज कल, इस देश में बहुत आदमियों की यह राय हो रही है कि एक फौज भेज कर उन पर चढ़ाई करना और उन लोगों का मत ज़बरदस्ती अपना सा कर डालना चाहिए । अर्थात् उनको उनका धर्म छुड़ाकर किञ्चियन बना डालना चाहिए । इन सब बातों को लोग न्याय समझते हैं । हिचकते वे सिर्फ़ इस बात से हैं कि वहां फौज भेजने में सुरीता नहीं है । मार्मन-सम्प्रदाय के अनुया-

यियों को एक ही साथ एक से अधिक ख्रियां रखने की आज्ञा है। जिस बात से चिढ़ कर मामूली धार्मिक उदारता की भी परवा न करके लोग मार्मन पन्थ वालें से द्वेष करते हैं, और उन पर फौज तक भेजने की सलाह देते हैं, वह अधिक ख्रियां करने की आज्ञा है। मार्मन-धर्म के इस बहु पन्थीत्व-विषयक नियम को लोग विलकुल ही नहीं बरदाश्त कर सकते। हिन्दू, मुसल्मान और चीन वाले भी एक से अधिक ख्रियां करते हैं। धार्मिक दृष्टि से उनके यहां यह बात बुरी नहीं समझी जाती। क्योंकि बहु-पन्थीत्व की उनके धर्म में आज्ञा है। तथापि उन लोगों से इस देश वाले वैर नहीं रखते। पर मार्मन लोग अंगरेजी बोलते हैं और अपने को एक प्रकार के क्रिश्चियन बतलाते हैं। इसीसे उनकी बहु-पन्थीत्व रीति को देख कर इस देश वाले उनसे बेतरह द्वेषभाव रखते हैं। मार्मन लोगों को मैं खुद नहीं पमन्द करता। इस पन्थ को जितनी तिरस्कार-दृष्टि से देखता हूँ उतनी तिरस्कार-दृष्टि से शायद ही और कोई देखता होगा। पर इस तिरस्कार-दृष्टि के और कारण हैं। उनमें से मुख्य यह है कि स्वाधीनता के नियमों के आधार पर इस पन्थ की स्थापना का होना तो दूर रहा, उल्टा उसके प्रतिकूल नियमों के आधार पर इसकी स्थापना हुई है। क्योंकि इस पन्थ का उपदेश खीरूपी आधी प्रजा के सामाजिक बन्धन खूब कड़े करने और पुरुष रूपी आधी प्रजा के खूब ढीले कर देने का है। पर यह बात यी याद रखनी चाहिए कि इस तरह के अनुचित पारस्परिक सम्बन्ध से यथापि मार्मन लोगों की ख्रियों का नुकसान है, तथापि विवाह विषयक और बन्धनों की तरह उन्होंने इस बन्धन को भी खुशी से कुचूल कर छि-

या है। इसके लिए उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। यह बात चाहे जितनी आश्वर्यजनक मालूम हो, तथापि ऐसी नहीं है कि समझ में न आ सके। संसार के आचार-विचार और रीति-रवाज ऐसे हैं कि उनको देख कर लियों को यह स्थान होता है कि विवाह होना बहुत ज़रूरी बात है; यहाँ तक कि अविवाहित रहने की अपेक्षा अर्थात् विलकुल ही पत्नी न होने की अपेक्षा, ऐसे आदमी की भी पत्नी होना वे अच्छा समझती हैं। जिसके एक से अधिक लियाँ हैं। मार्मन लोग और मुल्क वालों से यह कभी नहीं कहते कि तुम भी हम लोगों की सी विवाह-पद्धति जारी करो; और न वे उनसे यही कहते हैं कि तुम्हारे मुल्क में जो मार्मन लोग हैं उनको तुम अपने यहाँ की विवाह-पद्धति के बन्धनों से मुक्त कर दो। उलटा उन्होंने यह किया है कि जिस देश को उनकी बातें अच्छी न लगती थीं—जिस समाज को उनके मत पसन्द न थे—उसको उन्होंने विलकुल ही त्याग दिया है और दुनियां के एक ओर में हज़ारों भील दूर जाकर, वे रहने ले रहे हैं। उन्होंने जाकर एक ऐसी जगह को आबाद किया है जिसे उनके पहले और किसी आदमी के पैरों का स्वर्ण न हुआ था। मार्मन-धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों को विलकुल नहीं सताते—उन पर कभी जुल्म नहीं करते—और जो लोग उनकी चाल ढाल को पसन्द नहीं करते उनको वे खुशी से अपना देश छोड़ कर चले जाने देते हैं। अतएव, मैं नहीं जानता, कि जुल्म के सिवा और किस तत्त्व के आधार पर कोई उन्हें उन नियमों के अनुसार बर्ताव करने से रोक सकता है जिनको उन्होंने खुशी से कुबूल किया है। एक आधुनिक ग्रन्थकार, जो कई विषयों में अच्छा विद्वान् है, यह सलाह देता कि

आर्मन लोग सम्यता की अवनति के कारण हैं—सम्यता को आगे न बढ़ाकर वे उसे पछि ढकेल रहे हैं—अतएव एक ही साथ कई विवाहित स्त्रियां रखनेवाले इस समाज के साथ धर्षयुद्ध नहीं, बल्कि सम्यता-युद्ध करके इसे जड़ से उखाड़ डालना चाहिए। एक स्त्री के रहते दूसरी के साथ विवाह करना सम्यता की अवनति करना ज़रूर है। इस बात को मैं मानता हूँ। पर इस सिद्धांत को मैं नहीं मानता कि एक समाज, अर्थात् जन-समुदाय, को ज़बरदस्ती सम्भवना का दूसरे समाज को ज़रा भी अधिकार है। जब तक इस बुरे नियम से तकलीफ उठाने-वाले आदमी किसी दूसरे समाज से मदद नहीं मांगते, तब तक मैं इस बात को नहीं मान सकता, कि जिन लोगों का उनसे ज़रा भी सम्बन्ध नहीं है, और जो उनसे हज़ारों कोस दूर रहते हैं, वे सिर्फ़ इस आधार पर कि यह नियम उनको घृणित मालूम होता है, बीच में कूद पड़े और उन बातों को, जिनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाले लोग देखने में सब प्रकार सन्तुष्ट मालूम होते हैं, बन्द करने की कोशिश करें। यदि वे चाहें—यदि उनको ज़रूरत पड़े—तो वे इस बुरी रीति के विरुद्ध उपदेश करने के लिए धर्मोपदेशक भेजें, और यदि इस रीति का चलन उनके समाज में भी हो रहा हो, तो उसे किसी उचित तरकीब से बन्द करें। पर इस तरह के बुरे रस्मों को जो लोग फैलाते हों उनके मुँह उन्हें न बन्द करना चाहिए; क्योंकि यह तरकीब कोई अच्छी और उचित तरकीब नहीं है। जिस समय असम्यता का सारे संसार में अकण्टक राज्य था उस समय भी यदि सम्यता ने उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया तो आज कल, असम्यता के इतने कमज़ोर हो जाने पर भी इस बात से ढरना, कि वह किर प्रबल होकर सम्यता

को जीत लेगी, बहुत दूर की बात है । इस तरह का ढर व्यर्थ है । जो सम्यता अपने जीते हुए शत्रु से हार जायगी वह हारने के पहले यहाँ तक नीच अवस्था को पैहुच गई होगी कि उसके उपदेशक, शिक्षक, या और लोग इस लायक ही न रह गये होंगे, उनमें इतनी शक्ति ही न रह गई होगी, उनमें इतनी इच्छा ही न रह गई होगी, कि अपनी सम्यता की रक्षा के लिए वे सड़े हो सकें । यदि बात इस नौबत को पहुंच गई हो तो ऐसी सम्यता को देश से निकल जाने के लिए जितना जल्द नोटिस दी जाय उतना ही अच्छा । क्योंकि यदि वह बनी रहेगी तो दिनोंदिन उसकी हालत ख़राब होती जायगी और अन्त में, रोम के पश्चिमी राज्य*की तरह, वह बिलकुल ही नष्ट हो जायगी । तब तेजस्वी असभ्य लोग ही उसका उद्धार करेंगे ।

*पुराने ज़माने में असभ्य गाल और तुर्क लोग इतने प्रबल हो उठे थे कि उन्होंने रोम राज्य को धूल में मिलाकर, जिसे जितना भाग उसका मिला, उसने उतना अपने कुँजे में कर लिया था ।





पांचवां अध्याय ।

प्रयोग ।



न सिद्धान्तों का वर्णन मैंने यहां तक किया वे सांसारिक व्यवहारों के आधार हैं । इन्हीं सिद्धान्तों को दूर तक आधार मान कर व्यवहार की बातों का विवेचन करना चाहिए । इस बात को ध्यान में रखने से ही राजनीति और समाजनीति की सब शाखाओं में इन सिद्धान्तों की योजना की जा सकेगी । ऐसा न करने से सारी मेहनत बरबाद जायगी । उससे कोई फ़ायदा न होगा । व्यवहार से सम्बन्ध रखने-वाली बातों की जो मैं थोड़ी सी आलोचना करना चाहता हूं वह सिर्फ़ दृष्टान्त के लिए है । मैं सिर्फ़ इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह मेरे निश्चय किये हुए सिद्धान्तों की योजना व्यावहारिक विषयों में होनी चाहिए । मेरा मतलब अपने सिद्धान्तों की सविस्तर योजना करके बतलाने का नहीं है । मैं अपने सिद्धान्तों के सभी प्रयोग उदाहरणपूर्वक नहीं बतलाना चाहता । मैंने दो सिद्धान्तों या तत्त्वों का विवेचन किया है । वही इस पुस्तक के सारभूत हैं । उनका मतलब और उनकी

व्यासि, अर्थात् सीमा, को अच्छी तरह लोगों के ध्यान में आने के लिए मैं, नमूने के तौर पर, प्रयोग के कुछ उदाहरण देता हूँ । यह न समझिए कि मैं सब तरह के प्रयोगों की—सब प्रकार की योजनाओं की—विवेचना करने जाता हूँ । प्रयोग के जो नमूने मुझे बतलाने हैं उनसे यह बात ध्यान में आजायगी कि किस सिद्धान्त का कहां प्रयोग करना चाहिए और जहां यह संशय उपस्थित हो कि किसी एक सिद्धान्त से काम लिया जाय या दूसरे से वहां किस तरह निश्चय करना चाहिए ।

मेरा पहला सिद्धान्त यह है कि आदमी के जिस काम से उसे छोड़ और किसीका सम्बन्ध नहीं है उसके लिये वह समाज के सामने उत्तरदाता नहीं । यदि कोई आदमी ऐसा काम करे जिससे सिर्फ़ उसी का सम्बन्ध हो, पर जो समाज को पसन्द न हो, तो समाज उसे उपदेश दे सकता है; उसे समझा बुझा सकता है; दिलासा देकर या प्रार्थना करके उसके खयाल बढ़ा सकता है; और यदि अपने हित के लिए उसकी संगति से दूर रहने की ज़रूरत हो तो वह दूर भी रह सकता है । ऐसे मौके पर समाज यदि कुछ कर सकता है तो इतना ही कर सकता है । इस तरह के किसी काम से घृणा या अवृत्ति ज़ाहिर करने के लिए समाज के पास सिर्फ़ यही साधन है । दूसरा सिद्धान्त यह है कि जिन बातों से दूसरों का सम्बन्ध है उनके लिए हर आदमी समाज के सामने उत्तरदाता है । किसी आदमी की इस तरह की कोई बात यदि समाज को हानिकारक जान पड़े तो उस हानि से बचने के लिए समाज, ज़रूरत के अनुसार, अपराधी को कानूनी सजा दे सकता है ।

वहले इस बात को दिल से दूर कर देना चाहिए कि दूसरे के हित की हानि, या हानि की सम्भावना, होने ही से समाज को किसी आदमी के बर्ताव में दस्तान्दाज़ी करने का अधिकार मिल जाता है । यह बात नहीं है । हानि या हानि की सम्भावना ही के कारण दूसरे के कामकाज में दस्तान्दाज़ी करना हमेशा उचित नहीं हो सकता । बहुत दके ऐसा होता है कि किसी उचित, अर्थात् न्यायसंगत, मतलब की सिद्धि के लिए काम करते समय आदमी को दूसरों की हानि करना, या उन्हें दुःख पहुँचाना, या जिस हितकर बात के होने की दूसरों को ढढ़ आशा थी उसका प्रतिबन्ध करना, पड़ता है । पर इस तरह की हानि, दुःख या प्रतिबन्ध, बहुत ज़रूरी अतएव अनिवार्य, होने के कारण उचित होता है । इस तरह का परस्पर हितविरोध बहुत समाज की व्यवस्था ठीक न होने से होता है । जब तक ऐसी व्यवस्था रहती है, अर्थात् जब तक समाज की व्यवस्था में उच्चाति नहीं होती, तब तक यह हितविरोध होता ही रहता है । कुछ हितविरोध अनिवार्य है; वे बन्द ही नहीं हो सकते । समाज की बनावट, अर्थात् व्यवस्था, चाहे जितनी अच्छी हो वे अवश्य ही होते हैं । जिस व्यवसाय को बहुत आदमी करते हैं उसमें कामयाबी होने से, चढ़ाज़परी के इस्तहान पास करने से, और जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए दो आदमी बराबर कोशिश कर रहे हैं उसे उनमें से एक को दिल देने से, जो लाभ होता है वह दूसरों की हानि होने, या दूसरों की मेहनत अकारण जाने, या दूसरों की आशा का नाश होने ही से होता है । पर, यह बात सब को मान्य है कि इस तरह के परिणाम की परकान करके अपने उद्देश की सिद्धि करना ही मनुष्य मात्र के लिए

हितकारक है । मतलब यह कि समाज इस बात को नहीं सुनूँ करता कि इस तरह चढ़ा-ऊपरी करनेवालों में से जिनका नुकसान हो जाय उनको उस नुकसान से बचाने का प्रबन्ध न करना स्वयं या नीति की दृष्टि से अनुचित है । हाँ, यदि अपने फ़ायदे के लिए—अपने उद्देश की सिद्धि के लिए—कोई आदमी छल, कपड़, विश्वासघात या ज़बरदस्ती करने लगे तो उसे रोकने का प्रबन्ध समाज ज़रूर करेगा । क्योंकि ऐसे साधनों से अपना फ़ायदा करलेना मानो सब लोगों के साधारण हित में बाधा डालना है ।

व्यापार एक सामाजिक व्यवसाय है । जो आदमी सर्व साधारण से किसी चीज़ के बेचने की प्रतिज्ञा करता है वह एक ऐसा काम करता है जिससे और लोगों के, और साधारण रीति पर सारे समाज के, हिताहित से सम्बन्ध रहता है । अतएव यदि तत्त्वदृष्टि से देखा जाय तो उसका व्यवसाय समाज के अधिकार में आ जाता है; अर्थात् उसके व्यवसाय और बर्ताव पर समाज की सत्ता पहुँच जाती है । इसी आधार पर एक दफ़े लोगों ने यह निश्चय किया था कि जितनी चीज़ अधिक काम की हैं उनकी कीमत ठहराना और उनके बनाने की रीति के नियम भी जारी करना सरकार का कर्तव्य है । परन्तु बहुत दिनों तक झगड़ा होने के बाद अब यह बात लोगों के ध्यान में अच्छी तरह आ गई है कि विक्री के लिए माल बनाने, बेचने और मोल लेनेवाले को पूरी स्वतंत्रता देने ही से सत्ता और अच्छा माल मिल सकता है । यदि मोल लेनेवाले को इस बात की आज़ादी रहेगी कि जहाँ उसका जी चाहे वहाँ वह स्वीकर करे तो माल बनाने और बेचनेवाले ज़रूर अच्छा माल रखेंगे और उसे सत्ता भी बेचेंगे; क्योंकि

उनको यह ढर रहेगा कि यदि उनका माल अच्छा न होगा, या यदि वे उसे महँगा बेचेंगे, तो लेनेवाला उनके यहाँ स्वरीदेगा क्यों? उसे जो कुछ दरकार होगा वह दूसरे से ले लेगा। इसीका नाम व्यापार-स्वातंत्र्य अथवा अनिर्बन्ध व्यापार है। इस पुस्तक में हर व्यक्ति की—हर आदमी की—स्वाधीनता के सम्बन्ध में जो सिद्धान्त मैंने निश्चित किये हैं उनके प्रमाण यद्यपि अनिर्बन्ध व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्तों के प्रमाणों से जुदा हैं, तथापि इन दोनों तरह के प्रमाणों का आधार एक ही सा है—यह नहीं है कि एक का आधार अधिक मजबूत हो और दूसरे का कम। व्यापार से, और बेचने के लिए माल तैयार करने से, सम्बन्ध रखनेवाले जितने नियम हैं उनकी गिनती प्रतिबन्धों में ही है। और जितने प्रतिबन्ध हैं साधारण तौर पर सभी बुरे हैं। यह ज़रूर है कि व्यापार वाले प्रतिबन्ध आदमियोंके उस व्यवसाय से सम्बन्ध रखते हैं जिसका प्रतिबन्ध करना समाज का काम है। परन्तु जिस मतलब से इस तरह के प्रतिबन्ध किये जाते हैं वह मतलब ही नहीं सिद्ध होता। इसी से मैं उन्हें हानिकारक और बुरे समझता हूँ। व्यक्ति स्वातंत्र्य और व्यापार-स्वातंत्र्य में फ़रक् है। दोनों के सिद्धान्तों में परस्पर बड़ा अन्तर है। अतएव इस बातको मैं नहीं मानता कि जो प्रतिबन्ध व्यक्ति-स्वातंत्र्य के लिए बुरे हैं वे व्यापार स्वातंत्र्य के लिए भी बुरे हैं। उदाहरण के लिए इन बातों का निर्णय करना एक बिल्कुल ही निराला विषय है कि जो लोग धोखा देने के इरादे से अच्छे और बुरे, दोनों तरह के माल को मिलकर बेचते हैं उनके पञ्जे से मोल लेनेवाले को बचाने के लिए समाज को कितना प्रतिबन्ध करना चाहिए; अथवा सफाई रखने के सम्बन्ध में, या जो

लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें अंग-भंग होने या प्राण जाने का डर रहता है उनकी रक्षा के लिए उनसे काम लेनेवालों के साथ बन्दोबस्त करने के सम्बन्ध में, कहां तक सख्ती करना चाहिए । इन स्वतंत्रता-सम्बन्धी बातों का विचार करने में इस बात को याद रखना चाहिए कि लोगों की स्वतंत्रता का प्रतिबन्ध करने की अपेक्षा उनको अपना काम अपनी इच्छा के अनुसार करने देना हमेशा अधिक अच्छा होता है । हाँ, प्रतिबन्ध करने से यदि समाज का अधिक फ़ायदा होता हो तो तत्त्वदृष्टि से वैसा करना अनुचित नहीं । पर व्यापार के प्रतिबन्ध की कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे लोगों की स्वतंत्रता में प्रतिबन्ध होता है । ऐसी बातों को बचाना चाहिए । उनका प्रतिबन्ध करना उचित नहीं । उदाहरण के लिए ऊपर बयान किया गया शराब पीने के खिलाफ़ कानून; चीन को अफीम भेजने की मनाई; सब तरह के ज़हर न बेचने का हुक्म ये सब प्रतिबन्ध अनुचित हैं । मतलब यह कि जिस प्रतिबन्ध से किसी चीज़ का मिलना दुर्लभ या असम्भव हो जाय वह प्रतिबन्ध मुनासिब और लाभदायक नहीं माना जा सकता । ये प्रतिबन्ध इस कारण अनुचित नहीं कि ये व्यापार के लिए हानिकारक हैं, किन्तु इस कारण अनुचित हैं कि इनसे व्यक्ति-स्वातंत्र्य का प्रतिबन्ध होता है । इनसे उन लोगों की स्वतंत्रता में बाधा आती है जो इन चीज़ों को मोल लेना चाहते हैं ।

इन उदाहरणों में से ज़हर बेचने के उदाहरण में एक और बात का भी विचार ज़रूरी है । वह यह कि इस विषय में पुलिस की दस्तान्दाज़ी की हद कौनसी होनी चाहिए ? ज़हर खाने से

जो दुर्घटनायें या जुर्म होते हैं उनका प्रतिबन्ध करने के लिए लोगों की स्वतंत्रता का कहां तक छीना जाना मुनासिब होगा । जुर्म हो जाने पर मुजरिम का पता लगा कर उसे सजा देना जैसे गवर्नमेण्ट का बहुत ज़खरी काम है वैसे ही जुर्म होने के पहले ही उसे न होने देने की खबरदारी रखना भी है । परन्तु जुर्म हो जाने पर सजा देने के काम की अपेक्षा जुर्म होने के पहले खबरदारी रखने के काम का दुरुपयोग होना अधिक सम्भव है । अर्थात् शासनकर्मी की अपेक्षा निवारणकर्म में लोगों की स्वतंत्रता में अधिक दस्तावज़ी हो सकती है । क्योंकि आत्मस्वतंत्र्य के आधार पर किया गया आदमी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिससे यह बात न साबित की जा सके कि उससे औरें की किसी न किसी तरह की हानि ज़खर हो सकती है । अर्थात् जिस स्वतंत्रता के पाने का सब को हक़ है वही स्वतंत्रता जुर्म का कारण साबित की जासकती है । परन्तु, यदि कोई सरकारी नौकर या और ही कोई आदमी किसीको, खुले तौर पर, कोई जुर्म करने की तैयारी में देखे तो उसका यह धर्म नहीं कि जुर्म होने तक वह चुपचाप तमाशा देखता रहे । नहीं, उसको चाहिए कि वह उस आदमी को फ़ूरन रोके और उस जुर्म को न होने दे । दूसरों के प्राण लेने के सिवा और किसी काम के लिए यदि ज़हर न मोल लिये जाते या न उपयोग में आते, तो उनके बनाने और बेचने का प्रतिबन्ध मुनासिब होता । परन्तु यह बात नहीं है; क्योंकि ज़हर का उपयोग निर्दोष कामों ही में नहीं, किन्तु लाभदायक कामों में भी होता है । अतएव यदि उनका बेचना मना कर दिया जायगा तो बुरे कामों

की तरह अच्छे कामों में भी विज्ञ आवेगा । अपनात, दुर्घटना या जुर्म न होने देने की स्वबरदारी रखना भी सरकारी अफसरों का काम है । मान लीजिए कि कोई आदमी नीचे से टूटे हुए एक पुल पर से जाना चाहता है । वह उसके पास पहुँच गया है और उस पर अपना पैर रखना ही चाहता है । उस पर पैर रखने और नीचे गिरने में देर नहीं है । इस दृश्य को किसी सरकारी अफसर या और किसी आदमी ने देखा । पर इतना समय नहीं कि वह पुकार कर उस आदमी को पुल पर पैर रखने से मना करे । ऐसी दशा में उसका काम है कि वह उस आदमी को पकड़ कर पीछे खींच ले । ऐसा करने से उस आदमी की आत्मस्वतंत्रता में ज़रा भी बाधा नहीं आ सकती । क्योंकि किसी इष्ट या अभिलिखित काम के करने ही का नाम स्वतंत्रता है और पुल पर से नदी में गिरना उस आदमी को बिलकुल ही इष्ट नहीं है । परन्तु जिस काम में अनिष्ट होने की सिर्फ़ सम्भावना रहती है, निश्चय नहीं रहता, उसमें उस अनिष्ट का सामना करना चाहिए या नहीं—इस बात का फैसला सिर्फ़ वही आदमी कर सकता है जिसका वह काम है । क्योंकि जिस मतलब से वह उस अनिष्ट का सामना करने का विचार करेगा उस मतलब का गौरव या लाभव सिर्फ़ उसी को अच्छी तरह मालूम रहेगा । अतएव ऐसे विषय में होनेवाले अनिष्ट की उसे सिर्फ़ सूचना ही दे देना बस है । उस काम को न करने के लिए उस पर ज़ब-रदस्ती करना मुनासिब नहीं । परन्तु यदि इस तरह के काम से किसी अत्यवयस्क या ऐसे आदमी का सम्बन्ध हो जिसकी समझ में, स-चिपात इत्यादि किसी रोग या और ही किसी कारण से, फ़रक़ आगया

हो या उत्तेजना अथवा घबराहट के कारण जिसकी विचार-शक्ति बिगड़ गई हो तो वात दूसरी है। इस हालत में उसका ज़खर प्रतिबंध करना चाहिए। इन नियमों के अनुसार ज़हर की बिक्री इत्यादि का विचार करने से यह वात ध्यानमें आ सकती है कि कब उसे बन्द करना उचित होगा और कब अनुचित। अर्थात् किस हालत में ज़हर बेचना स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के अनुकूल होगा और किस हालत में प्रतिकूल। उदाहरण के तौर पर यदि ज़हर बेचनेवाले इस बात के लिए मजबूर किये जायें कि वे ज़हर की शीशियों पर एक काग़ज़ का टुकड़ा चिपका कर उस पर यह लिखें कि उनमें ज़हर भरा हुआ है तो यह बात स्वाधीनता में बाधा डालनेवाली न होगी। क्योंकि मोल लेनेवाला यह कभी न चाहेगा कि वह इस बात को न जाने कि जिस चीज़ को वह ले रहा है वह ज़हर है। परन्तु यदि यह शर्त कर दी जाय कि जिसे ज़हर मोल लेना हो वह हमेशा डाक्टर की सर्टिफिकेट दाखिल किया करे तो अच्छे कामों के लिए भी उसे ज़हर मिलना कभी कभी असम्भव हो जायगा, और खर्च तो उसे हमेशा ही अधिक पड़ेगा। जो लोग किसी उपयोगी काम के लिए ज़हर मोल लेना चाहें उनको उसके लेने में कोई कठिनता न आनी चाहिए। परं जो लोग किसी तरह का जुर्म करने के इरादे से उसे लेना चाहते हों उनको वह कठिनता आनी चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार कारबाई होने के लिए सिर्फ़ एक ही साधन है। इस साधन का नाम बैन्याम * ने “पूर्वसिद्ध साक्ष्य”

* अठारहवें शतक में बैन्याम नाम का एक प्राचीन प्रन्थकार दंगलैंड में हुआ है। उसे एकान्तवास बहुत पसन्द था। इसीसे वह अनेक उत्तमोत्तम

अर्थात् “ पहले ही से तैयार की गई गवाही ” रखता है । यह नाम बहुत उचित है । इसके अनुसार क़ानून बनाये जाने से ज़हर मोल लेनेवालों की स्वाधीनता में अनुचित रीति पर दस्तावेज़ी होने का कम डर रहेगा । प्रतिज्ञापत्रों अर्थात् इकरारनामों के सम्बन्ध में इस साधन के आधार पर जिस तरह काररवाई की जाती है वह हर आदमी जानता है । जब कोई इकरारनामा लिखा जाता है तब उस पर दस्तख़त किये जाते हैं और गवाह इत्यादि भी कर लिये जाते हैं । यह एक मामूली बात है और मुनासिब भी है । ऐसा करने से इकरारनामे की शर्तें बल्पूर्वक भी पूरी कराई जा सकती हैं । और, यदि, पीछे से किसी तरह का झगड़ा फ़साद पैदा होता है तो इस बात का सबूत मिलता है कि सचमुच ही इस तरह का इकरार किया गया था और उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके कारण वह इकरार क़ानून के अनुसार रद समझा जा सके । इससे झूठे इकरारनामे लिखनेवालों का बहुत प्रतिबन्ध होता है । कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग धोखा देकर बेफ़ायदा इकरारनामे लिखा लिया करते हैं । इस तरह के इकरारनामे क़ानून की दृष्टि से हमेशा रद समझे जाते हैं । पर

ग्रन्थ लिख सका । राजनीति और धर्मशास्त्र में वह बहुत प्रवीण था । उपयोगिता-तत्त्व नाम का एक बहुत बड़ा ग्रन्थ उसने लिखा है । गवर्नर्मेंट किसे कहते हैं, क़ानून किसे कहते हैं, नीति और क़ानून के सिद्धान्त कैसे होने चाहिए, इत्यादि विषयों पर उसने कई ग्रन्थ लिखे हैं । बेन्थाम की प्रतिभा बहुत प्रखर थी । वीस ही वर्ष की उम्र में उसने एम० ए० पास किया था । १८३२ ईसवी के लगभग, कोई ८० वर्ष की उम्र में, उसकी मृत्यु हुई ।

पूर्वोक्त नियम के अनुसार काररवाई करने से इस तरह की घोसे-बाज़ी का कम डर रहता है। जिन चीजों को पाकर लोग जुर्म कर सकते हैं उनकी बिक्री के विषय में भी इसी तरह के प्रतिबन्ध करने से काम चल सकता है। उदाहरण के लिए इस तरह की चीजें बेचनेवाला एक रजिस्टर खोले। उसमें वह बिक्री का ठीक ठीक समय, मोल लेनेवाले का नाम और पता, और बिक्री हुई चीज़ की तौल और किस्म लिख ले। मोल लेनेवाले से वह यह भी पूछ ले कि किस काम के लिए वह चीज़ दरकार है और जो जवाब उसे मिले उसको भी वह अपने रजिस्टर में दर्ज करले। यदि किसी डाक्टर का लिखा हुआ नुसखा न हो तो बेचनेवाला एक आदमी को गवाह भी करले। इससे यह लाभ होगा कि यदि पछे से यह बात प्रकट हो जाय कि बिक्री हुई चीज़ किसी बुरे काम में लाई गई है, अर्थात् उसकी सहायता से कोई जुर्म हुआ है, तो गवाह इस बात को साबित कर देगा कि अमुक आदमी ने उस चीज़ को मोल लिया था। इस तरह के नियम करने से जो लोग कोई ऐसी चीज़ किसी उपयोगी काम के लिए मोल लेना चाहेंगे उनको उसके मिलने में विशेष कठिनता न पड़ेगी। परन्तु यदि कोई यह चाहेगा कि उस चीज़ का बुरा उपयोग करके मैं पकड़ा न जाऊं तो उसे अपने बचाव के लिए बहुत बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ेगा।

समाज को इस का हक़ है, और वह हक़ स्वाभाविक भी है कि उसके विरुद्ध जितने अपराध-जितने जुर्म-होनेवाले हों उनसे बचने के लिए वह पहले ही से प्रबन्ध करे। इसके साथ ही समाज का यह भी कर्तव्य

है कि वह हर आदमी के निज-सम्बन्धी बुरे बताव या दुराचार के विषय में किसी तरह का प्रतिबन्ध करने, या किसी तरह की सजा देने, की खटपट न करे । क्योंकि ऐसा करना उसको मुनासिब नहीं । पर इस दूसरे सिद्धान्त की हद पहले सिद्धान्त के ही आधार पर नियत की जा सकती है । अर्थात् अपनी हानि होने से अपने को बचाने का जो हक् समाज को है उसी हक् के आधार पर दूसरे सिद्धान्त की हद का अन्दाज़ किया जा सकता है । एक उदाहरण लीजिए । शराब पीकर उन्मत्त होना, मामूली तौर पर, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कानूनी प्रतिबन्ध दरकार हो । परन्तु उन्मत्त होकर यदि किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी को पहले कभी तकलीफ पहुँचाई हो, और यह बात सावित भी हो तुकी हो, तो, मेरी राय में, कानून के अनुसार उसका विशेष प्रतिबन्ध करना बहुत मुनासिब होगा । यदि वह शराब पीकर किर उन्मत्त हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए; और, यदि, उन्मत्तता की हालत में वह दुबारा कोई जुर्म करे तो पहले की अपेक्षा उसे अधिक कड़ी सजा दी जानी चाहिए । उन्मत्त होते ही जो लोग दूसरों को तकलीफ देने पर उतारू हो जाते हैं—अर्थात् उन्माद के कारण दूसरों पर अत्याचार करने की स्फूर्ति जिन लोगों में सहसा जागृत हो उठती है—उनका उन्मत्त होना मानो दूसरों का अपराध करना है । इसी तरह सिर्फ़ आलसीपन के कारण किसीको सजा देना उस पर जुल्म करना है । यह कोई जुर्म नहीं है जिसके लिए सजा दी जा सके । परन्तु यदि किसी ऐसे आदमी में आलसीपन हो जिसे और लोगों का आश्रय हो, अथवा आलसीपन के कारण जो

आदमी किसी इकरार को पूरा न कर सकता हो, तो बात दूसरी है। ऐसी हालतों में उसे सजा देना ज़रूर मुनासिब होगा। यदि कोई आदमी आलसीपन या और किसी कारण से, जो निवारण किया जा सकता हो, अपने बालबचों की परवरिश न कर सके या और कोई काम, जिसे करना उसका कर्तव्य हो, न कर सके तो, और साधनों के अभाव में, ज़बरदस्ती मेहनत कराके उससे अपने कर्तव्यों को पूरा कराना अन्यथा नहीं। इस तरह की ज़बरदस्ती की गिनती जुल्म में नहीं हो सकती।

फिर, बहुत से काम ऐसे भी हैं जो सिफ़्र करनेवाले ही को प्रत्यक्ष हानि पहुँचाते हैं और लोगों को नहीं। इससे ऐसे कामों की रोक कानून से नहीं की जा सकती। परन्तु बुरे कामों को खुले मैदान करना तहजीब के खिलाफ़ है—उससे सम्यता भङ्ग होती है। अतएव ऐसे कामों की गिनती दूसरों से सम्बन्ध रखनेवाले अपराधों में हो जाती है। इस हालत में उनका प्रतिबन्ध न्याय-सङ्गत होता है। लोकलज्जा के विरुद्ध जितने अपराध हैं उनकी गिनती इसी तरह के अपराधों में है। इस तरह के अपराधों के विषय में यहां परं अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि एक तो प्रस्तुत विषय से उनका सम्बन्ध बहुत दूर का है; फिर लोकलज्जा का दोष और भी ऐसी बहुत सी बातों पर लग सकता है जो यथार्थ में दूषित नहीं है, अथवा जो दूषित मानी ही नहीं गई है।

यह, पर मुझे एक और प्रश्न का ऐसा उत्तर देना है जो मेरे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुकूल हो—अर्थात् जो उन सिद्धान्तों से

मेल खाता हो । निज से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ काम दूषणीय माने गये हैं । परन्तु हर आदमी को अपने निज के कामकाज अपनी इच्छा के अनुसार करने की स्वतंत्रता है । इसी ख्याल से समाज ऐसे कामों का प्रतिबन्ध नहीं करता; वह किसीसे यह नहीं कहता कि तुम ऐसे काम मत करो; और न वह ऐसे कामों के लिए किसीको सजा ही देता है । क्योंकि इस तरह के कामों से जो हानि होती है वह सिर्फ़ करनेवाले ही को सहन करनी पड़ती है । उसका बोझ खुद उसीके सिर रहता है । अब प्रश्न यह है कि इस तरह के काम करनेवालों को जैसे उनके करने की स्वतंत्रता है वेसे ही उनको करने के लिए उपदेश या उत्तेजना देने की दूसरों को भी स्वतंत्रता है या नहीं? कुछ काम ऐसे हैं जिनसे सिर्फ़ करनेवालों ही की हानि की सम्भावना है । उन्हें यदि वे चाहें तो कर सकते हैं । पर यदि दूसरा आदमी किसीसे कहे कि—“तुम इस काम को करो,” या उसे करने के लिए किसी तरह की वह उत्तेजना दे, तो क्या उसे ऐसा करने की भी स्वतंत्रता है? इस प्रश्न का उत्तर देना सहज नहीं है, क्योंकि यह बात कठिनतासे खाली नहीं है । कोई काम करने के लिए दूसरे को उपदेश देना, या उससे प्रार्थना करना, एक ऐसी बात नहीं है जिसकी गिनती निज की बातों में हो सके । वास्तव में ऐसी बातें आत्म-विषयक बर्ताव की परिभाषा के भीतर नहीं आ सकती । किसीको उपदेश देना अथवा प्रलोभन या लालच दिखलाना सामाजिक काम है । अतएव लोगों का ख्याल है कि दूसरों से सम्बन्ध रखनेवाले और कामों की तरह यह काम भी सामाजिक बन्धन का पात्र है । अर्थात् इसका भी बन्धन

समाज के हाथ में है। परन्तु यह स्थायाल ग़लत है। यह अम भाव है। थोड़ा सा विचार करने से यह अम दूर हो जायगा। कुछ देर सोचने से यह बात समझ में आ जायगी कि उपदेश और उत्तेजन यद्यपि व्यक्ति-स्वातंत्र्य की परिभाषा के ठीक ठीक भीतर नहीं आते, तथापि जिन प्रमाणों के आधार पर व्यक्ति-स्वातंत्र्य की स्थापना है वही प्रमाण उपदेश और उत्तेजन की बातों के भी आधार हैं। जिन प्रमाणों के आधार पर लोगों को इस बात की स्वतंत्रता है कि जिन कामों का और लोगों से सम्बन्ध नहीं है उनको, उनके हानि-लाभ की निम्नेदारी अपने ऊपर रखकर, जिस तरह वे चाहें कर सकते हैं, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर उनको इस बात की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि दूसरों से सलाह करके या उनकी राय लेकर वे इस बात का निश्चय करें कि क्या करना उनके लिए अच्छा होगा और क्या न अच्छा होगा। जिस आदमी को जिस काम के करने की आज्ञा है उसे उस काम के सम्बन्ध में औरों से सलाह लेने की भी आज्ञा होनी चाहिए। यदि कोई काम करना मुनासिब है, तो उस काम के विषय में पूछपाछ करना और सलाह लेना भी मुनासिब है। जब सलाह देनेवाला अपनी सलाह से खुद फ़ायदा उठाता है; या जब वह उन बातों को जिन्हें समाज और सरकार बुरा समझती है, करने की सलाह देते फिरना, पेट के लिए, अपना पेशा कर लेता है; तब यह विषय ज़रूर सन्देहास्पद हो जाता है। तब यह स्थायाल पैदा होता है कि ऐसे सलाहकार—ऐसे उपदेशक—को सलाह या उपदेश देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं। ऐसी हालत में एक पेचीदा बात पैदा हो जाती है। क्योंकि जिन

बातों को समाज बुरा समझता है उनका पक्ष लेने, और अपना पेट पालने के लिए उन्हें करने, की दूसरों को सलाह देनेवाले लेंगे का एक वर्ग ही जुदा बन जाता है । अतएव इस बात के निणय की ज़रूरत होती है कि समाज से इस तरह प्रतिकूलता करनेवाले वर्ग को बनने देना चाहिए या नहीं । एक उदाहरण लीजिए । जुआ खेलना और व्यभिचार करना सहन किया जा सकता है । पर क्या कुटनापन करने या जुआ खेलनेवालों को किराये पर देने के लिए मकान रखनेवालों का पेशा भी सहन किया जा सकता है ? जिन सिद्धान्तों के आधार पर इस बात का निणय किया जाता है कि लोगों को किन बातों के करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए उनकी हद है । यह हद जिस जगह एक दूसरी से मिलती है उस जगह जो प्रश्न पैदा होते हैं उन्हीं में से एक प्रश्न यह भी है । अतएव यह बात सहसा ध्यान में नहीं आती कि यह प्रश्न—यह बात—किस सिद्धान्त के भीतर है । अर्थात् इसका सम्बन्ध स्वतंत्रता देनेवाले सिद्धान्त से है या स्वतंत्रता न देनेवाले से । दोनों सिद्धान्तों के अनुकूल दलीलें पेश की जा सकती हैं । स्वतंत्रता देने के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि जिस काम को मामूली तौर पर करने की मनाई नहीं है उसे यदि कोई पेशे के तौर पर करने लगा, और उसकी मदद से वह अपना पेट पालने या फ़ायदा उठाने लगा, तो क्या इतने ही से वह अपराधी होगया ? यातो आप उसको इस काम करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता ही दीजिये या उसको इसे करने से बिलकुल रोक ही दीजिये । स्वतंत्रता-सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों की सिद्धि के लिए इतना वादविवाद हुआ वे यदि ठीक हैं तो, समाज

के रूप में, समाज को यह अधिकार नहीं कि वह व्यक्तिविषयक किसी बात को कानून के विरुद्ध कह सके। इसलिए वह समझाने बुझाने या सलाह देने के आगे नहीं जा सकता। इस विषय में यदि समाज कुछ कर सकता है तो सिर्फ़ इतना ही कर सकता है। अतएव हर आदमी को अधिकार है कि चाहे वह दूसरे को कोई काम करने की सहायता दे, चाहे न करने की। समाज उसे नहीं रोक सकता। यह दलील स्वतंत्रता देने के पक्ष में हुई। पर जो लोग स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं हैं वे और ही तरह की दलील पेश करेंगे। वे कहेंगे कि यद्यपि यह सच है कि, जिन बातों से अकेले एक ही आदमी के हित या अहित से सम्बन्ध है उनको रोकने, या सजा देने के इरादे से सत्ता के जोर पर, बुरा या भला ठहराने, का अधिकार समाज को नहीं है; तथापि समाज या सरकार को यदि कोई बात बुरी जान पड़े तो उसे इतना अधिकार ज़खर है कि वह उसके बुरे या भले होने के प्रश्न को विवादास्पद समझे रहे। यदि यह मान लिया जाय तो जो लोग निरपेक्ष और पक्षपातहीन होकर नहीं, किन्तु अपने फ़ायदे के लिए—अपना पेट भरने के लिए—दूसरों को, सरकार की समझ के प्रतिकूल, उपदेश देते हैं उनके उपदेश क असर से लोगों को बचाने के लिए यदि समाज या सरकार कोशिश करे तो वह कोशिश अनुचित नहीं कही जा सकती। जो लोग अपने फ़ायदे के लिये दुसरों को उपदेश देते हैं उनको वैसा करने से यथासम्भव रोकना, और सब लोगों को जो मार्ग—अच्छा या बुरा—पसन्द हो उसीसे उन्हें चलने देना मुनासिब है। ऐसा करने से किसीकी कुछ हानि नहीं। एक उदा-

हरण लीजिए । खेल से सम्बन्ध रखनेवाला कानून यद्यपि ऐसा है कि उसके अनुसार इस बात का निश्चय ठीक ठीक नहीं हो कसता कि कौन खेल जा और कौन बेजा है; और यद्यपि हर आदमी अपने घर में, या परस्पर एक दूसरे के घरों में, या किसी ऐसी जगह जो चन्दे से खोली गई हो और जहां सिर्फ़ चन्दा देनेवाली मित्र-मंडली इकट्ठा होती हो, जुआ तक खेल सकती है; तथापि सर्वसाधारण के लिए जुआ खेलने के अङ्के खोलने की मनाई करना अनुचित नहीं । यह ज़रूर सच है कि इस तरह की मनाई से पूरी पूरी कामयाबी कभी नहीं हो सकती । क्योंकि पुलिस को चाहे जितना अधिकार दिया जाय और वह चाहे जितनी सख्ती करे, तथापि, किसी न किसी बहाने, जुआ खेलने के अङ्के हमेशा खोले ही जाते हैं । परन्तु इस तरह के जुआ-घर हुई जगहों में होते हैं और जो लोग उनको खोलते हैं वे इस बात की खबरदारी रखते हैं कि उनका पता कहीं सरकारी अफ़सरों को न लग जाय । इसलिए जो लोग पक्के जुआरी नहीं हैं और ऐसे अङ्कों की तलाश में नहीं रहते उनको छोड़ कर और आदमियों को उनका पता नहीं चलता । सुले मैदान जुआ खेलना मना करने से और लोग इस बुरी आदत से बचते हैं । समाज को इतना ही फ़ायदा काफ़ी समझना चाहिए । इसके आगे जाने का उसे अधिकार भी नहीं । यह दूसरे पक्षवालों की दलील हुई । यह दलील बहुत मज़बूत है—खूब सबल है । परन्तु यह कहने का साहस मैं नहीं कर सकता कि इस दलील के आधार पर मुख्य अपराधी को छोड़ देना और अपराध करने की उत्तेजना देनेवाले को सज़ा देना

मुनासिब होगा। इसे स्वीकार करने में अन्याय होता है—बात नीतिविरुद्ध होजाती है। इस दलील के अनुसार काररवाई करने से कुटनापन करनेवाले को सजा होगी, पर व्यभिचार करनेवाला साफ़ छूट जायगा। इसी तरह जुआ-घर खोलनेवाला पकड़ा जायगा, पर जुआ खेलनेवाला बच जायगा। इसीसे इस विषय को अभी विवादास्पद रहने देना ही अच्छा होगा। इस दलील के आधार पर क्रय-विक्रय के मामूली व्यापार में दस्तंदाज़ी करना—अर्थात् किसी चीज़ के बेचने या भोल लेने की मनाई कर देना—और भी अधिक अनुचित बात होगी। जितनी चीज़ें बाज़ार में बिकती हैं उनको बहुत अधिक खाजाने से नुकसान होने का डर रहता है। परन्तु बेचनेवाला हमेशा यहीं चाहता है कि उसकी बिक्री बढ़े और लोग उन चीज़ों को खूब खायें। अर्थात् वह बिक्री हुई चीज़ों के दुरुपयोग को उत्तेजित करता है। पर इस आधार पर शराब की बिक्री बन्द कर देना कभी उचित नहीं हो सकता। क्योंकि अधिक शराब पी कर उसका दुरुपयोग करनेवालों को उत्तेजन देने में यद्यमि दुकानदारों का फ़ायदा है, तथापि जो लोग शराब का सदुपयोग करते हैं, अर्थात् उसे अच्छे काम में लगाते हैं, उनके लिए इन दुकानदारों की ज़रूरत भी है। परन्तु दुरुपयोग करनेवालों को जो ये लोग उत्तेजना देते हैं उससे समाज की हानि ज़रूर होती है। यह हानि समाज के लिए बहुत ही अनिष्टकारक है। इससे ऐसे दुरुपयोग को बन्द करने के लिए दुकानदारों से ज़मानत लेना या इक़रारनामा लिखाना बहुत मुनासिब है। इस तरह के बन्धन से दुकानदारों की स्वतंत्रता में दस्तंदाज़ी नहीं होती। पर, हाँ, यदि इस तरह के बन्धन से

समाजका कोई फ़ायदा न होता तो उसकी गिनती दस्तावेज़ी में ज़रूर होती ।

यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है । वह यह है कि जो काम कर्ता के लिए हानिकारक है उसे ही यदि वह करना चाहे, और उससे किसी दूसरे का सम्बन्ध न हो, तो उसे उस काम को करने देना मुनासिब ज़रूर है । पर ऐसे काम का अप्रत्यक्ष रीति से प्रतिबन्ध करना गर्वनर्मेंट के लिए उचित है या नहीं ? उदाहरण के लिए, शराब पीकर मतवाले होने के साधनों को कम करने, या शराब बेचने की दुकानों की संख्या कम करके शराबियों के लिए उसका मिलना कुछ कठिन कर देने, के उपायों की योजना करना गर्वनर्मेंट को उचित है या नहीं ? और अनेक व्यावहारिक प्रभों की तरह इस प्रश्न के भी बहुत से भेद किये जाने की ज़रूरत है । नशे की चीज़ों पर इस मतलब से अधिक कर, अर्थात् टेक्स लगा देना कि उनके मिलने में लोगों को कठिनता पड़े, एक ऐसी बात है जो ऐसी चीज़ों की बिक्री को बिलकुल ही बन्द कर देने से थोड़ी ही भिन्न है । इन दोनों बातों में बहुत कम फ़रक़ है । अतएव, यदि ऐसी चीज़ों की बिक्री बिलकुल ही बन्द कर देना उचित माना जायगा तो कर लगाना भी उचित माना जायगा, अन्यथा नहीं । जिस चीज़ की कीमत जितनी अधिक बढ़ा दी जायगी उतनी ही अधिक मानो उन लोगों के लिए वह मनाई का काम देगी जो उसे उतनी कीमत देकर, लेनेका सामर्थ्य नहीं रखते । परन्तु जो उसे उतनी कीमत देकर भी लेने का सामर्थ्य रखते हैं उनको अपनी इच्छा तृप्त करने के लिए मानो उतना

दण्ड अर्थात् जुरमाना देना पड़ेगा । समाज और व्यक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन करना कानून और नीति के अनुसार हर आदमी का धर्म है । इन कर्तव्यों को पूरा करने के बाद हर आदमी को इस बात का हक् है कि अपनी चीज़ी हुई आमदनी को अपने आराम के लिए वह चाहे जिस तरह और चाहे जिस काम में खर्च करे । इन दलीलों को सुनकर बिना अच्छी तरह विचार किये शायद कोई यह कहे कि आमदनी बढ़ाने के लिए नशे की चीज़ों पर अधिक कर लगाना अनुचित है । पर यह बात याद रखना चाहिए कि सरकारी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत होने पर बिना कर बढ़ाये काम ही नहीं चल सकता । आमदनी बढ़ाने का एक मात्र यही उपाय है । बहुत से देशों में जो कर लगाया जाता है उसके अधिक भाग को, अप्रत्यक्ष रीति से, वसूल करने की ज़रूरत पड़ती है । अतएव खाने पीने की भी कुछ चीज़ों पर गवर्नरमेंट को लाचार होकर कर लगाना पड़ता है । इस कारण, ऐसी चीज़ों के उपयोग की थोड़ी बहुत प्रतिबन्धकता ज़रूर हो जाती है । अर्थात् कीमत बढ़ जाने से कुछ आदमी ऐसी चीज़ें मोल नहीं ले सकते । यह उनके लिए मनाई के ही बराबर है । इस कारण गवर्नरमेंट का यह धर्म है कि कर लगाने के पहले वह इस बात का अच्छी तरह विचार करले कि किन चीज़ें के बिना लोगों का काम चल सकता है और किनके बिना नहीं चल सकता । जिन चीज़ों का एक नियमित मात्रा से अधिक उपयोग, करने से लोगों की हानि होने का निःसन्देह डर हो उन पर अधिक कर

ल्याना गवर्नमेंट का कर्तव्य है । अतएव नशे की चीजों पर कर ल्याकर यदि गवर्नमेंट को अपनी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत हो तो जितने कर से गवर्नमेंट का काम होता हो उतना कर ल्याना उचित ही नहीं, किन्तु प्रशंसनीय भी है ।

यहां पर एक और बात का विचार करना है । वह यह कि नशे की चीजों को न्यूनाधिक परिमाण में बेचने का पूरा पूरा हक् कुछ ही आदमियों को देना चाहिए या नहीं । इसका जवाब उस काम के अनुसार होगा जिसके ख़्याल से बेचने का प्रतिबन्ध किया गया होगा । अर्थात् जैसा काम होगा वैसा ही जवाब भी होगा । जहां सब लोगों की आमद रफत रहती है—अर्थात् जो सार्वजनिक जगहें हैं—वहां पुलिस रखने की ज़रूरत होती है । पर जहां मादक पदार्थ, अर्थात् नशे की चीजें, बिकती हैं वहां तो पुलिस की ओर भी अधिक ज़रूरत होती है; क्योंकि समाज के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनका बीज बहुत करके ऐसी ही जगहों में बोया जाता है—वहीं ऐसे अपराधों की अधिक उत्पत्ति होती है । अतएव नशे की चीजों के बेचने का अधिकार सिफ़्र उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो सभ्य और अच्छे चालचलन के हैं और जो अपनी भल्मांसी की ज़मानत दे सकते हैं । यदि बिकने की जगह पर ही लोग ऐसी चीज़िं ख़र्च करते हों तो इस बात का ख़्याल रखना और भी ज़रूरी बात है । दुकान खोलने और बन्द करने का ऐसा समय नियत कर देना मुनासिब होगा जिसमें निशानी रखनेवाले अफ़सर, या पुलिस के अधिकारी, अच्छी तरह देस्त भाल कर सकें । दुकानदार के अयोग्य होने, या जान

बूझकर उसके आंख छिपाने, से यदि बार बार क्षगड़े फ़साद हों, या जुर्म करने के इरादे से वहां लोग इकड़े हों, तो नशे की चीज़ों के बेचने का लाइसेंस छीन कर दूकान बन्द कर देना चाहिए। इससे अधिक और कोई प्रतिबन्ध करना, मेरी समझ में, तत्त्वदृष्टि से अन्याय होगा। एक उदाहरण लीजिए। शराब पीने के लालच को घटाने, और शराब की दुकानों तक पहुँचने में बाधा डालने, के इरादे से यदि दुकानों की संस्था कम कर दी जाय तो जो लोग शराब का दुरुपयोग करते हैं उनके कारण सब लोगों को तकलीफ़ उठाना पड़े। अर्थात् ऐसा करने से कुछ आदमियों के कारण सब को शराब लेने में असुभीता हो और गेहूं के साथ धुन के भी पिस जाने की मसल पूरी हो जाय। इस तरह का प्रतिबन्ध सिर्फ़ उस समाज के लिए उपयोगी और उचित हो सकता है जिसमें कामकाजी लोग लड़कों या असम्य जंगली आदमियों की तरह अशिक्षित होते हैं; अतएव जिन्हें भविष्यत् में स्वाधीनता पाने के योग्य बनाने के लिये, हर बात में, नियमबद्ध करने की ज़रूरत रहती है। परन्तु किसी भी स्वाधीन देश में मेहनत मज़दूरी करनेवालों के साथ इस नियम के अनुसार खुले तौर पर बर्ताव नहीं किया जाता। और कोई आदमी, जिसे स्वाधीनता की सच्ची कीमत मालूम है, उनके साथ इस नियम के अनुसार बर्ताव किये जाने की राय भी न देगा। परन्तु यदि उनको स्वाधीनता की शिक्षा देने, और स्वाधीन आदमियों की तरह उनके साथ बर्ताव करने, के और सब साधनों की योजना निपटल हुई हो, और यह बात निर्विवाद सिद्ध होगई हो कि उनके साथ वही बर्ताव मुनासिन है जो लड़कों

के साथ किया जाता है, तो वात ही दूसरी है । इस हालत में पूर्वोक्त नियम के अनुसार बर्ताव किया जा सकता है । जिस वात के विचार की ज़रूरत है उसके विषय में सिफ़्र यह कह देना कि इसमें पूर्वोक्त नियम के अनुसार काररवाई होनी चाहिए सर्वथा असङ्गत है । क्योंकि कहने मात्र से यह नहीं साबित होता कि और सब साधनों के अनुसार बर्ताव करने की कोशिश निष्फल हुई है । नहीं, उसकी निष्फलता को सप्रमाण साबित करना चाहिए । आदमी अक्सर यह कहते हैं कि हम लोगों में यही चाल है, अथवा हम लोगों के यहां ऐसा ही व्यवहार होता आया है । पर यह कहना कोई कहना है । इसमें कोई अर्थ नहीं । यह प्रलाप मात्र है । इस देशमें जितनी सभायें, संस्थायें या समाज हैं वे सब असम्बद्ध बातों का समूह हैं । अतएव जो बातें प्रतिबन्धहीन और परम्पराप्राप्त राज्यों में ही देख पड़नी चाहिए वे हम लोगों के आचार और व्यवहार में युस गई हैं । और मुश्किल यह है कि यहां की सभायें सब स्वार्धीन हैं । इसलिए प्रतिबन्ध की बातों से नैतिक-शिक्षा-सम्बन्धी लाभ भी, जैसा चाहिए, नहीं होता । क्योंकि काफ़ी तौर पर ऐसी बातों का प्रतिबन्ध ही नहीं किया जा सकता ।

इस पुस्तक में, पहले कहीं पर, यह वात सिद्ध की जा चुकी है कि जिन बातों का सम्बन्ध और लोगों से नहीं है उनके विषय में हर आदमी स्वतंत्र है । वह उन बातों को जिस तरह चाहे कर सकता है । इसी नियम के अनुसार यदि कुछ आदमी मिल कर एक समाज की स्थापना करें, और जिन बातों से उस समाज के बेम्बरों

को छोड़ कर और किसीका सम्बन्ध नहीं है उनको यदि वे, एक दूसरे की अनुमति से, करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए वे सर्वथा स्वतंत्र हैं। ऐसे समाज के मेम्बरों की राय में जब तक कोई फेरफार नहीं होता तब तक इस विषय में कोई बाधा नहीं आती—अर्थात् तब तक उनकी स्वतंत्रता बनी रहती है। परन्तु राय एक ऐसी चीज़ है कि वह हमेशा कायम नहीं रहती; वह बदला करती है। अतएव जिन बातों से सिर्फ़ किसी समाज-विद्येष ही का सम्बन्ध है उनके विषय में भी समाज के सब आदमियों को परस्पर एक दूसरे से इकरार कर लेना चाहिए। इस तरह का इकरार हो जाने पर उनसे उसे पूरा कराना मुनासिब है। पीछे से चाहे उसे पूरा करने की उनकी इच्छा न हो, तो भी, नियम यही है कि वे उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पूरा करें। उस समय उनकी इच्छा की परवा करना न्यायसङ्गत नहीं। परन्तु जितने देश हैं प्रायः सब की कानूनी किताबों में इस नियम के अपवाद पाये जाते हैं। अर्थात् बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके विषय में इस नियम से काम नहीं लिया जाता। जिस इकरार—जिस प्रतिज्ञा—से किसी तीसरे आदमी का नुकसान होने का डर होता है सिर्फ़ उसे ही न पूरा करने की जिम्मेदारी से वे नहीं बरी कर दिये जाते; किन्तु जिस प्रतिज्ञा से परस्पर दो आदमियों में से एक का भी नुकसान होने का डर होता है उसकी जिम्मेदारी से भी वे कभी कभी बरी कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ इंग्लैंड, और प्रायः दूसरे सभ्य देशों में भी, यदि कोई आदमी गुलाम बनाये जाने के लिए बिकने

या बेचे जाने का इकरार करे, तो उसका वह इकरार व्यर्थ होगा । ऐसा इकरार न तो कानून ही के बल पर पूरा किया जा सकेगा और न लोकसम्मति ही के बल पर । अपनी इच्छा के अनुसार लोगों के ऐहिक जीवन की यथेच्छ व्यवस्था करने के हक् में इस तरह बाधा ढालने का कारण स्पष्ट है । निजकी स्वाधीनता से सम्बन्ध रखनेवाले इस चरम सीमा के उदाहरण में प्रतिबन्ध करने का कारण तो और भी अधिक स्पष्ट है । जिस बात से दूसरों का सम्बन्ध नहीं है उसके विषय में किसीकी स्वतंत्रता में दस्तावेज़ी न करने का मुख्य कारण सिर्फ़ स्वतंत्रता-सम्बन्धी प्रेम है । जब कोई आदमी खुशी से कोई स्थिति-विशेष पसन्द कर लेता है तब उससे यह सूचित होता है कि उसे वह स्थिति इष्ट या लाभदायक ज़रूर मालूम हुई होगी; अथवा, यदि यह, नहीं तो कम से कम वह सल्ला, अर्थात् सहन करने के लायक, तो ज़रूर ही जान पड़ी होगी । अतएव, सब बातों का विचार करके, उसे उस काम को करने, अथवा उस स्थिति में रहने देने, से ही उसका हित होगा । परन्तु जो आदमी गुलाम बनने के लिए अपने को बेचता है वह उसके साथ ही अपनी स्वतंत्रता को भी बेच देता है । अतएव अपने निज के सब कामों को स्वतंत्रता-पूर्वक करने का उसे जो हक् है उससे वह हाथ धो बैठता है । इसलिए जिस उद्देश से उसे अपनी मन मानी व्यवस्था करने देना न्याय्य समझा जाता है वह उद्देश ही उसके इस अकेले एक काम से निष्फल हो जाता है । उस समय से उनकी स्वतंत्रता जड़ से जाती रहती है, और वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि खुशी से और किसी स्थिति में रहने

से जो बातें वह अपने अनुकूल कर सकता वे उस स्थिति में नहीं की जा सकतीं। स्वतंत्रता का यह उद्देश नहीं है कि उसे पाकर सुदृढ़ उसे ही कोई खो बैठे। स्वतंत्रता को बेच देना स्वतंत्रता नहीं कहलाती। यह कारण-परम्परा बहुत व्यापक है; ये दूलीलों दूर तक काम दे सकती हैं। गुलामी से सम्बन्ध रखनेवाला जो उदाहरण मैंने यहां पर दिया उससे इन दूलीलों की गुरुता साफ़ ज़ाहिर है। परन्तु संसार में रह कर बहुत दफ़े अपनी स्वतंत्रता को कम कर देने की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात् अकसर ऐसे मौके आते हैं जब आदमी को अपनी स्वाधीनता का प्रतिबन्ध करना पड़ता है। तथापि स्वतंत्रता को बिलकुल ही बेच देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वतंत्रता को बिलकुल बेच देने और उसका प्रतिबन्ध करने में बहुत फ़रक़ है। परन्तु जिन बातों से सिर्फ़ कर्ता का ही सम्बन्ध है उनको स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार उसे करने देना जिस सिद्धान्त का उद्देश है, उसीका यह भी उद्देश है, कि जिन बातों का किसी तीसरे से सम्बन्ध नहीं है उनके विषय में, यदि लोग परस्पर एक दूसरे से किसी तरह का इक़रार कर लें तो, उस इक़रार से छुटने के लिए भी उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस इक़रार से रुपये पैसे का सम्बन्ध है उसको छोड़ कर और कोई प्रतिज्ञा ऐसी नहीं है जिसके विषय में यह कहा जा सके, कि परस्पर एक दूसरे की सम्मति के बिना, दो आदमियों में से जिसकी इच्छा हो वह उस प्रतिज्ञा से अपने को मुक्त न करे। बैरन हम्बोल्ट, जिसकी परमोक्तम पुस्तक से मैंने पहले, कहीं पर, एक जगह, एक अवतरण दिया है, कहता है कि जो प्रतिज्ञायें शारीरिक सम्बन्ध या

शारीरिक भेदनत के विषय में की जाती हैं उनको एक नियत समय तक ही के लिए करना चाहिए । यह नहीं कि वे सदा सर्वदा के लिए की जायें । यदि ऐसी प्रतिज्ञाओं को कोई हमेशा के लिए करे भी तो भी क़ानून की वृष्टि से वे नाजायज् समझी जायें । ऐसी प्रतिज्ञाओं में से विवाह-बन्धन की प्रतिज्ञा सब से अधिक महत्व की है । यह एक ऐसी प्रतिज्ञा है कि प्रतिज्ञा करनेवाले दोनों मनुष्यों अर्थात् स्त्री-पुरुषों, का मन यदि अच्छी तरह न मिला तो यह व्यर्थ जाती है । इस बन्धनरूपी प्रतिज्ञा के विषय में यह बहुत बड़ी विशेषता है । अतएव यदि दो में से एक का भी मन न मिला, और स्त्री अथवा पुरुष ने विवाह-बन्धन से मुक्त होने की इच्छा जाहिर की, तो उसे वैसा करने देना चाहिए । इस बन्धन से छूटने के लिए किसी तरह की बाधा डालना मुनासिब नहीं । यह विषय बहुत बड़े महत्व और झगड़े का है । इससे इस निबन्ध के बीच में इसका विवेचन विस्तार-पूर्वक नहीं किया जा सकता । अतएव दृष्टान्त के तौर पर इसकी जितनी ज़रूरत थी उतनी ही का उल्लेख करना मैं यहां पर बस समझता हूँ । यह विवेचन बहुत ही सांकेतिक और सिद्धान्तरूपी है । इसीसे प्रमाण देने के बखेड़े में न पड़कर हम्मोल्ट साहब ने सिर्फ़ निर्णय-रूपी सिद्धान्त देकर इस विषय को समाप्त कर दिया है । यदि विवाह-बन्धनविषयक यह विवेचन सिद्धान्त के रूप में न होता तो इस बात को वह ज़रूर क़बूल कर लेता कि इतने थोड़े में और इतने सीधे सादे तौर पर इसका निर्णय नहीं हो सकता । जब कोई आदमी साफ़ साफ़ प्रतिज्ञा करके, अथवा किसी विशेष प्रकार

का व्यवहार करके, दूसरे के मन में यह विश्वास पैदा कर देता है कि मैं अमुक तरह का बर्ताव तुम्हारे साथ करूँगा; अतएव जब इस प्रतिज्ञा के भरोसे उस दूसरे आदमी के मन में नई नई उम्मेद पैदा हो जाती हैं, नई नई अटकलें वह लगाने लगता है, और अपने जीवन के कुछ हिस्से को वह एक नये सांचे में ढालने लगता है, तब नीति की दृष्टि से पहले आदमी के सिर पर दूसरे आदमी के सम्बन्ध में एक नई तरह की ज़िम्मेदारी आ जाती है। यह ज़िम्मेदारी, कारण उपस्थित होने पर, रद की जा सकती है—मेट दी जा सकती है; पर यह नहीं कि जब जिसके दिल में आवे उसे मेट दे। उस पर विचार ज़रूर करना होगा। विचार में सबल कारण उपस्थित होने पर वह रद की जा सकती है। इसके सिवा, दो आदमियों में आपस की प्रतिज्ञा से उत्पन्न हुए सम्बन्ध का यदि तीसरे आदमियों पर कुछ असर हुआ; अथवा, यदि, उसके कारण, तीसरे आदमियों की स्थिति में कुछ फेरफार हो गया; अथवा, यदि, जैसे विवाह में होता है, तीसरे आदमी (संतान) नये पैदा हो गये तो उन तीसरे आदमियों से सम्बन्ध रखनेवाली कर्तव्यरूपी एक नई ज़िम्मेदारी भी उन दोनों आदमियों पर आ जाती है। अतएव दो आदमी परस्पर जो प्रतिज्ञा करते हैं उस प्रतिज्ञा के तोड़ने या पूरा करने ही पर इस नई ज़िम्मेदारी का निर्वाह, या निर्वाह करने का तरीक़ा, बहुत कुछ अवलम्बित रहता है। यहां पर तीसरे आदमियों से मतलब, परस्पर प्रतिज्ञा करनेवाले दो आदमियों को छोड़ कर, और आदमियों से है। इस पारस्परिक प्रतिज्ञा या इकरार के विषय में जो कुछ मैंने लिखा उसका यह

अर्थ नहीं, और मैं इस अर्थ को कृबूल भी नहीं करता, कि इस नई जिम्मेदारी के स्वयाल से प्रतिज्ञा करनेवालों को अपनी प्रतिज्ञा का पालन, चाहे कितना ही नुकसान क्यों न हो, करना ही चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि इन बातों का विचार करना चाहिए। अर्थात् इस तरह की प्रतिज्ञा के सम्बन्ध में तीसरे आदमियों के हिताहित पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है। हम्बोल्ट के कहने के अनुसार यदि यह बात मान भी ली जाय कि कानून की रूल से की हुई प्रतिज्ञा के तोड़ने के हक् में किसी तरह का फ़रक़ डालना मुनासिब नहीं, तो भी प्रतिज्ञा करनेवालों के नैतिक हक् में ज़रूर ही फ़रक़ पड़ जाता है। जिस इकरार—जिस प्रतिज्ञा—का तीसरे आदमियों के हिताहित से बहुत घना सम्बन्ध हो उसे करने के पहले दोनों आदमियों को चाहिए कि वे इन सब बातों का अच्छी तरह विचार कर लें। पर, यदि, इस तरह का विचार कोई न करे, और उसकी इस भूल के कारण तीसरे को कुछ हानि पहुँचे, तो हानि की नैतिक जिम्मेदारी उसके सिर पर है। स्वतंत्रता के व्यापक सिद्धान्तों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने के इरादे से ही मैंने इतना विवेचन किया। अन्यथा इस विषय में इतना लिखने की कोई ज़रूरत न थी। क्योंकि विवाह-बन्धन के सम्बन्ध में विशेष वाद—विवाद करने से यह सूचित होता है कि विवाह की प्रतिज्ञा से बद्ध होनेवाले तरुण स्त्री-पुरुषों के हिताहित की परवा कोई चीज़ नहीं; उनके भावी बाल-बच्चों के हिताहित की ही परवा सब कुछ है।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सर्व-सम्मत और व्यापक सिद्धान्तों के न होने से जिन बातों की स्वतंत्रता न देना चाहिए उनकी स्वतंत्रता तो अक्सर दी जाती है और जिनकी देना चाहिए उनकी नहीं दी जाती। अर्वाचीन योरप में एक बात ऐसी है जिसके विषय में लोगों के स्वतंत्रता-सम्बन्धी मनोविकार बहुत ही प्रबल हैं; परन्तु उस बात की स्वतंत्रता देना, मेरी समझ में, अनुचित है। जिन बातों से औरों का सम्बन्ध नहीं उनको यथेच्छ करने की हर आदमी को स्वतंत्रता है; परन्तु यदि कोई आदमी दूसरों के काम-काज को, अपना ही समझने के बहाने, उसे करना चाहे तो उसका प्रतिबन्ध ज़रूर करना चाहिए। इस विषय में उसे मनमानी बात करने की स्वतंत्रता देना मुनासिब नहीं। निजसे ही विशेष सम्बन्ध रखनेवाले काम-काज के विषय में हर आदमी को स्वतंत्रता देना जैसे गर्वनेट का कर्तव्य है, वैसे ही उसका यह भी कर्तव्य है कि जिसको उसने दूसरों पर हुकूमत करने का अधिकार दिया है उस पर वह अच्छी तरह निगाह रखते। अर्थात् वह इस बात को देखती रहे कि उसके अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं करते। परन्तु कुटुम्ब के आदमियों का परस्पर एक दूसरे से जो सम्बन्ध होता है उसके विषय में गर्वनेट अपने इस कर्तव्य का बहुत अनादर करती है। संसार में जितनी महत्त्व की बातें हैं वे सब मिल कर भी इस कुटुम्ब-सम्बन्धी बात की बराबरी नहीं कर सकतीं। इसका प्रभाव हर आदमी की सुख-सामग्री पर पड़ता है। पहली पर पति प्रायः बादशाह की तरह हुकूमत करता है। पर इस विषय में, यहां पर,

विस्तार-पूर्वक लिखने की ज़रूरत नहीं । इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि लियों को वे ही हक़ मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिले हैं, और कानून जैसे औरों की रक्षा करता है वैसे ही उसे लियों की भी रक्षा करना चाहिए । बस इससे अधिक और कुछ न चाहिए । इतने ही से लियों के सम्बन्ध की बुराइयां रफ़ा हो जायेंगी । इस विषय में अधिक न लिखने का दूसरा कारण यह है कि लियों पर चिरकाल से होनेवाले अन्याय के जो पृष्ठपोषक हैं वे इस बात ही को नहीं कबूल करते कि लियों को भी स्वतंत्रता देना चाहिए । वे खुले मैदान कहते हैं कि लियों पर पुरुषों की सत्ता होने ही में समाज का कल्याण है । अतएव विवाद किस बात पर किया जाय? सच पूछिए तो सन्तान के सम्बन्ध में माँ-बाप को जो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसकी ठीक ठीक कल्पना ही लोगों को नहीं है; और यदि है भी तो वह कल्पना यथास्थान नहीं है । अर्थात् उस स्वतंत्रता का जैसा प्रयोग होना चाहिए वैसा नहीं होता । यही कारण है जो सन्तान-विषयक अपने कर्तव्य को पालन करने में गवर्नमेंट को अनेक विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ता है । लोगों को इस बात का इतना अधिक पक्षपात है—उनको इस बात की इतनी अधिक हठ है—कि उनकी राय में सन्तति पर माँ-बाप की पूरी और अनन्य-साधारण सत्ता है । वे कहते हैं कि इस सत्ता में ज़रा भी दस्तावेज़ी करने का किसी को अधिकार नहीं । इन बातों को सुन कर यह स्वयाल होता है कि “आत्मा वै जायते पुत्रः”—अर्थात् पिता की आत्मा का ही दूसरा रूप पुत्र है—यह उकि आ-लङ्कारिक नहीं, किन्तु अक्षरशः सच है । खुद बाप की स्वतंत्रता में

चाहे जितनी दस्तांदाज़ी हो, इसकी लोग कम परवा करेंगे । पर बेटे के सम्बन्ध में बाप को लोगों ने जो स्वतंत्रता दी है उसमें ज़रा भी दस्तांदाज़ी होते देख लोग आपे से बाहर हो जाते हैं । इससे सष्ट है कि स्वतंत्रता की अपेक्षा लोग सत्ता की क़ीमत अधिक समझते हैं । उदाहरण के लिए सन्तान की शिक्षा की बात पर विचार की-जिए । क्या यह एक स्वयंसिद्ध बात नहीं है कि जितने मनुष्य जन्म लें उनको एक नियत सीमा तक शिक्षा देने के लिए सब लोगों को बाध्य करना गवर्नरेंट का काम है ? परन्तु क्या एक भी ऐसा आदमी है जिसे इस सिद्धान्त को क़बूल करने और निःडर हो-कर प्रसिद्धिपूर्वक ज़ाहिर करने में संकोच न होता हो । शायद ही कोई इस बात को न क़बूल करेगा कि किसी प्राणी को पैदा करके उसे संसार में अपने, और दूसरों से सम्बन्ध रखनेवाले, व्यवहारों को अच्छी तरह करने के योग्य बनाने के लिए उचित शिक्षा देना माँ-बाप का (अथवा आज कल की रुढ़ि और कानून के अनुसार बाप का) सब से बड़ा कर्तव्य है । इस बात को यद्यपि सब लोग क़बूल करते हैं; यद्यपि वे इस बात को निःसन्देह मानते हैं कि इतनी शिक्षा देना बाप का परम कर्तव्य है; तथापि इस देश में ढंढने से शायद ही कोई आदमी ऐसा मिले जो इस बात को शान्तचित्त होकर सुन ले कि इस कर्तव्य को पूरा कराने के लिए बाप को लाचार करना चाहिए—अर्थात् यदि वह खुशी से इसे पूरा न करतो उस पर बल-प्रयोग किया जाय । अपनी सन्तानि को शिक्षा देने के लिए मेहनत करने या किसी तरह का नुकसान उठाने की तो बात ही नहीं, उल्ल्या बिना कौड़ी पैसा खर्च किये भी शिक्षा का प्रबन्ध कर देने पर, यह

बात बाप की मरज़ी पर छोड़ दी गई है कि उसका जी चाहे तो वह अपने लड़के लड़कियों को शिक्षा दिलावे और न जी चाहे तो न दिलावे । इस बात को लोग अब तक क़बूल नहीं करते कि लड़कों को जीता रखने के लिए भोजन—वस्त्र इत्यादि की ही नहीं, किन्तु उनको पढ़ाने और मानसिक शिक्षा देने की भी काफ़ी शक्ति यदि बाप में न हो तो लड़के पैदा करना मानो उन अभागी लड़कों के, और समाज के भी, विरुद्ध बहुत बड़ा नैतिक अपराध करना है; और यदि बाप अपने इस कर्तव्य को न पूरा करे तो, जहां तक हो सके, उसीके स्वर्च से लड़कों की शिक्षा का प्रबन्ध बल्पूर्वक कराना गवर्नर्मेंट का कर्तव्य है ।

यदि यह सिद्धान्त एक बार क़बूल कर लिया जाय कि बल्पूर्वक सार्वजनिक शिक्षा दिलाना गवर्नर्मेंट का काम है तो, कैसी और किसी तरह शिक्षा देनी चाहिए इत्यादि बखेड़े की बातें और कठिनाइयां हमेशा के लिए दूर हो जायें । इन्हीं झंझटों और कठिनाइयों के कारण आज कल जुदा जुदा पन्थों और सम्प्रदायों में झगड़े हो रहे हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार काम शुरू कर देने से ये झगड़े भी दूर हो जायेंगे और जो श्रम और समय खुद शिक्षा के काम में लगना चाहिए वह शिक्षाविषयक वाद-विवाद में व्यर्थ भी न जायगा । यदि गवर्नर्मेंट यह कानून जारी कर दे कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए तो इस काम में उसे जो मेहनत पड़ती है वह बच जाय । इस बात को गवर्नर्मेंट माँ-बाप पर छोड़ दे कि जहां और जिस तरह से उनको सुभीता हो अपने बच्चों की शिक्षा का वे प्रबन्ध करें । फ़ीस देकर गवर्नर्मेंट सिर्फ़

ग्रीष्म आदमियों के लड़कों की मदत करे, और जिनका कोई वारिस न हो उनकी शिक्षा में जो स्वर्च पड़े वह भी सब वही दे । इस बात के प्रतिकूल कोई उचित आक्षेप नहीं हो सकते कि गवर्नमेंट को प्रजा के द्वारा शिक्षा दिलानी चाहिए । हाँ; यदि, गवर्नमेंट शिक्षा का सारा प्रबन्ध अपने ही हथ में लेले तो उस प्रबन्ध के प्रतिकूल आक्षेप ज़रूर हो सकते हैं । अपने लड़कों को शिक्षा देने के लिए लोगों को मज़बूर करना एक बात है, और शिक्षा-सम्बन्धी सारा प्रबन्ध खुद ही करते बैठना दूसरी बात है । दोनों में बहुत अन्तर है । शिक्षा-सम्बन्धी सब तरह का, या बहुत कुछ, प्रबन्ध खुद करना गवर्नमेंट को उचित नहीं । इस बात को मैं और लोगों से भी अधिक बुरा समझता हूँ ।

स्वभाव की विलक्षणता, मत की भिन्नता और बर्ताव की विचित्रता के माहात्म्य के विषय में जो कुछ मैंने कहा है उससे शिक्षा की विचित्रता भी सिद्ध है । सच तो यह है कि शिक्षा की विचित्रता की महिमा और भी अधिक है । वह अनिवृच्छनीय है । उसका बयान नहीं हो सकता । जैसे जुदा जुदा राय, बर्ताव और स्वभाव का होना ज़रूरी है वैसे ही जुदा जुदा तरह की शिक्षा का होना भी ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है । गवर्नमेंट के द्वारा एक ही तरह की शिक्षा का जारी होना मानों सब आदमियों को एक साकर ढालना अथवा एक ही सांचे में ढालना, है । गवर्नमेंट से सम्बन्ध रखनेवाले लोगों में से जिनका पक्ष प्रबल होता है वे जिस तरह के सांचे को पसन्द करते हैं उसी तरह का वह बनता है । अर्थात् उनको जिस सांचे की शिक्षा अच्छी लगती है उसी के देने

का वे प्रबन्ध करते हैं। चाहे राजा प्रबल हो, चाहे धर्माधिकारी अर्थात् पादरी-दल प्रबल हो, चाहे सरदार लोग प्रबल हों, चाहे वर्तमान पुश्त में से अधिक आदमियों का कोई समूह प्रबल हो— वह उसी को जारी करेगा। अर्थात् जिसको जिस सांचे की शिक्षा पसन्द होगी वह उसी को जारी करेगा। जो जितना अधिक प्रबल और हुकूमत में जितना अधिक कामयाब होता है उसका सांचा भी उतना ही अधिक प्रबल और नमूनेदार होता है। समाज का मन और शरीर उसीके प्रतिबिंब हो जाते हैं। अर्थात् मन और शरीर दोनों से सारा समाज उस राजकीय प्रबल पक्ष के हाथ बिक सा जाता है— वह उसका गुलाम सा हो जाता है। यदि गवर्नर्मेंट अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा देना और उसका प्रबन्ध-सूत्र भी अपने हाथ में रखना ही चाहे तो नमूने के तौर पर पहले उसे वैसा करना चाहिए। अर्थात् परीक्षा के तौर पर और लोग जैसे जुदा जुदा तरफ़ के से शिक्षा देते हैं वैसे ही मर्वर्नर्मेंट को भी करना चाहिए। ऐसा करने से जहां और लोगों के जारी किये हुए शिक्षा के तरीकों की जाच होगी वहां गवर्नर्मेंट के तरीके की भी हो जायगी और उसके गुण-दोष मालूम हो जायेंगे। बहुत ही अच्छा हो यदि गवर्नर्मेंट अपनी शिक्षा के तरीके को सब से उत्तम करके बतलावे, जिसमें और लोगों को उससे उत्साह और उत्तेजना मिले, और वे भी उसी तरीके को आदर्श मानकर अपने अपने तरीके में मुनासिब फेरफार करें। यदि किसी समाज की दशा यहां तक बुरी हो—यदि किसी समाज की उभाति इस दरजे तक पहुँचे पड़ी हुई हो—कि शिक्षा की किसी अच्छी रीति

को वह निकाल ही न सके, अथवा निकालने की इच्छा ही उसे न हो, तो बात दूसरी है। इस दशा में शिक्षा का प्रबन्ध गवर्नर्मेंट को करना ही होगा। जब व्यापार और उद्योग धन्धे के बड़े काम करने की यथोचित शक्ति लोगों में नहीं होती तब लाचार होकर गवर्नर्मेंट को ही ऐसे काम करने पड़ते हैं। उसी तरह, समाज की हीन दशा में गवर्नर्मेण्ट स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय खोल कर उनको जारी रखते। समाज की सन्ताति को बिलकुल ही शिक्षा न मिलना भी बुरा है और एक ही तरह की शिक्षा न मिलना भी बुरा है। परन्तु पहले की अपेक्षा दूसरी बात कम हानिकारक है। इससे जब तक समाज की दशा न सुधरे तब तक थोड़ी हानि ही सही। पर, गवर्नर्मेण्ट की मदद से शिक्षा देने के लिए यदि देश में काफी आदमी मिलते हों, और वे उस काम के लिए लायक भी हों, तो सब लोगों की इच्छा के अनुसार जुदा जुदा तरह की वैसी ही अच्छी शिक्षा देने के लिए भी वे ज़रूर राजी होंगे। अतएव सब लोगों को अपने अपने लड़कों को शिक्षा देनी ही चाहिए, इस तरह का एक कानून बनाकर गवर्नर्मेण्ट को चाहिए कि वह ऐसे आदमियों को उचित उत्तेजन दे और जो लड़के स्कूल का स्वर्च खुद न दे सकें उन्हें वह स्वर्च भी देने की उदारता दिखावे। बस गवर्नर्मेण्ट का कर्तव्य सिर्फ़ इतना ही है।

यह कायदा जारी करने के लिए—इस कानून को अमल में लाने के लिए—गवर्नर्मेण्ट को चाहिए कि वह थोड़ी ही उम्र में सब बच्चों की परीक्षा का प्रबन्ध करे। इस काम के लिए यही साधन सब से अच्छा है। गवर्नर्मेण्ट को उम्र की सीमा नियत कर देना चाहिए

और देखना चाहिए कि उस उम्र में हरएक बच्चा लिख पढ़ सकता है या नहीं । बच्चे से यहां मतलब लड़का और लड़की दोनों से है । यदि परीक्षा में कोई बच्चा फेल हो जाय अर्थात् वह लिख पढ़ न सके तो, मुनासिब कारण न बताला सकने पर, बाप पर गवर्नर्मेट नियत दण्ड करे । इस दण्ड को वह, ज़खरत समझे तो, बाप से मेहनत के रूप में ले और बच्चे को उसीके स्वर्च से स्कूल भिजवावे । यह परीक्षा हर साल ली जाय और परीक्षा के विषय धीरे धीरे बढ़ाये जायँ । ऐसा करना मानो सब लोगों को मजबूर करना होगा कि उन्हें अपने बच्चों को अमुक दरजे तक अमुक प्रकार की शिक्षा देनी ही चाहिए । और उस शिक्षा का संस्कार उनके मन पर होना ही चाहिए । इसके सिवा सब विषयों में ऊँची ऊँची परीक्षायें नियत करना चाहिए । जिनमें शामिल होना लोगों की खुशी पर अवलम्बित रहे । जो इन परीक्षाओं को पास कर ले उनको सरटीफिकेट दी जाय । गवर्नर्मेट को मुनासिब है कि इस परीक्षा-प्रबन्ध के द्वारा वह जन-साधारण की राय के प्रतिकूल कोई काम न करे । गवर्नर्मेट की अनुचित दस्तावेज़ी को रोकने के लिए, ऊँचे दरजे तक की परीक्षाओं में, निश्चित शास्त्रों और निश्चित बातों से ही सम्बन्ध रखनेवाले विषय रहें । ऐसा करने से विवाद के लिए जगह न रहेगी—भिन्न मत होने का डर न रहेगा । भाषा और उसके प्रयोग का सिर्फ़ इतना ही ज्ञान होना चाहिए जितने से परीक्षा के विषयों को समझने और सवालों का जवाब देने में सुभीता हो । धर्म, राजनीति या और ऐसे ही वादग्रस्त, अर्थात् झगड़े के, विषयों में परीक्षा लेते समय इस तरह के सवाल

न पूछने चाहिए कि कोई विशेष प्रकार का मत ठीक है या नहीं। सवाल इस तरह के होने चाहिए कि किस ग्रन्थकार ने किस आधार पर—किन प्रमाणों के बल पर—अमुक मत का ठीक होना सिद्ध किया है; और उस मत को किस पन्थ या किस सम्प्रदाय ने क़बूल किया है। इस तरह की काररवाई से वादग्रस्त विषयों के सम्बन्ध में वर्तमान समय के उन्नतिशील जन-समूह की जैसी स्थिति है जैसी ही बनी रहेगी; उससे बुरा न हो सकेगी। अर्थात् इस तरह की परीक्षाओं के कारण उस स्थिति में कोई फ़रक़ न पड़ेगा। उसकी अवनति का डर न रहेगा। जो लोग सनातन अर्थात् लृहृ धर्म के अनुयायी होंगे उनको उस धर्म की शिक्षा मिलेगी और जो किसी और धर्म के अनुयायी होंगे उनको उस धर्म की शिक्षा मिलेगी। अर्थात् जिसका जो धर्म होगा उसे उस धर्म को छोड़ने की शिक्षा न दी जायगी। यदि लड़कों (या लड़कियों) के माँ-बाप को कोई उच्च न हो तो जिस स्कूल में और और विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली शिक्षा दी जाय उसी में धर्म-सम्बन्धी शिक्षा भी दी जाय। जिन बातों के विषय में विवाद है, अर्थात् जो विषय वादग्रस्त हैं, उनके सम्बन्ध में जनसमूदाय की राय में दस्तंदाज़ी करने का यत्न करना गवर्नरमेण्ट को मुनासिब नहीं। इस तरह की दस्तंदाज़ी से बहुत नुकसान होता है। परन्तु किसी भी जानने लायक विषय के सिद्धान्त सुनने और समझने भर का ज्ञान विद्यार्थियों को हो गया है या नहीं, इस बात की परीक्षा लेना, और उसमें पास होने पर सरटीफिकट देना, दस्तंदाज़ी नहीं कह-

आती । जो लोग तत्त्वविद्या सीखते हैं उनके लिए लाक * और कांती † इन दोनों के सिद्धान्तों को जान कर उनमें पास हो जाना गहित ही की बात है, अहित की नहीं । इस विषय में इस बात की बिलकुल परवा न करना चाहिए कि इनमें से किसी के मत से पढ़-नेवाले का मत मिलता है या नहीं । विद्यार्थी का मत चाहे इनमें से किसीके मत से मिले, चाहे न मिले, लाभ उसे ज़रूर होगा और बहुत होगा । ऐसा तो मत यह है कि क्रिश्यन धर्म के प्रमाणें या तत्त्वों में यदि किसी नास्तिक की परीक्षा ली जाय तो भी अनुचित नहीं—तो भी इस बात के प्रतिकूल कोई मुनासिब दलील नहीं पेश की जा सकती । पर, हाँ, इस बात को स्वीकार करने के लिए लाचार नहीं करना चाहिए कि क्रिश्यन लोगों के धर्म-तत्त्वों पर

* लाक नाम का एक महा विद्वान् तत्त्वज्ञ सत्रहवीं सदी में हो गया है । उसका जन्म इंगलैंड में हुआ था । अनुभव के सम्बन्ध में उसने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । उसके सारे ग्रन्थ प्रायः तत्त्व-शास्त्र पर हैं । वह बहुत बड़ा दार्शनिक पंडित था । कल्पनाओं का संयोग किसे कहते हैं ? मानुषी बुद्धि क्या चीज़ है ? ज्ञान की मर्यादा क्या है ? भाषा की प्रभुता ज्ञान पर कैसी और कितनी होनी चाहिए ? इन्हीं विषयों पर उसने बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे हैं ।

† कान्ती जर्मनी का प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता है । उसका जन्म १७२४ में हुआ था और मरण १८०४ में । पहले उसने ज्योतिःशास्त्र यंत्रशास्त्र और पदार्थ-विद्या, पर ग्रन्थ लिखे । इसके बाद उसने अध्यात्मविद्या का अध्ययन किया और उसी विषय के ग्रन्थ लिखे । विचार-शक्ति के ऊपर उसके ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं । पहले योरप में तत्त्वशास्त्र के आधार धर्म-वाक्य थे । पर कांती के ग्रन्थ देखकर लोगों की श्रद्धा वैसे तत्त्वशास्त्र से हट गई । तब से विचारशक्ति के आधार पर बने हुए तत्त्वशास्त्र की महिमा बढ़ी ।

मेरा विश्वास है। मेरी समझ में ऊंचे दरजे की परीक्षायें विद्यार्थी की मरज़ी पर छोड़ देना चाहिए। यदि उसकी खुशी हो तो वह इस तरह की परीक्षायें दे और यदि न हो तो न दे। जितने रोज़-गार—जितने उद्योग हैं उनके विषय की शिक्षा देने में गवर्नर्मेण्ट को दस्तावेज़ी न करना चाहिए। अध्यापकी का काम करने की इच्छा रखनेवालों की शिक्षा में भी उसे बाधा न डालनी चाहिए। यदि गवर्नर्मेण्ट यह नियम कर दे कि इस पेशे के लोगों को अमुक दरजे तक पढ़ना ही चाहिए तो परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इस विषय में मेरा और हम्बोल्ट का (जिसका जिक्र पहले आनुका ह) मत एक है। मेरी राय यह है कि जो लोग विज्ञान या किसी व्यापार, रोज़गार या पेशे की शिक्षा पाकर परीक्षा देना चाहें और परीक्षा में वे पास हो जायें, उनको गवर्नर्मेण्ट खुशी से सरटीफ़िकेट और पदक दे। परन्तु जिन लोगों ने ऐसी परीक्षा न पास की हो उनको उनका ईप्सित रोज़गार करने से रोकना उसे मुनासिब नहीं। यदि सब लोग परीक्षा पास करनेवालों को अधिक पसंद करें, अतएव इससे यदि न पास करनेवालों का नुकसान हो जाय, तो उपाय नहीं। पर परीक्षा पास करनेवालों की जीविका के सुभीते के लिए गवर्नर्मेण्ट कोई विशेष नियम न बनावे; सिर्फ़ उन्हें सरटीफ़िकेट या पदक देकर वह चुप हो जाय।

स्वतंत्रता के सम्बन्ध में लोगों की कल्पनायें यथास्थान और निर्भय न होने से बहुत हानि होती है। माँ—बाप का कर्तव्य है कि वे अपने बालबच्चों को उचित शिक्षा दें; परन्तु स्वतंत्रता का ठीक मतलब समझ में न आने के कारण इस कर्तव्य की गुरुता लोगों के

ध्यान में नहीं आती । इसी से शिक्षा के सम्बन्ध में माँ-बाप के लिए किसी तरह का कानूनी बन्धन भी नहीं निष्ठत किया जाता । माँ-बाप के इस कर्तव्य के पोषक बहुत मज़बूत प्रमाण दिये जा सकते हैं—यह नहीं कि कभी किसी विशेष कारण से दिये जा सकते हों, नहीं हमेशा दिये जा सकते हैं । और माँ-बाप पर कानूनी बन्धन डालने की ज़्युरत के भी बहुत से प्रमाण दिये जा सकते हैं । परन्तु स्वतंत्रता का ठीक अर्थ ही लोगों की समझ में नहीं आता । अतएव शिक्षा के विषय में ये पूर्वोक्त दोनों ही बातें नहीं होतीं । यह दशा सिर्फ़ शिक्षा ही की नहीं है । संसार में मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली महत्त्व की जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं उनमें से एक नये जीव को जन्म देना-अर्थात् सन्तान उत्पन्न करना—भी एक है । और सच पूछिये तो यह बात बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की है । जिस जीव को जन्म देना है उसके पालन, पोषण और शिक्षण आदि का उचित प्रबन्ध करने की शक्ति जिसमें नहीं है उसके लिए इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेना मानो उस नये जीव का बहुत बड़ा अपराध करना है । क्योंकि उसका मङ्गल या अमङ्गल इसी ज़िम्मेदारी पर अवलम्बित रहता है । फिर, जिस देश में आवादी बेहद बढ़ रही है, या बढ़ने के लक्षण दिखा रही है, उस देश में मतलब से अधिक सन्तान पैदा करके, प्रतियोगिता अर्थात् चढ़ा-ऊपरी के कारण, मज़दूरी का निर्ख कम कर देना मानो उन सब लोगों का बहुत बड़ा अपराध करना है जो मेहनत-मज़दूरी करके अपना पेट पालते हैं । योरप के किसी किसी देश में यह कायदा है कि जब तक वधु-वर इस-

वात के सम्माण नहीं सबित कर देते कि भावी सन्ताति के पालन-प्रोत्साहन के लिए उनके पास उचित साधन हैं तब तक उन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं मिलती। यह कायदा बुरा नहीं है। गवर्नर्मेण्ट के जो कर्तव्य हैं उन्हींमें से यह भी एक है। अर्थात् यह भी उन्हींके भीतर है, बाहर नहीं। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि इस कायदे को जारी करके—इस कानून को अमल में लाकर—गवर्नर्मेण्ट ने अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण किया। इस वरह के कायदे समाज की दशा और समाज की राय के अनुसार सुधारे के हों या न हों; तथापि गवर्नर्मेण्ट को कोई यह दोष नहीं दे सकता कि उसने लोगों की स्वतंत्रता में अनुचित रीति पर दस्तावेज़ी की। यह एक ऐसा कायदा है—यह एक ऐसा नियम है—कि इसके जारी होने से उन बातों का प्रतिबन्ध होता है जिनसे समाज के आहित होने का डर रहता है। अतएव इसमें गवर्नर्मेण्ट की दस्तावेज़ी बहुत मुनासिब है। पर, यदि, किसी विशेष कारण से गवर्नर्मेण्ट के द्वारा इस तरह का कानून बनाया जाना मुनासिब न समझा जाय तो भी दण्डनीय व्यक्ति को सामाजिक दण्ड ज़खर ही मिलना चाहिए—उसकी छी थू ज़खर ही होनी चाहिए। परन्तु स्वाधीनता के सम्बन्ध में आज कल लोगों के विचार बड़े ही विलक्षण हो रहे हैं। जो बातें आत्म-सम्बन्धी हैं, अर्थात् जिनका सम्बन्ध दूसरों से बिलकुल ही नहीं है, उनके विषय में यदि किसी की स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन करे तो लोग ऐसे उल्लंघन को बराबर भी कर लेते हैं। परन्तु जिन वासनाओं—जिन मनोविकारों—की तृप्ति से, उचित साधन न होने के कारण, भावी सन्ताति को अनेक दुःखों

और दुर्गुणों में उम्र भर लिस रहना पड़ता है, और उससे सम्बन्ध रखनेवाले लोगों को भी सैकड़ों आदमियों का सामना करना पड़ता है, उनके प्रतिबन्ध की यदि कोई ज़रा भी कोशिश करता है तो लोग उसे बिलकुल ही नहीं बरदाश्त कर सकते । स्वतंत्रता का कहीं तो इतना आदर और कहीं इतना अनादर ! इस तरह का परस्पर विरोध बहुत ही आश्वर्यजनक है । जिन लोगों के विचार इतने परस्पर विरोधी हैं उनकी तुलना करने से यह सिद्धान्त निकलता है कि उन्हें दूसरे आदमियों को हानि पहुँचाने का तो अनिवार्य अधिकार है; पर औरों को हानि न पहुँचाकर खुद सुख से रहने का उन्हें ज़रा भी अधिकार नहीं ।

गवर्नमेण्ट की दस्तिंदाज़ी की हद क्या होनी चाहिए ? कहाँ तक दस्तिंदाज़ी करने का हक् गवर्नमेण्ट को है ? इस विषय में बहुत सी बातें पूछी जा सकती हैं । इस प्रश्न-समूह को मैंने पीछे के लिए रख छोड़ा है; क्योंकि इन प्रश्नों का यद्यपि इस लेख से बहुत घना सम्बन्ध है, तथापि ये इस निबन्ध के अंशभूत नहीं माने जा सकते । ये ऐसी बातें हैं कि इनके सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट की दस्तिंदाज़ी स्वतंत्रता के सिद्धान्तों के अनुसार अनुचित नहीं ठहराई जा सकती; क्योंकि इन बातों में गवर्नमेण्ट जो दस्तिंदाज़ी करती है वह लोगों के काम-काज का प्रतिबन्ध करने के इरादे से नहीं करती, किन्तु सब आदमियों को मदद देने के इरादे से करती है । अब इस बात का विचार करना है कि सब लोगों के फ़ायदे के लिए यदि गवर्नमेण्ट कोई काम करना या कराना चाहे तो उसे वैसा करने देना अच्छा है; अथवा सब आदमियों को

अलग अलग, या कुछ आदमियों को मिलकर, करने देना अच्छा है ?

यदि गवर्नमेंट लोगों के फ़ायदे के लिए कोई काम करना चाहे, और समाज की स्वाधीनता में बाधा डालने का उसका इरादा हो, तो गवर्नमेंट की दस्तावेज़ी के विरुद्ध तीन तरह के आक्षेप हो सकते हैं ।

पहला आक्षेप यह है कि जिस काम को गवर्नमेंट करना चाहती है वह काम, सम्भव है, गवर्नमेंट की अपेक्षा हर व्यक्ति—हर आदमी—अधिक अच्छी तरह कर सके । साधारण नियम तो यह है कि जिस काम से जिनके हिताहित का सम्बन्ध होता है उस काम के विषय में वही इस बात को अच्छी तरह जान सकते हैं कि कब, कैसे और कौन उसे अच्छी तरह कर सकेगा । इस विषय में वे जिनने योग्य होते हैं उतना और कोई नहीं होता । पहले इस तरह के कानून बहुधा बनाये जाते थे कि व्यापारियों को किस तरह व्यापार करना चाहिए और व्यापार की चीज़ों के बनानेवालों को उन्हें किस तरह बनाना या बेचना चाहिए । पर पूर्वोक्त सिद्धान्त से साबित है कि लोगों की स्वाधीनता में इस तरह की दस्तावेज़ी करना सर्वथा अन्याय है । व्यवहारशास्त्र के विद्वानों ने इस विषय का पहले ही से बहुत अधिक विवेचन कर डाला है । और इस लेख के तत्त्वों से इसका विशेष सम्बन्ध भी नहीं है । अतएव इस विषय में मैं और अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं समझता ।

दूसरा आक्षेप इस लेख से अधिक सम्बन्ध रखता है । इस कारण मैं उस पर विचार करता हूँ । यद्यपि यह बात बहुत सम्भव है

कि किसी विशेष काम को गवर्नमेंट के अधिकारी जितनी उत्तमता से कर सकेंगे उतनी उत्तमता से और लोग, मामूली तौर पर, न कर सकेंगे । परन्तु सब लोगों को मानसिक शिक्षा देने के इरादे से उन्हींसे ऐसे काम कराने की अधिक ज़रूरत है । क्योंकि यदि गवर्नमेंट के अधिकारी ही इस तरह के काम करते रहेंगे तो औरें को उन्हें करने का मौका ही न मिलेगा । अतएव उनके मानसिक शिक्षण में बाधा आवेगी । यदि ऐसे काम उनको दिये जायेंगे तो उनकी कार्यकारिणी शक्ति प्रबल हो उठेगी; वे उन्हें करना सीख जायेंगे और उनके विषय में उनका ज्ञान भी बढ़ जायगा । राजकीय बातों से सम्बन्ध रखनेवाले मुक़द्दमों को छोड़ कर और मुक़द्दमों में पंचों से सहायता लेना, लोकल बोर्डों और म्यूनिसिपैलिटियों को यथासम्भव स्वाधीनता-पूर्वक काम करने देना, और उदारता और उद्योग के बड़े बड़े काम करने के इरादे से सब लोगों को कम्पनियां खड़ी करने देना इत्यादि बातें इसी सिद्धान्त पर अवलम्बित हैं । अर्थात् सब लोगों को मानसिक शिक्षा देने ही के लिए ये बातें की जाती हैं । इन बातों का सम्बन्ध स्वाधीनता से नहीं है, किन्तु सामाजिकसुधार या उन्नति से है । और, यदि, स्वाधीनता से सम्बन्ध भी है तो बहुत दूर का है । जातीय शिक्षा का अंश समझ कर इन बातों का विवेचन इस लेख का उद्देश नहीं है; वह किसी और ही मौके पर शोभा देगा । तथापि यहां पर भी इस विषय में मैं अपने विचार, थोड़े में, प्रकट किये देता हूँ । मेरी राय यह है कि इस तरह की शिक्षा देना मानो स्वाधीन देश के निवासियों को राजकीय विषयों की शिक्षा का रास्ता बतलाना है । आदमी का

स्वभाव है कि वह अपने और अपने कुटुम्ब वालों के ही स्वर्थ की तरफ आधिक नज़र रखता है। अतएव राजकीय शिक्षा से उसकी यह आदत, थोड़ी बहुत, छूट जाती है; सार्वजनिक हित की बातों की तरफ उसका ध्यान खिंच जाता है; और उनकी व्यवस्था करने का उसे सबक सा मिलता है। इतना ही नहीं, किन्तु सार्वजनिक अथवा अर्द्ध-सार्वजनिक कारणों की प्रेरणा से काम करने की उसे आदत पड़ जाती है और जिन बातों को ध्यान में रखने से लोग परस्पर एक दूसरे से अलग न होकर एक हो जाते हैं वे बातें उसकी समझ में आने लगती हैं। जिस देश के आदमियों में इस तरह के काम करने की आदत और शक्ति नहीं होती उस देश में स्वाधीन सामाजिक संस्था—स्वाधीन राजकीय सत्ता—का चलना असम्भव होता है। और, यदि, वह चलती भी है तो अच्छी तरह और बहुत दिनों तक नहीं चलती। उदाहरण के लिए उन देशों को देखिए जहां स्थानिक राजकीय काम करने का, मौक़ा सब लोगों को नहीं मिलता। अतएव होता क्या है कि यदि लोगों को राजकार्यविषयक स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो वह बहुत दिन तक नहीं ठहरती। स्वतंत्रता-पूर्वक हर आदमी की बढ़ती होने, और अनेक तरह से अनेक आदमियों के द्वारा एक ही काम के किये जाने, से जो फ़ायदे होते हैं उन का ज़िक्र इस लेख में आ चुका है। अपने स्थान, गांव, या शहर के राजकीय काम यदि सब लोग सुद करेंगे और कम्पनियां खड़ी करके, बहुत सा रूपया लगाकर, यदि वे बड़े बड़े व्यापार और व्यवसाय खुद करने लंगें, तो जिन फ़ायदों का ज़िक्र ऊपर हो चुका है वे उन्हें ज़रूर होंगे। इसीसे

बहुत आदमियों का मिल कर बनिज-व्यापार करना और स्थानिक कामों को खुद ही चलाना बहुत ज़्रुती बात है । गवर्नरेंट के जितने काम होते हैं उन्हें अकसर एक ही तरह के होते हैं; उनका सांचा—उनका नमूना—सब कहीं अकसर एक ही सा होता है । पर जो काम हर आदमी अलग अलग, या दूसरा पांच आदमी मिलकर कम्पनी के रूप में, करते हैं उनके सांचे एक से नहीं होते । उनका तरीका हमेशा जुदा जुदा होता है । इसी से उनके तजरुबे भी जुदा जुदा होते हैं । अथवा यों कहना चाहिए कि उनके तजरुबों की—उनके अनुभवों की—हद ही नहीं होती । ऐसे तजरुबे हमेशा विनियता से भरे हुए होते हैं । अतएव सब लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गवर्नरेंट को चाहिए कि वह समाज, अर्थात् जन—समूह, की कोठी या अमानत—ख़ाने का काम करे । अर्थात् जुदा जुदा आदमियों के जो जुदा जुदा तजरुबे हों वे उसके पास जमा रहें—उनकी खबर उसे मिलती रहे—और वह उन तजरुबों का सब लोगों में बराबर प्रचार करती रहे । उसका काम है कि हर तजरुबेकार को वह दूसरों के तजरुबों से फ़ायदा पहुँचावे । उसे इस बात का कभी आप्रह न करना चाहिए कि जो रास्ता उसे पसन्द हो उसी पर सब लोग चलें ।

तीसरा और सब से प्रबल आक्षेप यह है कि यदि गवर्नरेंट सब लोगों के काम-काज में दस्तांजी करने लगेगी तो उसकी सत्ता व्यर्थ बढ़ कर, बड़े बड़े अन्यों का कारण होगी। इसलिए उसकी दस्तांजी को रोकने की बहुत बड़ी ज़्रुतत है । जैसे जैसे गवर्नरेंट की सत्ता बढ़ती है अर्थात् जो काम गवर्नरेंट कर रही है उन कामों की

संख्या जैसे जैसे अधिक होती है, वैसे ही वैसे सब लोग अधिकाधिक गवर्नमेंट की आंखों से देखते हैं—वैसे ही वैसे वे उस पर और भी अधिक अवलंबित हो जाते हैं। इस दशा में लोगों की समझ अधिकाधिक यह हो जाती है कि हमको सुख, दुःख, भय और आशा आदि की देनेवाली सिर्फ़ एक हमारी गवर्नमेंट ही है, और कोई नहीं। वही जो चाहे करे। अतएव जो लोग अधिक महत्वाकांक्षी और उद्योगी होते हैं वे गवर्नमेंट के आश्रित बन जाते हैं—वे उसकी आधीनता स्वीकार करके उनकी नौकरी कर लेते हैं। सड़कें, रेल, बैंक, बीमे के दफ्तर, बहुत लोगों के मेल से बनी हुई कम्पनियां, विश्वविद्यालय और सब लोगों के फ़ायदे के लिए स्थापित किये गये धार्मिक समाज यदि गवर्नमेंट के प्रबन्ध से चलने लगें; इसके सिवा, म्युनिसिपलिटी और लोकल बोर्ड जो काम करते हैं वह भी यदि गवर्नमेण्ट ही करने लगे; और इन सब महकमों और दफ्तरों इत्यादि में जो लोग काम करते हैं उनको नियत करना, उनकी तरक्की या तनज्जुली करना और उनको हर महीने तनख्वाह भी देना यदि गवर्नमेंट ही का काम हो जाय; तो अखबारों को चाहे जितनी स्वतंत्रता हो और कानून बनाने वाली कौसिल में प्रजा के चाहे जितने प्रतिनिधि हों, वह देश सिर्फ़ नाम ही के लिए स्वतंत्र कहा जा सकेगा। ऐसे देश में राज्य-प्रबन्धरूपी यंत्र जितना अधिक सुव्यवस्थित और कौशल्य-पूर्ण, अर्थात् पेंचदार होगा—उसे चलाने के लिए खूब चतुर अधिकारी ढूँढ़ने की रिति जितनी अधिक निपुणतापूर्ण होगी—उतना ही अधिक अनर्थ होने की सम्भावना भी नहेगी। कुछ दिन से इंग्लैंड में इस बात पर विचार हो रहा है

कि गवर्नमेंट के दीवानी महकमे में जितने आदमियों की ज़रूरत हो उतने प्रतियोगिता, अर्थात् चढ़ा-उपरी, की परीक्षा लेकर चुने जायें । ऐसा करने से नौकरी के लिए सब से अधिक शिक्षित और बुद्धिमान लोग मिलेंगे । इस सूचना के अनुकूल भी बहुत कुछ चर्चा हुई है और प्रतिकूल भी । अर्थात् किसी किसी के मत में इस तरह की परीक्षा लेकर अधिकारियों के चुनने में लाभ है और किसी किसी के मत में नहीं है । जो लोग इस सूचना के प्रतिकूल हैं उनकी दलीलों में सब से अधिक मज़बूत दलील यह है कि गवर्नमेंट के नौकरों को अच्छी तनख़ाह नहीं मिलती और उनके पद, अधिकार या जगह का माहात्म्य भी अधिक नहीं होता । इससे अत्यधिक गुणी, विद्वान् और बुद्धिमान लोग प्रतियोगिता की परीक्षा में शामिल न होंगे । किसी कम्पनी में नौकरी कर लेना अथवा खुद ही कोई व्यापार या व्यवसाय करना उनके लिए अधिक लाभदायक होगा । अतएव वे गवर्नमेंट की नौकरी की क्यों परवा करेंगे ? जो लोग प्रतियोगिता की परीक्षा के प्रतिकूल हैं उनके मुख्य आक्षेप के उत्तर में यदि अनुकूल पक्षवाले यह दलील पेश करते तो कोई आश्वर्य की बात न थी । परन्तु आश्वर्य की बात इसलिए है कि प्रतिकूल पक्षवाले ऐसा कहते हैं । क्योंकि प्रतिकूल पक्षवालों की राय में चढ़ा-उपरी की परीक्षा से जो बात न होगी उसीके होने की अधिक सम्भावना है । जिस कल्पना को काम में लाने से देश की सारी बुद्धिमता, सब कहीं से खिंच कर गवर्नमेंट के अधीन हो सकती हो उसे सुन कर दुःख होना चाहिए । यदि सभी बुद्धिमान आदमी लालच में आकर गवर्नमेंट की सेवा करने लगेंगे तो बात बहुत अनर्थकारक होगी । समाजके जिन कार्म-

में सुन्ववस्था, दूरदर्शीपन, एका और गम्भीर विचारों की ज़रूरत होती है वे यदि गर्वनर्मेंट के हाथ में चले गये, और यदि प्रायः सभी तीव्र बुद्धि के आदमी गर्वनर्मेंट की नौकरी करने लगे तो, दो चार तत्त्वज्ञानियों को छोड़ कर, देश के सारे शिक्षासम्पन्न और विद्वान् आदमियों का एक महकमा ही जुदा हो जायगा; और बाकी सब साधारण आदमियों को, हर बात के लिए, उसी महकमे का मुँह ताकना पड़ेगा। जो कुछ वह कहेगा वही उन्हें करना पड़ेगा, और जो रास्ता वह दिखलावेगा उसी पर उनको चलना पड़ेगा। जो लोग चालाक और महत्त्वाकांक्षी होंगे उनको भी अपनी उन्नति के लिए—अपने स्वार्थ-साधन के लिए—उसीका आश्रय लेना पड़ेगा। इस सर्व-शक्ति-सम्पन्न जन-समूह या महकमे में भरती होना, और, होने के बाद धीरे धीरे अपनी तरक्की करना ही सब लोगों की महत्त्वाकांक्षा की चरम सीमा हो जायगी। यदि इस तरह का कोई महकमा सचमुच ही बन जाय—यदि इस तरह की कोई व्यवस्था सचमुच ही हो जाय—तो और लोगों को किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय में तजरुबा हासिल करने का मौका ही न मिलेगा और इस जन-समूह के कार्य कर्ताओं के कामों की आलोचना करने, और प्रतिबन्ध-पूर्वक उसे एक मुनासिब हद के भीतर रखने, की उनमें शक्ति ही न रह जायगी। इतना ही नहीं; किन्तु और भी अनर्थ होंगे। जहां ऐसी व्यवस्था होती है वहां किसी अन्याय-सङ्कर काम के सहसा हो जाने या मामूली तौर पर कोई कारण देख पड़ने से यदि राजा या राजसत्ताधारी कोई और व्यक्ति किसी तरह की उन्नति या सुधार भी करना चाहता है तो उसे कामयाची नहीं होती। हां, यदि,

कोई सुधार उस महकमेशाही के फ़ायदे का हो तो बात दूसरी ह । रूस के राज्यप्रबन्ध की यही दशा है । उसे याद करके दुःख होता है । जिन लोगों को वहां की राज्य-व्यवस्था की जाँच करने का भौका मिला है उनकी यही राय है । इस महकमेशाही के मुक़ा-बिले में खुद रूस-नरेश, जार, भी कोई चीज़ नहीं है । उस बेचारे की कुछ भी नहीं चलती । अपने अधिकारियों में से—अपने मंत्रियों में से—जिसे वह चाहे उसे साइबेरिया के काले पानी को वह भेज सकता है । उसमें इतनी शक्ति ज़रूर है । परन्तु इन लोगों की इच्छा के विरुद्ध, या इनकी मदद के बिना, वह राज्य ही नहीं कर सकता—वह कोई काम ही नहीं कर सकता । जार के अधिकारी इतने प्रबल हैं कि वे यदि चाहें तो, जार की बात पर ध्यान ही न दें; यहां तक कि वे, यदि इच्छा करें तो, उसके हुक्म पर भी हरताल लगा दें । जो देश रूस की अपेक्षा अधिक सुधरे हुए हैं और जहां लोगों के मन में विद्रोह की वासना अधिक रहती है वहां, अधिकारियों की प्रबलता होने से, सब आद-मियों की यह इच्छा रहती है कि उनके सारे काम गवर्नर्मेंट ही कर दे । अथवा, कम से कम, वे इतना ज़रूर चाहते हैं कि, पूछने पर, अपने सब काम करने के लिए उनको गवर्नर्मेंट अनुमति ही न दे दे; किन्तु वह यह भी बतलादे कि वे लोग उन सब कामों को किस तरह करें । अतएव यदि उन पर कभी कोई विपत्ति आती है तो उसके लिए वे अधिकारियों ही को ज़िम्मेदार समझते हैं । यदि कदाचित् आई हुई विपत्ति उन्हें असह्य हुई तो वे विद्रोह कर बैठते हैं और वर्तमान गवर्नर्मेंट के प्रतिकूल काम करते हैं । जब बात इस

नौबत को पहुँच जाती है तब राजा या सत्ताधारी किसी और व्यक्ति को अपना आसन छोड़ना पड़ता है उसकी जगह कोई और आदमी—चाहे उसे सब लोगों की तरफ से राज्य करने का अधिकार मिला हो चाहे न मिला हो—जा बैठता है। वह भी महकमेशाही के अधिकारियों पर हुक्म चलाने लगता है और सब बातें प्रायः पूर्ववत् होने लगती हैं। वह अधिकारी-मण्डली—वह महकमेशाही—जैसी की तैसी बनी रहती है, क्योंकि उसका काम करने की योग्यता ही और किसीमें नहीं रह जाती।

पर, अपना काम आप ही करने की आदत जिन लोगों की होती है उनकी स्थिति और ही तरह की होती है; उनमें और ही बातें देख पड़ती हैं। फ्रांस को देखिए। बहां बहुत से आदमी ऐसे हैं जिन्होने फौज में नौकरी की है। उनमें से कितने ही ऐसे भी हैं जो उहदेदार रहे हैं; अतएव कोई सार्वजनिक दङ्गा, फ़साद या विद्रोह होने पर अगुआ बनने, और लड़ाई छिड़ जाने पर उसकी व्यवस्था करने, के लायक कुछ लोग वहां ज़रूर पाये जाते हैं। जैसे लड़ाई के काम में फ्रांस वाले हमेशा तैयार रहते हैं वैसे ही मुल्की मामले और उद्योग के कामों में अमेरिका वाले तैयार रहते हैं। यदि अमेरिका की गवर्नर्मेंट नष्ट हो जाय, और सब लोग बिना गवर्नर्मेंट के छोड़ दिये जायें, तो वे लोग तुरन्त ही दूसरी गवर्नर्मेंट बना लें। उनमें से हर आदमी इस काम को योग्यता से कर सकता है। वे लोग किसी भी मुल्की मामले या सार्वजनिक उद्योग के काम को बुद्धिमानी, सुव्यवस्था और निश्चय से करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस देश के लोग स्वाधीन हैं—जो देश स्वतंत्र कहा

जाता है—वहां आदमियों में इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है । और जिन लोगों में ये गुण होंगे वे अवश्य ही स्वाधीन होंगे; वे कभी पराधीन होकर न रहेंगे । राज्यसूखी धोड़े की लगाम पकड़कर उसे अपने हाथ में रखनेवाले एक या अनेक आदमियों की गुलामी ये लोग कभी पसन्द न करेंगे । राज्यसूख को हाथ में रखने ही के कारण ये लोग अधिकारियों की पराधीनता कदापि बर्दाश्त करने के नहीं । ऐसे देश में कोई महकमेशाही या अधिकारी-मण्डली इस तरह के स्वतंत्र-स्वभाववाले आदमियों से कोई काम, उनकी इच्छा के विरुद्ध, नहीं करा सकती है और न कोई काम करने से उन्हें रोक ही सकती है । परन्तु जहां सब काम अधिकारियोंही के द्वारा होते हैं वहां उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसे देश में जितने अनुभवशील और काम-काज करने लायक लोग होते हैं उन्हींका समुदाय राज्य की सारी व्यवस्था करता है; वही राज्य चलाता है; वही बाकी के सब आदमियों पर हुकूमत करता है । यह समुदाय जितना अधिक प्रबल होता है; उसकी की हुई व्यवस्था जितनी अधिक उत्तम होती है; समाज के सब वर्गों में से जितने अधिक लायक और बुद्धिमान आदमी नौकरी के लालच से इस समाज में शामिल होते हैं; और उसमें प्रवेश पाने के लिए जिस तरह की शिक्षा दरकार है उस तरह की शिक्षा को लोग जितना अधिक प्राप्त करते हैं; पराधीनता का उतनी ही अधिक वृद्धि देश में होती है—उतना ही अधिक सब लोग गुलामी के पञ्चे में फँसते हैं । अधिकारी लोग भी इस फांस से नहीं बचते; उनको भी गुलाम बना पड़ता है । क्योंकि, जिस तरह, सब साधारण आदमी अधि-

कारी-मण्डल के दास होकर रहते हैं उसी तरह अधिकारियों को भी अपनी महकमेशाही के कायदे-कानून का दास होना पड़ता है। इस विषय में चीन का उदाहरण ध्यान में रखने लायक है। वहाँ के बहुत बड़े अधिकारी मन्दारिन कहलाते हैं। ये मन्दारिन और मामूली किसान, दोनों, वहाँ की राज्य-पद्धति के एक से गुलाम हैं। * जेसूइट लोगों ने जो पन्थ चलाया है उसे उन्होंने अपने फायदे-अपनी उच्चति—के लिए चलाया है। परन्तु इस पन्थ का प्रत्येक आदमी अपने ही बनाये हुए नियमों का सब से बड़ा दास हो गया है।

फिर, इस बात को भी न भूलना चाहिए कि यदि देश भर के बुद्धि-मान, चतुर और योग्य आदमी गवर्नरेट के नौकर हो जायेंगे तो एक न एक दिन मानसिक ही नहीं, किन्तु शारीरिक उच्चति का भी हास शुरू होजायगा। जितने गवर्नरेट के नौकर होते हैं वे किसी न किसी महकमे से ज़रूर सम्बन्ध रखते हैं। और सारे महकमे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार बँधेहुए नियमों के अनुसार काम करते हैं। इसका फल यह होता है कि अधिकारी और कर्मचारी लोग आलसी हो जाते हैं और एक मुद्दत के बनेहुए रास्तों से जाने

* क्रिक्षियन लोगों के रोमन कैथलिक पन्थ की यह एक शाखा है। सोलहवें शतक के प्रारंभ में इसे स्पैन के एक आदमी ने निकाला। पहले इस शाखा का बहुत आदर हुआ; पर पीछे से पौप महाराज इससे अप्रसन्न होगये। इस कारण इसकी बेहद अवनति हुई। पर यह शाखा अभी तक जीवित है। सेप्ट झोबियर नामक एक पादरी इस शाखा में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। उसके नाम का एक कॉलेज बंबई में है। इस सम्प्रदायकाले बहुत मिलाचारी और अकसर चिद्रान् भी होते हैं। वे कहुधा विवाह नहीं करते।

की उन्हें आदत हो जाती है । यदि कदाचित् गवर्नमेण्ट के महकमे-शाही के किसी आदमी के सिर में कोई नई बात सूझी तो बाकी के सब लोग, कोल्हू के बैल की सी अपनी पुरानी राह छोड़कर, उस नई बात की तरफ़ दौड़ पड़ते हैं । पर वे उसे जांचने की तकलीफ़ नहीं उठाते कि वह ठीक है या नहीं । देखने में भिन्न, पर यथार्थ में, एक ही रस्ते से जानेवाले इन गवर्नमेण्ट के नौकरों को मानसिक और शारीरिक हास से बचाने और उनकी बुद्धि को तेज़ बनाये रखने, का साधन सिर्फ़ यह है कि उनके काम काज की खूब अच्छी समालोचना करके उन्हें ठिकाने पर लाने के लिए देशमें मह-कमेशाही के बाहर स्वतंत्र स्वभाव के कुछ आदमी रहें । अतएव इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि देश में ऐसे भी साधन रहें—ऐसे भी उद्योग, धंधे, कल, कारखाने इत्यादि खुलें—जो गवर्न-मेण्ट के मुहताज न हों । इससे क्या होगा कि जो लोग उनसे सम्बन्ध रखतेंगे उनको बड़े बड़े कामों के गुण-दोष समझने का मौका मिलेगा और इनका तजरुबा भी बढ़ेगा । उन लोगों की बुद्धि में तेज़ी आजायगी और वे गवर्नमेण्ट के अधिकारियों के काम की खूब अच्छी समालोचना कर सकेंगे । यदि किसीकी यह इच्छा हो कि गवर्नमेण्ट के अधिकारी होशियार और लायक हों, नई नई उपयोगी बातों को निकाल सकें, और दूसरों की बतलाई हुई उच्चतिशील युक्तियों को मान भी लें; अथवा यदि कोई यह चाहे कि गवर्नमेण्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का महकमा सिर्फ़ पण्डितमानी या विद्यादाम्भिक आदमियों का समूह न बन जाय; तो उसे चाहिये कि जिन व्यवसायों को—जिन उद्योगों को—करने से मनुष्य-जाति पर

होता है उसे जानने, का इस अफ़्सर को पूरा अधिकार रहता है। जो बातें सब लोगों के जानने लायक होती हैं उनको उसे देशभर में फैलाना भी पड़ता है। इस बात की ज़िम्मेदारी उसके सिर रहती है। हर जगह हर दफ्तर का जो अधिकारी होता है उसे स्थानिक कारणों से, किसी किसी बात में, अनुचित आग्रह हो जाता है; अथवा उसकी राय संकुचित होजाती है। पर सब से बड़े दफ्तर के प्रधान अधिकारी का पद और अधिकारियों के पद से ऊँचा होता है। औरों की अपेक्षा बहुत अधिक बातें भी उसे सुनने को मिलती हैं। अतएव वह किसी विषय में अनुचित आग्रह नहीं करता और न उसकी राय ही संकुचित होती है। इससे उसकी सूचनाओं को लाभदायक और मान्य समझ कर नीचे दरजे के सब अधिकारी खुशी से कबूल करते हैं। परन्तु ऐसे मुख्य अधिकारी का अधिकार इतना बढ़ा चढ़ा हुआ न होना चाहिए कि उसके बल पर जो काम वह कराना चाहे उसे वह ज़बरदस्ती करा सके। बलप्रयोग का अधिकार—किसीको लाचार करने का अधिकार—उसे मिलना मुनासिब नहीं। इस विषय में उसको सिर्फ़ इतना ही अधिकार होना चाहिए कि म्यूनिसिपालिटी के सम्बन्ध में जितने कायदे कानून बनाये गये हों उनकी तामील वह और अधिकारियों से करा सके। पर जिन बातों के विषय में कोई कायदे नहीं बनाये गये उन्हें करना या न करना उसे अधिकारियोंही की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उनके लिए वही ज़िम्मेदार हैं। जिन लोगों ने यथानियम अधिकारियों को चुना है वे खुद ही ऐसे मामलों की देखभाल कर लेंगे। जो जनसमुदाय, या जो कौसिल, कानून बनाता है उसे चाहिए कि वह

म्यूनिसिपालिटी से सम्बन्ध रखनेवाले कानून भी बनावे और यदि कोई उन्हें अमल में न लावे, या किसी प्रकार उनको भङ्ग करे, उसे वह सजा भी दे । मुख्य अधिकारी का काम यह देखने का है कि सब कर्मचारी कानून के अनुसार अपना अपना काम करते हैं या नहीं । यदि वह देखे कि कोई कर्मचारी कानून को अमल में नहीं लाता है, या उस के किसी अंश को वह भङ्ग करता है, तो अपराध के गौरव-लाघव का विचार करके, उस कर्मचारी को सजा दिलाने के इरादे से या तो वह मैनिस्ट्रैट से प्रार्थना करे, या जिन लोगों ने उस कर्मचारी को रखवा हो उनसे, उसे निकाल देने के लिए, वह सिफारिश करे । इस देश में ग्रीब आदमियों के पालन-पोषण के विषय में एक कानून है । यह कानून मुनासिब तौर पर अमल में लाया जाता है या नहीं—इस बात की देखभाल करने के लिए एक व्यवस्थापक सभा है । इस सभा को जो अधिकार मिले हैं वे उसी तरह के हैं जिस तरह के अधिकारों का वर्णन यहां पर मैंने किया है । ग्रीब आदमियों के फण्ड, अर्थात् चन्दे, की व्यवस्था करने के लिए जो कर्मचारी नियत हैं उनपर अच्छी तरह देखभाल रखना इस सभा का काम है । इस सभा को कुछ अधिकार इससे भी अधिक मिले हैं । परन्तु इसका कारण यह है कि, यहां गरीबों के पालन-पोषण के विषय में, कहीं कहीं, अधिक अव्यवस्था हो गई थी और वह खूब मजबूत होगई थी—उसने जड़ पकड़ ली थी । मुफ्त-खोर कँगलों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि उनसे किसी एक ही जगह, या शहर, के आदमियों को तक़लीफ़ न होती थी; किन्तु ये कँगले आसपास के गांवों तक में पहुंच जाते थे और सब लोगों

को तंग करते थे। किसी शहर, क़सबे या गांव की म्यूनिसिपालिटी को यह अधिकार नहीं है कि अपने कर्मचारियों की अव्यवस्था या बदइन्तज़ामी से वह कंगलों को दूसरे शहर, या क़सबे, या गांव में फैल जाने दे और उनके द्वारा वहांवालों की भी तकलीफ़ का वह कारण हो। अतएव इस अनाचार—इस अव्यवस्था—को रोकने, और कंगालखानों के पास—पड़ोस के मज़दूर आदमियों की नीति को बिगड़ने से बचाने, के लिए यहां की व्यवस्थापक सभा को कुछ अधिक अधिकार देने की ज़रूरत पड़ी। विशेष व्यापक कानून बनाने और अपराधियों को दूर तक दमन करने की जो शक्ति इस देश की व्यवस्थापक सभा को मिली है वह सर्वथा न्याय्य है; क्योंकि देशभर के हिताहित से उसका सम्बन्ध है। परन्तु सब लोगों की राय इस बढ़ी हुई शक्ति के अनुकूल नहीं है। इससे यह सभा अपनी इस शक्ति को कम काम में लाती है। परन्तु उसके न्यायसङ्गत होने में कोई सन्देह नहीं है। हाँ, यदि, किसी एक ही आध शहर या गाव का कंगलों के उपद्रव से बचाने के लिए यह शक्ति दीर्घ होती तो बात दूसरी भी। मेरी राय में हर महकमे के लिए एक ऐसे दफ्तर की ज़रूरत है जिसमें उस महकमे के सब दफ्तरों की रिपोर्टें पहुँचा करें और जहांसे और लोगों को उस महकमे से सम्बन्ध रखनेवाली सब बातें मालूम हो जाया करें। गर्वनरेंट को चाहिए कि वह ऐसा प्रबन्ध करे जिसमें हर आदमी को अपना काम उद्योग और उत्साहपूर्वक करने की उत्तेजना मिले। कोई बात ऐसी न हो जिसमें किसीके उद्योग और उत्साह की बृद्धि में किसी तरह का विघ्न आवे। इस बात का जितना अधिक ख़्याल

गवर्नमेण्ट रखे उतना थोड़ा ही समझना चाहिए । यदि जुदा जुदा हर आदमी के, या अनेक आदमियों के, समुदाय के उद्योग और बल को उत्साह देने के बदले गवर्नमेण्ट खुद ही अपने उद्योग को बढ़ाने लगे; अथवा यदि उन लोगों को सब बातें बतलाने, सलाह देने और उनसे कोई भूल हो जाने पर उसे उनके गले उतार देने के बदले, हथकड़ी और बेड़ी के जोर पर वह उनसे ज़बरदस्ती काम लेने लगे; अथवा यदि उनको एक तरफ हटा कर अर्थात् उनकी परवा न करके—उनको तुच्छ समझकर—उनका काम गवर्नमेण्ट खुद ही करने लगे, समझना चाहिए कि उसने अपने अधिकार की सीमा का उलझन किया । अतएव यह निश्चित जानना चाहिए कि उसी समय से अनर्थ का आरम्भ हुआ । किसी देश—किसी राज्य—की कीमत या योग्यता उन लोगों की कीमत या योग्यता पर अवलम्बित रहती है जो उसे देश में रहते हैं । अर्थात् प्रजा जितनी ही अधिक योग्य और सुशिक्षित होगी राज्य-व्यवस्था भी उतनी ही उत्तम, दृढ़ और बलवती होगी । अतएव जो गवर्नमेण्ट प्रजा की मानसिक वृद्धि और यथेष्ट उन्नति की तरफ पूरा ध्यान न देकर प्रजा की छोटी छोटी बातों में सिर्फ़ इस लिए दख्ल देती है जिसमें वे बातें कुछ अधिक योग्यता से की जायँ, अथवा अनुभव के आधार पर बनाये गये काम-काज करने के नियमों के अनुसार ही लोग उन्हें करें, उसे पीछे से अफ़सोस होता है । जो गवर्नमेण्ट प्रजा की मानसिक वृद्धि की तरफ दुर्लक्ष्य करती है और उसे अपना गुलाम समझकर इस लिए दुर्बल कर देती है जिसमें वह गवर्नमेण्ट की आज्ञा के अनुसार सारे काम—फिर चाहे वे प्रजा के फ़ायदे ही के

लिए क्यों न हों—चुपचाप किया करे उसे, कुछ दिनों में, यह बात अच्छी तरह मालूम हो जायगी कि थोटे आदमियों से—र्धार्थात् जिन में बहुत थोड़ी बुद्धि है उनसे—बड़े बड़े काम कभी नहीं हो सकते। उसके ध्यान में यह बात भी आजायगी कि जिस राज्यरूपी पैंच के अच्छी तरह चलाने—जिस महकमेशाहीरूपी यंत्र को सफाई से जारी रखने—के लिए उसने प्रजा का इतना नुकसान किया वह यंत्र अब अधिक दिन तक नहीं चल सकता। क्योंकि जब प्रजा की बुद्धि, उद्योगशीलता और शक्ति का सर्वथा हास ही हो जायगा तब उस यंत्र को चलावेगा कौन? अतएव वह ज़रूर ही बन्द हो जायगा।



विज्ञासि ।

हिन्दी साहित्यको उच्चश्रेणीके उत्तमोत्तम ग्रन्थोंसे परिपृष्ठ करनेके लिये हिन्दीग्रन्थरत्नाकर कार्यालयकी स्थापना हुई है । अतएव हिन्दीके सुयोग्य लेखकोंसे निवेदन है कि वे अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखकर तथा दूसरी उन्नत भाषाओंसे अनुवादित करके इस कार्यालयको सहायता पहुचावें ।

कार्यालयने अच्छे ग्रन्थकारोंको उनके संतोषयोग्य पुरस्कार देनेकी व्यवस्था की है ।

निवेदक —

व्यवस्थापक, हिन्दीग्रन्थरत्नाकर कार्यालय
हीराबाग पो० सिरगांव.

बम्बई,

